FOR REFERENCE ONLY.

ा माला, खंड 26, अंक 9

गुरुवार, 25 जुलाई, 2002
3 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 54
Date 13/6/2003

(खंड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 25 जुलाई, 2002/3 श्रावण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 162 और 163	8–34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 161 और 164 से 180	34–56
अतारांकित प्रश्न संख्या 1592 से 1636 और 1638 से 1805	56–319
सभा पटल पर रखे गए पत्र	319–322
राज्य सभा से संदेश	322
समिति के लिए निर्वाचन	
राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	322–323
अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2002-2003	323
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1999-2000	323
नियम 377 के अधीन मामले	324–331
(एक) रेवाड़ी और दिल्ली के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने और इस मार्ग पर डीएमयू रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
डा. (श्रीमती) सुधा यादव	324
(दो) मुम्बई में हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण की प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	324
(तीन) गुजरात सरकार की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के अंतर्गत पेट्रोलियम लाभ को बटि जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	325
(चार) राजस्थान में जयपुर में मेट्रो रेल प्रणाली की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	325

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(पांच)	महाराष्ट्र में भुसावल-सूरत रेल सेक्टर के विद्युतीकरण और दोहरीकरण की आवश्यकता	
	श्री वाई.जी. महाजन	325
(छह)	नागपुर स्थित एक्सप्रेस टेक्सटाइल मिल को अर्थक्षम बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	326
(सात)	असम में सुपरामंडी और पथरकंडी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 का उचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नेपाल चन्द्र दास	326-327
(आठ)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निवेशकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नरेश पुगलिया	327
(नौ)	देश के विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल के बीड़ी मजदूरों को भविष्य निधि योजना का लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अबुल हसनत खां	327-328
(दस)	तम्बाकू उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी.वी.जी. शंकर राव	328
(ग्यारह)	तमिलनाडु सरकार के स्टेनले अस्पताल क्रासिंग और विल्लीवक्कम क्रासिंग पर रेल उपरिपुलों का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री सी. कुप्पुसामी	328-329
(बारह)	बिहार में छपरा और मोहम्मदपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-101 का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुनाथ सिंह	329
(तेरह)	देश में, विशेष रूप से उड़ीसा में एल्यूमीनियम उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	329-330
(चौदह)	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के विनिवेश का प्रस्ताव वापस लिए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	330-331
(पन्द्रह)	पश्चिमी बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में मल्लाकिमाली दक्षिण 24-परगना में डब्ल्यू एल एल आधारित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सनत कुमार मंडल	331
बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में		332-341

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति	341–452
श्री अजय सिंह चौटाला	342–345
श्री मणिशंकर अय्यर	346–351
श्री शिवराजसिंह चौहान	351–362
श्री एच.डी. देवगौड़ा	362–372
श्री सुबोध राय	372–376
श्री मुलायम सिंह यादव	376–388
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	388–398
श्री सुबोध मोहिते	398–404
श्री राम सजीवन	404–407
श्री चिन्तामन वनगा	407–410
डा. गिरिजा व्यास	410–417
श्री रघुनाथ झा	417–419
श्री के. मलयसामी	419–424
श्री प्रसन्न आचार्य	424–430
श्री लक्ष्मण सिंह	430–434
श्री छत्रपाल सिंह	434–437
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	438–441
श्री ए.के.एस. विजयन	441–443
श्रीमती प्रेनीत कौर	446–449
श्री बिक्रम केशरी देव	449–453
श्रीमती मिनाती सेन	453–456
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	456
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	456–460
श्री जोवाकिम बखला	460–462
डा. (श्रीमती) सुधा यादव	462–465
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा	466–468

विषय	कॉलम
श्री शीशराम सिंह रवि	468–470
श्रीमती कैलाशो देवी	470–473
श्री भान सिंह भौरा	473–474
श्री पी.आर. खूंटे	476–481
श्री विजय हान्दिक	481–484
श्री अमर राय प्रधान	484–486
श्रीमती रानी नरह	486–487
डा. जसवंतसिंह यादव	487–491
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	491–495
श्री रामानन्द सिंह	495–500
चौ. तालिब हुसैन	500–504
श्री राम सिंह कस्वां	505–506
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	506–509
कुंवर अखिलेश सिंह	509–512
श्री सुकदेव पासवान	512–514
श्री सुन्दर लाल तिवारी	514–517
श्री हरिभाई चौधरी	517–519
श्री राम प्रसाद सिंह	519–522
डा. सी. कृष्णन	522–523
प्रो. आई.जी. सनदी	523–526
श्री महेश्वर सिंह	526–528
डा. रमेश चन्द तोमर	528–532
श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह	532–534
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	534–537
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	537–539
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	539–540
श्री के.एच. मुनियप्पा	541–546
श्री पी.एस. गढ़वी	546–549
श्री पुन्नू लाल मोहले	549–550
श्री श्रीराम चौहान	550–551

लोक सभा

गुरुवार, 25 जुलाई, 2002/3 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार में नेपाल की नदियों से बाढ़ का इस तरह से प्रकोप हुआ है कि 7-8 जिले बुरी तरह से देश के दूसरे हिस्सों से कट गये हैं।...*(व्यवधान)* गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी में रेल लाइन पर पानी चढ़ा हुआ है, रोड्स कट गई हैं, दर्जनों स्थलों पर रेल लाइन क्षतिग्रस्त हुई हैं और वहां घर-घर में पानी घुसा हुआ है। वहां नाव नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। लाखों लोग तटबंधों, उच्च स्थानों, रेल लाइनों पर शरण लिए हुए हैं, जहां न भोजन मिल रहा है, न पानी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्नकाल शुरू करते हैं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : बाढ़ के पानी में लोगों के डूबने की सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन कोई राहत प्राप्त नहीं हो रही है। यहां से मोटर बोट और सेना की नाव भेजकर वहां विशेष व्यवस्था कराई जाये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती कैलाशो देवी, यह 'शून्य काल' नहीं है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, स्पीकर साहब से भी आज सवेरे आपने यही कहा है। प्रभुनाथ जी ने भी यह मैटर उठाया था। उन्होंने कहा था कि आज इस विषय पर डिस्कशन है, खासकर मिनिस्टर कन्सर्न उस वक्त इस बारे में भी रोशनी डालेंगे।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां बाढ़ के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है और केन्द्र सरकार चुपचाप बैठी हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह प्रश्न काल है। आज रात 8.30 बजे रात तक चर्चा होगी, और कोई 'शून्य काल' नहीं होगा, और भोजनावकाश भी नहीं होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष जी, यह एक एरजेंट मामला है। आप इस पर सरकार को डायरैक्शन दीजिए। पूरे उत्तरी बिहार में आवागमन के साधन समाप्त हो गये हैं, लोग घर-द्वार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गये हैं लेकिन सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं की जा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न काल शुरू करते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 161

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, मैंने इसके बारे में पहले ही उल्लेख किया है। अब आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: वहां गम्भीर परिस्थिति है, हम लोगों ने भी मीडिया में देखा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : इतने वर्षों से लगातार इस सवाल पर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठिए.

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमारे बिहार में स्थिति बहुत गंभीर है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने कहा कि जब मंत्री जी रिप्लाई देंगे तो खासकर बिहार के बारे में मेंशन करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 161—श्री शंकरसिंह बाघेला-उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न संख्या, 162—श्री इकबाल अहमद सारडगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, विषय की गंभीरता को समझा जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आज जीरो ऑवर नहीं है, इसीलिए पहले मेंशन करने के लिए मैंने इजाजत दी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, वाद-विवाद शुरू होने से पहले हम लोगों को समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही इस बारे में उल्लेख किया है। उत्तर देते समय माननीय मंत्री विशेष रूप से इस मुद्दे पर जोर देंगे। आप भी उस चर्चा में पार्टिसिपेट कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में ये दोनों विषय क्लब करके डिसकशन के लिए तय किये गये थे।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : 24 घंटे के भीतर स्थिति और बदहाल हो जाएगी। यह अति महत्व का विषय है।...*(व्यवधान)* इसलिए गंभीर परिस्थिति है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसलिए या तो क्वैश्चन ऑवर के बाद आप हम लोगों को समय दीजिए ताकि हम अपनी भावना आपके माध्यम से सरकार को बता सकें।...*(व्यवधान)* या फिर आप अभी हमारी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, मैंने क्वैश्चन ऑवर के लिए पहले ही आपको इजाजत दी, यह गलती की।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारी बात मंत्री जी सुन कहां रहे हैं। वह अपने मुंह और कान बंद किए बैठे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब हैं न यहां। इतने मिनिस्टर्स बैठे हैं।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, आपको अधिकार है, आप सरकार को डायरेक्शन दीजिए।...*(व्यवधान)* सरकार रेस्पांस करे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : इस प्रकार से हम लोगों के कहने का कोई फायदा नहीं है।...*(व्यवधान)* आप सरकार को कहिए कि मंत्री जी कुछ तो कहें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यहां हैं। उन्होंने पहले ही इस बात को नोट किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमें जीरो ऑवर में समय दे दीजिए।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आपको मालूम है कि आज जीरो ऑवर नहीं होगा। जीरो ऑवर के बारे में आपको मालूम है। बिजनैस एडवाइजरी मकेटी में यह तय किया गया है कि आज जोरो ऑवर नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव : लेकिन वहां परिस्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है।*...(व्यवधान)* आपको अधिकार है। आप सरकार से कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी, आप बैठिए। कल से परिस्थिति बिहार की बहुत गंभीर हुई है, इसलिए बीएसी में हमने तय किया था कि बाढ़ और सूखा क्लब करके डिसकस करेंगे। क्वैश्चन ऑवर के पहले आज स्पीकर साहब के सामने आपने सुबह इसे पेश किया तो उन्होंने कहा कि आपको समय दे दीजिए, इसलिए मैंने आपको समय दिया और सरकार को मैने मैसेज अभी दिया है कि जब वह रिप्लाई करेगी तो इस बारे में खासकर बता देगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई मंत्री यहां है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : डिसकशन आज ही 8.30 बजे तक खत्म होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? आप यह क्या कर रहे हैं? मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा जो गंभीर मुद्दा उठाया गया उसे संसदीय कार्य मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। जो भी निर्णय लेना होगा वह मंत्री द्वारा ही लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : कृषि मंत्री को बुलाइए। पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर क्या करेंगे। बहस तो सूखा एवं बाढ़ पर हो रही है। लोग डूब रहे हैं। मर रहे हैं। सब कुछ बरबाद हो गया और कृषि मंत्री अनुपस्थित हैं*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मंत्री द्वारा जैसे ही निर्णय लिया जाता है, हम इस पर सभा में चर्चा करेंगे। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपात स्थिति उत्पन्न होने के कारण, कुछ कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। कृपया इसे गंभीरता से लें।

श्री राम नाईक : मैं इसे संबंधित मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, हर साल हम बाढ़ पर चर्चा करते हैं। लाखों लोग तबाह होते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, आपको आज बोलने का मौका मिलेगा। इस विषय पर आज बारह बजे चर्चा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैंने श्री सरडगी का नाम पहले ही पुकारा है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई, जिसमें 3 लाख 5 हजार 71 क्युबिक फीट पानी आया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पहले मंत्री को बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, विषय की गम्भीरता से सदन के सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। इस विषय पर कल चर्चा होनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाई। अभी माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे मैं संबंधित मंत्री महोदय को अवगत कराऊंगा। आज 12 बजे इस पर चर्चा प्रारम्भ होगी। बाढ़ और सुखाड़ से जो भी प्रदेश प्रभावित हुए हैं, इनके बारे में निश्चित रूप से सही जानकारी योग्य मंत्री महोदय प्राप्त करके उचित उत्तर देंगे। इसमें बाढ़ भी शामिल है।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में टीम भेजने के बारे में सरकार बताये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप सुनने की कृपा करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री संतोष कुमार गंगवार: बिहार और असम, दोनों ही प्रदेश बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को शंका नहीं रहेगी, जब जवाब मिलेगा। टीम जाएगी या नहीं, इस संदर्भ में मंत्री महोदय तय करेंगे।....*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.13 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

नई विद्युत शुल्क नीति

***162. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा केन्द्र सरकार ने राज्यों को यह बात स्पष्ट कर दी है कि विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार लाने हेतु उनके द्वारा उठाए गए प्रामाणिक समयबद्ध कदमों को ध्यान में रख कर ही उन्हें कोई सहायता दी जाएगी;

(ख) यह हां, तो क्या प्रति-गारंटी (काउंटर गारंटी) की प्रणाली विनाशकारी है और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का विकल्प नहीं हो सकती;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने अब राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद एक नई विद्युत शुल्क नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) राज्यों में विद्युत की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत सरकार समयबद्ध रूप में सुधार कार्य आरंभ करने के लिए केन्द्र और राज्यों की संयुक्त वचनबद्धता के रूप में राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही है। सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करन संबंधी राज्यों के प्रयासों के बदले में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से आनावंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन विशेष कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत निधियों के आवंटन इत्यादि समेत सहायता की वचनबद्धता प्रदान

की है। अब समझौता ज्ञापनों को और भी अधिक स्पष्ट और विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को साथ करार ज्ञापनों में परिवर्तित किया जा रहा है क्योंकि राज्यों में सुधार कार्यक्रम का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। अब तक इस अभियान के अंतर्गत 22 राज्यों को शामिल किया गया है।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की रूपरेखा अभिज्ञात वितरण सर्किलों में विशेष परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए तैयार की गयी है ताकि शीघ्र ही इनमें आमूलचूल परिवर्तन किए जा सकें और उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन किया जा सके। आरंभिक रूप से 63 सर्किलों को अभिकल्पित डीपीआर के आधार पर उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए इन पर कार्य शुरू किए गए हैं। इस कार्यक्रम का विस्तार कर इसे एकीकृत भार तथा एक लाख की आबादी वाले शहरों तक ले जाया जा रहा है, जहां डीपीआर तैयार करने पर कार्य शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम के परिणामों के मूल्यांकन के लिए डीपीआर का बेस लाईन डाटा अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में चोरी पर अंकुश लगाना और इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में एक प्रोत्साहन योजना भी शामिल है जिसका उद्देश्य रा.वि.बोर्डों/यूटिलिटी द्वारा वास्तविक रूप से नकद हानि में कमी करना है। इस स्कीम के अंतर्गत वास्तविक नकद हानि में कमी करने के लिए रा.वि.बोर्डों/यूटिलिटियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को देय राशि के एकमुश्त समाधान के लिए सुझाव प्रदान करे हेतु श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया के अंतर्गत एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया के अंतर्गत विशेषज्ञ दल द्वारा दी गयी सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया गया है। इस स्कीम में प्रावधान है कि 30.9.2001 की स्थितिनुसार विलम्बित भुगतानों पर ब्याज/अधिभार का 60 प्रतिशत समाप्त कर लिया जाएगा और शेष देय राशियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी कर मुक्त बॉण्डों के जरिए प्रत्याभूत कर लिया जाएगा। जो राज्य वर्तमान देयताओं का यथासमय भुगतान करते हैं उनको भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। एपीडीआरपी के अंतर्गत वर्तमान भुगतान में चूक करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निधियां आस्तगित कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सुधार हेतु कदम उठाने के लिए रा.वि.बोर्डों विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित किये जाने वाले एमओयू/में निर्धारित राजस्व वसूली में सुधार करने, वितरण फीडरों की मॉनीटरिंग करने और एसईआरसी की स्थापना करने जैसे सुधार आधारित कार्यनिष्पादन लक्ष्यों को स्वीकार करेंगे।

राज्य सरकारों द्वारा बकाया राशि प्रतिभूतिकरण तथा वर्तमान आपूर्ति के पूर्ण भुगतान का अनुशासन विकसित करने के साथ ही सीपीएसयू के महत्वाकांक्षी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए बाजार से अपेक्षित संसाधन जुटाना संभव हो जाएगा। राज्य सरकार इन निधियों का उपयोग विद्युत यूटिलिटियों को उनके तुलन-पत्र से भुगतान करने के लिए दे सकते हैं ताकि ये यूटिलिटी अपने निवेश कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु बाजार से निधि प्राप्त कर सकें।

(ख) विद्युत उत्पादन को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद भारत सरकार ने निवेशकों में विश्वास जागृत करने के लिए आरंभ में 8 परियोजनाओं को प्रतिगारंटी प्रदान की थी। अब वितरण की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की पुन: बहाली पर जोर प्रदान किया जा रहा है जो विद्युत उत्पादन में निवेश को आकर्षक और स्थिर बना सकता है।

(ग) और (घ) टैरिफ नीति पर एक संकल्पना-पत्र तैयार करने के लिए विशेष सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। इस समूह ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्यकारी समूह की रिपोर्ट पर विशेषज्ञों और विभिन्न स्टेक होल्डरों की टिप्पणियों और मतों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ नीति को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस अभियान को 3 महीनों के भीतर पूरा किया जाना निर्धारित है।

(ङ) विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए सभी स्टेक होल्डलों नामश: राज्य सरकारें, राज्य विद्युत बोर्डों, यूटिलिटियां, विशेषज्ञ, ट्रेड यूनियन, निजी निवेशक और राजनैतिक नेताओं के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात् एक व्यापक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। विद्युत संबंधी सामान्य न्यूनतम योजना के अखिल भारतीय घोषणा-पत्र का प्रारूप तैयार कर परिचालित कर दिया गया है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2012 तक सबके लिए बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1,00,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धि की जरूरत इंगित की है। दसवीं योजना के लिए लगभग 41000 मेगावाट वाले क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का लक्ष्य बनाया गया है। आरंभ में ही सघन मॉनीटरिंग करने से दसवीं योजना के लक्षित क्षमता अभिवृद्धि को प्राप्त कर लिया जाने की प्रत्याशा है। विद्यमान संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। अन्य उपयों के रूप में-

- महत्वपूर्ण एपीडीआरपी कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण में तकनीकी हानियां कम करने,
- उर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के जरिए मांग पक्ष प्रबंधन करने, और
- राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण के जरिए विद्युत के अंत:क्षेत्रीय अंतरण हेतु क्षमताओं में सुधार देश में विद्युत उपलब्धता का संतोषजनक स्तर प्राप्त कर लिए जाने की प्रत्याशा है।

वर्ष 2001-02 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण को अब आधारभूत न्यूनतम सेवा के रूप में प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्ष 2007 तक सभी गांवों के विद्युतीकरण करने और सन् 2012 तक सभी परिवारों तक विद्युत पहुंचाने के प्रावधान को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है वर्ष 2002-03 के बजट में 164 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम नामक एक नई ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम आरंभ करने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर आरईसी एवं आरआईडीएफ से पर्याप्त मात्रा में निधि प्राप्त कर अधिकाधिक बल दिया जा सकेगा।

दूरदर्शी, सुधार अभिमुख विद्युत विधेयक, 2001 को संसद में प्रस्तुत किया गया है। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत की चोरी के मामले में दंड के लिए कठोर प्रावधान की व्यवस्था है। विधेयक में क्रॉस सब्सिडी में कमी करने और राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत युटिलिटियों को अग्रिम सब्सिडी के भुगतान करने, जहां ऐसी सब्सिडी अपरिहार्य समझी गयी है, का प्रावधान है।

यह प्रत्याशा की जाती है पूर्व पैराग्राफ में बतायी गयी कार्य योजना से कुछ ही वर्षों में राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार होगा और साथ ही वाणिज्यिक व्यवहार्यता की पुन: बहाली होगी।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, पूरे देश में विद्युत की कमी है। राज्यों में प्राय: सभी बिजली बोर्ड कर्ज में हैं। प्रेस में इस बात के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि राज्यों के लिए कोई भी सहायता उन सत्यापनीय समयबद्ध कदमों से जुड़ी होगी जो राज्यों द्वारा गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाए जाएंगे। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि अगले पांच वर्षों तक राज्यों में विद्युत सुधार हेतु सहायता देने के लिए केन्द्र ने 40,000 करोड़ रु. निर्धारित किया है। यदि हां, तो राज्यों को धनराशि प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों को ऐसी धनराशि दी जाएंगी जो केन्द्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि हां, तो उन राज्यों की कुल संख्या क्या है जिन्होंने अब तक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और राज्यों के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, यह सही है कि देश के राज्य बिजली बोर्ड गंभीर संकट का सामाना कर रहे हैं। गत वर्ष राज्य बिजली बोर्डों का कुल घाटा 30,000 करोड़ रुपये था। इस समस्या का प्रत्यक्ष स्रोत अब इस तथ्य में प्रतिबिम्बित होता है कि राज्य बिजली बोर्ड वितरण और उप-पारेषण नेटवर्क को बनाए रखने में समर्थ नहीं हैं जो जन उपयोगी सेवा और उपभोक्ता के बीच बहुत महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए, राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जिसे मौंटिक सिंह अहलुवालिया समिति के नाम से जाना जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ दो या तीन समस्याओं का उल्लेख है। उनमें से एक यह है कि केन्द्रीय जनोपयोगी सेवा के लिए राज्य बिजली बोर्डों पर 41,000 करोड़ रुपए का बकाया है जिसको पूरा करने में वे समर्थ नहीं हैं क्योंकि राज्यों के पास धन नहीं है अब, नई योजना में यह कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा बांड के रूप में 41,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे इसलिए, देनदारी का ध्यान रखा गया है।

समिति ने उस धनराशि का भी अनुमान लगाया था जो इस परियोजना को पूरा करने के लिए जरूरी होंगी। जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, यह करीब 40,000 करोड़ रु. होगा, इसलिए, राज्यों को इस समस्या का सामना करने के लिए सहायता देने हेतु इस धनराशि की उगाही विभिन्न स्रोतों से की जाएगी। जैसाकि मैंने कहा, और जैसाकि आपने भी कहा राज्यों के लिए इस धनराशि को सत्यापनीय लक्ष्यों के आधार पर दिया जाएगा जिसे निर्धारित किया जाएगा। नहीं तो, धनराशि व्यय करने के बावजूद, समस्या का समाधान नहीं होगा। इस प्रतिष्ठित सभा में, कई बार हमने इस समस्या पर चर्चा की है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को धनराशि जारी की जाती है लेकिन राज्य, वास्तव में उस धनराशि का दूसरे कार्यों के लिए विपथन कर देते हैं अथवा जिस समस्या के लिए धनराशि निर्धारित की गई, उसका समाधान बिल्कुल ही नहीं किया जाता। इसलिए, यह सुनिश्चित करन के लिए कि ऐसी स्थिति दुबारा न आए, हमने निर्णय लिया कि एक सत्यापनीय लक्ष्य होगा जिस पर राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से सहमत होंगी और एक संयुक्त प्रयास के माध्यम से यह इस अनुबंध में प्रतिबिम्बित होगा और धनराशि जारी की जाएगी। इसलिए हम प्राय: सभी राज्य सरकारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पहले, हमने समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया। अब, हमने समझौता ज्ञापन को समझौता अनुबंध में बदल दिया है। हमने सभी राज्यों की एक

बैठक बुलाई है। कमोबेश सभी राज्य इस सुधार को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि दसवीं योजना के लिए करीब 41,000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता संबंधी कार्यक्रम का लक्ष्य है। महोदय, नौवीं योनजा में भी, हम देश में विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए हैं। लक्ष्य न प्राप्त करने के क्या कारण थे? मैं जानना चाहूंगा कि क्या दसवीं योजना में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि यदि विद्युत की कमी थी तो क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक को देने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से 100 मेगावाट विद्युत प्रदान करने पर सहमत हो गई है। यदि हां, तो क्या मंत्री ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यकता महसूस की गई तो कर्नाटक राज्य को विद्युत की आपूर्ति करने हेतु केन्द्र के पास पर्याप्त विद्युत है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने विद्युत हेतु अनुरोध किया है। यदि ऐसा है तो कर्नाटक राज्य को कब तक विद्युत की आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए और उत्तर भी असंगत नहीं होने चाहिए।

श्री सुरेश प्रभु: पहली बात तो यह है कि गत दस वर्षों में आठवीं और नौवीं योजनाओं में हमारी क्षमता में बढ़ोत्तरी बुनियादी तौर पर लक्ष्य से 50 प्रतिशत कम इसलिए रही है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में हमारी भागीदारी ही नहीं रही। इस बीच, गैर-सरकारी निवेश की आशा करते हुए सरकार ने सरकारी निवेश वापस ले लिया था। इसलिए दसवीं योजना, जो 1 अप्रैल को शुरू हुई थी, में हमने उन सभी घटकों पर ध्यान दिया है और एक योजना तैयार की है जिससे गत योजनावधि की तुलना में दसवीं योजना के दौरान सरकारी निवेश में 270 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

दूसरे हमने 41000 मेगवाट की क्षमता वाला एक अतिरिक्त कार्यक्रम शुरू किया है, वह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मात्र लक्ष्य निर्धारित करना ही नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य परियोजनाओं का स्थिति का पता लगाना है। वास्तव में यह एक मूल दृष्टिकोण है। मैंने सभी राज्यों के विद्युत बोर्डों, सभी गैर-सरकारी कम्पनियों और सभी केन्द्रीय उद्योमों की एक बैठक बुलाई थी जिन्हें दसवीं योजना में इस कार्यक्रम को शामिल करना है। प्रत्येक निर्धारित, पता लगाई गई और जांच की गई परियोजना के आधार पर 41000 मेगावाट की इस अतिरिक्त क्षमता वाले कार्यक्रम का अनुमान लगाया गया है। इसलिए मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह योजना निश्चित रूप से 41000 मेगावाट क्षमता प्राप्त कर लेगी।

तीसरी बात यह है कि यह भाग अतिरिक्त क्षमता वाला कार्यक्रम नहीं है जिसे हम विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु लक्ष्य बना रहे हैं। हम ऊर्जा संरक्षण की मांगे और उसका प्रबंधन कर रहे हैं जिसकी क्षमता 2500 मेगवाट है। हम पंजीकृत विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं जिनसे दसवीं योजना के दौरान न्यूनतम 10,000 मेगवाट विद्युत की वृद्धि हो सकती है। इसलिए इन सबको मिला दिया जाए तो विद्युत की कमी समाप्त हो जाएगी।

माननीय सदस्य कर्नाटक राज्य के बारे में जानना चाहते थे। यह सत्य है कि कर्नाटक, केरल और अधिकतर दक्षिणी राज्य विद्युत की भयंकर कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि इस वर्ष मानसून बिल्कुल नहीं आया है जिसके पणिामस्वरूप दक्षिणी भारत में अनेक राज्यों में जलाशय स्तर पिछले वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत है। इसलिए यह एक गम्भीर समस्या है। हम इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अस्थाई उपाय किस प्रकार किए जा सकते हैं। मैंने इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए अगले सप्ताह एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। किन्तु जैसाकि उस समस्या के बावजूद जिसका सामना हम देशभर में कर रहे हैं उन्होंने पहले ही बताया है, 100 मेगवाट विद्युत कर्नाटक को पहले ही उपलब्ध होने लगी है। मैं राज्य को असीमित बिजली नहीं दे सकता क्योंकि केन्द्र सरकार के पास विद्युत का भंडार नहीं है। उत्पादित विद्युत की आपूर्ति अनेक राज्यों में तत्काल की गई है। इसलिए हम सैदव आकस्मिक प्रबंध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: उपाध्यक्ष जी, हमारा उद्देश्य हर घर में चिराग जलाने का था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुये क्या हम नयी टैरिफ पॉलिसी में इस पर ध्यान दे रहे हैं, यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना में हर घर में एक बत्ती जलाने के लिये हमारी क्या सोच है? इसके अलावा मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ऊर्जा के क्षेत्र में जैनेरेशन के क्षेत्र में भी प्राइवेटाइजेशन से भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। परिणामस्वरूप ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लौसेज 40-50 प्रतिशत है जबकि अंतर्राष्ट्रीय नार्म्स के अनुसार ये 12 प्रतिशत होने चाहिये। इसे कम करने के लिए क्या हमारी सोच है?

उपाध्यक्ष जी, हाइड्रो पॉवर की स्थिति यह है कि आज से 10 साल पहले थर्मल और हाइड्रो पॉवर का बंटवारा जो 40-60 के अनुपात में था, आज वह 80-20 के अनुपात में हो गया है। हाइड्रो पॉवर रिसोर्सेज टेपे प्राप्त करने के बाद हिन्दुस्तान, भूटान

और नेपाल आपस में मिलकर करीब 2 लाख 50 हजार मैगवाट बिजली पैदा कर सकते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में क्या सोच है?

श्री सुरेश प्रभु: उपाध्यक्ष जी, हर में घर में बिजली पहुंचाना, यह हमारा उद्देश्य जरूर है लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि इसे पांच साल में हासिल किया जा सकता है। यदि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बिजली पहुंचानी है तो उसके लिये कम से कम दस साल लगेंगे। इन दस सालों में बिजली पहुंचाने के लिये हमारे पास एक एक्शन प्लान तैयार है जिसे सभी राज्यों ने एंडोर्स करके दिखाया है। देश में 65 प्रतिशत ऐसे घर हैं जहां बिजली नहीं पहुंची। जहां 80 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, वहीं देश के चार लाख ऐसे देहाती क्षेत्र हैं, जिन्हें हम बस्तियां कहते हैं, वहां बिजली नहीं पहुंची है। हम इस कठिनाई को पांच साल में दूर नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि पिछले 50 साल में कार्यक्रम नहीं हुये हैं, यह उसी का नतीजा है। इस सब को ठीक करने के लिये जरूर समय लगेगा लेकिन हम इस अगले 10 साल में करके दिखायेंगे, यह हमारा वायदा है। इसके लिये हम कार्यक्रम बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष जी, कोई भी सरकार दस साल का टारगेट नहीं बनाती है। कोई भी सरकार हो, वह पांच साल के लिए बनाती रही है। आज जो स्थिति है...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, अगर ये दस साल का टारगेट बनायेंगे और अगले पांच साल में यह सरकार आयेगी या नहीं, क्या यही किस्सा चलता रहेगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें श्री ज्योतिरादित्य के प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु : उपाध्यक्ष महोदय, आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है इसलिए में उन्हें बताता हूं कि यदि पिछले पचास सालों में इन गावों को बिजली दे दी जाती तो पांच साल की जरूरत नहीं रहती। लेकिन न देने के कारण हमें ऐसा करना पड़ रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चर्तुवेदी: पचास साल पहले गांव-गांव में दिये होते थे, आज वहां बिजली है जो हमारी दी हुई है।...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: मैं कहूंगा कि यदि मैं व्यक्तिगत आलोचना करना चाहूं तो आपकी सरकार ने पिछले चार सालों में न एक मेगावाट एड किया है और न ऊर्जा के क्षेत्र में कोई वृद्धि की है। इसलिए हम पीछे की न सोचकर आगे की सोचें। अपने देश में हम प्रगति और विकास कैसे ला सकते हैं, इस बारे में हम आगे की सोचें, यही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है।

श्री सुरेश प्रभु: मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले पांच साल में बीस हजार मेगावाट से ज्यादा अतिरिक्त बिजली का निर्माण शुरू हुआ है...*(व्यवधान)* हमारे संविधान के तहत बिजली का निर्माण करना प्राथमिकता के तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी है। हमारे संविधान में इसका प्रावधान है। इसलिए सभी राज्यों को बिजली का निर्माण करना चाहिए। यदि राज्य सरकारें बिजली निर्माण करने में अक्षम हैं या उनकी कुछ कठिनाइयां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से बिजली निर्माण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगली पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार राज्यों में भी बिजली निर्माण करके राज्य सरकारों की कठिनाइयां दूर करने का प्रयास कर रही है।

दूसरी बात आपने पूछी है कि हाइड्रो डवलपमैन्ट के लिए हमारा क्या कार्यक्रम है। मुझे यह कहने में खुशी है कि पिछले पचास सालों के बाद हमारे देश में जो हाइड्रों पोटेन्शियल है, उस सभी हाइड्रों पोटेन्शियल को सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा पूरी तरह से प्रमाणित करके हमने एक रैंकिंग स्टडी बनायी है। जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, हमने उनकी रैंकिंग स्टडी बनाई है तथा आने वाले अक्टूबर या नवम्बर महीने में देश में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कंपनियां इनमें निवेश करना चाहेंगी, उन विदेशी कंपनियों को राज्य सरकारों के साथ बैठाकर इन प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउन्ड मैनर के तहत किस तरह से एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, उसके लिए भी हमने कार्यक्रम बनाया है।

तीसरी बात, आपने सही कहा कि सब ट्रांसमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का निजीकरण हो, मैं मानता हूं कि यह जनरेशन से भी ज्यादा जरूरी है और यही मिस्टेक हमने पिछले दस सालों में की थी। हमने अपस्ट्रीम जनरेशन में विदेशों से पूंजी लाने की कोशिश की लेकिन उससे हमारी समस्या हल नहीं हुई, बल्कि समस्या बढ़ गई। इसलिए अब केन्द्र सरकार ने ट्रांसमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लौसेज को कम करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश में एक साथ अनेक जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करने हेतु पहल करने के लिए मानीय मंत्री को बधाई देता हूं। उन्होंने सभी परियोजनाएं पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। यह एक अलग मामला है।

बात यह है कि देश भर में पारेषण और वितरण का घाटा हो रहा है और (कांटे डालकर जोड़ लगाकर) बिजली की चोरी हो रही है। कुछ राज्यों को छोड़कर विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों जिनमें मेरे राज्य का विद्युत बोर्ड भी शामिल है, का संचयी घाटा एक हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मैं आशा करता हूं कि यह घाटा सीमा के भीतर है और यह लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में दिया गया है। इसलिए बिजली की चोरी (कांटि डालकर और तार जोड़कर) और पारेषण और वितरण के घाटे को रोका जाए। अनेक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों पर पर्याप्त धनराशि बकाया है। आप ने मोनटेक सिंह अहलुवालिया समिति गठित की है और इसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पारेषण और वितरण घाटे और बिजली की चोरी (कांटे डालकर और जोड़ लगाकर) रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या आपके कार्यक्रम के लिए कोई निर्धारित समय सीमा है? क्या सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों जिनके लिए आपने मॉनटेक सिंह अहलुवालिया समिति गठित की है, बकाया धनराशि वसूल न करने के कारण धन की तंगी की वजह से आपका घाटा बढ़ेगा? उनकी रिपोर्ट के अनुसार क्या समय सीमा निर्धारित है जिससे अपनी सभी बकाया धनराशि एकत्र करने की उम्मीद कर रहे हैं? क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है अथवा नहीं?

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमें लगभग एक वर्ष पहले मॉनटेक सिंह अहलुवालिया समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हमने सभी राज्यों से बात की है। लगभग सभी राज्यों ने हमारे साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अत: दो सप्ताह के भीतर हमें 41000 करोड़ रुपए वसूल हो जाते जिससे वर्षों की चूकों के परिणामस्वरूप देश को नुकसान हो रहा है। हम अगले कुछ सप्ताह में ही इस समस्या को हल कर लेंगे।

श्री सुबोध मोहिते: उपाध्यक्ष महोदय, बुनियादी प्रश्न तीन मुद्दों के बारे में है। पहला मुद्दा विद्युत की उपलब्धता के बारे में है; दूसरा मुद्दा यह है कि कि यह विद्युत किस लागत पर उपलब्ध है और तीसरा मुद्दा विद्युत की गुणवत्ता है।

[हिन्दी]

मंत्री जी ने यहां जो जवाब दिया है, इस जवाब को मैंने तीन बार पढ़ा। इसमें पांच चीजें कही गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिये। उत्तर पढ़ेंगे तो आधा घंटा चाहिए।

श्री सुबोध मोहिते: पहली चीज है टी एंड डी लॉसेज रिडक्शन, दूसरी चीज कही है कॉमर्शियल एवेलेबिलिटी, तीसरी चोरी के बारे में है, चौथी फाइनेन्शियल हैल्थ इंप्रूव करने और पांचवीं वन टाइम सैटलमेंट के बारे में है। मेरा सवाल है कि जो पांच चीजें उत्तर में कही गई हैं, ये कोई नई चींजें नहीं हैं। उनके बारे में सबको पता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सप्लीमेंटरी पूछिये। बहुत से माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री सुबोध मोहिते: मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो चीजें उत्तर में दी गई हैं, वे नई नहीं हैं। जब भी में कोई बात बोलता हूं तो उसका लॉजिक देता हूं। एक प्लान का उदाहरण देता हूं। पावर मिनिस्ट्री का आठवीं योजना में टार्गेट था टी एंड डी लॉसेज कम करने का, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपये सी.ई.ए. के द्वारा खर्च किया गया फिर भी आज की तारीख में टी एंड डी लॉसेज 50 प्रतिशत हैं। यह ग्राउंड रियेलिटी है। मेरा सवाल है कि जो रूट कॉज है, उसको हम कैसे इंट्रीग्रेट कर रहे हैं?

[अनुवाद]

आपका मंत्रालय क्या आई.ई.आर.पी. अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है या नहीं यह मेरा सवाल था। मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। मेरा प्रश्न हैं कि क्या मंत्रालय आपूर्ति और मांग के संबंध में जिसमें सभी ऊर्जा स्रोत शामिल हैं, के बारे में एकीकृत ऊर्जा स्रोत नियोजन को अपना रहा है। लक्ष्य क्या है?

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु: उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई बच्चा पढ़ाई में मेहनत न करने के कारण परीक्षा में फेल हो जाता है तो दूसरे तीसरे टीचर के पास जाता है। सभी उसे कहते हैं कि पढ़ाई करो, उसमें कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से टीचर कहता है कि पढ़ाई करने के बाद ही पास हो सकते हैं, उसी तरह से नई बात इसमें नहीं है। यह बिल्कुल साफ है। लेकिन जो हमने नहीं किया, वह करने की जरूरत है और इसीलिए बार-बार दोहराएंगे तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पिछली बार नहीं हुआ इसलिए बार-बार दोहराने का काम होता है।

दूसरी बात है कि इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। मैंने अपने पहले सप्लीमेंटरी उत्तर में भी कहा कि सिर्फ कैपेसिटी एडीशन नहीं, डिमांड साइज मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, नेशनल ग्रिड का निर्माण करना और सभी वर्गों को लेकर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रॉबलम को सॉल्व करने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैं समझता था कि आपने शायद पढ़ा होगा, मैंने पूरी तरह से ब्लू प्रिंट फॉर पॉवर सैक्टर डैवलपमेंट आपको भेजा है। यदि चाहेंगे तो दोबारा भेज दूंगा। आपको पढ़ने के बाद इस बात का विश्वास होगा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत ही सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: मंत्री कार्यक्रम और प्रचार का सबसे अच्छा सेल्समैन (विक्रेता) होता है। किन्तु मैं कह सकता हूं कि उसके परिणाम नहीं निकल रहे हैं। वह भी इस बात को जानते हैं। बिजली संबंधी जो सुधार उन्होंने और उनकी पिछली सरकार ने शुरू किए थे, उनका परिणाम नहीं निकला है। शुल्क दर अत्यधिक बढ़ गई हैं, उत्पादन में कमी आई हैं और ऋणों में वृद्धि हुई है। अब आप एक बारगी बन्दोबस्त का प्रस्ताव कर रहे हैं। आप जो बिजली उपयोग करते हैं उस बिजली की लागत उससे अलग है जिसका भुगतान विद्युत बोर्ड कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं?

मंत्री जी, अब आप राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम संबंधी सोचबूझ के बारे में विचार कर रहे हैं। आप सभी विद्युत बोर्डों को अपने नियंत्रण में क्यों नहीं लेते और स्वतंत्र निगम क्यों नहीं बनाते और पूरी स्थिति में क्यों सुधार नहीं करते?

श्री सुरेश प्रभु: वह बहुत आधारभूत सुझाव दे रहे हैं कि हमें सभी राज्यों के साथ विद्युत बोर्डों पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यह राज्यों का संयुक्त विचार है। भारत के संविधान के अंतर्गत यह समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकारें राज्य विद्युत बोर्डों के स्वामी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ए.पी.डी.पी. कार्यक्रम चलाकर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को एक ऐसा अवसर दिया है जिससे वहां बिजली सप्लाई में सुधार होगा। उन्होंने कहा है कि मानदंडों के अनुसार जो प्रान्त जिस क्षेत्र अथवा जिलों की अनुशंसा करेंगे उनको ए.पी.डी.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाएगा।

महोदय, जहां तक पहाड़ी राज्यों का संबंध है, मैं मंडी संसदीय क्षेत्र से आता हूं जिसमें मंडी एवं कुल्लू सर्कल भी आते हैं जो सारा जनजातीय क्षेत्र है और उसमें चम्बा भी आता है, लेकिन उन क्षेत्रों को इस कार्यक्रम मे शामिल नहीं कर, ऐसे क्षेत्रों की अनुशंसा की गई है जहां तुलनात्मक दृष्टि से ट्रांसमीशन लासेस कम हैं। मैंने ऐसे जनजातीय क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में लेने के लिए मंत्री जी को पत्र लिखा था और मंत्री जी ने चाहा था कि उन क्षेत्रों की अनुशंसा प्रदेश सरकार भी करे। इसलिए मैंने मंत्री जी को प्रदेश सरकार की अनुशंसा का पत्र भी इस बारे में लाकर दिया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है?

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में 63 सर्कलों को लेने का निर्णय लिया है और साथ ही यह भी उत्तर दिया है कि प्राथमिकता उन कस्बों और शहरों को दी जाएगी जहां आबादी एक लाख से ज्यादा है। यदि ऐसा किया जाएगा तो, जितने भी पहाड़ी प्रान्त हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश भी आता है, उनमें से किसी की भी बारी नहीं आएगी। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे जनसंख्या में कुछ छूट देने पर विचार करेंगे ताकि इस योजना से पहाड़ी प्रान्त भी लाभान्वित हो सकें?

श्री सुरेश प्रभु: उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम फेज में हमने 63 सर्किलों को लिया था लेकिन वह नोट अभी कैबीनेट के पास एप्रूवल के लिए गया है जिसमें हमने इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने हेतु चिन्ता व्यक्त की है। यदि कैबीनेट एप्रूव करेगी, तो हम बाकी क्षेत्रों को भी ले सकते हैं।

श्री महेश्वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के मंडी एवं कुल्लू सर्कलों और उसमें आने वाले जनजातीय क्षेत्रों में जहां ट्रांसमीशन लासेस ज्यादा हैं और जिनकी अनुशंसा ए.पी.डी.पी. कार्यक्रम में लेने हेतु प्रान्तीय सरकार ने भी की है तथा मैंने भी मंत्री महोदय को पत्र लिखा है उस पर क्या कार्रवाई की गई तथा क्या वे इसमें एक लाख की आबादी की शर्त में छूट देंगे या नहीं, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। मैं चाहूंगा। मंत्री महोदय मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री सुरेश प्रभु: मैं उसको भी देख रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: पारेषण घाटा और-विद्युत की गुणवत्ता के अतिरिक्त, एक समस्या विद्युत प्रणाली में आवर्ती की है। आवर्ती समस्या को हल करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्ताव भेजा है। 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए पम्प भंडारण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे पुरूलिया पम्प भंडारण कहा जाता है। संयुक्त उद्यम पर पिछले वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे और यह प्रस्ताव गत वर्ष से भारत सरकार के पास लम्बित है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए पुरुलिया पम्प भंडारण के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।...*(व्यवधान)* क्या भारत सरकार इस परियोजना को और अधिक विलम्ब किए बिना मंजूर करेगी ताकि इस परियोजना को 2006 तक शुरू किया जा सके।

श्री सुरेश प्रभु: माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हाल ही में हमने एक बैठक की थी जिसमें मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था। तत्पश्चात् ऊर्जा क्षेत्र

के नाम देखने वाले पश्चिम बंगाल के मानीय मंत्री माननीय संसद सदस्य के साथ मुझसे मिले। हमने पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि हम इस तथ्य के बावजूद इस परियोजना पर लगे रहेंगे भले ही वहां कुछ कठिनाईयां अवश्य हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार को संयुक्त रूप से इस बात का हल निकालना होगा ताकि इस परियोजना को व्यावहारिक बनाया जा सके और इसे शुरू किया जा सके।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप मुझे इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे लेकिन आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पुकारा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको एक मौका दूंगा।

श्री श्रीनिवास पाटील: महोदय, डाभोल विद्युत परियोजना माननीय मंत्री के गृहक्षेत्र में है...*(व्यवधान)* ऐनरॉन की डाभोल विद्युत परियोजना इस स्थिति में है कि वह महाराष्ट्र सरकार को बिजली की आपूर्ति कर सकती है और यदि अन्य ग्राहक हों तो वह उन्हें भी विद्युत-आपूर्ति करने को तैयार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा तयशुदा कीमतों की वजह से डाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों की मध्यस्थता करते हुए जायज कीमतें तय करायेगी। यदि यह संभव नहीं है तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम उपलब्ध बिजली को खरीदना चाहेगा? बजाय इसके कि एक नयी परियोजना बनाने में समय लगायें और पांच साल इन्तजार करें जबकि विद्युत का अभाव हो, क्या भारत सरकार इस स्थिति में है कि दोनों पक्षों को साथ लेकर समझौता करा सके या ऐनरॉन की डाभोल विद्युत परियोजना से उपलब्ध विद्युत ले सके?

यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा?

श्री सुरेश प्रभु: जैसा कि आप जानते हैं किसी भी विद्युत परियोजना के लिए मालिकाना हक इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि उस परियोजना द्वारा उत्पन्न विद्युत को कौन खरीदेगा। इसलिए, डाभोल विद्युत ऊर्जा परियोजना की शुरूआत, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और ऐनरॉन पॉवर कारपोरेशन के शेयरों द्वारा शुरू की गई थी।

अब, ऐनरॉन पॉवर कारपोरेशन अमेरिका के न्यायालय में दिवालिएपन की कार्यवाही का सामना कर रहा है। इसलिए, यदि महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड बिजली खरीदने का इच्छुक हो तो आई डी बी आई के प्रनिनिधित्व वाली सहयोगी कम्पनियां महाराष्ट्र सरकार से पहले से ही यह वार्ता कर रही है कि किस कीमत पर महाराष्ट्र सरकार को विद्युत बेची जा सकती है।

आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत की कमी का घोर सामना कर रहा है। वहां पर परिसम्पतियां उपलब्ध हैं। जिससे दोनों चरणों में मिलाकर 2100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग महाराष्ट्र सरकार को प्रभावित करने के लिए अपने पदों का प्रयोग करके यह विश्वास दिलायेंगे कि परिसम्पतियां तो बन जायेंगी और उससे उत्पन्न की गई विद्युत महाराष्ट्र सरकार द्वारा खरीद ली जाएगी।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ बनने के बाद मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली का संकट है। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिस तरह विभाजन हुआ, वह जनसंख्या के आधार पर न्यायोचित ढंग से नहीं हुआ। इसलिए मध्य प्रदेश में यह संकट है।...*(व्यवधान)* जो मैम्बर्स सामने बैठे हैं, वे जरा पीछे बैठने वाले मैम्बर्स को भी बोलने दें। जैसे आप हाउस को चला रहे हैं वैसे नहीं चलने वाला है।...*(व्यवधान)* हम भी इस हाउस में पिछली लोक सभा से मैम्बर हैं। पीछे बैठने का मतलब यह नहीं है कि आप हमें सुने ही नहीं। आगे बैठनें वालों की दादागिरी ज्यादा नहीं चलेगी, हम भी बोलेंगे।...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली का जो संकट है, उसके चलते गांवों में एक घंटे भी बिजली नहीं मिलती। वहां भयावह सूखे की स्थिति है। राज्य में सिंचाई के साधन नहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में टयूबवैल्स बहुत कम हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिजली संकट को हल करने के लिए क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत सराकर को कोई पत्र लिखकर सहयोग मांगा है? अगर मांगा है तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या वह कोई मदद मध्य प्रदेश सरकार को देने जा रही है ताकि मध्य प्रदेश बिजली संकट से उभर सके। दूसरी बात यह है कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिये। आप इल्जाम लगा रहे थे कि पीछे बैछने वालों को बोलने का मौका नहीं मिलता। अभी श्री सुबोध मोहिते को हमने बोलने का चांस दिया है। आपको भी बोलने का चांस दिया है आपका यह इल्जाम ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री रामानन्द सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार क्या मध्य प्रदेश सरकार को सहयोग देने जा रही है या नहीं?

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार को समय नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बिहार को पहले चांस मिला है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: बिजली के मामले में समय नहीं मिला है। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु: उपाध्यक्ष महोदय, इस साल पूरे देश में 12 बिलियन यूनिट्स बिजली का निर्माण शायद कम होगा क्योंकि हमारा हाइड्रो रिजर्व 43 परसेंट से कम है। इसलिए पूरे देश के लिए यह एक सीरियस मैटर है। केन्द्र सरकार के पास जो भी बिजली है उसको पहले ही राज्यों में वितरित किया जा रहा है। अतिरिक्त बिजली का निर्माण करके पूरे देश में इस संकट को किस तरह से टाला जाये, इसके लिए अगले हफ्ते हमने एक इमर्जेंसी मीटींग रखी है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जायेगा। उसमें मध्य प्रदेश की भावनाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, मंत्री जी ने यह कहते हुए जवाब दे दिया कि उसके लिए पैकेज है...*(व्यवधान)* मैं सोचता हूं कि राज्य सरकार द्वारा सामना की जा रही वित्तीय समस्याओं के लिए यह पैकेज है। न केवल उड़ीसा को राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदर्श का दर्जा दिया गया है बल्कि विश्व बैंक द्वारा भी बिजली बोर्ड की प्रक्रिया को समाप्त करने वाला राज्य माना गया है। जिसने उड़ीसा के बारे में पढ़ा है वह यह जानता होगा कि एक ईकाई जो 1.82 रुपये की दर पर बेची जा रही थी। अब राज्य विद्युत बोर्ड के बंद हो जाने के कारण बढ़कर 2.80 रुपये हो गई। बोर्ड लाभ में चल रहा था। अब वह घाटे में चला गया है। क्या मैं इसके बारे में मंत्रीजी से जान सकता हूं?

विद्युत बोर्ड बी.ए.डी. के घाटे अलग-अलग हैं। राज्य विद्युत बोर्ड की स्थिति बिहार और उड़ीसा से कहीं बेहतर है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं। केन्द्रीय सहायता की कोई जरूरत नहीं है।

क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि बंद करने के आठ सालों के अनुभव के बाद भी क्या आप समझौता ज्ञापन करने जा रहे हैं जिस पर समझौते वास्ते हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

क्या आप अब भी वही प्रयोग कर रहे हैं और अन्य अच्छे राज्यों को उड़ीसा राज्य की तरह बना रहे हैं? यह मेरे प्रश्न का प्रथम भाग है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप मात्र एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अंबेडकर: मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है-स्थिति को सुधारने के लिए कुछ परियोजनाएं चल रही हैं। जैसा कि मैने बताया जल ऊर्जा का उत्पादन मात्र 20 फीसदी है।

महोदय, टीपू मुल्ला एक परियोजना है जो असम राज्य के सिलचर जिले में चल रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इसे उठाने जा रहे है।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, 2001 का प्रस्तावित विद्युत बिल जो मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और जो अभी स्थायी समिति के जांचाधीन है में मात्र एक मॉडल की बात नहीं कही गयी है। हम अब यह नहीं कह रहे हैं कि राज्य विद्युत बोर्डों को तीन भागों में विभाजित करना पड़ेगा। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि राज्य विद्युत बोर्डों को लाभकारी बनाया जाये। अत: कुल मिलाकर हम उड़ीसा को मॉडल मानकर इसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि इसका उड़ीसा एक मॉडल है और उस जैसे मॉडल बनाये जाने की संभावना है। अत: सभी राज्यों में भारत सरकार ने सहायता देने का निर्णय लिया है....*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, इसके लिए हम माननीय मंत्रीजी के आभारी हैं...*(व्यवधान)* परंतु माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब नहीं किया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ग्यारह सदस्य पहले ही अनूपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, वहां स्थिति इतनी खराब है कि विद्युत आपूर्ति को लेकर लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और सरकार गोलियां चलवाने का काम कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम भी अनूपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जोस, यदि आप आधे घंटे की चर्चा के लिए नोटिस देंगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मान्यवर, यह गंभीर सवाल है, इससे ज्यादा गंभीर कोई सवाल नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: एक प्रश्न में आधा घंटा लग गया है। इस प्रश्न को हमने पूर्वाह्न 11:15 बजे लिया था। अन्य माननीय मंत्रीगण भी इंतजार कर रहे हैं। आधे घंटे की चर्चा में आप भी भाग ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है।...*(व्यवधान)* वहां विद्युत आपूर्ति को लेकर हाहाकार मचा हुआ है।...*(व्यवधान)* लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और वहां की सरकार लाठियां और गोलियां चलवाने का काम कर रही है।...*(व्यवधान)* हम आप से संरक्षण चाहते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप हाफ एन आवर डिसकशन के लिए नोटिस दाजिए, मैं एडमिट करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न पर ग्यारह माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे हैं। इसके लिए आप हाफ एन आवर डिसकशन का नोटिस दीजिए, मैं एडमिट करूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप आधे घंटे की चर्चा के लिए नोटिस देंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। अब, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: यह सबसे ज्वलंत मुद्दा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही अगले प्रश्नकर्ता का नाम पुकार चुका हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी

कुंवर अखिलेश सिंह: इस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत पूरी चर्चा स्वीकार कीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यदि माननीय मंत्री जी सहमत हैं तो आप नियम 193 के अंतर्गत देश में विद्युत की स्थिति पर थोड़े समय के लिए चर्चा क्यों नहीं स्वीकार करते।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इसका निर्णय कार्य मंत्रणा संबंधी समिति में ही लिया जा सकता है। इसी प्रश्न पर ग्यारह सदस्य पहले ही अनूपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं और इस पर हम पहले ही 33 मिनट ले चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उत्तर प्रदेश की स्थिति दयनीय हो चुकी है। यह गंभीर सवाल है।...*(व्यवधान)* हमारा निवेदन है कि इस विषय पर पूरी चर्चा स्वीकार करें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आधे घंटे की चर्चा भी ऐग्री की है, आपको और क्या चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभी सदस्यों को एक प्रश्न पर बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता है। प्रश्न 163–श्री सुरेश जाधव।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी स्थान ग्रहण कीजिए। यह प्रश्नकाल है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, एक प्रश्न में आधे घंटे से ज्यादा समय लग गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: नोटिस दीजिए, हम ऐक्सैप्ट करेंगे

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, उसे सुन लीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह जी, मैं शुरूआत में ही आपकी बात सुन चुका हूं और अब फिर आप यही अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

काफी ऐसे सदस्य हैं जो अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें पहले ही बोलने का मौका दे चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैंने प्रश्न पूछा नहीं है, यह क्वैश्चन चल रहा है, इसलिए हम प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[अनुवाद]

नोटरी पब्लिक के विरुद्ध कदाचार और दुराचरण की शिकायतें

*163. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों से नोटरी पब्लिक के विरुद्ध कदाचार और दुराचरण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई इस प्रकार की शिकायतों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी दोषी नोटरी पब्लिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार/राज्यवार इस व्यवसाय संबंधी कितने प्रमाण-पत्र निरस्त किए गए?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से अठारह शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के राज्यवार/वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं।

विवरण

उन राज्यों के नाम, जिनसे शिकायतें प्राप्त हुई हैं	प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या			की गई कार्रवाई
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	
1	2	3	4	5
दिल्ली			3	2-लंबित 1-जांच आरंभ कर दी गई है

1	2	3	4	5
गुजरात			1	1-लंबित
महाराष्ट्र			2	1-लंबित 1-अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई
पंजाब	2	1	3	5-लंबित 1-अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया गया है
राजस्थान	1			1-अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई
उत्तर प्रदेश	1	1	3	1-लंबित 2-कार्रवाई आरंभ कर दी गई 2-अनुज्ञप्तियां रद्द कर दी गई हैं

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में प्रश्न संख्या-163 को छोड़कर कुछ भी नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: उनको सप्लीमेंटरी पूछने दीजिए, मैंने उनको बुलाया है। वे पूछ रहे हैं। आप सीनियर मैम्बर हैं। मैंने पहली दफा आपको क्वैश्चन ऑवर में चांस दिया, फिर भी आप ऐसा करते हैं तो मैं हाउस को कैसे कण्डक्ट करूंगा। इस तरह से हाउस कैसे चलेगा?

श्री सुरेश रामराव जाधव: यह मुद्दा करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला है। नोटरी की जो कार्यशैली, है, उसमें व्याप्त अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए जनता को पूरी तरह से इससे अवगत कराने के लिए, अर्थात् उनको कागजों को अटैस्ट करने के लिए कितनी फीस देनी चाहिए अथवा नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में टेलीवीजन, रेडियो विज्ञापन आदि के माध्यम से जानकारी देने और लोगों को अवगत कराने के लिए एक नोटरी की फीस कितनी देनी है या नहीं देनी है, इस मामले में भी अव्यवस्था बरकरार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण पंचायत लेवल पर तालुका और जिला स्तर पर, जनता को अवगत कराने के लिए, जानकारी देने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने वाली है? पिछले तीन सालों में अभी तक 18 केसेज नोटरीज के खिलाफ दर्ज किये गये हैं तो क्या हमारी व्यवस्था में कोई कमी है? हजारों लाखों की संख्या में लाइसेंसी नोटरी हैं, फिर भी उनके खिलाफ 18 केसेज दर्ज किये गये हैं और उनमें भी 10 केसेज पेंडिंग हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जाधव, आप सीधे प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेश रामराव जाधव: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि क्या हमारी व्यवस्था में कोई कमी है?

[अनुवाद]

श्री के. जना कृष्णामूर्ति: महोदय, जहां तक सेंट्रल नोटरीज का सवाल है, तो कुल 2092 लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। इनमें केवल 18 ऐसे मामले हैं जिनकी हमें शिकायतें मिली हैं। इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और कुछ मामले लंबित पड़े हुए हैं। इसलिए 2092 लोगों की नियुक्तियों में केवल 18 लोगों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में धांधलियां हुई हैं।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि नोटरियों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए जो फीस ली जा रही हैं उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मैं यह बता सकता हूं कि नियम 10 में नोटरी की फीस संरचना का पूरा-पूरा उल्लेख किया गया है और इन सभी चीजों के लिए आम जनता द्वारा क्या फीस दी जानी चाहिए इसका भी जिक्र किया गया है। सुझाव लिए जा सकते हैं। किन्तु यह तो पहले से ही लोगों को पता है। स्वयं नियमावली क्षेत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: असल में जो रूल है, वह गवर्नमेंट के पेपर पर है। लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं दूसरा पूरक प्रश्न आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि विषय की गंभीरता को देखते हुए इस व्यवस्था के तमाम लोगों के लिए क्या सरकार कोई आचार संहिता लागू करने का विचार कर रही

है? यदि सरकार का आचार संहिता लागू करने का विचार है तो कब तक आप लागू करने वाले हैं, यदि नहीं तो क्यों नहीं करने वाले हैं?

[अनुवाद]

श्री के. जना कृष्णामूर्ति: महोदय, आपके माध्यम से मैं इसे पहले ही माननीय सदस्य को स्पष्ट कर चुका हूं कि 2092 में से केवल 18 लोगों के खिलाफ शिकायत की सूचना है। मैं नहीं समझता हूं कि 2092 में से इन 18 लोगों के लिए सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

जैसा कि आज स्थिति है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी आचार संहिता की आवश्यकता है। क्या किया जाए और क्या न किया जाए इन सबका उल्लेख अधिनियम और नियमावलियों में पहले ही किया जा चुका है। सरकार ऐसा नहीं मानती है कि इस स्थिति में किसी आचार संहिता की आवश्यकता है।

श्री ए.सी. जोस: नोटरी पब्लिक इस देश में उपलब्ध कोई बहुत लोकप्रिय व्यवस्था नहीं है। नोटरीज पब्लिक की स्थापना भेदभावपूर्ण तरीके से की जा रही है।

माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि फीस आदि के नियम पुस्तक में तो हैं किन्तु; जैसाकि माननीय सदस्य ने इसका खुलासा किया है, नोटरीज पब्लिक में दस्तावेजों पर टिकट लगवाने के लिए जाने वाले अनभिज्ञ लोगों के लिए यह पुस्तक ही उपलब्ध नहीं है।

यहां मेरे दो सवाल हैं। पहला नोटरीज पब्लिक के कार्यकरण से जुड़ा हुआ है। नोटरीज पब्लिक से किन-किन दस्तावेजों का सत्यापन होता है? इसे कोई नहीं जानता है। सरकार के कतिपय विभागों में कहा जाता है कि नोटरी पब्लिक से सत्यापन होना चाहिए; कतिपय दूतावासों में कहा जाता है कि नोटरी पब्लिक से सत्यापन होना चाहिए। इसलिए क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी या कोई ऐसा फार्मूला तैयार करेगी जिससे अनभिज्ञ लोग भी यह जान सकें कि किन दस्तावेजों को नोटरी पब्लिक सत्यापित कराए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, सरकार को इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि नोटरीज पब्लिक के कार्यालय में अमुक कार्यों के लिए ली जाने वाली फीस का उल्लेख हो। क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी?

श्री के. जना कृष्णामूर्ति: प्रश्न है कि क्या नोटरियों द्वारा ली जाने वाली फीस के संबंध में जनता को अवगत कराने के लिए किसी अमुक व्यवस्था की जरूरत है और वे कौन-कौन से काम हैं जो नोटरियों के माध्यम से होते हैं। प्रत्येक अधिनियम में उसके अपने स्वयं के नियम और कानून होते हैं। कानून से अनभिज्ञता को भूल की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। और नोटरीज पब्लिक के कार्यालयों में अधिनियम के अन्तर्गत ली जाने वाली फीस का उल्लेख रहता है।...*(व्यवधान)*

श्री एस.सी. जोस: देश में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वहां मनमाने तरीके से फीस ली जाती है। मुवक्किल यदि बहुत ही अनभिज्ञ हो, तो यह फीस अधिक भी ले ली जाती है। कार्यालय बोर्ड पर फीस संबंधी सारणी नहीं बनी होती है...*(व्यवधान)*

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : क्या मैं अपना जवाब पूरा कर सकता हूं?

यदि ऐसा नहीं है तो इसकी आसानी से जांच हो सकती है। अधिनियम या नियमावलियों में जो कुछ कहा गया है उनसे आम लोगों को अवगत करने की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती है। यह विधि संस्थानों (बार एसोसिएशन्स) या अन्य संगठनों के माध्यम से हो सकता है।

माननीय सदस्य ने नोटरीज पब्लिक के कर्त्तव्यों के संबंध में भी प्रश्न किया है। धारा 8 में नोटरियों के कार्यों, उनसे पंजीकृत और सत्यापित होने वाले दस्तावेजों और वहां से होने वाले कदाचारों की संभावनाओं से संबंधित नियम कानून बताए गए हैं। इन सभी चीजों का उल्लेख किया गया है। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि सरकार को जो कुछ भी करना चाहिए वह किया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत: उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए क्या सरकार ने पिछले मानदंडों में कुछ परिवर्तन किये हैं- यदि परिवर्तन किये हैं तो कौन से परिवर्तन हैं? एक तरफ राज्य सरकार भी अपने नोटरी की नियुक्ति करती है, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार भी विधि के अनुसार उनकी नियुक्ति करती है जिससे उनकी संख्या कहीं ज्यादा हो जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्ति करने से नोटरीज की संख्या कई जगह बहुत कम और कई जगह बहुत ज्यादा है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में कोई समन्वय रहेगा?

श्री के. जना कृष्णामूर्ति: महोदय, अधिनियम में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही द्वारा नोटरियों की नियुक्ति की बात कही गई है। प्रत्येक राज्य में केन्द्र सरकार को एक निश्चित संख्या में नोटरियों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी कई नोटरियां नियुक्त कर सकती हैं। इसलिए इस मामले में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सभी नोटरियां विधि मंत्रालय

द्वारा ही नियुक्त की जा रही हैं। मैं कह सकता हूं कि यह लोकप्रिय है और ऐसा नहीं है कि इसे कोई नहीं जानता है। विधि मंत्रालय में 1200 आवेदन-पत्र अभी भी लंबित पड़े हुए उन आवेदनों की जांच की जा रही है। जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी, तो 1200 नोटरियों की और नियुक्तियां हो जाएंगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आमतौर पर नोटरीज पब्लिक अधिवक्ता ही होते हैं। ये अधिवक्ता अधिनियम के तहत काम करते हैं। उन पर नियंत्रण रखना सरकार के लिए आसान है। अधिवक्ता अधिनियम नोटरीज पब्लिक के लिए लागू है। इसलिए फीस लिए जाने के मामले में दिशा-निर्देश जारी करना सरकार के लिए आसान हो जाता है। नोटरीज पब्लिक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के लिए फीस के मामले में कोई मानदंड नहीं हैं। इसलिए जब कोई गरीब आदमी वीजा या पासपोर्ट के लिए नोटरीज पब्लिक के पास जाता है, तो नोटरी पब्लिक हजारों रुपए लेकर प्रमाण-पत्र जारी करता है। यह निहायत अनुचित है। विदेश जाने वाले या विदेशों में नौकरी चाहने वाले नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं। नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने की हद से ज्यादा फीस ली जाती है।

सरकार को चाहिए कि वह नोटरी पब्लिक द्वारा ली जाने वाली फीस को निर्धारित करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव लाए या इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करे। इसमें किसी प्रकार के उल्लंघन की सूचना बार एसोसिएशन या बार काउन्सिल को दी जा सके। वह इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई भी करे *...(व्यवधान)*

श्री के. जना कृष्णामूर्ति: नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्त होने वाले योग्य व्यक्ति की आवश्यक योग्यता का उल्लेख अधिनियम में स्पष्ट रूप से किया गया है:-

मैं इनमें से कुछ पक्तियों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा-

"केन्द्र सरकार को पूरे भारत में या इसके किसी भी भाग में नोटरियों को नियुक्त करने का अधिकार है, जबकि किसी राज्य सरकार को अपने राज्य में या इसके किसी भी भाग में नोटरियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। योग्य व्यक्ति नोटरीशिप के लिए केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के यहां आवेदन करते हैं। आवेदन-पत्र पर मजिस्ट्रेट, बैंक प्रबंधक, मर्चेन्ट और दो जिम्मेदार स्थानीय निवासियों के प्रति हस्ताक्षर होते हैं। आवेदनकर्ता जिस राज्य बार काउन्सिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होते हैं, वहां से टिप्पणियां मंगाई जाती हैं। आवेदनकर्त्ता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह इस बात का शपथ-पत्र जमा करे कि पहले से किसी राज्य सरकार द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त नहीं है और न ही इस प्रकार की नियुक्ति के लिए इसका कोई आवेदन संबद्ध राज्य सरकार के यहां लंबित पड़ा हुआ है।"

महोदय, इस प्रकार की योग्यताएं हैं। न्यूनतम दस वर्षों की अवधि के लिए अनुमति दी जाती है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: पर, फीस निर्धारण के लिए कोई मानदण्ड या दिशा-निर्देश नहीं हैं *...(व्यवधान)* नोटरी पब्लिक द्वारा फीस ली जाती है *...(व्यवधान)*

श्री के. जना कृष्णमूर्ति: नियमावली में इसका उल्लेख है। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, तो कार्रवाई की जा सकती है और की जा रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, देश में नोटरी पब्लिक की आवश्यकता बढ़ गई है क्योंकि लोग छोटी-छोटी हर चीज को रजिस्टर करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने डिस्ट्रिक्ट-वाइज कोई क्राइटेरिया निश्चित किया है कि हर तहसील में कितने नोटरी होने चाहिए या ऐसा निश्चित करने जा रही?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। उनके प्रश्न का उन्हें लिखित में उत्तर दिया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेल मार्गों का विस्तार

***161. श्री शंकर सिंह वाघेला:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रेल मार्गों के विस्तार के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने कि.मी. लम्बे रेल मार्गों का विस्तार किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान किन-किन रेल मार्गों का विस्तार गुजरात तक किया गया है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान रेल मार्गों के विस्तार पर कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(च) कितने किलोमीटर रेल मार्गों पर विद्युत और डीजल इंजन, पृथक-पृथक, परिचालित किए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समूची भारतीय रेल प्रणाली में 662 किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण किया गया था।

(घ) नौंवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में रेल नेटवर्क में 59 किलोमीटर नई लाइनें जोड़ी गई थी।

(ङ) नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान समूची भारतीय रेल प्रणाली में नई लाइनों के निर्माण पर लगभग 2,914 करोड़ रुपये (शुद्ध) खर्च किए गए थे।

(च) 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत और गैर-विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर क्रमशः लगभग 15,398 और 47,630 किलोमीटर है। जबकि बिजली रेल इंजन केवल विद्युतीकृत मार्गों पर ही चल सकते हैं, वहीं डीजल रेल इंजनों के संबंध में ऐसी कोई रुकावट नहीं है।

'अल्ट्रासॉनिक' जांच

***164. श्री अबुल हसनत खां:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे द्वारा सभी गतिमान पुर्जों जैसे पहियों, धुरों आदि की समय-समय पर अल्ट्रासॉनिक जांच कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्मचारी प्रत्येक आवधिक ओवरहालिंग के बाद पहियों संबंधी विवरण का रिकार्ड रख रहे हैं क्योंकि जब भी पहियों के किनारे की मोटाई और पहियों की परिधि में अधिक अंतर आ जाता है, तो रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की घटनायें भी होती हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) भारतीय रेलों पर संरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील गतिमाम पुर्जों जैसे धुरे आदि की अल्ट्रासॉनिक जांच की जाती है।

(ख) और (ग) संरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील उपस्करों जैसे धुरे आदि की अनुरक्षण नियमावली में यथा निर्धारित अनुरक्षण के दौरान नियमित अंतरालों पर अल्ट्रासॉनिक जांच की जाती है। इसके अलावा, पहिए, टायर और आर्मेचर शाफ्ट्स चल स्टॉक के अन्य गतिमान पुर्जे हैं जिनकी निर्माण के दौरान अल्ट्रासॉनिक जांच की जाती है।

(घ) पहिए का व्यास और पहिए के व्यास में अन्तर जैसे पहिए के महत्वपूर्ण मानकों की कारखानों में जांच की जाती है। पहिए की झालर (फ्लैंज) की मोटाई की भी जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल निर्धारित सीमा के भीतर पड़ने वाले पहियों को ही प्रयोग में लाया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

***165. डा. अशोक पटेल:**
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **रक्षा मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एन. डी. सी., एन. डी. ए. और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज को भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आई. एन. डी. यू.) नामक एक ही निकाय के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय क्या लिया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) मंत्री-समूह की सिफारिश (6.80) के अनुरसण में, एक भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जांच करने के लिए श्री के. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 13 सदस्यों की एक समिति का 23.7.2001 को गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 मई, 2002 को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और रक्षा सेवा स्टाफ कालेज को एक ही संस्था अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच रक्षा सचिव के अधीन कार्यान्वयन कक्ष के रूप में गठित एक समूह द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) चूंकि इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है, अत: उनका ब्यौरा देना और उन पर सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, इस बारे में इस स्तर पर नहीं बताया जा सकता।

[अनुवाद]

''फीफा'' विश्व कप का प्रसारण

***166. श्रीमती प्रभा राव:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ' टेन स्पोर्टस' टैनल भारतीय दर्शकों को विश्व कप फुटबाल के मैचों का सीधा प्रसारण दिखाने हेतु दूरदर्शन के साथ समझौता करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस कदम से विदेशी निजी क्षेत्र को करोड़ों रुपए अर्जन करने में सहायता मिली है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या दूरदर्शन द्वारा अपने दर्शकों को ऐसे मैचों का सीधा प्रसारण दिखाने हेतु कोई वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि फीफा विश्व कप के प्रसारण अधिकारों के लिए टेन स्पोर्टस चैनल के प्रस्ताव पर दूरदर्शन द्वारा विचार किया गया परन्तु निम्नलिखित कारणों से इसे रद्द कर दिया गया:-

(1) प्रसारण अधिकार का प्रस्ताव केवल आस्थगित प्रसारण के लिए किया गया था अर्थात् मैच समाप्त होने के 6 घंटे बाद ही दूरदर्शन इसे प्रसारित कर सकता था। इस विलंबित प्रसारण से सीमित संख्या में दर्शकों की रुचि पैदा हो गयी होती।

(2) राजस्व अर्जन की संभावना बहुत कम थी।

(3) दूरदर्शन को केवल सीमिति मैचों के प्रसारण अधिकार दिया जा रहा था।

(4) अधिकार शुल्क बहुत ज्यादा था।

(ग) और (घ) सरकार को निजी चैनलों के खेलों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण से प्राप्त होने वाली आय के बारे में कोई सूचना नहीं है। कार्यक्रमों तथा संबंधित वाणिज्यिक निर्णयों के मामलों में प्रसार भारती को पूर्ण स्वायत्तता दी गयी है।

(ङ) और (च) ऐसे टूर्नामेंटों के प्रसारण अधिकार धारकों द्वारा प्रसारण अधिकार प्रसारकों को बेचे जाते हैं। प्रसारण उद्योग के एकाधिकार समाप्त हो जाने के बाद दूरदर्शन को प्रसारण अधिकार प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रसारकों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कुछ खेलों के प्रसारण अधिकारों हेतु अधिकार धारकों द्वारा मांगे गए अधिकार शुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। दूरदर्शन लोकप्रिय खेलों के प्रसारण अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए हर संभव प्रयत्न करता है।

मीडिया के लिए आचार संहिता

***167. श्रीमती रेणूका चौधरी:** क्या **सूचना और प्रसाण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मीडिया के लिए एक आचार संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है;

(क) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद् या अन्य किसी माध्यम से कोई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) प्रेस के लिए एक स्व-विनियामक निकाय, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने हेतु की गई है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) (ख) में परिषद को उच्च व्यवसायिक मानकों के अनुरूप समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों तथा पत्रकारों हेतु आचार संहिता तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। तदनुसार, प्रेस परिषद ने पत्रकारिता आचार के मानदंड नामक प्रकाशन प्रकाशित किया है जिसमें पत्रकारिता के संबंध में नियमों एवं नैतिक मूल्यों तथा सार्वजनिक व राष्ट्रीय महत्व के विशेष मुद्दों की रिपोर्टिंग के बारे में दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रसार भारती, एक स्वायत्तशासी संगठन है जो प्रसारण और विज्ञापन संहिता का पालन स्पष्टतया करती है। केबल नेटवर्क के जरिए कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले उपग्रह चैनलों को केबल

टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता का पालन करना होता है।

[हिन्दी]

सीमा पार से घुसपैठ

***168. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकीकृत रक्षा आसूचना अभिकरण (डी. आई. ए.) के सृजन के बाद भी सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हुई है और अमरनाथ मार्ग पर विस्फोट के कारण सेना के जावान मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो रक्षा आसूचना अभिकरण की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अभिकरण को और अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) हाल ही में अमरनाथ के रास्ते पर हुए हमलों सहित भीतरी प्रदेश में आतंकवादी हमले तथा सीमा पार से घुसपैठ में वृद्धि/कमी की घटनाएं जमीनी सामरिक संक्रियाओं से संबंधित हैं तथा रक्षा आसूचना एजेंसी स्थापित किए जाने से इनका कोई सरोकार नहीं है।

रक्षा आसूचना एजेंसी ने 01 जुलाई, 2002 से ही कार्य करना शुरू किया है। अत: अभी इसकी कारगरता पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

[अनुवाद]

रेल पटरी की खामियों के कारण रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

***169. श्रीमती मिनाती सेन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वक्र रेल-पटरी पर रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने का खतरा अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने इस बारे में महाप्रबंधकों, मंडल रेल प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत अनुदेश जारी किये हैं कि रेल-पटरियों की खामियों के कारण रेल पटरी से गाड़ी उतरने जैसी दुर्घटनाएं न हों;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं के बाद अभी तक महाप्रबंधकों, रेल मंडल प्रबंधकों और स्थायी रेलपथ-निरीक्षकों (जिन्हें अब खंड अभियंता-स्थायी पथ कहा जाता है) को कोई दण्ड दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संहिताओं और नियमावलियों अर्थात भारतीय रेल रेलपथ नियमावली इत्यादि के रूप में अनुदेश मौजूद हैं। आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर इनमें और अनुदेश शामिल किए जाते हैं।

(ङ) विभिन्न स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा देने की कार्रवाई, जांच रपटों में जिम्मेदारी की पुष्टि होने पर की जाती है। अभी तक जो अधिकारी, रेलपथ निरीक्षक और अन्य रेलपथ कर्मचारी जहां कहीं भी चूकों के लिए जिम्मेदार पाए गए थे, उन्हें विधानानुसार सजा दी गई है। महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक क्रमश: जोन और मंडल के सर्वोच्च पद के अधिकारी होते हैं जो अपने जोन/मंडल पर होने वाली समूची गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जांच रपटों ने अभी तक रेल गाड़ी के पटरी से उतरने के मामलों में महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। अत: महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(च) दुर्घटना संबंधी मामलों के परिणामस्वरूप वर्ष 2001-02 में छियानवे सेक्शन इंजीनियरों (रेलपथ) को सजा दी गई थी।

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति में बाधा

***170. श्री मोइनुल हसन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्व में बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति में बाधा आने से अनेक ताप विद्युत संयंत्रों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड को भुगतान न किए गए बिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कारण (कोल इंडिया लिमिटेड) रुग्णता की स्थिति में पहुंच जाएगी;

(घ) इन विद्युत संयंत्रों द्वारा बिलों का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संकटपूर्ण स्थिति से उबरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) वर्तमान में देश के ताप विद्युत संयंत्रों को "कैश एंड कैरी" स्कीम के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति की जाती है। स्कीम के अंतर्गत विद्युत यूटिलिटियों को कोयले के मूल्य का 90 प्रतिशत + 100 प्रतिशत रॉयल्टी और सांविधिक कर/शुल्क के समतुल्य का अग्रिम भुगतान करना या अप्रतिसंहार्य रिवाल्विंग साख-पत्र के जरिए अग्रिम भुगतान करना आवश्यक है। कभी-कभी कुछ विद्युत यूटिलिटी समय पर और पर्याप्त भुगतान नहीं कर पाते हैं जिसके कारण कोयला आपूर्ति का विनियमन कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत यूटिलिटियों से प्राप्त भुगतान के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2001-02 के दौरान 250.554 मिलियन टन के लिंकेज की तुलना में 240.009 मिलियन कोयले की आपूर्ति की गयी, अर्थात् 96% की प्राप्ति। 22 जुलाई, 2002 को अखिल भारतीय आधार पर औसत कोयला भण्डार 19 दिनों की खपत के बराबर था।

(ख) और (ग) कोयला मंत्रालय के अनुसार 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. की कुल बकाया राशि 6117.85 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 4340.31 करोड़ रुपये की राशि गैर-विवादित थी और 1777.54 करोड़ रुपये की राशि विवादित थी। 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि 6145.39 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 4564.48 करोड़ रुपये की राशि गैर-विवादित थी और 1580.91 करोड़ रुपये की राशि विवादित थी। इस आधार पर राजस्व संग्रहण में सुधार स्पष्ट रूप से नजर आता है।

(घ) कोयला आपूर्ति संबंधी "कैश एंड कैरी" स्कीम के अंतर्गत विद्युत संयंत्र सामान्य तौर से कोयला आपूर्ति के लिए भुगतान करते हैं। कभी-कभी वित्तीय समस्याओं के कारण कुछ बिजली घर कोयला कंपनियों को समय पर बिलों का भुगतान नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, कोयला कंपनियां इन विद्युत घरों के मामले में कोयला की आपूर्ति का विनियमन करते हैं।

(ङ) बकाया राशियों की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

(1) "कैश एंड कैरी" स्कीम का क्रियान्वयन।

(2) संबंधित राज्यों की केन्द्रीय योजना सहायता (सीपीए) से बकाया राशि की वसूली।

(3) राज्य विद्युत बोर्डों की कोयला बिक्री के लिए देय राशियों का बिजली बिल, रायल्टी, उपकर के रूप में समायोजन।

(4) बकाया राशियों का प्रतिभूतिकरण।

(5) विवादित बकाया राशियों का सरकार द्वारा नियुक्त अम्पायरों के माध्यम से निपटान।

[हिन्दी]

श्रीलंका के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र में समझौता

***171. श्री राम सिंह कस्वां:**
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेट्रोलियम क्षेत्र में श्रीलंका के साथ समझौता करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने 11 जून 2002 को सीलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन (सी.पी.सी.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे आई.ओ.सी. हाल ही में स्थापित श्रीलंका की एक सहायक कंपनी के माध्यम से श्रीलंका में खुदरा व्यापार कर सके और त्रिंकोमाली तेल टैंकरों को दीर्घकाल के पट्टे पर चला सके और इनका प्रचालन कर सके। समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं-

(1) आरम्भ में सी.पी.सी. अपने स्वामित्व वाले 100 नग खुदरा बिक्री केन्द्रों का आई. ओ. सी. के पक्ष में त्याग करेगी।

(2) सी. पी. सी., फ्रेंचाइजी खुदरा बिक्री केन्द्र पुन: सौंपने के लिए आई. ओ. सी. की सहायता करेगी।

(3) आई. ओ. सी. इन खुदरा बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण करेगी और इनके माध्यम से अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करेगी।

(4) आई. ओ. सी. दीर्घकालिक पट्टे पर त्रिंकोमाली टेंकेज प्राप्त करेगी।

(5) डिपो, उड्डयन सुविधाओं, टर्मिनलों आदि जैसी विद्यमान भविष्य की बुनियादी सुविधाओं का, 'साझा प्रयोक्ता' सिद्धांत के आधार पर उपयोग किया जाएगा।

(6) आई. ओ. सी. और सी. पी. सी. श्रीलंका में आई. ओ. सी. के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुकर बनाने के लिए पद्धतियों पर आगे की चर्चा करेंगे।

(ग) आई. ओ. सी. के प्रवेश से भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग और संबंध भी मजबूत होने की सम्भावना है। सी. पी. सी. द्वारा आई. ओ. सी. के पक्ष में 100 खुदरा बिक्री केन्द्रों के त्याग से आई. ओ. सी. को श्रीलंका के डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र में अच्छी शुरुआत मिलेगी। श्रीलंका में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी भारतीय रिफाइनरियों से पूरी की जाएगी और आई. ओ. सी. विदेशी मुद्रा में राजस्व अर्जित करेगी। श्रीलंका में प्रवेश से अन्य पड़ोसी देशों में भारतीय तेल क्षेत्र के लिए ऐसे ही व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की उत्पादन क्षमता

***172. श्री शिवाजी माने:**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादन में गिरावट के कारण गत कुछ वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के घाटे में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/इकाइयों के घाटों को कम करने के लिए उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) और (ख) विनिर्माणकारी केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों ने एक समूह के रूप में वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान क्रमश: 8723 करोड़ रुपये, 8978 करोड़ रुपये तथा 9865 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया है। हालांकि, घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कुल घाटे में उक्त तीन वर्षों की संगत अवधि के दौरान वृद्धि हुई और यह घाटा क्रमश 8336 करोड़ रुपये, 9688 करोड़ रुपये तथा 11724 करोड़ रुपये रहा, तथापि लाभार्जनकारी केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों का लाभ इन तीन वर्षों के दौरान अधिक रहा, जिसके परिणामस्वरूप निवल लाभ उपरिवर्णित आंकड़ों के अनुसार रहा। विभिन्न केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में उत्पादन में कमी के कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। इन कारणों में अधिग्रहीत केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की विरासत में प्राप्त समस्याएं, पुरानी प्रौद्योगिकी, संसाधनों की कमी, अधिशेष श्रमशक्ति, आर्थिक मन्दी, निविष्टि की अधिक लागत, निम्न क्षमता उपयोग, प्रबन्धन सम्बन्धी समस्याएं आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार उत्पादन एवं लाभकारिता में सुधार लाने तथा घाटे कम करने के लिए अनेक उपाय करती रही है। कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धन द्वारा उद्यम सापेक्ष उपाय किये जाते हैं। किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में बेहतर नैगम अभिशासन, रणनीतिक भागीदार का समावेश, कार्य संस्कृति में सुधार, समझौता ज्ञापन प्रणाली तथा नवरत्न/मिनी रत्न योजना प्रणाली के माध्यम से सरकारी उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता, निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण, व्यापारिक एवं वित्तीय पुनर्गठन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जरिए अधिशेष श्रमशक्ति में कमी, लागत नियंत्रण के उपाय, निर्यात पर जोर, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सुपुर्दगी तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, स्वैच्छिक पृथक्करण योजना एवं परामर्श, पुन: प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजना के द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए अन्तिम उपाय के रूप में अर्थअक्षम एककों को बंद करने की नीति का अंगीकरण आदि शामिल है।

पश्चिमी तट में ओ.एन.जी.सी. द्वारा गैस की खोज

***173. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ. एन. जी. सी. गैस भंडारों का पता लगाने हेतु पश्चिमी तट (दमन) सहित विभिन्न क्षेत्रों में खोज कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने तेल कुओं में खुदाई (ड्रिलिंग) कार्य शुरू हो गया है और इन कुंओं से कितनी मात्रा में गैस मिलने की संभावना है; और

(ग) ओ. एन. जी. सी. द्वारा तेल खोज के संदर्भ में दीर्घकालीन योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) तेल और गैस का पता लाने के लिए पश्चिमी तट में दमन अपतट सहित विभिन्न क्षेत्रों में अन्वेषण क्रियाकलाप जारी हैं।

(ख) तेल और गैस के लिए अपने अन्वेषण कार्यक्रम के अनुक्रम में जुलाई, 2002 में 39 कूपों में अन्वेषणात्मक वेधन प्रगति पर था और वर्ष 2002-03 के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ. एन. जी. सी.) की योजना 153 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन करने की है।

अन्वेषणात्मक प्रयास की सफलता संभावनात्मक प्रकृति की होती है। 2002-03 की अवधि के दौरान ओ.एन.जी.सी. की अनुमानित भण्डार वृद्धि 40 मिलियन मीट्रिक टन तेल और तेल समतुल्य गैस है जिसमे से 35% गैस भण्डार होने का अनुमान है।

(ग) ओ. एन. जी. सी. की योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 35,286 लाइन किलोमीटर (एल के)/ग्राउण्ड लाइन किलोमीटर (जी. एल. के.) 2 डी और 34,834 वर्ग किलोमीटर 3डी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन करते हुए और 561 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन करके अन्वेषण करने की है। इस अवधि के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक वेधन के लिए योजनागत व्यय 8650 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

अंतरमंत्रालयीय विवाद

***174. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर अंतरमंत्रालयीय विवाद होने के कारण विभिन्न अदालतों में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विवादों का अंबार लग गया है जिनमें 11,132 करोड़ रुपए का राजस्व विवाद में उलझा पड़ा: है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके मतभेद शीघ्र दूर करने हेतु क्या किए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ग) जी नहीं। विभिन्न न्यायालयों तथा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण अपील अधिकरणों में मुकदमों के प्रभावकारी रूप में संचालन के लिए राजस्व विभाग द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था कि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संबंधी मामलों के लिए विधि मंत्रालय की सहमति से अधिवक्ताओं का एक पृथक पैनल रखा जाए। उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए राजस्व विभाग द्वारा सिफारिश किए गए अधिवक्ताओं के एक पृथक पैनल को पहले ही अनुमोदित और अधिसूचित किया जा चुका है। जहां तक अन्य न्यायालयों में मुकदमों के संचालन के लिए एक पृथक पैनल रखे जाने का संबंध है, विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विद्यमान पैनल से काउंसलों को नियुक्त किया जाता है और जहां आवश्यक हो, काउंसलों की नियुक्ति के संबंध में राजस्व विभाग के सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। महत्वपूर्ण मामलों में, राजस्व विभाग की सिफारिश पर विशेष काउंसलों की भी नियुक्ति की जाती है। मुकदमों के संचालन को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है।

पुराने रेल पुल

***175. श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री एस. अजय कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि करीब 51,000 पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पुलों की औसत आयु कितनी है;

(घ) क्या सरकार उन पुराने पड़ चुके पुलों की मरम्मत और उनका पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) जी हां। इन पुलों की आयु संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

निर्माण का वर्ष	निर्मित रेल पुलों की कुल संख्या
1860 तक	3751
1860-1870	8708
1870-1880	9375
1880-1890	13331
1890-1900	16175
कुल जोड़	51340

(ग) से (ङ) रेल पुलों को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने और उनके पुनर्निर्माण का निर्णय मात्र केवल पुल की आयु के आधार पर ही नहीं लिया जाता बल्कि पुल की आयु और उसकी वास्तविक दशा और तकनीकी पहलुओं के आधार पर लिया जाता है। इसलिए, रेल पुलों के संदर्भ में औसत आयु की अवधारणा को नहीं माना जाता। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि (डी आर एफ) के अंतर्गत पुलों के पुन: इस्तेमाल लायक बनाने और उनके पुनर्निर्माण के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, रेलों ने अगले 5 से 6 वर्षों के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि में से 1530 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लगभग 3000 पुलों को पुन: इस्तेमाल लायक बनाने और उनके पुनर्निर्माण का एक विशेष कार्यक्रम भी आरंभ किया है।

सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना

***176. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसयू) के शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादन गृहों द्वारा उत्पादित विद्युत के मौजूदा शुल्क ढांचे का विश्लेषण किया है जिसके कारण ऐसी विसंगति पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि केन्द्रीय उपक्रम को तो युक्तिसंगत लाभ से अधिक आय हो रही है परन्तु राज्य उपक्रम वास्तव में दीवालिए हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के शुल्क ढांचे को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं उसकी समीक्षा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ङ) राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को इक्विटी पर प्रतिफल संबंधी आयकर देयता से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि वे यह देयता रा.वि.बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों को हस्तांतरित न कर सकें। यह इक्विटी पर 16 प्रतिशत पोस्ट टैक्स रिटर्न के विद्यमान छुटकारे के संदर्भ में है। मुख्यमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुरोध किया है कि सीपीएसयू की टैरिफों के कारण रा.वि. बोर्डों/विद्युत कम्पनियों पर पड़ने वाले गैर-युक्तिसंगत भार की समीक्षा की जानी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की स्थापना ईआरसी अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत किया गया है जिसे अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली विद्युत उत्पादन कम्पनियों की टैरिफ नियंत्रित करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। सीईआरसी की स्थापना से पूर्व केन्द्रीय सरकार को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा-43ए(2) के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कम्पनियों की टैरिफ नियंत्रित करने की शक्तियां अब सीईआरसी के पास है।

टैरिफ नीति पर एक आशय-पत्र तैयार करने के लिए विशेष सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। इस समूह ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समूह की सिफारिशों में एक यह सिफारिश की गयी है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न के बजाय फ्री टैक्स रिटर्न प्रणाली अपनायी जाए ताकि कुशल कर प्रबंधन को प्रोत्साहन मिले। कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विशेषज्ञों और विभिन्न स्टेक होल्डरों की टिप्पणियों और मतों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ नीति को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

चौकीदार और बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों (लेवल क्रासिंगों) पर दुर्घटनाएं

***177. श्री थावर चन्द गेहलोत:**
श्री राजो सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौकीदार और बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों (लेवल क्रासिंगों) पर वर्ष 1999 से जून, 2002 तक हुई दुर्घटनाओं का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जान-माल की हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल सुरक्षा और चौकीदार/बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिना चौकीदार वाले सभी रेलवे फाटकों को चौकीदार वाले रेलवे फाटकों में बदलने के लिए राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) दुर्घटनाओं के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 (जून, 2002 तक) चौकीदार और बिना चौकीदार वाले समपारों पर

क्षेत्रीय रेल-वार दुर्घटनाओं के आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं:

रेलवे	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003* (अप्रैल-जून 2002)	
	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले
मध्य	5	7	1	5	1	6	–	–
पूर्व	2	–	–	–	1	–	1	–
उत्तर	4	14	6	25	2	27	–	11
पूर्वोत्तर	–	14	1	13	1	15	2	7
पूर्वोत्तर सीमा	3	4	–	15	1	2	–	–
दक्षिण	2	8	1	6	1	9	1	1
दक्षिण मध्य	2	12	1	12	–	10	–	3
दक्षिण पूर्व	5	5	–	5	1	8	–	2
पश्चिम	3	3	1	1	–	3	–	5
कोंकण रेल निगम	–	–	–	1	–	–	–	–
मेट्रो	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	26	67	11	73	8	80	4	29

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) मारे गए व्यक्तियों और रेल संपत्ति को क्षति के ब्यौरे नीचे लिखे अनुसार हैं:

रेलवे	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003* (अप्रैल-जून 2002)	
	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले
रेल संपत्ति को क्षति	2.15 लाख रुपए	9.77 लाख रुपए	9.48 लाख रुपए	20.06 लाख रुपए	5.34 लाख रुपए	36.52 लाख रुपए	0.56 लाख रुपए	10.09 लाख रुपए
मारे गए व्यक्ति	37	201	16	138	13	152	58	37

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) और (घ) चौकीदार और बिना चौकीदार वाले समपारों सहित रेल संरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण और संरक्षा संबंधी कार्यों में वृद्धि करने के लिए 17,000 करोड़ रु. की व्यपगत न होने वाली विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

(2) समूचे 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' और 'डी'-स्पेशल' मार्गों पर जहां गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेल परिपथन का कार्य पूरा हो गया है और शेष कार्य प्रगति पर है।

(3) उत्तर रेलवे के लिए टक्कर रोधी उपकरण के विस्तारित फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं। विस्तारित फील्ड परीक्षण के सफल समापन के पश्चात् इसके व्यापक अनुप्रयोग के लिए निर्णय लिया जाएगा।

(4) 175 से अधिक ब्लॉक खंडों पर धुरा काउंटर द्वारा अंतिम जांच शुरू कर दी गई है और इसमें और अधिक खंडों को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(5) ड्राइवर/गार्ड और नियंत्रण कक्ष के बीच डुपलेक्स रेडियो संचार मुहैया कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार की मंजूरी दी गई है।

(6) संचार को बेहतर और तीव्रतर बनाने के लिए सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वॉकीटॉकी सैट्स सप्लाई किए गए हैं।

(7) बेहतर दृश्यता के लिए ड्राइवर और गार्डों के लिए उत्तरोत्तर एल ई डी पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक फ्लैशर लैंप भी उपलब्ध कराए गए हैं।

(8) बेहतर रेलपथ ज्यामिति पाने के लिए टाई टेंम्पिंग और गिट्टी साफ करने वाली मशीनें और रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है।

(9) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन-कारों, दोलनलेखीकारों और सुवाह्य त्वरणमपियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(10) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की गई है। स्वनोदित पराश्रव्य जांच वाहनों की खरीद की जा रही है।

(11) भिलाई में रेल रोलिंग मिल में दोषग्रस्त पटरियों को अलग करने के लिए ऑन-लाइन पराश्रव्य दोष जांच तथा एड्डी करंट परीक्षण किया जा रहा है, हाइड्रोजन तत्व कम करने तथा इस प्रकार पटरियों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए निर्वात डीगैसिंग की जा रही है। भारतीय रेल तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड रेपलथ में वेल्डों की संख्या कम करने के लिए परंपरागत 13 मीटर लंबाई के स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक लंबी पटरियां अर्थात् 26 मीटर और 65 अथवा 78 मीटर की पटरियों का उत्पादन करने की एक साथ योजना बना रही है।

(12) पटरी के इस्पात की विशिष्टियों को उन्नत बनाया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (यूआईसी) की विशिष्टियों के अनुरूप है।

(13) धुरों में खामियों का पता लगाने के लिए नेमी मरम्मत डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाए गए हैं ताकि धुराओं के कोल्ड ब्रेकेज जैसे मामले न हों।

(14) डीजल उपकर से प्राप्त होने वाली निधियों का उपयोग संरक्षा संबंधी कार्यों जैसे समपार, ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण इत्यादि के लिए किया जा रहा है।

(15) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों व सड़क चिह्न मुहैया कराए गए हैं।

(16) समपारों पर सड़क उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सावधानी बरतने के लिए श्रव्य दृश्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(17) चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए राज्य सरकारें भी विशेषकर ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय कड़ी जांच करके सहायता कर सकती हैं। सभी मुख्य सचिवों से सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने में सहायता करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(18) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी सड़क वाहन ड्राइवरों की धर-पकड़ करने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ घात लगाकर संयुक्त जांचें की जाती हैं।

(19) उच्च यातायात घनत्व वाले समपारों का योजनाबद्ध आधार पर सिगनलों के साथ उत्तरोत्तर अंतर्पाशन किया जा रहा है।

(20) सभी चौकीदार वाले समपारों पर टेलीफोन की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है।

(21) चौकीदारों की सजगता की जांच करने के लिए नियमित रूप से औचक जांच एवं रात्रिकालीन निरीक्षण किए जाते हैं और इसके लिए आवधिक संरक्षा अभियान भी चलाए जाते हैं।

(22) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के लिए उपाय किए गए हैं।

(23) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अन्तःअनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की गई है।

(24) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं आधुनिक बनायी गई हैं, जिनमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(25) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को सेवाओं से बर्खास्तगी/हटाने की सीमा तक गंभीर दंड दिया जा रहा है।

(26) सभी नए सवारी डिब्बों में बोगी पर आरोपित ब्रेक प्रणाली लगाई जा रही है। इसके अलवा, पर्याप्त उपयोगी आयु वाले मौजूदा सवारी डिब्बों में भी इस प्रणाली का रेट्रोफिटमेंट किया गया है।

(27) एक तात्कालिक उपाय के रूप में सवारी डिब्बों को टूट-फूट रोधी बनाने के लिए उन्नत फिटिंगों एवं विशेषताओं के साथ सवारी डिब्बे की आंतरिक बनावट का डिजाइन पुनः तैयार किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप चोट नहीं लगेगी। साथ ही, अधिक प्रभाव को आत्मसात् करने के लिए सवारीडिब्बे के डिजाइन को पुनः तैयार किया जाएगा, ताकि यात्री को वहन करने वाला क्षेत्र क्षतिग्रस्त न हो।

(28) रेल प्रणाली पर सेवा में लगाए जा रहे नए मालडिब्बों को अधिक विश्वसनीय केसनब बोगी तथा वात ब्रेक प्रणाली से युक्त किया जा रहा है। मालडिब्बों में भी बोगी आरोपित ब्रेक प्रणाली विकसित कर ली गई है तथा इसका परीक्षण किया जा रहा है। मालडिब्बों में भी बोगी आरोपित ब्रेक प्रणाली विकसित कर ली गई है तथा इसका परीक्षण किया जा रहा है। मालडिब्बों में कंपोजीशन ब्रेक ब्लॉकों का उपयोग भी उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(29) सभी उत्पादन कारखानों, अधिकांश मरम्मत कर्मशालाओं तथा बड़ी संख्या में शेडों/डिपुओं ने अपनी गुणवत्ता अनुरक्षण प्रणाली के लिए आईएसओ-9002 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं जो सड़क चिह्नों और नियमों तथा समपारों को सुरक्षित तरीके से पार करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1998 में अंतर्विष्ट अनुबंधों का अनुपालन नहीं करते हैं। भारतीय रेल पर बिना चौकीदार वाले 4449 समपारों पर चौकीदार तैनात करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इनमें से 2145 समपार 2001-2002 तक स्वीकृत किए जा चुके हैं। लागत में भागीदारी के आधार पर 356 ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण ऐसे व्यस्त चौकीदार वाले समपारों के स्थान पर किया जा रहा है जहां गाड़ी वाहन इकाई एक लाख प्रति दिन से अधिक है।

सवारी रेल डिब्बों की कमी

*178. **श्री रामदास आठवले:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सवारी रेल डिब्बों की कमी है और पुराने सवारी रेल डिब्बों के इस्तेमाल से सवारियों और रेल कर्मचारियों की जान को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार देश में सवारी डिब्बों की अनुमानतः कितनी कमी है और इस्तेमाल किए जा रहे पुराने डिब्बों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए तीसरा निर्माण कारखाना स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) देश में बड़ी लाइन के सावारी डिब्बों की कोई कमी नहीं है और यात्री गाड़ियों में किसी भी बड़ी लाइन के गतायु सवारी डिब्बों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। 'एक आमान' नीति के कारण भारतीय रेल ने मीटर लाइन और छोटी लाइन के सवारी डिब्बे बनाना बंद कर दिया था क्योंकि ये आवश्यकता से अधिक हो गए थे। आमान परिवर्तन की गति धीमी करने से कुछ खंडों में मीटर और छोटी लाइन के सवारी डिब्बों की कमी उत्पन्न हो गई है

जहां कुछ मीटर और छोटी लाइन के सवारी डिब्बों का उनकी निर्धारित आयु से अधिक उपयोग उनकी पूर्ण संरक्षा और उपयुक्तता सुनिश्चित करने के पश्चात् किया जा रहा है। मीटर लाइन के सवारी डिब्बों की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रेल ने 2000-2001 से मीटर लाइन के सवारी डिब्बों का फिर से उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेल मंत्रालय के अंतर्गत दो सवारी डिब्बा उत्पादन कारखाने हैं अर्थात् पेरंबूर में सवारी डिब्बा कारखाना और कपूरथला में रेल सवारी डिब्बा कारखाना। प्रत्येक इकाई की वार्षिक संस्थापित क्षमता 1000 सवारी डिब्बे हैं। इन क्षमताओं में सार्वजनिक क्षेत्र की दो इकाइयां अर्थात् बेंगलूरु में मैसर्स भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड और कोलकाता के निकट मैसर्स जेस्सप भी योगदान देती हैं जिनमें से प्रत्येक 300 सवारी डिब्बों का विनिर्माण करने में समर्थ है। सवारी डिब्बा निर्माण की कुल उपलब्ध क्षमता भारतीय रेल और निर्यात बाजार के लिए सवारी डिब्बों की आवश्यकता के मौजूदा स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

डी.डी. मेट्रो का सैटेलाइट चैनल में बदला जाना

*179. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती का अपने मनोरंजन चैनल-डी.डी. मेट्रो को सैटेलाइट चैनल में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मेट्रो सैटेलाइट चैनल द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्रसार भारती के अन्तर्गत चैनलों के लिए व्यापारिक मॉडल विकसित करने हेतु आर.सी. मिश्र की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

फिल्मों में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाना

*180. **श्री अधीर चौधरी:**
डा. नीतिश सेनगुप्ता:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सम्राट अशोक, देवदास और शहीद भगत सिंह पर बनी और हाल ही में प्रदर्शित की गई फिल्मों में किस हद तक तथ्यों/ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उक्त फिल्मों में तथ्यों के तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुतीकरण पर रोक लगाने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की तोड़-मरोड़ रोकने में असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी प्रवृत्ति को पुन: उत्पन्न होने से रोकने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए और अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की जांच समिति ने फिल्म 'अशोका' शहीद-ए-आजम' 'दि लेजेन्ड ऑफ भगत सिंह' 23 मार्च 1931-शहीद' भगत सिंह और देवदास का पूर्वावलोकन किया उनको इन फिल्मों में कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली और उन्होंने सर्वसम्मति से फिल्म देवदास को छोड़कर जिसके लिए स्पष्ट रूप से यू प्रमाण-पत्र के लिए सिफारिश की थी। सभी फिल्मों को कुछ काट-छांट के बाद प्रमाण-पत्र देने की सिफारिश की थी। कुछ मामलों में इतिहासकारों को भी इस विचार-विमर्श में शामिल किया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें

1592. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने उनके मंत्रालय का मौजूदा अपव्यय कम करने हेतु अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार इस आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और उन सिफारिशों को आज तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) व्यय सुधार आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ फिल्म प्रभाग, फोटो प्रभाग, गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग को समाप्त करने फिल्म उद्योग को भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, भारतीय बाल फिल्म समिति जैसी संस्थाओं का प्रबंध देखने तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड और ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लि. का विनिवेशीकरण तथा अन्य एककों की भूमिका को कम करने एवं युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है। विभिन्न एककों को बनाये रखने की कार्यात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उनके संचालन में बिना किसी रुकावट के स्टाफ संरचना को युक्तिसंगत बनाए जाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए 1334 पदों को समाप्त करने के लिए पहचान कर ली गयी है और 334 पदों को पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

एचएमटी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1593. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एचएमटी के पुनर्गठन हेतु कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों में कर्मचारियों की संख्या बराबर करने के लिए कितने लोगों का एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरण किया गया;

(ग), एचएमटी की विभिन्न इकाइयों के कितने कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों को आज तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दी गई;

(घ) क्या आज तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि और उपदान राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो ये सभी सुविधाएं कब तक दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या एचएमटी की अजमेर इकाई में नई परियोजना शुरू की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. बल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) सरकार ने एचएमटी के पुनरुद्धार के लिए जुलाई, 2000 में एक टर्न-एराउंड प्लान अनुमोदित किया है। टर्न-एराउंड प्लान में अन्य बातों के साथ-साथ संगठनात्मक एवं श्रम शक्ति का युक्तिकरण किया गया है। तद्नुसार, आज तक 6974 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को अपनाया।

कर्मचारियों की एक-इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरण केवल संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अत: समय-समय पर स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप विभिन्न इकाइयों में कर्मचारियों की क्षमता समान करना नहीं है, किसी इकाई में श्रम शक्ति क्षमता उसकी आवश्यकता पर निर्धारित करती है। वीआरएस के बाद पुनर्संगठन के परिणामस्वरूप लगभग 66 कर्मचारियों को एचएमटी एवं इसकी सहयोगियों की एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरण किया गया है।

(ग) एचएमटी लिमिटेड एवं इसके सहयोगियों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत् कार्यमुक्त किए गए कर्मचारियों एवं अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	श्रमिक	अधिकारी	योग
1999-2000	485	415	900
2001-01	2498	1403	3901
2001-02	1608	547	2155
2002-03 (अब तक)	12	6	18
योग	**4603**	**2371**	**6974**

(घ) और (ङ) जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है उनमें से प्रत्येक की ग्रेच्यूटी का निबटान कर दिया गया है, हालांकि 807 कर्मचारियों की 13.38 करोड़ रुपये की भविष्य निधि की राशि का निबटान नहीं किया गया है। संबंधित भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा

भविष्य निधि के बकायों का भुगतान करने के लिए संबंधित भविष्यि निधि प्राधिकारियों से अनुमोदन मांगा गया है।

(च) और (छ) अजमेर इकाई में कुछ गैर-मशीन उपकरण उत्पाद जैसे कि ट्रैक्ट्रों के लिए हाइड्रॉलिक सिस्टम इत्यादि का निर्माण भी शुरू किया गया है।

गुजरात और जम्मू कश्मीर में रसोई गैस एजेन्सियां और पट्रोल पम्प

1594. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री मानसिंह पटेल:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान गुजरात और जम्मू और कश्मीर में कितनी रसोई गैस एजेन्सियां और डीजल/पेट्रोल बिक्री खुदरा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) गुजरात और जम्मू और कश्मीर में इस समय कितनी रसोई गैस एजेन्सियां काम कर रही हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) चालू वर्ष के दौरान गुजरात और जम्मू और कश्मीर राज्य में चालू की जाने वाली एल. पी. जी. एजेंसियों और खुदरा बिक्री केन्द्रों की निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं है। पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ. एम. सीज.) की गुजरात राज्य में 75 खुदरा बिक्री केन्द्र और 124 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और जम्मू व कश्मीर राज्य में 22 खुदरा बिक्री केन्द्र और 22 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू करने की योजना है।

(ख) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में 473 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और जम्मू व कश्मीर राज्य में 126 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चल रही थीं।

पाहुर से अजंता की गुफाओं तक नई रेल लाइन

1595. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाओं की यात्रा करने वाले लोगों के लिए पचौरा-जामनेर मार्ग का आमान परिवर्तन करने और पाहुर से अजंता की गुफाओं तक रेल लाइन का विस्तार करने के संबंध में सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) पचौरा-जामनेर (55 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए टोह इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण और पाहूर से अजंता की गुफाओं तक (18.80 कि.मी.) और जामनेर से बोदवाड तक (30.25 कि.मी.) का विस्तार 2000-2001 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की लागत (-)3.6 प्रतिशत के प्रतिफल की दर सहित 116.44 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

मांस की आपूर्ति

1596. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना को राशन की वस्तुओं की आपूर्ति करने में लगे प्राइवेट ठेकेदार द्वारा पश्चिमी कमान के सैनिकों को मरे हुए पशुओं के मांस की आपूर्ति किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) सेना को आपूर्ति की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की जांच करने के लिए उत्तरदायी ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) जी, नहीं। रक्षा सेनाओं को सप्लाई किए जाने के लिए केवल जीवित तथा स्वस्थ पशुओं/पक्षियों का वध किया जाता है। वध किए जाने से पूर्व जीवित पशुओं/पक्षियों की समुचित छंटनी करके उन्हें पृथक किया जाता है। वध से पूर्व तथा उसके पश्चात् दोनों ही अवसरों पर पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा पशुओं का निरीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात्, ढांचे पर 'जारी किए जाने के लिए उपयुक्त' की विधिवत मुहर लगाई जाती है।

प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट संभवत: आपूर्ति डिपो, दिल्ली छावनी में एक घटना के बारे में 29 मई, 2002 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार से संबंधित है, जिसमें एक आपूर्तिकर्ता ने जीवित पक्षियों के साथ मृत मुर्गियों को मिलाने का प्रयास किया

था। किन्तु, आपूर्ति डिपो के सतर्क स्टाफ ने आपूर्तिकर्ता की कोशिश को नाकाम कर दिया था। उक्त फर्म पर प्रतिबंध लगाने अथवा सेना आपूर्ति कोर के अनुमोदित ठेकेदारों की सूची से इस फर्म को हटाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान के बाधेवाला क्षेत्र में खोज

1597. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने हाल ही में बड़ी मात्रा में पता लगे खनिज तेल की खोज के लिए जैसलमेर जिले का बाधेवाला क्षेत्र दो वर्ष के लिए आयल इंडिया लिमिटेड को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है और प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रस्ताव का कब तक अनुमोदन किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली के उपबंधों के अधीन राजस्थान राज्य के बाधेवाला क्षेत्र के लिए आयल इंडिया लिमिटेड को 1.1.1999 की प्रभावी तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने हेतु राजस्थान की राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन 12.2.2002 को संसूचित किया गया था।

[अनुवाद]

मालेगांव में रेल खेल परिसर

1598. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मालेगांव में रेल खेल परिसर की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो जिस खेल परिसर पर विचार किया जा रहा है, का ब्यौरा क्या है और अनुमानत: इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) मालीगांव में स्टेडियम में सुधार और होस्टल सुविधा के विकास की परियोजना 7.65 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत की गई है। चालीस बिस्तर वाले एक होस्टल, टेबल टेनिस हॉल, बैडमिंटन हॉल, इंडोर क्रिकेट प्रैक्टिस सुविधाओं और क्रीड़ा मैदान की चाहरदीवारी का कार्य पूरा हो गया है। 2002-2003 में अन्य प्रस्तावित सुविधाओं की योजना है जिनमें पानी निकास प्रणाली का सुधार, स्क्वैश कोर्ट आदि का निर्माण शामिल हैं। कार्य के लिए चालू वर्ष में एक करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। तीन वर्ष में कार्य पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में लापरवाही के कारण बेकार हुए धातु

1599. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची में प्रबंधन की लापरवाही के कारण हाल ही में बीस लाख रुपए से अधिक की धातु बेकार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) भविष्य में ऐसी बरबादी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कारपोरेशन में वर्ष-वार ऐसे नुकसान का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में बीस लाख रुपये की धातु बेकार होने की ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

(घ) द्रव धातु निर्माण (लिक्विड मेटल प्रिप्रेशन) एवं ढडेलने (पोरिंग) की प्रणाली की सभी प्राद्योगिकी उपायों से तैयार किया गया है ताकि धातु को बेकार होने से रोका जा सके। इस संबंध में एक प्रौद्योगिकीय उपाय का कड़ाई से पालन किया जाता है।

(ङ) पिछले 5 वर्षों के दौरान धातु के बेकार होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।

[अनुवाद]

केरल में विद्युत का पूरा शेयर

***1600. श्री टी. गोविन्दन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पूर्वी क्षेत्र से 90 मेगावाट विद्युत के पूर्ण शेयर के आवंटन के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केरल के मुख्य मंत्री ने 13.12.2001 को केन्द्रीय विद्युत मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें पूर्वी क्षेत्र से व्यस्ततमकालीन समय के दौरान 80 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस अनुरोध पर विचार किया गया और 19.12.2001 को पूर्वी. क्षेत्र को एनटीपीसी केन्द्रों से केरल को विद्युत के आवंटन में 11.6 प्रतिशत (58 मेगावाट) से वृद्धि कर इसे 19.6% (98 मेगावाट) कर दिया गया। तत्पश्चात् दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 3.5.2002 को केरल के आवंटन को घटाकर 14.8 प्रतिशत (74 मेगावाट) कर दिया गया।

23.7.2002 को विद्युत मंत्री, केरल सरकार ने केन्द्रीय विद्युत मंत्री को एक अन्य ज्ञापन दिया जिसमें तालचेल-कोलार एचवीडीसी लाईन को चालू करने के पश्चात् पूर्वी क्षेत्र से 300 मेगावाट विद्युत का आवंटन विचारणीय है।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची से विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार

1601. श्री राम टहल चौधरी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची से प्रशिक्षुता प्राप्त कर चुके विस्थापित परिवारों के सदस्यों को रोजगार नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है और उन्हें रोजगार न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) एचईसी के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण में 3090 परिवार या तो विस्थापित हुए या प्रभावित हुए हैं। इन सभी परिवारों को (प्रति परिवार एक व्यक्ति से) को एचईसी में रोजगार दिया गया है। इस प्रकार, एचईसी ने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया है। उपरोक्त के अलावा, विस्थापित परिवारों के अगली पीढ़ी के 557 मैट्रिकुलेटों को प्रशिक्षण अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। हालांकि, उन्हें रोजगार देना एचईसी का उत्तरदायित्व नहीं है, फिर भी 557 में से 84 व्यक्तियों को वर्ष 1989-91 के दौरान रोजगार दिया गया है।

(ख) वर्ष 1992 से अतिरिक्त जनशक्ति तथा अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन ग्रेडों में रोजगार देना पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, एचईसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जरिए अपनी जनशक्ति में कटौती करने की प्रक्रिया में है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना

1602. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपारंपरिक और पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धियां क्या हैं और उनके विकास की कितनी संभावना है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, लघु जल विद्युत परियोजनाओं, बायोमास विद्युत परियोजनाओं, सौर जल हीटरों, कूड़ा-करकट ऊर्जा परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए देश भर में सौर, पवन, बायोमास, लघु पनबिजली और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अनुमानित मोटे तौर पर संभाव्यता और 31.3.2002 के अनुसार इन कार्यक्रमों के अंतर्गत संचयी उपलब्धियां विस्तृत रूप में संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान स्थापित की गई विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इसके अलावा, इन तीन वर्षों के दौरान सौर जल तापन प्रणालियों के लिए 1,80,000 वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र की स्थापना की गई।

विवरण-I

31 मार्च, 2002 के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा संभाव्यता एवं उपलब्धियां

	स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभाव्यता	उपलब्धि (31.3.2002 के अनुसार)
क. अक्षय स्रोतों से विद्युत			
1.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	–	1.99 मेवा.
2.	पवन विद्युत	45,000 मेवा.	1628.2 मेवा.
3.	लघु पनबिजली (25 मेवा. तक)	15,000 मेवा.	1437.47 मेवा.
4.	बायोमास सह-उत्पादन विद्युत	19,500 मेवा.	381.3 मेवा.
5.	बायोमास गैसीफायर	–	51.3 मेवा
6.	अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति	1,700 मेवा.	21.98 मेवा.
	अक्षय स्रोतों से विद्युत (कुल)	81,200 मेवा.	3522.24 मेवा.
ख. विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियां			
7.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	120 लाख	33.68 लाख
8.	सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी संयंत्र	–	3901 सं.
9.	उन्नत चूल्हा	12 करोड़	3.52 करोड़
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां:	20 मेवा./वर्ग किमी.	
	(i) सौर सड़क रोशनी प्रणालियां	–	41776 सं.
	(ii) घरेलू रोशनी प्रणालियां	–	206732 सं.
	(iii) सौर लालटेन	–	427687 सं.
	(iv) सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	–	1188 केडब्लूपी
11.	सौर जल तापन प्रणालियां	140 मिलियन वर्ग मी. संग्राहक क्षेत्र	0.60 मिलियन वर्ग मी. संग्राहक क्षेत्र
12.	सौर कुकिंग प्रणाली		
	(i) बॉक्स आकार के सौर कुकर	–	5,18,000 सं.
	(ii) संकेन्द्रण प्रकार के सामुदायिक कुकर	–	175 सं.
13.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	–	4500 सं.
14.	पवन पंप	–	793 सं.
15.	हाइब्रिड प्रणालियां	–	127.4 किवा.
ग. अन्य कार्यक्रम			
16.	आदित्य सोलर शॉप	–	29 सं.
17.	बैटरी चालित वाहन	–	247 सं.
18.	ऊर्जा पार्क	–	278 सं.
19.	आईआरईपी ब्लॉक	–	860 सं.

एसक्यू किमी. - वर्ग किलोमीटर; एसक्यू - वर्गमीटर; मेवा. - मेगावाट; किवा. - किलोवाट; केडब्लूपी - किलोवाट पीक; आईआरईपी - एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम; सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी - सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र

* बायोमास गैसीफायर सहित

विवरण–II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संवितरण/संस्थापना के राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली मेवा.	बायोमास विद्युत मेवा.	बायोमास गैसीफायर किवा.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट मेवा.	बायोगैस संयंत्र सं.	सीबीपी सं.	उन्नत चूल्हा सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	53.60	90.20	5380.00	8.95	61009.00	10.00	5.5 2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.01
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.04
4.	बिहार	0.01	0.00	0.00	0.00	1583.00	0.00	0.11
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.10
6.	गुजरात	0.00	0.00	7440.00	0.45	25935.00	26.00	3.03
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	6418.00	0.00	1.80
8.	हिमाचल प्रदेश	31.26	0.00	0.00	0.00	2069.00	0.00	0.08
9.	जम्मू – कश्मीर	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
10.	कर्नाटक	32.95	64.60	810.00	1.00	71034.00	0.00	1.51
11.	केरल	21.00	0.00	105.00	0.00	3805.00	54.00	1.12
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	200.00	2.70	38494.00	3.00	0.48
13.	महाराष्ट्र	29.00	15.50	700.00	1.90	35786.00	98.00	2.51
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.000	275.00	0.00	0.07
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	4.00	0.00
16.	मिजोरम	9.40	0.00	0.00	0.00	1142.00	0.00	0.10
17.	नागालैंड	16.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.17
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	34050.00	11.00	5.59
19.	पंजाब	7.80	2.00	40.00	0.00	16787.00	134.00	1.17
20.	राजस्थान	0.55	0.00	0.00	0.00	2321.00	18.00	1.32
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.15
22.	तमिलनाडु	2.80	8.00	1820.00	0.23	5587.00	7.00	1.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	1000.00	0.00	651.00	0.00	0.23
24.	उत्तर प्रदेश	7.50	24.00	1220.00	0.00	28564.00	211.00	5.51
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	2215.00	0.00	45235.00	19.00	9.94
26.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.03
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.01
29.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
33.	छत्तीसगढ़	0.00	6.00	0.00	0.00	3000.00	8.00	0.18
34.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	15.00	0.00
36.	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	118400.00	588.00	8.16
	कुल	219.98	210.30	20930.00	15.23	505574.00	1227.00	51.79

मेवा. - मेगावाट; किवा. - किलोवाट; सीबीपी - सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित संयंत्र

पश्चिम बंगाल और बिहार में रेल परियोजनाएं

1603. श्री बीर सिंह महतो:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल और बिहार से प्राप्त रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) पश्चिम बंगाल और बिहार में रेलवे नेटवर्क के सुधार तथा विस्तार हेतु किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है और उक्तावधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में धीमी प्रगिति के क्या कारण हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अपारंपरिक ऊर्जा संबंधी सुविधाएं

1604. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अपारंपरिक ऊर्जा संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु राज्यों को राजसहायता देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति इकाई दी जाने वाली राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए राज्यों में कार्यान्वित किए गए अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय सब्सिडी/वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है। उन्नत चूल्हों, बायोगैस संयंत्रों तथा बायोमास प्रणालियों की स्थापना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अपेक्षाकृत उच्च दर की सब्सिडी/वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई सब्सिडी/वित्तीय प्रोत्साहनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई सब्सिडी/वित्तीय प्रोत्साहन

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	सब्सिडियों के ब्यौरे
1.	पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र	सामान्य श्रेणी के लिए 1800 रुपये विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के लिए प्रति संयंत्र 2300 रु. पहाड़ी एवं उच्च बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए 3500 रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रति संयंत्र 11,700 रु.
2.	उन्नत चूल्हा (पोर्टेबल)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं सिक्किम के लिए 135 रु. द्वीपों, अधिसूचित पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए 75 रु. अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए 50 रु.
3.	बायोमास गैसीफायर	सामान्य राज्यों के लिए 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के लिए सब्सिडी का 10 प्रतिशत अपेक्षाकृत उच्च दर पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए 90 प्रतिशत।

[हिन्दी]

बिहार में इंडियन आयल डिपो में अनियमितताएं

1605. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बिहार में इंडियन आयल डिपो टैंकरों में तेल की माप की संबंध में किन्ही अनियममितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिये जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या गदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फर्जी मुद्दे

1606. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी रेल ने 3.19 करोड़ रुपए की फर्जी मदें जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार जारी फर्जी मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की गई है जिनमें वे वरिष्ठ प्राधिकारी शामिल हैं जो उचित और पर्याप्त नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने में विफल हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि सन्निहित है;

(ङ) क्या नोट और टिकट जारी करके सामग्री जारी की जानी है और जारी की गई सामग्री का उचित लेखा-जोखा रखा जाना है;

(च) क्या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 9ए के पृष्ठ 53 के पैरा 4.3 में इस सच्चाई का खुलासा किया है; और

(छ) सरकार द्वारा फर्जी मुद्दों के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणी विवादास्पद है और इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसमें कोई फर्जी मामला नहीं था।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

आटो ईंधन संबंधी नीति

1607. श्री मोहन रावले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आटो ईंधन संबंधी नीति की रूप-रेखा तैयार करते हुए एक अलग विधेयक लाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने आटो ईंधन नीति के विषय में सिफारिश करने के लिए डा. आर. ए. मशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की है। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा सरकार ने इस अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिश पर आवश्यक कार्यवाही की है। इस समिति को अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

जम्मू-ऊधमपुर रेल लाइन

1608. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर में रेल लाइन बिछाने के संबंध में परियोजना-वार कितनी प्रगति हुई है और कितना प्रतिशत कार्य अभी शेष है;

(ख) क्या सरकार ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जम्मू और कश्मीर में दो नई लाइन परियोजनाएं हैं जम्मू तवी-ऊधमपुर कार्य अंतिम चरण पर है और इसके 2003-2004 तक पूरा होने की संभावना है। ऊधमपुर-बारामूला परियोजना पर कार्य चरणों में शुरू किया गया है। कटरा-ऊधमपुर और काजीगुड-बारामूला खण्डों के बीच मिट्टी संबंधी कार्य, पुलों, सुरंगों और भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। कटरा-काजीगुंड खण्डों के बीच विस्तृत निर्माण सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी हां, परियोजना को पूरा करने का निर्णय लिया गया है और 15 अगस्त, 2007 से पहले कश्मीर घाटी में पहली रेल गाड़ी चलने लगेगी। परियोजना का परिव्यय बढ़ाया गया है और लक्ष्य को पूरा करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को स्वायत्तता

1609. श्री जय प्रकाश: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को उनके वित्तीय कार्य-निष्पादन और आकार के आधार पर उनका मूल्यांकन करके उनको स्वायत्तता देने संबंधी निर्णय में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कंथीरिया) : (क) से (ग) सरकार की यह नीति रही है कि बदलते आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। सभी लाभ अर्जित करने वाले तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कुछ दिशानिर्देशों के भीतर अधिक वित्तीय एवं प्रचालनात्मक स्वायत्ता प्राप्त है। नवरत्न तथा मिनीरत्न योजना के माध्यम से चुनीन्दा उद्यमों को और स्वायत्तता प्रदान की गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है तथा स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा विद्युत आपूर्ति

1610. श्री जे.एस. बराड़: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने विद्युत आपूर्ति को पूरा करने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के पूर्ण उपयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान कितनी मात्रा में अतिरिक्त ऊर्जा पैदा की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु पनबिजली, बायोमास विद्युत/सह-उत्पादन तथा शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ग्रिड गुणवत्ता विद्युत के उत्पादन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। 3500 मेवा क्षमता की अपारंपरिक ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाएं पहले ही स्थापित की गई हैं। 1038 मेवा क्षमता जिसमें लघु पनबिजली परियोजनाएं (540 मेवा); बायोमास विद्युत/खोई सह-उत्पादन परियोजनाएं (488 मेवा.); तथा शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट परियोजनाएं (10 मेवा) शामिल हैं, स्थापनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के लिए वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए लक्ष्य 200 मेवा. है।

(ग) और (घ) देश में लगभग 80,00 गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना शेष है। इनमें से लगभग 18,000 गांव का दूरदराज और दुर्गम क्षेत्र में स्थित होने का अनुमान है जिन्हें परम्परागत ग्रिड के विस्तार द्वारा विद्युतीकृत नहीं किया जा सकता है। ऐसे सभी गांवों को वर्ष 2012 तक अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है। 2001-02 के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजनाएं (292); लघु पनबिजली परियोजनाएं (51) और बायोमास गैसीफायर परियोजनाएं (17) पर आधारित अपारंपरिक स्त्रोतों के माध्यम से 360 गांवों को विद्युतीकृत किया गया था।

एचआईवी/एड्स से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए बीबीसी के साथ समझौता

1611. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या दूरदर्शन ने एचआईवी/एड्स से संबंधित कार्यक्रमों को दिखाने के लिए बीबीसी के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन के पास अन्य मीडिया निगमों के साथ समझौता करने हेतु अन्य प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा बी.बी.सी. तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था के सहयोग से एच आई वी/एड्स से संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण/प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन कार्यक्रमों तथा प्रमोस का प्रसारण करने के साथ-साथ आधारभूत ढांचा व निर्माण हेतु विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। बी.बी.सी.

परियोजना हेतु अनुसंधान की ओर ध्यान दे रहा है तथा निर्माण की लागत वहन कर रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था केन्द्र बिन्दु क्षेत्रों और प्रमुख संदेशों को अभिनिर्धारित करने में परियोजना के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश दे रहा है यह अभियान 1 जुलाई 2000 में शुरू किया गया जिसमें दूरदर्शन द्वारा निर्मित 60 सै. की अवधि के संदेश का डी.डी. राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण करना शामिल है। दूसरे विषयप्रद कार्यक्रमों को जयपुर, लखनऊ व दिल्ली केन्द्रों से भी प्रसारित किया जा रहा है।

(ग) वर्तमान में, दूसरे मीडिया निगमों के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय पूल से विद्युत आपूर्ति

1612. श्री सी.के. जाफर शरीफ: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए योजना आवंटन में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 के लिए कर्नाटक राज्य के विद्युत क्षेत्र हेतु 936 करोड़ रुपये परिव्यय अनुमोदित किए गये थे। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए राज्य-वार परिव्यय को अभी तक अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

यात्री डिब्बों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देना

1613. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने यात्री डिब्बों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में अधिकृत रेल यात्रा सेवा एजेंटों (आरटीएसए) को स्थान-वार टर्मिनल प्रदान करने की भी योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मुंबई में कुछ रेल यात्री सेवा एजेंटों के लिए प्रयोगात्मक आधार पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली टर्मिनलों की व्यवस्था के लिए एक योजना बनाई गई है। फिलहाल, इसके कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

रक्षा वस्तुओं की अंधाधुंध खरीद/आयात

1614. श्री सुकदेव पासवान: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो जैसे अनेक अंग आवश्यकता का सही-सही आकलन किए बगैर ही रक्षा संबंधी वस्तुओं का आयात/खरीद कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप निधियां ब्लाक होती हैं और इस व्यय से बचा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रकार के कितने मामले प्रकाश में आए और अंधाधुंध खरीद/आयात के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) वस्तुओं की इस प्रकार की खरीद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) बेस मरम्मत डिपो के पास रक्षा मदें आयात करने का अधिकार नहीं है। तथापि, वे उत्पादन के लिए तत्काल स्वरूप की अपेक्षित स्वदेशी मदों की अधिप्राप्ति स्थानीय खरीद के माध्यम से करते हैं। बेस मरम्मत डिपो अतिरिक्त कलपुर्जों और मरम्मत योग्य सामान की अपनी आवश्यकतायें सम्भरण पुनरीक्षाओं और विशेष पुनरीक्षाओं के माध्यम से वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करते हैं। अतिरिक्त कलपुर्जों के लिए आवश्यकता का निर्धारण स्पष्ट रूप से निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है (प्राधिकृत मात्रा के अनुसार तथा मरम्मत योग्य अपेक्षित संख्या के आधार पर स्वचालित भराई प्रणाली पैमाना, अनिवार्य अतिरिक्त कलपुर्जे)। कभी-कभी हिस्से-पुर्जों की संख्या के मूल्यांकन में और 'इन-लियू' मदों को ढूंढने में मामूली त्रुटि के कारण कुछ मदों की अधिप्राप्ति अधिक हो जाती है परंतु उत्तरोत्तर समीक्षाओं से इन अतिरिक्त मदों की अधिप्राप्तियों को ठीक कर लिया गया है।

सम्भरण करने की पूरी स्कीम अब सुव्यवस्थित कर ली गई है और मुख्यालय अनुरक्षण एकक को, जिसके पास पूरी सामान-सूची का ब्यौरा है, मांगपत्रों की पूरी तरह विधीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है ताकि अनुचित अधिप्राप्ति को रोका जा सके।

सिविल प्रक्रिया संहिता के मामलों का शीघ्र निपटान

1615. श्री जी.एस. वसवराज: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु हाल ही में किए गए परिवर्तनों को लागू करने से लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान में स्पष्ट परिवर्तन आया है;

(ख) क्या दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित मामलों के निपटान में सुधारों का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति बी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार का सिविल प्रक्रिया संहिता के मामलों में साक्षियों के मुकर जाने से सिविल प्रक्रिया संहिता के अधिकांश मामलों में दोषियों के छूट जाने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के संशोधनों को तारीख 1 जुलाई, 2002 से प्रवृत्त कर दिया गया है। लंबे समय से लंबित पड़े मामलों पर इसका कोई स्पष्ट प्रभाव बताना जल्दबाजी होगी।

(ख) दांडिक न्याय प्रणाली के सुधार संबंधी समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ग) भारत के विधि आयोग ने, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है। विधि आयोग की रिपोर्ट पर, संसद के पटल पर रखे जाने के पश्चात्, राज्य सरकारों से परामर्श करके, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दंड प्रक्रिया और दंड विधि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। अत:, इसके लिए कोई समय-सीमा नियत करना साध्य नहीं होगा।

जल विद्युत परियोजनाएं

1616. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) श्रीसेलम जल विद्युत परियोजना (6×150) मेगावाट) आंध्र प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन हैं। 150 मेगावाट की तीन यूनिटें पहले ही चालू कर दी गयी हैं। दो यूनिटों को 2002-03 के दौरान तथा एक यूनिट को 2003-04 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है। 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 29.80 मेगावाट है, निर्माणाधीन हैं।

आंध्र प्रदेश में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नागार्जुन सागर टेल पोंड डैम (2×25 मेगावाट) और प्रियदर्शिनी जुराला जल विद्युत परियोजना (6×36.9 मेगावाट) तथा संयुक्त क्षेत्र में जलापुत बांध (3×6 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है।

एफएम रेडियो स्टेशनों की प्रसारण क्षमता

1617. श्री रघुनाथ झा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने अनेक एफएम रेडियो स्टेशनों को 31 मार्च, 2002 तक स्थापित किए जाने के लक्ष्य के संबंध में कोई जांच की है;

(ख) अब तक इस लक्ष्य को किस सीमा तक हासिल किया गया है;

(ग) क्या दिल्ली में एफ.एम. की प्रसारण क्षमता लगभग 30 कि.मी. है; और

(घ) यदि हां, तो प्रसारण क्षमता को कम से कम 200 कि. मी. तक बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) वर्ष 2002 (सिविल) की नियंत्रक एवं महालेखाकार की रिपोर्ट सं. 2, पैरा 3.1 में उल्लेख है कि मार्च, 1997 तक 133 एफएम परियोजनाओं को चालू किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से 125 परियोजनाएं चालू कर दी गयी हैं।

(ग) जी, हां। स्टीरियो सिग्नल 30 किमी. की परिधि में उपलब्ध हैं तथा मोनो सिग्नल की रेंज लगभग 38 कि.मी. है।

(घ) एफ एम कवरेज दृश्य पूरी सीमा तक सीमित है इसलिए 200 किमी. तक कवरेज संभव नहीं है।

जल विद्युत क्षमता का विकास

1618. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पास 1,50,000 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता है जिसमें से अभी तक केवल 17.50 प्रतिशत का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल विद्युत क्षमता का दोहन न करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और इस विशाल अतिरिक्त क्षमता का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) देश में आर्थिक रूप से व्यवहार्य और दोहन करने हेतु 14870 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता विद्यमान होने का आकलन किया गया है। जल विद्युत संभावना विकास की राज्यवार स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) जल विद्युत संभावना का अधिकांश भाग हिमाचल प्रदेश में (18820 मेगावाट), उत्तरांचल में (18175 मेगावाट) जम्मू और कश्मीर में (14146 मेगावाट) और पूर्वोत्तर राज्यों में (58971 मेगावाट) विद्यमान है। भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में लगभग 30,000 मेगावाट जल विद्युत के प्रबंध के लिए कार्रवाई शुरू की है। देश में, व्यवहार्य जल विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कुल लगभग 107,000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के 399 हाइड्रो स्कीमों का प्रारंभिक रैंकिंग अध्ययन करवाया है जिन्हें अभी विकसित किया जाना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इस समय देश के अवशेष संभावनाओं के दोहन के लिए राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है।

विवरण

जल विद्युत विकास की स्थिति

(1.4.2002 के अनुसार)

क्षेत्र/राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (पुन: मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार) (मेगावाट)	विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता		निर्माणाधीन स्कीम		विकसित क्षमता+विकासाधीन		क्षमता जो अभी विकसित की जानी है	
		(मे.वा.)	प्रतिशत	(मे.वा.)	प्रतिशत	(मे.वा.)	(प्रतिशत)	(मे.वा.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरी									
जम्मू व कश्मीर	14146	1473	10.4	390	2.8	1863.0	13.2	12283.0	86.8
हिमाचल प्रदेश	18820	3668	19.5	2311	12.3	5979.0	31.8	12841.0	68.2
पंजाब	971	1291	100.0	168	17.3	1459.0	100.0	0.0	0.0
हरियाणा	64	48	75.0	14	21.9	62.0	96.9	2.0	3.1
राजस्थान	496	430	86.7	0	0.0	430.0	86.7	66.0	13.3
उत्तरांचल	18175	1109	6.1	3134	17.2	4243.0	23.3	13932.0	76.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	723	501	69.3	0	0.0	501.0	69.3	222.0	30.7
उप जोड़ (उ.क्षे.)	53395	8520	16.0	6017	11.3	14537.0	27.2	38858.0	72.8
पश्चिमी									
म.प्र. व छत्तीसगढ़	4485	934	20.8	1570	35.0	2504.0	55.8	1981.0	44.2
गुजरात	619	305	49.3	250	40.4	555.0	89.7	64.0	10.3
महाराष्ट्र	3769	2594	68.8	0	0.0	2594.0	68.8	1175.0	31.2
गोवा	55	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	55.0	100.0
उप जोड़ (प.क्षे.)	8928	3833	42.9	1820	20.4	5653.0	63.3	3275.0	36.7
दक्षिण									
आंध्र प्रदेश	4424	2018	45.6	0	0.0	2018.0	45.6	2406.0	54.4
कर्नाटक	6602	2909	44.1	192	2.9	3101.0	47.0	3501.0	53.0
केरल	3514	1800	51.2	30	0.9	1830.0	52.1	1684.0	47.9
तमिलनाडु	1918	1580	82.4	150	7.8	1730.0	90.2	0.0	0.0
उप जोड़ (द.क्षे.)	16458	8307	50.5	372	2.3	8679.0	52.7	7779.0	47.3
पूर्वी									
झारखण्ड	753	154	20.5	32	4.2	186.0	24.7	567.0	75.3
बिहार	70	45	64.3	0	0.0	45.0	64.3	25.0	35.7
उड़ीसा	2999	1838	61.3	66	2.2	1904.0	63.5	1095.0	36.5
प. बंगाल	2841	237	8.3	36	1.3	273.0	9.6	2568.0	90.4
सिक्किम	4286	84	2.0	519	12.1	603.0	14.1	3683.0	85.9
उप जोड़ (पू.क्षे.)	10949	2358	21.5	653	6.0	3011.0	27.5	7938.0	72.5
उत्तर-पूर्वी									
मेघालय	2394	185	7.7	84	3.5	269.0	11.2	2125.0	88.8
त्रिपुरा	15	15	100.0	0	0.0	15.0	100.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	1784	105	5.9	90	5.0	195.0	10.9	1589.0	89.1
असम	680	250	36.8	145	21.3	395.0	58.1	285.0	41.9
नागालैंड	1574	91	5.8	8	0.5	99.0	6.3	1475.0	93.7
अरूणाचल प्रदेश	50328	416	0.8	0	0.0	416.0	0.8	49912.0	99.2
मिजोरम	2196	0	0.0	60	2.7	60.0	2.7	2136.0	97.3
उप जोड़ (उ.पू.क्षे.)	58971	1062	1.8	387	0.7	1449.0	2.5	57522.0	97.5
अखिल भारत	148701	24080	16.2	9249	6.2	33329.0	22.4	115372.0	77.6

नोट-1 उपरोक्त तालिका में केवल क्रियाशील पारम्परिक जल विद्युत केन्द्र की संस्थापित क्षमता शामिल है और इसमें पीएसएस शामिल नहीं है। पीएसएस स्कीमों को शामिल कर राज्य की कुल संस्थापित क्षमता निम्नानुसार है-

गुजरात-545 मे.वा., महाराष्ट्र 2768 मे.वा., आंध्र प्रदेश 3168 मे.वा., तमिलनाडु 1980 मे.वा., झारखंड 194 मेगावाट

कुल अखिल भारत-26084 मेगावाट

नोट-2 अंदमान निकोबार द्वीपसमूह की कुल संस्थापित क्षमता-5.25 मेगावाट।

नोट-3 उपरोक्त तालिका में केवल निर्माणाधीन पारम्परिक हाइड्रो स्टेशन की संस्थापित क्षमता शामिल है और इसमें पीएसएस शामिल नहीं है। पीएसएस स्कीमों को शामिल कर राज्य की निर्माणाधीन कुल संस्थापित क्षमता निम्नानुसार है:-

गुजरात 1450 मेगवाट, महाराष्ट्र 250 मेगावाट, आंध्र प्रदेश 450 मेगावाट, प. बंगाल 936 मे.वा.

कुल अखिल भारत 12335 मेगावाट

नोट-4 उपरोक्त तालिका में मिनी/माइक्रो एवं लघु जल विद्युत स्कीमें शामिल नहीं हैं।

खतरा एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की निगरानी हेतु प्राधिकरण

1619. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रेलवे के खतरा एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की निगरानी हेतु एक राष्ट्रव्यापी प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या रेलवे ने उन स्थानों एवं क्षेत्रों की पहचान की है जहां रेलगाड़ियां बार-बार पटरी से उतरती हैं;

(ग) यदि हां, तो रेलवे का इन क्षेत्रों की पहचान करने एवं रेल प्रणाली की तकनीकी कमजोरियों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) दक्षिण मध्य रेलवे में उन क्षेत्रों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ङ) इस समस्या का कब तक समाधान कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मण्डलों, जोनल रेलों तथा विभिन्न खण्डों पर गाड़ी का पटरी से उतरने का विश्लेषण करना रेलों पर एक सतत प्रक्रिया है। अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण तथा संरक्षा जांच की जाती हैं। जहां कड़ी खामियां ध्यान में आती हैं, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) दक्षिण मध्य रेल पर विगत दो वर्षों के दौरान किसी खण्ड विशेष में बार-बार दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। विभिन्न संरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 2000-2001 के दौरान रेलों पर गाड़ी के पटरी से उतरने की कुल संख्या 33 से कम होकर 2001-2002 के दौरान 20 हो गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आटो एल. पी. जी. सुविधाएं शुरू करना

1620. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों ने मोटर वाहन चालकों की सुविधा के लिए अपने विक्रय केन्द्र पर आटो एल. पी. जी. की सुविधा शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर दिल्ली से लुधियाना तक कितने खुदरा विक्रय केन्द्रों पर आटो एल. पी. जी. की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या तेल कंपनियों ने उन पेट्रोल पंपों की कोई सूची तैयार की है और सर्वेक्षण किया है जहां इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार की सूची को तैयार करने एवं मंजूरी देने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रारम्भिक कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने मुंबई, दिल्ली और पुणे में आटो एल. पी. जी. वितरण सुविधा आरम्भ कर दी हैं।

(ग) से (ङ) ओ एम सीज ने आवश्यक सर्वेक्षण करने के बाद 2003-04 तक देश के विभिन्न भागों में 228 आटो एल. पी. जी. वितरण केन्द्रों (ए एल डी एस) की स्थापना करने की अपनी योजना तैयार की है।

एनर्जी मीटरों की खरीद हेतु निधियों का दुरूपयोग

1621. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों/विद्युत बोर्डों ने एनर्जी मीटर की खरीद के लिए दी गयी वित्तीय सहायता का दुरूपयोग एवं उसका अन्यत्र उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता के अन्यत्र उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के दुरूपयोग हेतु राज्य सरकारों/विद्युत बोर्डों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विद्युत मंत्रालय को मणिपुर सरकार के विद्युत विभाग को ऊर्जा मीटरों की आपूर्ति के लिए लंबित भुगतान की अदायगी न होने के बारे में आपूर्तिकर्त्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मामले को मणिपुर सरकार के साथ उठाया गया, मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा ऊर्जा मीटरों की खरीद हेतु जारी की गयी राशि का विशिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग कर लिया गया है। मणिपुर सरकार ने पुन: सूचित किया है कि उन्होंने आपूर्तिकर्त्ताओं को निम्नानुसार अदायगी की है-

क्र.सं.	फर्म का नाम	भुगतान की तिथि	राशि
1.	मै. कैपिटल पावर सिस्टम	31.3.1999	25,00,000 रु.
2.	मैं. कैपिटल पावर सिस्टम	12.11.1999	8,00,000 रु.
3.	मैं. कैपिटल पावर सिस्टम	5.10.2000	1,50,00,000 रु.
4.	मै. एलीमर इलेक्ट्रिक्स	13.10.1998	20,00,000 रु.
5.	मै. एलीमर इलेक्ट्रिक्स	13.5.1999	1,00,00,000 रु.
6.	मै. एलीमर इलेक्ट्रिक्स	10.9.2001	25,00,000 रु.
	कुल		3,28,00,000 रु.

प्राइवेट तेल कंपनियों द्वारा बंद पड़े पेट्रोल पंपों के स्थलों का उपयोग

1622. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्राइवेट तेल कंपनियों ने पर्याप्त क्षमता वाले बंद पड़े पेट्रोल पंपों के स्थलों का उपयोग करना शुरू कर दिया है लेकिन दोहरे प्रचालन के कारण ये बंद हैं और तेल निगम इन स्थलों के किराए/पट्टे का भुगतान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या संभावित प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए तेल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को इस प्रकार के स्थलों को अपने अधिकार से जाने देने का निदेश/परामर्श दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो पूरे देश में इस प्रकार के कितने स्थल बंद पड़े हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) दोहरे प्रचालन के बंद होने के कारण बंद किए गए और किसी तेल पी. एस.यू. के कब्जे में किसी खुदरा बिक्री केन्द्र के स्थल के किसी निजी तेल कंपनी द्वारा अधिग्रहण के किसी मामले की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।

पेट्रोलियम और गैस की खोज में ब्रिटेन द्वारा निवेश

1623. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन की पेट्रोलियम और गैस की खोज करने वाली किसी कंपनी ने एन ई एल पी-3 के अंतर्गत पेट्रोलियम और गैस की खोज संबंधी कार्यों में निवेश करने की रुचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार को प्राप्त ऐसे अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तीसरे दौर (एन ई एल पी-3) के तहत ब्लाकों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने वाली सूचना (एन आई ओ) की घोषणा 28 मार्च, 2002 को की गई थी जिसकी बोली बंद होने की तारीख 28 अगस्त, 2002 है। इंगलैण्ड से अथवा किसी अन्य देश से अन्वेषण कंपनियों के प्रत्युत्तर की जानकारी बोलियां भेजने की अंतिम तारीख के बाद ही प्राप्त हो पाएगी।

केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी

1624. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समस्याओं के सम्बन्ध में किसी व्यापक रणनीति को अन्तिम रूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या वेतन से सम्बन्धित समस्याओं और सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के कामगारों के हितों की रक्षा करने हेतु डिप्टी चेयरमैन, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम इस दल द्वारा मांगे गए आंकड़ों को प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं जैसा कि 24 मई, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार छपा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक व्यापक योजना प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (च) योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है और इसे निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने एवं अपनी अनुशंसा करने का दायित्व सौंपा गया है:-

- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों, खासकर रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में मजूरी, वेतन तथा कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं के भुगतान से सम्बन्धित समस्याएं।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना संबंधी नीति।
- केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में वेतन/मजूरी की आवधिकता।
- रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में कामगारों के हितों की रक्षा।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 240 उपक्रमों में से 237 के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो गई है और आगामी कार्रवाई की जा रही है।

दानापुर रेलवे अस्पताल में पुरानी औषधियां

1625. श्री पी. आर. किन्डिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में दानापुर रेलवे अस्पताल में स्टाफ सत्यापन के दौरान कुछ ऐसी जीवन रक्षक औषधियां पाई गई जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की थी और उनकी जीवनक्षम क्षमता पूर्णत: समाप्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन पुरानी पड़ गई औषधियों को स्टाफ में अभी तक रखे जाने के उद्देश्यों का उल्लेख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त अस्पताल में भर्ती किए किसी मरीज को ये दवाएं दी गई थीं;

(घ) यदि हां, तो बीती मियाद वाली दवा को देने के क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या अस्पताल के स्टाक में बीती मियाद वाली दवाओं को रखने के वास्तविक कारणों को जानने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो उसका परिणाम रहा और उस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सीमेंट निगम की इकाइयों की बिक्री

1626. डा. जयंत रंगपी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम (सीसीआई) की सभी इकाइयों को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सीसीआई की ये इकाइयां पर्याप्त लाभ कमा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो लाभ कमाने वाली इन इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस प्रकार का लाभ कमाने वाली सीसीआई की इकाइयों को बेचने से पहले उन्हें विभाजित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) की केवल बोकाजन इकाई लगातार लाभ कमा रही है। हिमाचल प्रदेश स्थित राजबन इकाई वर्ष 1996-97 तक लाभ कमाती रही थी। लेकिन, वर्ष 1997 के बाद, इकाई हानि उठाती रही है। आंध्र प्रदेश स्थित तंदूर इकाई हानि उठा रही है लेकिन, वर्ष 2001-2002 के दौरान इसने मार्जिनल आपरेटिंग लाभ कमाया है।

(घ) और (ङ) सीसीआई एक रुग्ण कंपनी है और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर), जो एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है, के संदर्भाधीन है। आईएफसीआई, आपरेटिंग एजेंसी (ओ.ए.) द्वारा दिनांक 27.3.01 को हुई बीआईएफआर की बैठक में दिए गए निदेशों के तहत् सीसीआई को समग्र रूप से या इसके संयंत्रों को पृथक रूप से बिक्री का कार्य कर रही है। सीसीआई सरकारी क्षेत्र का नॉन-स्ट्रेटेजिक उपक्रम है।

दीवानी मुकदमों का निपटान

1627. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐसी कोई अधिसूचना जारी की है जिसमें सभी दीवानी मामलों को एक वर्ष के भीतर निपटाए जाने का समय दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सरकार द्वारा गठित लिब्राहन आयोग आदि जैसे उन सभी आयोगों के गठन की समय-सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) जी हां।

(ख) इस समय जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त किए गए आयोगों के लिए समय-सीमा नियत करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अधिनियम की धारा 3(1) जांच की विषय-वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समय-सीमा विहित करने के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को सशक्त बनाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जांच आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए समय-सीमा ऐसे आयोगों की नियुक्ति आदेश में उपदर्शित की जाती है। तथापि, यदि आवश्यकता होती है तो आयोग की समय-सीमा का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा लोक हित में विस्तारित किया जाता है।

पृथक सशस्त्र बल

1628. श्री रमेश चेन्नितला: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने समुद्रतटों की रक्षा के लिए एक पृथक सशस्त्र बल गठित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अधिवक्ताओं द्वारा लाइसेंस और नामांकन प्रमाण-पत्र जमा कराया जाना

1629. श्री अरुण कुमार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों में पूर्णकालिक रूप से कार्यरत पंजीकृत अधिवक्ताओं से अपने-अपने लाइसेंस और नामांकन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहे जाने हेतु उन संगठनों के सभी कार्यालयों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बार काउंसिल ने ऐसे सभी अधिवक्ताओं की सूची मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन अधिकारियों का कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित किया गया?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

'एक रैंक एक पेंशन' योजना

1630. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा कार्मिकों के लिए 'एक रैंक एक पेंशन' योजना को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों के वास्ते 'समान रैंक समान पेंशन' की मांग पर कई बार विचार किया गया है। इस मांग पर चौथे और पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी विचार किया था। बड़े वित्तीय और प्रशासकीय प्रभाव होने की वजह से इस मांग को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है। सरकार ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की पेंशन संबंधी संस्तुतियां स्वीकार कर ली हैं और आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके हैं।

रक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही

1631. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तहलका प्रकरण से जुड़े रक्षाकर्मियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस तरह दंडित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने रक्षा अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों को दंडित करने के लिए सकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सैन्य जांच अदालत ने कुछ सैन्य अधिकारियों को एक फर्जी विदेशी फर्म के साथ रक्षा उपस्कर संबंधी सौदा तय करने, जैसाकि तहलका डाट काम ने आरोप लगाया है, के मामले में कई प्रकार के कृत्याकृत्य का दोषी पाया है तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार, सैन्य अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम एवं कानूनों के अनुसार निम्नलिखित कार्रवाई आरंभ की गई है:-

(1) एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर तथा एक कर्नल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई।

(2) दो मेजर जनरलों तथा एक लेफ्टिनेंट कर्नल के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई। इनमें से एक मेजर जनरल को 'निंदा' का दण्ड दिया गया है।

अत्यधिक कीमत की वसूली

1632. श्री रामजी मांझी: क्या **रक्षा मंत्री** स्टोर के लिए खरीद के बारे में 7 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5538 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से इस बात के कारणों की पुन: जांच करने को कहा है कि केन्द्रीय भंडार ने अपनी फाइलों में संस्वीकृत कीमतों की बजाए परामर्शित खुदरा कीमतों पर कम्प्यूटरों का विक्रय क्यों किया और इस वास्ते मंत्रिमंडल सचिवालय से राशि प्रभारित की तथा अपने बीजकों में बिक्रीकर और विस्तारित वारण्टी को नहीं दर्शाया;

(ख) क्या केन्द्रीय भंडार ने अपनी नीति के अनुसरण में सी.ए.ओ. की निम्नतम कीमत के कागज की आपूर्ति करने की बजाय, 'गेटवे' फोटो कापियर कागज की आपूर्ति की जिसे विशेषत: इंडेंट भी नहीं किया गया था जिससे देश को वित्तीय हानि हुई; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): मदों की खरीददारी के संबंध में 7 मार्च, 2002 को ऐसे किसी अतारांकित प्रश्न संख्या 5538 का उत्तर नहीं दिया गया था। अतारांकित प्रश्न संख्या 5538 का उत्तर 2 मई, 2002 को दिया गया था।

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

1633. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय और इसके सभी स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों में प्रथम श्रेणी के या राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रथम श्रेणी के या राजपत्रित पदों की ऐसी अनेक रिक्तियां हैं जिन्हें अभी भी भरा जाना है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) मंत्रालय और उसके सभी स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों में आईएएस, प्रथम श्रेणी के पदों या राजपत्रित पदों पर कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इन अधिकारियों के वेतन और भत्ते, वाहन भत्ते और अन्य लाभ के मद में वर्ष-वार कितना व्यय किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सी.एन.जी. का आबंटन

1634. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री वाई. वी. राव:
श्री सुरेश पासी:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री राम प्रसाद सिंह:
मोहम्मद अनवारुल हक:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 जून, 2002 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली के लिए सी. एन. जी. का आबंटन दुगुना कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में सी. एन जी. का आबंटन बढ़ाए जाने के बावजूद भी सी. एन. जी. वाहनों को सी. एन. जी. के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो सी. एन. जी. वाहनों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सी. एन. जी. को फिलिंग स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधा उपलब्ध है; और

(च) यदि हां, तो आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) जी, हां। सरकार ने जून, 2002 के महीने में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई. जी. एल.) के लिए प्राकृतिक गैस का आबंटन 0.98 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम. एम. एस. सी. एम. डी.) से बढ़ाकर 2.0 एम. एम. एस. सी. एम. डी. कर दिया है। इसके अलावा संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी. एन. जी.) की उपलब्धता में सुधार करने के लिए आई जी. एल. ने जून, 2003 तक संपीड़कों की संख्या वर्तमान में 58 से बढ़कर 111 करने की योजना बनाई है। इससे संपीड़न क्षमता 6.91 लाख कि. ग्रा. प्रतिदिन से बढ़कर 16.1 लाख कि. ग्रा. प्रति दिन हो जाएगी। आई. जी. एल. अपने पाइपलाइन ढांचे का भी विस्तार कर रही है। आई. जी. एल. की योजना भरण केन्द्रों की संख्या मार्च, 2003 तक 94 से बढ़ाकर 110 करने की भी है।

अगले 10-20 वर्षों के लिए विद्युत की आवश्यकता

1635. श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले 10-20 वर्षों के लिए देश की विद्युत जरूरतों का कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगले 10-20 वर्षों में देश में विद्युत आपूर्ति का हाल बहुत ही बिगड़ने की संभावना है; और

(घ) विद्युत आपूर्ति की बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 16वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) की संस्थापना मार्च, 1998 में 2004-05 तथा संदर्शी अवधि, अर्थात् 2016-17 तक की विद्युत मांग का आकलन करने के लिए की गयी थी। सर्वेक्षण ने वर्ष 2011-12 के लिए अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता एवं शिखर मांग का निम्नानुसार आंकलन किया है-

ऊर्जा आवश्यकता:	975 बिलियन यूनिट
व्यस्ततमकालीन भार:	1,57,107 मेगावाट

2011-12 के लिए राज्य-वार ऊर्जा आवश्यकता एवं शिखर मांग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

2012 तक सबके लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए के.वि.प्रा. ने आकलन किया है कि इसके लिए लगभग 1,00,000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता की आवश्यकता होगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग 41,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धि हेतु तय की गयी है। इसके अलावा लगभग 3000 मेगवाट क्षमता अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने की संभावना है।

10वीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में वृद्धि के अलावा वितरण पर बल देते हुए विद्युत क्षेत्र सुधार संबंधी रणनीति का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। असंतोषजनक उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली की समस्या के समाधान के लिए 2002-03 में 3500 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि वितरण सर्किल में विशिष्ट परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सके और प्रति यूनिट लागत एवं राजस्व में अंतर को कम करने के लिए अनुदान दिया जा सके।

इसके अलावा निम्नलिखित को प्राथमिकता दी गयी है-

- मौजूदा विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) में सुधार,
- पुराने थर्मल एवं हाइड्रो स्टेशनों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण,
- राष्ट्रीय ग्रिड के जरिये अंत:क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता में वृद्धि,
- ऊर्जा संरक्षण एवं मांग पक्ष प्रबंधन।

विवरण

2011-12 हेतु राज्यवार ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततमकालीन मांग

राज्य का नाम	ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)
1	2	3
हरियाणा	37801	7192
हिमाचल प्रदेश	7118	1354
जम्मू - कश्मीर	12125	2563
पंजाब	58661	10801
राजस्थान	56133	9423
उत्तर प्रदेश	99631	16019
चण्डीगढ़	3347	637
दिल्ली	33712	5659
गोवा	2786	448
गुजरात	81615	14031
मध्य प्रदेश	68578	11346
महाराष्ट्र	142911	22348
दादरा व नगर हवेली	1779	299
दमण और दीव	1406	226
आंध्र प्रदेश	93289	15213
कर्नाटक	60478	10460
केरल	34231	6406
तमिलनाडु	70769	11411
पांडिचेरी	3951	673
बिहार (डीवीसी को छोड़कर)	15814	3072
डीवीसी	13365	2461
उड़ीसा	23376	3867
सिक्किम	312	81
पश्चिमी बंगाल (डीवीसी को छोड़कर)	37529	6966
अरुणाचल प्रदेश	423	136
असम	7604	1423
मणिपुर	1672	406
मेघालय	1410	239
मिजोरम	838	217
नागालैंड	555	141
त्रिपुरा	1559	396
अंदमान व निकोबार द्वीप	374	7 7
लक्षद्वीप	70	17

अनुसंधान और विकास कार्यों में निजी भागीदारी

1636. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों पर अपने बजट का 2 प्रतिशत से भी कम व्यय करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनका मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में निजी क्षेत्रों की भागीदार का भी इच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उद्योग की भागीदारी को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और देश में उद्योग का आधार उन्नत बनाने के वास्ते राष्ट्रीय संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक समझा गया है।

लदाई-उतराई के दौरान माल की चोरी

1638. श्री शिवराजसिंह चौहान:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे यार्ड में माल की लदाई और उतराई के समय माल की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार/जोन-वार कितने मूल्य के माल की चोरी की गई;

(ग) इस संबंध में कितने लोग दोषी पाए गए;

(घ) उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) ऐसी चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रो उत्पादों के लिए विनियामक बोर्ड

1639. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रो उत्पादों से नियंत्रित मूल्य प्रणाली को वापस किए जाने के बाद एक विनियामक बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विनियामक बोर्ड के गठन के क्या कारण हैं और इस बोर्ड के गठन से सरकार को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश के सारे भागों में उचित मूल्यों पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, उपभोक्ता की रक्षा करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और विपणन कम्पनियों के उल्लंघनात्मक व्यवहार को दंडित करने के लिए एक पेट्रोलियम, विनियामक बोर्ड की स्थापना करने के लिए 6 मई, 2002 को लोक सभा में पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक, 2002 प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

मालभाड़ा समकरण योजना

1640. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियां मालभाड़ा समकरण योजना को समाप्त करने पर विचार कर रही हैं और इससे समुद्रतटीय क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्रतट से दूर वाले शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी अंतर होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) एक स्वतंत्र बाजार परिदृश्य के अंतर्गत तटवर्ती तथा भूस्थित स्थलों के बीच पेट्रोल एवं डीजल का मूल्य भिन्न होगा। प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) युग से एक स्वतंत्र बाजार परिदृश्य में सहज परिवर्तन को सुसाध्य बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां वर्तमान में पेट्रोल तथा डीजल की मूल्य संरचना के अंतर्गत डिपुओं तक माल भाड़ा लागत को समान बना रही है।

सुजुकी मोटर कारपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम समझौता

1641. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 15 मई, 2002 को सुजकी मोटर कारपोरेशन के साथ किसी पुनरीक्षित संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस नए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) समझौते की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

1. मारुति के पास लगभग 400 करोड़ रुपये का राइट इश्यू होगा जिसमें 3280 रुपये के इश्यू मूल्य पर 12,19,512 शेयर हैं। राइट इश्यू के उद्देश्य के लिए इश्यू मूल्य को भारत सरकार और सुजुकी मोटर कारपोरेशन एस एम सी द्वारा नियुक्त तीन स्वतंत्र मूल्यकर्ताओं द्वारा तीन मूल्यों के औसत रूप में माना गया।

2. सुजुकी 1000 करोड़ रुपये की राशि सरकार को नियंत्रण प्रीमियम के रूप में अदा करेगी।

3 संशोधित संयुक्त उद्यम समझौता में उल्लेख किया गया है कि राइट इश्यू पूरा होने के बाद सुजुकी निदेशक मंडल में अधिक व्यक्तियों को नामित करने के लिए पात्र होगी।

4. सरकार के पास सकारात्मक वोटिंग का अधिकार हैं जैसे परिसंपत्तियों पर पकड़ तथा कर्मचारियों आदि की सुरक्षा।

5. सरकार बुक वेल्डिंग प्रक्रिया के जरिए मूल्य पता करके पब्लिक ऑफर में भारतीय बाजारों में अपना शेष शेयर लगाएगी।

6. सुजुकी ने पब्लिक ऑफर के लिए मारुति के शेयर मूल्य को बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे उपयुक्त कदम उठाने पर सहमति जतायी है। सुजुकी (1) अपने मामलों को विश्व स्तर पर मारुति को स्रोत बनाने (2) नए निर्यात बाजारों में पहुंच बनाने के लिए मारुति की मदद करने (3) सुजुकी द्वारा पूर्व में की गई सहमति के अनुसार कुछ उपस्करों पर मारुति को छूट देने (4) मारुति में आगे लागत में कटौती करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कार्य योजना तैयार करने (5) विश्व स्तरीय बाजार में मारुति तथा इसके उत्पादों को बढ़ावा देने तथा (6) मारुति के विनिर्माण और तकनीकी क्षमता के सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा ताकि मारुति के उत्पादों को गुणवत्ता और सागत के अनुसार अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके।

7. सुजुकी ने भारत सरकार के लगभग 36 लाख शेयरों के प्रथम पब्लिक इश्यू को खरीदने पर सहमति जताई है।

8. समझौता में 30 अप्रैल, 2004 तक भारत सरकार को अपना विकल्प देने का भी प्रावधान है। राइट इश्यू पूरा हो गया है तथा सुजुकी मोटर कारपोरेशन ने सरकार को 1000 करोड़ रुपये का नियंत्रण प्रीमियम भुगतान किया।

(ग) संशोधित संयुक्त उद्यम समझौता के अनुच्छेद 2.3.1 (ङ) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित है कि जब तक सरकार के पास प्रदत्त शेयर का 25 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं या 31 मार्च, 2003 तक (जो भी पहले हो) तब तक बोर्ड या शेयरधारकों द्वारा आम बैठक में अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुसरण में या व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर कर्मचारियों की छटनी के मामले में सरकार द्वारा नामित निदेशक के सकारात्मक मत के साथ बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सभी ठेका संबंधी मान्यताओं और/या लागू होने वाले नियमों के अनुसार होगा।

नई रेलगाड़ियों को चलाया जाना

1642. श्री के.पी. सिंह देव: क्या रेल मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल बजट में की गई घोषणा के अनुसार इस वर्ष के दौरान कितनी नई रेलगाड़ियों को चलाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) नई रेलगाड़ियां कब से चलाई जाएंगी; और

(ग) आज की तारीख में इस संबंध में क्या स्थिति है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) रेलवे बजट में, 2002-2003 के दौरान 25 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां, 16 जोड़ी जनशताब्दी गाड़ियां, 7 जोड़ी सवारी गाड़ियां तथा मेमू सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव था। इनमें से 13 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां, 4 जोड़ी जनशताब्दी एक्सप्रेस, 6 जोड़ी सवारी गाड़ियां तथा मेमू सेवाएं शुरू की गई हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बाकी सेवाएं वर्ष 2002-03 के दौरान शुरू कर दी जाएंगी।

विवरण

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ी का नाम	तारीख
1	2	3	4
1.	5631/5632	गुवाहाटी-जोधपुर/बीकानेर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	20.7.2002
2.	2983/2984	दुर्ग-जयपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	06.07.2002
3.	9169/9170	अहमदाबाद-वाराणसी एक्सप्रेस (बरास्ता इलाहाबाद) साप्ताहिक	09.07.2002
4.	8611/8612	गढ़वा रोड-हटिया एक्सप्रेस	08.06.2002
5.	6123/6124	चेन्नई एषम्बूर-त्रिवेंद्रम सेंट्रल अनंतापुरी एक्सप्रेस	30.06.2002

1	2	3	4
6.	2153/2154	हबीबगंज-लोकमान्य तिलक (टी) एक्सप्रेस (सप्ताहिक)	02.07.2002
7.	7601/7602	नानदेड़-पुणे एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)	02.07.2002
8.	5051/5052	हवड़ा-गोरखपुर एक्सप्रेस बरास्ता नरकटियागंज (साप्ताहिक)	04.7.2002
9.	2323/2324	नई दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)	02.07.2002
10.	9313/9314	इंदौर-पटना एक्सप्रेस (बरास्ता भोपाल-लखनऊ) (साप्ताहिक)	03.07.2002
11.	6505/6506	गांधीधाम-बेंगलूरु एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	11.07.2002
12.	6005/6006	विशाखापत्तनम-चेन्नई साप्ताहिक एक्सप्रेस	04.07.2002
13.	9657/9658	महु-चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस (मीटर लाइन)	01.07.2002
		जन शताब्दी	
1.	2051/2052	मडगांव-लोकमान्य तिलक (टी) जन शताब्दी	16.04.2002
2.	2065/2066	हवड़ा-माल्दा टाऊन जन शताब्दी	28.6.2002
3.	2053/2054	वाराणसी-लखनऊ जन शताब्दी	27.06.2002
4.	2063/2064	कटिहार-पटना जन शताब्दी	19.06.2002
		सवारी गाड़ियां	
1.	707/708	गुवाहाटी-न्यू बोंगाईगांव पैसेंजर (गोलपाड़ा)	01.07.2002
2.	1डी एम/2डीएम	दिल्ली-मेरठ पैसेंजर	01.07.2002
3.	1/2 पीजे	पठानकोट-जम्मूतवी पैसेंजर (सप्ताह में 6 दिन)	01.07.2002
4.	597/598	हरिहर-हुबली पैसेंजर	01.07.2002
5.	1359/1360	झांसी-बीना पैसेंजर	01.07.2002
6.	3/4 एस एम एस	सहारनपुर-शामली पैसेंजर	01.07.2002
		मेमू सेवाएं	
1.	लखनऊ सरकुलर		27.6.2002
2.	विरार-दाहानू		14.04.2002

कोचुवेलि में नया टर्मिनल

1643. श्री वी. एस. शिव कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिवेन्द्रम के पास कोचुवेलि में नए टर्मिनल के निर्माण हेतु रेलवे द्वारा कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) उक्त भूमि के मालिकों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) रेलवे का इस अधिकृत भूमि का उपयोग किस तरह करने का प्रस्ताव है; और

(घ) नए टर्मिनल के निर्माण हेतु कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) कार्य को 2002-2003 के बजट में शामिल कर लिया गया है तथा यह प्रारंभिक चरणों में है। विगत में इस कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। अधिकत्तर अपेक्षित भूमि पहले ही रेलवे के पास उपलब्ध है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नक्शों, अनुमानों आदि तैयार करने जैसे प्रारंभिक क्रियाकलाप शुरू कर दिए गए हैं।

कारगिल युद्ध के बाद घुसपैठ

1644. श्री एन. एन. कृष्णदास: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारगिल विजय के बाद नियंत्रण रेखा और सीमा पर मारे गए भारतीय सैनिकों का ब्यौरा क्या;

(ख) कारगिल युद्ध के बाद सीमा पार से हुई घुसपैठ का ब्यौरा क्या है जो जानकारी में आई है; और

(ग) कारगिल युद्ध के बाद सीमा पार के आतंकवाद को रोकने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सेना मुख्यालय में फिलहाल उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर में कारगिल विजय के पश्चात् नियंत्रण रेखा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर शत्रु की कार्रवाई के कारण हुई भारतीय सैनिकों की मौतों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

अफसर	जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	योग
10	15	202	227

कारगिल युद्ध के बाद उपलब्ध आंकड़ों के नुसार सेना तथा राष्ट्रीय राइफल ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ करने तथा बाहर जाने के 497 प्रयास विफल किए हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त सैन्य उपाय किए गए हैं। इसमें घुसपैठ को कारगर ढंग से रोकने के लिए बहुआयामी आक्रामक तरीके अपनाना तथा भीतरी प्रदेशों में प्रति छद्म युद्ध कार्रवाइयों का सह-क्रियात्मक संचालन शामिल हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्यापक गश्तों के साथ-साथ विदेशी आतंकवादियों को विशेषरूप से लक्ष्य बनाकर कार्रवाइयां भी शुरू की जा रही हैं।

जल विद्युत की संभावना

1645. श्री. जी. गंगा रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दोहन योग्य जल विद्युत की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) जल विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया था और इस संबंध में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश की सभी छः नदी प्रणालियों में अभिज्ञात की गयी परियोजनाओं की जल विद्युत शक्यता 148701 मेगावाट अनुमानित की गयी है। इस शक्यता के 16.88 प्रतिशत का दोहन कर लिया गया है, 6.14 प्रतिशत विकास की विभिन्न अवस्थाओं में है और 2.70 प्रतिशत को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

भारत सरकार ने देश में जल विद्युत विकास की गति में तेजी लाने के लिए अगस्त, 1998 में एक जल विद्युत नीति घोषित की है। के.वि.प्रा. ने छः बड़ी नदी प्रणालियों/बेसिनों को शामिल करते हुए जल विद्युत स्कीमों का प्रारंभिक अध्ययन किया है जिनमें लगभग 1,07,000 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता के लिए 399 जल विद्युत स्कीमें निहित हैं जिनका अभी विकास किया जाना है। के.वि.प्रा. देश में समस्त शक्यता का दोहन करने के लिए अब राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार कर रहा है।

(ग) 9वीं योजना के दौरान विद्युत क्षमता अभिवृद्धि संशोधित 4538.25 मेगावाट की (राज्य क्षेत्र में 3912.25 मेगावाट, केन्द्रीय क्षेत्र में 540 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 86 मेगावाट) जबकि संशोधित लक्ष्य 8399.2 मेगावाट थी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का पूंजी बाजार में प्रवेश

1646. श्री वाई.वी. राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अपनी लक्षित क्षमता को पूरा करने के उद्देश्य से संसाधन जुटाने हेतु सार्वजनिक निर्गम जारी कर पूंजी बाजार में प्रवेश की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सार्वजनिक निर्गम का आकार क्या होगा; और

(ग) जनता द्वारा खरीद के लिए इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने इक्विटी के पब्लिक इश्यू के साथ पूंजी बाजार में प्रवेश करने की संभावना तलाश करने का फैसला किया है।

जल विद्युत की संभावनाएं

1647. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में जल विद्युत की अपार संभावनाएं है;

(ख) यदि हां, तो यह संभावनाएं किस हद तक हैं;

(ग) क्या इन संभावनाओं में से केवल एक प्रतिशत का दोहन विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार की गुजरात की जल विद्युत क्षमता के दोहन की कोई योजना है और इस प्रकार राज्य को विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण ने वर्ष 1978-87 के दौरान कराए गए अध्ययन कार्यों से गुजरात में परम्परागत प्रणाली के जरिए लगभग 619 मेगावाट और पम्प स्टोरेज स्कीमों (पीएसएस) के जरिए 1440 मेगावाट मितव्ययी रूप से दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता के रूप में अभिज्ञात थी।

(ग) और (घ) उकई और उकई लैफ्ट बैंक कैनाल (305 मेगावाट) और कदाना पीएसएस (240 मेगावाट) को पहले ही विकसित किया जा चुका है। सरदार सरोवर परियोजना, जिसमें भूमिगत रिवर बेड पावर हाऊस (6×220 मेगावाट) और सर्फेस कैनाल हैड पावर हाऊस (5×50 मेगावाट) विकासाधीन है। इसके साथ ही गुजरात में अधिक मात्रा में जल विद्युत शक्यता का दोहन हो सकेगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में बिजली की समस्या

1648. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 660.32 मेगावाट (सभी राज्य क्षेत्र में) की क्षमता राजस्थान राज्य में 10वीं योजना के दौरान स्थापित करने की योजना है। परियोजना के ब्यौरे निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	सूरतगढ़-3	250
2.	रामगढ़-2	75.32
3.	कोटा-4	195
4.	मथानिया	140

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत राजस्थान राज्य को 2000-01 के दौरान 45.01 करोड़ रुपये स्वीकृति किए गए, जिसमें से राज्य द्वारा 11.96 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया गया है। 2002-03 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को 28.4 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है।

इसके अलावा राजस्थान राज्य को अपने विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के लिए 180 मिलियन अमेरिका डॉलर का विश्व बैंक का ऋण भी दिया गया है।

[अनुवाद]

अत्याधुनिक हथियारों का अभाव

1649. श्री के. ए. सांगतम: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर नागालैंड में भारतीय सेना और सुरक्षा बल अत्याधुनिक हथियारों के अभाव के कारण उग्रवादियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर नागालैंड में तैनात भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को नये और अत्याधुनिक हथियारों के स्थान पर पुराने हथियारों को ठीक करके उनकी आपूर्ति कर रही है जो उग्रवादियों पर गोलाबारी के समय उन पर गोली नहीं दाग पाते; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में लालपुर विद्युत ग्रिड का निर्माण

1650. श्री रामानन्द सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में लालपुर विद्युत ग्रिड की निर्माण लागत कितनी है;

(ख) क्या उक्त विद्युत ग्रिड अपनी स्थापित क्षमता और मानदंड के अनुरूप कार्य कर रहा है; और

(ग) उक्त विद्युत ग्रिड में 1, 2, 3 और 4 में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में पावरग्रिड के लालपुर सब-स्टेशन की निर्माण लागत 71.79 करोड़ रुपये है। 400/220 के.वी. वाले सतना सब-स्टेशन की परिकल्पना एनटीपीसी की विन्ध्याचल चरण-2 परियोजना से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली की एक भाग के रूप में की गयी थी।

(ख) जी, हां। सब-स्टेशन पावरग्रिड के मानदंडों और स्थापित क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है।

(ग) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के 42 कर्मचारी सब-स्टेशन पर कार्य कर रहे हैं जिसमें 13 कर्मचारी कार्यपालक श्रेणी में हैं, 9 पर्यवेक्षक श्रेणी में हैं और 20 कर्मचारी कामगार श्रेणी में हैं।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेल और गैस के भंडार

1651. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तेल और गैस के भण्डार पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये भण्डार कहां-कहां स्थिति हैं और उक्त भंडारों के दोहन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या एक फ्रांसीसी कंपनी ने राजस्थान में इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है और तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की संभावनाओं की ओर इशारा किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार आयल इंडिया लिमिटेड (ओ. आई. एल.) ने राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिले तथा बीकानेर-नागौर बेसिन के अंतर्गत क्रमश: 9.29 बिलियन तथा 14.6 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) (अनंतिम) भारी तेल भण्डार प्रमाणित किए हैं। ओ. आई. एल. वर्ष, 1996 से राजस्थान से गैस का उत्पादन कर रही है। तथापि, ओ.आई.एल. ने मध्य प्रदेश राज्य में गैस एवं तेल के अन्वेषण से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं किया है।

आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ. एन. जी. सी.) ने राजस्थान राज्य में स्थित अपने क्षेत्रों, नामतया, मनहेरा-टिब्बा, घोटारु, खरतार, बाखरी-टिब्बा, बंकिया तथा सादेवाला में 2.77 बिलियन घन मीटर स्थानिक गैस भण्डार प्रणाणित किए हैं। मनहेरा-टिब्बा क्षेत्र विकासाधीन है तथा वर्ष, 1994 से गैस का उत्पादन कर रहा है। अन्य गैस क्षेत्र चित्रण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। तथापि, ओ. एन. जी. सी. के द्वारा मध्य प्रदेश प्रें राज्य में कोई गैस भण्डार प्रणाणित नहीं किए गए हैं।

जहां तक निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालनों का संबंध है, राजस्थान के बाडमेर जिलान्तर्गत गांव गुदामलानी के निकट गुदा में अवस्थित दो अन्वेषी कूपों तथा गांव कोसलू के निकट संभावना "एच" के अंतर्गत आर जे-एच-1 में एक कूप में तेल की खोज की गई है। आगे, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिलान्तर्गत अन्य कूप "नानूवाला-1" में तेल लक्षणों का पता चला है। ठेकेदारों ने खोज कूप आर जे-एच-1 की समग्र संरचना को कवर करने वाला 100 वर्ग किलोमीटर त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण करने तथा भण्डारों का अनुमान करने के लिए कम से कम एक और कूप का वेधन करने की योजना बनाई है। इन खोजों का दोहन इस क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) मैसर्स सी जी जी, जो फ्रांस की एक कंपनी है, के द्वारा अर्जित भूकंपीय आंकड़ों के निर्वचन के आधार पर आयल इंडिया लिमिटेड ने इस प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में यथा उल्लिखित वेधन क्रियाकलाप आरम्भ किए थे तथा हाईड्रोकार्बन भण्डारों की विद्यमानता प्रमाणित की थी।

ओ. एन. जी. सी. ने 1960 के दशक की शुरुआत में राजस्थान राज्य के अन्वेषण के आरम्भिक चरण में फ्रांस की एक कंपनी, नामतया मैसर्स आई एफ पी के साथ संयुक्त रूप से अनवेषण किया था और मनहेरा टिब्बा क्षेत्र की खोज की थी जो अब उत्पादनरत है।

[अनुवाद]

बकाया धनराशि की अदायगी सुनिश्चित करना

1652. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार और पश्चिम बंगाल ने केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उनके राज्यों के विद्युत बोर्डों पर केन्द्रीय विद्युत इकाई राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशि की वापसी को सुनिश्चित करने के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य किसी राज्य ने भी केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ऐसे ही किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों में विद्युत की स्थिति को सुधारने में इससे किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) मोंटेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों, जिन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों के उच्च स्तरीय दल के द्वारा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया, के आधार पर भारत सरकार ने 17.04.2002 बकाया राशियों के एकमुश्त भुगतान हेतु तैयार स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया और 20.05.2002 को राज्य सरकार, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य एक संशोधित त्रिपक्षीय समझौता (टीपीए) परिचालित किया, जिस पर इनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने टीपीए पर हस्ताक्षर कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही जुलाई, 2001 में परिचालित टीपीए पर 7 जनवरी, 2002 में हस्ताक्षर कर दिये थे। किंतु इसे इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया कि संशोधित टीपीए पर हस्ताक्षर किये जाएं, जो 20.5.2002 को परिचालित किया गया था तथा अभी पश्चिम बंगाल सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) एकमुश्त भुगतान संबंधी स्कीम और टीपीए की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. स्कीम में भाग लेने वाले राज्यों के संबंध में 30.09.2001 तक विलंबित भुगतान पर 60 प्रतिशत ब्याज/अधिभार छोड़ दिया जाएगा।
2. शेष बकाया राशि जिसमें कुछ मूलधन और शेष 40 प्रतिशत ब्याज/अधिभार शामिल है, का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी बॉडों के जरिए प्रतिभूतिकरण किया जाएगा।
3. उक्त बाण्ड आरबीआई द्वारा 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से जारी किए जाएंगे और ये बॉण्ड करमुक्त होंगे। बाण्डों की संरचना इस प्रकार की होगी कि मूलधन के भुगतान में 5 वर्ष का ऋण स्थगन काल प्राप्त किया जा सके और सम्पूर्ण मूलधन को 6 से 15 वर्ष के बीच भुगतान किया जा सके। ये बॉण्ड राज्य सरकारों के बाजार ऋण के संबंध में जारी बॉण्डों के समान हों और इनके भुगतान में भी समान अनुपालन बरती जाए। ये बॉण्ड लाक-इन प्रतिबंध की शर्त पर जारी किए जाएंगे जिसके आधार पर प्रतिवर्ष गौण बाजार में बॉण्ड की केवल 10 प्रतिशत राशि निकाली जा सकेगी।
4. भविष्य में वर्तमान देयताओं का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति में कमी नहीं करने हेतु विद्युत/ईंधन तथा कोयला आपूर्ति के लिए चालू भुगतान में विलंब समाप्त करना जरूरी होगा। वे भुगातन जो बिलिंग की तारीख से 90 दिनों के बाद बकाया रह जाते हैं, उनकी वसूली वित्त मंत्रालय द्वारा सीपीएसयू के पक्ष में संबंधित राज्य सरकार को देय योजना सहायता, केन्द्रीय करों में राज्य के शेयर या किसी अन्य अनुदान या ऋण में से समायोजन कर की जाएगी।
5. विद्युत क्षेत्र के सुधार हेतु कदम उठाने के लिए रा. वि. बोर्ड/राज्य सरकार सुधार आधारित निष्पादन लक्ष्य जैसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन, वितरण फीडरों का मीटरीकरण और विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित/ हस्ताक्षर होने योग्य समझौता ज्ञापन में विनिर्दिष्ट राजस्व वसूली में सुधार प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।
6. राज्यों को स्कीम के अनुपालन के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यदि रा. वि. बोर्ड चालू बिल का भुगतान करते हैं और निष्पादन मानदण्डों का अनुपालन करते हैं तो सीपीएसयू पहले वर्ष में बोर्डों को बॉण्डों के मूल्य का 3 प्रतिशत छमाही सुधार पर नकद प्रोत्साहन के रूप में देगा। दूसरे वर्ष में 2.5 प्रतिशत देगा और तीसरे तथा चौथे वर्ष में 2 प्रतिशत प्रोत्साहन देगा, (4 वर्षों में कुल 19 प्रतिशत प्रोत्साहन)। इसके अलावा यदि बोर्ड साख-पत्र भी रखते हैं तो सीपीएसयू उन्हें बाण्डों के 2 प्रतिशत मूल्य के बराबर का एकमुश्त नकद प्रोत्साहन देगा। साथ ही सुधार शुरू करने वाले राज्यों को त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) अनुदान के अंतर्गत तथा विद्युत के विवेकपूर्ण आवंटन के जरिए मदद दी जाएगी।

7. वे राज्य, जो स्कीम के लागू होने के बाद 60 दिनों तक इस पर सहमति नहीं देते हैं उन्हें सीपीएसयू के विद्युत केन्द्रों के (15 प्रतिशत) विवेकपूर्ण आबंटन में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा और एपीडीआरपी के अंतर्गत सहयता नहीं दी जाएगी। यदि इनमें से किसी राज्य की सीपीएसयू के नाम बकाया राशि 50 करोड़ रु. से ज्यादा है, तो उस राज्य की विद्युत एवं कोयला आपूर्ति में कटौती की जाएगी, जो स्कीम में भाग लेने वाले राज्यों के लिए उपलब्ध है।

8. 30.9.2001 तक की बकाया राशि एकमुश्त भुगतान का आधार होगी इस तारीख के बाद की देय राशि स्कीम का भाग नहीं होगी। सीपीएसयू एवं राज्य पृथक रूप से बकाया राशि के भुगतान के लिए बाण्डों के आदान-प्रदान पर विचार कर सकते हैं।

9. स्कीम के अंतर्गत रा. वि. बोर्डों द्वारा विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल), कोयला विभाग के अंतर्गत कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसके सहायक कार्यालय तथा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी), परमाणु ऊर्जा विभाग और रेल मंत्रालय के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन और विद्युत मंत्रालय को बकाया राशि का भुगतान करना शामिल है।

(ग) और (घ) 12 राज्य सरकारों नामश: आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश ने टीपीए हस्ताक्षर किए हैं। 9 अन्य राज्य सरकारों नामश: बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल ने सिद्धांत रूप में टीपीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(ङ) स्कीम में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) 30.9.2001 तक सीपीएसयू को रा. वि. बोर्डों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि के 43,000 करोड़ रु. से ज्यादा की राशि होने पर भुगतान को सुगम बनाया जाए।

(2) रा. वि. बोर्डों/यूटिलिटियों के बही खाता को ऋण मुक्त कर राज्यों की सुधार प्रक्रिया में मदद करना।

(3) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के जरिए अनुदान एवं विद्युत का विवेकपूर्ण आवंटन किया जाएगा।

इन उपायों के जरिए रा. वि. बोर्डों के वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में नवीन निवेश की गुजाइश भी बढ़ेगी।

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को गैस का आबंटन

1653. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को गैस के आबंटन के लिए क्या प्रणाली अपनायी जा रही है;

(ख) क्या यह आबंटन पूरी तरह से राज्य सरकारों की सिफारिशों अथवा सरकार के विवेक पर निर्भर होता है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को गैस के आबंटन के क्या मानदंड हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) गैस आधारित संयंत्रों को गैस का आवंटन अंत: मंत्रालयीन समिति, नामश: गैस लिंकेज समिति की सिफारिशों का आधार पर किया जाता है। स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं को प्राकृतिक गैस का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश के मद्देनजर रखते हुए किया जाता है।

निजीकरण

1654 श्री पी.सी. थामस: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग के कुछ एक कार्यों के निजीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित श्रमिकों/मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, रेल मंत्रालय शाखा लाइनों से हो रही कतिपय हानि की रियायत पर विचार कर रहा है जिसमें निजी

परिचालकों के परिचालन शामिल हो सकते हैं। निबंधन एवं शर्तों को तैयार करते समय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

तेल शोधक कारखानों द्वारा पेट्रो उत्पादों की मांग

1655. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल शोधक कारखाने पट्रो उत्पादों की वर्तमान मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश में पेट्रो-उत्पादों की वास्तविक मांग कितनी है और तेल शोधक कारखानों की तेल शोधन क्षमता कितनी है; और

(ग) सरकार भारतीय तेल शोधक कारखानों की वर्तमान तेल शोधन क्षमता का संवर्धन करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिफाइनरियों की वर्तमान परिशोधन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(1) परिशोधन क्षेत्र में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों सहित निजी कंपनियों को अनुमति दे दी गई है।

(2) परिशोधन क्षेत्र के लिए 1.4.1998 से प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (ए पी एम) समाप्त कर दी गई है।

(3) 1998 से परिशोधन उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

दसवीं योजना में एफ.एम. रेडियो

1656. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दसवीं योजना के दौरान एफ.एम. रेडियो सेवा कितने प्रतिशत जनसंख्या तक अपने कार्यक्रम पहुंचा सकेगा; और

(ख) दसवीं योजना के दौरान टेली प्रसारण और प्रसारण हेतु कौन-कौन से अन्य तकनीकी उपायों की परिकल्पना की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) आकाशवाणी का 10वीं योजना के दौरान 60 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करने का प्रस्ताव है।

(ख) दसवीं योजना के दौरान इंटरनेट प्रसारण, स्थलीय/उपग्रह पद्धति में डिजीटल प्रसारण की शुरूआत, एफ एम ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार, मौजूदा एनालॉग निर्माण तथा वितरण प्रणाली का डिजीटल पद्धति में बदलने तथा कवरेज क्षेत्र में और सुधार करने जैसे उपाय शुरू किए जाने का विचार है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

मंगलौर-हासन-बंगलौर पाइपलाइन

1657. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंगलौर-हासन-बंगलौर पाइपलाइन परियोजना का कार्य किस तिथि को आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) मंगलौर-हासन-बंगलौर पाइपलाइन बिछाने का कार्य नवम्बर, 2000 में आरम्भ किया गया था।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत राशि लगभग 670 करोड़ रुपये है। 30.6.2002 तक इस परियोजना पर संचयी खर्च लगभग 520 करोड़ रुपये हुआ है।

(ग) परियोजना दिसम्बर, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक रुग्णता

1658. श्री सुरेश चन्देल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में साल-दर-साल रुग्णता बढ़ने के क्या कारण हैं;

(ख) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इन इकाइयों के कार्यकरण में सुधार लाने और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कुछेक कारणों में अधिग्रहीत केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों से विरासत में प्राप्त समस्याएं, अप्रचलित संयंत्र व मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, संसाधनों की कमी, अत्यधिक श्रमशक्ति, निम्न क्षमता उपयोग, तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाने की अक्षमता, प्रबन्धन सम्बन्धी समस्याएं आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धन द्वारा उद्यम-सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। इस संबंध में किए गए कुछ सामान्य उपायों में निरन्तर घाटा के कारण निवल परिसम्पत्ति ऋणात्मक बना लेने वाले केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार की योजनाएं बनाने हेतु उन्हें बी.आई.एफ.आर. को सौंपना, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा करना, व्यापारिक एवं वित्तीय पुनर्गठन करना, संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना, नया पूंजीनिवेश करना, प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, बेहतर विपणन रणनीतियां बनाना, लागत नियंत्रण के उपाय करना, निदेशक मण्डलों को व्यावसायिक बनाना आदि शामिल हैं।

विदेशी नागरिक

1659. प्रो. दुखा भगत: क्या **रक्षा मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक अवैध रूप से प्रवेश कर गये हैं और यहीं बस गये;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय गृह मंत्रालय से ऐसा सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) द्वारा धन जुटाना

1660. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम लिमिटेड की आई. पी. ओ. (इनिशियल पब्लिक आफर) के माध्यम से बाजार से धन जुटाने की योजना के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे सरकार को किस प्रकार के लाभ मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई. ओ. सी.) ने कम्पनी की विद्यमान प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक के नए समांशता शेयरों के निर्गम की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम से संभावित लाभ इंडियन आयल कारपोरेशन को निधि जुटाने के रूप में प्रोद्भूत होंगे, साथ ही दीर्घावधि में इससे शेयरधारकों के लिए मूल्य वृद्धि किए जाने की आशा है।

केबल प्रभार को बढ़ाया जाना

1661. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री सईदुज्जमा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर महानगरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में केबल आपरेटरों ने एक कार्टेल बना लिया है और वे मई 2002 से लगभग 360 रुपये का अत्यधिक किराया वसूल कर केबल उपभोक्ताओं को परेशान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केबल आपरेटरों को मासिक किराये को उचित सीमा में लाने के निर्देश देने के लिए क्या कार्रवाई की गयी/करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली के केबल उपभोक्ताओं में मासिक प्रभार में भारी वृद्धि के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) सरकार को केबल शुल्क दरों में मनमाने ढंग से और बारंबार वृद्धि किए जाने के संबंध में ग्राहकों, आवासीय कल्याण संस्थाओं तथा जनप्रतिनिधियों से शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में दिल्ली के ग्राहकों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा सरकार शुल्क दरों को विनियंत्रित कर सके। इसलिए सरकार ने संबोधन प्रणाली के जरिए अनिवार्य रूप से पे-चैनल दिखाने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक को दिनांक 15 मई, 2002 को लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इस विधान से उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के चैनल देखने व उनकी अदायगी करने में मदद मिलेगी।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक इकाईयां बन्द किया जाना

1662. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कितनी औद्योगिक इकाईयां बन्द की गईं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने औद्योगिक मजदूर प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य उद्यम को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उपक्रमवार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रम, टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की टांगरा इकाई और पश्चिम बंगाल में स्थिति भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन घाटा उठाने वाली बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की रिफैक्टरी इकाई को बन्द कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों/इकाईयों के बन्द होने से 4753 औद्योगिक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।

(ग) और (घ) भारत ब्रेकर्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड (बी. बी. वी. एल.) और रेरॉल बर्न लिमिटेड (आर. बी. एल.) के सभी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का विकल्प दे दिया है और कम्पनी छोड़ दी है। ये दोनों इकाइयां औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) के अधीन हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने आर.बी.एल. को बन्द करने की पुष्टि की है, बी. बी. वी. के सम्बन्ध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने बन्द करने का नोटिस जारी किया है।

कर्नाटक में रेल मार्गों के बीच मिसिंग लिंक को जोड़ने संबंधी परियोजना

1663. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में रेल मार्गों के बीच मिसिंग लिंक को जोड़ने के संबंध में सर्वेक्षण कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक में रेल मार्गों के मिसिंग लिंक को जोड़ने संबंधी निर्माण कार्य के कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) यातायात की दृष्टि से उपरी तौर पर कोई लापता योजक (मिसिंग लिंक) नहीं है। बहरहाल, शिमोगा-तालगुप्पा का होनावर और बिसानत्तम को मारीकुप्पम से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण किए जा चुके हैं।

(ख) (1) तालगुप्पा-होनावर (82 कि.मी.) 1998-99 में किए गए सर्वेक्षेण के अनुसार इस लाइन के निर्माण की लागत (-)2.79 प्रतिफल दर के साथ 411.91 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी।

(2) बिसानत्तम-मारीकुप्पम (12.5 कि.मी.)-सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर के साथ 31.71 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी।

(ग) अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं के भारी बकाया और संसाधनों की तंगी के कारण इन परियोजनाओं को शुरू करना व्यवहारिक नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

भारतीय तेल निगम द्वारा पूंजी निवेश

1664. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम (इंडियन आयल कारपोरेशन) पेट्रोलियम के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रकों में भी अपनी गतिविधियां आरम्भ करने की किसी कार्ययोजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय तेल निगम की किसी योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष पूंजी निवेश करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई. ओ.सी.) ने विद्युत क्षेत्र तथा पेट्रो-रसायन क्षेत्र में विपथन करने के लिए निर्णय लिया है। इस संबंध में, आई ओ. सी. ने पानीपत, हरियाणा में एक विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए मैसर्स मेरुबेनी कारपोरेशन, जापान के साथ ''इंडियन आयल पानीपत पावर कन्सोर्टियम लिमिटेड'' नामक एक संयुक्त उद्यम तैयार किया है। मूल्य बर्द्धन/लाभप्रदता को सुधारने हेतु शोधन तरीकों के लिए एकीकरण के रूप में पेट्रो-रसायन परियोजना स्थापित करने के संबंध में भी इस कंपनी की योजनायें हैं।

(ग) और (घ) सरकार के पास इंडियन आयल कारपोरेशन की किसी परियोजना के विषय में सापेक्ष पूंजी निवेश करने की कोई योजना नहीं है।

रेलवे स्टेशनों पर आई.एस.आई मार्क वाले भारतीय उत्पादों की बिक्री रुकना

1665. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे-स्टेशनों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के बेचे जाने की वजह से आई.एस.आई. मार्क वाले भारतीय उत्पादों की बिक्री प्राय: थम सी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के लघु उद्योगों में कार्यरत लोगों की आजीविका सुरक्षित रखने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुन: विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में विधिक समुदाय की प्रतिक्रिया

1666. श्री सुरेश कुरुप: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि उच्च न्यायालयों में संबंधित राज्यों से बाहर के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर विधिक समुदाय में काफी असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का किसी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की पूर्व परंपरा को बहाल रखने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) एक मत यह व्यक्त किया गया है कि राज्यों के बाहर से मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करने की नीति फायदेमंद नहीं रही है और सामान्यतया मुख्य न्यायमूर्ति राज्य के बाहर से नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल पुल का ध्वस्त हो जाना

1667. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई के निकट बैसई में रेल-पुल के ध्वस्त होने जाने के कारण पश्चिम रेल का यातायात 15 दिनों तक बाधित रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे रेलवे को कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) पालघर और बोइसर के बीच मुम्बई के समीप रेलवे पुल के टूटने के कारण 26.6.2002 से 9.7.2002 के दौरान पश्चिम रेलवे के विरार-सूरत खण्ड पर यातायात अवरुद्ध रहा। पश्चिम रेलवे में प्रभावित रेल सेवाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पूर्णतया रद्द—190 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां तथा 366 पैसेंजर गाड़ियां

अंशत: रद्द—181 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां तथा 29 पैसेंजर गाड़ियां

मार्ग परिवर्तन—153 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां।

रेलवे को हुई हानि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

पश्चिम रेलवे:

1. पालघर और बोइसर के बीच किमी. 99/24-26 पर आर्कपुल सं. 144 (3×12.2 मी.) ढह गया था।
2. पुल सं. 203 की विंग दीवार गिर गई।
3. पुल सं. 223 की स्पैंड्रल दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी।
4. विरार-सूरत खंड पर केल्वे रोड़ और संजन स्टेशनों के बीच दो स्थानों पर हल्की दरारें आ गई।
5. मुम्बई क्षेत्र में प्वाइंट मशीन, रेलपथ परिपथन उपस्कर और सिगलिंग केबल जैसे सिगनलिंग उपस्कर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अतिरिक्त, आर्क पुल सं. 144, जो ढह गया था, के निकट ओ एफ. सी केबल और सहायक उपस्कर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे।
6. शिरोपरि बिजली कर्षण उपस्कर को भी मामूली क्षति पहुंची थी।

मध्य रेलवे:

1. रेलपथों से गिट्टी/मिट्टी बह जाने के कारण कल्याण-लोनावाला खण्ड पर 59/3-8 (अप और डाउन लाइन), किमी. 62/13-14 (अप और डाउन लाइन) और किमी. 68/17-18 (डाउन लाइन) और कल्याण-कल्याण-इगतपुरी खण्ड पर किमी. 78/10-3 (अप लाइन) को मामूली क्षति पहुंची है।
2. कल्याण और अम्बरनाथ स्टेशनों पर प्वाइंट मशीन और इम्पैडेंस बांड भी क्षतिग्रस्त हो गए थे।

(ग) जी नहीं, प्राकृतिक आपदा के कारण व्यवधान हुआ था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सुरक्षा समितियों पर आतंकियों का हमला

1668. श्री नरेश पुगलिया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी जम्मू और कश्मीर के जम्मू और उधमपुर क्षेत्रों के अलग-थलग पड़े गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों को निशाना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना ने यह सिफारिश की है कि ग्राम सुरक्षा समितियों को भी आधुनिक स्वचालित हथियार दिये जाएं चूंकि आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां। जम्मू तथा कश्मीर राज्य द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार इस वर्ष में 30 जून 2002 तक ग्राम सुरक्षा समिति के 15 सदस्य मारे गए हैं।

(ग) और (घ) सेना ने ग्राम सुरक्षा समितियों को परीक्षण आधार पर स्वयं भर राइफलें देने की सिफारिश की थी। जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार ने संक्रियात्मक और सुरक्षा संबंधी कारणों से ग्राम सुरक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य को स्वाचालित हथियारों से लैस करने को उचित नहीं माना है। तथापि, प्रत्येक ग्राम सुरक्षा समिति के साथ जुड़े तीन विशेष पुलिस अफसरों को अर्द्ध-स्वचालित हथियार आदि उपलब्ध करवाए गए हैं।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1669. श्री वाई. जी. महाजन:
श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री शिवाजी माने:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान देश के रेलवे-स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यवरार और रेलवे-स्टेशनवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इन रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का रेलवे-स्टेशनवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या विगत वर्ष के दौरान रेलवे-स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु शुरू किया गया कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे रेलवे-स्टेशनों के संबंध में ब्यौरा क्या है और उन पर अभी तक कितनी व्यय किया गया है; और

(ङ) इन रेलवे-स्टेशनों पर इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) भारतीय रेलों पर 7000 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं। इन रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है और जहां कहीं आवश्यक होता है उसे प्रत्येक वर्ष हालातों के आधार पर किया जाता है। ''यात्री सुविधाएं'' योजना शीर्ष के अंतर्गत जोनवार व स्टेशनवार आबंटन तथा चालू प्रमुख आधुनिकीकरण कार्य 50 लाख रु. से अधिक लागत वाले कार्य तथा उन पर अब तक हुआ व्यय से संबंधित जानकारी तथा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर चालू वर्ष के लिए अनुमोदित नए कार्यों को संसद में अन्य रेल बजट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत निर्माण, मशीनरी तथा चल स्टाफ कार्यक्रम भाग-2 में शामिल किया जाता है।

यद्यपि, ऊपर दर्शाए गए प्रमुख आधुनिकीकरण कार्यों की सूची मौजूद है, 50 लाख रु. से कम लागत वाले प्रत्येक यात्री सुविधाएं संबंधी कार्यों के लिए संबंधित क्षेतीय रेलों को एकमुश्त आबंटन मुहैया कराया जाता है जो कि उपलब्ध कुल राशि, कार्य की प्रगति तथा इनकी पस्पर प्राथमिकताओं के मद्देनजर नए कार्यों को शुरू करने की आवश्यकता पर निर्भर करता है इसके अलावा, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन तथा यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था कराते सयम जहां कहीं जरूरी होता है, स्टेशनों में सुधार किया जाता है। वार्षिक मरम्मत और रखरखाव के दौरान भी कुछ सुधार किए जाते हैं।

मौजूदा वित्तीय वर्ष अर्थात् 2002-2003 के दौरान, ''यात्री सुविधाएं'' योजना शीर्ष के अंतर्गत 200 करोड़ रू. का आबंटन किया गया है। एकमुश्त अनुदान के अंतर्गत आबंटित धनराशि तथा आबंटित कुल धनराशि जोनवार नीचे दी गई है: (राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं)

क्र.सं.	रेलवे	50 लाख रु. से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए निधियां	50 लाख रु. से कम लागत वाले कार्यों के लिए निधियां	कुल निधियां
1.	मध्य	133864	106230	240094
2.	पूर्व	136602	204194	340796
3.	उत्तर	116243	119679	235922
4.	पूर्वोत्तर	13625	184875	198500
5.	पूर्वोत्तर सीमा	75518	121258	196776
6.	दक्षिण	57114	112886	170000
7.	दक्षिण मध्य	33323	124377	157700
8.	दक्षिण पूर्व	58330	140430	198760
9.	पश्चिम	108497	126805	235302
10.	मैट्रो	19212	6938	26150
	कुल	752328	1247672	2000000

[अनुवाद]

वैगनों की आपूर्ति

1670. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेल के अन्तर्गत आने वाले उन रेलवे-स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनके लिए पिछले दो वर्षों के दौरान मांग-पत्र के जरिए वैगन मंगाने की आज्ञा दी गयी और गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के प्रत्येक रेलवे-स्टेशन द्वारा मांग-पत्र के जरिये कितने वैगन मंगाने की आज्ञा दी गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक रेलवे-स्टेशन को कितने-कितने वैगनों की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या रेलवे, गुजरात की विभिन्न एसोसिएशनों द्वारा वैगनों के संबंध में रखी गई मांग की पूर्ति करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी मांग की पूर्ति करने के लिए पश्चिम रेल द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं। परिचालनिक सीमा के तहत रेलवे माल डिब्बों की मांग को पूरा करने में समर्थ रही।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) और (ख) ब्यौरे नीचे गए हैं:-

(चौपहिया इकाइयों में)

स्टेशन	वर्ष	*दिया गया मांग-पत्र	लदान
1	2	3	4
खरी रोहर रोड	2000-2001	18295	18029
	2001-2002	9187	9096.5
गांधीधाम जंक्शन	2000-2001	52892	38247
	2001-2002	41399.5	35044
चिराई	2000-2001	35875	25044
	2001-2002	31745	24597.5
भीमसार	2000-2001	25185	24480
	2001-2002	30375	27297.5
समख्याली जंक्शन (ब.ला.)	2000-2001	400	400
	2001-2002	6100	4142.5
(ओनला) साइडिंग	2000-2001	70365.5	68002.5
	2001-2002	84115	83430
कांलदा	2000-2001	10450.5	10232.5
	2001-2002	10593.5	16208.5

1	2	3	4
मुन्दरा पोर्ट	2000-2001	0	0
	2001-2002	15792.5	15490
न्यू भुज	2000-2001	0	0
	2001-2002	72.5	72.5
कोडीनार	200-2001	2472	2472
	2001-2002	1320	1048
प्राची रोड जंक्शन	2000-2001	2316	2314
	2001-2002	6648	6528
राजूला जंक्शन	2000-2001	2304	2304
	2001-2002	0	0
भावनगर कंक्रीट जेट्टी	2001-2001	9102	8808
	2001-2002	10070	9782
भावनगर टिंबर डिपो	2000-2001	1992	1722
पब्लिक साइडिंग	2001-2002	6186	5614
भावनगर टर्मिनस	2000-2001	336168	
	2001-2002	5656	1288
महुवा जंक्शन	200-2001	3920	3998
	2001-2002	3192	1700
डूंगर जंक्शन	2000-2001	560	168
	2001-2002	1120	336
वेरावल	2000-2001	660	660
	2001-2002	368	368
ध्रागंधरा जंक्शन	2000-2001	5448	5448
	2001-2002	5112	5052

1	2	3	4
पोरबंदर	2000-2001	3237.5	3040
	2001-2002	3897.5	2677.5
भनवाड़	2000-2001	1240	1152.5
	2001-2002	440	97.5
रानावाव	2000-2001	20360	19339
	2001-2002	4580	4427.5
मीठापुर	2000-2001	11350	10710
	2001-2002	24930	23130
सिक्का	2000-2001	4050	3870
	2001-2002	5250	4950
मोतीखावडी	2000-2001	17290	16380
	2001-2002	21510	20520
केनालस जंक्शन	2000-2001	78600	75720
	2001-2002	85880	84600
वाइंड मिल	2000-2001	1750	1350
	2001-2002	10880	6300
हापा	2000-2001	1660	1440
	2001-2002	1550	1350
राजकोट	2000-2001	2350	2070
	2001-2002	2720	1620
नवलखी	2000-2001	49735	48140
	2001-2002	54855	53215
ववानिया	2000-2001	3600	3200
	2001-2002	4800	4100
लावनपुर	2000-2001	3800	3400
	2001-2002	5400	4200

1	2	3	4
वांकानेर जंक्शन	2000-2001	1500	1400
	2001-2002	1500	1400
थान	2000-2001	2400	2300
	2001-2002	3800	3600
सुरेन्द्र नगर जंक्शन	2000-2001	1260	1170
	2001-2002	2500	2300

*निरस्त मांगपत्र भी शामिल हैं।

ट्रांसपोर्टरों को मुआवजा

1671. सरदार सिमरनजीत सिंह मान: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन ट्रांसपोर्टरों को अनुबंधानुसार देय राशि का भुगतान कर दिया था जिनके वाहन हथियारों को लाने-ले जाने के लिए किराये पर लिये गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन ट्रांसपोर्टरों को मुआवजा दिया था जिनके वाहन जनवरी, 2002 में बीकानेर शस्त्रागार डिपो में हुए विस्फोट से नष्ट हो गए थे;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक वाहन के लिए ट्रांसपोर्टरों को कितना मुआवजा प्रदान किया गया;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ट्रांसपोर्टरों को मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जी, हां। संक्रिया 'पराक्रम' के आरंभ होने के बाद से गोलाबारूद एवं अन्य मदों की ढुलाई करने के लिए काफी संख्या में ट्रक भाड़े पर लिए गए हैं। ट्रांसपोर्टरों को नियमित आधार पर संविदागत बकायों का भुगतान किया जा रहा है। गोलाबारूद की ढुलाई करने के लिए कई स्थानों/यूनिटों से ट्रक किराए पर लिए जाते हैं तथा किए गए भुगतान का रिकार्ड उन्हीं यूनिटों द्वारा रखा जा रहा है। किए गए भुगतान का केन्द्रीय तौर पर कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

(घ) से (छ) 11 जनवरी, 2002 को बीकानेर के उप गोलाबारूद डिपो के समीप हुई दुर्घटना में क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गए 161 ट्रकों के लिए भुगतान किए गए मुआवजे संबंधी मामले की विशेष रूप से जांच करने के लिए पश्चिमी कमान द्वारा अधिकारियों के एक बोर्ड का गठन किया गया है। अधिकारियों के बोर्ड की रिपोर्ट पूरा होने के अंतिम चरण में हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुए 161 ट्रकों के मामले में प्रत्येक ट्रक के लिए प्रति दिन 1500 रुपए की दर से संविदागत बकायों का भुगतान किया गया है।

कम्प्यूटरों और फोटोकॉपियर मशीनों की खरीद

1672. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सैन्य सेवा संगठनों और सेना मुख्यालयों द्वारा कुल कितने कम्प्यूटरों और फोटोकॉपियर मशीनों की खरीद की गई, तथा इनमें से प्रत्येक के मॉडल, ब्रांड तथा मूल्य के संबंध में ब्यौरा क्या है और इनकी खरीद कहां से की गई;

(ख) क्या कम्प्यूटर और फोटोकॉपियर मशीनें 'लेखन सामग्री' व 'अन्य मदें' की कोटि में नहीं आतीं और इनकी खरीद जी.एफ.आर 102(1) तथा उसके परिशिष्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत की जानी होती है, जिनके अनुसार इसके लिए खुली निविदा, अर्थात, सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए निवदिाएं आमंत्रित की जानी चाहिएं जब कि अनुमानित मांग मूल्य 50,000 रु. तथा इससे अधिक हो, जैसा कि व्यय विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 8(4)-ई, II (ए)/98, दिनांक 17.12.1998 (प्रतिसंलग्न) में इस बात पर जोर देकर कहा है; और

(ग) यदि हां, तो जी.एफ.आर. के प्रावधानों तथा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुदेशों की अवहेलना किये जाने के क्या कारण हैं और इस विषय में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जोनल रेल मुख्यालयों का स्थान परिवर्तन

1673. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने कुछ वर्तमान जोनल रेल मुख्यालयों, विशेषकर पश्चिम रेल-मुख्यालयों का स्थान-परिवर्तन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आर्य नगर वायु सेना अड्डे में घुसपैठ

1674. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2 जून, 2002 को दक्षिणी दिल्ली में आर्यनगर स्थिति भारतीय वायुसेना अड्डे में तीन सशस्त्र व्यक्तियों के प्रवेश करते हुए पाये जाने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो घुसपैठ करने वाले कौन थे;

(ग) क्या इस संबंध में जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम रहा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) जी, हां। 2 जून 2002 की रात को संभवत: चार सशस्त्र व्यक्तियों को वायुसेना स्टेशन, आर्यनगर में घुसपैठ करते हुए देखा गया था। तथापि, चप्पे-चप्पे की तलाशी लिए जाने के बावजूद तथाकथित घुसपैठियों को पकड़ा नहीं जा सका। सिविल पुलिस तथा भारतीय वायुसेना द्वारा की गई संयुक्त जांच से यह निष्कर्ष निकला है कि सूचना संभवत: प्रामाणिक नहीं थी और कोई घुसपैठ नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का लाभ/घाटा

1675. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में, झारखंड के हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की क्रियादेश-पुस्तिका (आर्डर बुक) है, की स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के लाभ/घाटे संबंधी लेखे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को कितनी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है; और

(घ) इसके घाटे को कम करने तथा इसे लाभार्जक बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) आज की तारीख तक एचईसी की क्रयादेश की स्थिति 105 करोड़ रुपये (लगभग) हैं।

(ख) एचईसी द्वारा विगत वर्षों के दौरान उठायी गई हानियां निम्नानुसार है।

(लाख रुपये में)

1999-2000	2000-2001	2001-2002
5702	18807	12810

(ग) सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान एचईसी को योजना/गैर-योजना ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता तथा अनुदान सहायता निम्नानुसार मुहैया कराई है:-

(लाख रुपये में)

1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
6472	10736	13757	30965

(घ) कंपनी द्वारा अपने क्रयादेश की स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों में पुन: बेहतर बनाने, वार्षिक फावड़ों और मशीनों और औजारों के वार्षिक रखरखाव का ठेका जैसे

व्यवसाय के नये क्षेत्रों में प्रवेश, वीआएस के जरिये कामगारों का युक्तिकरण, टाउनशिप केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सामाजिक उपरिव्यय, विद्युत लागतों में कटौती तथा बिक्री योग्य परिसम्पत्तियों से निधियों के सृजन में वृद्धि करना शामिल है।

[अनुवाद]

दलबदल कानून में परिवर्तन

1676. श्रीमती कांति सिंह: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान देश भर में राज्य सरकारों को गिराने की मंशा से दलबदल करने की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत एक वर्ष के दौरान इस प्रकार के हुए दलबदल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह प्रावधान रखकर दलबदल कानून को और सख्त करने का है ताकि कोई भी निर्धारित जनप्रतिनिधि या तो निर्वाचन पश्चात् अपने दल में बना रहे अथवा यदि बीच में दलबदल करे तो उसे अनर्ह घोषित कर दिया जाए?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोल में मिलावट

1677. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोतर क्षेत्र, विशेषकर मणीपुर राज्य, में पेट्रोल में की जा रही भारी मिलावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस प्रकार की हरकत को रोकने के लिए वर्तमान में क्या प्रणाली अपनाई जाती है;

(घ) क्या पेट्रोल-पम्पों और खुदरा बिक्रय-केन्द्रों पर नियमित रूप से जांच की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसी हरकत करते हुए पाये जाने पर खुदरा विक्रय-अधिकार निरस्त करने का कोई मामला हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार को ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) तेल विपणन कंपनियों द्वारा पी डी एस मिट्टी तेल को नीला रंगने, खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवधिक निरीक्षण, टैंकर ट्रकों के लिए छेड़छाड़ अवरोधी ताला पद्धति लागू करने, विशेष सतर्कता अभियानों आदि जैसे उपाय किए जा रहे हैं। कंपनियों द्वारा दोषी डीलरों के विरुद्ध विपणन दिशानिर्देशों और/ अथवा डीलरशिप करार के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है। 'मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य का निर्धारण) आदेश, 1993'' के उपबंधों के अतंर्गत भी तेल कंपनियां और राज्य सरकारें ऐसे किसी डीलर के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर सकती हैं जो मिलावट और अनुमत प्रयोजनों से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए सार्वजनिक वितरण के मिट्टी तेल का दुरुपयोग करने में लिप्त पाया जाए।

(ङ) और (च) पिछले कुछ वर्षों के दौरान कदाचारों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र के निरसन का कोई मामला नहीं हुआ है। तथापि, मैसर्स ब्रह्मा फिलिंग स्टेशन, गोसाईगांव, जिला कोकराझार (असम) की बिक्री और आपूर्तियां एच. एस. डी. के नमूने दोषपूर्ण पाए जाने के कारण 7.8.2000 से 45 दिन के लिए निलंबित की गई ती।

महानगरों में खुदरा बिक्री-केन्द्र

1678. श्री राजैया मल्याला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च मूल्य के पेट्रोल हेतु महानगरों और हैदराबाद तथा बंगलौर में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की प्रमुख बाजारों में पेट्रोल का एक प्रीमियम ग्रेड शुरू करने की योजनाएं हैं। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई में इसकी बिक्री 25 खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पहले ही आरम्भ कर दी है।

[हिन्दी]

"हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड" तथा "सांभर साल्ट लिमिटेड" में उत्पादन

1679. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक "हिन्दुस्तन साल्ट लिमिटेड" तथा "सांभर साल्ट लिमिटेड" का वर्षवार वार्षिक उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान "हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड" तथा "सांभर साल्ट लिमिटेड" को घाटा हुआ;

(ग) यदि हां, तो इन उपक्रमों के घाटे में चलने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन इकाइयों को लाभमय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इन सरकारी उपक्रमों का स्वामित्व स्वयं अपने हाथ में लेने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) उत्पादन:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	एचएसएल	एसएसएल
1999-2000	381.53	516.57
2000-2001	510.39	382.57
2001-2002 (प्रोविजनल)	524.00	807.00

(ख) जी, हां।

(ग) एचएसएल/एसएसएल में हानियों के कारण में सांभर झील जो नमक के उत्पादन के लिए खारा पानी (ब्राइन) का मुख्य स्रोत है, में जल का अपर्याप्त बहाव, सांभर से नमक का प्रमुख ग्राहक क्लोर-एल्कलाई उद्योग में गिरावट का होना, नमक उद्योग में मंदी, वेतन एवं मजदूरी में सांविधिक वृद्धि, उच्च ब्याज भार, निम्न उत्पादन स्तर तथा रिफाइनिंग सुविधाओं की कमी का होना रहा है।

भारत सरकार कम्पनी के निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसे बजटीय सहायता मुहैया करा रही है। ऊपरी खर्च में कमी लाने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति में कटौती करने हेतु कम्पनी को वीआरएस के तहत भी निधियां दी जा रही हैं। एचएसएल तथा एसएसएल दोनों को इनका निवल मूल्य के समाप्त होने पर बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया है। बीआईएफआर ने एचएसएल को रुग्ण घोषित कर दिया है तथा एचएसएल के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए आईडीबीआई को ऑपरेटिंग एजेंसी और एसएसएल को विनिवेश मंत्रालय को भी एक संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने हेतु संदर्भित किया गया है जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने के लिए आवश्यक निवेश प्रदान करेगा। इन कम्पनियों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश के लिए एक अन्तर्मंत्रालयीय समूह का गठन किया गया है।

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार ने सांभर साल्ट लिमिटेड के क्षेत्र का लीज पुनर्हस्तान्तरित करने के लिए भारत सरकार ने अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर सहमति नहीं हुई क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि यह हस्तांतरण कम्पनी के समग्र हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

फ्री-टू-एयर चैनलों के लिए शुल्क

1680. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती प्रभा राव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसारणकर्ता और केबल आपरेटरों के प्रतिनिधियों ने अंशदाताओं से फ्री-टू-एयर चैनलों के लिए शुल्क लेने के लिए एक ढांचा तय करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) वर्तमान में शुल्क दरों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने हेतु सरकार के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इस मंत्रालय को ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

कुटुंब-न्यायालयों में कार्यरत परामर्शदाताओं का पारिश्रमिक

1681. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुटुंब न्यायालयों में कार्यरत परामर्शदाताओं की अर्हता, कार्यकाल, नियुक्ति की प्रक्रिया और पारिश्रमिक के संबंध में राज्यों के नियमों में कोई एकरूपता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कुटुंब न्यायालयों में कार्यरत परामर्शदाताओं की शैक्षिक अर्हता कार्यकाल तथा पारिश्रमिक के संबंध में सभी राज्यों के नियमों में एकरूपता रहे?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अनुसार, परामर्शदाताओं की अर्हता, पदावधि, नियुक्ति की पद्धति और उनकों संदत्त पारिश्रमिक के संबंध में नियम, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। विभिन्नता का मुख्य कारण स्थानीय दशाएं हो सकती हैं। चूंकि कुटुम्ब न्यायालय, विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न समयों पर गठित किए गए हैं, इस बात की संभावना है कि पारिश्रमिक आदि, राज्य में उस समय विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय किए गए हों।

महिला सशक्तिकरण संसदीय समिति द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के कार्यकरण पर अपनी पांचवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 23 के अधीन न्याय विभाग द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि थे, आदर्श नियम बनाए गए थे। ये आदर्श नियम, अब सभी राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को मार्गदर्शन के लिए परिचालित कर दिए गए हैं, जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ, परामर्शदाताओं की शैक्षिक अर्हता, पदावधि और उनको संदत्त पारिश्रमिक आदि के विषय में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल-सह-सड़क उपरिपुल

1682. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.35 किलोमीटर लंबे अनुमानित रेल-सह-सड़क पुल के मूल प्रारूप की बहाली के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लागत अन्तर के साथ संशोधित परियोजना के अन्तर्गत अनुमानित पुल का मूल प्रारूप और उसमें किये गये परिवर्तन क्या हैं; और

(ग) इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण रिपोर्ट और प्रारंभिक अभिकल्प के अनुसार, दोहरी लाइन वाले रेल पथ सहित दो लाइन वाले, सड़क यातायात वाले पुल का प्रस्ताव था। बहरहाल, हल्के रेल यातायात के दृष्टिगत, इकहरी लाइन वाले रेलपथ की व्यवस्था करने का प्रस्ताव था। मोटे अनुमान के अनुसार, दोहरी लाइन वाले पुल की तुलना में इकहरी लाइन वाले पुल की लागत लगभग 15-20 प्रतिशत कम है।

(ग) मांगों के आधार पर, इसे अब मूलरूप से यथा प्रस्तावित दोहरी रेल लाइन वाले रेल पथ के लिए निर्माण करने का विनिश्चय किया गया है।

मितव्ययिता उपाय

1683. श्री रामदास आठवले: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा विभिन मदों में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार एस.टी.डी., आई.एस.डी., बिलों, बिजली बिल विशेषकर एयर कंडीशनर, कूलर और ऐसे अन्य व्ययों समेत प्रचार, विज्ञापन, मनोरंजन, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, सम्मेलनों, देश के भीतर और विदेशों की यात्रा पर हुए व्यय को कम करने हेतु कोई मितव्ययिता अभियान शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री. एम. कन्नप्पन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार समय-समय पर सरकारी खर्च में कमी करने के लिए मितव्ययिता संबंधी निर्देश जारी करती रहती है जिसका अनुपालन कर्त्तव्यनिष्ठा से किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए व्यय का विवरण

(हजार रु. में)

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	1999-2000 के लिए व्यय	2000-01 के लिए व्यय	2001-02 के लिए व्यय
1.	आईआरईपी प्रभाग	62954	49141	48154
2.	बायोऊर्जा	949276	794631	803778
3.	सौर ऊर्जा	517580	497032	758690
4.	पवन ऊर्जा	101168	92368	103758
5.	उन्नत चूल्हा	197625	171450	128641
6.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट	49062	49998	143493
7.	नई प्रौद्योगिकी	28977	39789	50909
8.	लघु पनबिजली	182247	167788	220417
9.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	8233	9575	5317
10.	अन्य प्रशासनिक व्यय	24297	35557	49303
11.	टाइफैड	11800	12508	15000
12.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन परियोजना	10000	12500	44990
13.	इरेडा को अनुदान	50706	8945	36027
14.	अन्य	–	313024	573712
15.	निवेश	420000	270000	270000
16.	इरेडा को ऋण	461900	85000	1687000
17.	सचिवालय व्यय (योजना)	37993	41303	41973
18.	सचिवालय व्यय (गैर-योजना)	47369	48494	47789
	कुल	3161187	3459103	5028951

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल उद्योग

1684. श्री ए. नरेन्द्रः क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में और ऑटोमोबाइल उद्योग शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में ऑटोमोबाइल उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने जरूरी अनुमति और नये ऑटोमोबाइल उद्योग शुरू करने हेतु भूमि देने के लिए राज्यों हेतु कोई मानक मानदंड निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में वर्तमान में कौन से ऑटोमोबाइल उद्योग चल रहे हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, राज्यवार और इकाइवार इनका कार्य-निष्पादन, उत्पादन और बिक्री कितनी थी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) ऑटोमोबाईल उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र में ऐसा कोई यूनिट आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) कैलेन्डर वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के लिए उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी के अनुसार, राज्यवार उत्पादन नहीं दर्शाया जा सकता क्योंकि विभिन्न राज्यों में वाहन उत्पादन यूनिट नहीं है। लेकिन, बिक्री से संबंधित आंकड़े वर्ष-वार, राज्यवार तथा इकाईवार दिये जा सकते हैं। अत: जैसाकि, प्रश्न के भाग (ङ) में जानकारी मांगी गई है, दो सारणी में दी गई हैं। सारणी ''क'' में वाहनों का वर्ष-वार और इकाई-वार उत्पादन किया गया है तथा सारणी ''ख'' में बिक्री के आंकड़े वर्ष-वार व, इकाई-वार तथा राज्य-वार दिए गए हैं।

सारणी-क

वाहनों का उत्पादन

क्र.सं.	इकाई का नाम	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
I.	**यात्री कारों का उत्पादन (संख्या में)**			
1.	फियेट इंडिया ऑटोमोबाइल लिमिटेड	8,090	19,165	0
2.	जनरल मोटर इंडिया लि.	3,279	2,388	7,311
3.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	20,322	23,306	26,881
4.	हिन्डुई मोटर इंडिया लि.	8,676	58,660	84,578
5.	मारूति उद्योग लि.	335,759	385,699	342,854
6.	मर्सिडीज बेंज इंडिया लि.	1,355	414	752
7.	पाल पेवगोट लि.	613	32	0
8.	प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लि.	3,494	329	0
9.	टेल्को	2,210	40,031	51,809

1	2	3	4	5
10.	होन्डा सील कार्स (इंडिया) लि.	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11.	डेवू मोटर्स (इंडिया) लि.	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12.	फोर्ड इंडिया लि.	0	0	उपलब्ध नहीं
II.	**बहुउपयोगी वाहनों का उत्पादन (संख्या में)**			
1.	बजाय टैंपो लि.	5,762	5,560	5,645
2.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	3,168	2,421	2,539
3.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.	66,432	69,265	60,670
4.	मारूति उद्योग लि.	7,589	8,138	5,811
5.	टेल्को	31,618	30,797	31,435
6.	टयोटा किर्लोसकर मोटर लि.	उपलब्ध नहीं	351	21,514
III.	**हल्के वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन (संख्या में)**			
1.	अशोक लीलैंड लि.	482	522	528
2.	बजाय टैम्पो लि.	3,454	4,577	3,714
3.	आयसर मोटर्स लि.	5,379	6,399	8,036
4.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.	5,718	6,004	6,336
5.	स्वराज माजदा लि.	3,040	3,374	5,045
6.	टेल्को	39,326	36,486	39,648
IV.	**मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन (संख्या में)**			
1.	अशोक लीलैंड लि.	26,106	36,727	34,133
2.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	396	206	148
3.	टेल्को	45,411	74,651	58,201
V.	**स्कूटरों का उत्पादन (संख्या में)**			
1.	बजाज ऑटो लि.	636,708	580,135	439,397
2.	किनेटिक मोटर कंपनी लि.	97,914	109,031	130,642
3.	एलएमएल लि.	325,181	294,946	199,796
4.	महाराष्ट्र स्कूटर लि.	154,525	140,182	114,675
5.	टीवीएस-सजुकी लि.	94,256	123,590	150,459

1	2	3	4	5
VI.	**मोटर साइकिल का उत्पादन (संख्या में)**			
1.	बजाज ऑटो लि.	349,578	408,489	567,832
2.	स्कॉर्ट यामाहा लि.	177,340	228,527	213,290
3.	हीरो होंडा मोटर्स लि.	498,374	682,353	985,043
4.	एलएमएल लि.	0	0	15,238
5.	रॉयल इंफील्ड लि.	17,700	23,289	22,733
6.	टीवीएस-सुजुकी लि.	252,308	314,494	360,814
VII.	**मोपेड का उत्पादन (संख्या में)**			
1.	बजाज ऑटो लि.	47804	60,700	70,769
2.	स्कॉर्टस यामाहा लि.	10,603	2,797	0
3.	किनेटिक इंजी. लि.	174,537	145,620	168,420
4.	मजेस्टिक ऑटो लि.	136,522	112,398	116,335
5.	टीवीएस-सुजुकी लि.	321,074	372,304	387,214
VIII.	**तिपहियों का उत्पादन (संख्या में)**			
1.	बजाज ऑटो लि.	179,238	178,108	169,563
2.	बजाज टैम्पो लि.	13,197	16,487	17,880
3.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.	0	0	147
4.	पियाजियो ग्रीव्स व्हीकल लि.	0	0	19646
5.	स्कूटर्स इंडिया लि.	15,239	15,991	13,185

सारणी-ख

वाहनों की बिक्री-इकाईवार, राज्यवार एवं वर्ष वार

I. पैसेंजर कार्स (संख्या में)

यूनिट एवं वर्ष	चंडीगढ़	दिल्ली	हरियाणा	एच.पी.	जेएंडके	पंजाब	उ.प्र.	ए एंड एन आइसलैंड	अरूणाचल प्रदेश	असम	बिहार	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
हिन्दुस्तान मोटर्स लि.														
1998	509	2,295	11	26	85	269	1,074	13	0	254	457	20	0	0
1999	646	3,251	19	0	86	489	894	5	0	168	297	29	0	0
2000*														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मारूति उद्योग लि.														
1998	13,947	43273	8959	3272	4223	20006	21949	0	674	3086	5847	93	404	359
1999*														
2000*														
मार्सिटिज														
1998	42	117	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999*														
2000*														
पाल-पेगाट लि.														
1998	10	52	0	1	0	3	15	0	0	1	0	0	0	0
1999*														
2000*														
प्रीमियर ऑटमोबाईल लि.														
1998	1	2	0	0	0	3	2	0	0	2	7	0	0	0
1999*														
2000*														
टेल्को														
1998	3	93	18	3	0	95	14	0	0	6	8	0	0	0
1999	21	39	8	1	1	91	11	0	0	4	3	0	0	0
2000*														

यूनिट व वर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	सिक्किम	त्रिपुरा	वेस्ट बं.	गोवा	गुजरात	एमपी	महाराष्ट्र	राजस्थान	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	पांडिचेरी	तमिलनाडु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
हिन्दुस्तान मोटर्स लि.															
1998	0	1,155	0	2	3,242	28	555	520	1,107	401	1,128	1,108	2181	16	3,234
1999	0	1,268	0	0	3,908	108	1,029	334	1,882	538	1,590	1,359	2427	1	4,053
2000*															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मारूति उद्योग लि.															
1998	1,367	1,894	111	118	11663	2627	20123	8762	25657	7641	9417	12951	8879	0	13856
1999*															
2000*															
मर्सिडिज बेंज इंडिया लि.															
1998	0	0	0	0	13	13	18	1	136	2	30	24	23	4	63
1999*															
2000*															
पाल-पेगॉट लि.															
1998	0	6	0	0	15	15	87	45	569	16	7	22	58	4	72
1999*															
2000*															
प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लि.															
1998	0	3	0	0	39	0	31	20	603	9	12	7	52	1	43
1999*															
2000*															
टेल्को															
1998	0	6	0	0	13	33	111	39	262	80	46	78	70	0	98
1999	0	2	0	1	4	19	88	31	221	65	15	81	50	0	75
2000*															

*एसआईएम ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक मान्यताओं के कारण सभी यात्री कारों के निर्माताओं ने वर्ष 2000 के लिए अपना राज्यवार बिक्री के आंकड़े नहीं दिए हैं तथा फुड ने वर्ष 1999 तथा 1998 के लिए भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।

II. वाणिज्यिक वाहनों की सूची (संख्या में)

यूनिट एवं इकाई	चंडीगढ़	दिल्ली	हरियाणा	एच.पी.	जे एंड के	पंजाब	उ.प्र.	ए.एंड एन आइसलैंड	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अशोक लीलैंड														
1998	0	14	6	0	3	15	99	0	0	5	0	0	0	0
1999	3	37	-2	0	6	15	12	7	3	12	0	0	0	0
2000	1	38	16	0	2	10	21	0	0	85	1	0	0	0
बजाज टैम्पो लि.														
1998	13	159	748	1	11	406	1,025	0	0	0	124	0	0	0
1999	20	305	838	0	57	627	1,383	0	0	8	391	0	0	0
2000	1	132	311	0	169	620	764	0	0	142	837	0	0	0
आयशर मोटर														
1998	48	236	37	44	0	81	515	0	0	3	0	0	0	0
1999	23	371	113	57	4	199	679	0	0	38	0	0	0	0
2000	0	377	221	71	0	175	698	0	0	14	0	0	0	0
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा														
1998	2	152	179	15	7	76	135	0	4	119	30	0	1	0
1999	3	193	205	24	2	92	270	0	1	13	38	1	6	0
2000	23	83	111	38	1	105	436	0	1	90	35	0	4	3
स्वराज माजदा लि.														
1998	169	127	24	94	1	33	233	0	0	0	7	0	0	0
1999	113	239	38	111	2	32	333	0	0	0	6	0	0	0
2000	145	629	63	144	28	125	493	0	0	0	30	0	0	0
टेल्को														
1998	0	1,883	1,879	255	842	1,776	2,325	29	27	1,482	1,686	11	5	58
1999	8	2,791	1,466	290	768	1,823	2,196	35	11	1,589	1,218	1	0	55
2000	61	3,027	984	248	818	1,133	1,756	29	35	1,351	1,261	4	0	107

यूनिट व वर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	सिक्किम	त्रिपुरा	वेस्ट बं.	गोवा	गुजरात	एमपी	महाराष्ट्र	राजस्थान	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	चंडिगढ़	तमिलनाडु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अशोक लीलैंड															
1998	0	15	0	0	99	3	25	36	73	28	30	18	13	0	93
1999	0	7	0	0	16	11	14	16	19	0	13	21	13	0	54
2000	0	6	0	5	9	4	12	22	21	6	34	40	55	1	56
बजाज टैम्पो लि.															
1998	0	64	0	0	460	199	2,282	1,314	9,649	410	1,521	2,125	1,006	0	1,217
1999	0	49	0	0	442	202	2688	1392	8726	723	3886	2788	1187	0	1660
1999	0	182	0	0	491	156	1,471	1,134	7,924	337	4,511	2,528	1,204	5	2,374
आयशर मोटर															
1998	0	0	0	0	135	42	523	178	358	21	331	329	227	0	625
1999	0	0	0	0	186	77	706	161	549	27	595	531	346	0	802
2000	0	0	0	0	166	94	676	197	795	44	708	635	525	0	1,211
महिन्द्र एंड महिन्द्रा															
1998	0	92	0	4	52	59	212	104	301	181	146	325	681	13	2,008
1999	0	92	C	4	75	28	320	113	388	129	225	318	1,080	26	2,545
2000	0	47	0	24	87	53	112	108	321	128	200	311	1,305	4	2,611
स्वराज माजदा लि.															
1998	0	0	0	0	96	30	159	111	183	27	146	163	151	0	272
1999	0	0	0	0	75	34	176	118	295	24	137	225	236	0	507
2000	0	0	0	0	170	51	219	112	228	46	249	412	453	0	696
टेल्को															
1998	74	773	0	39	2,094	436	2,792	1,603	4,855	1,428	936	1,780	1,566	0	2,518
1999	76	1,021	0	33	1,609	430	2,324	1,494	4,798	1,225	979	1,884	2,009	0	2,539
2000	84	510	0	7	2,398	341	1,565	1,034	5,260	926	765	2,236	2,961	0	3,099

III. बहुउपयोगी वाहन (संख्या में)

यूनिट व वर्ष	चंडीगढ़	दिल्ली	हरियाणा	एच.पी.	जे एंड के	पंजाब	उ.प्र.	ए एंड एन आइलैंड	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम
हिन्दुस्तान मोटर्स लि.														
1998	0	3	3	0	0	0	46	0	0	1	1,314	0	0	0
1999	10	4	56	0	0	2	46	0	0	0	963	0	0	0
2000*														
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा														
1998														
1999	16	1,710	3,886	787	83	1,700	8,227	0	141	376	2,032	13	109	59
2000*	48	2,141	2,936	953	339	1,842	9,399	0	26	377	3,004	21	257	50
मारुति उद्योग लि.														
1998	455	1,195	122	122	271	205	368	0	132	416	184	145	36	103
1999		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
2000														
टेल्को														
1998	42	1,822	1,980	70	624	2,108	2,495	2	0	658	332	9	2	29
1999	426	1,429	1,343	123	367	1,906	2,232	19	2	636	277	1	0	51
2000*														

यूनिट व वर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	सिक्किम	त्रिपुरा	वेस्ट बं.	गोवा	गुजरात	एमपी	महाराष्ट्र	राजस्थान	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	पांडिचेरी	तमिलनाडु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
हिन्दुस्तान मोटर्स लि.															
1998	0	421	0	0	690	0	6	43	67	30	154	11	46	0	180
1999	0	492	0	0	351	0	16	75	16	22	160	19	54	1	185
2000*															
महिन्द्र एंड महिन्द्रा															
1998	38	1,360	736	226	1,615	198	7,588	5,971	9,835	7,167	1,382	2,722	3,803	59	2,298
1999	76	1,474	8	368	1,860	267	7,007	5,404	10,643	8,495	1,791	2,938	4,348	115	1,943
2000*															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मारूति उद्योग लि.															
1998															
1999	389	45	27	105	224	29	56	155	94	121	59	30	18	0	121
2000*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं
टेलको															
1998	41	235	0	9	1,519	565	2,092	1,255	6,429	963	1,836	2,114	921	0	3,456
1999	34	258	0	12	1,587	244	1,736	805	5,687	789	1,328	1,676	829	0	3,004
2000*															

*आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

IV. तिपहिया (संख्या में)

यूनिट व इकाई	चंडीगढ़	दिल्ली	हरियाणा	एच.पी.	जे एंड के	पंजाब	उ.प्र.	ए एंड एन आइसलैंड	अरूणाचल प्रदेश	असम	बिहार	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम
बजाज ऑटो लि.														
1998	222	8,553	83	102	1,409	894	3,754	0	7 8	3,104	2,753	72	80	39
1999	303	11.640	69	269	1,312	620	3,857	0	76	3,744	2,483	48	110	131
2000	62	10,068	50	243	1,327	239	3,528	0	18	4,065	2,095	62	114	234
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा														
1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

यूनिट व वर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	सिक्कम	त्रिपुरा	वेस्ट बं.	गोवा	गुजरात	एमपी	महाराष्ट्र	राजस्थान	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	पांडिचेरी	तमिलनाडु
बजाज ऑटो लि.															
1998	321	1,617	0	156	3,708	825	23,400	4,493	40,940	2,048	19,568	10.,862	15,579	76	11,679
1999	479	3,508	0	304	1,700	638	20,437	4,719	35,458	1,995	27,972	13,487	17,099	302	11,832
2000	531	4,486	0	386	2,527	524	12,540	4,442	29,432	1,501		11,940	21,015	266	13,598
महिन्द्र एंड महिन्द्रा															
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	5	21	0	1	0	0	0	0

V. मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहन (संख्या में)

यूनिट व इकाई	चंडीगढ़	दिल्ली	हरियाणा	एच.पी.	जे एंड के	पंजाब	उ.प्र.	ए एंड एन आइसलैंड	अरूणाचल प्रदेश	असम	बिहार	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम
अशोक लीलैंड														
1998	283	1973	287	21	17	330	1483	0	0	76	318	0	0	9
1999	88	1245	302	0	244	506	1027	376	27	160	278	0	0	28
2000	346	1209	278	0	27	615	1022	185	1	258	399	0	0	43
टेल्को														
1998	0	2567	3080	638	905	2681	5418	44	56	1116	.2562	36	-27	53
1999	6	6505	4280	795	856	4639	9308	41	22	1995	3736	4	0	68
2000	325	6112	2699	835	916	3075	5151	38	93	2118	3198	18	0	144

यूनिट व वर्ष	नगालैंड	उड़ीसा	सिक्कम	त्रिपुरा	वेस्ट बं.	गोवा	गुजरात	एमपी	महाराष्ट्र	राजस्थान	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	पांडिचेरी	तमिलनाडु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अशोक लीलैंड															
1998	0	344	0	0	1509	410	2677	2439	2292	622	2076	2002	948	0	6278
1999	0	313	0	17	1171	176	3772	4612	2671	1059	4457	2982	1208	0	6792
2000	0	457	0	51	1427	259	1985	2104	3505	1147	3589	3390	1518	48	7943
टेल्को															
1998	306	649	0	84	4972	323	2817	2942	4600	2739	1979	2122	838	0	1025
1999	104	614	0	65	8246	258	4233	4235	6088	4027	3238	2812	1018	0	1251
2000	113	507	0	10	6586	221	2138	2466	6424	2607	2460	2682	1337	0	1346

VI. स्कूटर्स (संख्या में)

यूनिट व इकाई	चंडीगढ़	दिल्ली	हरियाणा	एच.पी.	जे एंड के	पंजाब	उ.प्र.	ए एंड एन आइसलैंड	अरूणाचल प्रदेश	असम	बिहार	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बजाज ऑटो लि.														
1998	15358	52797	34905	7439	7824	60006	83375	42	526	7958	12510	236	314	131
1999	9921	43953	36687	6178	8187	68140	60017	13	513	8807	13840	542	519	314
2000	6094	37910	25270	5241	6917	40485	50779	0	295	6497	9365	530	347	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
किनेटिक मोटर कंपनी लि.														
1998	0	1553	3104	0	0	7740	3591	0	0	1119	296	76	4	0
1999	341	1334	3617	0	0	8894	4241	0	0	1393	339	0	0	0
2000	1483	1532	4294	30	0	8316	5294	0	0	2055	272	157	0	0
एलएमएल लि.														
1998	5259	33328	21107	2673	6487	43322	51981	0	0	10668	13524	0	0	0
1999	5231	30580	15500	2174	4227	35821	47933	0	0	12294	10835	0	0	0
2000	4125	26358	10961	2269	4670	24608	32364	0	0	11945	9708	0	0	0
महाराष्ट्र स्कूटर्स														
1998	732	4505	4339	230	631	76798	27556	44	0	0	0	0	0	0
1999	1403	9250	6116	620	699	64665	41723	0	0	0	0	0	0	0
2000	2377	9955	3936	521	1304	50350	22792	0	0	0	0	0	0	0
टीवीएस सुजुकी लि.														
1998	746	732	1245	0	0	2137	2493	139	0	0	323	0	0	0
1999	967	1543	1649	0	0	2950	4130	117	0	0	616	0	0	0
2000	1041	938	2060	0	0	3309	4623	20	0	0	592	0	0	0

यूनिट व वर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	सिक्कम	त्रिपुरा	वेस्ट बं.	गोवा	गुजरात	एम.पी.	महाराष्ट्र	राजस्थान	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	पांडिचेरी	तमिलनाडु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
बजाज ऑटो लि.															
1998	208	12383	0	562	15198	2154	71666	46334	49691	28881	71306	19893	9672	404	7616
1999	536	16127	0	1016	15408	2152	83847	44173	42472	31180	67612	15985	7373	409	5159
2000	542	9761	48	825	8505	1382	48732	30057	31944	21995	46566	14362	6682	276	4306
किनेटिक मोटर कं. लि.															
1998	0	523	544	0	482	2409	11629	5187	12643	2650	5871	12501	8353	0	9963
1999	0	806	0	0	542	2784	10661	5837	14517	3805	7632	14529	11802	22	10801
2000	0	955	0	0	521	2886	14005	6335	16225	3694	8536	16421	16085	105	10395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
एलएमएल लि.															
1998	0	8147	0	0	15473	4292	22314	18532	12383	14292	11210	4327	4032	62	1805
1999	0	7308	0	0	12941	3657	13497	13127	8646	12095	10795	2843	3189	54	1463
2000	0	4685	0	0	8137	3974	7654	8846	5602	5961	6918	1750	2612	49	714
महाराष्ट्र स्कूटर्स															
1998	0	0	0	0	0	0	14377	2822	1768	9089	4833	1373	780	0	80
1999	0	0	0	0	0	0	1975	824	1439	5188	8774	2573	1352	0	44
2000	0	0	0	0	0	0	1163	389	331	2646	11580	2389	1028	0	0
टीवीएस सुजुकी लि.															
1998	0	1795	0	0	382	2900	26668	5590	18154	2406	3725	10336	1674	275	9509
1999	0	2861	0	0	562	2691	33194	8996	23671	4099	4975	12709	2949	377	12016
2000	0	4048	0	0	293	2345	36631	10543	36039	4724	5965	13819	2264	412	16988

VII. मोटर साईकिल (संख्या में)

यूनिट व वर्ष	चंडीगढ़	दिल्ली	हरियाणा	एच.पी.	जे एंड के	पंजाब	उ.प्र.	ए एंड एन आइसलैंड	अरूणाचल प्रदेश	असम	बिहार	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बजाज ऑटो लि.														
1998	722	1307	2859	417	202	3827	17441	348	45	990	6452	16	25	6
1999	763	3618	5407	282	732	6483	26808	0	40	1834	6676	22	27	40
2000	2161	15658	16792	710	1080	22010	46599	0	29	4569	14412	151	64	140
हीरो होंडा मोटर्स														
1998	359	9839	15369	0	285	12335	38019	0	0	1465	10770	0	0	0
1999	0	14909	26000	0	0	16058	49551	0	0	2518	14166	0	0	0
2000	739	23590	30910	0	1065	23014	81116	0	0	6120	28243	0	0	162
रॉयल इंफील्ड मोटर्स														
1998	201	1449	737	0	0	2325	1872	0	0	0	191	0	0	0
1999	1367	1471	1139	0	0	2517	2488	0	0	0	217	0	0	0
2000	1416	1712	967	0	0	2814	2771	664	0	0	239	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
टीवीएस सुजुक लि.														
1998	528	2628	6130	0	0	3124	25025	75	0	0	3231	0	0	0
1999	389	3376	10264	0	0	4731	42746	51	0	0	4944	0	0	0
2000	528	4420	7759	0	0	5136	51957	51	0	0	6860	0	0	0
यामाहा मोटर स्कॉटर्स लि.														
1998	461	5837	11995	63	1050	4513	32926	0	0	2908	13323	0	0	0
1999	0	5421	16147	30	979	5883	39150	0	0	4022	18823	0	0	0
2000	170	2627	9867	40	644	3680	33926	0	0	3385	26093	0	0	0

यूनिट व वर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	सिक्कम	त्रिपुरा	वेस्ट बं.	गोवा	गुजरात	एम.पी.	महाराष्ट्र	राजस्थान	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	चंडिगेरी	तमिलनाडु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
बजाज ऑटो लि.															
1998	12	4333	0	201	32410	1517	39079	34165	82630	18524	9483	19717	14178	890	43450
1999	26	8560	0	357	40802	1154	45630	35874	93494	20913	16156	24423	17353	1784	45175
2000	2081	17484	0	817	42835	829	27642	39082	115960	25522	33337	27165	23216	2582	58457
हीरो होंडा मोटर्स															
1998	0	10106	0	0	26225	3523	61366	34174	79881	29817	33929	38559	29505	363	43942
1999	0	17391	0	0	33877	3737	89972	51240	121984	41715	46153	49162	35611	0	51605
2000	0	27026	0	386	44050	5536	97617	72060	197718	47854	71889	70193	50970	1369	74148
रॉयल इंफील्ड मोटर्स															
1998	0	45	0	0	279	92	2192	809	1740	443	265	863	2110	0	2094
1999	0	96	0	0	364	411	2331	726	1525	672	265	833	2945	0	1923
2000	0	127	0	0	437	317	1270	523	1355	538	291	879	2959	0	1788
टीवीएस सुजुक लि.															
1998	0	3634	0	0	5417	1138	32290	28050	26651	19769	15545	20923	11198	809	42941
1999	0	4927	0	0	6746	946	39693	35091	28517	25075	18896	22831	11493	893	49717
2000	0	6994	0	0	7974	1046	29397	34224	46114	25139	22287	24873	12746	1279	59311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
यामाहा मोटर स्कॉर्टस लि.															
1998	0	2897	0	11514	0	695	7521	20077	11564	12037	4868	6823	3081	207	13696
1999	0	4290	0	0	12913	854	8174	19459	11994	13849	7069	11148	4140	0	21076
2000	0	4145	0	0	9008	445	4737	14538	7463	7316	7527	11001	4361	0	16339

VIII. मोपेड (संख्या)

यूनिट व वर्ष	चंडीगढ़	दिल्ली	हरियाणा	एच.पी.	ज एंड के	पंजाब	उ.प्र.	ए एंड एन आइसलैंड	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बजाज ऑटो लि.														
1998	631	916	644	288	341	5546	2574	0	8	499	284	55	5	0
1999	548	324	411	132	299	4083	1037	0	6	323	236	210	0	0
2000	442	339	580	119	396	3585	2359	0	2	452	348	260	0	0
किनेटिग इंजी. लि.														
1998	0	143	1060	0	0	2782	4007	0	0	172	646	30	0	0
1999	0	231	1784	0	24	3219	5235	0	0	322	420	0	0	0
2000	0-	240	1894	0	98	2712	5016	0	0	252	412	0	0	0
मजेस्टिक ऑटो लि.														
1998	497	569	4182	0	131	13805	14849	73	0	165	1153	0	0	0
1999	382	289	3402	0	178	12394	14048	31	0	100	883	0	0	0
2000	254	352	2933	0	164	9194	15976	3	0	123	1407	0	0	0
टीवीएस सुजुक लि.														
1998	54	267	1458	0	0	3060	6640	95	0	0	729	0	0	0
1999	39	501	1533	0	0	2794	8103	50	0	0	1067	0	0	0
2000	66	693	1309	0	0	2542	9088	43	0	0	1562	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
यामाहा मोटर स्कॉटर्स लि.														
1998	0	87	435	0	0	55	348	0	0	0	221	0	0	0
1999	0	15	27	0	0	0	10	0	0	0	30	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

यूनिट व वर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	सिक्कम	त्रिपुरा	प. बं.	गोवा	गुजरात	एमपी	महाराष्ट्र	राजस्थान	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	पांडिचेरी	तमिलनाडु
बजाज ऑटो लि.															
1998	0	725	0	12	458	580	6188	4494	9376	900	4136	824	775	237	3176
1999	3	417	0	15	406	778	16068	3494	17476	1189	3645	1644	1722	608	5148
2000	173	690	0	18	714	590	12567	4399	19365	1591	4210	2968	2332	955	4723
किनेटिक इंजी. लि.															
1998	0	5336	0	0	1268	258	31193	25929	31027	11817	16671	11569	386	09	5308
1999	0	6508	0	0	870	405	27331	26183	23225	11563	14452	12047	1009	0	9950
2000	0	8857	0	0	1523	792	22413	25421	26859	13229	15483	12268	926	0	17142
मजेस्टिक ऑटो लि.															
1998	0	2087	0	0	770	84	13331	22097	5083	13820	10165	4885	636	0	3104
1999	0	2273	0	0	830	57	7857	20572	3881	14389	11941	4270	360	0	2404
2000	0	2554	0	0	990	71	3587	16345	4524	9077	10351	3820	284	0	2061
टीवीएस सजुक लि.															
1998	0	1134	0	0	650	46	3414	10472	2156	6805	28950	31762	1788	5703	214576
1999	0	1116	0	0	1022	20	2701	10547	1676	7383	34734	38609	26 51	6886	244451
2000	0	2021	0	0	1482	18	2800	10684	2113	6615	37353	43034	3027	7064	250809
यामाहा मोटर स्कॉटस लि.															
1998	0	248	0	0	295	0	388	885	313	702	439	199	0	0	1056
1999	0	57	0	0	135	0	31	58	54	44	55	17	1250	0	53
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में पन-बिजली की प्रगति

1685. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू कश्मीर में पन-बिजली उत्पादन की बहुत संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) वर्ष 1978-87 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जल विद्युत संभावना के पुनर्आकलन संबंधी अध्ययन के अनुसार जम्मू और कश्मीर की जल विद्युत संभावना के संस्थापित क्षमता की दृष्टि से 14146 मेगावाट आंका गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य की वर्तमान की आंकलित संभावना का 8.57 प्रतिशत या तो विकसित है अथवा विकास की विभिन्न अवस्थाओं में है।

जम्मू और कश्मीर में जल विद्युत शक्ति के विकास की अपार संभावना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय द्वारा देश में अवशेष जल-विद्युत संभावना के विकास के लिए कार्य योजना/ रणनीति तैयार की जा रही है। इस कार्य योजना में राज्य में प्राथमिकता के आधार पर विकसित की जाने वाली जल विद्युत परियोजना को स्थान दिया गया है। दो परियोजनाएं यथा बगलीहर जल विद्युत परियोजना (450 मेगावाट) तथा सावलकोट जल विद्युतपरियोजना (600 मेगावाट) राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित हैं। इस समय एमएचपीसी द्वारा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना का संचालन किया जा रहा है जिसकी संस्थापित क्षमता 390 मेगावाट है। इस परियोजना द्वारा दिसम्बर, 2003 तक कार्य शुरू कर दिया जाना है। एनएचपीसी और जम्मू और कश्मीर सरकार के मध्य दिनांक 20 जुलाई, 2000 को एस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था जिसके फलस्वरूप जम्मू और कश्मीर राज्य की 7 परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र में संचालन के लिए एनएचपीसी को सौंपा गया था। इस 7 परियोजनाओं के विवरण तथा उनकी संस्थापित क्षमता तथा चरण-1 और चरण-2 की कार्यों/प्राप्त क्लीयरेंस की स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

जम्मू और कश्मीर में एनएचपीसी की नई परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम संख्या	पन-बिजली परियोजना का नाम	क्षमता मेगावाट में	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	किशनगंगा	330	इस परियोजना को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया।
2.	ऊरी-2	280	सार्वजनिक निवेश बोर्ड से संबद्ध समिति द्वारा चरण-2 के लागत अनुमान को स्वीकृत किए जाने के बाद चरण-2 का कार्य प्रगति पर है।
3.	निम्मो बाजगो	30	चरण-1 के अनुमानों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निस्तारित कर दिया गया है। व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सर्वेक्षण और जांच का प्रगति पर है। चरण-1 के कार्य स्थल का निस्तारण कर दिया गया है।
4.	चुटक	18	व्यवहार्यता रिपोर्ट को दृढ़ता प्रदान करने के लिए चरण-1 का प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।
5.	सेवा-2	120	सार्वजनिक निवेश बोर्ड से संबद्ध समिति द्वारा चरण-2 के लागत अनुमान को स्वीकृत किए जाने के बाद चरण-2 का कार्य प्रगति पर है।
6.	पाकल डल	1000	सार्वजनिक निवेश बोर्ड से संबद्ध समिति द्वारा चरण-2 के लागत अनुमान को स्वीकृत किए जाने के बाद चरण-2 का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
7.	बरसार	1020	इस परियोजना के पूरा होने पर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना की व्यवहार्यता की जांच की जानी थी। के.वि.प्रा. परियोजना की व्यवहार्यता का पुन:आकलन कर लिया है तथा सार्वजनिक निवेश बोर्ड से संबद्ध समिति के लिए चरण-2 के लागत अनुमान की सिफारिश की है।

भारतीय सैनिकों को भत्ते का भुगतान

1686. श्री जय प्रकाश:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के अन्तर्गत वर्तमान में कितने भारतीय रक्षा कार्मिकों को देश-वार और संयुक्त राष्ट्र अभियान-वार तैनाती की गई है;

(ख) क्या इन सैनिकों को कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन्हें कौन-सी सुविधायें और आर्थिक लाभ दिये जा रहे हैं;

(ङ) क्या संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय रक्षा कार्मिकों को विभिन्न भत्तों का भुगतान नहीं किया है;

(च) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (छ) संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में तैनात भारतीय रक्षा कार्मिकों का आज की तारीख तक देशवार/मिशनवार संख्या-बल इस प्रकार है:

क्र.सं.	देश	मिशन	कार्मिकों की संख्या
1.	कांगो	एमओएनयूसी	33 अफसर
2.	कुवैत	यूएनआईकेओएम	8 अफसर
3.	लेबनान	यूएनआईएफआईएल	826 सभी रैंक
4.	इथोपिया/एरिट्रिया	यूएनएमईई	1548 सभी रैंक

संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनाती के लिए चुने जाने वाले कार्मिकों को शांति की तकनीकों के बारे में भर्ती पूर्व विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास और संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए भारत के योगदान का इतिहास, मिशन चलाए जाने वाले देश में उसकी भौगोलिक, स्थानीय कानूनों और रीत-रिवाजों की विस्तृत जानकारी और जिस मिशन में कार्मिकों को तैनात किया जाना है उसकी उत्पत्ति संबंधी जानकारी देने वाला अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र सैन्य टुकड़ियां भेजने वाले देश को विदेशी भत्ते के रूप में प्रति टुकड़ी सदस्य को मानक राशि की प्रतिपूर्ति करता है। यह राशि टुकड़ी के सदस्यों को सरकारी माध्यमों से या तो मिशन में या फिर भारत में वितरित की जाती है। मासिक विदेशी भत्ते से अलग, संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को विभिन्न अन्य भत्ते अर्थात् दैनिक भत्ता, वस्त्र भत्ता, छुट्टी भत्ता का भुगतान करने के साथ-साथ नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराता है। वह सैनिकों को प्रत्येक छमाही में एक बार स्वदेश जाने और वापस आने के लिए नि: शुल्क हवाई यात्रा की व्यवस्था भी करता है। संयुक्त राष्ट्र में सैन्य प्रेक्षक के रूप में नियुक्त सैनिक अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र सीधे निर्वाह भत्तों का भुगतान करता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में तैनात भारतीय रक्षा कार्मिकों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी तरह के स्वीकार्य भत्ते और लाभ दिए जा रहे हैं। अत: इस मामले में सरकार द्वारा आगे कोई कार्रवाई की जानी आवश्यक नहीं है।

[अनुवाद]

हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड "गेल" का निवेश

1687. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या "गेल" का हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में 200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या "गेल" ने इस प्रस्ताव पर कोई गंभीर अध्ययन किया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या "गेल" ने पूर्ण आंकलन के बिना भारी निवेश का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो "गेल" ने अन्य किन परियोजनाओं में निवेश किया है;

(ङ) "गेल" का अपने मुख्य कारोबार के अलावा अन्य क्षेत्रों में किस सीमा तक निवेश का प्रस्ताव है;

(च) इन निवेशों के कारण कितना घाटा हुआ; और

(छ) ऐसे निवेश की समीक्षा हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एच.पी.एल.) से एच.पी.एल. में इक्विटी के रूप में 200 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। गेल ने अब तक न तो एच.पी.एल. की सम्यक गम्भीर कोशिश की है और न ही एच.पी.एल. में कोई निवेश किया है।

(घ) और (ङ) गेल के लिए 10वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय में टेलीकाम में 311.69 करोड़ रुपए और किसी नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति व्यवसाय में 182.91 करोड़ रुपए का निवेश सम्मिलित है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

फोटोकापी मशीनों की खरीद

1688. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय, रक्षा मुख्यालय और अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों ने दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भारी संख्या में विभिन्न प्रकार की फोटोकापी मशीनों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो खरीदी गई फोटोकापी मशीनों का ब्रांडवार ब्यौरा देते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, उन्हें किस कीमत पर कहां से खरीदा गया तथा उनकी खरीद में क्या प्रक्रिया अपनायी गई; और

(ग) खुले बाजार से अधिक कीमत पर केन्द्रीय भंडार से फोटोकापी मशीनों की खरीद के क्या कारण हैं और 50,000 रुपये से अधिक की खरीद जी.एफ.आर. के प्रावधान के अनुसार की जानी चाहिए और दिसम्बर 1998 में वित्त मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा जारी का.ज्ञा. के अनुसार जारी निविदा को न खोले जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) फील्ड यूनिटों/विरचनाओं/अवस्थापनाओं द्वारा सेना कमाण्डर/संगठन प्रमुख को प्रदत्त शक्तियों के तहत फोटो कॉपियर खरीदे जाते हैं। खरीदे गए फोटो कापियरों की संख्या से संबंधित आंकड़ें विशाल हैं तथा किसी एक केन्द्रीय स्थान पर इनका रख-रखाव नहीं किया जाता। इन आंकड़ों को इकट्ठा करने में जितने प्रयास करने पड़ेंगे वे अपेक्षित परिणाम के समतुल्य नहीं होंगे।

(ग) रक्षा मंत्रालय ने 30.8.2001 से 29.8.2002 तक की अवधि के लिए महानिदेशक आपूर्ति तथा निपटान द्वारा 6.9.2001 को की गई दर संविदा के अनुसार फोटोकॉपियर मशीन खरीदने के लिए 18 दिसम्बर, 2001 को यूनिटों/विरचनाओं/अवस्थापनाओं को प्राधिकृत किया है।

रंगानदी जल विद्युत परियोजना

1689. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनईईपीसीओ द्वारा अरूणाचल में चलायी जा रही रंगानदी जल विद्युत परियोजना पूरी हो गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पादन क्षमता कितनी है,

(ग) क्या इस परियोजना द्वारा उत्पन्न विद्युत के पारेषण के लिये 132 किलोवाट की क्षमता वाली पर्याप्त पारेषण लाईन नहीं है, और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के विद्युत उत्पादन का पूरी तरह पारेषण और उपयोग हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) अरूणाचल प्रदेश में रंगानदी जल विद्युत परियोजना 2001-02 में चालू हुई है।

(ख) परियोजना की संस्थापित उत्पादन क्षमता 3×135 मेगावाट = 405 मेगावाट है।

(ग) परियोजना के साथ सहबद्ध मौजूदा 132 के.वी. पारेषण लाईन उत्पादित विद्युत क्षमता के पारेषण में सक्षम है और इस

समय असम तथा अरूणाचल प्रदेश में विद्युत निकासी के लिए इसका उपयोग हो रहा है।

(घ) परियोजना में भारी मात्रा में विद्युत की निकासी के लिए 132 के.वी. प्रणाली समेत 400 के.वी. पारेषण प्रणाली के साथ 400 के.वी. डबल सर्किल लाईन जो बालीपार स्विचिंग स्टेशन तक जाती है, को ध्यान में रखा गया है। इस समय 400 के.वी. डबल सर्किट लाईन के एक सर्किट को चार्ज करने की प्रणाली तैयार है ताकि रंगानदी परियोजना से विद्युत की निकासी की जा सके बशर्ते कि क्षेत्रीय निरीक्षण संगठन से स्वीकृति प्राप्त हो जाए।

[हिन्दी]

नांदेड़ रेल मंडल

1690. श्री शिवाजी माने: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नांदेड़ रेल मंडल का कार्यालय पूरी तरह कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) नांदेड़ 1988 से अब तक हैदराबाद मण्डल के अतिरिक्त मण्डल कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। अब यह विनिश्चय किया गया है कि 1.4.2003 से नांदेड़ पूर्णरूपेण मण्डल के रूप में कार्य करेगा। रेल मंत्रालय द्वारा इस संबंध में 4.7.2002 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक प्रसारण नेटवर्क का विस्तार

1691. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं विशेषकर खेलों का प्रसारण अधिकार सार्वजनिक प्रसारणकर्ता को देने हेतु विधान अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रसार भारती ने एन.आर. नारायणमूर्ति समिति की रिपोर्ट की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि दिनांक 31.8.2001 को लोक सभा में प्रस्तुत किये गये संचार अभिसरण विधेयक, 2001 के वर्तमान स्वरूप में यह प्रावधान है कि आम लोकहित की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, जिन्हें सरकार द्वारा पहले से अधिसूचित किया गया है। उन्हें लोक सेवा प्रसारक के नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। तथापि संचार आयोग ऐसी घटनाओं के लिए अग्रिम रूप में निर्धारण करेगा जो सार्वजनिक सेवा प्रसारक के नेटवर्क पर पहुंच के लिए सैद्धांतिक एवं विचारणीय है।

(ग) से (ङ) नारायणमूर्ति समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रसार भारती के कार्यक्रमों और उद्देश्यों, प्रसार भारती की जवाबदेही एवं संरचना, वित्तीय एवं वित्त-पोषण तन्त्र, विपणन में सुधार, मानव संसाधन विकास नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से संबंधित है तथा इसमें प्रसार भारती की स्टाफिंग पद्धति भी शामिल है। प्रसार भारती बोर्ड द्वारा इन सिफारिशों को पृष्ठांकित कर दिया गया है और उनके द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उपाय शुरू किये जा रहे हैं।

एशिया प्रशांत सुरक्षा सम्मेलन में भारत की भागीदारी

1692. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर में 31 मई से 3 जून, 2002 तक आयोजित एशिया प्रशांत सुरक्षा सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) इस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(घ) तत्संबंधी परिणाम क्या निकला?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन में भारत के साथ-साथ आस्ट्रेलिया ब्रूनेई, कंबोडिया, चीन, ई.यू., इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इस सम्मेलन की विषय-वस्तु ''एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों'' पर केन्द्रित थी। अमरीकी रणनीति, चीन का सैन्य सिद्धान्त और दृष्टिकोण, दक्षिण-पूर्व एशिया में आतंकवादी खतरे से निपटने, एशिया प्रशांत में परमाणु अप्रसार की चुनौतियों और एशियाई सुरक्षा के संगठन संबंधी परिप्रेक्ष्य के वास्ते अलग-अलग सत्र समर्पित थे। इन व्यापक विषयों के अन्तर्गत बातचीत और विचार-विमर्श निम्नलिखित मुद्दों पर केन्द्रित था:-

- ताइवान और कोरिया की तुलना में अमरीका-चीन जैसे पारम्परिक क्षेत्रीय तनाव और मतभेद।
- विश्व भर में फैलता आतंकवाद।
- गैर देशीय व्यक्तियों के पास पड़े अति विध्वंसक हथियारों सहित परमाणु प्रसार संबंधी चुनौतियां।
- भारत-पाक संघर्ष की संभावनाएं जिससे परमाणु युद्ध छिड़ सकता है।

इस सम्मेलन का रक्षा मंत्री ने सीमा पार के आतंकवाद के विरूद्ध भारत की जारी लड़ाई के संदर्भ में अपना पक्ष सफलतापूर्वक रखने में उपयोग किया। रक्षा मंत्री ने भारत-पाक तनाव, परमाणु हथियारों के ''इस्तेमाल में पहल नहीं'' की भारत की वचनबद्धता और सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खतरे से विश्व समुदाय द्वारा निपटने की जरूरत के संबंध में भारत का रुख स्पष्ट किया। इस सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री द्वारा किए गए विभिन्न द्विपक्षीय विचार-विमर्शों से सीमापार के आतंकवाद के विरुद्ध जारी लड़ाई में भारत के पक्ष में राजनयिक माहौल बनाने में सहायता मिली।

उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का विकास

1693. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्नेक्मा स्थित फ्रांस की ग्रुप कंपनी टर्बोमेका ने भारत के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के लिए अधिक शक्तिशाली इंजन 'शक्ति' के विकास हेतु संयुक्त उपक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस साझेदारी की शर्तें क्या हैं और परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सेना तथा वायुसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के लिए 'शक्ति' नामक इंजन के सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए फ्रांस के मैसर्स स्नेक्मा ग्रुप की एक कंपनी मैसर्स टर्बोमेका के साथ बातचीत शुरू की है। संविदा की शर्तें अभी तय नहीं की गई है।

सैन्य उपकरणों की खरीद हेतु त्वरित कार्य नीति

1694. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री के. येरनायडू:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सैन्य उपकरण की खरीद और उसमें पारदर्शिता लाने हेतु त्वरित कार्यनीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और त्वरित कार्य नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रमुख व्यक्तियों के 12 सदस्यीय दल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रमुख व्यक्तियों के चयन में क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(च) क्या नये दृष्टिकोण के परिणाम दिखने लगे हैं; और

(छ) यदि हां, तो किसी सीमा तक देरी में कमी आई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सरकार ने रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अनुमोदित कर दी है जो संबंधित सेनाध्यक्ष की राय में तात्कालिक संक्रियात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित है।

(ग) से (ङ) प्रख्यात व्यक्तियों के किसी दल की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, संविदा/आर्डर दिए जाने से पहले सभी फास्ट ट्रैक प्रक्रिया वाले मामलों की एक समिति द्वारा छानबीन की जाती है।

(च) और (छ) फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति में लगने वाले समय में कमी लाने में सहायता मिली है।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भंडारण क्षमता

1695. **श्रीमती प्रभा रावः**
श्री सुशील कुमार शिंदेः
श्री विलास मुत्तेमवारः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और पेट्रोलयिम उत्पादों हेतु अपनी वर्तमान भंडारण क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्तमान में भंडारण क्षमता कितनी है और यह कितनी अवधि की जरुरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) कितनी अतिरिक्त क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है और इसमें कितनी लागत आयेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल जैसे अधिक खपत के उत्पादों के लिए तेल कम्पनियों के पास उपलब्ध सकल विपणन टैंकेज लगभग 11 मिलियन किलोलीटर है। इससे वर्ष 2002-2003 के दौरान इन उत्पादों की अनुमानित मांग के लिए 41 दिन का कवर मिलता है।

दसवीं योजना के लिए वितरण योजना और परिवहन सुविधाओं संबंधी उप-दल की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल जैसे व्याप्त खपत वाले उत्पादों के लिए दसवीं योजनावधि अर्थात् 2002-2007 के दौरान 1140 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर लगभग 1.14 मिलियन किलोलीटर टैंकेज की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

एल. पी. जी. के बारे में सूचना निम्नानुसार है:-

1.4.2002 की स्थिति के अनुसार एल.पी.जी. के लिए तेल कंपनियों के पास उपलब्ध प्रभावशाली विपणन टैंकेज लगभग 352 हजार मीट्रिक टन (टी एम टी) है, जो वर्ष 2002-2003 के लिए एल.पी.जी. की अनुमानित मांग के लिए 22 दिन का कवर प्रदान करता है।

दसवीं योजना के लिए वितरण योजना और परिवहन सुविधाओं संबंधी उपदल की रिपोर्ट के अनुसार दसवीं योजना के अन्त तक सकल टैंकेज 669 टी एम टी होगा।

अतिरिक्त टैंकेज के लिए दसवीं योजनावधि के दौरान कुल व्यय लगभग 652 करोड़ रुपए होगा।

स्क्रैप की बिक्री

1696. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे में स्क्रैप की बिक्री हेतु वर्तमान मानदण्ड क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और चालू वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा कितने स्क्रैप की बिक्री की गई;

(ग) बिक्री के लिये प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में स्क्रैप की कितनी मात्रा का भंडारण किया गया है;

(घ) क्या प्राथमिकता के आधार पर स्क्रैप के निपटान के संबंध में कोई नीति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) स्क्रैप की बिक्री सार्वजनिक नीलामी/विज्ञापित निविदा के माध्यम से की जाती है। स्क्रैप निपटान के कार्यक्रमों का समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाता है। कोई भी संभावित बोलीदाता इसमें भाग ले सकता है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी हां। स्क्रैप का सृजन और उसका तत्काल निपटान एक सतत् प्रक्रिया है। स्क्रैप की बिक्री को अधिकतम रखने के लिए एक प्रबंधन ग्रुप बनाया गया है, जिसमें भण्डार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सिविल इंजिनीयरी, यांत्रिक इंजिनीयरी, विद्युत इंजिनीयरी, विभाग के सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय रेलों में कार्यरत अपर महाप्रबंधक करते हैं। रेलवे बोर्ड स्तर पर भी निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

विवरण

(ख) मौजूदा वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा बेचे गए स्क्रैप की मात्रा नीचे दी गई है:-

रेलवे	पटरियों सहित लौहमय स्क्रैप (मीटरिक टन में)	अलौह स्क्रेप (मीटरिक टन में)	माल डिब्बे (चौपहिया इकाइयों में*)	सवारी डिब्बे (अदद में)	रेल इंजन (अदद में)
1	2	3	4	5	6
1999-2000					
मध्य	204849	1128	3712	200	33
पूर्व	87796	665	2345	241	32
उत्तर	153517	415	1702	222	26
पूर्वोत्तर	42221	364	1402	278	4
पूर्वोत्तर सीमा	18075	237	613	107	0
दक्षिण	74124	2117	1187	114	0
दक्षिण-मध्य	90040	1296	921	97	51
दक्षिण-पूर्व	195905	420	2785	50	52
पश्चिम	89640	1633	1559	145	30
सभी उत्पादन इकाइयां	25419	665			
जोड़:	981586	8940	16226	1454	228
2000-01					
मध्य	169429	871	6211	164	77
पूर्व	73615	1433	2025	149	79
उत्तर	130915	610	5597	271	47
पूर्वोत्तर	41840	378	1093	167	10
पूर्वोत्तर सीमा	12882	120	975	115	0
दक्षिण	73224	1713	1523	167	5
दक्षिण-मध्य	62260	1576	2106	56	7
दक्षिण-पूर्व	183984	941	3340	44	16
पश्चिम	87461	1885	3392	165	19
सभी उत्पादन इकाइयां	21347	496			
जोड़:	856957	10023	26262	1298	260

1	2	3	4	5	6
2001-02					
मध्य	156542	1681	4335	87	2
पूर्व	75646	1344	1284	147	41
उत्तर	140786	556	3461	142	43
पूर्वोत्तर	41584	761	540	194	11
पूर्वोत्तर सीमा	11592	165	662	43	5
दक्षिण	80063	2323	2560	145	0
दक्षिण-मध्य	88885	1490	1175	81	8
दक्षिण-पूर्व	182716	875	3488	44	30
पश्चिम	77556	2139	1898	136	4
सभी उत्पादन इकाइयां	27748	956			
जोड़:	883118	12290	19403	1019	144
2002-03 (30-6-02 तक)					
मध्य	23764	155	429	23	0
पूर्व	22553	109	168	17	0
उत्तर	23586	83	706	12	6
पूर्वोत्तर	5145	22	37	16	2
पूर्वोत्तर सीमा	1706	4	60	2	1
दक्षिण	14712	747	212	58	1
दक्षिण-मध्य	22020	235	144	2	0
दक्षिण-पूर्व	30982	341	553	21	3
पश्चिम	7853	536	308	17	0
सभी उत्पादन इकाइयां	12822	118			
जोड़:	152321	2350	2617	168	13

(ग) स्क्रैप की निपटान एक सतत प्रक्रिया है। 30.6.2002 को प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर बिक्री के लिए उपलब्ध स्क्रैप की मात्रा निम्नलिखित है:-

रेलवे	पटरियों सहित लौहमय स्क्रैप (मीटरिक टन में)	अलौह स्क्रेप (मीटरिक टन में)	माल डिब्बे (चौपहिया इकाइयों में*)	सवारी डिब्बे (अदद में)	रेल इंजन (अदद में)
मध्य	11359	104	296	65	13
पूर्व	10139	744	470	62	32
उत्तर	14717	231	127	24	0
पूर्वोत्तर	3973	283	98	80	8
पूर्वोत्तर सीमा	368	3	75	16	1
दक्षिण	7414	541	8	13	0
दक्षिण-मध्य	8451	330	76	40	0
दक्षिण-पूर्व	4366	205	91	1	4
पश्चिम	5725	612	253	37	0
जोड़	73512	2053	1594	338	58

[अनुवाद]

विमान यात्रा में व्यय

1697. श्री हरिभाई चौधरी: क्या रेल मंत्री विमान यात्रा पर व्यय के बारे में 21 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित सूचना मुहैया कराने में देरी के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। विवरण में दी गई सूचना को एकत्रित किया गया था और 30.05.02 को संसदीय कार्य मंत्रालय में भेज दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रश्न सं., तारीख और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया वचन	कैसे पूरा किया गया	पूरा करने की तारीख	विलंब के कारण
1	2	3	4		5
21.03.2002 को श्री बीर सिंह महतो द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 3009	*हवाई यात्रा में व्यय* पूछा गया था कि: (क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा	(क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।	(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हवाई यात्रा पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है:- वर्ष – खर्च 1999-2000 – 32693,193 2000-01 – 270946,927 2001-02 – 29915,386		विभिन्न क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों से इकट्ठी करनी पड़ी थी।

1	2	3	4	5

हवाई यात्रा में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या हवाई/रेल यात्रा की आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु सरकार के पास कोई तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या तंत्र की सिफारिशों की कमी अनदेखी की गई है: और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II, 1990 संस्करण के नियम 1663 के अनुसार हवाई यात्रा का विनियमन निम्न प्रकार किया जाता है:

(1) रेलवे बोर्ड के सदस्य, महाप्रबंधक और समान औहदे के अधिकारी अपर सदस्य और 22400-24500 रु. के वेतनमान वाले अधिकार अपने विवेक से दौरा हवाई जहाज से कर सकते हैं। कार्यपालक निदेशक अथवा सचिव के औहदे की अधिकारी को संबंधित अपर सदस्य/संबंधित सदस्य की विशिष्ट स्वीकृति से और रेलवे के अधिकार को उसके वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से महाप्रबंधक की विशिष्ट स्वीकृति से हवाई यात्रा के लिए अनुमति दी जा सकती है।

(2) प्रत्येक हवाई यात्रा के लिए शुरू करने से पूर्व रेलवे बोर्ड अथवा रेलवे के महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी, जैसा भी मामला हो, की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

(3) हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति केवल परम आवश्यक मामलों में ही दी जानी चाहिए या उन मामलों में दी जानी चाहिए जहां सरकारी समय की बचत अनिवार्य हो। हवाई जहाज से प्रस्तावित यात्रा के बारे में उसे स्वीकृत देने से पहले गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार किया जाना चाहिए।

(4) जब रेलवे बोर्ड के सदस्य और रेलों के महाप्रबंधक अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों को हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति दे तब उन्हें अनिवार्यत: उन कारों को दर्ज करना चाहिए जिनकी वजह से वे हवाई जहाज से यात्रा करना आवश्यक समझते हैं।

1	2	3	4	5
			(5) बोर्ड कार्यालय में कार्यपालक निदेशक या सचिव के औहदे से नीचे के अधिकारी और रेलों पर विभागाध्यक्षों को उन ऐसी आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर जब रेलवे-बोर्ड से पूर्वानुमति ली गई हो, हवाई जहाज से यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	
			(घ) जी नहीं।	
			(ङ) प्रश्न नहीं उठता।	

रसोई गैस एजेंसी और पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र

1698. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2002 की तिथि के अनुसार देश में डीजल और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र, रसोई गैस एजेंसी और मिट्टी के तेल के लाइसेंसधारकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार मिलावट को रोकने के लिए डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की और एजेंसियों के आबंटन पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-4-2002 की स्थिति के अनुसार देश में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस.के.ओ.—एल. डी. ओ. डीलरशिपों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी:-

	संख्या
खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें	18,848
एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों	7,486
एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलशिपें	6,451

(ख) से (घ) जबकि नए स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिपों की स्थापना करने का मुद्दा किसी दिए गए स्थान की मांग, व्यवहार्यता आदि जैसे घटकों पर निर्भर करता है, वहीं पेट्रोलयिम उत्पाद की मिलावट रोकने के लिए एक अलग व्यवस्था मौजूद है।

[अनुवाद]

गांधी नगर और दिल्ली के बीच सीधी रेल लाइन

1699. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995 के दौरान गांधी नगर और दिल्ली के बीच सीधी रेल लाइन पर सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त रेल लाइन के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, अदरेज मोती से गांधीनगर तक नई लाइन के निर्माण और कलोल से अदरेज मोती तक मी.ला. के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है जिसके पूरा होने से गांधीनगर और दिल्ली के बीच सीधा रेल संपर्क मुहैया हो जाएगा।

(घ) अभी तक कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

राजस्थान में नैपथा आधारित परियोजनाएं

1700 **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से आमोनिया, डाई-अमोनियन फास्फेट, एकिलेनट्राइट, एक्रीलिक फाइबर, नाइट्रो सेलुलोज इत्यादि के उत्पादन हेतु मथुरा तेल शोधक कारखाने से नैपथा के आबंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव कब से लंबित है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सी.एन.जी. के मूल्यों में वृद्धि

1701 **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री अम्बरीश:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एन.जी. के मूल्य में अचानक वृद्धि की जांच हेतु श्री भूरे लाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपने निष्कर्ष दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई. जी. एल.) द्वारा की गयी मूल्य वृद्धि आवश्यक थी; और यदि हां, तो सी. एन. जी. के मूल्य में वृद्धि के बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को वास्तव में कितना लाभ हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, नहीं। श्री भूरे लाल ने सी.एन.जी. के मूल्य में वृद्धि पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से दो सप्ताह की समयावृद्धि मांगी है।

(ग) जी, हां। सी. एन. जी के मूल्य में 28 अप्रैल, 2002 को संशोधन किया गया था। वित्तीय परिणामों का पता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद चलता है। सी. एन. जी. के मूल्य में संशोधन के असर का विश्लेषण अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है।

दौंड में रेल कार्यशाला

[हिन्दी]

1702. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे में दौंड स्थित रेल कार्यशाला को कुछ वर्ष पहले बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए और स्थानांतरित किये गए;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस कार्यशाला को पुन: खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) मध्य रेल पर दौंड में कोई कारखाना नहीं था इसलिए उसके बंद होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की परियोजनाएं

1703. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा कितनी परियोजनाओं को लागू करने का लक्ष्य है;

(ख) उनके पूरा होने के संबंध में परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है और इनके लिए किन स्रोतों से धनराशि जुटाए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) भारत सरकार देश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिकल्पित 41110 मेगावाट की कुल क्षमता अभिवृद्धि में से केन्द्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए 14393 मेगावाट प्राप्त करने की योजना बनायी गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि एनएचपीसी 10वीं योजना के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से 4357 मेगावाट जोड़ेगा। इनमें निर्माणाधीन स्कीमों समेत वे स्कीमें शामिल हैं जो क्रियान्वयन और संवीक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और वे स्कीमें शामिल हैं जो राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यमों के जरिए क्रियान्वित की जानी है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा उनकी अनुमोदित/संशोधित लागत तथा चालू करने की प्रत्याशित तिथियों को इंगित करते हुए संलग्न विवरण में दिया गया है। क्षमता अभिवृद्धि की आयोजना एनएचपीसी द्वारा ऋण प्राप्त करने और इसके आंतरिक संसाधनों तथा बजटीय सहायता के माध्यम से निधियों की प्रेक्षित उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए की गयी है।

विवरण

एनएचपीसी की क्रियान्वयनाधीन और 10वीं योजना के दौरान आरंभ करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	राज्य	अनुमोदित/संशोधित लागत अनुमान (करोड़ रुपये में)	मूल्य स्तर	चालू करने की निर्धारित/प्रत्याशित समय सीमा	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
क. निर्माणाधीन स्कीमें							
1.	दुलहस्ती	390	जम्मू व कश्मीर	4227.02	नवम्बर-01	दिसम्बर-03	आरईसी अनुमोदन प्रक्रियारत
2.	चमेरा-2	300	हिमाचल प्रदेश	1684.2	अगस्त-98	मई-04	मई, 1999 में अनुमोदित
3.	धौलीगंगा-1	280	उत्तरांचल	1578.31	अगस्त-99	मार्च-05	जुलाई, 2000 में अनुमोदित
4.	तीस्ता-5	510	सिक्किम	2196.04	अप्रैल-99	फरवरी-07	फरवरी, 2000 में अनुमोदित
ख. नई परियोजनाएं							
5.	तीस्ता लो डैम चरण-3	132	प. बंगाल	-	-	मार्च-07	डीपीआर सीईए में प्रस्तुत
6.	तीस्ता लो डैम चरण-4	168	प. बंगाल	-	-	मार्च-07	डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाना है
7.	सेवा-2	120	जम्मू व कश्मीर	-	-	फरवरी-07	डीपीआरसीईए में प्रस्तुत
8.	बाव-2	37	महाराष्ट्र	-	-	मार्च-07	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट सीईए में प्रस्तुत कर दी गयी है।
ग. संयुक्त उद्यम परियोजनाएं							
9.	इन्दिरा सागर	1000	मध्य प्रदेश	4355.57	सितंबर-08	मई-05	मार्च, 2002 में अनुमोदित
10.	ओंकारेश्वर	520	मध्य प्रदेश	2224.32	सितंबर-01	मार्च-07	पीआईबी को प्रस्तुत की जानी है।
11.	पुरूलिया पम्प स्टोरेज	900	प. बंगाल	-	-	मार्च-07	निर्माणाधीन राज्य क्षेत्र परियोजना। एनएचपीसी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने हेतु अनुमोदन प्रक्रियारत है।

[अनुवाद]

ओएनजीसी द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से विपणन

1704. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री हेतु तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओएनजीसी द्वारा पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) को परिवहन ईंधनों का विपणन करने का प्राधिकार प्रदान कर दिया है। 3 वर्ष के प्रथम चरण में ओएनजीसी की योजना आरंभ में आंध्र प्रदेश, गुजरात, और महाराष्ट्र के तीन राज्यों में 600 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

1705. श्री पी.ड़ी एलानगोवन: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय और इसके स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों में प्रथम श्रेणी पदों अथवा राजपत्रित पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रथम श्रेणी पद अथवा राजपत्रित पदों में अनेक रिक्तियों को भरा जाना शेष हैं;

(घ) यदि हां, तो इन पदों को कब तब भरे जाने की संभावना है;

(ङ) उनके मंत्रालय और इसके सभी स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों में सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रथम श्रेणी अथवा राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इन अधिकारियों के वेतन और भत्ते वाहनों और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु कितनी वर्षवार धनराशि खर्च की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अन्तर्गत दो विभाग नामत: भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) तथा स्वायत्त निकाय अर्थात् फ्ल्यूड कन्ट्रोल रिसर्च इन्स्टीटयूट (एफसीआरआई) हैं। एफसीआरआई में कोई राजपत्रित पद नहीं है क्योंकि इस प्रकार के वैज्ञानिक पद वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। इन दो विभागों के लिए विभिन्न वर्ग-I या राजपत्रित पदों के संबंध में पदों के अनुसार केवल 13 वर्ग-I पदों को छोड़कर जिसके लिए डीपीई के संवर्ग नियंत्रण में है, संवर्ग नियंत्रण या तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) आदि के पास हैं। इन पदों 13 में से 5 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया है तथा 4 पद समूह 'क' के अन्तर्गत पदोन्नति कोटा के तहत् हैं जिसमें आरक्षण लागू नहीं है। मौजूदा भर्ती नियम के अनुसार, शेष 4 पदों पर आरक्षण नीति लागू होती है जिसमें ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) से वर्ग-I के पदों के लिए भर्ती का स्वरूप पदोन्नति है। इन 4 पदों में से 2 अधिकारी अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति अर्थात् 1 अनूसूचित जाति तथा 1 अनूसूचित जनजाति के हैं। चूंकि, इन पदों के लिए सीधी नियुक्ति नहीं हुई है इसलिए किसी अन्य पिछड़ें वर्ग की भर्ती नहीं हुई है।

(ग) और (घ) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में कोई राजपत्रित पद रिक्त नहीं है।

(ङ) इस मंत्रालय में कार्यरत आईएएस, वर्ग-I तथा राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या 78 है।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान इन अधिकारियों को वेतन और भत्ते, वाहन भत्ता तथा अन्य लाभ का भुगतान करने के लिए किया गया वार्षिक व्यय निम्नानुसार है:-

1999-2000	:	1,72,83,642/-रुपए
2000-2001	:	1,87,70,732/-रुपए
2001-2002	:	1,93,82,359/-रुपए

राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया धनराशि के भुगतान हेतु अंतिम समय-सीमा

1706. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एन. एन. कृष्णदास:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति:
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 21 जून 2002 के दी हिन्दू में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्र सरकार ने सभी राज्य विद्युत बोर्डों को अपनी बकाया धनराशि के भुगतान हेतु 30 जून, 2002 की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की थी;

(ख) यदि हां, तो बकाया धनराशि के भुगतान में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों को विद्युत आपूर्ति रोक देने का निर्णय किया है जिन्होंने अपनी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) मोंटेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों, जिन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों के उच्च स्तरीय दल के द्वारा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया, के आधार पर भारत सरकार ने रा. वि. बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को देय बकाया राशियों के एकमुश्त भुगतान हेतु तैयार स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया। स्कीम को 17.8.2002 को घोषित किया गया। 20.05.2002 को राज्य सरकार, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य एक संशोधित त्रिपक्षीय समझौता (टीपीए) परिचालित किया, जिस पर इनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है। स्कीम के अंतर्गत रा. वि. बोर्ड द्वारा 30.9.2001 तक सीपीएसयू के देय बकाया राशि के 15 वर्ष की समय-सीमा देकर, 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बॉण्डों को जारी कर तथा औसत मासिक बिलिंग के 105 प्रतिशत के बराबर का साख पत्र खोलकर एकमुश्त भुगतान करने का प्रावधान है। टीपीए पर हस्ताक्षर करने तथा साख-पत्र खोलने की अंतिम तारीख 30.6.2002 है।

(ख) 12 राज्य सरकारों नामश: आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश ने टीपीए हस्ताक्षर किए हैं। 9 अन्य राज्य सरकारों नामश: बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल ने सिद्धांत रूप में टीपीए पर हस्ताक्षर करने तथा साख पत्र खोलने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा एवं चंडीगढ़ के युटिलिटियों एवं राज्य विद्युत बोर्डों ने औसत मासिक बिलिंग के 105 प्रतिशत के समतुल्य के साख पत्र खोल लिए हैं।

(ग) और (घ) राज्यों के लिए स्कीम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन एवं गैर प्रोत्साहन का प्रावधान है। यदि रा.वि. बोर्ड चालू बिल का भुगतान करते हैं और निष्पादन मानदण्डों का अनुपालन करते है तो सीपीएसयू पहले वर्ष में बोर्डों को बॉण्डों के मूल्य का 3 प्रतिशत छमाही सुधार पर नकद प्रोत्साहन के रूप में देगा। दूसरे वर्ष में 2.5 प्रतिशत देगा और तीसरे तथा चौथे वर्ष में 2 प्रतिशत प्रोत्साहन देगा, (4 वर्षों में कुल 19 प्रतिशत प्रोत्साहन)। इसके अलावा यदि बोर्ड साख पत्र भी रखते हैं तो सीपीएसयू उन्हें बॉण्डों के 2 प्रतिशत मूल्य के बराबर का एकमुश्त नकद प्रोत्साहन देगा। साथ ही सुधार शुरू करने वाले राज्यों को त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) अनुदान के अंतर्गत तथा विद्युत के विवेकपूर्ण आवंटन के जरिए मदद दी जाएगी। वे राज्य, जो स्कीम के लागू होने के बाद 60 दिनों तक इस पर सहमति नहीं देते हैं, उन्हें सीपीएसयू के विद्युत केन्द्रों के 15 प्रतिशत विवेकपूर्ण आबंटन में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा और एपीडीआरपी के अंतर्गत सहायता नहीं दी जाएगी। यदि इनमें से किसी राज्य की सीपीएसयू के नाम बकाया राशि 50 करोड़ रु. से ज्यादा है, तो उस राज्य की विद्युत एवं कोयला आपूर्ति में कटौती की जाएगी, जो स्कीम में भाग लेने वाले राज्यों के लिए उपलब्ध है।

व्यय सुधार आयोग

1707. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय और विभागों के मौजूदा अपव्यय को कम करने हेतु सिफारिश देने के लिए उनके मंत्रालय में किसी व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसंबर, 2001 की स्थिति के अनुसार इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिसे उनके मंत्रालय या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों द्वारा अभी लागू किया जाना शेष है और उन्हें आज तक लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें सही अर्थों में कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति: (क) जी नहीं। विधि और न्याय मंत्रालय में व्यय सुधार आयोग स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नही नहीं उठता।

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का कायाकल्प

1708. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के कायाकल्प हेतु किसी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान पुणे का कायाकल्प करने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। छात्रों तथा संकाय के मानव संसाधन विकास हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक योजनागत स्कीम का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, शासी परिषद ने सिद्धांत रूप में अभिनय व पटकथा लेखन के नये पाठ्यक्रम शुरू करने तथा वर्तमान व पूर्व छात्रों की डिप्लोमा फिल्मों का विभिन्न टेलीविजन चैनलों का विपणन करने के बारे में निर्णय लिए हैं।

''बोल्ट'' योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

1709. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल प्राधिकारियों ने ''बोल्ट'' योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है जिसके परिणामस्वरूप कई शीघ्र पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन में विलंब हो रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ''बोल्ट'' योजना के अंतर्गत निजी निवेशकों का रुख बहुत उदासीन है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ''बोल्ट'' योजना के अंतर्गत अब तक कितनी रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है और तत्संबंधी लागत कितनी है;

(च) ''बोल्ट योजना'' के अंतर्गत आज तक कितनी परियोजनाएं पूरी हुई हैं; और

(छ) ''बोल्ट'' योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। इस कारण से किसी परियोजना के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) योजना सफल नहीं हुई है। आमंत्रित की गई 15 निविदाओं में से केवल दो परियोजनाओं को निविदाओं को ही अंतिम रूप दिया जा सका। प्रतिक्रिया बहुत कम हुई है और अप्रत्याशित कर वसूलियों के अत्यधिक जोखिम की जानकारी होने के कारण बोलीदाताओं ने ऊंची दरें उद्धृत की थी। अन्तिम रूप दी गई दो संविदाओं में से भी वीरमगाम मेहसाणा के आमान परिवर्तन की संविदा को कार्य शुरू करने में पार्टी की विफलता के कारण शुरूआती स्थिति में ही 3.1.97 को समाप्त करना पड़ा था। मुदखेड़-आदिलाबाद के आमान परिवर्तन की अन्य परियोजना भी वित्त की व्यवस्था करने में एजेंसी की विफलता के कारण संतोषजनक प्रगति नहीं कर सकी और संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार 26.11.2001 को उसे समाप्त कर दिया गया है।

(च) और (छ) कार्य में प्रगति करने में एजेंसियों की विफलता के कारण बोल्ट योजना के अन्तर्गत कोई परियोजना पूरा होने की स्थिति में नहीं पहुंची है, जिससे संविदाओं को समाप्त करना अनिवार्य हो गया है।

विद्युत प्रभार

1710. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने राज्य सरकारों से विद्युत प्रभार को घटाने और देश में विद्युतीकरण नेटवर्क के विस्तार में योगदान देने का अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) शेष प्रस्तावों के बहुस्तरीय वित्तपोषण के संबंध में रेलवे को क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां। यदि राज्य सरकारें बिजली की दरों को कम करती है तो रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं की प्रतिफल की दर बढ़ जाएगी। रेलें, अधिक मार्ग किमी को विद्युतीकृत कर पाएंगी, क्योंकि अधिक से अधिक रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं 14 प्रतिफल की दर की सीमा के लिए विचारार्थ अर्हक हो जाएंगी।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय द्वारा बिजली कर्षण के लिए बिजली की दरों में कमी के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) बिजली की दरों को संतोषजनक स्तर तक कम करने के लिए राज्य सरकारों और बिजली आपूर्ति प्राधिकारियों के साथ निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

(2) 13 राज्यों में राज्य बिजली नियामक आयोगों (एसईआरसी) की स्थापना की गई है। 11 राज्यों में क्षेत्रीय रेलों ने राज्य बिजली नियामक आयोगों से सम्पर्क किया है। सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात् वर्ष 2001-2002 के दौरान उ.प्र. दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में दरों में 1 से 4 प्रतिशत की कमी की गई है आंध्र प्रदेश में दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस वृद्धि को दो राज्य यथा राजस्थान और मध्य प्रदेश तक सीमित रखना सम्भव है।

(घ) शेष परियोजनाओं के बहुपक्षीय वित्तपोषण से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:-

रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से एडीबी द्वारा वित्त पोषण के लिए 19 परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल, एडीबी इन परियोजनों का मूल्यांकन कर रही है। इसके अतिरिक्त, रेल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को भी सम्पर्क किया जाएगा।

फ्लैग स्टेशन

1711. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम मंडल में "धानुवचापुरम" स्टेशन के रूप में उन्नयन करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्री गाड़ियों हेतु एक दूसरे टर्मिनल की स्थापना के परिणामस्वरूप त्रिवेन्द्रम मंडल में कोचूवेली स्थित मौजूदा माल यार्ड को नेमोम में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भर्ती पर प्रतिबंध

1712. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल में भर्ती पर कोई प्रतिबंध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रेल को कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो मंडल और जोनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पदों का रिक्त होना और रिक्तयों का भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है क्योंकि सेवानिवृत्ति, स्थानानांतरण आदि के कारण पद रिक्त होते रहते है और इन रिक्तियों को खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा, कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति, आदि के माध्यम से भरा जाता है। रेलों के विभिन्न विभागों में जनशक्ति की आवश्यकता की समीक्षा विभिन्न प्रोद्योगिकीय उन्नयनों के मद्देनजर कार्यभार के योक्तिकीकरण के आधार पर समय-समय पर की जाती है। रिक्तियों को भरते समय अतिरिक्त कर्मचारियों की पुन:

तैनाती एवजियों/भूतपूर्व-नैमित्तिक श्रमिक के समाहन आदि को ध्यान में रखा जाता है। बहरहाल, रेलों को, जहां कहीं आवश्यकता हो, रिक्तियां शीघ्रतिशीघ्र भरने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

1713. श्री वाई.वी. राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार/झारखंड में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन परियोजनाओं के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) बिहार राज्य में कोई हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना निर्माणाधीन नहीं है। चण्डील (2×4 मे.वा.) एवं नार्थ कोयल (2×12 मे. वा.) हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाएं, जो झारखंड में राज्य सेक्टर में निर्माणाधीन है, के क्रमश: 2002-2003 तथा 2004-05 में आरंभ होने की स्थापना है।

कोयल कारो एचई परियोजना (710 मे. वा.), जिसे मूल रूप से जून, 1981 में अुमोदित किया गया था, को एनएचपीसी द्वारा निष्पादित किया जाना है। आर एण्ड आर परियोजना क्रियान्वयन से लाभान्वितों का पता लगाने के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) का राज्य सरकार द्वारा नए सिरे से सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि एनएचपीसी पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार कर सके) झारखंड राज्य को अभी विद्युत खरीद के लिए पावर खरीद करार पर हस्ताक्षर करने हैं।

झारखण्ड में स्थापना हेतु प्रस्तावित निम्नांकित हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परियोजना अधिकारियों को वापस कर दी गई है ताकि सीईए तथा सीडब्लूसी टिप्पणियों के पश्चात् इसे पुन: प्रस्तुत किया जा सके:

1. संख एचईपी चरण-2 (2 × 90 + 2 × 3 = 186 मे. वा.)
2. कांधवन एचईपी (5 × 90 = 450 मे. वा.)
3. कन्हार पीएसएस (3 × 100 = 300 मे. वा.)

[हिन्दी]

राजस्थान में ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार

1714. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा स्त्रोत कार्यक्रमों के विस्तार हेतु कोई ठोस योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) उन्नत चूल्हों, बायोगैस संयंत्रों, सौर ऊर्जा और पवन विद्युत विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों का पहले से ही राजस्थान राज्य में कार्यान्वयन किया जा रहा है। चालू वर्ष के लिए राज्य में 500 बायोगैस संयंत्रों का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार के एक उपक्रम राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमि. (आरएसपीसीएल) द्वारा राज्य के जोधपुर जिले में मथानिया में 140 मेवा. की इंटीग्रेटेड सोलर कम्बाइंड साइकल पावर प्रौजैक्ट की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। आरएसपीसीएल द्वारा पश्चिमी राजस्थान में प्रत्येक 25 कि.वा. क्षमता की दो पवन फार्म परियोजनाएं भी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

मुंबई हाई पुनर्विकास योजनाएं

1715. श्री मोहन रावले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई हाई पुनर्विकास योजना का आकलन अक्तूबर 2001 में शुरू किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो चालू नार्थ मुंबई हाई विकास योजनाओं, आईपीईसी कार्यक्रम, एपीआई कार्यक्रमों इत्यादि में क्या अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहियां, लाभ और घाटा पाया गया, और घाटे की किस प्रकार गणना होती हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) किसी भी क्षेत्र का मूल्यांकन और विकास गतिशील प्रक्रियाएं हैं। मुंबई हाई साऊथ-क्षेत्र का पुनर्विकास अक्तूबर, 2001 में आरंभ किया गया था।

(ख) भारत के सबसे बड़े तेल क्षेत्र मुंबई हाई के पुनर्विकास की योजना आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के साथ गहन परामर्श से तैयार की गई थी। परिणामों, विपथनों, उपलब्धियों और असफलताओं की आवधिक निगरानी ओएनजीसी के निदेशक मंडल और डीजीएच की संबंधित उप-समिति द्वारा की जाती है। मुंबई हाई नार्थ और साऊथ क्षेत्रों के पुनर्विकास में विभिन्न क्रियाकलाप

शामिल हैं जो क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। मुंबई हाई-नार्थ में एल-3 रिजर्वायर से तेल उत्पादन, व्यवहार्यता रिपोर्ट में परिकल्पित पूर्वानुमानित उत्पादन दर अधिक हुआ है और इस समय की स्थिति के अनुसार उत्पादकता के रूप में कोई क्षति नहीं हुई है।

मुंबई हाई क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र रिजर्वायर प्रबंधन अध्ययन का आयोजन विश्व बैंक गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता आईपीईसी, यू.के. द्वारा किया गया था। इस अध्ययन के परिणामों पुनरीक्षण के बाद ओएनजीसी ने एक व्यवहार्यता अध्ययन तैयार किया था जिससे मुंबई हाई के पुनर्विकास को अंतिम रूप देने में उपयोगी सहायता मिली थी।

एपीआई कार्यक्रम अर्थात् ओएनजीसी द्वारा मैसर्स पीजीएस, नार्वे के माध्यम से क्रियान्वित 3-डी भूकंपीय आंकड़ों के अर्जन, संसाधन और निर्वचन के कार्यक्रम से ओएनजीसी मुंबई हाई क्षेत्र के रिजर्वायरों की भूवैज्ञानिक जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ पायी और मुंबई हाई के पुनर्विकास को अंतिम रूप देने और उसके क्रियान्वयन में सहायता मिली।

ओएनजीसी वैश्विक आधार पर हानिकरण घाटे का अनुमान लगाती है और लेखाकरण प्रयोजन के लिए उत्पादनशील द्रव्यों की वहनीय लागत में इसका समायोजन करती है।

रक्षाकर्मियों का पुलिस विभाग में स्थानांतरण

1716. श्री रघुनाथ झा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा सेवाकर्मियों का पेंशन संबंधी बिल साल दर साल बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारी स्तर के नीचे के कर्मचारियों को केन्द्रीय पुलिस संगठनों, राज्य सशस्त्र पुलिस बलों और भारतीय रिजर्व बटालियनों में स्थानांतरित कर इसमें कमी किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। तथापि, वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के व्यय संबंधी आंकड़ें 1999-2000 के आंकड़ों से कम हैं।

(ख) और (ग) सशस्त्र सेना कार्मिकों के केन्द्रीय पुलिस संगठनों में पार्श्विक स्थानांतरण संबंधी विभिन्न मुद्दों का विस्तृत अध्ययन करने तथा इसके लिए तौर-तरीके तय करने के लिए एड्जुटेंट जनरल, सेना मुख्यालय की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया था। कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

विद्युत की आपूर्ति

1717. श्री राजो सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्युत की पारस्परिक आपूर्ति के संबंध में कुछ पड़ौसी देशों के साथ समझौता करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) भारत और नेपाल के बीच विद्युत अंतरण काफी समय से चल रहा है। आज की तिथि के अनुसार भारत और नेपाल नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 132/33/11 के.वी. के 20 फीडरों के माध्यम से जुड़े हुए हैं-

1.	उत्तर प्रदेश और नेपाल	- 33/11 के.वी. (5 फीडर)
2.	उत्तरांचल और नेपाल	- 33/11 के.वी. (4 फीडर)
3.	बिहार और नेपाल	- 132/33/11 के.वी. (11 फीडर)

भारर और नेपाल के बीच विद्युत अंतरण को निम्नलिखित श्रेणियों में बाटां जा सकता है।

1. दोनों देशों के बीच समझौते के अनुसार द्विपक्षीय परियोजनाओं यथा कोसी, गण्डक, टनकपुर से विद्युत की हिस्सेदारी।

2 दोनों तरफ सीमा के समीप स्थानीय क्षेत्र मे वितरण और आपूर्ति हेतु विद्युत अतंरण।

सरकार ने भारत और नेपाल के बीच विद्युत अंतरण से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को नियुक्त किया है और दोनों देशों के बीच विद्युत का अंतरण बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है।

भारत तथा भूटान के बीच में विद्युत विनिमय भी अस्तित्व में। भारत चूखा जल विद्युत परियोजना (336 मेगावाट) तथा कुरिचू जल विद्युत परियोजना (3×15 मेगावाट) से विद्युत आयात कर रहा

है। कुरिचू एचईपी की चौथी यूनिट अभी हाल में स्थापित की जानी है। भारत कम हाइड्रो अवधि के दौरान भूटान को विद्युत निर्यात करता रहा है। ताला जल विद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) निर्माणाधीन है और 2004-05 में चालू होनी है। भूटान में भार मांग को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से अधिकांश विद्युत भारत के निर्यात की जाएगी।

भारत तथा बांग्लादेश के बीच में भी विद्युत विनिमय की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। एनटीपीसी बांग्लादेश में उपलब्ध प्राकृतिक गैस के प्रयोग से गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं की जांच कर रहा है।

[अनुवाद]

रेल संग्रहालय द्वारा "रेलवे के 150 वर्ष" का आयोजन

1718. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ के आयोजन के दौरान रेल संग्रहालय के कार्यकलाप क्या हैं;

(ख) क्या धन को नोडल प्राधिकारी रेल संग्रहालय के नियंत्रणाधीन रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो जारी समारोहों के दौरान विभिन्न आयोजनों एवं कार्यों को करने के संबंध में रेलवे को क्या प्रस्ताव एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) संग्रहालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) (1) 150वीं वर्षगांठ के लिए स्मृति चिह्न जारी करना।

(2) मुंबई छ.शि.ट. को विश्व धरोहर के रूप में समर्पण करना।

(3) नीलगिरी पहाड़ी रेलवे का विश्व धरोहर के लिए प्रस्ताव।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को उनकी आवश्यकतानुसार स्मृति चिह्नों की आपूर्ति की गई है। मुंबई छ.शि.ट. के समर्पण हेतु यूनेस्कों को आवेदन किया गया है। नीलगिरी पहाड़ी रेलवे के प्रस्ताव के 2002-03 में यूनेस्कों को भेजा जाना है।

[हिन्दी]

रेलवे कलपुर्जों का आयात

1719. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कलपुर्जों, सवारी डिब्बों, रेल इंजनों एवं अन्य सामग्रियों के आयात पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र की निर्माता इकाइयों को कितने क्रयादेश मिले;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की निर्माता इकाइयों को मिलने वाले क्रयादेशों में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय):

(करोड़ रु. में)

	2000-2001	2001-2002
(क)	461.85	लेखा संबंधी किताबों का अभी मिलान एवं बंद किया जाना बाकी है।
(ख)	3282	लेखा संबंधी किताबों का अभी मिलान एवं बंद किया जाना बाकी हैं।

(ग) जी नहीं। पिछले कुछ ही वर्षों से मामूली परिवर्तन हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एलपीजी वितरण केन्द्र

1720. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वाहनों में काम आने वाली एलपीजी के वितरण केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है,

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में और अधिक संख्या में वाहनों में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी के वितरण केन्द्र स्थापित करने का है,

(ग) यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या तमिलनाडु में भी वाहनों में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी के वितरण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने देश के विभिन्न भागों में 17 आटो एलपीजी वितरण स्टेशन (एएलडीएस) चालू किए हैं।

(ख) से (घ) तेल विपणन कंपनियों ने वर्ष 2003-04 के अंत तक देश के विभिन्न राज्यों में 228 आटो एलपीजी वितरण केन्द्रों की स्थापना करने की अपनी योजना तैयार की है। इनमें से 17 आटो एलपीजी वितरण केन्द्रों की योजना तमिलनाडु राज्य के लिए है।

विद्युत परियोजनाएं

1721. श्री एम. के. सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद अरूणाचल प्रदेश स्थित राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की सुबोसीरी लोवर पॉवर प्रोजेक्ट शुरू हो गई है,

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और परियोजना निर्णय का संशोधित कार्यक्रम क्या है,

(ग) किस क्षेत्र में तेल्ली वन्यजीव अभयारण्य के जलमग्न होने की संभावना है और इस परियोजना से नदी के मार्ग में किए जाने वाले परिवर्तन का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इससे होने वाले पर्यावरणीय असंतुलन एवं गड़बड़ी की कमी को किस प्रकार पूरा किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में सुबन्सिरी लोअर परियोजना (250× 8 मेगावाट) के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप जलमग्नता संभावित तालें वन्य जीवन अभयारण्य की 42 हैक्टेयर भूमि के गैर-आरक्षण को अनुमति दे दी है। वर्तमान में चरण-II के कार्य, जिसमें मुख्यत: पूर्व-निर्माण कार्य, बुनियादी सुविधाओं का विकास तथा भूमि अधिग्रहण के कार्य शामिल हैं, प्रगति पर हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से परियोजना के लिए स्वीकृत प्राप्त करने हेतु कार्रवाई चल रही है। परियोजना की स्थापना के संबंध में निवेश निर्णय बाद में प्राप्त की जाएगी।

(ग) और (घ) सुबन्सिरी लोअर परियोजना के क्रियान्वयन से ताले वन्य जीवन अभयारण्य के केवल 42 हैक्टेयर भूमि के जलमग्न होने की संभावना है। यह वन्य जीव अभयारण्य की कुल भूमि का 0.09 प्रतिशत है। जलमग्नता-प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने का विचार है। यह जलमग्नता मुख्यत: नदी के जल को अवरूद्ध करने के कारण होगी। एनएचपीसी पर्यावरण/वन संबंधी स्वीकृति में निर्धारित सभी आवश्यक सुधारकारी उपाय करेगा।

दूरदर्शन की रेटिंग में सुधार

1722. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यावसायिक रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दूरदर्शन के कार्यक्रमों के बारे में की गई रेटिंग से नाराज दूरदर्शन अपने श्रोता अनुसंधान एकक को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन द्वारा क्या विस्तृत योजना बनाई गई है;

(ग) क्या दूरदर्शन के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु अर्थोपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा कोई समिति गठित किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के कब तक बनने की संभावना है; और

(ङ) दूरदर्शन द्वारा अपनी रेटिंग में सुधार लाने हेतु क्या अन्य उपाय किए गए है अथवा किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने दूरदर्शन की घरेलू अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ करने और कार्यक्रमों की विषयवस्तु/गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निर्माताओं को मार्गनिदेश देने हेतु प्रो. पी.एस. देवधर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसमें संचार अनुसंधान के क्षेत्र की अन्य प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न केन्द्रों को नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित करके उनका उन्नयन करने और प्रक्रियाओं में गत्यावरोधों अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को रसोई गैस की एजेंसियों का आबंटन

1723. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में नि:शक्त/शारीरिक रूप से अपंग कितने व्यक्तियों को रसोई गैस की एजेंसियों एवं पेट्रोल पंपों का आबंटन किया गया है,

(ख) नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में आबंटनों में उनके लिए आरक्षित डीलरशिप का प्रतिशत क्या है,

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके लिए आरक्षित कोटे को पूरा किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने राजस्थान राज्य में विगत 3 वर्षों के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को 12 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 8 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित की है।

(ख) से (घ) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षण 5 प्रतिशत है तथा प्रत्येक श्रेणी के तहत आरक्षण प्रत्येक विपणन योजना में 100 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर किया जाता है, न कि वित्तीय वर्ष के आधार पर।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पवन ऊर्जा

1724. डा. जयंत रंगपी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों, विशेषकर पवन ऊर्जा तैयार करने हेतु तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस क्षेत्र में विभाग द्वारा शुरू की गई और चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में तेज पवन वाले स्थलों का पता लगाने के लिए विशेष परियोजना आरंभ की गई थी। इस क्षेत्र में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से विस्तृत पवन निगरानी अध्ययन करने के लिए 27 स्थलों की पहचान की गई है।

इस क्षेत्र में लगभग 2030 मेवा, की लघु पनबिजली संभाव्यता वाले 1059 स्थलों की भी पहचान की गई है। बायोमास संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत बायोमास विद्युत परियोजनाओं की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए इस क्षेत्र के कुछ राज्यों में 42 तालुका स्तरीय अध्ययन किए गए थे जिनमें से अब तक 24 अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में 153 मेवा. क्षमता की 97 लघु पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और 165 मेवा क्षमता की 69 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। ग्राम विद्युतीकरण के लिए 24 बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें से अब तक एक परियोजना त्रिपुरा में पूरी की गई है। इस क्षेत्र में 50,000 से भी ज्यादा सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां स्थापित की गई हैं जिसमें लालटेन, घरेलू रोशनी प्रणालियां, सड़क रोशनी, पंप और विद्युत संयंत्र शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न योजनाओं के अतंर्गत उन्नत चूल्हा, सौर कुकर, बायोगैस संयंत्र, सौर जल तापन प्रणालियां, जल पंपन पवन चक्कियां तथा एरोजनरेटर परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं।

शोरानुर-मंगलौर रेल लाइन का दोहरीकरण

1725. श्री टी. गोविन्दन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शोरानुर-मंगलौर रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना से संबंधित कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) 307 किमी. में से 171 किमी. का दोहरीकरण कार्य पहले ही पूरा हो गया है। शेष खंड में मिट्टी और पुलों आदि से संबंधित कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। 2002-2003 के दौरान, 50 किमी. के दोहरीकरण का लक्ष्य है।

(ग) शोरूवण्णूर-मंगलौर का समग्र दोहरीकरण 2003-2004 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

एच.एम.टी. की बिक्री

1726. श्री नरेश पुगलिया: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.एम.टी. लिमिटेड ने अपनी चार इकाइयों की बिक्री के लिए निविदा आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान एच.एम.टी. लिमिटेड की इन चार इकाइयों द्वारा अर्जित लाभ/हानि कितनी हैं; और

(घ) एच.एम.टी. लिमिटेड द्वारा अपनी इकाइयों को बेचने का निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) एचएमटी ने अपनी चार सहायिकाओं अर्थात् एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचेज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेज तथा एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड में 74 प्रतिशत तक विनिवेश करने की दृष्टि से उपयुक्त बोलीकर्ताओं से रूचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की है।

(ग) विगत तीन वर्षों में से उपरोक्त सहायिकाओं द्वारा अर्जित किए गए लाभ/उठाई गई हानि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

	2000-01	*2001-02
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-96.17	-17.13
एचएमटी वाचेज लिमिटेड	-59.18	-109.05
एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड	-7.95	-9.70
एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	2.21	1.17

*प्रोविजनल लेखापरीक्षा होने पर।

(करोड़ रुपए में)

	1999-2000
मशीन टूल्स बिजनेस ग्रुप*	-88.76
वाच बिजनेस ग्रुप*	-168.89
वाच फैक्ट्री श्रीनगर*	-35.74
एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	3.50

*अलग सहायिका के गठन से पूर्व।

(घ) विनिवेश की प्रक्रिया अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने के संबंध में सरकार की समय नीति के एक भाग के रूप में आरंभ की गई है। इसके अलावा इसका उद्देश्य आवश्यकता निवेश प्राप्त करने का जो यूनिटों की जैव्यता में सुधार लाने में मदद करेगा।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/एफ.एम. का विस्तार

1727. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रेडियों कवरेज में विस्तार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ख) अब तक देश में रेडियो प्रसारण केन्द्रों, मीडियम वेव, शार्ट वेव एवं एफ एम चैनलों की स्थानवार, नामवार, राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी/एफ एम के विकास हेतु आबंटित और व्यय की गई धनराशि कितनी है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना आबंटन किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार औरंगाबाद, पुणे एवं महाराष्ट्र सहित देश में और अधिक संख्या में प्रसारण केन्द्र खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) 10वीं योजना के प्रारूप में देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रेडियो कावरेज को सुधारने के लिए अतिरिक्त ट्रांसमीटर लगाने और मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 10वीं योजना में वित्त की उपलब्धता के अनुसार देश में और अधिक प्रसारण केन्द्र खोले जायेंगे। औरंगाबाद और पुणे में रेडियो प्रसारण केन्द्र पहले से ही कार्यरत हैं।

विवरण–1

18.7.2000 की स्थिति के अनुसार मौजूदा आकाशवाणी केन्द्र

कुल केन्द्र

क्र.सं.	राज्य और स्थान	ट्रांसमीटर की क्षमता	राज्य में आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या	केन्द्र की स्थिति
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश		12	
1.	हैदराबाद	200 कि.वा.मी.वे		हैदराबाद क
		20 कि.वा.मी.वे		हैदराबाद ख
		6 कि.वा.मी.वे		वी बी
		50 कि.वा.एस.वे		क्षेत्रीय सहायता
2.	आदिलाबाद	1 कि.वा.मी.वे		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
3.	विजयवाड़ा	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		1 कि.वा.एफ.एम		
4.	विशाखापट्नम	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एफ एम		वी बी
5.	कुडप्पा	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
6.	काठगोदामष	6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
7.	वारंगल	10 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
8.	निजामाबाद	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
9.	तिरूपति	10 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
		3 कि.वा.एफ एम		
10.	अनन्तपुर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
11.	कुरनूल	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
12.	मरकापुरम	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
	अरूणाचल प्रदेश		5	
13	इटानगर	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		50 कि.वा.एस वे		क्षेत्रीय सहायता
14.	पासीगाट	10 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल

1	2	3	4	5
15.	तवांग	10 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
16.	तेजू	10 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
17.	जीरो	1 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
	असम			10
18.	गवाहाटी	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.मी.वे		वी बी और वाई वी
		10 कि.वा.एफ एम		वी बी
		50 कि.वा.एस.वे		स्थानीय सहायता
		50 कि.वा.मी.वे		वी बी समकालिन प्रचालन
19.	सिल्चर	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
20.	डिब्रूगढ़	300 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
21.	जोरहाट	10 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
22.	हाफलोंग	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
23.	नौगांव	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
24	दिफू	1 कि.वा.मी.वे		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
25.	कोकाझार	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
26.	डिबरू	6 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
27.	तेजपुर	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
	बिहार			
28.	पटना	100 कि.वा.मी.वे 6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल वी बी
29.	भागलपुर	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
30.	दरभंगा	10 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
31.	सासाराम	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
32	पुरनैया	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
	छत्तीसगढ़			
33.	अम्बिकापुर	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
34.	जगदलपुर	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल

1	2	3	4	5
35.	रायपुर	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
36.	बिलासपुर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
37.	रायगढ़	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
	गोवा			
38	पणजी	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		20 कि.वा.मी.वे		वी बी
		6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
		2 × 250 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
	गुजरात		7	
39.	अहमदाबाद	2000 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एफ एम		वी बी
40.	वडौदरा	1 कि.वा.मी.वे		वी बी
		10 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
41.	भुज	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
42.	राजकोट	300 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
		1000 कि.वा.मी.वे		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
		10 कि.वा.मी.वे		वी बी
43.	गोदरा	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
44.	सूरत	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
45.	हावा	1 कि.वा.मी.वे		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
	हरियाणा		3	
46.	रोहतक	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
47.	कुरूक्षेत्र	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
48.	हिसार	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
	हिमाचल प्रदेश		6	
49.	शिमला	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		50 कि.वा.एफ एम		क्षेत्रीय सहायता
50.	कासौली	10 कि.वा.एफ एम		रिले केन्द्र

1	2	3	4	5
51.	हमीरपुर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
52.	धर्मशाला	10 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
53.	कुल्लू	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
54.	किनानूर (कालपा)	1 कि.वा.मी.वे		स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
	जम्मू — कश्मीर		6	
55.	श्रीनगर	200 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.मी.वे		युव वाणी
		10 कि.वा.एफ एम		वी बी
		50 कि. वा. एफ. एम		प्राथमिक चैनल
56.	जम्मू	3000 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		3 कि.वा.एफ एम		युव वाणी
		10 कि.वा.एफ एम		वी बी
		1 कि.वा.एफ एम		क्षेत्रीय सहायता
57.	लेह	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एफ एम		क्षेत्रीय सहायता
58.	कथुवा	10 कि.वा.एफ एम		क्षेत्रीय सहायता
59.	पुंछ	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी
60.	कारगील	1 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
61.	बाहदरवा	6 कि.वा.मी.वे		रिले
62.	रांची	100 कि.वा.एफ एम		
		6 कि.वा.एफ एम		
		50 कि.वा.एफ एम		
63.	जमशेदपुर	1 कि.वा.एफ एम		
		6 कि.वा.एफ एम		
64.	चाईबासा	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी
65.	हजारीबाग	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी
66.	डालटनगंज	10 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी

1	2	3	4	5
	कर्नाटक		13	
67	बंगलौर	200 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एफ एम		वी बी
		10 कि.वा.एफ एम		मेट्रो एफएम
68.	भदरावती	20 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
		200 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
69.	धारवाड़	20 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
70.	गुलबर्गा	20 कि.वा.एफ एम		वीबी
		1 कि.वा.एफ एम		
71.	मंगलौर/उदिपी	1 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
72.	मैसूर	6 कि.वा.एफ. एम		प्राथमिक चैनल
73.	चितरगढ़	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी
74.	हासन			स्थानीय आकाशवाणी
75.	होसपैट	10 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी
76.	रायचूर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी
77.	मेरकेरा	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी
78.	कारवार	3 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी
79.	बिजापुर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय आकाशवाणी
80.	अलीपै	200 कि.वा.एफ एम		रिले केन्द्र
81.	कालीकट	100 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
		1 कि.वा.एफ.एम		वीबी
82.	तिरचूर	100 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
	कालीकट	100 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
83.	तिरूवनंतपुरम	20 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
		50 कि.वा.एफ एम		वी बी
84.	कोचीन	6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एफ एम		वीबी

1	2	3	4	5
85.	कनानूर	6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
86.	इदुकी (देवीकुलम)	6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
	मध्य प्रदेश			
87	भोपाल	10 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
		6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
88.	छत्तरपुर	कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
89.	ग्वालियर	कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
90.	इन्दौर	कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
		कि.वा.एफ एम		वीबी
91.	जबलपुर	कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
92.	रेवा	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
93.	खांडव	6 कि.वा.एफ एम		रिले केन्द्र
94.	बेतुल	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
95.	शिवपुरी	6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
96.	छिंदवाड़ा	6 कि.वा.एफएम		स्थानीय रिले केन्द्र
97.	सहडोल	6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
98.	बालाघाट	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
99.	गुना	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
100.	सागर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
	महाराष्ट्र		20	
101.	औरंगाबाद	1 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
102.	मुम्बई	100 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		100 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		50 कि.वा.मी वे		वीबी
		10 कि.वा.मी वे		दूसरा एफएम चैनल
		5 कि.वा.एफ. एम		वीबी

1	2	3	4	5
		100 कि.वा. मी वे		क्षेत्रीय सहायता
		50 कि.वा.मी वे		
103.	जलगांव	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
104.	नागपुर	100 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		6 कि.वा.एफ एम		वीबी
		1000 कि.वा.मी वे		राष्ट्रीय चैनल
105.	परभानी	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
106	पुणे	100 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		6 कि.वा.एफ एम		वीबी
107.	रतनागिरी	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
108.	संगधाली	20 कि.वा.मी. वे		प्राथमिक चैनल
109.	सोलापुर	1 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
110.	धुले	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
111.	बीड	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
112.	अहमदाबाद	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
113.	नादेड	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
114.	अकोला	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
115.	कोलापुर	6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
116.	यवतमाल	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
117.	सतारा	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
118.	चन्द्रापुर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
119.	नासिक	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
120.	औसमानाबाद	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
	मणिपुर		1	
121.	इम्फाल	50 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		50 कि.वा.एस वे		क्षेत्रीय सहायता
	मेघालय			
122.	सीलोंग	100 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		50 कि.वा.एस. वे		एनई सेवा

1	2	3	4	5
123.	तुरा	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
124.	जोवई	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
125.	विलियम नगर	1 कि.वा.मी वे		सीआरएस
126.	नागसटन	1 कि.वा.मी वे		सीआरएस
	मिजोरम		3	
127.	अजिवाल	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एस वे		क्षेत्रीय सहायता
128.	लुंगलेह	6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
129.	साईहा	1 कि.वा.मी वे		सीआरएस
130.	कोहिमा	50 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		50 कि.वा.मएसी वे		क्षेत्रीय सहायता
	नागालैंड		4	
131.	मोकाचुंग	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
132.	मोन	1 कि.वा.मी वे		सीआरएस
133.	तुएनसांग	1 कि.वा.मी वे		
134.	कटक	100 कि.वा.मीवे		प्राथमिक चैनल
		1 कि.वा.मी वे		वीबी
		6 कि.वा.मी वे		कंपीटल एफएम
135.	जैपौर	100 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
136.	समबलपुर	100 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		50 कि.वा.एस वे		क्षेत्रीय सहायता
137.	किओनझार	1 कि.वा.मी वे		स्थानीय रिले केन्द्र
138.	बारीपाड़ा	1 कि.वा.मी वे		स्थानीय रिले केन्द्र
139.	बेहरमपुर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
140.	भवानीपटना	200 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
141.	बालनगीर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
142.	राऊरकेला	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र

1	2	3	4	5
143.	पुरी	3 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
144.	झोरांड़ा	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
	पंजाब		3	
145.	जालंधर	300 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		200 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		1 कि.वा.मी वे		वीबी
		10 कि.वा. एफ एम		केपीटल एफएम
156.	भटिंडा	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
147.	पटियाला	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
	राजस्थान		17	
148.	जयपुर	1 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		1 कि.वा.मी वे		वीबी
		6 कि.वा.एफ एम		वीबी
		50 कि.वा.एस वे		क्षेत्रीय सहायता
149.	कोटा	1 कि.वा.मी वे		स्थानीय रिले केन्द्र
150.	अजमेर	200 कि.वा.मी वे		रिले केन्द्र
151.	बीकानेर	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
152.	उदयपुर	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
153.	जोधपुर	100 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		6 कि.वा.एफ एम		वीबी
154.	सुरतगढ़	300 कि.वा.मी. वे		प्राथमिक चैनल
155.	अलवर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
156.	नागौर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
157.	बंसवाड़ा	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
158.	चितौंडगढ़	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
159.	बारमेर	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
160.	सवाई माधोपुर	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र

1	2	3	4	5
161.	चुरू	6 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
162.	झारवाड़	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
163.	जैसलसेर	10 कि.वा.एफ एम		प्राथमिक चैनल
164.	माऊंटआबु	6 कि.वा.एफ एम		
	सिक्किम		1	
165.	गंगटोक	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एस वे		क्षेत्रीय सहायता
	तमिलनाडु		1	
166	कोयम्बटुर	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एफ एम		बीबी कम एफएम मेट्रो
167.	चैन्नई	200 कि.वा.मी वे क		प्राथमिक चैनल
		20 कि.वा.मी. वे ख		प्राथमिक चैनल
		20 कि.वा.मी वे		वीबी
		10 कि.वा.एफ एम		मेट्रो एफएम एक
		5 कि.वा.एफ एम		मेट्रो एफएम-2
		50 कि.वा.एस वे		क्षेत्रीय सहायता
		100 कि.वा.एस वे		वीबी
168.	मधुरई	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
169	तिरूचिरापल्ली	100 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.मी वे		वीबी
170.	तिरूनेलवली	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
171.	नागोरकोयल	10 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
172.	ओटाकामुड	1 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
173.	टुटीकोरीन	200 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
174.	कोडईकनाल	10 कि.वा.एफ एम		मेट्रो एफ एम पैर्टन
175.	अगरत्तला	20 कि.वा.मी. वे		प्राथमिक चैनल
176.	बेलोनिया	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र

1	2	3	4	5
177.	कैलासहाड़	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
	उत्तरांचल		6	
178.	अलमौडा	1 कि.वा.मी. वे		प्राथमिक चैनल
179.	गोपेश्वर (चमोली)	1 कि.वा.मी.वे		तथैव
180.	मंसूरी	10 कि.वा.एफ एम		रिले सेन्टर
181.	पुरी	1 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
182.	पिथौरागढ़	1 कि.वा.मी.वे		रिले सेन्टर
183.	उत्तरकाशी	1 कि.वा.मी.वे		रिले सेन्टर
	उत्तर प्रदेश		14	
184	लखनऊ	300 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.मी.वे		वी बी
		10 कि.वा.एफ एम		मेट्रो एफ एम पैटर्न
		50 कि.वा.एस डब्ल्यू		क्षेत्रीय सहायता
185.	इलाहाबाद	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.मी.वे		वी बी
186.	वाराणसी	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		1 कि.वा.मी.वे		वी बी
187.	रामपुर	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
188.	कानपुर	1 कि.वा.मी.वे		अनन्य वी बी
189.	मथुरा	1 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
190.	गोरखपुर	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
		50 कि.वा.एस.वे		विदेश सेवा
191.	नजीमाबाद	100 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
192.	आगरा	20 कि.वा.मी.वे		प्राथमिक चैनल
193.	फैजाबाद	6 कि.वा.एफ एम		स्था.रे.से.
194.	बरेली	6 कि.वा.एफ एम		स्था.रे.से.
195.	झांसी	6 कि.वा.एफ एम		स्था.रे.से.

1	2	3	4	5
196.	ओबेरा	6 कि.वा.एफ एम		स्टेशन
197.	अलीगढ़	6 कि.वा.एस. डब्ल्यू		रिले सेन्टर
		4×250 कि.वा.एस.डब्ल्यू		विदेश सेवा
		नये टी एक्स द्वारा दो प्रतिस्थान अधीन		
198.	कोलकाता	200 कि.वा.मी.वे ''ए''		कोलकाता ''ए''
		100 कि.वा.मी.वी		कोलकाता ''बी''
		20 कि.वा.मी.वे		वीबी
		5 कि.वा.एफ एम		युववाणी और एफ एम II
		10 कि.वा.एफएम (स्टरियो)		मैट्रो एफ एम I
		50 कि.वा.एस वी.		क्षेत्रीय सहायता
		1000 कि.वा.मी.वे		विदेश सेवा
199.	कुरूसेयांग	50 कि.वा.एस वे		प्राथमिक चैनल
		1 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
200.	सीलीगढ़	200 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एफ एम		वीबी
201.	मुरशीदाबाद	6 कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
202	अन्नासोल	6 कि.वा.एफ एम		रिले केन्द्र
संघ शासित				
	अण्डमान और निकोबार		1	
2003	पोर्ट ब्लेयर (ए एण्ड एन)	20 कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
		10 कि.वा.एस वे		क्षेत्रीय सहायता
	चंडीगढ़		1	
204	चंडीगढ़	6 कि.वा.एफ एम		वीबी
205.	दिल्ली	200 कि.वा.मी वे	1	दिल्ली क
		100 कि.वा.मी वे		दिल्ली क
		20 कि.वा.मी वे		वीबी
		10 कि.वा.मी वे		युववाणी

1	2	3	4	5
		5 कि.वा.एफ एम		एफ एम-2
		10 कि.वा.एफ.एम		मेट्रो एफ एम-1
		20 कि.वा.मी.वे		राष्ट्रीय चैनल
		5×100 कि.वा.एस वे		विस्तार सेवा
		7×50 कि.वा.एस वे		विस्तार सेवा
		4×250 कि.वा.एस वे		विस्तार सेवा
	पाण्डिचेरी		2	
206	पाण्डिचेरी	20कि.वा.मी वे		प्राथमिक चैनल
207	कार्यकाल (पाण्डिचेरी)	6कि.वा.एफ एम		स्थानिय रिले केन्द्र
	लक्षद्वीप समूह		2	
208	कावारती	1 कि.वा.मी वे		
	दमन और दीव		1	
209	दमन	3कि.वा.एफ एम		स्थानीय रिले केन्द्र
आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की कुल संख्या			335	

विवरण II

पिछली तीन वार्षिक योजनाओं में आकशवाणी के विकास के लिए आबंटित राशि का ब्यौरा

वर्ष	स्वीकृत बजट अनुदान	व्यय
1999-2000	122.00 करोड़	रुपये 90.05 करोड़
2000-2001	140.00 करोड़	रुपये 114.60 करोड़
2001-2002	190.93 करोड़	रुपये 179.68 करोड़

दसवीं योजना में आबंटित राशि को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी.वी.

1728. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में राज्यवार कितने स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी.वी लगाए गए हैं;

(ख) क्या रेलवे स्टेशनों पर इस सुविधा के प्रावधान से रेलवे को किसी रूप में सहायता मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान किन रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी.वी. लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी।

बाजार से उधार लेना

1729. श्री अरुण कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बाजार से उच्च दरों पर धन उधार लेती रही है और उसका उपयोग घाटे वाली संचालन कार्यवाहियों से उबरने के लिए करती रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक बाजार से कुल कितना धन प्राप्त किया गया है और कितनी ब्याज दर पर इसे प्राप्त किया गया है; और

(ग) व्यय में अत्यंत कमी लाने हेतु अनपेक्षित व्यय में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं, बाजार ऋण का उपयोग केवल राजस्व उत्पादन करने वाली परिसंपत्तियों अर्थात् माल डिब्बे, सवारी डिब्बे और रेल इंजनों के अर्जन में वित्त पोषण करने के लिए लिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए रेलों द्वारा सभी खर्च की नियमित समीक्षा की जा रही है। जन शक्ति का सही आकार रखने, परिसंपत्तियों के उपयोग और कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करने, बेहतर वस्तु सूची-प्रबंधन, ईंधन की खपत में बचत करने, यात्रा, प्रचार, आतिथेय आदि जैसे क्षेत्रों में मितव्ययिता करके खर्च पर नियंत्रण रखने के उपाय भी शुरू किए गए हैं।

मेघ विन्यास संबंधी अध्ययन

1730. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने मानसून के दौरान मेघ विन्यास का अध्ययन करने संबंधी परियोजना आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) भारतीय वायु सेना सतत् रूप से मौसम अनुसंधान संबंधी कार्य करती है। मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के लिए आजकल यह अरब सागर मानसून परीक्षण-2002 (आरमेक्स-2002) में हिस्सा ले रही है।

विद्युत क्षेत्र संबंधी निवेश

1731. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईकानामिक रिसर्च ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रमुख भारतीय और विदेशी प्रवर्तकों के 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की सभी 23 विद्युत परियोजनाओं में रूचि लेना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में प्रवर्तकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) सरकार इकोनामिक रिसर्च इंडिया सर्वे के बारे में 22 अप्रैल, 2002 को इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार से अवगत है।

सूचना के अनुसार विदेशी निवेशक जो विद्युत परियोजनाओं से बाहर निकल गए हैं, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(1) मैसर्स कोजेन्ट्रिक्स एनर्जी इंक मंगलौर थर्मल परियोजना (1013.2 मे.वा.), कर्नाटक से निकल गई है। कंपनी ने परियोजना से निकलने के कारण स्पष्ट नहीं किए थे।

(2) मैसर्स इलेक्ट्रीसाइट डी फ्रांस, जो एक फ्रांसीसी कंपनी है, ने महाराष्ट्र के 1082 मे.वा. वाले भद्रावती थर्मल प्लांट से बाहर निकलने का निर्णय स्थापित किया है। परियोजना से बाहर निकलने के लिए इसने निम्नांकित कारण बताए हैं:-

(क) विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति मिलने में असाधारण विलंब।

(ख) कोयला आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा कोयला के लिए बहुत ऊंचे ऋण की मांग।

(ग) एस्क्रो प्रबंध के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता का अभाव।

(3) महेश्वर हाइडल विद्युत परियोजना (10×40 मे.वा.), मध्य प्रदेश, मैसर्स बेयरवर्क ब्यू ने परियोजना से गैर संबंधित कारणों से उक्त परियोजना से निकलने का फैसला किया। मैसर्स आग्डेन एनर्जी, अमेरिका इसी परियोजना से अपने ही कारणों अर्थात् आंतरिक पुनर्गठन एवं परिवर्तित व्यवसाय आकर्षण की वजह से बाहर निकल गई।

(4) 1070 मे.वा. के कोरबा पूर्वी थर्मल परियोजना के मामले में मैसर्स डेवू पावर (इंडिया) लि. ने 14.8.2000 को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा भुगतान सुरक्षा देने में व्यक्त असमर्थता का हवाला देते हुए समाप्ति नोटिस जारी कर दिया।

(5) पश्चिम बंगाल की बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना की 420 मे.वा. की यूनिट 4 और 5 के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया कि मैसर्स बकरेश्वर पावर जनरेशन कं. लि., जो पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन, मैसर्स डी सी एल एवं मैसर्स आग्डेन एनर्जी एशिया पैसिफिक लि. द्वारा परियोजना की स्थापना के लिए गठित एक संयुक्त उद्यम है, को बंद कर दिया गया है और मैसर्स आग्डेन एनर्जी एशिया पैसिफिक संयुक्त कंपनी से बहार निकल गया है।

(6) पश्चिम बंगाल के 150 मेगावाट वाले गौरीपुर ताप विद्युत परियोजना के मामले में राज्य सरकार ने मैसर्स गौरी पावर कंपनी लि. को धारा 18(ए) के अधीन प्रदत्त अधिकार को निरस्त कर दिया है और 2×125 मे.वा. के संशोधित संरूपण के साथ गौरीपुर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना, स्वामित्व, प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन को दे दिया है।

(7) 6×60 मे.वा. की हिरमा ताप विद्युत परियोजना, जिसे मेगा विद्युत परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है, के मामले में परियोजना के विदेशी प्रवर्तक मै. मीरांत एशिया पैसिफिक लि. ने यह कहते हुए परियोजना से बाहर जाने की घोषणा की है कि भुगतान सुरक्षा तंत्र, ईंधन आपूर्ति समझौता, क्रियान्वयन समझौता एवं पारेषण सेवा समझौता से संबंधित कार्यों के लिए अनेक महत्वपूर्ण मानदंड़ों को पूरा नहीं किया गया था।

निजी क्षेत्र परियोजनाओं को पर्याप्त भुगतान सुरक्षा, जो परियोजना विकासकर्त्ताओं और विशेषकर वित्तीय संस्थाओं की एक आवश्यकता है, देने में राज्य विद्युत बोर्डों की असमर्थता उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जिनके कारण निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाएं अन्य मोर्चों पर अच्छी प्रगति के बावजूद वित्तीय समापन नहीं प्राप्त कर सकीं।

(ग) सरकार ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सुधार प्रक्रिया शुरू कि है। राज्यों ने विद्युत क्षेत्र सुधार की आवश्यकता स्वीकार की है। मार्च, 2001 में आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में विद्युत क्षेत्र सुधार को राजनीति विहीन करने तथा विद्युत सुधार में गति लाने की आवश्यकता पर आम सहमति बनी और यह भी स्वीकार किया गया कि सुधार की वास्तविक चुनौती वितरण क्षेत्र में है। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि दो वर्षों के समय में बिना लाभ-हानि की स्थिति प्राप्त कर तत्पश्चात् लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें। यह भी संकल्प लिया गया कि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को आवश्यकतानुसार सब्सिडी का भुगतान पूर्णत: बजट के जरिए उनकी सब्सिडी भुगतान की क्षमता की सीमा तक किया जाएगा। भारत सरकार ने 22 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध रूप से सुधार शुरू करने की संयुक्त प्रतिबद्धता शामिल है। इन समझौता ज्ञापनों के अन्तर्गत राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता में राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन, 11 के.वी. फीडरों का 100 प्रतिशत मीटरीकरण, कारगर ऊर्जा ऑडिट, विद्युत चोरी की पहचान कर इसका उन्मूलन तथा वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता की प्राप्ति शामिल है। भारत सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से अतिरिक्त विद्युत का आबंटन कर तथा उप पारेषण एवं वितरण के सुदृढ़ीकरण और विद्युत संयंत्रों के आपूर्ति की लागत एवं प्रति यूनिट औसत राजस्व के बीच के अंतर को कम करने संबंधित प्रोत्साहन अनुमान प्रदान करने के लिए अभिज्ञात सर्किलों में अपने उप-पारेषण विद्युत प्रणाली में सुधार करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के राज्यों को सहायता देने के लिए जो आरंभ किया है। 12 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें टैरिफ यौक्तिकीकरण करने की प्रवृत्ति स्पष्ट है। अनुमान है कि सुधारों के कारगर क्रियान्वयन से वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की जा सकेगी और विद्युत क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

[हिन्दी]

समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापन

1732. श्री राम टहल चौधरी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं कम संख्या में प्रकाशित होने के बावजूद प्रतिवर्ष लाखों रुपए के विज्ञापन प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के नार्थ एवेन्यू एवं साऊथ एवेन्यू में कार्यालय वाले समाचारपत्रों एवं परियोजनाओं को कितने मूल्य के विज्ञापन दिये गये?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) केवल उन्हीं समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करता है जो इसके साथ सूचीबद्ध हैं। समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की सूचीबद्ध करने हेतु विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय प्रसार लेखा परीक्षा ब्यूरो या भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक अथवा सनदी लेखाकार प्रमाणपत्र द्वारा मूल्यांकित प्रसार पर विचार करता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली के पतों से प्रकाशित मात्र दो समाचारपत्र नामत: ''पीपुल्स विक्टरी'' तथा ''लोक आस्था'' दोनों हिन्दी साप्ताहिक विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय अनुमोदित पैनल में शामिल थे। ''पीपुल्स विक्टरी'' विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल वर्ष 1999-2000 के लिए तथा ''लोक आस्था'' वर्ष 2001-2002 के लिए पैनल पर था। इन समाचारपत्रों को क्रमश: रु. 13,976 तथा रु. 10,608 की राशि के विज्ञापन जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

मच्छरदानियों की आपूर्ति

1733. श्री सुकदेव पासवान: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी जी ओ एस ने अप्रैल, 1997 में 5.92 करोड़ रुपए की लागत पर विशिष्टताओं के अनुरूप मच्छरदानियों की आपूर्ति करने हेतु दो अलग-अलग फर्मों को दो आपूर्ति क्रयादेश दिए थे और वस्तुओं को सीनियर क्वालिटी एश्यूरेंस आफिसर के निरीक्षण के बाद स्वीकार किया गया था और आर्डनेंस डिपो कोलकाता ने पूरी मात्रा को टुकड़ियों में बांटने के लिए 12 फीडिंग डिपो को जारी किया था;

(ख) क्या कुछ फील्ड आर्डनेंस डिपो द्वारा मच्छरदानियों के आकार में विभिन्नता के कारण स्वीकार न किए जाने की सूचना प्राप्त हुई और वे ठीक पाए गए तथा इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ;

(ग) यदि हां, तो क्या मामले की छानबीन की गई है और मच्छरदानियों के गलत निरीक्षण के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी हां।

(ख) जी, हां, तत्पश्चात् 1.80 करोड़ रुपए मूल्य की मच्छरदानियां परेषिती द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी क्योंकि ये विनिर्देशों को पूरा नहीं कर रही थीं।

(ग) और (घ) इस गलती लिए जिम्मेदार संबंधित अफसरों तथा स्टाफ के विरुद्ध पहले ही अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। एक सेवानिवृत्त सेना अफसर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की जा रही है, अन्य सेना अफसर को सेना आधिनियम की धारा 122 के तहत गंभीर असंतोष (दर्ज किए जाने योग्य) की सजा दी गई है जबकि एक अन्य सेना अफसर को दोषमुक्त कर दिया गया है। 34 सिविलियन अफसरों तथा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त शास्ति की कार्रवाई शुरू की गई है तथा एक कर्मचारी (गैर सरकारी संगठन) को सख्त शास्ति देते हुए उसके मामले का निपटान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

खर्चों में कटौती का अभियान

1734. श्री रामदास आठवले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में प्रचार, विज्ञापन, आतिथ्य, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, यात्राओं (विदेशी यात्राओं सहित), एस.टी.डी. टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों विशेषकर एयरकंडीशनरों और कूलरों के बिलों जैसे विभिन्न व्यय शीर्षों के अंतर्गत कितना खर्च किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार इन शीर्षों के अंतर्गत किए जा रहे खर्च में कटौती करने के लिए कोई अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) मौजूदा बजट तथा लेखा वर्गीकरण से रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी सेवाओं/विभागों से संबंधित तथा प्रश्न में उल्लिखित विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का सही-सही आकलन करना संभव नहीं है।

(ख) से (घ) इस प्रकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जारी विभिन्न नियमों/विनियमों के प्रावधानों तथा मितव्ययिता अनुदेशों का पालन किया जाता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का तेल अन्वेषण पर प्रभाव

1735. श्री जय प्रकाश: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण तेल और गैस क्षेत्र में कार्यरत कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि अपने देश की सरकारों की सलाह पर तेल उत्पादन अन्वेषण के कार्य को अधूरा छोड़कर अपने देश वापस चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों को तेल और गैस क्षेत्र में उनकी भागीदारी पर पुनर्विचार करने के लिए आश्वस्त किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) प्रचालक ब्रिटिश गैस ने गुजरात तट से परे सम्बाल की खाड़ी में अन्वेषण ब्लाक सीबी-ओएस/1 में वेधन प्रचालन निलंबित करने का निर्णय लिया था। इस ब्लाक में कार्य 3 जुलाई, 2002 की मध्यरात्रि से पुन: चालू किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

रेलवे की भूमि पर अनधिकृत पार्किंग स्थल

1736. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के बाहर अनधिकृत पार्किंग स्थल चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे उनके कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने में अक्षम है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत ऐसे सभी अनधिकृत पार्किंग स्थलों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में शंट कैपेसिटरों को स्थापित करना

1737. श्री जी. एस. बसवराज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में राज्य विद्युत प्रणाली में वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करने के लिए शंट कैपेसिटरों को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान इस प्रणाली के लिए अनुमानत: कितने शंट केपेसिटरों की आवश्यकता थी और इनमें से कितने स्थापित किए गए;

(ग) क्या कर्नाटक में इन शंट केपेसिटरों को स्थापित कर वर्तमान विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र इस संबंध में राज्य को सहायता देगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां। 31.3.2002 की स्थितिनुसार कर्नाटक में कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (केपीसीसीएल) प्रणाली में कुल 3710.12 कैपेसिटर बैंकस अधिष्ठापित किए गए हैं। भारत प्रवाह अध्ययन कार्य कराए गए हैं और कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी)/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के-मानदंडों के अनुसार निर्धारित स्तरों के भीतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए 109.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 4352.50 एमवीएआर अभिवृद्धि प्रस्तावित की गयी है। वर्ष 2001-02 के दौरान कर्नाटक प्रणाली के 474 एमवीएआर क्षमा जोड़ी गयी है।

(ग) जी, हां। शंट कैपेसिटरों की स्थापना के द्वारा कर्नाटक विद्यमान विद्युत प्रणालियों में सुधार लाया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पावरग्रिड) द्वारा शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना में सहायता प्रस्तावित की गयी है।

एजेन्सियों पर बकाया राशि

1738. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने उन निजी निर्माताओं और एजेंसियों के विरुद्ध कदम उठाए हैं जिन पर 169.28 करोड़ रुपये की राशि बकाया;

(ख) यदि हां, तो भुगतान में लगातार विलम्ब करने वाले निजी निर्माता और एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ग) उनसे अब तक कितनी बकाया राशि वसूली जा सकी है;

(घ) कितने निजी निर्माताओं के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई है; और

(ङ) कितने चूककर्ताओं को कार्यक्रम प्रसारित करने या उसमें विस्तार की अनुमति देने से इन्कार किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार बकाया 169.28 करोड़ रुपये में से उन्होंने आज की तारीख तक 19.18 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है। भुगतान में निरन्तर देरी करने वाली 29 एजेंसियों में से दो एजेंसियों ने अपनी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और एक सरकारी उपक्रम है। से 26 निजी निर्माताओं और एजेंसियों के नाम संलग्न विवरण में दिए अनुसार है और वर्ष 2002-03 के दौरान (आज की तारीख तक) उनसे वसूल की गयी राशि 282 लाख रुपये है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 40 मामलों में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गयी है और 47 कंपनियों/एजेंसियों को दूरदर्शन के साथ कारोबार करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

विवरण

क्र.सं.	एजेंसी का नाम
1	2
1.	एशियन एड एज
2.	बी फोर यू मल्टीमीडिया
3.	बालाजी टेलीफिल्मस
4.	विधान एडवरटाइजिंग
5.	क्लेरियन
6.	क्रियेटिव आई
7.	फिल्म क्राफ्ट
8.	फर्स्ट आप्सन टेलीफिल्म
9.	गुरूजी एडवरटाइजर्स
10.	एच एम टी
11.	एच टी ए
12.	के एल आई
13.	लेहर पब्लिसिटीसर
14.	मौलिस एडवरटाइजर्स
15.	नीरजा फिल्म
16.	नेटवर्क 7
17.	निम्बस कम्युनिकेशंस
18.	पीएनसी
19.	पास इण्टरनेशनल
20.	पिंकी एडवरटाइजिंग
21.	सागर इण्डरप्राइजेज
22.	स्टार गजेर
23.	ट्रेसर एडवरटाइजिंग
24.	ट्रांसलिंक टेलीविजन
25.	ट्रिट्रांन कम्युनिकेशंस
26.	यूनिवर्सल

कंप्यूटरीकृत प्रणाली में एक टिकट बनाने पर लगने वाला समय

1739. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में एक टिकट बनाने पर औसतन कितना समय लगता है;

(ख) एक टिकट को हाथ से जारी करने में कितना समय लगता है;

(ग) क्या हाथ से टिकट जारी करने की प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है; और

(घ) यदि हां, तो कंप्यूटरीकरण से वास्तव में उद्देश्य की पूर्ति हो सके इस ओर क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) कंप्यूटरीकृत प्रणाली पर टिकट के मुद्रण सहित एक लेन-देन को पूरा करने में लिया गया औसत समय डेढ़ मिनट से दो मिनट तक है।

(ख) हाथ से एक टिकट जारी करने में लगने वाला समय 6 से 7 मिनट होता है।

(ग) और (घ) भारतीय रेलों पर आरक्षण के कंप्यूटरीकरण में किसी स्टेशन से स्टेशन तक किसी गाड़ी के लिए टिकट जारी करने की सुविधा वाले यूनिवर्सल काउंटरों की व्यवस्था होने से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। आरक्षण की कंप्यटरीकरण की प्रणाली में रेलवे स्टेशनों से भिन्न स्थानों में से बढ़ाने के लिए इसे संभव बना दिया है। 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार, यह सुविधा देश में 742 स्थानों पर उपलब्ध है। वार्षिक बजट 2002-03 में यह सुविधा अन्य 150 नए स्थानों पर स्वीकृत की गई है।

ए.जे.टी. की खरीद

1740. **श्रीमती प्रभा राव:**
श्री प्रियरंजन दास मुंशी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिट्रिश सरकार का भारत को हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने और हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार ने उक्त निर्णय की समीक्षा की है और भारत को हथियारों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ब्रिटिश रक्षा मंत्री 3 जुलाई, 2002 को भारत की यात्रा की थी और उनसे हॉक-100 एयरक्राफ्ट जेट ट्रेनरस् की खरीद के संबंध में सौदे को अंतिम रूप देने के बारे में उनके साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) पारस्परिक हित के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श का आदान-प्रदान किया गया।

दिल्ली में उद्योगों को गैस

1741. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का विचार दिल्ली के आसपास के उद्योगों को और अधिक प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने का है,

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में वाहनों में प्रयोग के अलावा औद्योगिक प्रयोग के लिए वर्तमान में कितनी मात्रा में गैस की आपूर्ति की जा रही है और दिल्ली में औद्योगिक प्रयोग के लिए कितनी अतिरिक्त गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या सीएनजी ईंधन पर आधारित मोटर वाहन बड़ी संख्या में ईंधन की कमी के कारण खड़े रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप गैस आपूर्ति स्टेशनों पर रात भर लाइनें लगी रहती है, और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में वाहनों के लिए सीएनजी आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली में विद्युत उत्पादन हेतु दिल्ली विद्युत बोर्ड के लिए वर्तमान गैस आपूर्ति 1.34 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) (जून, 2002 के लिए औसत आपूर्ति) है। वर्तमान में दिल्ली में औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्ति हेतु कोई अतिरिक्त गैस उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) लंबी कतारों की समस्या को काबू करने तथा दिल्ली में परिवहन क्षेत्र के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की उपलब्धता को सुधारने हेतु सरकार ने इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के लिए प्राकृतिक गैस का आवंटन माह जून, 2002 में 0.98 मिलियन मानक घनमीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) से बढ़ाकर 2.0 एमएमएससीएमडी कर दिया है। आगे, आईजीएल ने

संपीड़कों की संख्या, जो वर्तमान में 58 है, को बढ़ाकर जून 2003 तक 111 करने की योजना बनाई है। इससे संपीडन सुविधा, जो 6.91 लाख किलोग्राम प्रतिदिन है, बढ़कर 16.11 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगी। आईजीएल अपनी पाइपलाइन आधारभूत सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है तथा इसकी भरण स्टेशनों की संख्या, जो 94 है, मार्च 2003 तक बढ़ाकर 110 करने की योजना है।

सतर्कता संगठनों में तैनाती

1742. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सतर्कता संगठनों में निगरानी रखने वाले सैनिकों, निरीक्षकों और अधिकारियों की तैनाती के संबंध में वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय रेल में विशेषकर पूर्वी रेलवे में सतर्कता संगठनों के कर्मचारियों और अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा पर कार्यकाल का विस्तार दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सतर्कता संगठन में रेलवे के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति का वाचर, सैनिक, निरीक्षक और अधिकारी लिए जाते हैं। अधिकारियों के लिए तीन वर्ष और निरीक्षकों के मामले में चार वर्ष की अवधि होती है। बहरहाल, वाचर और सैनिकों के लिए कोई अवधि विनिर्दिष्ट नहीं है। यदि अपेक्षित होता है तो अधिकारियों और निरीक्षकों की अवधि प्रशासनिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकती है।

(ख) जी नहीं। पूर्व रेलवे सहित भारतीय रेलवे में सतर्कता संगठन के कर्मचारियों और अधिकारियों की अवधि बढ़ोत्तरी प्रशासनिक हित में गुण-दोष के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुनिश्चित किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर्मचारियों की छंटनी

1743. श्री शिवाजी माने: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने उनके मंत्रालय के चार लाख कर्मचारियों की छंटनी का उनको सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक ने क्या कारण रखे है;

(ङ) क्या सरकार ने इन कारणों का विश्लेषण किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) रेलें, रेलवे कार्य संबंधी के विभिन्न पहलुआं यथा भाप कर्षण का उम्मूलन, आधुनिक पटरी ढांचा और सिगनलिंग प्रणाली, उन्नत परिचालन पद्धति आदि में आधुनिक प्रौद्योगिकी अपना रही है। इसके कारण कतिपय कार्यकालापों में जनशक्ति की आवश्यकता में कमी आई है जबकि नवीनतर क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकता हुई है और इस प्रकार पुन: प्रशिक्षण, पुन: तैनाती और भर्ती की अपेक्षा की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों को देय भुगतान

1744 श्री बसुदेव आचार्य:
श्री सुनील खां:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और कामगारों को देय सांविधिक भुगतानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेवानिवृत्त और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों और कामगारों को कई महीनों से उनके उपदान और भविष्यनिधि की राशि का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार 72 उद्यमों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को देय बकाया सांविधिक देयताओं की राशि 1588.67 करोड़ रुपए थी। अन्य उद्यमों पर कोई राशि बकाया नहीं है। सम्बन्धित उद्यमों में अत्याधिक संसाधन संकट के कारण सेवानिवृत्त तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के कुछ मामलों में भी ये देयताएं लम्बित हैं।

[हिन्दी]

रेल टिकटों की पुष्टि के लिए संसद सदस्यों के पत्र

1745. श्री मानसिंह पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों के टिकटों की पुष्टि के लिए संसद सदस्यों के सिफारिश पत्रों की अनदेखी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों के सिफारिश के पत्रों को किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है और इन पर क्या कार्यवाही की जाती है;

(ग) गत छ: माह के दौरान इस संबंध में कितने संसद सदस्यों ने शिकायतें की हैं; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) आपातकाल कोटा से शायिकाओं के आवंटन के लिए संसद सदस्यों से सिफारिश पत्र डाक द्वारा तथा निजी तौर से प्राप्त होते हैं।

आपातकाल कोटा से दूसरों की यात्रा के लिए शायिकाएं/बैठने का स्थान के आवंटन के लिए संसद सदस्यों के अनुरोधों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के स्तर, सरकारी डयूटी पर यात्रा करने, परिवार में शोक, बीमारी इत्यादि जैसी तात्कालिक प्रकृति को ध्यान में रखकर गुण-दोष के आधार पर अन्य अनुरोधों के साथ विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुलों/रेलपथों का प्रतिस्थापन

1746. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी पुराने रेलपथों, सिगनलों और पुलों के पुनर्निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्निर्मित किए जाने वाले पुराने सिगनलों/पुलों की संख्या सहित इन पुराने रेलपथों की लम्बाई कितनी है; और

(ग) इस पर अनुमानत: कितना व्यय आएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) 1.4.2002 को 16559 कि.मी. रेलपथ, 3000 अदद पुलों और 1363 स्टेशनों पर सिगनल गियरों के बदलाव का कार्य बकाया था।

(ग) उपरोक्त परिसंपत्तियों के बदलाव के लिए अनुमानित लागत लगभग 18,000 करोड़ रु. आएगी।

[अनुवाद]

वाहनों के लिए एलपीजी

1747. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आटो ईंधन भराई केन्द्रों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से वाहनों के लिए आयातित एलपीजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है,

(ख) क्या यह सुविधा पूरे देश में उपलब्ध कराई जाएगी,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न स्थानों पर वाहनों के लिए एलपीजी की आपूर्ति के लिए मूल्य फार्मूला तैयार किया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस पूरे प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने अगस्त, 2001 से आटो ईंधन के रूप में एलपीजी के उपयोग की अनुमति दे दी है।

(ग) से (ङ) आटो एलपीजी का मूल्य निर्धारण बाजार द्वारा निर्धारित होता है।

पाइपलाइनों की कमी

1748. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री श्रीनिवास पाटील:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 2002 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "सोस्टेज आफ पाइपलाइंस रॉबस् दिल्ली आफ गैस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में प्राकृतिक गैस के पाइपों को बिछाने में विलंब किया जा रहा है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार द्वारा पूरी राजधानी में प्राकृतिक गैस के पाइपों को बिछाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) जी, हां। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने 16,000 ग्राहकों को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति के लिए आधारभूत सुविधा पहले ही विकसित कर ली है तथा 250 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बिछा दिया है। मार्च, 2003 तक इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की लगभग 22,000 ग्राहकों की माग को पूरा करने के लिए आधारभूत सुविधा विकसित करने की योजना है।

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की कार्यव्यापार योजना के अनुसार पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस आपूर्ति कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2020 तक बढ़ाकर लगभग 20 लाख करने की आशा है, बशर्ते कि ऐसे कनेक्शनों के लिए मांग हो तथा प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो।

विमान दुर्घटनाएं

1749. श्री अमर राय प्रधान:
श्री वी.एम. सुधीरन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक भारतीय वायुसेना के स्थानवार कितने विमानों/ग्लाइडरों की दुर्घटनाएं हुई;

(ख) सरकार को उक्त अवधि के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं के कारण कितना राजस्व घाटा हुआ;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे घाटों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने बार-बार होने वाली ऐसी विमान दुर्घटनाओं के संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त विमानों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है भारतीय वायुसेना के पास कोई ग्लाइडर नहीं है।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं के कारण सरकार को 881.00 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

(ग) से (च) प्रत्येक दुर्घटना के बाद, जांच-अदालत का गठन किया जाता है और जांच-अदालत के निष्कर्षों के आधार पर उपचारात्मक उपाए किए जाते हैं। विभिन्न जांच-अदालतों ने दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों के रूप में मानवीय चूक, तकनीकी खराबी तथा पक्षी टकराना माना है।

सरकार द्वारा दुर्घटना दरों को कम किए जाने के लिए अनेक उपाए किए जा रहे हैं, जैसे कि दुर्घटना रोकथाम कार्यक्रम बनाना, पर्यावरणीय स्वच्छता, पक्षी जोखिम पर नियंत्रण, मानवीय चूक और तकनीकी खराबी के बारे में अध्ययन करना तथा हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड/मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करना।

इसके अलावा, सरकार द्वारा दुर्घटनाओं का अध्ययन करने के लिए लड़ाकू विमान दुर्घटनाओं से संबंधित एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का भी गठन किया गया था। इस समिति की अधिकांश सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त विमानों का स्थान-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 1999-2000

राज्य	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	दुर्घटना का स्थान
1	2	3
जम्मू — कश्मीर	03	श्रीनगर, श्रीनगर, अवन्तीपुर
पंजाब	03	अमृतसर, पठानकोट, आदमपुर
हरियाणा	02	सिरसा, अम्बाला
आंध्र प्रदेश	03	डुन्डीगल, हाकिमपेट, हाकिमपेट
राजस्थान	06	जोधपुर, नाल, जैसलमेर, जैसलमेर, उत्तरलाई, जोधपुर
असम	04	तेजपुर, तेजपुर, तेजपुर, मोहनबाड़ी
उत्तर प्रदेश	03	सरसावा, गोरखपुर, गोरखपुर
कर्नाटक	01	बीदर
संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	01	चंडीगढ़
गुजरात	01	भुज
योग	27	

वित्तीय वर्ष 2000-2001

पंजाब	05	हलवाड़ा, हलवाड़ा, पठानकोट, हलवाड़ा, पठानकोट
हरियाणा	01	अम्बाला
राजस्थान	03	जैसलमेर, नाल, उत्तरलाई
असम	05	तेजपुर, गुवाहाटी, तेजपुर, मोहनबाड़ी, मोहनबाड़ी
उत्तर प्रदेश	03	सरसावा, सरसावा, सरसावा
गुजरात	02	बीदर, येलहंका
गुजरात	02	नालिया, नालिया
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	01	पालम
पश्चिम बंगाल	04	कलाईकुंडा, कलाईकुंडा, हासीमारा, हासीमारा
योग	26	

1	2	3
	वित्तीय वर्ष 2001-2002	
जम्मू — कश्मीर	02	श्रीनगर, लेह
पंजाब	07	पठानकोट, आदमपुर, पठानकोट, पठानकोट, आदमपुर, पठानकोट, पठानकोट
हरियाणा	01	अम्बाला
आंध्र प्रदेश	02	डुन्डीगल, डुन्डीगल
राजस्थान	05	सूरतगढ़, जोधपुर, सूरतगढ़, उत्तरलाई, उत्तरलाई
असम	01	तेजपुर
कर्नाटक	01	येलहंका
तमिलनाडु	01	ताम्बरम
योग	20	
	वित्तीय वर्ष 2002-03 (21 जुलाई, 2002 तक)	
जम्मू — कश्मीर	01	श्रीनगर
पंजाब	02	आदमपुर, हलवाड़ा
हरियाणा	02	अम्बाला, सिरसा
राजस्थान	02	जोधपुर, नाल
असम	01	तेजपुर
पश्चिम बंगाल	01	बागडोगरा
योग	09	

केरल में रेलवे पुलों की दशा

1750. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम-नागरकोविल क्षेत्र में प्रसाला के निकट कर्मणा और नदी पर रेल उपरी पुलों की स्थिति बहुत खतरनाक है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने इन पुलों को संरक्षित करने या उनके स्थान पर नए पुलों के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) कर्मणा नदी पर पुल संख्या-18 की विंग दीवार के त्रिवेन्द्रम छोर पर बांयी ओर (1×12.20 मी. और 2×18.30 मी. गर्ड स्पेन वाले त्रिवेन्द्रम-नागरकोविल खंड में 224/2-3 रेलवे कि.मी पर) विंग दीवार के नीचे नींव में भूक्षरण होने के कारण कुछ धंसन हो गई थी। विंग दीवार के नींव संबंधी मरम्मत कार्य विंग दीवार के समानांतर रेल पाइलिंग करके विंग दीवार और विंग दीवार रेल पाइलों के बीच शिलाखंडों का ढेर लगाकर किया गया था, इसके बाद कोई धंसन नहीं हुई।

2×9.15 एवं 1×6.10 मी. के स्पैन वाले त्रिवेन्द्रम-नागरकोइल खंड में रेलवे किलोमीटर 246/16-17 पर मौजूदा पुल संख्या 116 (इदिछक्काप्लामुदु पर ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) ऐसी जगह पर स्थिति है जहां पर भूक्षरण होता रहता है और यह भूक्षरण भूस्खलन के कारण प्रभावित हुआ। मौजूदा ऊपरी सड़क पुल को

गिराने के बाद एक पक्के ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।

ओएनजीसी द्वारा खोजे गए तेल के कुएं

1751. **श्री मोहन रावले:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान ओएनजीसी द्वारा कितने तेल क्षेत्रों की खोज का दावा किया गया है और 1 अप्रैल 2002 की स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति क्या है;

(ख) उनमें से कितने तेल क्षेत्र अपतटीय क्षेत्रों में है,

(ग) संभावित भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन क्षेत्रों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है और उन पर कितनी लागत आएगी; और

(ङ) स्थापित क्षेत्रों के इन तेल क्षेत्रों में कितने विकास कुएं खोदे जाने की आवश्यकता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 के दौरान, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) ने सात नई खोजें की थीं, जिनमें से ''असम शेल्फ '' तटवर्ती बेसिन के अंतर्गत एक नजीरा में मिला तथा अन्य में गैस मिली। इस अवधि के दौरान, ओएनजीसी को अपतटीय क्षेत्रों में तेल नहीं मिला।

(ग) से (ङ) 1 अप्रैल 2002 की स्थिति के अनुसार नजीरा में तेल जमा गैस समतुल्य तेल (ओ+ओईजी) के संबंध में अनुमानित अंतिम हाइड्रोकार्बन भंडार 0.98 मिलियन मीट्रिक टन है। इस खोज के विषय में तैयार की जाने वाली विकास योजना के लिए इसकी संभाव्यता को सिद्ध करने हेतु इस खोज का आगे और मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

स्कूलों में सैन्य इतिहास पढ़ाया जाना

1752. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की रक्षा करने के लिए युवा पीढ़ी और सशस्त्र बलों के नए संवर्गों में आत्मविश्वास, जोश, बलिदान की भावना, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव तथा देश के प्रति प्रेम पैदा करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों में उत्प्रेरणा और राष्ट्रीय गौरव पैदा करने के लिए स्कूलों तथा कॉलेजों में राष्ट्रीय नायकों द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाईयों सहित भारत का सैन्य इतिहास पढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965 तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध और 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान बहादुरी से लड़े सैनिकों की बहादुरी का प्रचार करने हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) युवा पीढ़ी में देशभक्ति, बलिदान तथा देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा करने तथा सशस्त्र सेनाओं में आने वाले नए कार्मिकों को प्रेरित करने के लिए नियमित एवं सतत् प्रयास किए जाते हैं।

(ख) और (ग) रक्षा मंत्रालय का इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत का सैन्य इतिहास तथा लड़ी गई प्रमुख लड़ाईयां स्कूल तथा कालेज के पाठ्यक्रमों के हिस्से हैं।

(घ) और (ङ) भारतीयों में देशप्रेम की भावना तथा प्रेरणा पैदा करने के लिए मातृभूमि के लिए लड़े हमारे बहादुर सैनिकों की वीरता को इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रत्येक वीरता पुरस्कार समारोह तथा गणतंत्र दिवस पर प्रतिवर्ष होने वाले वीरता पुरस्कार समारोह का इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारण किया जाता है। इसके अलावा, कारगिल विजय दिवस जैसे अवसरों, जहां कारगिल युद्ध में मौत की परवाह न करते हुए अपने जीवन का बलिदान देने वाले सैनिकों को राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है, को भी इलेक्ट्रिनिक मीडिया पर प्रसारित किया गया। 1962, 1965 तथा 1971 के संघर्षों की वीरता की विशिष्ट गाथाओं पर आधारित रूपक समय-समय पर इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रस्तुत किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना

1753. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ऊर्जा ईंधन सेल तथा सौर ऊर्जा प्रणाली का उत्पादन करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तृत संसाधनों का दोहन करने हेतु उपस्करों का उत्पादन करने हेतु उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विदेशी कंपनियां भारत को ईंधन सेल तथा इसके उत्पाद प्रदान करने का प्रस्ताव कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह नई प्रौद्योगिकी है और इसके क्या उपयोग हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी परियोजनाओं के लिए उद्योग को सहायता तथा प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) देश में ईंधन सैल प्रौद्योगिकी अभी भी अनुसंधान एवं विकास के चरण में है। आंध्र प्रदेश में सौर प्रणालियों के कई विनिर्माता हैं। राज्य सरकार ने कई सौर उत्पादों को बिक्री-कर से मुक्त रखा है। राज्य में औद्योगिकी यूनिटों की स्थापना के लिए उपलब्ध सामान्य प्रोत्साहन अक्षय ऊर्जा विनिर्माताओं को भी उपलब्ध हैं।

(घ) से (छ) ईंधन सैल एक नई प्रौद्योगिकी है। ईंधन सैलों का उपयोग विद्युत उत्पादन और परिवहन अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के पास ईंधन सैलों और उनके अनुप्रयोगों के लिए विदेशी कंपनियों से कोई पेशकश नहीं है। इस मंत्रालय द्वारा ईंधन सैलों के विकास और परीक्षण के लिए अनुसंधान संस्थाओं और उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसी सहायता भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमि. (बीएचईएल), हैदराबाद द्वारा 50 किवा. (2×25किवा.) के ईंधन सैल विद्युत संयंत्र के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

विद्युतीकरण के लिए जापान से ऋण

1754. श्री राजो सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने बिहार में विद्युतीकरण हेतु कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) वर्तमान में जापान बिहार में विद्युतीरण हेतु किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं कर रहा है। 9वीं योजना अवधि के दौरान भी बिहार में विद्युतीकरण हेतु कोई जापानी ऋण प्रदान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर सफाई

1755. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सफाई के स्तर के संबंध में कोई सर्वेक्षण पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा कितने रेलवे स्टेशनों का सर्वेक्षण किया गया;

(ग) देश में रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता का स्तर तय करने के लिए किन मानदंड़ों पर विचार किया जाता है;

(घ) क्या रेलवे स्टेशनों पर पर्यावरण में सुधार लाने के लिए संबंधित प्रशासन द्वारा कोई दंडात्मक उपाय लागू किए जाएंगे; और

(ङ) रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों की सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) साफ-सफाई एक सतत् प्रक्रिया होने के नाते भारतीय रेलों पर सभी रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई के स्तर को बनाए रखने के लिए रेलों द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं। अधिकारियों/ पर्यवेक्षकों द्वारा साफ-सफाई के संबंध में नियमित जाचें की जाती हैं और सुधारक उपाय किए जाते हैं।

(ग) वे कारक जो स्वास्थ्य और साफ-सफाई को प्रभावित करते हैं, एक स्टेशन पर यात्री यातायात की मात्रा और प्रकृति और सम्हाले जा रहे गाड़ियों की संख्या पर निर्भर है। प्लेटफार्म और सम्मिलन क्षेत्र की सफाई कीटनाशक आदि का उपयोग करके दुर्गन्ध और बदबू दूर करना सफाई के स्तर मापदंड हैं।

(घ) रेलवे स्टेशन पर उचित साफ-सफाई बनाए रखने में जो कर्मचारी अपनी ड्यूटियों के निष्पादन में लापरवाह पाए जाते हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) रेलवे स्टेशनों की साफ-सफाई की हालत में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाए किए गए हैं, जिनमें निगरानी और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना, शौचालयों की भुगतान एवं उपयोग योजना के शुरू होने के अलावा, मशीनीकृत सफाई प्रक्रिया पर जोर, धुलनीय एप्रेन और अतिरिक्त कूड़ेदानों की व्यवस्था, कूड़ा-कचरा को लगातार हटाना, कीटनाशकों का छिड़काव, नालियों की मरम्मत और विभिन्न माध्यमों से जनता को जागरूक करना शामिल हैं। समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाएं जाते हैं।

[हिन्दी]

पत्तनों को रेल के साथ जोड़ना

1756. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के सभी प्रमुख पत्तनों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को लागू करने में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सभी बड़े बंदरगाह रेलवे प्रणाली की बड़ी लाइन से पहले से ही जुड़े हुए हैं।

सौर और पवन ऊर्जा का विकास

1757. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पवन और सौर तापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने और विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। राजस्थान सरकार के एक उपक्रम, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लि. (आरएसपीसीएल) की राज्य के जोधपुर जिले में मथानिया में एक 140 मे.वा. एकीकृत सौर संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना है। परियोजना में पैराबोलिक ट्रक संग्राहकों पर आधारित 35 मे.वा. क्षमता के सौर विद्युत घटक और पारंपरिक ईंधन पर आधारित 105 मे.वा. का संयुक्त चक्र घटक शामिल है।

आरएसपीसीएल पश्चिमी राजस्थान में प्रत्येक 25 मे.वा. क्षमता की दो पवन फार्म परियोजनाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है।

(ग) और (घ) सभी कानूनी अनुमति प्राप्त कर ली गई हैं और सौर तापीय विद्युत परियोजना के योग्य बोली लगाने वालों को आरएसपीसीएल द्वारा प्रस्तावों हेतु अनुरोध के लिए दस्तावेज भी जारी कर दिये गए हैं। आरएसपीसीएल ने प्रारंभिक अनुमान लगाया है कि अप्रैल, 2003 तक कार्य के आरंभ होने के साथ ही फरवरी, 2003 तक कार्य आदेश जारी कर दिए जाने की संभावना है। परियोजना पूरी होने की अनुमानत: अवधि 36 माह है।

राज्य के जैसलमेर, जोधपुर और चितौड़गढ़ जिलों में पवन फार्म परियोजनाओं से अब तक 16.1 मे.वा. की क्षमता स्थापित की गई है जिसमें प्रदर्शन परियोजनाओं से 6.4 मे.वा. और वाणिज्यिक परियोजनाओं से 9.7 मे.वा शामिल है।

[अनुवाद]

लघु जल विद्युत परियोजना

1758. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 3 से 25 मेगावाट के बीच की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय से अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय को हस्तांतरित की गई हैं;

(ख) क्या उपस्करों की जांच करने, संसाधनों का मूल्यांकन करने, संग्रहित आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि करने, विकासकों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने और लघु जल विद्युत से संबंधित अनुसंधान तथा परीक्षण सुविधाओं के लिए पृथक समर्पित प्रयोगशाला के लिए एन टी पी सी तथा एन एच पी सी इत्यादि जैसे किसी संगठन का सृजन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अपेक्षित संगठन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां। 3-25 मेवा. क्षमता के बीच की लुघ पनबिजली के विषय को 29 नवम्बर, 1999 से विद्युत मंत्रालय से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) एनएचपीसी, एनटीपीसी इत्यादि जैसे किसी ऐसे नए संगठन का सृजन नहीं किया गया है जो कि जांच करने, संसाधनों का मूल्यांकन करने, विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने, अनुसंधान इत्यादि के लिए केवल लघु पनबिजली क्षेत्र को ही समर्पित हो। तथापि विशिष्ट केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण जैसे एनएचपीसी, एनईईपीसीओ, एनटीपीसी, बीबीएमबी आदि को विभिन्न तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने और लघु पनबिजली परियोजनाओं के निष्पादन के लिए शामिल किया जा रहा है। मंत्रालय लघु पनबिजली से संबंधित विभिन्न अनुसंधान, डिजाईन एवं विकास कार्यकलापों में भागीदारी के लिए देश के विभिन्न अन्य तकनीकी संस्थानों जैसे आईआईटी तथा आरईसी को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

रेल दुर्घटनाओं के समय जांच आयोग नियुक्त करना

1759. श्री वी. वेद्रिसेलवन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रत्येक रेल दुर्घटना के समय जनता को शांत रखने के लिए जांच आयोग नियुक्त करने का आसान तरीका अपना रही है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जांच आयोगों की बहुमूल्य सिफारिशें लागू करने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने और सुरक्षा उपाय सुझाने के लिए कितने जांच आयोग गठित किए गए हैं;

(घ) प्रत्येक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन सिफारिशों को किस हद तक स्वीकार किया गया है; और लागू किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) जांच आयोगों की सिफारिशें सरकार द्वारा जांच करने और स्वीकार करने के पश्चात् लागू की जाती हैं।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों में तीन जांच आयोग गठित किए गए हैं। तीन में से केवल न्यायमूर्ति जी.एन. रे आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग द्वारा की गई 21 सिफारिशों में से अभी तक 18 सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विद्युत संकट

1760. श्री अधीर चौधरी:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर विद्युत संकट की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में विद्युत संकट समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) दिल्ली में विद्युत की आपूर्ति बढ़ाने के लिए किन स्रोतों से धन जुटाए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) अप्रैल-जून, 2002 के दौरान दिल्ली में विद्युत आपूर्ति की स्थिति कुल मिलाकर ठीक थी, हालांकि 1.7 प्रतिशत ऊर्जा की कमी थी। तथापि, मानसून में विलम्ब और दिल्ली में विद्युत आवश्यकता में वृद्धि के कारण जुलाई, 2002 के प्रथम पक्ष के दौरान ऊर्जा की कमी बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गयी। विद्युत मंत्रालय के सचिव ने 10 जुलाई, 2002 को एक बैठक बुलायी, जिसमें अध्यक्ष के.वि.प्रा. की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली पावर सप्लाई कंपनी (ट्रांसको) तथा वितरण कंपनियों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे और ये दिल्ली में विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं पर विचार करेंगे।

इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से जरूरत की आपूर्ति हेतु दिल्ली को उपलब्ध करायी गयी विशेष सहायता के अलावा केन्द्रीय स्रोतों से निम्नानुसार अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की गयी ताकि दिल्ली में विद्युत उपलब्धता की स्थिति में सुधार हो सके-

(1) व्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट-4 (220 मेगावाट) से 10 प्रतिशत (22 मेगावाट) अतिरिक्त आवंटन।

(2) अल्पावधिक प्रबंधन के रूप में 24 घंटे आधार पर आरएपीपी यूनिट-3 (220 मेगवाट) सम्पूर्ण 15 प्रतिशत अनावंटित कोटा (33 मेगावाट)।

(3) अत्यावधिक प्रबंधन के रूप में व्यस्ततमकाल के दौरान उत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों में अनावंटित कोटे से 7.5 से 10 प्रतिशत (59 मेगावाट-79 मेगावाट) का अतिरिक्त आवंटन।

(ग) दिल्ली पावर सप्लाई कंपनी लि. (ट्रांस्को), जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशासी नियंत्रण में है, के अनुसार दिल्ली के लिए विद्युत खरीद की अदायगी हेतु निधियां वितरण कंपनियों और एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा पारेषण कंपनी (ट्रांस्को) को ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावा पावर फाइनेंस कारपोरेशन, दिल्ली सरकार को विद्युत क्षेत्र में सुधारों के क्रियान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है।

नए जोन का सृजन

1761. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वित्तीय अर्थक्षमता के विचार से नए जोन तथा मंडलों के सृजन के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) सरकार के नए जोनों/मंडलों के सृजन के लिए किए गए पूर्ववर्ती निर्णय के अनुसरण में 7 नए जोनों और 8 मंडलों को परिचालित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है। इसके आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई नोट प्रस्तुत किया जाना है।

आईओसी, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल से आईपीओ संबंधी प्रस्ताव

1762. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल से अपनी-अपनी इक्विटी का विस्तार करने के लिए हनीशियर पब्लिक आफरिंग्स (आईपीओ) संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) उन तेल उत्पादक कंपनियों द्वारा नई रिफाइनरियां निर्मित करने का क्या प्रस्ताव है और उन प्रस्तावित उद्यमों में उनका अनुमानित निवेश कितना होगा;

(घ) क्या सरकार ने आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल से प्राप्त उक्त प्रस्तावों को अनुमति दे दी है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संभावित परिणाम क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार को इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) से कंपनी की वर्तमान प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक नए इक्विटी शेयरों के निर्गम की अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बीपीसीएल ने घरेलू बाजार में 50 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के सार्वजनिक निर्गम के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है।

(ग) आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल द्वारा नई रिफाइनरी परियोजनाओं में प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा निम्नवत् है:-

	रिफाइनरी का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1.	पारादीप, उड़ीसा में आईओसीएल की रिफाइनरी परियोजना	8,312 (अगस्त, 1999 के मूल्यों के अनुसार)
2.	बीना, मध्य प्रदेश में बीपीसीएल की रिफाइनरी परियोजना	6,354 (सितंबर, 2001 के मूल्यों के अनुसार)
3.	भटिंडा, पंजाब में एचपीसीएल की रिफाइनरी परियोजना	9,806 (जून, 1998 के मूल्यों के अनुसार)

(घ) से (ङ) शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के लिए उपर्युक्त प्रस्तावों के संबंध में सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

ठेका संबंधी निर्णय लेने में विलंब

1763. श्री अरुण कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट सं. 7 में ठेके के संबंध में निर्णय लेने में विलंब के कारण 1.05 करोड़ रुपए के परिहार्य अतिरिक्त व्यय होने का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने अगस्त, 1999 में इसके पास भेजे गए मामले की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। तथापि, रिपोर्ट का वर्ष 2000 है।

(ख) और (ग) इस मामले की मंत्रालय ने जांच की है और यह पाया गया है कि निविदा को अंतिम रूप देने में आरंभ में हुए देरी का कारण भारी हिमपात का होना था जिसकी वजह से भूमि की सुरक्षित धारण क्षमता तथा अन्य गुणों का तत्काल पता नहीं लगाया जा सका। बाद में मृदा जांच रिपोर्ट से अत्यंत निम्न धारण क्षमता का पता चला जो भवन-निर्माण के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके साथ-साथ भू-वैज्ञानिक तथ्य यह है कि डलहौजी पहाडियां संकुचलन/स्खलन क्षेत्र में आती है, जिसके परिणामस्वरूप स्थल को बदलना पड़ा तथा संरचनात्मक डिजाइन/ड्राइंगों में फेरबदल करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उच्च दरें दिए जाने तथा संविदाकारों की तरफ से अनुकूल प्रतिक्रिया प्रदर्शित न किए जाने के कारण पुन: निविदा करनी पड़ी। इस प्रकार मामले की जांच से पता चलता है कि संविदा को पूरा करने में देरी कई अपरिहार्य परिस्थितियों एवं कारणों की वजह से हुई जिसके लिए किसी प्रकार की कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है। इसके आधार पर महानिदेशक, लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं को, की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी भेजी गई थी, जिसने अंतिम तौर पर इसकी विधीक्षा की है।

त्वरित कार्य नीति

1764. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने आंतरिक संसाधन बढ़ाने, किरायों और मालभाड़े को युक्तिसंगत बनाने, अव्यवहार्य परियोजनाओं को समाप्त करने, लाभकारी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु धन मुहैया कराने और त्वरित नवीकरण और प्रतिस्थापन कार्य कराने के उद्देश्य से अनेक उपायों द्वारा रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने हेतु एक त्वरित कार्य नीति का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो एसोचैम द्वारा किए गए सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) रेलवे द्वारा जोन-वार कितनी परियोजनाओं का अव्यवहार्य परियोजना के रूप में पहचान की गई है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान लाभकारी परियोजनाओं को पूरा करने तथा नवीकरण और प्रतिस्थापन के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है; और

(ङ) रेलवे के कार्यकरण में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) हालांकि, रेलवे के एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी प्रिंट मीडिया में एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने विभिन्न उपायों जिनका उद्देश्य आंतरिक सृजन बढ़ाना, किरायों और मालभाड़ें का युक्तीकरण, गैर-अर्थक्षम परियोजनाओं को रद्द करना, लाभप्रद परियोजनाओं का त्वरित समापन और तीव्र नवीकरण एवं बदलाव कार्य है, के माध्यम से रेलवे के कार्यनिष्पादन का पुनर्गठन करने के सुझाव दिए हैं।

रेल मंत्रालय ने इन सुझावों को नोट कर लिया है। आंतरिक संसाधन सृजन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जैसे भाड़ा विपणन और दर-सूची युक्तीकरण, यात्री किरायों में आंतरिक क्रॉस-सब्सिडी में कटौती, लागत में कमी करने के उपाय और कर्मचारियों की संख्या कम करना आदि। पिछले रेल बजट में, भाड़ा संरचना में कतिपय विसंगतियां जो समय के दौर में इसमें आ गई हैं, का युक्तीकरण करने की शुरूआत की गई है। वर्तमान विसंगतियों को दूर करने के लिए, किराया संरचना में टेपर को संशोधित करके उपयुक्त दर-सूची पुन: संतुलन के लिए यात्री किरायों को युक्तिसंगत बनाने और न्यूनतम किरायों के संबंध में मामूली बदलावों तथा विभिन्न श्रेणियों के किरायों की सापेक्षता को युक्तिसंगत बनाने की शुरूआत भी की गई है। 2001-02 के दौरान निर्दिष्ट निर्माण कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए सामान्य राजकोष से 898 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी प्राप्त हुई है। एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर गतायु परिसंपत्तियों का नवीकरण और बदलाव करने के लिए एक विशेष रेल संरक्षा निधि की भी स्थापना की गई है।

सभी रेल परियोजनाएं वित्तीय अर्थक्षम हैं या सामाजिक दृष्टि से वांछनीय हैं तथा इनमें से किसी भी परियोजनाओं को रद्द करने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

परियोजनाओं सहित विभिन्न शीर्षों के लिए तथा नवीकरण एवं बदलाव कार्यों के लिए आवंटन रेल बजट में किए गए हैं। परियोजनाओं के लिए तथा बदलाव/नवीकरण कार्यों के लिए निधियों का अतिरिक्त आवंटन वर्ष के दौरान आवश्यकता के अनुसार तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

रेल प्रणाली में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय रेल के पास कार्यनिष्पादन में सुधार की अपेक्षा रखने वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक नियमित तंत्र मौजूद है और तदनुसार उनकी व्यावहारिता का पता लगाने के बाद उपाय किए जाते हैं।

कर्नाटक में भारत-जर्मन परियोजना

1765. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा दक्षता के मूल्यांकन के संबंध में कर्नाटक में वर्ष 1997 में एक भारत-जर्मन परियोजना प्रारंभ की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वह परियोजना पूरी हो गई है; और

(ग) इस परियोजना की विशेषताएं क्या हैं और इसमें विद्युत वितरण तथा उपभोग के संबंध में राज्य को बेहतर कार्य करने में किस सीमा तक सहायता मिली है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी हां। इंडो-जर्मन एनर्जी एफईसीएसी प्रोजेक्ट (आईजीईईपी) के चरण-1 की शुरूआत मई, 1995 में हुई थी तथा सितम्बर, 2000 में पूरी हुई थी। इस परियोजना को टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्ट्यूट, बंगलौर के माध्यम से एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर (अब ब्यूरों ऑफ एनर्जी एफईसीएसी) द्वारा कार्यान्वित किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा तकनीकों और प्रौद्योगिकी के तार्किक प्रयोग के प्रति जागरुकता लाना था। इस परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 29 औद्योगिक यूनिटों का ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य किया जा सका, औद्योगिक यूनिटों द्वारा रिपोर्ट के 70 प्रतिशत से अधिक सुझावों को कार्यान्वित किया गया, उद्योग के कार्मिकों के लिए व्यावहारिक ऊर्जा लेखा परीक्षा के 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, उद्योग के लिए 4 इन-कंपनी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 1 उच्च प्रबंधकीय कार्यशाला आयोजित किए गए, उद्योग से जुड़े ऊर्जा लेखा परीक्षा के 16 मैनुअल तैयार कर वितरित किए गए, 16 कार्यान्वित परियोजनाओं की सफलता से जुड़ी कहानियों का वितरण औद्योगिक यूनिटों में फ्लेग ब्रोशर के रूप में किया गया, 15 उपकरणों के लिए उपकरण विशिष्ट/यूटिलिटी-वार मैनुअल तैयार किए गए तथा वितरित किए गए। कंपनी के लाभ पर ऊर्जा प्रबंधन के प्रभाव को दर्शाने वाली एक वीडियो फिल्म तैयार की गयी तथा ऊर्जा सूचना सेवा का विपणन अब वाणिज्यिक आधार पर किया जा रहा है। इस समय इस सेवा का लाभ 40 सदस्य उठा रहे हैं।

सेवा का विपणन अब वाणिज्यिक आधार पर किया जा रहा है। इस समय इस सेवा का लाभ 40 सदस्य उठा रहे हैं।

परियोजना पर खर्च हुए 1 रुपए की तुलना में ग्राहक उपभोक्ता यूनिट ने 2 रुपए निवेश किया तथा ऊर्जा लागत से 10 रुपए बचाया। इस प्रकार यह परियोजना सफल थी क्योंकि इससे इस बात को बल मिला है कि औद्योगिक यूनिटें उनके अपने ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सिफारिश की गई आर्थिक दृष्टि से आकर्षक ऊर्जा बचत उपायों को कार्यान्वित करने की इच्छुक हैं।

परियोजना में केवल औद्योगिक यूनिटों में ऊर्जा खपत को लक्ष्य किया गया है न कि वितरण।

गोदावरी नदी पर पुल

1766. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गोदावरी नदी पर निर्मित एक पुल का संरक्षण करने हेतु हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां। गोदावरी नदी पर कोव्वुर-राजमुंद्री में पुराने रेल पुल के परिक्षण के लिए जनता के विभिन्न प्रतिनिधियों तथा आंध्र प्रदेश से अभ्यावेदनों के प्राप्ति के बाद रेलवे ने पुल को न गिराने का विनिश्चिय किया है और इसे राज्य सरकार की लागत पर रेलवे द्वारा स्मारक के रूप में अनुरक्षित किया जाना है।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात और निर्यात

1767. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री अम्बरीश:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) उसी अवधि के दौरान इन पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) इस अवधि के दौरान कच्चे तेल का कुल कितना आयात किया गया और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(घ) इस अवधि के दौरान घरेलू कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ; और

(ङ) पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात बढ़ाने तथा कच्चे तेल का आयात कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 2001-02 के दौरान 10.06 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया।

(ख) इन पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से 1,770 मिलियन अमरीकी डालर (8,219 करोड़ रुपए) अर्जित किए गए।

(ग) 78.70 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया गया और 2001-02 के दौरान 12,635 मिलियन अमरीकी डालर (60,397 करोड़ रुपए) की विदेशी मुद्रा व्यय की गई।

(घ) 2001-02 के दौरान कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन लगभग 32 मिलियन मीट्रिक टन था।

(ङ) स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें निम्न उपाय सम्मिलित हैं:-

(1) वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) योजनाओं का कार्यान्वयन करके विद्यमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिग नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना।

(3) नए क्षेत्रों, विशेष रूप से गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों की गहनतर परतों में भाग अन्वेषण करना।

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

[हिन्दी]

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम

1768. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही उपकरण प्रकाश प्रणाली के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा झारखंड और बिहार में क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकाश-उपकरण प्राप्त करने हेतु मानदंड क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आज की तिथि के अनुसार झारखंड और बिहार में लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए सौर लालटेन और अन्य उपकरणों की संख्या कितनी है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. कन्नप्पन): (क) से (ग) मंत्रालय झारखंड और बिहार राज्यों सहित देशभर में सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम सहित विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। यह एसपीवी कार्यक्रम सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों तथा विद्युत संयंत्रों जैसी सौर ऊर्जा आधारित रोशनी प्रणालियों के वितरण और स्थापना को सहायता देता है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों तथा कुछ, अन्य गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से किया जाता है। ये संगठन या तो स्वयं ही रोशनी प्रणालियां प्राप्त करते तथा वितरित करते हैं अथवा पात्र निर्माताओं को इन प्रणालियों के उपयोगकर्त्ताओं को प्रणालियों को प्रत्यक्ष बिक्री करने की अनुमति प्रदान करते हैं। मंत्रालय इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाले संगठनों के माध्यम से इन प्रणालियों के गैर-वाणिज्यिक उपयोगकर्त्ताओं के लिए केन्द्रीय सब्सिडी उपलब्ध कराता है। वर्ष 2001-02 के एसपीवी कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पद्धति तथा लाभार्थियों की पात्र श्रेणियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2002-03 के कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों की घोषणा अभी की जानी है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च, 2002 तक बिहार और झारखंड में कुल 44,649 सौर लालटेन, 781 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां तथा 705 सौर सड़क रोशनी प्रणालियां वितरित/स्थापित की गई हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पद्धति और लाभार्थियों की पात्र श्रेणियां

क. वित्तीय सहायता (एफए) की पद्धति

क्र.सं.	एस पी वी प्रणाली	केन्द्रीय सब्सिडी	सेवा शुल्क
क1-सामान्य क्षेत्रों के लिए			
1.	सौर लालटेन	1300 रुपये (निश्चित)	100/- रुपये
2.	घरेलू रोशनी प्रणालियां/ सौर घरेलू प्रणाली	5,500 रु. अथवा पूर्व-कार्य लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो	200/- रुपये
3.	सड़क रोशनी प्रणाली	11,000 रु. अथवा पूर्व-कार्य लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो	-
4.	विद्युत संयंत्र एवं अन्य	1,80,000 रु. किवा. पी. प्रकाशवोल्टीय ऐरे क्षमता अथवा परियोजना की पूर्व कार्य लागत का 50% जो भी कम हो	10,000 रुपये
क 2-सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए			
1.	सौर लालटेन	3,000 रु. अथवा पूर्व-कार्य लागत का 90 प्रतिशत, जो भी कम हो	100/- रुपये
2.	घरेलू रोशनी/सौर घरेलू प्रणाली	10,000 रु. अथवा पूर्व-कार्य लागत का 90 प्रतिशत, जो भी कम हो	200/- रुपये
3.	सडक रोशनी प्रणाली	20,000 रु. अथवा पूर्व-कार्य लागत का 90 प्रतिशत, जो भी कम हो	-
4.	विद्युत संयंत्र एवं अन्य सामुदायिक प्रणालियां	3,50,000/-रु./किवा. पी. प्रकाशवोल्टीय ऐरे क्षमता अथवा परियोजना की पूर्व-कार्य लागत का 90 प्रतिशत जो भी कम हो	10,000 रुपये (विद्युत संयंत्रों) के लिए)

ख. केन्द्रीय सब्सिडी हेतु पात्र लाभभोगियों की श्रेणी

एस पी वी प्रणाली	लाभभोगियों की पात्र श्रेणी
सौर लालटेन	व्यक्तिगत लाभभोगियों और लाभ न कमाने वाली संस्थाओं/संगठनों की सभी श्रेणियां। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक सौर लालटेन नहीं दिया जाएगा।
घरेलू रोशनी प्रणालियां/सौर घरेलू प्रणालियां	व्यक्तिगत लाभभोगियों और लाभ कमाने वाली संस्थाओं/संगठनों की सभी श्रेणियां। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक प्रणाली नहीं दी जाएगी।
सड़क रोशनी प्रणालियां	सभी श्रेणी की गैर-वाणिज्यिक संस्थाएं/संगठन, राज्य नोडल एजेंसियां, विद्युत बोर्ड, पंचायत, जिला परिषद और डी आर डी ए।
एस पी वी विद्युत संयंत्र/अन्य प्रणालियां	सभी वाणिज्यिक संस्थाएं/संगठन, राज्य नोडल एजेंसियां, विद्युत बोर्ड, पंचायत, जिला परिषद और डी आर डी ए।

[अनुवाद]

10वीं और 11वीं योजनाओं के दौरान विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1769. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्रों और जलविद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ताप विद्युत स्टेशन और मिथोन बायां तट ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना के लिए दामोदर घाटी निगम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से स्वीकृति मिल गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2012 तक मांग पर विद्युत की आपूर्ति के लिए लगभग 1,00,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की जरूरत होगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए 41,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। विवरण निम्नानुसार हैं:-

	हाइड्रो	थर्मल	न्यूक्लियर	कुल
केन्द्रीय क्षेत्र	8,742	12,790	1,300	22,832
राज्य क्षेत्र	4,481	6,676	0	11,157
निजी क्षेत्र	1,170	5,941	0	7,121
कुल	14,393	25,407	1,300	41,110

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग 66,000 मे. वा. की जरूरत होगी ताकि 16वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के अनुमानों के अनुसार मांग को पूरा किया जा सके।

(ख) और (ग) दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) के थर्मल पावर स्टेशन (2×500 मे.वा.), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु 18.7.2002 को प्राप्त हुई थी। डीवीसी की मैथान लेफ्ट बैंक केनाल प्रोजेक्ट (1000 मे. वा.) की डीपीआर तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु अभी तक सीईए में प्राप्त नहीं हुई है।

कंप्यूटरीकृत आरक्षण टिकट पर आगमन और प्रस्थान समय का उल्लेख

1770. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों को यात्रा पूरी और अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कंप्यूटरीकृत आरक्षण टिकट पर रेलगाड़ी के गंतव्य पर निर्धारित आगमन समय और नियत प्रस्थान समय का उल्लेख करने की नयी योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंप्यूटरीकृत आरक्षण टिकट पर कब तक अतिरिक्त जानकारी दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कंप्यूटरीकृत टिकटों में मुद्रण जगह की तंगी और साफ्टवेयर के अनुप्रयोग के कारण आगमन समय का मुद्रण करना व्यावहारिक नहीं है।

तकनीकी खराबी के कारण महाराष्ट्र में विद्युत आपूर्ति में कमी

1771. श्री रामदास आठवले: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23 मई, 2002 को पश्चिमी ग्रिड में तकनीकी खराबी के कारण महाराष्ट्र और इसके पड़ोसी राज्यों में भंयकर विद्युत संकट की स्थिति पैदा हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी थी या की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता): (क) और (ख) 23 मई, 2002 को 0613 बजे तथा दूसरा 0854 बजे में दो आंशिक ग्रिड बाधा आ गई थी जिससे प. महाराष्ट्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई थी।

15/17 मई, 2002 को तूफान आने के कारण टावर के क्षतिग्रस्त होने की वजह से 400 केवी के चन्द्रपुर-पाली ट्रिपल सर्किट, 400 केवी जबलपुर-इटारसी सर्किट 1 और 2, 220 केवी कोरबा (ई)-भिलाई सिंगल सर्किट (एस/सी) और 220 केवी के रायपुर:बाटापाड़ा सिंगल सर्किट की अनुपलब्धता के कारण पश्चिम क्षेत्रीय ग्रिड सतर्क स्थिति में कार्यरत था। इसके अलावा बाधा आने के पूर्व 400 केवी के धुले-केसोर एस/सी और एचवीडीसी चन्द्रपुर-पाडघे पोल 2 अक्रियाशील थे। एमएसईबी प्रणाली में लोअर 400 केवी कॉरीडोर एवं उपरोक्त अन्य लाइनों की अनुपलब्धता के कारण पूर्वी भाग से ग्रिड के पश्चिमी भाग को विद्युत के पारेषण में गंभीर बाधा आई। 23.05.2002 के प्रात: लो वोल्टेज होने के अलावा मॉर्निग लोड के कारण प्रणाली में वोल्टेज अस्थिरता पैदा हो गई और इससे पारेषण लाईन की ट्रिपिंग के अलावा ग्रिड बाधा पैदा हुई। पहले अवसर पर, अर्थात् 0613 बजे पश्चिम ग्रिड दो भागों में बंट गया और एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे प. महाराष्ट्र क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। दूसरे अवसर पर, अर्थात् 0854 बजे ग्रिड जांच भागों में बंट गया। इससे प. महाराष्ट्र एवं उत्तरी मुंबई के क्षेत्र प्रभावित हुए इन दोनों अवसरों पर गोवा की विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई। हालांकि गोवा ने कम स्तर पर दक्षिणी क्षेत्र से विद्युत प्राप्त कर अपनी विद्युत की मांग को पूरा किया।

(ग) और (घ) जी हां। सदस्य सचिव, पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड की अध्यक्षता मे एमएसईबी, डब्ल्यूआरएलडीसी तथा डब्ल्यूआरईबी के सदस्यों के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक जांच समिति गठित की थी। समिति ने के.वि.प्रा. के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ङ) इस प्रकार की बाधाओं को रोकने तथा ग्रिड की सुरक्षा में सुधार करने के लिए समिति ने अनेक सिफारिशें दी हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल है:

(1) शंट कैपेसिटर की संस्थापना डब्ल्यूआरईबी की अध्ययन समिति द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार होनी चाहिए और लक्ष्य को एचटी शंट कैपेसिटर के कार्य बल द्वारा तय किया जाना चाहिए।

(2) ग्रिड अनुशासन सदैव बरता जाता है, विशेषकर सतर्क प्रचालन की स्थिति में।

(3) जेनरेटिंग की यूनिटों को फ्री गवर्नर मोड आफ ऑपरेशन पर रखा जाना चाहिए।

(4) प्रचालन फ्रिक्वेन्सी को आवश्यक लोड शेडिंग तथा समुचित प्रचालन योजना द्वारा भारतीय ग्रिड कोड, अर्थात् 49.0-50.5 के अनुसार रखना चाहिए।

(5) बाधा रिकॉडर और सिक्वेन्स इवेन्ट रिकॉडर को सभी 400 केवी के उप-केन्द्रों में रखा जाना चाहिए और इन्हें एनपीएल/जीपीएस सिग्नल के साथ तुल्यकालिक बनाकर चालू रखना चाहिए।

[अनुवाद]

हाइड्रोकार्बन का नहीं पाया जाना

1772. श्री मोहन रावले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई स्थानों पर हाइड्रोकार्बन के नहीं पाए जाने के कारणों का पता लगाया जा चुका है, और

(ख) यदि हां, तो हाइड्रोकार्बन की अनुपलब्धता के लिए रिंग की कमी किस सीमा तक जिम्मेदार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) हाइड्रोकार्बन की खोज न हो पाने के कारणों का राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीजी) तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के द्वारा हमेशा विश्लेषण किया जाता है तथा इनकी जानकारी की जाती है। सामान्यतया, हाईड्रोकार्बन वृद्धि में कमी पूर्णतया वेदन में कमी के कारण नहीं होती है। तथापि किसी बेसिन में अन्वेषण की जीवन चक्र अवधारणा के अंतर्गत विफलता अनुक्रम ऐसे बेसिन में उन विशेष चरण के अंतर्गत अन्वेषण की जीवन चक्र अवधारणा के अंतर्गत विफलता अनुक्रम ऐसे बेसिन में उस विशेष चरण के अंतर्गत अन्वेषण की गति को मन्द करता है, क्योंकि प्रचलित राजकोषीय व्यवस्था के तहत आगे और अन्वेषण के लिए भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकीय आंकड़ों की नए सिरे से पुनरीक्षा करने की जरूरत होती है कुछ एक क्षेत्रों में विद्यमान भूमि अधिग्रहण शर्तें पर्यावरणीय एवं उप भूतल दशाएं भी अन्वेषी क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं।

मालबुलाई बाजार में हिस्सेदारी में गिरावट

1773. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर-मोडल माल ढुलाई बाजार में रेलवे की हिस्सेदारी 1950-51 में 90 प्रतिशत से घटकर आज लगभग 40 प्रतिशत हो गयी है;

(ख) क्या अब अधिकांश माल की ढुलाई सड़क मार्ग से की जा रही है;

(ग) क्या इससे रेलवे की अर्थक्षमता पर भारी प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर मोडल मालढुलाई बाजार में इस गिरावट का सामना करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) हालांकि परिवहन में रेलवे के हिस्से के संबंध में निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, यह सत्य है कि वर्षों से रेलवे के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जिससे रेलवे का राजस्व उत्पादन प्रभावित हुआ है। बहरहाल, शुद्ध मायनों में रेलवे द्वारा ढोए गए माल यातायात ने निरंतर वृद्धि दर्ज की है जो निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है:

वर्ष	प्रारंभिक टन भार (मिलियन टन में)	शुद्ध टन किलोमीटर (शुद्ध टन कि.मी. मिलियन में)
1950-51	73.2	37565
1960-61	119.8	72333
1970-71	167.9	110696
1980-81	195.9	147652
1990-91	318.4	235785
2000-01	473.5	312371
2001-02 (अनंतिम)	492.31	331874

रेलवे परिवहन के साधन के रूप में गाड़ी भार में थोक यातायात की ढुलाई करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जो मूलत: प्रमुख क्षेत्रों से प्राप्त होता है। रेलवे के बाजार हिस्से में गिरावट के कुछ कारक नीचे अनुसार हैं:-

(1) अर्थव्यवस्था की बदलती हुई रूपरेखा,

(2) तटीय जहाजरानी पाइपलाइनों जैसे परिवहन के वैकल्पिक साधनों का विकास,

(3) गर्तमुहानों पर विद्युत संयंत्रों का निर्माण,

(4) कतिपय विसंगतियां जो भाड़ा संरचना में शामिल हो गई हैं।

रेलवे, बदल रहे परिदृश्य से पूर्णतया अवगत होने के कारण, न केवल बाजार हिस्से में गिरावट को रोकने के लिए अपितु परिवहन में रेलवे हिस्सा बढ़ाने के लिए पहल कर रही हैं और कार्यनीतियां तैयार कर रही हैं।

माल ढुलाई सेवाएं

क्षमता संवर्धन की नीति में निम्नलिखित शामिल हैं:

* स्वर्ण चतुर्भुजीय और इसके विकर्णीय मार्गों, जो लगभग 65 प्रतिशत यातायात की ढुलाई करते हैं और संतृप्त हैं, की अड़चनों को दूर करना।
* संकुलित इकहरी लाइन खंडों का दोहरीकरण।
* पत्तनों के लिए संपर्क-तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
* उच्च गति (100 किलोमीटर प्रति घंटा) के माल डिब्बों की शुरुआत करके यात्री और माल गाड़ियों के बीच गति अंतर को कम करना।
* उच्च अश्व शक्ति वाले इंजनों का उत्तरोत्तर उत्पादन ताकि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर माल गाड़ियों का चालन हो सके।
* संतृप्त मार्गों पर उन्नत सिगनल व्यवस्था की शुरुआत।
* उच्च गति के माल डिब्बों की शुरुआत के लिए रेलपथ अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।

क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता में सुधार को भी बाजार हिस्से में आशावादी होने के लिए अनिवार्य घटक के रूप में भी देखा जाता है। इस दिशा में की गई पहल में निम्नलिखित शामिल है।

* टर्मिनल प्रबंधन में निजी भागीदारी के माध्यम से ग्राहकों को संपूर्ण संभार-तंत्रीय समाधान उपलब्ध कराना।
* पारवहन समय में कमी।
* मल्टी-मोडल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यातायात में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है।
* कार्गो का ऑन-लाइन पता लगाने के लिए माल यातायात परिचालन सूचना प्रणाली। इस परियोजना का चरण-I (रेक प्रबंधन प्रणाली) पूरा हो गया है और टर्मिनल

प्रबंधन संबंधी चरण-II 2003 तक चालू हो जाने की संभावना है।

* क्षमता संबंधी अवरोधों की पहचान करने तथा रेल अवसंरचना के विकास की निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए दीर्घकालिक निर्णय समर्थन प्रणाली (एलआरडीएसएस) के रूप में कंप्यूटरीकृत अनुरूपण तकनीकों का विकास किया जा रहा है।

उपरोक्त उपायों के अलावा, भाड़ा दरों में तदर्थ बदलावों के कारण मालभाड़ा संरचना में आ गई विसंगतियों को दूर करने के लिए भी पहल की गई है।

[हिन्दी]

बच्चों पर टी.वी. धारावाहिकों का दुष्प्रभाव

1774. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को टीवी धारावाहिकों के दुष्प्रभाव की जानकारी है जिसके कारण कुछ बच्चों को अपने प्राण गंवाने पड़े;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के टीवी धारावाहिकों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि कई कंपनियां धर्म के नाम पर विज्ञापन दिखाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के विज्ञापनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) हाल ही में मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों को अपनी प्रसारण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रसारित करता है जो परिवार के देखने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति देते हैं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार दूरदर्शन पर ऐसे किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जाता है जिसमें बच्चों में हिंसा भड़काने वाले कार्य या तो पीड़ितों के रूप में या अपराधकर्ता के रूप में शामिल किए जाते हैं। केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित किए गए चैनलों के सभी कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन (विनियमन), अधिनियम 1995 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए कार्यक्रम संहिता से शासित होते हैं। जिसमें इन मामलों को सुलझाने के उपर्युक्त प्रावधान भी शामिल होते हैं।

(घ) और (ङ): प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करता है। टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित तथा केबल टी.वी. नेटवर्क के जरिए पुन: प्रसारित किए गए विज्ञापनों को केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निर्धारित किए गए विज्ञापन संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापनों, वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाता है जो पूर्णत: या प्रमुखत: धार्मिक प्रकृति के हों, तथा किसी धार्मिक लक्ष्य की ओर ले जाते हों। सरकार ने विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के बारे में स्वत: स्पष्ट संज्ञान लेने या विशिष्ट शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक अन्त:मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है।

रेल परियोजनाएं

1775. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल वही परियोजनाएं हाथ में ली जा सकती थीं जिन्हें उपलब्ध धनराशि में पूरा किया जा सके किन्तु रेलवे ने वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान पहले से चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त हजारों अन्य परियोजनाएं भी चालू परियोजनाओं में शामिल कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये परियोजनाएं धन की कमी और अन्य कारकों के कारण अभी लम्बित हैं जैसा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 1998 की रिपोर्ट 1998 की रिपोर्ट 9 पृष्ठ 176 के पैरा 5.3 में उल्लिखित हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या जिन परियोजनाओं के लिए रेलवे बोर्ड के पास आवश्यक निधि नहीं है और उन्हें शुरू करने की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं के प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी चालू रेल परियोजनाएं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रगति पर हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सभी चालू रेल परियोजनाएं निधियों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर हैं। प्रत्येक परियोजनाओं का ब्यौरा रेलवे के बजट कागजातों में उपलब्ध हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने की तिथि वर्ष दर वर्ष प्राप्त होने वाली निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

परामर्शतात्री समिति की रिपोर्ट

1776. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम संबंधी परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत और क्रियान्वित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके बाद से विद्युत क्षेत्र उपक्रम किस सीमा तक मजबूत हुए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) मैसर्स आईसीआईसीआई और कैपिटल मार्केट केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय इंजीनियरी का अध्ययन करने के लिए परामर्शक के रूप में कार्य कर रहे थे, ताकि निवेश हेतु अधिकाधिक संसाधन जुटाने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके। उनकी टिप्पणियों पर विचार करने के बाद एनटीपीसी ने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख और प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत यूटीलिटी बनाने के उद्देश्य से अध्ययन कार्य आरंभ करने हेतु एटी कियर्नी कनसल्टेंट्स को नियुक्त किया है। अध्ययन कार्य प्रगति पर है। कुछेक सीपीएसयू ने इक्विटी के सार्वजनिक निर्गमन के साथ पूंजी बाजार में प्रवेश करने की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम के लाभ

1777. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने 2001-2002 के लिए सर्वाधिक लाभ अर्जित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम के व्यवसायों की वरीयतावार सूची क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में नयी अपतटीय या तटीय तेल खोज और दोहन इकाइयों को स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2001-2002 के दौरान प्राप्त किया गया लगभग 6197 करोड़ रुपए का करोपरांत लाभ अब तक प्राप्त किया गया सर्वाधिक लाभ था।

(ग) एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) अपने सभी कार्यव्यापार संबंधी निर्णय बुद्धिमानी से तकनीकी-वाणिज्यिक एवं कार्यनीतिक मान्यताओं के आधार पर लेती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाड़ा में मल्टी प्वाइंट टिकट काऊंटर

1778. श्री ए. साम्बैया: क्या **रेल मंत्रालय** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विजयवाड़ा शहर में विभिन्न स्थानों पर आरक्षण हेतु मल्टी पावइंट टिकट बिक्री का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत विजयवाड़ा में मल्टी पावइंट टिकट काऊंटर खोलने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा विजयवाड़ा में वाणिज्यिक गतिविधियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठा जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य की समाप्ति के लिए क्या समय-सीमा रखी गयी है;

(ङ) क्या इन कार्यों में बेरोजगार युवकों को लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी नहीं। विजयवाड़ा में आरक्षित टिकटों की बिक्री दो कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्रों के माध्यम से की जाती है। बहरहाल, विजयवाड़ा में पांच रेल यात्री सेवा एजेंट नियुक्त किए गए हैं जो सामान्य यात्री की भांति कतार में खड़ा होकर और यात्रियों से निर्धारित सेवा शुल्क वसूलने के पश्चात् इन यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्रों से टिकट खरीदने के लिए अधिकृत हैं।

(ग) और (घ) वाणिज्य संबंधी कार्यकलापों में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसे आवश्यकता के आधार पर तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गांवों का विद्युतीकरण

1779. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मार्च, 2002 तक 5,08,515 गांवों के विद्युतीकरण का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है;

(ग) शेष गांवों का कब तक विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है; और

(घ) भविष्य में सही-सही आंकड़े बनाए जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के आकड़ों के अनुसार 31.3.2002 को 509053 गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है और 7749 व्यवहार्य गांव विद्युतीकरण हेतु शेष रह गये हैं।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्राथमिकता का निर्धारण राज्य विद्युत बोर्डों, जो कि वितरण प्रणाली का स्वामित्व रखते हैं और उनका प्रचालन करते हैं, द्वारा और संबंधित राज्य सरकारों के नीति निर्देश पर किया जाता है। तथापि 3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में 10वीं योजना के अंत अर्थात् वर्ष 2007 तक ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा करने का संकल्प लिया गया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण को एक आधारभूत न्यूनतम सेवा माना गया है और इसे वर्ष 2001-02 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है, वर्ष 2001-02 के दौरान सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित धनराशियां मुहैया कराई है।

1.	पीएमजीवाई	412.236 करोड़ रुपये
2.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) (पात्र राज्यों के लिए)	175.00 करोड़ रुपये

वर्ष 2002-03 के दौरान योजना आयोग ने निम्नलिखित आवंटन किये हैं।

1.	पीएमजीवाई	-	2747.00 करोड़ रुपये
2.	एमएनपी	-	600.00 करोड़ रुपये

जहां तक पीएमजीवाई का संबंध है आवंटन ग्रामीण विद्युतीकरण समेत सभी छः घटकों के लिए हैं। योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये संशोधित दिशा निर्देश के तहत राज्यों को अपनी स्वयं की योजना प्राथमिकता और विवेक के अनुसार छः पीएमजीवाई घटकों के मध्य परस्पर आवंटन निर्णित करने की नम्यता प्राप्त है।

(घ) राज्यों से 10वीं योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के अतिरिक्त सेन्सस कोड के साथ विद्युतीकृत किये जाने वाले गांवों की सही-सही संख्या की सूची तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए अनुदान

1780. श्री वसुदेव आचार्य: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के कुछ दुर्गम क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन में जहां पारंपरिक विद्युत पहुंचाना संभव नहीं

है, वहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजना आयोग की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और सिक्किम को अनुदान के रूप में 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही है। योजना आयोग द्वारा पहचान किए गए अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र संहिता देश के कुछ दूरदराज वाले अगम्य क्षेत्रों को इसी तरह की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सुझाव दिए गए हैं।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र और देश के कुछ अन्य अगम्य क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए अनुदान 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण की अनुमति देने के लिए योजना आयोग से कोई विशेष अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।

लोकप्रिय कार्यक्रमों में काट-छांट

1781. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा कुछ धारावाहिक और अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम या तो बन्द कर दिए गए हैं या उनमें काट-छांट की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन धारावाहिकों या लोकप्रिय कार्यक्रमों को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं पाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उन निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की है जिन्होंने भारतीय समाज में उत्थान से संबंधित शिक्षात्मक कार्यक्रम बनाए हैं किन्तु जिनकी वाणिज्यिक अर्थक्षमता कुछ कम है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने किसी लोकप्रिय धारावाहिक/कार्यक्रम को बंद नहीं किया था। सभी धारावाहिकों ने या तो स्वीकृत कड़ियों के अनुसार अपना प्रसारण पूरा कर लिया था अथवा उनका प्रसारण उनके प्रायोजक (प्रायोजकों) द्वारा सहायता वापिस ले लेने, दूरदर्शन को देयों का भुगतान न करने अपनी एजेंसी इत्यादि के साथ झगड़े के कारण स्वत: बंद हो गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि शिक्षाप्रद तथा कुछ सार्वजनिक प्रयोजनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को प्रसारण शुल्क में 25 प्रतिशत तक रियायत दी जाती है।

[हिन्दी]

इन्सैट से जुड़े आकाशवाणी केन्द्र

1782. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक इन्सैट से जुड़े आकाशवाणी केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त केन्द्रों को उपग्रह से जोड़ने से क्या लाभ हुआ है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों को इन्सैट जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) निम्नलिखित आकाशवाणी केन्द्रों पर इन्सैट के साथ अपलिंक की सुविधा है: 1. दिल्ली 2. चैन्नै 3. कोलकाता 4. मुम्बई 5. श्रीनगर 6. त्रिवेन्द्रम 7. बंगलौर 8. अहमदाबाद 9. भोपाल 10 शिलांग 11. पटना 12. गुवाहाटी 13. कटक 14. लखनऊ 15. हैदराबाद 16. जयपुर 17. ईटानगर 18. एजवाल 19. कोहिमा 20. शिमला।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा राज्यों की राजधानी में स्थित अपलिंग सुविधाओं से उन स्थानों पर निर्मित राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचारों तथा कार्यक्रमों का वितरण देश/राज्यों के दूसरे आकाशवाणी केन्द्रों को उपग्रह के माध्यम से प्रसारण करने में सहायता मिलती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में रसोई गैस डीलर

1783. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में नए रसोई गैस के वितरकों/डीलरों की पहुंच बाजार तक करने और रसोई गैस की बिक्री में एकाधिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने नई रसोई गैस एजेंसियों को रसोई गैस कनेक्शनों के अंतरण के संबंध में सरकार के आदेशों का अनुपानल न करने के बारे में रसोई गैस के कुछ स्थापित डीलरों पर कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो इस संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में माह-वार स्थापित रसोई गैस के डीलरों (20,000 से अधिक रसोई गैस कनेक्शनों वालों) के पास कुल कितने कनेक्शन थे और उनकी रिफिल सिलिंडर बिक्री कितनी थी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को पुराने वितरकों के द्वारा प्रचालित विस्तार पटलों की बन्दी तथा इनसे संबंधित ग्राहकों को नए आरंभ किए गए वितरकों को अंतरित की सलाह दी है। एक संतृप्त बाजार के अंतर्गत ग्राहकों को विभिन्न बाजारों की व्यवहार्यता सीमा के आधार पर अंतरित करने की जरूरत होती है।

(ख) और (ग) तेल विपणन कंपनियों ने रिपोर्ट दी है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां सरकारी निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

(घ) वर्तमान में तमिलनाडु में तेल विपणन कंपनियों के 54 एलपीजी वितरकों के पास 20,000 से अधिक ग्राहक हैं। इन वितरकों विगत तीन वर्षों के दौरान उनकी कुल ग्राहक संख्या के 40 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक के दायरे में रही है।

प्राथमिक उपचार किट का विकास

1784. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने परमाणु विकिरण से होने वाले जख्मों के ईलाज के लिए एक नई प्राथमिक उपचार किट विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की किट के विकास की लागत क्या है;

(घ) क्या इस किट की सक्षमता के संबंध में कोई जांच की गयी थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इसी प्रकार के किट अन्य देशों में भी विकसित किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जहां तक हमें पता है ऐसी कोई किट किसी अन्य देश के पास नहीं है।

हरियाणा में बादली में खुदरा विक्रय केन्द्र

1785. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झज्जर जिले में बादली में खुदरा विक्रय केन्द्र प्रदान करने के लिए पैनल में रखे गए पहले उम्मीदवार का चयन रद्द करने के संबंध में आईओसीएल को सूचना दे दी;

(ख) यदि हां, तो आईओसीएल अगली उम्मीदवार की फील्ड जांच रिपोर्ट तैयार करके चयन प्रक्रिया कब तक पूरी कर लेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी हां। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) की बादली, जिला झज्जर हरियाणा स्थित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के लिए पहले सूचीबद्ध उम्मीदवार के चयन को रद्द करने के लिए सरकार का निर्णय इस सलाह के साथ आईओसी को संसूचित कर दिया गया है कि आगे कि कार्रवाई नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार कर ली जाए।

[हिन्दी]

भू-संवेदी उपकरणों को लगाया जाना

1786. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक
श्री जय प्रकाश:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ रोकने हेतु भू-संवेदी उपकरण लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है और इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) कौन-कौन से देशों से इन भू-संवेदी उपकरणों को खरीदे जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सरकार द्वारा घुसपैठ का पता लगाने में सैनिकों की सहायता करने के लिए जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ पहले से ही अनअटेन्डेट भू-संवेदी उपकरण लगाए जा रहे हैं। ये संवेदी पर्याप्त संख्या में लगाए जा चुके हैं। ये संवेदी स्वदेशी स्रोतों से अधिप्राप्त किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

ए.पी.डी.पी. के अन्तर्गत कच्छ जिले को शामिल किया जाना

1787. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सहायता की सामान्य पद्धति के अनुसार 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण की विशेष श्रेणी योजना के अन्तर्गत कच्छ जिले को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) प्रमुख सचिव, ऊर्जा तथा पेट्रोकेमिकल विभाग, गुजरात सरकार ने दिनांक 5 फरवरी, 2001 के अपने पत्र के माध्यम से कच्छ जिले में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की बहाली का अनुरोध किया है साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि कच्छ जिले में उप-पारेषण व वितरण नेटवर्क की मरम्मत के निधियां भी विशेष वितरण के तहत त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाए। भारत सरकार ने कच्छ जनपद में भुज के लिए एपीडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में 96.00 करोड़ रु. की राशि मंजूर की है, इसमें से 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण है। त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) जिसे त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के नाम से फरवरी, 2000 में आरंभ किया गया था ताकि राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन में आमूल-चूल वित्तीय परिवर्तन किया जा सके। स्कीम प्राकृतिक आपदाओं को कवर नहीं करती है। अभी भी एपीडीआरपी विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए व्यवस्था नहीं करता है। इसके व्यापक परिणाम होंगे और इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों में परामर्श/सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

1788. **श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. सुशील कमार इन्दौरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल कंपनियों के उत्पादों की कीमतों को निर्धारित करने के लिए कोई आधारभूत तंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तंत्र को अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने तेल उत्पादों की कीमतों को तय करने के लिए वर्तमान आधारभूत तंत्र तो सुधारने की आवश्यकता महसूस की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के अलावा, जो रियायती उत्पाद बने हुए हैं, सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण नियंत्रण मुक्त कर दिया

गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अब विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों का मूल्य निर्धारित कर रही हैं।

[अनुवाद]

एनईएलपी के अंतर्गत तेल और गैस की खोज हेतु बोलियां

1789. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई एक्सपलोरेशन लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत तेल और गैस की खोज हेतु बोलियां आंमत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) देश में तेल और गैस के अन्वेषण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए सरकार ने अनवेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तीसरे दौर के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) के अंतर्गत 27 अन्वेषण ब्लाकों का प्रस्ताव किया है। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के अंतर्गत आने वाले 11 जमीनी ब्लाक, 9 गहन जल ब्लाक और पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित 7 उथले जल वाले ब्लाक सम्मिलित हैं। इन ब्लाकों के लिए प्रस्ताव आमंत्रण सूचना 28 मार्च, 2002 को घोषित की गई और बोली प्राप्ति की अंतिम तारीख 28 अगस्त, 2002 है।

[हिन्दी]

तेल शोधनशालाओं को कच्चे तेल की बिक्री संबंधी मूल्य निर्धारण फार्मूला

1790. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल शोधनशालाओं को घरेलू कच्चे तेल की बिक्री हेतु मूल्य निर्धारण फार्मूला तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फार्मूले को लागू करने के कारण तेल की विक्रेताओं और खरीददारों के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त मतभेदों को दूर करने के लिए कोई भूमिका निभाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के बाद सार्वजनिक व्यवस्था की समाप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल का मूल्य निर्धारण नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। ये कंपनियां अपने द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधन कंपनियों के साथ निबंधन शर्तों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

[अनुवाद]

गैस ढुलाई की कीमतों में वृद्धि

1791. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण निगम ने गैस ढुलाई की कीमतों में वृद्धि की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) गेल ने गैस मूल्य में वृद्धि के कारण ईंधन लागत में वृद्धि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इत्यादि में वृद्धि के कारण मूल्य स्फीति के समायोजन की वजह से एचबीजे परिवहन प्रभारों में वृद्धि की मांग की है। इस मामले में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

मछुआरों का अपहरण

1792. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समुद्री लुटेरों ने बंगाल की खाड़ी में 22 मछुआरों का अपहरण कर लिया था जैसा कि 16 जून, 2002 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा बंगाल की खाड़ी को समुद्री लुटेरों से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट ने 15 जून, 2002 को सूचित किया था कि सागर द्वीप के तट से 60 मील दूर समुद्र में कुछ मछुआरों का अपहरण किया गया था। 16 जून, 2002 को तटरक्षक बल के डॉर्नियर ने कोलकाता से उड़ान भरी और वह संदिग्ध क्षेत्र के ऊपर से काफी कम ऊंचाई पर उड़ा। बाद में, पुलिस प्राधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि तटरक्षक बल के विमान को देखकर अपहरणकर्ता अपहृत किए गए मछुआरों को छोड़कर भाग गए थे। भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए तटरक्षक बल हल्दिया तथा कोलकाता में बढ़ाई गई मूलभूत सुविधाओं के द्वारा क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों को लोकप्रिय बनाना

1793. श्री पी.सी. थामस: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु एक सुविचारित योजना विकसित करने का है;

(ख) सरकार ने किस सीमा तक लोगों के सहयोग और भागीदारी की अपेक्षा की है;

(ग) लोगों को बेहतर रूप से जागरूक बनाने हेतु क्या विधि अपनाई जा रही है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में लोगों की सहायता करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को प्रयोग में लाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत को लोकप्रिय बनाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों के साथ किस प्रकार का सहयोग किया जा रहा है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां। मंत्रालय देश में अपारंपरिक ऊर्जा के उपयोग की लोकप्रियता विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, प्रतियोगिताओं, सेमीनारों आदि के आयोजन के माध्यम से जन सहयोग और भागीदारिता प्राप्त की जा रही है। लोगों में बेहतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इलैक्ट्रानिक, प्रिंट, प्रदर्शनियों तथा रेडियो कार्यक्रमों को शामिल करके आउटडोर मीडिया, समाचारपत्रों में विज्ञापनों, प्रचार सामग्रियों, चलते-फिरते प्रदर्शन वाहनों, होर्डिंग/किओस्क/बस के पीछे लगे पैनल, गीत व नाटक आदि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के उपयोग का प्रदर्शन करने के लिए ऊर्जा पार्कों, व्यापार बैठकों, सम्मेलनों व सेमीनारों को भी सहायता दी जाती है।

(घ) और (ङ) गैर-सरकारी संगठन अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों व युक्तियों के कार्यान्वयन, प्रशिक्षण तथा प्रचार में लगे हुए हैं। इन गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

रेल किराए में कमी

1794. श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान भाड़ों में हाल ही में की गई कमी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को अपने प्रतिष्ठित राजधानी ट्रेनों की प्रतिष्ठा में इस कारण कमी आने की आशंका है क्योंकि इस समय इसके प्रथम श्रेणी वातानुकूलित शयनयानों का किराया विमान भाड़ें से महंगा पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार अपनी राजधानी सेवा को अर्थक्षम बनाने के लिए विमानन कंपनियों की भांति किरायों में कटौती करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

10 जून, 2002 का समाचार

1795. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जून, 2002 के ''द हिन्दू'' में ''ट्रेन्स एट सेवेन टाइम द स्पीड ऑफ साउंड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने भी विश्व में रेल यात्रा के बदलते परिदृश्य के मद्देनजर इस प्रकार की गतिविधियों का भी संज्ञान लिया है;

(ग) क्या रेलवे के इंजीनियरों ने इस क्षेत्र में कोई अनुसंधान कार्य किया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय रेले संसार में उच्च गति वाली गाडियां चलाने सहित रेलवे प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकास संबंधी कार्यों से अवगत है। बहरहाल, भारतीय रेलों के बारे में अभी तक कोई अनुसंधान कार्य आरंभ नहीं किया है।

फुटकर बिक्री केन्द्रों के स्थानों का चयन

1796. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के चार निगमों को फुटकर बिक्री केन्द्रों के स्थानों का चयन, डीलरों का चयन, पुनर्गठन स्थलों के पुनर्निर्धारण आदि का मुक्त अधिकार देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने अभी भी उन कंपनियों पर अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करके अपना व्यापार बढ़ाने हेतु प्रतिबंध लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इन तेल कंपनियों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने के पीछे क्या कारण/उद्देश्य है; और

(घ) सरकार कब तक इन निगमों को कार्यकरण की स्वतंत्रता प्रदान करेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) 1.4.2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति की समाप्ति के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए सरकार ने अब डीलर चयन बोर्डों को भंग कर दिया है। पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/ डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन का कार्य ओमसीज द्वारा स्वयं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ओएमसीज को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए स्थलों का चयन करने की भी स्वतंत्रता है बशर्ते की वे स्थल वाणिज्यिक व्यवहार्यता और मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों का अतिक्रमण न करने जैसे कतिपय मानदंडों को पूरा करते हों। ओएमसीज को उन निम्न सेवा वाले/दूरदराज के क्षेत्रों और एकाधिकार बाजारों वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों जो राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों में सम्मिलित नहीं है और जहां 10 कि.मी. के दायरे के भीतर कोई अन्य खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं है, के अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्थान परिवर्तन करने के अधिकार भी ओएमसीज को प्रत्यायोजित किए गए हैं। सरकार ने कुछ मानकों के अध्यधीन ओएमसीज को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के पुनर्गठन के लिए भी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

[हिन्दी]

मुफ्त रेल-यात्रा पास जारी किया जाना

1797. श्री मानसिंह पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नयी सरकार द्वारा सत्तासीन होने के पश्चात् से अब तक, कितने मुफ्त रेल-यात्रा पास जारी किये गये;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई संसद सदस्यों द्वारा मुफ्त पास जारी करने के आशय से भेजे गये पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती और उनका उत्तर तक नहीं दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) नई सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् रेल मंत्री के विवेकाधीन शक्तियों के अन्तर्गत मान मानार्थ कार्ड पास 2 भारत स्काउट और गाइड्स दिल्ली को और 2 पास मिशनरीज ऑफ टैरेटी, कोलकाता का नवीकरण किया गया।

(ग) और (घ) किफायत और मितव्ययिता की आवश्यकता के दृष्टिगत 15.11.1999 से रेल मंत्री विवेकाधीन शक्तियों के अन्तर्गत कोई मानार्थ कोई पास जारी/नवीकरण नहीं किया गया है। रेल मंत्री के विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत मानार्थ कार्ड पास जारी/नवीकरण न करने की मौजूदा नीति को ध्यान में रखते हुए मानार्थ कार्ड पास जारी करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर सामान्यत: आगे कार्रवाई नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच समझौता

1798. श्री एम.के. सुब्बा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मई में असम की वृहत्त गैस-क्रैकर परियोजना के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किये गये;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्त क्या है, और

(ग) इस बारे में विलंब के क्या कारण हैं और इस मामले में आने वाली कठिनाइयों और संबंधित मुद्दों का निपटान कैसे किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड और रिलांयस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बीच गैस बिक्री करार (जीएसए) के संबंध में चर्चा पूरी हो चुकी है। तथापि पक्षकारों के बीच किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। प्रस्तावित करार के निबंधन मुख्य रूप से निम्न होंगे:

(1) करार 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) 2005-06 से 2011-12 तक की अवधि के लिए गैस की 1.35 मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएस सीएमडी) प्रतिदिन मात्रा आपूर्त की जाएगी।

(3) 2012-13 से 2019-20 तक की अवधि के लिए गैस की 1.00 एमएमएससीएमडी की मात्रा आपूर्त की जाएगी।

(ग) ऐसे तकनीकी ब्यौरे थे, जिन्हें समाधान किए जाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा करार में लगभग 436 खंड़ों पर दोनों पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने की आवश्यकता थी। लंबी चर्चाओं के बाद दोनों पक्षकारों के बीच अधिकांश खंड़ों पर सहमति हो गई है। ऐसे 10 खंड़ों को सरकार के हस्तक्षेप द्वारा निपटा दिया गया है जिन पर कोई समझौता नहीं हो सका था।

तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप लगाया जाना

1799. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में विद्यमान कंपनियां और निजी क्षेत्र की नई तेल कंपनियों को उनके चयनित स्थानों पर अपने पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दी है तथा उन्हें प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी कंपनियों की प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के मद्देनजर पहले से ही वाहन ईंधनों का खुदरा व्यापार करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रम अपनी बाजार रणनीति तैयार करने के लिए भी प्राधिकृत है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कीमत पर निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अनावश्यक फायदा नहीं मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के पश्चात् सरकार ने दो निजी कंपनियों को परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए अपने निजी खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी है। नियंत्रणमुक्त परिदृश्य के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) साथ ही निजी कंपनियां भी अपनी वाणिज्यिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, दूर-दराज तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में उत्पाद उपलब्धता का रख-रखाव करने के लिए कंपनियों के द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना की निगरानी सरकार अथवा प्रस्तावित पेट्रोलियम नियामक बोर्ड के द्वारा अपेक्षित है।

आई.डब्ल्यू.जी. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

1800. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईडब्ल्यूजी ने निजी क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोलियम सेक्टर के विनियंत्रण के मामले पर सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रस्तावों पर अनुमोदन अभी भी अपेक्षित है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव

1801. श्री अमर राय प्रधान: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर में कब तक चुनाव करवाए जाने की संभावना है;

(ख) जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आयोजन हेतु चुनाव आयोग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाने जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि इसने जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अभी कार्यक्रम विनिश्चित नहीं किया है।

(ख) और (ग) विधान सभाओं और संसद् के लिए निर्वाचन के संचालन का पूर्ण उत्तरदात्वि भारत निर्वाचन आयोग का है। जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन की बाबत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से/केंद्रीय सरकार/जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के परामर्श से किए गए उपाय नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:-

1. राज्य में सभी संबंधित व्यक्तियों को स्वच्छ, सुपाठय, उच्च परिशुद्धता वाली कंप्यूटरीकृत निर्वाचक नामावलियां उपलब्ध कराना, जो निर्वाचकों के द्वारा अपना मत डाले जाने का आधार बनेगीं। राज्य में सभी 87 सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां उर्दू में कंप्यूटरीकृत की गई हैं और उनकी प्रतियां राज्य में सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों और ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, जिनका विधायी प्रतिनिधित्व है अर्थात्, जिनका जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में एक प्रतिनिधि भी है, नि:शुल्क वितरित कर दी गई हैं।

2. सभी मतदान केंद्रों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग करना। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से मतदान करने की व्यवस्था को जम्मू और दिल्ली में कैंपों में निवास कर रहे कश्मीरी पंडित मतदाताओं के लिए भी विस्तारित किया गया है।

3. आयोग द्वारा अनुमोदित परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, मतदान केंद्रों को, जहां तक व्यवहार्य हो, 1988 की निर्वाचक नामावलियों में मतदान केंद्रों की यथा उपलब्ध सूचियों में उपदर्शित स्थानों पर फैलाकर और अवस्थित करके उनकी स्थिति को सुव्यवस्थित करना जिससे कि एक भवन में 3 से अधिक मतदान केंद्र न बन सकें और किसी मतदाता को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए कुल मिलाकर 2 किलोमीटर से अधिक न जाना पड़े।

4. विधि और व्यवस्था प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी करना कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सुरक्षा कवच देने में साम्यता हो जिससे कि उनके निर्वाचन अभियान साम्यतापूर्ण आधार पर चलाए जा सकें। इस प्रयोजन के लिए, संघ सरकार ने निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राज्य सरकार को यह निदेश दिया है कि वह घाटी में प्रत्येक जिले में और डोडा, राजौरी, पुंछ और जम्मू के जिलों में प्रत्येक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल के एक नेता को राज्य के खर्च पर सुरक्षा कवच प्रदान करे।

5. राज्य में मतदाताओं को विशेष फोटो पहचान पत्र जारी करना। निर्वाचन आयोग ने, इन पहचान पत्रों के सुरक्षा पहलूओं को ध्यान में रखते हुए इंडिया सिक्युरिटी प्रेस, नासिक को ऐसे विशेष सुरक्षा पत्रों पर, जिनपर निर्वाचकों द्वारा दिया गया निर्वाचक का फोटो लगा होगा, पूर्व प्ररूपित, पूर्व संख्याकित फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य सौंपा है और उन्हें लेमिनेट करके जारी किया जाएगा।

6. राज्य में मतदाताओं के लिए घर के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के कंप्यूटरीकरण द्वारा मतदाता पर्चियां तैयार करना और उन्हें उनके दरवाजे पर जारी करना।

7. विदित क्षमताओं, अच्छे सेवा अभिलेख वाले प्रगतिशील ज्येष्ठ सिविल सेवकों को राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए संप्रेक्षकों के रूप में भेजना।

[हिन्दी]

खरीद में भ्रष्टाचार

1802. श्री मानसिंह पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न मंडलों में सामानों की खरीद संबंधी प्रकाश में आये घोटालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जब्त किए गए सामान की मात्रा कितनी है और ये किस प्रकार के हैं और इनकी लागत कितनी है;

(ग) कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) किन व्यक्तियों के विरुद्ध अभी कार्रवाई किया जाना शेष है और किस तिथि को कार्रवाई आरंभ की गई है; और

(ङ) इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय रेलों के विभिन्न मंडलों में सामान की खरीद में घोटालों का कोई पता नहीं लगा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, मंडलों द्वारा सामान की खरीद के क्षेत्र में रेलवे सतर्कता नियमित निवारक जांचें करता है। इस क्षेत्र में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति यदि कोई हो, को रोकने के लिए प्रणाली में उपयुक्त सुधार किए जाते हैं।

मेट्रो चैनल ट्रांसमीटर स्थापित करना

1803. श्री रामदास आठवले: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मेट्रो चैनल ट्रांसमीटर लगाये जाने हेतु महाराष्ट्र समेत राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यह ट्रांसमीटर कब तक काम करना शुरू कर देंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश की सरकारों से मैट्रो चैनल ट्रांसमीटर लगाने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मैट्रो चैनल ट्रांसमीटर लगाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु मई, 2001 में पंढरपुर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाने के लिए आवदेन-पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) इस समय देश में 123 मैट्रो चैनल कार्य कर रहे हैं मैट्रो चैनल की कवरेज का और विस्तार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 47 ट्रांसमीटर परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जिसमें महाराष्ट्र के निम्नलिखित 10 ट्रांसमीटर शामिल हैं:-

1. पुणे और औरंगाबाद में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर।
2. नाशिक, अमरावती, कोल्हापुर, सांगली, मालेगांव, अकोला, नांदेड़ और धुले में लघु शक्ति ट्रांसमीटर।

उपरोक्त परियोजनाओं के वर्ष 2002 और 2003 के दौरान चरणों में पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा रसोई गैस की बिक्री

1804. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे रसोई गैस बेचने के निर्णय से अन्य तेल कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने ओएनजीसी को ग्राहकों को सीधे एलपीजी का विपणन करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी है।

पेट्रोल खुदरा बिक्री नीति

1805. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 2002 को 'दि पायनियर' में "एपीएम गॉन, 92 चेयर इज पेट्रोल रिटेल पॉलिसी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एपीएम समाप्त करने के बाद तेल कंपनियों के पास पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा मूल्य निर्धारण संबंधी स्पष्ट नीति नहीं है;

(ग) यदि हां, तो खुदरा बिक्री नीति के अभाव में उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की स्पष्ट खुदरा मूल्य निर्धारण नीति कब तक घोषित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एपीएम की समाप्ति के साथ पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी, जो अभी राजसहायता प्राप्त उत्पाद हैं, के अतिरिक्त, सभी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल का मूल्य वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर रहीं हैं।

एपीएम के उपरांत जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव की स्थिति में घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर तदनुरूपी प्रभाव पड़ेगा तो सरकार उपभोक्ता मूल्यों पर ऐसे उतार-चढ़ाव के प्रभाव पर आंशिक नियंत्रण करने के लिए समुचित शुल्क समायोजन करेगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य पर ऐसे असर पर नियंत्रण करने के लिए 4 जून, 2002 से इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में 2 प्रतिशत की दर से कमी की थी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): महोदय, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5857/2002]

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): महोदय, मैं अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिल्ली अधिवक्ता कल्याण निधि नियम, 2001 जो 25 जनवरी, 2002 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.2/19/लिट./01/543 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5858/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का इक्यावनवां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय नौ में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार न किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5859/2002]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2002 जो 9 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 485(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5860/2002]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5861/2002]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदय, मैं श्री ए. राजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 1 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 310(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 28 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 382(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 2002 जो 19 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 437(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2002 जो 19 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 438(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5862/2002]

(2) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5863/2002]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 13 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

'कि यह सभा, लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा श्री बनारसी दास गुप्ता के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में हुई रिक्ति के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे और यह संकल्प करती है कि यह सभा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इस रिक्ति को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति के लिए सभा के सदस्यों में से एक सदस्य निर्वाचित करे'।"

मुझे लोक सभा को यह भी सूचना देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति में राज्य सभा के एक सदस्य श्री एडवर्ड फलैरियो को विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है।

अपराह्न 12.02 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): महोदय, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2002-2003

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांग को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5864/2002]

अपराह्न 12.04 बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1999-2000

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं वर्ष 1999-2000 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5865/2002]

अपराह्न 12.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा-पटल पर रखा माना जाए।

[हिन्दी]

(एक) रेवाड़ी और दिल्ली के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने और इस मार्ग पर डीएमयू रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सुधा यादव (महेन्द्रगढ़): मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र रेवाड़ी-दिल्ली रेलवे लाईन पर हो रही कठिनाईयों को रेल मंत्री के समक्ष उठाना चाहती हूं। रेवाड़ी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिल्ली-रेवाड़ी सैक्शन के बीच प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग रोजगार करने के लिए आते जाते हैं। रेवाड़ी-दिल्ली रेलवे लाईन का दोहरीकरण किए जाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जाती रही है तथा इसके साथ-साथ दिल्ली-रेवाड़ी के बीच डी.एम.यू. चलाये जाने की मांग भी पिछले कई वर्षों से स्थानीय जनता द्वारा की जाती रही है, परंतु रेलवे लाईन का दोहरीकरण न होने के कारण, इस लाईन पर डी.एम.यू. चलाये जाने की मांग भी पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे स्थानीय जनता में भारी रोष व्याप्त है।

अत: मेरी रेल मंत्री से मांग है कि दिल्ली-रेवाड़ी रेल मार्ग के दोहरीकरण किए जाने हेतु तुरंत आवश्यक धनराशि स्वीकृत किए जाने के साथ-साथ, इस सैक्शन पर डी.एम.यू. चलाये जाने की अनुमति प्रदान करें। इससे जहां जनता को राहत मिलेगी, वहीं रेलवे के राजस्व में भी भारी बढ़ोत्तरी होगी।

[अनुवाद]

(दो) मुम्बई में हेपेटाइटिस 'बी' टीकाकरण की प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): जुलाई, 2002 के दौरान मुम्बई में हेपेटाइटिस 'बी' के कारण सात लोगों की मृत्यु हुई। मुंबई में हेपेटाइटिस 'बी' के लिए तत्काल कार्रवाई करने तथा जागरूकता और टीकाकरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हेपेटाइटिस 'बी' टीकाकरण हेतु प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु एक कार्ययोजना की आवश्यकता है।

---

*सभा-पटल पर रखे माने गए।

(तीन) गुजरात सरकार की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के अंतर्गत पेट्रोलियम लाभ को बांटे जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): गुजरात सरकार नवीन अन्वेषण लाइसेंस नीति से सहमत हो गयी है और यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार पेट्रोलियम लाभों के बांटे जाने के लिए भारत सरकार को एक पृथक प्रस्ताव भेजेगी। तदनुसार, राज्य सरकार ने दिनांक 18.9.2002 को केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय को पेट्रोलियम संबंधी लाभों को बांटने के दावे के औचित्य से संबंधित एक विस्तृत टिप्पण भेजा फिर भी, केन्द्र सरकार ने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह करती हूं।

[हिन्दी]

(चार) राजस्थान में जयपुर में मेट्रो रेल प्रणाली की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन-प्रतिदिन यातायात बढ़ रहा है। जन-साधारण को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यातायात घंटों तक जाम रहता है। यातायात को अच्छा बनाने के लिए जयपुर में भी दिल्ली की तरह मैट्रो रेलवे को प्रारंभ किया जाना बहुत जरूरी है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस योजना को प्रारंभ करके राजस्थान की जनता को यातायात की एक बहुत बड़ी सुविधा देकर जनता का समय एवं व्यय बचाया जा सकता है।

(पांच) महाराष्ट्र में भुसावल-सूरत रेल सेक्टर के विद्युतीकरण और दोहरीकरण की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): महोदय, महाराष्ट्र में भुसावल-सूरत रेल सेक्टर का विद्युतीकरण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने तथा दोहरी रेल लाईन बिछाया जाना बहुत ही आवश्यक है।

अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि भुसावल-सूरत रेल सैक्टर का विद्युतीकरण अविलम्ब पूरे किये जाने तथा रेल लाईन को दोहरी करने के लिए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(छह) नागपुर स्थित एक्सप्रेस टेक्सटाइल मिल को अर्थक्षम बनाने के लिए आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): केन्द्र सरकार की कोई भी स्पष्ट नीति न होने के कारण देश में कई कपड़ा मिलें बंद की जा रही हैं। इनमें से कई मिलें देश में कई वर्षों से अस्तित्व में हैं। ऐसा ही एक उदाहरण एम्प्रेस मिल, नागपुर का है। लगभग 125 वर्ष पहले इस मिल की स्थापना नागपुर में गैर-सरकारी क्षेत्र में की गयी थी। बाद में इसे वर्ष 1986 में राष्ट्रीयकृत किया गया। इस मिल में 3500 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। सरकार इस मिल को बंद करने पर विचार कर रही है जिससे बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इस मिल पुनरुद्धार में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि नागपुर शहर के बीचोंबीच का एक मुख्य क्षेत्र इसके पास है जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है। इस भूमि को बेचा जा सकता है और इससे प्राप्त हुई राशि का उपयोग इस वर्षों पुरानी मिल के पुनरुद्धार के लिए किया जा सकता है।

अत:, मैं, वस्त्र मंत्री जी से महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ परामर्श करके इस प्रकार के सभी संभव उपाय करने का आग्रह करता हूं। जिससे कि यह वर्षों पुरानी मिल बंद न हो और इसे कार्य करते रहने दिया जाए।

(सात) असम में सुपरामंडी और पथरकंडी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 का उचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

नेपाल चन्द्र दास (करीमगंज): दो वर्ष पहले असम में करीमगंज संसदीय क्षेत्र के सुपराकंडी से लेकर पथरकंडी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के दोनों ओर बी.आर.टी.एफ. द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण भूमि कार्य के कारण, विशेषकर वर्षा ऋतु में सड़क संचार बाधित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 करीमगंज जिले के लोगों और त्रिपुरा राज्य के सभी लोगों की जीवनरेखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 के सड़क यातायात बाधित होने के कारण त्रिपुरा राज्य के लोग और करीमगंज जिले में लोग आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आवाजाही में अधिक समस्या का सामना कर रहे हैं। करीमगंज जिले के लोग बी.आर.टी.एफ. की गतिविधियों के विरुद्ध लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सड़क सुधारने का आग्रह कर रहे हैं लेकिन बी.आर.टी.एफ. सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहा है।

मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से इस मार्ग की स्थिति को शीघ्र सुधारने और करीमगंज एवं त्रिपुरा राज्य के लोगों के कष्टों को दूर करने का आग्रह करता हूं।

(आठ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निवेशकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): लाखों ऐसे छोटे निवेशक हैं जिन्होंने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट-64 योजना में पैसा लगाया है और प्राप्त लाभांश को भी योजना में ही पुनर्निवेश करने का विकल्प लिया था। यू.टी.आई. ने वर्ष 2000-2001 में योजना के यूनिटधारकों के लिए लाभांश की घोषणा की थी और उसका वितरण भी किया था, किंतु जिन यूनिटधारकों ने प्राप्त लाभांश का योजना में ही पुनर्निवेश करने का विकल्प लिया था, उन्हें अभी तक इस बारे में सूचित नहीं किया गया है कि लाभांश के बदले उन्हें कितने यूनिट दिए जाएंगे। यूनिटधारकों में काफी रोष है और वे इस सरकारी वित्तीय कम्पनी—यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के उक्त व्यवहार से बहुत नाखुश और निराश हैं। सरकार को इन यूनिटधारकों को वर्ष 2000-2001 में लाभांश के बदले यूनिट जारी करने के लिए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को तत्काल निदेश देना चाहिए।

(नौ) देश के विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल के बीड़ी मजदूरों को भविष्य निधि योजना का लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अबुल हसनत खान (जंगीपुर): देश के अधिसंख्य बीड़ी मजदूर भविष्य निधि योजना के लाभ से वंचित हैं। पश्चिम बंगाल में बीड़ी कम्पनी मालिकों ने गरीब बीड़ी मजदूरों का हक मारने की मंशा से एजेंटों/ठेकेदारों को मजदूरों से भविष्य निधि-अंश के रूप में धनराशि एकत्रित करने और उसे उनकी तरफ से भविष्य निधि संगठन में जमा करने के लिए नियुक्त किया करते थे। लेकिन हकीकत तो यह है कि अधिकांश ठेकेदार भविष्य निधि के नाम पर पैसा तो ले लेते हैं पर इसे भविष्य निधि खाते में जमा नहीं करते।

अत:, मैं सरकार से निम्नलिखित अनुरोध करता हूं:

(क) बीड़ी मजदूरों को भविष्यनिधि योजना के अंतर्गत लाया जाए।

(ख) उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने गरीब मजदूरों से भविष्य निधि के नाम पर पैसा तो ले लिया लेकिन उसे भविष्यनिधि खाते में जमा नहीं किया।

(ग) बीड़ी कम्पनी-मालिकों को भविष्य निधि खाते रखने की जिम्मेदारी लेने और प्रत्येक बीड़ी मजदूर के नाम पर खाता खोलने पर बाध्य किया जाए।

(घ) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला स्थित जंगीपुर में एक भविष्य निधि कार्यालय शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ किया जाए।

(दस) तम्बाकू उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा. डी.वी.जी. शंकरराव (पार्वतीपुरम): कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा तम्बाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। यद्यपि, भारत में लगभग 20 प्रकार की तम्बाकू की खेती होती है, तथापि, आयोग द्वारा केवल एफ.सी.वी. प्रकार की तम्बाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। फिर, यह भी है कि निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत कम है। सामान्यतया, बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच 40 प्रतिशत तक का अंतर होता है। इससे उत्पादकों को बहुत मुश्किल हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा न्यूनतम गारंटी मूल्य को भी निर्धारित किया जा रहा है। इसे तम्बाकू बोर्ड निर्धारित करता है। न्यूनतम गारंटी मूल्य के कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं है। इससे उत्पादकों को बहुत दिक्कत हो रही है।

अत:, मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृषि लागत और मूल्य आयोग को इस हेतु सलाह दी जाए कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के पूर्व तम्बाकू उत्पादकों, व्यापारियों और इस व्यवसाय में लगे अन्य लोगों से, तथा तम्बाकू बोर्ड से भी, परामर्श करे और सुनिश्चित करे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और अधिक लाभकारी हो।

(ग्यारह) तमिलनाडु सरकार के स्टेनले अस्पताल क्रासिंग और विल्लीवक्कम क्रासिंग पर रेल उपरिपुलों का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास-उत्तर): अध्यक्ष महोदय, चेन्नै (उत्तर) के मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में स्टेनले अस्पताल के निकट एक रेल समपार है जिससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है, चूंकि अधकतर समय यह बंद ही रहता है। रेल पटरी के एक तरफ स्टेनले अस्पताल है और दूसरी तरफ आर.एस.आर. प्रसूति अस्पताल। जो महिलाएं प्रसूति हेतु वहां जाती हैं, उन्हें भी इस रेल समपार पर घण्टों खड़े रहना पड़ता है। इस कारण हजारों लोग रोज परेशानी झेल रहे हैं।

इसी प्रकार, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में पड़ने वाला विलीवक्कम भी एक व्यस्त क्षेत्र है। इस रेल समपार पर भी काफी समय तक यातायात अवरुद्ध रहता है। मैंने रेल बजट के समय दिए अपने भाषण में भी यह मुद्दा उठाया था। राज्य सरकार ने भी उक्त दोनों स्थानों पर दो रेल उपरिपुलों के निर्माण को प्राथमिकता कार्य की सूची में रखा है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि स्टेनले अस्पताल समपार और विलीवक्कम समपार पर रेल उपरिपुलों के निर्माण को मंजूरी दी जाए चूंकि रेल प्राधिकारी पहले ही यहां यातायात की स्थिति का सर्वेक्षण कर चुके हैं।

[हिन्दी]

(बारह) बिहार में छपरा और मोहम्मदपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-101 का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत छपरा प्रमण्डल में छपरा से मुहम्मदपुर पथ को राष्ट्रीय राज्यमार्ग घोषित किया गया है। यह पथ जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-101 के नाम से जाना जाता है, अत्यंत खराब अवस्था में है। पिछले वर्ष बाढ़ के चलते यह पथ ध्वस्त हो गया था। उस पथ पर मरम्मत कार्य भी निधि के अभाव में नहीं हो सका। राज्य सरकार उक्त पथ पर निधि इसलिए नहीं देती है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग है। कई बार सदन में उक्त पथ के निर्माण हेतु चर्चा की गई तथा पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया गया है। परन्तु, समुचित कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार राष्ट्रीय पथ संख्या-101 छपरा से मुहम्मदपुर के निर्माण हेतु शीघ्र निधि आबंटित करें तथा कार्य पूरा कराया जाये।

[अनुवाद]

(तेरह) देश में, विशेष रूप से उड़ीसा में एल्यूमीनियम उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) को भारतीय एल्युमिनियम उद्योग के इतिहास में एक नवपरिवर्तनकारी बिन्दु माना जाता है। आज 'नालको' आई.एस.ओ.-9002 तथा 14001 मार्का कम्पनी है और एशिया में सबसे बड़ी एकीकृत बाक्साइट-एल्युमिना-एल्युमिनियम विनिर्मात्री कम्पनी के रूप में उभरी है। यह भी उल्लेख योग्य है कि कम्पनी का लाभ, जो 1997-98 में 10% था, वह बढ़कर 2000-2001 में 40% हो गया है। यह भी उम्मीद है कि निवल लाभ लगभग 1000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष तक पहुंच जाएगा।

उड़ीसा में 'नालको' ही एकमात्र ऐसा लाभकारी और सहायताकारी संगठन है जिससे राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिल रहा है। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे भारतीय एल्युमिनियम उद्योग और इसके कर्मचारियों को फायदा हो।

(चौदह) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के विनिवेश का प्रस्ताव वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): सरकारी क्षेत्र की प्रथम औषध इकाई, मै. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल) को बेचने की बात चल रही है। 1954 में स्थापना के समय से हिन्दुस्तन एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने न केवल कच्ची सामग्री के रूप में, अपितु खुराकों के रूप में जीवनरक्षक औषधियों को उत्पादित किया है, साथ ही उनके मूल्य को भी सस्ता-सुलभ बनाया है। देश का भेषज उद्योग, जिसका कारोबार 1947 में 10 करोड़ था, उसे वर्तमान में 20000 करोड़ का करने में हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की वाकई अग्रणी भूमिका रही है।

वर्षों से, किसी भी राष्ट्रीय आपदा के समय—यथा लातूर और भुज में भूकंप; गुजरात में प्लेग; बाढ़, चक्रवात इत्यादि के कारण फैले व्यापक आंत्रशोथ और एंथ्रैक्स विषाणु के खतरे जैसी महामारियों के उत्पन्न होने, इत्यादि की दशा में हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने आवश्यकतानुसार प्रतिरोधी दवाएं तथा अन्य दवाइयां भेजीं। यह एक विडंबना है कि हाल ही में इसकी प्रमुख वानस्थतिक इकाई और अनुसंधान एवं विकास शाखा को निजी क्षेत्र के एक उद्यम (आर.पी.जी. लाइफ साइंसेज) को दे दिया गया। पहले भी (वर्ष 1993 में) वनस्पतियों के एक बड़े अंश को आधे-आधे की हिस्सेदारी के आधार पर एक संयुक्त उद्यम कम्पनी-'हालमैक्स जी.बी.' को हस्तांतरित कर दिया गया था।

'हालमैक्स जी.बी.' ने यद्यपि पेनिसिलिन के उत्पादन और बिक्री को तिगुना कर दिया है, तथापि सरकार की खुली-बाजार नीति की वजह से इसे घाटा हो रहा है और वह एच.ए.एल. को पट्टा-राशि का भुगतान करने में भी विफल रही है, जो लगभग 65 करोड़ ठहरती है—इससे एच.ए.एल. की हालत और खस्ता हो गई है।

मैं लाखों भारतीयों के हित में माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एच.ए.एल. की आनन-फानन बिक्री के प्रयास को

रोक दिया जाए और उसकी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए सरकार अविलम्ब अपनी योजना सुनिश्चित करे।

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में मल्लाकिमाली दक्षिण 24 परगना में डब्ल्यू एल एल आधारित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): पश्चिम बंगाल के उपनगरीय क्षेत्रों में हाल ही में डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली आधारित टेलीफोनों का इस्तेमाल शुरू हुआ है। तथापि, इनके कामकाज में कुछ समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं, जिन पर सरकार को अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को मालूम है कि उपनगरीय क्षेत्रों में दूर-दराज के गांव भी आते हैं। इन ग्रामों तक सामान्य संपर्क-सामानों के माध्यम से पहुंच संभव नहीं हो पाती। अत:, डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली आधारित और अधिक वी.पी. ट्रांसमीटरों का अनिष्ठापन शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शनों के आबंटन के लिए सरकार द्वारा तय प्राथमिकताओं का पालन स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस मामले की जांच करके मार्गनिर्देशों के पालनार्थ स्पष्ट अनुदेश दिये जाने चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, उपनगरीय क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली आधारित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना एक विशिष्ट आवश्यकता बन जाती है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। इस प्रयोजन के लिए मैं दक्षिणी चौबीस परगना जिले के पी.एस. गोशाबा स्थित मालक्कियाली के नाम का सुझाव देना चाहता हूं।

अत:, मैं सरकार से उक्त स्थान पर डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली आधारित एक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना तथा कैनिंग में डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली में और अधिक सुधार के लिए नयी प्रौद्योगिकी अधिष्ठापित किए जाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप प्रधानमंत्री ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए चौदह महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री सदन में आ चुके हैं। वहां केन्द्रीय टीम भेजने की बात थी। *...(व्यवधान)* उत्तर बिहार बाढ़ से तबाह हो गया है। इससे वहां कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। *...(व्यवधान)* वहां बहुत भयानक स्थिति है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक कर बोलें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के बारे में सदन में जो सवाल उठाए गए थे, उनका कोई सटीक जवाब गृह मंत्री जी ने नहीं दिया। *...(व्यवधान)* वहां लोगों में दहशत है। यह बहुत गम्भीर सवाल है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या है? कृपया एक-एक कर बोलें। अन्यथा कोई नहीं समझेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आज कोई 'शून्य काल' नहीं है। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के बारे में परसों सदन में चर्चा हुई थी। विपक्ष हर समय इसका राजनीतिकरण करता है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ से जो नुकसान हुआ, उसके बारे में हमारी बात भी सुनी जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात सुनी जाएगी।

[अनुवाद]

कृपया एक-एक कर बोलें। यदि आप सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो कोई कैसे जानेगा कि क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से हमारी मांग हैं कि उप-प्रधानमंत्री सामने आयें और इन प्रश्नों का जवाब दें। *...(व्यवधान)* उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। *...(व्यवधान)* उप-प्रधान मंत्री द्वारा विपक्ष के सभी विवादास्पद प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय अनुसार आज कोई 'शून्य काल' और भोजनावकाश नहीं है। अब नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू होगी।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, जब बाबू जगजीवन रामजी पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जवाब देने में असफल रहे थे तो वे वापस आए और दुबारा जवाब दिया। उप-प्रधान मंत्री माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने में असफल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केवल एक गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है। पहले जब गुजरात में हुए दंगे, हत्या, आगजनी पर चर्चा हुई थी, उस समय भी मैंने गृहमंत्री से पूछा था कि साबरमती ट्रेन में किस-किस का रिजर्वेशन था, किस के नाम थे और कौन-कौन लोग गए थे? उनमें से किन-किन की मौत हुई। रेल विभाग के पास सूची होगी कि उनके नाम क्या हैं? उन लोगों को क्या-क्या सुविधाएं दी गई? उस चर्चा में जब मैंने यह सवाल रखा था तो इसका उत्तर नहीं दिया गया था, मेरी समझ में नहीं आता है कि इन सवालों का उत्तर देने में गृह मंत्री और सरकार को क्या कठिनाई है? मृतकों की सूची जारी क्यों नहीं हो रही है? रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी बतायें। जब इन सवालों का उत्तर गृहमंत्री नहीं दे सकते तो फिर किस बात के लिए चर्चा हुई। सवाल यह है कि यह चर्चा क्यों स्वीकार की गई? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, गोधरा में उक्त 60 पीड़ितों का नाम, जिन्हें आज हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, अभी तक जारी नहीं किये गये हैं। *...(व्यवधान)* हमने माननीय प्रधानमंत्री के पैकेज की कुल धनराशि संबंधी बातों को उठाया है जिसे खर्च किया गया था और किन-किन मुद्दों पर खर्च किया गया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): उपाध्यक्ष जी, परसों इस विषय पर चर्चा हुई और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, उस पर माननीय उप प्रधान मंत्री जी का उत्तर हो गया *...(व्यवधान)* यदि इस प्रकार से चर्चा उठायेंगे तो उचित नहीं है आज बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा होनी चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हमने गुजरात के राहत शिविरों में अभी रह रहे लोगों की कुल संख्या और गुमशुदा हुए लोगों की संख्या के बारे में पूछा है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति प्रदान करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हें उत्तर देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी की बात सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): उपाध्यक्ष जी, मेरी बात भी एक मिनट के लिए सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* आप एक-एक करके निपटाइये। हम लोगों की भी एक मांग है *...(व्यवधान)* गृह राज्य मंत्री बैठे हुए हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय को दी गई मेरी सूचना में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ...*(व्यवधान)* महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का माननीय उप-प्रधान मंत्री द्वारा जवाब नहीं दिया गया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी बोलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का मैं जवाब चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवस्था बनाए रखें। मैं सभा को नियंत्रित करने के लिए उपस्थित हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्ष जी, श्री दासमुंशी जी बोल रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं लेकिन हमारी मांग है कि गृह राज्य मंत्री कुछ बताना चाह रहे हैं, उन्हें सुना जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यदि आज नहीं, तो माननीय उप प्रधान मंत्री कल या सोमवार को आएं और सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का सटीक जवाब दें। वे इस प्रकार विपक्ष को नहीं धमका सकते। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री श्री स्वामी, क्या आप इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, क्या मैं बिहार मुद्दे पर बोलूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: माननीय गृह राज्य मंत्री महत्वपूर्ण सवाल पर कुछ कहना चाह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं इस मुद्दे पर आपका संरक्षण चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, माननीय मंत्री बिहार के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं, महोदय, यह महत्वपूर्ण है। हमें इस सच्चाई को अवश्य जानना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, यह अच्छी बात नहीं है। ...*(व्यवधान)* बिहार में त्राहि-त्राहि मची हुई है, लोग बाढ़ से डूब रहे हैं लेकिन यहां जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्ष जी, आज सवाल बाढ़ का है ...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियम 193 के अधीन इस चर्चा को अनुमति प्रदान की है और न सिर्फ राहत और पुनर्वास बल्कि अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति प्रदान की है। इसलिए माननीय सदस्यों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। ...*(व्यवधान)* भाजपा और शिव सेना बिल्कुल अलग-थलग रहे। ...*(व्यवधान)* प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं लिया गया है इसलिए यह आवश्यक है कि वे इसका जवाब दें। ...*(व्यवधान)* सभा को इस तरह नहीं चलाया जाना चाहिए और चर्चा का उचित जवाब दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों आप नियम 193 के अधीन इस विषय पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको चर्चा करने के लिए दूसरा उपाय सोचना होगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे दूसरी तरफ से उठाएं और चर्चा करें। आपको कौन रोक रहा है? कोई आपको नहीं डांटेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, पहले बिहार का सवाल होगा। यह रोज-रोज ऐसा ही करते हैं, रोजाना गुजरात का सवाल उठाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वे आसानी से इसकी अनदेखी नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)* उन्होंने सभा का अपमान किया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, बिहार के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। वहां लाखों लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वे सभा में आएं और इन सभी प्रश्नों का जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, हमने कार्यमंत्रणा समिति में निर्णय किया है कि आज न भोजनावकाश होगा और न ही शून्य काल और हम नियम 193 के अधीन प्रत्यक्ष रूप से देश में व्याप्त स्थिति अर्थात सूखे पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमारी मांग कोई असाधारण नहीं है। ...*(व्यवधान)* हम सरकार ने सिर्फ इन प्रश्नों का जवाब चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आपने चर्चा की थी। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको इसे दुबारा उठाने का पूरा अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): वे उप-प्रधान मंत्री हो सकते हैं। वे वस्तुत: प्रधान मंत्री नहीं हैं। वे उप-प्रधान मंत्री हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: यह जान-बूझकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ये सारे लोग बिहार के विरोधी हैं ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, दोनों मामलों को बारी-बारी से लिया जाए।

अपराह्न 12.17$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.17 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आज, बिहार खतरे में है, उसके बारे में मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि यदि आज या कल संभव नहीं है तो उप-प्रधानमंत्री सोमवार को सभा में आएं और विपक्ष के प्रख्यात नेताओं द्वारा उठाए गए इन 14 प्रश्नों का जवाब दें और सभा को संतुष्ट करें। यही हमारी मांग है। उन्हें राहत शिविरों की दयनीय स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। वे वास्तव में प्रधान मंत्री नहीं हैं। वे मात्र उप-प्रधान मंत्री हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी जी, नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की गई थी और माननीय मंत्री द्वारा इसका जवाब दिया गया था। यह पूरा हो चुका था। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको इसे अलग तरीके से उठाने का पूरा अधिकार है। मैं इस मामले को बार-बार नहीं ले सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यदि इन 14 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता, तो हम देश में व्याप्त सूखे की स्थिति पर चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। *...(व्यवधान)* हम सरकार के साथ अन्य कार्यों में सहयोग नहीं कर सकते हैं। इन प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अवश्य दिया जाए। *...(व्यवधान)* हम चुप नहीं रह सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: ये लोग रोजाना ऐसा कर रहे हैं। आज बिहार पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। रोजाना गुजरात का सवाल उठा रहे हैं। *...(व्यवधान)* आज बिहार में बीस लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। कई जगहों पर तटबंध टूट गये हैं। *...(व्यवधान)* रेल लाइनों और ऊंची जगहों पर लोग बैठे हुए हैं। वहां राहत का कोई काम नहीं हुआ है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, आठ घंटे तक एक महत्वपूर्ण सवाल पर सदन में चर्चा हुई है और उस चर्चा के दौरान सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण तथा स्पेसिफिक सवाल उठाये थे *...(व्यवधान)* उन सवालों में से 14 ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब गृह मंत्री जी ने अपने उत्तर में नहीं दिया। *...(व्यवधान)* यह सरकार की गैर-जिम्मेदारना हरकत है। अगर उन प्रश्नों का उत्तर नहीं आयेगा तो इस सदन में घंटों तक चर्चा कराने की क्या उपयोगिता रह जायेगी। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आप बाढ़ पर बुलवा दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: आज सूखे पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाद-विवाद है। हमें इस पर चर्चा करने दीजिए। हम इसे कल और उसके बाद भी बार-बार उठाएंगे। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सूखे पर आज की चर्चा के बाद हम इस पर कल पुन: उठाएंगे। यदि कल सरकार आगे नहीं आती है, तो हम इसे पुन: सोमवार को उठाएंगे और इन प्रश्नों के जवाब आने तक हम शांत नहीं बैठ सकते। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप इसे कल उठा सकते हैं।

अब, श्री अजय सिंह चौटाला बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप जवाब चाहते हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप मामले को उठा चुके हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यादव जी, आपने सुबह इस मामले को उठाया है और अब मंत्री जी इसका जवाब दे रहे हैं।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, एक और गंभीर मामला है जिसे मैं उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिहार में आए फ्लड्स की बात है, वहां उन्होंने हेलीकॉप्टर्स और बोट्स मांगी थीं। तीन हैलीकॉप्टर दे दिए गए हैं। दो हैलीकॉप्टर स्टैन्ड-बाय खड़े हैं और बोट्स भिजवाने के लिए वहां कहा गया है। जहां तक सैन्ट्रल टीम का ताल्लुक है, वहां से ज्यों ही प्रपोजल आएगा, हम सेन्ट्रल टीम भेज देंगे। *...(व्यवधान)* जब वहां के चीफ मिनिस्टर जुलाई में प्रधान मंत्री जी से मिले थे, उस वक्त हालांकि उन्होंने वह पैसा जो 25 प्रतिशत *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): यह केवल बिहार का मामला नहीं है, बिहार के अलावा इसका संबंध उत्तर बंगाल और असम से भी है।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जहां तक रिलीफ के लिए, असैसमेंट के लिए टीम भेजने का ताल्लुक है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज विलिंग। हम टीम भेज देंगे जो वहां असैस करके देगी। फिर नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड से सेन्ट्रल असिस्टेन्स दी जाएगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमारा नोटिस अभी भी यहां मौजूद है और हम इसे तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि माननीय मंत्री जी यहां आकर जवाब नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इसे कल उठाइएगा।

...(व्यवधान)

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, क्या कल मुझे अवसर मिलेगा? यह बहुत गंभीर मामला है। नाल्को की बिक्री की जा रही है। मैं इसे कल उठाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.22 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री सुशील कुमार इन्दौरा, जिनके नाम से नियम 193 के अधीन चर्चा से संबंधित मद सं. 12 सूचीबद्ध है, ने मुझसे उनकी तरफ से श्री अजय सिंह चौटाला को चर्चा आरंभ करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। मैंने श्री अजय सिंह चौटाला को चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी है। अब, श्री अजय सिंह चौटाला बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अजय सिंह चौटाला (भिवानी): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देश में बाढ़ और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर सदन में चर्चा कर रहे हैं। कैसी विडम्बना है कि जहां एक तरफ भयंकर सूखे की स्थिति है, वहां दूसरी तरफ भयंकर बाढ़ से जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। 11 राज्यों में जहां सूखे की स्थिति है, वहीं बिहार, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में बाढ़ से लोग मर रहे हैं। जन-जीवन अस्त-व्यस्त है और बहुत बुरी स्थिति लोगों की है। जहां कई लोग अपने घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं वहीं बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। गुजरात में अनेक लोग इस बाढ़ से मरे हैं। बिहार की भी इसी तरह की स्थिति है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और अनेक जिलों में दर्जनों लोग जान दे चुके हैं। रास्ते बंद हैं, आवागमन के साधन बंद हो गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भयंकर सूखे की स्थिति है। *...(व्यवधान)* मैं सभी प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में लोगों का बहुत बुरा हाल है। देश के कुल 523 जिलों में से 320 जिले जहां एक तरफ जल के अभाव में जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र राज्य के जल व्यवस्था विशेषज्ञ, श्रीमन देशरधा, जिन्होंने 12 राज्यों का अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की थी, उनका कहना है कि जल परियोजनाओं पर व्यापक व्यय के बावजूद जो देश के 50 प्रतिशत से भी अधिक गांव और शहर जल के अभाव में हैं, वहीं 80 प्रतिशत कृषि भूमि जल समस्या से ग्रस्त है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय कृषि मंत्री यहां उपस्थित हैं। श्री सिंह जी, कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

अपराह्न 12.30 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, इस इश्यू से संबधित सभी मंत्री हाउस में रहें क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है। आपने इस इश्यू को मंजूर किया *...(व्यवधान)* यहां सभी सांसद मौजूद हैं लेकिन मंत्री गायब हैं। अब सिंचाई का सवाल है लेकिन सिंचाई मंत्री यहां नहीं हैं। हमारा कहना है कि इस इश्यू से संबंधित मंत्रियों को यहां पर मौजूद रहना चाहिए। *...(व्यवधान)* ऐसा निर्देश दिया जाये। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और सूखे की समस्या पर यहां चर्चा हो रही है। इसका संबंध सिंचाई मंत्री से भी है लेकिन सिंचाई मंत्री जी यहां नहीं हैं। इसके अलावा आप सत्तारूढ़ दल के लोगों की हाजिरी देख लीजिए। इसका सीधा मतलब यह है कि उनकी इस विषय पर कोई दिलचस्पी नहीं है। ये किसानों के दुश्मन हैं। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप उनको यहां उपस्थित रहने का निर्देश दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जो सवाल उठा रहे हैं, उस पर कृषि मंत्री जी जवाब देने वाले हैं। वे इस हाउस में मौजूद हैं। इसके अलावा आपने दूसरे मंत्रियों को भी यहां उपस्थित रहना चाहिए, ऐसी मांग की है। मैं जरूर इस विषय में गवर्नमैंट से इंक्वायरी करूंगा। मैं आपको थोड़ी देर में इसके बारे में बता दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की जो समस्या है, वह नेपाल की नदियों से है। *...(व्यवधान)* सारा पानी नेपाल से आता है। सिंचाई विभाग उसको देखता है लेकिन सिंचाई मंत्री यहां बैठते ही नहीं हैं। इससे बहुत नुकसान होता है। *...(व्यवधान)* उनको यहां रहने में क्या आपत्ति है? हमारा कहना है कि उनको भी यहां रहना चाहिए। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इससे संबंधित मंत्रियों को यहां रहना चाहिए और सरकार इस विषय को गंभीरता से ले, ऐसा हमारा कहना है। सरकार इसे हल्के ढंग से ले रही है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, अभी जो बाढ़ आई है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है और न ही कोई उत्तर दे रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सिंचाई मंत्री अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक सिंचाई की तमाम ऐसी परियोजनाएं अब तक लंबित पड़ी हुई हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं लेकिन सिंचाई मंत्री जी को भी यहां रहना चाहिए क्योंकि यह दोनों विभागों से संबंधित मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सिंचाई मंत्री अभी थोड़ी देर में यहां आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनको बुलाया है। वह अभी थोड़ी देर में यहां आ रहे हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद मत कीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हो रही है।

...(व्यवधान)

श्री अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक *...(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और सूखे से संबंधित सभी विभागों के मंत्रियों को यहां उपस्थित रहना चाहिए। *...(व्यवधान)* इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री की भी यहां जरूरत है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी सांसद गंभीरता से इस विषय में रुचि लें।

...(व्यवधान)

श्री रामानन्द सिंह: देखिए, हमें भी कहने दीजिए। यह ठीक बात नहीं है। *...(व्यवधान)* सभी मिनिस्टर्स यहां रहने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। *...(व्यवधान)*

श्री अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक 46 ऐसी परियोजनाएं हैं, जो आज तक अधूरी पड़ी हुई हैं। यह देखकर और भी अचंभा होता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की योजनाओं को सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले में पीछे की सरकारें और आज की सरकार कितनी सचेत और सजग है और कितना लोगों का ध्यान रखती है। आज इस तरीके से देश में जहां लोग बाढ़ और सूखे की चपेट में हैं, लोग मर रहे हैं वहीं लोग सूखे के कारण अपने घर-बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में मीटिंग भी बुलाई है। उन्होंने सूखे से प्रभावित प्रदेशों के लोगों को भी बुलवाया है परन्तु आज जिस तरह की स्थिति है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप मीटिंग करके उन्हें राहत देने का काम शुरू करेंगे तब तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति बहुत बुरी हो जायेगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस पर तुरंत कार्यवाही करें और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत देकर उन्हें मदद पहुंचाने का काम करें। देश के किसान ने जून में हुई बरसात को देखकर अपनी फसल बो दी लेकिन अब मानसून की बरसात नहीं हो रही।

ऐसी स्थिति में वह फसल सूख रही है। फसल सूखना और यह चीजें दूसरी बात है लेकिन आज बहुत सारे प्रदेशों में पशुओं के लिए भी पीने का पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में उसकी तुरन्त व्यवस्था की जाए।

देश के मौसम विभाग का कहना है कि देश में वर्षा 1988 से लेकर अब तक सामान्य होती आ रही है। पन्द्रह साल बीत गए, इस वर्ष वर्षा आने में विलंब हो गया। देश में पानी के लिए हाहाकार मच गया, यज्ञ होने लगे, लोग अपने लैवल पर हर प्रकार के प्रयास करने लगे। ऐसे में हमारी योजनाओं का असली रूप सामने आ गया। देश की समस्याओं के हल के लिए काफी धन व्यय किया जाता है किन्तु उससे उन समस्याओं का हल नहीं किया जाता बल्कि उस धन को इधर-उधर व्यय करके उन समस्याओं को अधर में लटका दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली जल बोर्ड ने अनधिकृत कालोनियों में पीने के पानी के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना बनाई। उनकी सहायता के लिए पाइपलाइन बिछाने और दूसरी व्यवस्था के लिए उस 200 करोड़ रुपये का व्यय करना था परन्तु ज्यादातर पैसा दूसरे कामों में लगा कर अब से पहले ही उस पर पल्ला झाड़ दिया गया। दिल्ली में भी बहुत बुरी स्थिति है। अगर देश में इस समस्या का ठीक प्रकार से प्रबंध कर दिया जाए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग और सूखाग्रस्त इलाकों को इस प्रकार की योजना बना कर ठीक से लागू किया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

मैं हरियाणा प्रान्त के भिवानी क्षेत्र से चुन कर आता हूं। वहां भी इस समय सूखे की स्थिति है। जाड़ों में पशुओं के लिए पीने के पानी की क़िल्लत है परन्तु वहां की सरकार सचेत और सजग है। सरकार वहां हर तरह की व्यवस्था कर रही है। जब हरियाणा प्रदेश में स्थिति ठीक थी तो हरियाणा ने प्राकृतिक आपदा में साथ लगे हुए प्रदेशों की हर तरह से मदद करने का काम किया। साथ लगे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के उन इलाकों में पशुओं का चारा भेज कर हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनकी मदद करने का काम किया। परन्तु आज हरियाणा स्वयं सूखे की मार झेल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस समस्या के समाधान हेतु तुरन्त प्रभावी कदम उठाए ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चौदह साल निरंतर बारिश पड़ने के पश्चात् आज हमारे सामने एक बहुत ही भयंकर स्थिति पैदा हो रही है। न केवल सूखा बल्कि अकाल का भी खतरा है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या इस गंभीर समस्या का सामना करने के लिए सरकार तैयार है, हम तैयार हैं, देश तैयार है। पिछली मर्तबा जब हमारे सामने ऐसी गंभीर स्थिति आई थी, वह 1987 का वर्ष था जब आदरणीय राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधान मंत्री थे। उस समय राजीव जी ने इस चुनौती को एक मौके में परिवर्तित किया।

मेरे सामने 1987-88 का इकोनोमिक सर्वे मौजूद है, उसमें से मैं केवल दो पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उस साल के इकोनोमिक सर्वे में 1987 के सिलसिले में कहा गया था:

[अनुवाद]

> "इस वर्ष, देश को लगातार चौथे वर्ष कम वृष्टि का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में और विगत कुछ वर्षों में पड़े गंभीर सूखे की तुलना में भी 1987 में दक्षिण पश्चिम मानसून की वृष्टि निम्नतम रही है। कम से कम 35 में से 21 मौसम क्षेत्रों में आंशिक और न्यूनतम वर्षा हुई है।"

[हिन्दी]

इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देश भर का दौरा किया। जहां-जहां सूखा प्रभावित इलाके थे, चाहे वे राजस्थान या गुजरात में हों, चाहे तमिलनाडु में हों, चाहे जम्मू-कश्मीर में हों या नागालैंड में हों, खूद और ज्यादातर गाड़ी में बैठकर बहुत ही खराब सड़कों पर वे देश के कोने-कोने में गये और वहां जो सूखा पीड़ित जनता थी, उनसे उन्होंने बातचीत की, पता करवाया कि देश में हो क्या रहा है। वे सदन में भी उतना नहीं आते थे, जितना कि देश में घूम रहे थे। बहुत बड़े-बड़े विशेषज्ञों से बात करने के बजाय जो पीड़ित लोग थे, उनसे आमने-सामने बात करके अपनी आंखों की गवाही के आधार पर उन्होंने तय किया कि क्या करना चाहिए।

मैं स्वयं यह कहना चाहता हूं कि आज के प्रधानमंत्री महोदय ऐसा काम कर सकते हैं या नहीं? मैं मानता हूं कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री महोदय की उम्र उस जमाने के राजीव जी की उम्र से दोगुनी है और इसलिए हो सकता है कि वे इतना इस देश में नहीं घूम पाएंगे, जितना कि राजीव जी इधर-उधर घूमे थे। लेकिन हमारे नौजवान कृषि मंत्री महोदय से क्या हम अपेक्षा रख सकते हैं कि जो राजीव जी ने उस जमाने में किया, माननीय अजित सिंह जी उनके जैसा करेंगे? जहां तक सदन के इल्म में है, हमारे अजित

[श्री मणिशंकर अय्यर]

सिंह महोदय मोर जैसे यमुना के तट पर तो नाचते रहते हैं, अपने हरित प्रदेश में तो घूमते रहते हैं, लेकिन इस सूखा प्रभावित देश में कहां गये हैं, किसको क्या पता।

राजीव जी इन सूखा प्रभावित इलाकों में इसलिए नहीं गये कि उनको कुछ पर्यटन करना था, वहां जाकर उन्होंने कार्यक्रम तैयार किये ताकि हम सूखे का मुकाबला कर सकें। उस साल में उन्होंने इतने नये-नये कार्यक्रम बनाये, सूखा नियंत्रण के कार्यक्रम बनाये कि उनका उल्लेख करना आज बहुत आवश्यक है। मैं अपने स्मरण से नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं कि उस जमाने में मैं उनके साथ था, बल्कि इस कारण से कि जो इकोनोमिक सर्वे में कहा गया था, उसका उल्लेख यहां करना चाहता हूं। मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूं, मैं केवल उसमें उल्लेख हुए कार्यक्रमों का जिक्र कर रहा हूं।

[अनुवाद]

> "अलग-अलग फसलों, क्षेत्रों एवं पनधाराओं के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई थी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए समुचित तकनीकी तरीके निकाले गए थे और रबी मौसम में बीज की कमी न होने देने के लिए अच्छी किस्म के बीजों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया था। जहां भी संभव हुआ अल्पावधि फसलों की खेती की गई।"
>
> "विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का सृजन अभाव राहत उपायों के साथ किया गया था और प्रति माह इन कार्यक्रमों की सहायता के लिए अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्नों को जारी किया गया था।
>
> केवल राजस्थान में, इन विशेष रोजगार कार्यक्रमों में लगभग 11 लाख व्यक्तियों को शामिल किया गया था और सभी प्रभावित परिवारों को इसमें सम्मिलित करने के लिए इस रोजगार को परिक्रमित करने का प्रयास किया गया था।
>
> सिंचाई हेतु, केन्द्र सरकार ने केवल सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 236 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया है।"

[हिन्दी]

आज के बजट में, इस साल के बजट में सिंचाई के लिए कुल मिलाकर जो आपका मीडियम, माइनर और कमांड एरिया डैवलपमेंट कार्यक्रम हैं, इन सब योजनाओं के लिए केवल 370 करोड़ रुपये रखे गये हैं और उस जमाने में एडीशनल बजट से ज्यादा 236 करोड़ रुपये सिंचाई के लिए दिये गये थे। फिर जहां पंचवर्षीय योजना में 2.27 लाख पम्प-सैट्स को एनर्जाइज करने का था, उसी एक साल के अंदर 6.35 लाख पम्प-सैट्स एनर्जाइज किये गये। चारा के मामले में क्योंकि गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में काफी चारा नहीं था, देश भर में एक संदेश भेजा गया कि जहां भी चारा हो, वहां से उसे इकट्ठा करके भेजा जाये। उसके लिए खास रेलवे से कहकर खास इंतजाम किये गये कि वह चारा कश्मीर से लेकर, तमिलनाडु से लेकर राजस्थान, गुजरात तक भेजा जाये और चूंकि राज्य सरकारों के पास काफी साधन नहीं थे तो इतने साधन एडवांस में दिये गये कि सारे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कोई दिक्कत न रहे। इसके साथ-साथ जो बहुत सी आवश्यक सामग्री है, जैसे धान, पकाने का तेल, दूध, मिल्क पाउडर, बटर ऑयल इत्यादि लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रबंध किया गया। 5600 नये पी.डी.एस. आउटलेट्स उस एक साल में वहां खोले गये जहां लोग सूखा पीड़ित थे और उसके साथ-साथ बिल्कुल नये कार्यक्रम मोबाइल पी.डी.एस. यूनिट्स सूखा प्रभावित इलाकों में घूमे ताकि जहां लोग सूखा पीड़ित हैं, वहां उनके दरवाजे तक यह सामग्री पहुंचाई जाये। उस साल में 1798 करोड़ रुपये एडीशनल रिलीफ मैजर्स के लिए दिये गये और उसमें से केन्द्र का हिस्सा 1056 करोड़ रुपये का था। तकरीबन 1800 करोड़ रुपये जो राहत के लिए दिये गये, उसमें से 1500 करोड़ केन्द्रीय सरकार ने अपने कंधे पर इस बोझ को उठाया। राजस्थान को चार साल में 1983 से 1987 तक उन चार साल में इतनी राहत मिली जितनी कि राजस्थान को पहले चालीस साल में मिली थी। ऐसे कार्यक्रम शुरू किये गये।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): उस समय सरकार किसकी थी?

अध्यक्ष महोदय: अच्छी चर्चा चल रही है। आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): क्या माननीय सदस्य एक मिनट के लिए मेरी बात मानेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री विक्रम केशरी देव: वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उनकी बात मान रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, माननीय सदस्य ने सभा को एक वर्णन करते हुए गुमराह किया कि वर्तमान प्रधान मंत्री ने किसी भी सूखा प्रभावित क्षेत्र का दौरा नहीं किया। पूर्व में, विपक्ष के नेता के रूप में, उन्होंने उड़ीसा और अन्य राज्यों का दौरा किया।

महोदय, देश में शासनारूढ़ किसी भी दल को राहत बोर्ड के सुझावों के अनुसार चलना होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस तरह से चर्चा करना नहीं चाहता। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: उस जमाने में एक नया कार्यक्रम, मिसाल के तौर पर, शुरू किया गया, जिसका नाम था—नेशनल वाटरशैड फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफैड एरियाज और सूखे क्षेत्रों के लिए कोर्स-ग्रेन पालिसी तथा टैकनोलोजी मिशन में डीपीएपी व डीपीपीपी आदि कार्यक्रम चलाए गए। इस प्रकार एक और कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका नाम था प्रत्येक विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए उक्त क्षेत्र की कृषि विशिष्ट विकास की अपेक्षाओं के लिए पृथक रणनीतियां।

मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि उससे जाहिर होगा कि राष्ट्रीय समस्या का सामना करने के लिए राजनीति करना उचित नहीं है और रचनात्मक तरीके से देश के प्रधान मंत्री ने, एक आम मंत्री ने नहीं, पूरे रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर समस्या का सामना किया। इसका नतीजा क्या निकला, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं 1988-89 का उल्लेख कर रहा था, इस एक साल में कृषि के उत्पादन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इकलौती मर्तबा उसी साल 1988-89 में जीडीपी में राष्ट्रीय आमदनी में 10.87 की वृद्धि हुई। मैं कृषि मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस सूखे का सामना करने के लिए वे कौन से कदम उठाना चाहते हैं? बहुत अफसोस की बात है और यह कड़वा सत्य है कि पिछले दस सालों में, 1991 से लेकर आज तक, बारिश का औसत, दूरलक्षित औसत, हर वर्ष 90 प्रतिशत से ज्यादा रहा है। तब भी हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन आज हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट मोटे अनाज में, दलहन में, तिलहन में, कपास में, रेशम में देखें, तो हर साल हम वहीं के वहीं थे, जहां बारिश होने से पहले थे। अच्छी वारिश नहीं होती है और यह सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जब खुदा ने तय कर लिया है कि बारिश नहीं पड़ेगी, तब ये सरकार क्या कर सकती है, क्या कर पाएगी, इसे जानने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस समस्या का सामना करने के लिए क्या करेगी? यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप निश्चित तौर पर कृषि की उपेक्षा कर रहे हैं। यह मैं आप पर इल्जाम लगा रहा हूं कि आप कृषि की उपेक्षा कर रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप 2002-03 का बजट देखें तो तिलहन, दलहन, मक्का और पॉम आयल का जो इंटीग्रेटिड प्रोग्राम बना है, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे चार विभिन्न चीजों के आप कैसे एक कार्यक्रम बना सकते हैं लेकिन जो कार्यक्रम बनाया है, आप इन सब पर कुल मिला कर बजट के अनुसार केवल 150 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं और इस साल माननीय मंत्री महोदय के मंत्रालय का जो खर्चा होने वाला है उसका 7 परसैंट बनता है और वे उन्हीं चीजों का जिनका सूखे प्रभावित इलाकों में उत्पादन होता है। जितने स्पैशल प्रोडक्शन प्रोग्राम थे जैसे स्पैशल फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम, फूडग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर पलसिज, मेज, ऑयल सीड्स अलग-अलग किस्म के कार्यक्रम जो राजीव जी के समय में शुरू हुए थे, आपने उन्हें छोड़ दिया और उसके बजाय कुछ नहीं लगाया है जबकि इतनी बड़ी समस्या और चुनौती देश के सामने है। ऐसे समय में आप क्या करने वाले हैं, यह कृपया हमें बताएं। हो सकता है कि आप या आपके साथी सेठी साहब जिन्होंने इस काम में बहुत देरी कर दी है, वह हमें बताएंगे कि राष्ट्रीय जल नीति जो अभी अप्रैल 2002 में शुरू हुई है, उसमें लिखा है कि विकास योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक जल है। ऐसा केवल शुरू में कह दिया कि देश के विकास के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है लेकिन मीडियम, माइनर एवं कमांड एरियाज के विकास के लिए कितनी राशि सेठी साहब को मिली है, वह खुद जानते हैं। इनको कुल मिला कर 370 करोड़ रुपये मिले हैं जबकि हमारा बजट तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसकी तुलना कीजिए। माइनर, मीडियम एवं कमांड एरिया डेवलपमैंट के लिए 370 करोड़ रुपये मिले हैं और बजट में तीन लाख करोड़ रुपए बनते हैं। जनाबेआली, इसका मतलब वह 0.1 परसैंट है। देश में कम से कम 15 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो सूखे का सामना कर रहे हैं और उनके लिए आप 0.1 परसैंट पैसा देते हैं। बाकी 99.9 परसैंट किसी और चीज में खा लेते हैं। यह कैसी नीति है? आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? हम ऐसी सरकार पर कैसे भरोसा करें जबकि इतनी कठोर समस्या हमारे सामने है जो एक राष्ट्रीय समस्या है। क्या आप इस दिशा में कोई ऐसा कदम उठा पाएंगे जिसे उठाना चाहिए।

वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर यह बताएं कि क्या यह सत्य नहीं है कि विश्व बैंक ने अभी हाल में एक रिपोर्ट में कहा है कि

[श्री मणिशंकर अय्यर]

जल व्यवस्था की कमी होने से देश को 75 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जब ऐसी सरकार हो तो हम उसके ऊपर कैसे भरोसा करें?

इसके साथ-साथ और अखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वह दौरे में गए तो उन्होंने देखा कि किसानों की हालत बहुत बुरी है लेकिन उससे भी बुरी हालत खेत मजदूर की थी। उसी खेत मजदूर की हालत देख कर राजीव जी ने नेशनल कमीशन फॉर रूरल लेबर बनाया। उसकी रिपोर्ट कहां है? आपने एक और कमीशन बनाया जिसमें कहा है कि मजदूरों को काम में हटाएंगे ताकि आपके वे मित्र जो पूंजीपति हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिले।

अपराह्न 1.00 बजे

लेकिन अजित सिंह जी, आप कम से कम श्री यशवन्त सिन्हा या श्री जसवंत सिंह जैसे न बनें। गनीमत है कि आप कृषक परिवार से हैं। कृपया खेत-मजदूरों का ख्याल रखें और हमें बतायें कि आप आने वाले समय में खेत-मजदूरों के लिए क्या करने के लिए निकल रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मेरी आखिरी मांग यह है कि कृषि मंत्री जी, आप माननीय उप प्रधान मंत्रीजी जैसा जवाब यहां न दें लेकिन हमें तफसील से और स्पष्ट बताइये कि आप जनता के लिए, जो खेती पर निर्भर है और आज आकाश की तरफ देख रही है, क्या कदम उठाने वाले हैं और आप कृषि मंत्री हैं तो क्या आप खुद भी हमारी तरफ देखेंगे? हालांकि हमें आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं है तब भी कहते हैं और हम यहां सुनने के लिए बैठे हुये हैं। आप वह तंत्र न करें जो माननीय आडवाणी जी ने किया था।

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विद्वान मित्र श्री मणि शंकर अय्यर यह कह रहे थे कि जब 1987 में देश में सूखा पड़ा, तब स्व. राजीव जी, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने देश का व्यापक दौरा किया था लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि माननीय अटल जी ने बचपन से इस देश के गांव देखें हैं, गावों की गलियां देखी हैं, खेत और खेत की पगडंडियां देखी हैं, कीचड़ व धूल देखी है कि भारत क्या है, यह वे अच्छी तरह से जानते हैं। भारत की आत्मा को जानते हैं श्री अजित सिंहजी किसान परिवार से हैं और खेतों में बैठे हैं, इसलिए उन्हें अलग से दौरे की जरूरत नहीं है। वे दौरा करते रहते हैं। मैं यह जरूर चाहता हूं कि यह बहस केवल आरोप-प्रत्यारोप में न हो जाए। आज देश त्रासदी का सामना कर रहा है। सावन का महीना है रिमझिम की फुहार गायब है। लगता है इन्द्र देवता रूठ गये हैं और किसानों के खेत सूख गये हैं। जब किसानों के खेत सूखते हैं तो केवल किसानों के खेत ही नहीं सूखते बल्कि उसका जीवन सूखता है बच्चों का भविष्य भी सूखता है। भारत के कई राज्यों में सूखा है। केवल सूखा ही नहीं, देश के तीन राज्य बाढ़ से पीड़ित हैं।

अध्यक्ष जी, मैं किसान परिवार से आता हूं। मैं जानता हूं कि यदि एक बार किसान की फसल बर्बाद हो जाये तो पांच साल तक उसकी हालत सुधरती नहीं है। वह फसल बोने के लिए कर्जा लेता है। जब फसल नहीं आती तो वह कर्जा कहां से चुकायेगा? फिर जब वह रोजी-रोटी चलाने के लिए कर्जा लेता है या खाद व बीज लेकर आता है तो इसी प्रकार कुचक्र चलता रहता है। आने वाला किसान कर्जे में पैदा होता है कर्ज में जीता है और कर्जे में ही मर जाता है। आज किसानों के सामने यह परिस्थिति है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल 11 राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उन्होंने कर्जा वसूली तत्काल स्थगित करने के लिए भी कहा। कर्जा वसूली स्थगित किये जाने के आदेश हो चुके हैं लेकिन केवल कर्जा वसूली स्थगित करने से काम नहीं चलेगा। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो राज्य सरकार न केवल कर्ज की राशि बल्कि अगले साल उसमें ब्याज की राशि जोड़कर वसूल करती है। कर्जे पर ब्याज इतना हो जाता है कि अंतत: किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए केवल कर्जा वसूली से काम नहीं चलेगा। अगर पूरा कर्जा माफ नहीं हो सकता तो कम से कम ब्याज माफ किये जाने की घोषणा करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इससे किसान को राहत मिलेगी नहीं तो राहत का सवाल ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी बता रहे थे कि आज देश के 524 जिलों में से 320 जिले सूखे से पीड़ित हैं। इनमें 34 उप-मंडल हैं जिनमें से 25 में व्यापक पैमाने पर सूखा है। कल 11 राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक के आंकड़े बताते हैं कि मोटा अनाज गत वर्ष 126 लाख हैक्टेयर भूमि में हुआ था लेकिन इस साल केवल 75 लाख हैक्टेयर में हुआ है। पिछले साल तिलहन 90 लाख हैक्टेयर भूमि में बोया गया था और इस साल आधा रह गया है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं जहां सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है।

श्री लक्ष्मण सिंह जी भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो बोनी होती थी, वह 51 लाख हैक्टेयर होती थी। लेकिन इस बार केवल 18 लाख हैक्टेयर हुई है। यह मैं जो बोनी हुई है उसके आंकड़े दे रहा हूं। लेकिन बोनी होने के बाद ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): कृषि मंत्री जी से कहिये कि वह मध्य प्रदेश की यात्रा करें।

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठिए। इतनी अच्छी बहस चल रही है, आप उन्हें बोलने दीजिए।

श्री शिवराजसिंह चौहान: यही तो शिकायत है, मंत्री जी इसका जवाब देंगे। मैं बोनी के बारे में कह रहा था। मौसम विभाग ने घोषणा की थी कि मानसून अच्छा आयेगा, वर्षा सामान्य होगी। टी.वी. पर अखबारों में किसानों ने मौसम विभाग की भविष्यवाणी को पढ़ा और देखा और उस पर विश्वास कर लिया कि बरसात अच्छी होगी, सामान्य मानसून आयेगा, लगभग समय पर मानसून आयेगा। यदि कहीं प्री-मानसून बरसात हो गई तो उसने अपने खेत बो दिये। लेकिन बोये हुए खेतों में आधे बीज अंकुरित नहीं हुए और जो बीज उगे हैं, वे थोड़े बहुत पौधे बने थे, जो अब सूख रहे हैं, तबाह हो गई है। अब यदि पानी गिर भी जाए तो भी खरीफ की फसल बरबाद हो गई है और मुझे आशंका है कि अगर बरसात नहीं हुई तो रबी की फसल का भविष्य भी इच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने तात्कालिक उपाय किये हैं, उनके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने खाद और बीज उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की है। आपने गन्ना किसानों के एक हजार करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान की पूरी कोशिश की, आपने सुदूर इलाकों में पेयजल की व्यवस्था करने की कोशिश की। आपने पशुचारे और भूसे की बात भी कही है। लेकिन इसके लिए कुछ दीर्घकालीन उपाय करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, कर्ज माफी की बात चल रही थी। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आजादी के बाद वह पहले प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने किसानों के दर्द को समझा था और एक व्यापक कृषि फसल बीमा योजना तैयार की थी। लेकिन उस फसल बीमा योजना में आज व्यापक सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह योजना ऐच्छिक है। जिसके कारण अनेक राज्यों ने फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया। जहां-जहां लागू किया है वहां भी अनेकों प्रकार विसंगतियां हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि फसल बीमा योजना ऐच्छिक न हो। इसे हर राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। लक्ष्मण सिंह जी यहां बैठे हैं। मध्य प्रदेश में जो फसल बीमा योजना लागू है। मेरे क्षेत्र में अनेकों प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं। अभी ओले गिरते हैं, कभी बाढ़ से फसलें तबाह होती हैं। जब किसान कोआपरेटिव बैंक और अन्य बैंकों से कर्ज लेता है तो बीमे की प्रामियम की राशि तो काट ली जाती है, लेकिन आज तक एक नया पैसा उन किसानों को मुआवजे के रूप में कभी नहीं दिया गया। जब-जब यह सवाल उठाया जाता है तो मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि ऐसी योजनाएं बनाने से क्या लाभ है।

श्री लक्ष्मण सिंह: आपने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सहायता नहीं की। पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने 253 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मांगे थे, आपने 253 रुपये भी नहीं दिये। *...(व्यवधान)* आपने कितने पैसे दिये हैं, यह बतायें।

श्री शिवराजसिंह चौहान: मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि केवल आरोपो-प्रत्यारोपों में इस बहस को हमें समाप्त नहीं करना है। मैं निवेदन कर रहा था कि फसल बीमा योजना अधूरी है। जब हमने इस बारे में संबंधित अधिकारियों से चर्चा की कि एक किसान की पूरी फसल चौपट हो गई तो उसे मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए तो हमें बताया गया कि इस फसल बीमा योजना में हम किसान को इकाई नहीं मानते, हम गांव को भी इकाई नहीं मानते, हम तहसील को इकाई मानते हैं। अगर एक किसान की पूरी फसल चौपट हो गई तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। एक गांव में पूरी फसल तबाह हो गई तो मुआवजा नहीं मिलेगा, पूरी तहसील की 60 परसेन्ट से ज्यादा फसल नष्ट हो गई तब मुआवजा मिलेगा। अगर एक किसान की पूरी फसल बरबाद हो जाए तो वह भगवान से प्रार्थना करे, यज्ञ और हवन करे कि हे भगवान, पूरी तहसील की फसल नष्ट कर दे, क्योंकि जब तक पूरी तहसील की फसल नष्ट नहीं होगी, तब तक मुझे मुआवजा नहीं मिलेगा। नौकरशाह यहां बैठकर कैसी योजनाएं बनाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के दर्द को यहां अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। आज केवल इंद्र भगवान नहीं रूठे हैं, हम मौसम विभाग ने भी छला है। बार-बार घोषणाएं की गई कि सामान्य वर्षा होगी। पहले कहा गया कि मानसून 20 जून को आ रहा है। फिर कहा गया कि 30 जून को आ रहा है। फिर कहा गया कि नहीं, मानसून दस जुलाई को पक्का आ रहा है। फिर कहा गया 20 जुलाई को आ रहा है। भरोसा करके किसान बीज डालता गया, खाद डालता गया और वर्षा नहीं हुई। माननीय कृषि मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि मौसम विभाग के पास तकनीकी अमला है, अनेकों वैज्ञानिक हैं, उनके पास एक बड़ा अमला है, कृपया आप उनकी कार्य-प्रणाली पर विचार कीजिए। इससे अच्छी भविष्यवाणी तो कभी गांवों में घाघ और भंडरी करते थे, संकेतों के आधार पर वे अनुमान लगाया करते थे और उन कहावतों के आधार पर किसान अपनी आगामी योजनाएं तैयार किया करते थे। भंडरी कहते थे-

शुक्रवार की बादरी रहे शनिश्चर छाय,
तो यों बोल भंडरी बिन बरसे न जाए।

ऐसी अनेक कहावतें सौ प्रतिशत सत्य निकलती थीं और फिर मौसम विभाग की कार्य-प्रणाली पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

आज केवल किसान ही परेशान नहीं हैं। अगर खेती खराब होती है, फसल बरबाद होती है तो किसान तो बरबाद होता ही है लेकिन खेती में काम करने वाले मजदूर क्या करेंगे? धान की रोपाई के काम में मजदूर लगता है, सोयाबीन की बुआई के काम में मजदूर लगता है और मजदूर इस समय काम करके बाकी

[श्री शिवराजसिंह चौहान]

बरसात के लिए अपनी दाल-रोटी का इंतजाम करता है लेकिन जब किसान के खेत सूख रहे हैं तो मजदूरों को मजदूरी कहां से मिलेगी? आज सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया कि जब मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती तो फिर वहां से पलायन प्रारंभ होता है और पलायन करके वे शहरों की तरफ दौड़ते हैं। गांव खाली होते हैं, शहरों पर दबाव पड़ता है। फिर प्रदूषण जैसी कई चीजें फैलती हैं और नई बीमारियां आती हैं, भुखमरी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है और इसलिए मजदूर परेशान होता है और अब तो केवल मजदूरों का सवाल नहीं है। अखबारों में मैंने पढ़ा और यह वास्तव में सच्चाई है कि पशुओं के लिए चारा नहीं है, भूसा नहीं है। अजय जी कह रहे थे कि जब अन्य प्रांतों में ऐसी त्रासदी होती थी तो हरियाणा से चारा और भूसा भेजा जाता था। अब तो हरियाणा सहित 12 राज्य जहां चारा और भूसा होता था, वे सब सूखे से प्रभावित हैं। परिणामस्वरूप पशुपालक किसान अपने गाय, भैंस और बैल आदि बेचने को विवश हैं। जब एक बार खेती का चक्र बिगड़ता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे आर्थिक विकास की दर पिछले साल 5.4 प्रतिशत रही। प्रधान मंत्री कह रहे थे कि हम इसको छः प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं। खेती अगर ठीक नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था में भी मंदी आएगी क्योंकि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा उपभोक्ता किसान है। खेती पर काम करने वाला खेतिहर मजदूर भी उपभोक्ता है। जब उसके पास पैसा होता है तो वह व्यापारी की दुकान पर जाता है। व्यापारी की दुकान का माल बिकता है तो वह कारखाने से और ज्यादा माल उठाता है। इससे कारखाने के चक्के चलते हैं। जब कारखाने के चक्के चलते हैं तो पूंजी का निर्माण होता है और जब पूंजी का निर्माण होता है नए कारखाने खुलते हैं फिर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अगर किसान के हाथ में पैसा नहीं होगा तो व्यापारी का माल नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा तो कारखानों के चक्के नहीं चलेंगे और इसलिए अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी और धीरे-धीरे सारी अर्थव्यवस्था रुग्ण हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाल किसान का नहीं है, सवाल पूरे हिन्दुस्तान का है। यह पूरे देश का सवाल है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ तात्कालिक प्रयास तो माननीय मंत्री जी ने किये हैं। और व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। उसमें सबके सहयोग की जरूरत है लेकिन हमें आज विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में सूखे के मूल में क्या है, सूखा पड़ता क्यों है। जब तक हम सूखे के मूल में क्या है या बाढ़ के मूल में क्या है, इस तरफ नहीं जाएंगे, तब तक मैं समझता हूं कि सूखे से निपटने के कोई दीर्घकालीन योजना हम नहीं बना पाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 55 सालों में हमारे देश की कोई स्पष्ट जल नीति नहीं रही, जल के संग्रहण और संरक्षण की नीति नहीं रही। अथर्ववेद में लिखा है कि सूखे को रोका जा सकता है उपलब्ध जल के संग्रहण और संरक्षण द्वारा, लेकिन इन 54 सालों में हमने न तो जल के संग्रहण की ठीक व्यवस्था की और न ही जल के संरक्षण की व्यवस्था की। मणि शंकर अय्यर जी से मैं कहना चाहता हूं कि इन 54 सालों में कोई ठोस जल नीति भारत की सरकारों ने नहीं बनाई।

महोदय, हमारे जो पुरखे थे वे बड़े बुद्धिमान थे, इतने बड़े वैज्ञानिक भले ही न हों, लेकिन उस समय आपने देखा होगा प्राचीन समय में गांवों में तालाबों की व्यवस्था थी, कुओं की व्यवस्था थी, बावड़ियां थीं और हर गांव में तालाब होता था। कई गांव तो ऐसे थे जहां एक नहीं, दो-दो तालाब होते थे और तालाब भी बड़े-बड़े तालाब होते थे। आप में से कई सदस्यों ने भोपाल देखा होगा। भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब है। भोपाल का जो बड़ा तालाब जो है वह तो छोटा है, उससे भी बड़ा तालाब वास्तव में राजा भोज ने बनवाया था जो बहुत बड़े इलाकों में फैला हुआ था और बांध जैसा था। उन तालाबों से नहाने-धोने की पानी की आवश्यकताएं लोग पूरी करते थे। बाकी उपयोग का जो पानी था, उसकी आवश्यकता भी तालाबों से पूरी होती थी। जब तालाबों में पानी भरा रहता था तो गांवों के कुएं भी जिन्दा रहते थे और जब गांवों के कुएं जिन्दा रहते थे तो कुओं से पीने का पानी और तालाबों से जल संग्रहण का काम होता था लेकिन आज क्या हालत है? तालाबों की जमीनों पर कब्जे हो गए हैं, मकान बन गए हैं या कई लोग खेती कर रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में इतनी दृढ़ता नहीं थी और कहीं न कहीं हम भी वोट बैंक की राजनीति में आ जाते हैं कि कौन इनसे झगड़ा मोल ले, कौन इनको अपने खिलाफ करे, इस प्रकार तालाबों की जमीन देकर हमने तालाब समाप्त कर दिये। कुएं और बावड़ियां भी धीरे-धीरे समाप्त हो गई। जल के संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं रही, लेकिन पानी निकालने की व्यवस्थाएं हमने जरूर कीं। हमने हैन्ड पंप लगाने, ट्यूबवैल खुदवाने शुरू कर दिये। धरती के पेट में जो पानी था, उसको तो हमने खूब निकाला लेकिन जल के संग्रहण की व्यवस्था, धरती में फिर से वह पानी वापस करने की व्यवस्था हमने नहीं की। इसलिए पुराने समय में जहां 10-20 फीट पर पानी निकल आता था कुओं में, वहां आज जब हैन्डपंप खोदते हैं तो हर प्रदेश के लोग जानते हैं कि 300-400 फीट हैन्डपंप खोदते हैं, तब कुओं में पानी निकलता है। हम जल निकालते गए धरती का पेट फाड़कर लेकिन हमने जल संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिए धीरे-धीरे यह स्थिति पैदा हो रही है कि भूजल का जो स्तर है वह लगातार नीचे गिरता जा रहा है। केवल हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया और अन्य देशों के लिए यह गंभीर चिन्ता का विषय है। माननीय कृषि मंत्री जी और संपूर्ण सदन से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भूमिगत जल के स्तर को एक निश्चित ऊंचाई तक बनाए रखने के लिए यदि किसी केन्द्रीय कानून की आवश्यकता हो, तो वह जरूर बनाया जाना चाहिए।

अभी हमारे चौटाला जी बता रहे थे कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाई गई सिंचाई परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हमारे देश में नदियों का जाल बिछा है। हमारे देश में गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये बड़ी नदियां हैं। इनकी कई सहायक नदियां हैं और उन सहायक नदियों में मिलने वाली कई छोटी नदियां हैं, छोटी नदियों से मिलने वाले कई नाले हैं। अब मणि शंकर जी तो विद्वान हैं, वे आंकड़े बता सकते हैं, लेकिन मैं तो इतना ही बता सकता हूं कि इन नदियों से होकर जो पानी जाता है वह समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। उस जल को रोकने की हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जिन बांधों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया या जिन सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया, उन्हें आज 54 वर्ष के बाद भी पूरा क्यों नहीं किया जा सका, यह शर्म की बात है। मैं किसी पार्टी के लिए इसे शर्म की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि पूरे सदन के लिए यह शर्म की बात है।

बड़े बांधों की योजनाएं बनती हैं, वे योजनाएं क्रियान्वित कैसे होती हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। मैं विदिशा से आता हूं। हमारे विदिशा जिले में दो सिंचाई परियोजनाएं हैं एक वाह और दूसरी सगड़। उनके निर्माण पर कई वर्षों से लाखों रुपए खर्च करने के बाद अब वन एवं पर्यावरण विभाग ने आपत्ति लगा दी। विभागों में आपस में कोई तालमेल नहीं है। मैं चौथी बार लोक सभा का सांसद चुन कर आया हूं। 1991 से मैं लगातार कभी केन्द्र सरकार के मंत्रियों और कभी प्रदेश सरकार के सिंचाई एवं वन मंत्री के पास और कभी कलैक्टर के पास बराबर दौड़ रहा हूं, लेकिन अभी तक उसकी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं।

मुझे वहां से बताते हैं कि ये-ये औपचारिकताएं हैं जो पूर्ण करनी हैं। मैं वहां से दिल्ली दौड़ता हूं। यहां से एक चिट्ठी जारी होती है। वह प्रदेश सरकार के सचिव को जाती है। सचिव चीफ इंजीनियर को भेजता है। चीफ इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भेजता है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एक्जीक्यूटव इंजीनियर को भेजता है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एस.डी.ओ. को भेजता है। एस.डी.ओ. और सब-इंजीनियर मिलकर कुछ बनाते हैं और फिर एक चिट्ठी भेज देते हैं और उसे यहां वापस आते-आते साल भर निकल जाता है। मैंने पूरा प्रयत्न किया, लेकिन मैं अभी तक भी उन योजनाओं को स्वीकृत नहीं करा पाया हूं। अगर ये दोनों परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं, तो विदिशा जिले में सूखे का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह अकेले विदिशा की त्रासदी नहीं है यह पूरे हिन्दुस्तान की त्रासदी है।

अध्यक्ष महोदय, चुनावों का जब समय आता है तो नई-नई सिंचाई परियोजनाएं तैयार हो जाती हैं और हमारे नेता लोग भूमि पूजन कर आते हैं, पत्थर लगा आते हैं और गांव के लोगों को झूठी दिलासा देते हैं कि अब तुम्हारे यहां सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कर दिया है, अब तुम्हारे खेतों की सिंचाई होगी। बाद में उन पत्थरों का इस्तेमाल कहां होता है, महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं। कब तक हम लोग ऐसा करेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांव का पानी गांव में रोका जाए, तालाब बनाए जाएं, छोटे-छोटे चैक डैम बनाए जाएं। बड़े-बड़े बांधों की जरूरत नहीं है और जहां कहीं बिजली उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है, वहां उतने ही बड़े बांध बनाए जाएं जितने बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। बड़े बांधों की त्रासदी भी बड़ी होती है। बड़े बांधों का काम पूरा होने में समय बहुत लगता है, पूंजी बहुत लगती है, जमीन ज्यादा डूबती है, विस्थापित बहुत लोग होते हैं और पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है और राहत कम मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम छोटे-छोटे बांधों को ज्यादा तरजीह दें जिससे गांव का पानी गांव में ही रोका जा सके। इसके लिए हम चैक डैम बनाएं, स्टाप डैम बनाएं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बार मैंने विदिशा में बेतवा नदी को एक स्थान पर रोकने का एस्टीमेट बनवाया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नदी को एक स्थान पर रोकने का प्राक्कलन केवल 25 लाख रुपए का बना और मैंने वह धन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया और इससे 9 किलोमटीर क्षेत्र में पानी के स्तर को ऊंचा किया जा सकेगा और 13 गांवों की सिंचाई इससे होगी और उस क्षेत्र में जो कुएं, तालाब, ट्यूबवैल और हैंडपम्प होंगे वे पुनर्जीवित हो जाएंगे और उनके पानी से भी लोग सिंचाई कर सकेंगे तथा आठ महीने में यह योजना पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से यदि हम एक गांव, दो गांव या पांच-दस गांव करके उनकी सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएं बनाएं, तो कम समय में, कम पूंजी से पूरी हो जाएंगी और कम लोग विस्थापित होंगे और इस प्रकार से हम जल संग्रहण कर उसका ठीक प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और गांव की पानी की आवश्यकता को गांव में ही पूरा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि यहां माननीय कृषि मंत्री जी ने काम के बदले अनाज की बात कही है।

सम्पूर्ण ग्रामीण विकास रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आदि अन्य योजनाओं के तहत वह पैसा देंगे, यह उन्होंने कहा है। लेकिन उसमें हम यह निश्चित करें कि वह पैसा किस काम में दिया जायेगा। अगर वह पैसा तालाबों की खुदाई में लग जाये, चैक डैम, स्टॉप डैम बनाने में लग जाये तो जल संग्रहण

[श्री शिवराजसिंह चौहान]

की ठीक व्यवस्था होगी और इससे मजदूरों को काम भी मिलेगा। इसके साथ-साथ जो दूसरा उद्देश्य है, वह भी निश्चित रूप से पूरा होगा।

हमें दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है। अभी श्री मणि शंकर अय्यर जी कह रहे थे कि देश में अनेकों योजनाएं बनी हैं। आज की सरकार भी कई योजनाएं चला रही है। सूखा क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम है, मरूभूमि के विकास के लिए योजना है, समेकित बंजर विकास कार्यक्रम है। मुझे तो लगता है कि हम दुकानें तो बहुत खोल लेते हैं। एक ही उद्देश्य के लिए कई विभाग बन जाते हैं। क्या हम सबको इकट्ठा नहीं कर सकते, एक नहीं कर सकते, एक सम्पूर्ण समेकित योजना, दीर्घकालीन योजना नहीं बना सकते। आज आवश्यकता लंबे समय की, दीर्घकालीन योजनाएं बनाने की है। जिन योजनाओं के तहत माननीय कृषि मंत्री जी पैसा दे रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं न कहीं तालमेल करें, कहीं न कहीं कोई समन्वय करें और एक सब लोगों से विचार-विमर्श करके ठोस योजना बनाये और उस पर विशेषज्ञों से चर्चा करें।

पहले भी सूखे के सवाल पर, जल संग्रहण के सवाल पर सरकार द्वारा कई प्रयास हुए हैं। यह मेरा मानना नहीं है। पहले भी कमेटी बनी है। डा. के.एल. राव कमेटी बनी थी, हासिम कमेटी बनी थी जिसमें 1999 में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। हम कमेटी बनाने में तो खूब माहिर हैं। कमेटी बन जाती है, कमीशन बन जाते हैं और उनकी रिपोर्ट भी आ जाती है लेकिन उस रिपोर्ट की किनती सिफ़ारिशों पर कार्यवाही होती है और वह कितनी देर में होती है, यह आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट बनी है तो निश्चित रूप से हमें उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। सम्पूर्ण व्यवस्था करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा।

मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में 35 जिले सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं जिनमें विदिशा, रायसेन, सीहोर, रायगढ़, बेतूल, होशंगाबाद, रतलाम, मंदसौर इत्यादि पूरे के पूरे 35 जिले बुरी तरह से सूखे से प्रभावित हैं। मेरा अपना संसदीय क्षेत्र में पिछले वर्ष ओले पड़े थे। उन ओलों में किसानों की फसलें चौपट हो गईं, बर्बाद हो गई। श्री लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने सहायता की है। लेकिन वह सहायता कितनी थी—ऊंट में जीरा भी नहीं और वह सहायता भी ऐसी कि अंधा बांटे रेवड़ियां, चुन-चुन अपनों को दे। चुन-चुन कर भी कई जगह पूरी नहीं मिली यानी आधी खुद ही धर ली वाला किस्सा हुआ है। इस तरह व्यापक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ। उन ओलों में किसान तबाह हो गये, बर्बाद हो गये। जैसे-तैसे उन किसानों ने खाद और बीज की व्यवस्था की तो वे फिर सूखे की चपेट में आ गये। मेरा कहना है कि आज सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सहायता करने की आवश्यकता है।

जब-जब किसान के कर्ज माफ करने या ऐसे ही कोई और सवाल हम यहां उठाते हैं तो देश में बड़ा हल्ला मच जाता है। विशेषकर नौकरशाह कहते हैं, यहां के बुद्धिजीवी और विद्वान लोग कहते हैं कि बैंकिंग का सिस्टम गड़बड़ा जायेगा। किसान में मुफ्तखोरी की आदत पड़ जायेगी, गलत परम्परा बनेगी लेकिन परसों राज्य सभा में हमारे देश के वित्त मंत्री ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि बड़े उद्योग समूहों पर 83 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। लेकिन जब हम किसान के लिए कर्जे की माफी की बात करते हैं या कर्जे के ब्याज की माफी की बात करते हैं तो नाबार्ड से लेकर रिजर्व बैंक तक पता नहीं कितने रोड़े अटकाते हैं।

मुझे याद है 1990 में जब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा जी थे तब उन्होंने किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए एक योजना बनाई थी, उसमें बहुत बाधाएं और रोड़े अटकाये गये थे। बड़ी मुश्किल से वह योजना क्लीयर हुई थी और किसान के 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ हुये थे। उसमें कुल मिलाकर खर्चा 710 करोड़ रुपये आया था। मेरा कहना है कि 710 करोड़ रुपये में लाखों किसानों के कर्जे माफ किये जा सकते हैं और अकेले उद्योग समूह पर 83 हजार करोड़ रुपया बकाया है। हम किसकी बात करते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज वास्तव में किसानों को सहायता की आवश्यकता है। आज किसानों को मदद देने की जरूरत है। आज हमारे देश के किसान मारे-मारे फिर रहे हैं। उस बैंच पर बैठे हुए हमारे जो मित्र हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप वाद-विवाद में मत जाइये। आइये हम सब इसे दूर करने का प्रयास करें क्योंकि अकेले सरकार के बस का यह रोग नहीं है। अकेले हमारे बस का रोग नहीं है। इस सूखे का मुकाबला करने के लिए जनता को खड़ा करना पड़ेगा। जब तक जन-भागीदारी नहीं होगी, जनता का पार्टीसिपेशन नहीं होगा, तब तक ऐसी योजनाएं बेमानी बनकर रह जायेंगी। इसका हल कौन कर सकता है? हम जन प्रतिनिधि हैं और हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम जनता के बीच में जायें, जनता के संरक्षण का काम करें, जन जागरण का काम करें। बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए जनता की ताकत को खड़ा करें। जब वह जन आंदोलन का रूप ले लेगा तब मामला बनेगा। सब कुछ आपने सरकार पर छोड़ दिया कि सरकार ही योजना बनायेगी। मैं अपना अपराध भी मानता हूं, राजनेताओं का अपराध मानता हूं कि वोट की राजनीति के चलते हमने जनता को यह जरूर शिक्षित किया है कि जो कुछ करेगी, सरकार करेगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं जब 1990 में पहली बार विधायक बना तो गांव का दौरा करने गया। मेरे स्वागत में उन्होंने 15-20 हजार रुपये खर्च कर दिए, उन्होंने मेरा जोरदार स्वागत किया। बाद में उन्होंने जब मांग पत्र पेश किया तो उसमें लिखा था कि हमारे गांव में पीने के पानी का एक ही स्रोत यह कुआं है जिसका पानी तीन सालों से सूख गया है। इसलिए आप इस कुएं की सफाई करवा दीजिए। मैंने कहा कि आपने मेरे स्वागत में किनते रुपए खर्च किए तो उन्होंने कहा कि 15-20 हजार रुपये। मैंने पूछा कि कुएं की सफाई में कितने रुपये लगेंगे तो वे कहने लगे कि केवल 5 हजार रुपये लगेंगे। मैंने कहा कि जब एक नेता के स्वागत में 20 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं तो कुएं की सफाई में 5 हजार रुपये खर्च नहीं कर सकते। वे कहने लगे कि कुएं की सफाई हमारा काम थोड़ी है, नेत का स्वागत करना हमारा काम है लेकिन कुएं की सफाई का काम हमारा नहीं है, यह काम सरकार का है। हमें इस मानसिकता को समाप्त करना पड़गा। जनता की भागीदारी, जनता का पार्टीसिपेशन, जब तक जनता में जागृति नहीं आएगी तब तक हम किसी भी त्रासदी का पूरी सक्षमता के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए जन भागीदारी बढ़े, इस बात का प्रयास हम सब जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। मैं निश्चित तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि अकेले सरकार सब नहीं कर सकती, सरकार के साथ-साथ सांसद जुड़ें, देश की जनता जुड़े। जब हम सब संकल्पबद्ध होंगे, सूखे या बाकी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए खड़े होंगे तो बात बनेगी।

एक बात और कहना चाहूंगा कि जनता जन-प्रतिनिधियों की ओर देखती है और हम थोड़े से प्रारंभ कर सकते हैं। हम सब सांसद तय कर सकते हैं कि ज्यादा नहीं, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक दिन की तनख्वाह अपनी जेब से देंगे। अगर हम पहल करेंगे तो बाकी हिस्सों से भी ऐसी सहायता आनी प्रारंभ होगी और जिन हिस्सों में वास्तव में ऐसी त्रासदी नहीं है, वे हिस्से भी देश की सहायता के लिए दौड़ेंगे। अगर हम इसे प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता मानेगी कि भाषण देने के अलावा वास्तव में भी हमारे मन में देश की जनता की सेवा करने की तड़प, ललक है।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि पैसा जाएगा, सरकार पैसा भेजेगी, सरकार कदम उठाएगी लेकिन उस पैसे की मौनीटरिंग होना बहुत आवश्यक है। जब ऐसी त्रासदी होती है तो देश के लाखों-करोड़ों जनता तो भुगतती है लेकिन कुछ लोग प्रसन्न भी होते हैं। देश में सूखा होता है लेकिन उन लोगों की जेब गीली हो जाती है। भ्रष्टाचार के कारण पैसा, चाहे वह 'काम के बदले अनाज' वाला मामला हो, अनाज मजदूर तक नहीं पहुंचा, पता चला कि अनाज बाजार में ब्लैक मार्किट में बिक गया और पैसा कुछ लोगों की जेबों में चला गया। विभिन्न योजनाओं के तहत पैसा बड़ी मात्रा में आएगा लेकिन वास्तव में वह पैसा जिस आम आदमी के लिए दिया जाता है, उस आम आदमी तक पहुंचता है या नहीं, गरीब व्यक्ति को उसका लाभ हो रहा है या नहीं, बिचौलिए पैसा हड़पा तो नहीं, इस पर आपको जरूर ध्यान रखना पडेगा, केवल राज्य सरकारों के रहम-ओ-करम पर हम अपनी जनता को नहीं छोड़ सकते। कई बार कहा जाता है कि यह राज्य का विषय है। राज्य का विषय होगा लेकिन राज्य की हालत यह है कि उनके पास तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है। कई राज्यों की प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं कि क्या केवल सड़क और बिजली से चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव जीतना तो एक कला है, एक विज्ञान है। इसलिए जब लालू प्रसाद जी सड़क और बिजली के बिना चुनाव जीत सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह: श्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ सुनने की आदत डालिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: कहां-कहां हुआ, मुझे भी तो पता चले। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराजसिंह चौहान: पूरा प्रदेश जानता है, सब अखबारों में है। उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद जी बिहार में बिना सड़क और बिजली के चुनाव जीत सकते हैं तो मध्य प्रदेश में मैं क्यों नहीं जीत सकता। जब मुख्य मंत्री इतने संवेदनहीन होंगे कि सब चीजों को चुनाव से जोड़ कर देखें, केवल उनके रहम-ओ-करम पर मध्य प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मध्य प्रदेश की इस संकट की घड़ी में केन्द्र सरकार पूरी सहायता करे और वह सहायता आम आदमी तक पहुंचे, इसकी पुख्ता व्यवस्था करे।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): इन्होंने बहुत अच्छा बोला था लेकिन बाद में सब खराब कर दिया।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी की बात सही है। अच्छा भाषण किया लेकिन अंत में आरोप क्यों लगाया।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा (कनकपुरा): अध्यक्ष महोदय, हम सूखा और बाढ़ की चर्चा कर रहे हैं। यह सामान्य सी बात है। इस मुद्दे पर राजनीति को सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

गत 50 वर्षों में, कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है। कोई भी इससे इंकार नहीं कर सकता है। मैं यह कहने नहीं जा रहा कि यह सरकार देश में व्याप्त सूखे की स्थिति और बाढ़ की स्थिति से चिंतित नहीं है। इसलिए, मैंने कहा कि राजनीति को सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जैसाकि हमने इसी सभा में इसी मुद्दे पर चर्चा की है कि प्रतिवर्ष देश के एक भाग में सूखा पड़ेगा और देश के दूसरे भाग में भारी वर्षा होगी जिससे उस क्षेत्र के लोगों को भारी नुकसान होगा। हमने इस पर विचार किया है कि इन मुद्दों का स्थायी समाधान कैसे किया जाए।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि पिछली सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी, मैं उस समय अपने राज्य में सिंचाई मंत्री था। उन्होंने एक राष्ट्रीय जल नीति विकसित करने की भरसक कोशिश की परन्तु, मैं यहां राजनीति नहीं करना चाहता—कोई भी राज्य उस समय केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। केवल पेयजल के मुद्दे पर ही सभी राज्यों द्वारा नीति को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। यही केवल ऐसा नीति दस्तावेज है जिसे हम प्रस्तुत करने में समर्थ हुए थे, जिस पर श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में तीन दिन की चर्चा हुई थी।

तदन्तर, जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें तो मैं उस अवधि में भी अपने राज्य में सिंचाई मंत्री था। उन्होंने सभी राज्यों के बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों को यह समझाने का भरसक प्रयास किया कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। मैं केवल बाढ़ से होने वाली क्षति की बात कर रहा हूं। पुन:, अदूरदर्शी राजनीति, संकुचित ढांचे एवं अपने राज्यों के लिए उनकी चिंता के परिणामस्वरूप कोई भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। आज कोई जल नीति नहीं है।

मैं जानता हूं कि मणिशंकर ने क्या उद्धृत किया है। वह नीति क्या है? क्या हमने इसे स्वीकार कर लिया है? *...(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं ..(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): श्री राजीव गांधी ने नई सिंचाई नीति तैयार की थी। मैं उस बैठक में उपस्थित था। इसमें कई मुख्य मंत्री उपस्थित थे। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इस नीति का विरोध किया था, फिर भी उस नीति को अपनाया गया और उसे कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया था।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: मैं इस अपनाई गई नीति का साक्षी था। प्रत्येक राज्य पेय जल संबंधी नीति पर ही सहमत था। मुझे खेद है कि सरप्लस बेसिन से अतिरिक्त जल को डेफिसिएंट बेसिन देने की नीति पर कोई भी सहमत नहीं था। मुझे स्पष्ट शब्दों में कहने दीजिए। कोई भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वहां प्रत्येक यह कहकर लड़ रहा था कि यदि सरप्लस बेसिन में जल है तो उसकी उनके ही राज्यों को आवश्यकता है। वे अतिरिक्त जल को डेफिशिएंट बेसिन में ले जाने की अनुमति नहीं देना चाहते थे। लगभग सभी मुख्यमंत्रियों का यही रवैया था। आप जानते हैं कि कावेरी बेसिन डेफिशिएंट बेसिन है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि श्री राजीव गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में उपस्थित मुख्यमंत्रियों में आप भी वहां थे, से कोई भी जहां तक इस मुद्दे का संबंध है इस नीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था।

आज, प्रश्न काल के दौरान ही, हमारे बिहार के साथियों ने प्रश्न काल में बाधा डालने की कोशिश की और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि वे बाढ़ से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हिमालय से आने वाली नदियों से काफी बाढ़ आती है। नेपाल सीमा से आने वाली नदियों की बाढ़ से भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जब श्री के.एल. राव सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने महानदी से बाढ़ के जल को कावेरी नदी में ले जाने की योजना का प्रस्ताव किया था। इन योजनाओं को 1992 के दौरान प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1996 के दौरान उन्हें अद्यतन किया गया था। मेरे पास उन सभी योजनाओं की प्रतियां हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का संबंध है मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले सड़क नेटवर्क पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने के कार्यक्रम की घोषणा की है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रमुख घटकों में से एक है।

जहां तक इस विशेष मुद्दे का संबंध है, मैं समझता हूं कि मेरे समय के दौरान मैंने भी जो श्री के.एल. राव द्वारा तैयार किया गया था उसे अद्यतन करने के लिए एक तकनीकी समिति गठित की थी। तत्पश्चात वर्ष 1992 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के समय में भी इसे अद्यतन किया गया था, मैंने भी एक समिति गठित की थी और उस समिति ने 1996 में रिपोर्ट दी थी। उस समय रिपोर्ट की एक प्रति मेरे पास थी। इस परियोजना पर लगभग 50,000 से 60,000 करोड़ की लागत आ सकती है। कई तकनीकी विशेषज्ञों ने विशेषकर हिमालय के जल का उपयोग किस तरह से करना है के बारे में अपनी राय व्यक्त की है।

महोदय, जल के रूप में हमारे पास प्राकृतिक संपदा है, लेकिन दुर्भाग्यवश, राजनीतिक संघर्ष के कारण और राज्यों के बीच सर्वसम्मति नहीं होने के कारण देश को कष्ट उठाना पड़ रहा है। जल प्राकृतिक संपदा है। इस संपदा का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए उचित ढंग से किया जाना है। यह कर्नाटक, बिहार या मध्य प्रदेश का प्रश्न नहीं है। हमें इस प्राकृतिक संपदा के उपयोग के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। यह ईश्वर प्रदत्त उपहार है। क्या हम विशेषकर इस मुद्दे पर चैतन्य पूर्ण निर्णय नहीं ले सकते? मैं आंकड़े उद्धृत करना नहीं चाहता हूं। हमें कितने जल का अभी उपयोग करना है? हमने कितनी सिंचाई क्षमता की सम्भावना का दोहन किया है और आजादी के 53 वर्षों के बाद भी हम कितनी सिंचाई क्षमता का दोहन नहीं कर सके? रिपोर्ट स्वयं ही सब कुछ बखान करती है। मैं इन सब चीजों को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं।

महोदय, सभी प्रमुख नदियों के संबंध में अन्तरराज्यीय विवाद है। श्रीमती सोनिया गांधी भी जानती है कि नर्मदा क्या है, कावेरी क्या है, पंजाब और हरियाणा के मध्य क्या है। सभी प्रमुख मुद्दों से संबंधित समस्याओं को हम हल करने में असमर्थ हैं। यहां न्यायालय है, न्याधिकरण है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार ने विगत में इन्हें हल करने की कोशिश की है। यहां तक कि मेरे कार्यकाल के दौरान नर्मदा के संबंध में मैंने चार मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। मैंने एक सहमति का सूत्र तैयार किया था जिसे अन्तत: उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया। उच्चतम न्यायालय ने भी वही फैसला दिया जिस आधार पर चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सहमति बनी थी। मैं विशेषकर इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

महोदय, प्राकृतिक संपदा क्या है? मैं समझता हूं कि जल ही प्राकृतिक संपदा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमें इसे राष्ट्रीय या अपने-अपने राज्यों के संदर्भ में देखना चाहिए। यदि जल को राष्ट्रीय संपदा के रूप में माना जाता है तो हमें एक राष्ट्रीय जल नीति अपनानी होगी। तत्पश्चात, सरफ्लस बेसिन से जल को डेफिसिट बेसिन में हस्तान्तरित करके इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जा सकता है तो अधिकतर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह मेरी निष्कपट राय है।

महोदय, मैं अब माननीय प्रधानमंत्री से इसके बारे में अनुरोध करता हूं। माननीय कृषि मंत्री इस निर्णय को नहीं ले सकते हैं। यह प्रमुख निर्णय है। यदि सभी मुख्य मंत्री सहमति के लिए तैयार हैं, यदि सभी राज्य सहमति के लिए तैयार हैं और सभी राजनीतिक दल सहमति के लिए तैयार हैं तो हम उन 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत लोगों के संबंध में स्थायी समाधान तलाश कर सकते हैं जो कि सूखे के कारण कष्ट उठा रहे हैं। इस संबंध में रिपोर्ट यहां है। कृषि मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को दिया है, मैं इस सम्मानित सभा को आश्वस्त करने के उद्देश्य इन सभी चीजों को पढ़ना नहीं चाहता हूं। आज सूखे के कारण 60 से 65 प्रतिशत से अधिक लोग कष्ट उठा रहे हैं। यदि वे समाधान निकालना चाहते हैं तो ये रिपोर्टें अब सरकार तथा जल संसाधन मंत्रालय के पास हैं। यदि प्रधनमंत्री राजमार्गों के निर्माण के मामले में 60000 करोड़ रुपये देकर के गम्भीर रुचि ले सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं? मैं जानता हूं कि संसाधनों का अभाव है। यदि आप महानदी को कावेरी नदी से जोड़ने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर के ईमानदारी से निर्णय लेते हैं तो लाभान्वित होने वाला प्रत्येक राज्य इसमें योगदान दे सकता है, इसलिए यह एक मुद्दा है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं। यहां तक कि विभिन्न मामलों के संबंध में खंडित अधिनिर्णय आए फिर भी हमने इन मुद्दों पर कर्त्तव्यनिष्ठ निर्णय लिए हैं तो इसलिए हम इस विशेष मुद्दे पर निर्णय क्यों नहीं ले सकते हैं। इस विशेष मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही सब मैं इस सम्मानित सभा में आग्रह करना चाहता हूं।

मैं जल प्रबंधन और इन जैसी बातों जैसे स्थाई उपायों पर विस्तार से चर्चा कर सकता हूं। आज पेय जल की गम्भीर समस्या है क्योंकि हमने सिंचाई, कृषि और पेय जल के उद्देश्य से भू-जल का अत्यधिक उपयोग किया है। यहां तक कि हमने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बोर-बैंकों या अन्य सुविधाओं के लिए बहुत कुछ किया है फिर भी आज अधिकतर गांवों में जल नहीं है, जल स्तर नीचे चला गया है। इन बोर-वेलों या पम्पों से हमें पर्याप्त जल तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि जल स्तर को न बढ़ाया जाए। इसके लिए कई उपाय किए गए थे। जल स्तर को बढ़ाने के लिए हमने पनधारा कार्यक्रम और कई अन्य कार्यक्रम तैयार किए हैं। दुर्भाग्यवश, जिस धन को हमने तत्काल उपायों के रूप में खर्च किया था उसका खर्च उचित ढंग से नहीं हो पाया है, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इसी सभा में कहा था कि कुछ योजनाओं के लिए जो धन हम उनके कार्यान्वयन के लिए देते हैं उसमें से अंतिम छोर के लाभार्थी तक मात्र 16 पैसे ही पहुंच पाते हैं। इसी सभा में स्वर्गीय राजीव गांधी ने यही शब्द कहे थे, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। हम पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन इस पैसे का उपयोग अनुचित रूप से हो रहा है और इस संबंध में कोई जवाबदेही नहीं है। मैं अपने लघु अनुभव से इस बात को जानता हूं।

आज, हमने जो तत्काल कदम उठाने हैं वहीं प्रमुख मुद्दा है जिस पर मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। कल माननीय कृषि मंत्री ने सभी चारों संबंधित राज्यों के राजस्व मंत्रियों और कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं। लेकिन मेरी ईमानदार और निष्कपट धारणा यह है कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। 'एक्स' राज्य को और

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

अधिक संरक्षण मिल सकता है, 'वाई' राज्य को राजनीतिक कारणों से इतना अधिक संरक्षण नहीं मिल सकता है। मित्रों मैं आप लोगों को दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको अपने सहयोगियों को सन्तुष्ट करना होता है। सरकार बचाने के लिए कतिपय संरक्षण देने होते हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूं और इसके लिए मैं आप पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो तो वे क्या कर सकते हैं? कर्नाटक ने पिछली बार 900 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए रिपोर्ट भेजी थी। क्या केन्द्र ने उसे एक रुपया भी दिया है? मेरे कांग्रेसी मित्रों को मुझे गलत नहीं ठहराना चाहिए यदि मैं कहता हूं कि हमारे सामने काफी वित्तीय समस्यायें आ रही हैं। मैं सत्ताधारी दल पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्हें विभिन्न अन्य समस्याओं पर पैसा खर्च करना होता है।

आपदा राहत कोष से धन देना कोई विशेष पक्ष लेने के समान नहीं है। वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह पहले ही निर्धारित किया जा चुका है कि प्रत्येक राज्य को कितना मिलना चाहिए। यदि भारत सरकार कर्नाटक को 75 करोड़ रुपये दे रही है तो वह उसका विशेष पक्ष नहीं ले रही है। यह किसी का विशेष पक्ष लेना नहीं है। यहां तक कि यह धनराशि भी पूरी तरह निर्गत नहीं की गई है। मैं आरोप लगाना नहीं चाहता हूं। लेकिन ऐसा क्यों है? आपके सहयोगियों और सत्ता में बैठे लोगों में से कुछ को विभिन्न प्रकार का वित्तीय समर्थन दिया जाता है और अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है।

महोदय, जब आप मुख्य मंत्री थे, तो क्या मैंने भेदभाव किया था? मैं केवल दस माह तक प्रधान मंत्री रहा हूं। आपने मुझे टेलीफोन किया था कि कपास उत्पादकों से संबंधित समस्या के लिए आप एक प्रतिनिधिमंडल लाना चाहते हैं क्योंकि समस्या काफी गम्भीर थी। महोदय, मैं अपने लिए श्रेय नहीं लेना चाहता। लेकिन, तब मैंने कहा था कि आप प्रतिनिधिमंडल न लाएं बस मुझे समस्या के बारे में फैक्स संदेश भेज दें और मैं इसका 24 घंटे के अंतर्गत समाधान कर दूंगा। आपने फैक्स संदेश भेजा और अगले ही दिन हमने लगभग तीन लाख टन कपास को निर्यात करने की अनुमति दे दी। हमने कोई भी निर्णय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लिया है।

मैं इन सब बातों का उल्लेख क्यों कर रहा हूं? श्री जार्ज फर्नान्डीज आप यहां हैं? कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है? मैं इस बात को नहीं समझ सका क्योंकि यदि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर 18 सदस्यों को मिला दिया तो आपको उनका समर्थन नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव में आप लड़े थे। मैं आप और कांग्रेस दोनों से ही लड़ूंगा। यह मुद्दा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक को इतना कम क्यों दिया जा रहा है। पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश को लगभग 30 लाख टन खाद्यान्न दिया गया। कर्नाटक को कितना दिया गया और क्यों? इसके आंकड़े यहां हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, यह वस्तुओं के उपयोग का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा: कृपया, आपके मुख्य मंत्री काफी सक्षम हैं। मेरे मुख्य मंत्री भी योग्य हैं। मैं राजनीतिक रूप से इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसान मर रहे हैं। कम से कम आत्महत्या करने वाले किसान एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्या मैं ठीक बात कह रहा हूं। कम से कम सरकार की ओर से ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए।

अपराह्न 1.47 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

आपकी अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना है। क्या आपने इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक को कम से कम एक किलोग्राम चावल अथवा खाद्यान्न भी जारी किया है? क्या मैं इसे राजनैतिक निर्णय कह सकता हूं और यदि ऐसा नहीं है तो सच क्या है? इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक को एक भी दाना जारी नहीं किया गया। 'काम के बदले अनाज' योजना भी है जिसे अब स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में परिवर्तित कर दिया है। पहले के कार्यक्रमों को विभिन्न नाम दे दिये गये हैं। यह ठीक है। आप इसका श्रेय ले सकते हैं। यह नया कार्यक्रम नहीं है। आपके द्वारा कार्यक्रमों का नये नामों में वर्गीकरण पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इसकी चिंता नहीं है। आपने इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक को कितना खाद्यान्न जारी किया है। यहां यह कहा जाता है कि भारत सरकार इसका 75 प्रतिशत नि:शुल्क राज्यों को देती है। इसके साथ ही उन्होंने शर्तें तथा दिशानिर्देश भी निर्धारित किए हैं। इन्होंने कहा है कि 25 प्रतिशत मजदूरी के रूप में दिया जाना है और 75 प्रतिशत खाद्यान्न के तौर पर तथा इस 75 प्रतिशत को गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए खाद्यान्न की जो दर निर्धारित की है उस दर पर दिया जाना है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यदि मैं गलत हूं तो कृपया मुझे बतायें कि सही क्या है।

आपने कहा कि 75 प्रतिशत खाद्यान्न उन कामगारों को दिया जाना है जिन्हें राहत कार्य में लगाया जाता है; परन्तु इस 75 प्रतिशत खाद्यान्न को गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की दिये जा रहे खाद्यान्न मूल्य पर दिया जाना चाहिए और अन्य 25 प्रतिशत नगद भुगतान के रूप में।

साठ मिलियन टन खाद्यान्न सड़ रहा है। मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा है कि 800 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्यान्न को नष्ट कर दिया गया क्योंकि वह मानव उपभोग के लायक नहीं था। हम उचित रूप से खाद्यान्न का भंडारण नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के पास बहुत अधिक स्टाक है परन्तु हम इसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं और 850 करोड़ रुपए मूल्य का खाद्यान्न नष्ट कर दिया गया। सरकार कम से कम 50 प्रतिशत भी निशुल्क देने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? निर्यातकों को अपने स्टाक को खत्म करने के लिए वह कितनी राजसहायता दे रहे हैं? एक ओर उड़ीसा में लोग मर रहे हैं जैसा कि समाचार-पत्र की रिपोर्ट में छपा है जिसे मैंने पढ़ा है। शुरू में ही मैंने कह दिया था कि मैं इसमें राजनीति का घालमेल नहीं करना चाहता। जब लोग भूखे हों और अंततोगत्वा मर रहे हैं तो यह भण्डार किस काम का? जब हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी तो हमारा अनुमान था कि आवश्यकता पूरी करने के लिए 23 मिलियन टन खाद्यान्न पर्याप्त होगा। उनके पास 60 मिलियन टन निर्यात के लिए है और इसका निर्यात करने हेतु वह इतनी अधिक राजसहायता निर्यातकों को दे रहे हैं। जब लोग कष्ट में हैं तो यह इसे निशुल्क देने पर विचार क्यों नहीं करते?

मेरे हरियाणा के मित्र, जिन्होंने चर्चा शुरू की है, उन्होंने कहा कि लगभग 380 तालुका अथवा ऐसे ही कुछ कष्ट उठा रहे हैं और कल कृषि मंत्री ने संबधित राज्यों से पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। वह 50 प्रतिशत नि:शुल्क देने की अनुमति क्यों नहीं देते? हमें यह उन कामगारों को क्यों नहीं देना चाहिए जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें समझने में मैं असमर्थ हूं। ये खाद्यान्न को सड़ने और नष्ट होने देते हैं क्योंकि वह मानव उपभोग के लिए उचित नहीं है। वह उन लोगों के बारे में नहीं सोच सकते जो आज कष्ट उठा रहे हैं।

कल राज्य सभा में व्यापारिक घरानों के बारे में कोई प्रश्न था। मैं उस पर विचार नहीं कर रहा हूं। इस पर विचार करने का समय नहीं है। मैंने कई मदों का अवलोकन किया है और विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत गैर-निष्पादित आस्तियों की कुल राशि 88,000 करोड़ रुपए है। इन क्षेत्रों को लघु उद्योग क्षेत्र, एकाधिकारी घराने, निगमित क्षेत्र और आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया। जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है तो मुश्किल से 7800 करोड़ रुपए गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में है। देश उन पीड़ित जनता के संबंध में सोच रहा है। 65 करोड़ कृषक हैं और 80 प्रतिशत से अधिक लघु कृषक हैं। कुछ राज्यों में पूरी गम्भीरता से भूमि-सुधार लागू करने के पश्चात केवल एक अथवा दो राज्य अभी भी पीछे चल रहे हैं। मैं उन राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता। कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में जोरदार तरीके से भूमि-सुधार कार्यक्रम लागू किया गया है। कई ऐसे राज्य हैं। अब दिल्ली तथा बंगलौर को छोड़कर, जहां कुछ लोगों के पास 100 एकड़ से 800 एकड़ तक के खेत हैं, कोई भी जोत आधा हेक्टेयर, एक हेक्टेयर, डेढ़ हेक्टेयर से अधिक की नहीं है। फलों के खेत हैं। यह अलग मामला है। मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता।

88,000 करोड़ रुपए की कुल गैर-निष्पादन आस्तियों में से लगभग 7,800 करोड़ रुपए किसानों पर देय है। क्या सरकार उन्हें एक बार रियायत क्यों नहीं दे देती है। क्या सभा, जो 4,50,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट हेतु मतदान करने जा रही है, किसानों को एक बार भी रियायत नहीं दे सकती? यह अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में और मध्यावधि ऋण को दीर्घावधि ऋण में बदलकर दी जा सकती है। हम कम से कम इसके ब्याज के भाग को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह उनके साथ इस प्रकार का खराब व्यवहार कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिनों में श्री एस.के. डे ने इनमें से कुछ कार्यक्रम प्रारम्भ किये थे। गत 53 वर्षों में हमने इस देश में कई कार्यक्रम तैयार किए हैं। स्व.. श्री राजीव गांधी ने दुख के साथ कहा था कि केवल 16 पैसे लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। उन्हें विभिन्न स्तरों पर खामियों की पूरी जानकारी थी।

माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री से मेरी अपील है कि राजनीति को शामिल किए बिना किसानों को एक बार की रियायत दें। ब्याज की राशि कितनी है? यह 1000 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए हो सकती है। चौदह राज्य इससे पीड़ित हैं और उनमें से कुछ भारी बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग पक्षियों की भांति वृक्षों के नीचे रह रहे हैं। मैंने आपके गृह राज्य में अपनी आंखों से यह सब देखा है। क्या हम इस दिशा में विचार नहीं कर सकते? हम राजनीति के बारे में भूल जाएं और यह न सोचें कि इसका श्रेय किसको मिलेगा। मुझे परवाह नहीं है कि श्री वाजपेयी को इसका श्रेय मिलता है या नहीं?

मैं कृषि क्षेत्र के संबंध में बड़ा नीतिगत निर्णय चाहता हूं। इसके दो रास्ते हैं। एक है दीर्घावधि नीति और दूसरा है तत्काल राहत उपाय करना। कौन-कौन से राहत के उपाय किए जा रहे हैं? अंग्रेजों ने कुछ तय किया है और हम उसी का अनुकरण कर रहे हैं। जब श्री बलराम जाखड़ मंत्री थे तो मैंने लड़ाई लड़ी थी और मामूली वृद्धि हुई थी। कृपया इस ओर ध्यान दें।

मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के पास काफी सलाहकार हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए कोई

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

किसान भी है। मैंने अपने गत 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में देखा है कि जो लोग अंग्रेजी अथवा हिंदी में पारंगत होते हैं उन्हें ही अधिक महत्व मिलता है परन्तु इससे यहां कोई मदद नहीं मिलेगी। लोग गांवों में संघर्ष कर रहे हैं।

महोदय, मैं ऐसे गांव से आता हूं जिसकी आबादी 150 है। आज यह आबादी बढ़कर 1,200 तक पहुंच गई है परन्तु स्थिति वही है। एक हाईस्कूल, एक मिडिल स्तर स्कूल तथा बिजली को छोड़कर स्थिति वही रही है। यदि आप बिजली की बात करें तो वर्ष में तीन अथवा चार माह तक बिजली नहीं आती। विद्युत क्षेत्र में मेरे मित्र श्री प्रभु, जो कि यहां हैं, ने कुछ बड़े परिवर्तन करने का प्रयास किया। उन्होंने राज्य विद्युत बोर्डों को संकट से उबारने तक का प्रयास किया। परन्तु प्रश्न यह है। क्या हम एक इंच भी आगे बढ़ पाए हैं? दिल्ली विद्युत की कमी का सामना कर रही है। आज देश में विशेषकर कृषि क्षेत्र में स्थिति बहुत ही खराब है। कुछ लोगों के पास अपनी विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं परन्तु गांव वालों का क्या होगा? इस विशेष मुद्दे पर मैं घंटों तक लगातार बात कर सकता हूं।

मेरी मांग है कि जहां तक विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वित्त पोषण का संबंध है राज्यों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे, मैं किसानों के लिए एक बार की रियायत की मांग करता हूं। राज्य सभा में कल यह बताया गया है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित लगभग 8000 करोड़ रुपए की गैर-निष्पादन आस्तियां हैं और मेरी मांग है कि इसे माफ किया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करने हेतु तैयार नहीं हैं तो कम से कम ब्याज की राशि माफ की जानी चाहिए और ऋण वसूली आस्थगित की जानी चाहिए।

अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आप ग्रीबों को खाद्यान्न दे रहे हैं। तथापि, यदि किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है तो उसे खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। यदि किसी महिला को विधवा पेंशन मिल रही है तो उसे खाद्यान्न नहीं मिल रहे हैं। यह सब क्या है? खाद्यान्नों को सदन देने की बजाय 75 अथवा 100 रुपए प्रति माह पेंशन पाने वाले व्यक्ति को अन्नपूर्णा योजना अथवा जो भी यह योजना है, का लाभ मिलना चाहिए। क्या आप इस संबंध में विचार कर सकते हैं?

अपराह्न 2.00 बजे

महोदय, जब तक पूरी सभा देश की सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने की स्व. इंदिरा गांधी द्वारा प्रारम्भ की गई और श्री के.एल. राव द्वारा तैयार की गई और हमारी सरकार द्वारा अद्यतन की गई योजना को लागू करने का प्रयास नहीं किया जाता तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। यदि देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की इस योजना को लागू किया जाता है तो अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी। माननीय प्रधान मंत्री को सभी राज्यों को विश्वास में लेकर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु एक नीति तैयार करनी चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, भीषण सूखे के चलते देश के अनेक राज्य काफी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और 20 करोड़ किसानों, मजदूरों की आबादी त्राहिमाम कर रही है।

महोदय, जैसी रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे कृषि मंत्री जी ने 11 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें स्थिति की समीक्षा करने की बात की और 320 जिलों में सूखे के प्रभाव की बात कही गई है। लेकिन स्थिति इससे भी बदतर है। दक्षिण के वे राज्य भी, जो कि भारी वर्षा में रहे हैं, केरल जैसे राज्य के बारे में भी रिपोर्ट है कि वर्षा की कमी के चलते बड़े-बड़े डैम, जहां पनबिजली का उत्पादन होता है, उनका जल स्तर काफी नीचे चला गया है, इसके चलते वहां पनबिजली पैदा करने की कठिनाई हो रही है और इसके चलते वहां के उद्योग धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर भारत के जो इलाके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सबकी स्थिति हमने देखी है और जो रिपोर्टें आ रही हैं, उससे जाहिर होता है कि सभी जगह स्थिति काफी बदतर है, लेकिन यह स्थिति अचानक ही बदतर नहीं हुई। यह बात जरूर है कि हर साल हम लोग बाढ़ के सवाल पर बहस करते आए हैं और केन्द्रीय सरकार को बराबर इस बात के लिए हम लोगों ने चेताने का काम किया उसमें जो सावधानी, सतर्कता और संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसमें लगातार कमी आ रही है, इसलिए समय पर लोगों को राहत प्रदान करने की समस्या पैदा होती है जिससे वहां के किसानों और प्रभावितों को जब मुसीबत से मुक्त करने का सवाल आता है, उसमें वह पूरी तरह से फेल हो जाती है। यह बात स्पष्ट है कि पिछले साल ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह के इलाकों की काफी चर्चा हुई थी, जहां सूखा पड़ा था लेकिन उसके बारे में गंभीरता नहीं दिखाई गई थी। आज ऐसी स्थिति है कि हमारे देश की 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी जो कि काफी अनाज पैदा करती है, दूसरी तरह की चीजें पैदा करती हैं, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 26 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन करती है, आज वही इस मुसीबत का शिकार है। उसके बारे में जो चर्चा हुई है, मणिशंकर जी ने जिस तरह से बातें बताई हैं या चौहान जी ने या चौटाला जी ने जिन बातों को कहा है, उससे यह जाहिर नहीं होता है कि सरकार अभी भी पूरी गंभीरता से इसकी तरफ आगे बढ़ने का काम कर रही है।

महोदय, जो बात कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, उससे निकल कर आनी चाहिए थी, जिसकी जरूरत थी, वह निकल कर नहीं आई और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके ऊपर पूरी गहराई और गंभीरता के साथ विचार नहीं किया गया है। वह बात है पूरे देश के जो सूखाग्रस्त भाग हैं उन्हें पूर्ण रूप से सूखाग्रस्त इलाका घोषित किया जाए और उस क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय किसानों के कर्जे माफ करने चाहिए, उनके ऊपर जो बिजली का भारी चार्ज है, उसे माफ करना चाहिए, उनके ऊपर बड़े-बड़े सूदखोरों का जो कर्जा है, उसे माफ करना चाहिए।

महोदय, आप जानते हैं कि कृषि मंत्री कर्जा माफ करने की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन वह होता नहीं है क्योंकि बैंकों के अधिकारी कृषि मंत्री की बात को नहीं मानते हैं। बैंकों के अधिकारी तो वित्त मंत्रालय के आदेश और रिजर्व बैंक के निर्देश को मानते हैं। जब तक उनको इन दोनों की तरफ से सरकुलर नहीं जाएगा तब तक बैंक के अधिकारी किसानों के कर्जों को माफ नहीं कर सकते है। अत: जब इतने गंभीर और संवेदनशील और राष्ट्रीय आपदा जैसे विषय पर चर्चा हो रही है तब यहां माननीय वित्त मंत्री जी को भी उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। जब वित्त मंत्री जी नहीं हैं तो किसानों के बैंकों के कर्जों को कौन और कैसे माफ कराएगा।

महोदय, हम मांग करते है कि बैंकों का देश के उद्योगपतियों पर 83 हजार करोड़ रुपए का कर्जा बकाया है, लेकिन उसकी वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। किसानों से बैंक अपने कर्जों की वसूली के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं, लेकिन बड़े-बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारत सरकार क्यों उनसे बैंकों से कर्ज वसूल करने में शर्माती है और क्यों कतराती रही है। यही कारण है कि आज तक 83 हजार करोड़ रुपए में से 50 फीसदी भी वसूली केन्द्र सरकार नहीं कर पाई है।

महोदय, आज हमारी सरकार के पास किसानों को सूखे से निपटने के लिए राहत देने के लिए धन नहीं है, खेत मजदूरों को राहत देने के लिए धन नहीं हैं, गरीबों को राहत देने के लिए धन की कमी है, लेकिन यदि भारत सरकार इन उद्योगपतियों से बैंकों के बकाया कर्जे को वसूल कर ले, तो मैं समझता हूं सरकार के पास गरीबों की सहायता करने के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बैंकों के 83 हजार करोड़ रुपयों को देश के उद्योगपतियों से वसूल करने हेतु कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

महोदय, राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में आज सबसे ज्यादा जरूरत है 'फूड फार वर्क' प्रोग्राम चलाने की, लेकिन जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे भारत सरकार के पास 6 करोड़ टन अन्न का भंडार है। ...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं। इतनी अच्छी बातें माननीय सदस्य बता रहे हैं और इतनी गंभीर व गहन चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी सांसद उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के माननीय सांसदों को सूखे के प्रति कोई चिन्ता नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और कांग्रेस की तरफ से एक भी सांसद का सदन में उपस्थित नहीं होना अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे नेता नहीं हैं, तो हम मंत्री लोग मौजूद हैं और यदि हमारे कोई मंत्री मौजूद नहीं होते हैं, तो विपक्ष वाले शोर करते हैं कि मंत्री मौजूद नहीं हैं। वे यहां उपस्थित नहीं हैं, इस प्रकार से यदि देखा जो, तो सूखे के बारे में बोलने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, इन्होंने यह कहकर कि प्रमुख विपक्षी दल सभा में उपस्थित नहीं है दिल जीत लिया है। मैं उन्हें अपना कर्त्तव्य निर्वहन करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सूखाग्रस्त राज्य की सरकारों ने जितना धन सूखे से निपटने के लिए सहायता के रूप में मांगा है, मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक के अनुसार राज्य सरकारों को देने हतु 3 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। लेकिन जब तक वित्त मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से, सूखे के सवाल पर एक सघन कार्यक्रम प्रमुखता के साथ, प्राथमिकता के साथ नहीं बनेगा और सूखाग्रस्त क्षेत्र की जनता को हर तरह से यह विश्वास दिलाने के लिए कि उनमें किसी तरह की भुखमरी की स्थिति व्याप्त नहीं होगी, बीमारी या किसी और कारणों से उनके ऊपर कोई और मुसीबत बढ़ाने की बात नहीं होगी और इस समस्या को नम्बर वन समस्या समझकर सूखाग्रस्त इलाकों की जनता के लिए सारा कार्यक्रम अपनाया जायेगा, तब तक यह तकलीफ दूर होने वाली नहीं है।

आपको याद होगा कि 1967 में नौ राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकारें बनी थीं। बिहार जैसे राज्य में 1967 में भारी सूखा और अकाल की स्थिति पैदा हुई थी लेकिन तत्कालन सरकार ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, गंभीरता के साथ सूखे का मुकाबला किया, वह सबको याद होगा कि किस तरह से सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर सस्ती दर की दुकानें खोलकर एक भी आदमी को

[श्री सुबोध राय]

भूखा मरने नहीं दिया गया। 'फूड फॉर वर्क प्रोग्राम' के जरिये गांव में तमाम जितने क्षतिग्रस्त बांध थे, उनकी मरम्मत का काम, तालाबों को गहरा करने का काम, सड़कों की मरम्मत करने का काम करने के लिए भूमिहीन मजदूरों को लगाया गया। बिहार राज्य का एक भी खेत मजदूर या भूमिहीन किसान को अपने राज्य से बाहर कमाने के लिए दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज पिर उसी संकल्प, उसकी प्रतिबद्धता की जरूरत है।

हमारे बहुत से मित्र बैठे हैं जो उस सरकार में मंत्री पद संभाल रहे थे। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए यह बात कह रहा हूं कि इसमें कोई पार्टी या कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। इसके लिए स्पष्ट तौर से सरकार को यह कदम उठाने की जरूरत होनी चाहिए। हमारे यहां आपदा प्रबंधन के बारे में एक कमेटी बनाई गई थी। सूखा प्रबंधन के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी चेतावनी देने और कुछ बातें कहने का काम किया था. इसके साथ-साथ अमरीका स्थित ''नैशनल ओशियेनिक एंड एटमासफेरिक एडमिनिस्ट्रेशन'' ने भी भारत सरकार को चेतावनी देते और सूखे की इस भयानक स्थिति से आगाह करने का काम किया था।

आप जानते हैं कि अमरीका जैसे देश में भी सरकार प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये सूखे से निपटने के लिए रखती है। वह अलग कानून बनाकर चलती है लेकिन हमारे यहां सरकार की ऐसी स्थिति है कि जब सिर से पानी ऊपर जाने लगता है तब हम जागने का काम करते हैं। हर तरह की प्राकृतिक आपदा के समय इसी तरह की बातें देखी जाती हैं। यह बात दूर होनी चाहिए। यहां वैकल्पिक फसलें उगाने का सवाल है, ऐसी स्थिति लाने की जरूरत है, जिससे हमारे सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों को राहत मिल सके, गरीबों को राहत मिल सके। हम जानते हैं कि सूखे से सिर्फ किसान ही प्रभावित नहीं हैं बल्कि लाखां बुनकर हैं, खेत मजदूर हैं, हदस्तकार हैं जो विभिन्न कामों को करते हैं, वे भी सूखे के चलते आज परेशान हैं। आज बिजली की कमी है। बिजली मंत्रालय को एन.टी.पी.सी. के इलाके को सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त ढंग से, फौरी तौर पर, प्राथमिकता के स्तर पर उन इलाकों में बिजली की आपूर्ति करने का काम किया जाएगा।

मैं भागलपुर से आता हूं। हमारे यहां 20 प्रतिशत धान की रोपाई हो पाई है जबकि वर्षा के चलते अभी तक करीब-कीब 60 प्रतिशत से ज्यादा धान की रोपाई हो जाया करती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस काम में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को, जल संसाधन मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करके, विद्युत मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करके एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। सूखे के मुकाबले के लिए कोई एक मंत्रालय जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, किसी एक विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। यह भारत सरकार और भारत की तमाम राजनैतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है। हम सबको मिल कर, एक-दूसरे के सहयोग से इस राष्ट्रीय आपदा का मुकाबला करने के लिए जनता का, किसानों का विश्वास लेकर उनको पर्याप्त सहायता देनी चाहिए। यह आज की सबसे बड़ी मांग है। इसलिए इस समय देश में कोई भी ऐसी तैयारी जिससे सौहार्द खत्म होता हो, आपस में भेदभाव पैदा होता हो, वैसी खतरनाक राजनीति, वैसा खतरनाक कोई भी प्रोग्राम नहीं लिया जाना चाहिए। हम खौस तौर से सत्तारूढ़ पार्टी और भाजपा के लोगों से जानना चाहेंगे कि देश के सामने आज क्या प्राथमिकता है। देश के सामने किसानों की मदद करने, सूखे का मुकाबला करने की प्राथमिकता है। वैसी स्थिति में आपको इस बारे में सबसे ज्यादा गंभीरता से, किसी भी विभाजनकारी कामों से अलग होकर पूरे देश को एक साथ ले जाने की गारंटी करनी चाहिए। आज मामले में जो स्थिति है, हम बताना चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर चीनी मिल मालिकों को गन्ना किसानों के एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया देने के लिए कहा गया था लेकिन अपील करते-करते आज बरसों गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। किसानों की हालत इससे बदतर हो रही है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए कठोर कदम उठाकर भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। आज वहां सबसे जबर्दस्त परिस्थिति पैदा हो गई है। हम चाहते हैं कि यह काम पूरा होना चाहिए।

सभापति महोदय: अब श्री उम्मारेड्डी जी की बारी है लेकिन श्री मुलायम सिंह जी को जल्दी जाना है, इसलिए पहले उनको बुलाएंगे।

श्री रामानन्द सिंह: मैं मुलायम सिंह जी के भाषण में बाधा नहीं डालूंगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नियमानुसार जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है, क्या आप उन सबको बोलने के लिए बुलाएंगे। *...(व्यवधान)* हमने परेशानी के बावजूद अनपी यात्रा कैंसिल की है। इसलिए हमारी अपील है कि जिन सदस्यों ने नियम 193 के अंतर्गत बोलने के लिए नोटिस दिया है, उनको बुलाया जाए।

सभापति महोदय: पार्टी का समय निर्धारित है और पार्टी की तरफ से नाम दिए गए हैं।

श्री रामानन्द सिंह: पार्टियां पक्षपात और अन्याय करती हैं लेकिन आप न्याय कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): ये समाजवादी थे, लेकिन किसी तरह से भाजपा में चले गये हैं। ये ठीक कह रहे है कि पार्टियां तानाशाह हो गई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति जी, दुखद संयोग है कि मानसून सत्र में संसद में हमेशा बाढ़ और वर्षा पर चर्चा हुआ करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, मेरी जानकारी है कि मानसून सत्र में संसद की बैठक चल रही हैं, उसमें सूखे की चर्चा करनी पड़ रही है। लगभग पूरा देश भयंकर सूखे की चपेट में है, इतना भयंकर सूखा है कि अफसोस होता है कि इसे दैवी आपदा कहकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती। लोक कल्याणकारी राज्य की संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी। लोक कल्याणकारी राज्य वह होता है, सरकार वह होती है, जो चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, भूकम्प हो, साइक्लोन हो, चाहे उड़ीसा जैसा सुपर साइक्लोन हो, हर तरह की सुविधाएं जनता को देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लोक कल्याणकारी सरकार ऐसी जिम्मेदारी पूरी करती है। लेकिन आज लगभग पूरा देश भयंकर सूखे की चपेट में है। सिंचाई तो दूर देश के कई भागों में पीने के पानी के लिए, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए भी पानी नहीं है। माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं और इसलिए रखी हैं कि गांव से अभी तक इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, अगर कृषि मंत्री, आपका गांव से रिश्ता जुड़ा होता तो आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं, नहीं देते।

कमीशन और समिति बनाने के पक्ष में नहीं हूं। अगर कोई काम न करना हो तो समिति बना दो, कमीशन बैठा दो, सूखा से निबटने के लिए सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई। 2-3 साल में कमीशन व समिति रिपोर्ट देगी, सुविधाएं तत्काल प्राप्त होनी चाहिए। मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मैंने देखा है कमीशन व समिति समय मांगते रहते हैं जिससे बंगला, सारी सरकारी सुविधाएं, लालबत्ती, भत्ता, तनख्वाह मिलें, और कुछ कमीशन भी इसी तरह के होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि काम न करना हो तो उसकी कमेटी बना दो, कमीशन बैठा दो।

आज देश में भुखमरी है, आज पूरी वर्षा भी हो जाये, तब भी खरीफ की फसल लगभग पूरी खत्म है। आज उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, आज हालत यह है। हम आपके सामने यह हालात बता रहे हैं, जो सारे देश के हालात हैं। राजस्थान में लोगों ने अपने जानवरों को छोड़ दिया है, क्योंकि पानी के अभाव में जानवर मर रहे हैं, फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं, चारा नहीं है। भूख के कारण जानवरों को किसान अपने दरवाजे पर मरना पसन्द नहीं कर रहा है। यह हालत है कि वहां पीने का पानी नहीं है। राजस्थान की यह हालत है और यही हालत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। औरंगाबाद और मराठवाड़ा में पीने के पानी के लिए विवाद और आपस में झगड़े हो रहे हैं। म.प्र. की राजधानी भोपाल में जो हमने अखबारों में पढ़ा है, उसके अनुसार हर दूसरे दिन पीने के लिए और नहाने के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है, और तो छोड़ दीजिए, यह आपूर्ति भी हर दूसरे दिन कभी-कभी नहीं हो पाती है। दुखी होकर कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, पंढरपुर के मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने साथ गये थे, भगवान खुश हो जाएंगे, बरसात कराएंगे, दोनों मुख्यमंत्रियों ने स्वीकार किया कि हम सूखे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा निराशाजनक कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। माननीय कांग्रेस के साथियों अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दीजिए कि भगवान पर भरोसा कहकर जनता को सुविधायें देने की जिम्मेदारी से न हटें। हम लोग सरकार में थे, तो हम लोगों ने बाढ़ और सूखा की समस्या को झोला है। ये मुख्य मंत्री भी ध्यान बंटाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों या भाजपा के हों।

बिहार में स्थिति और भी खराब है। लगभग 35 जिले सूखे से प्रभावित हैं और 22 जिलों में नेपाल से जो पानी आता है, उसके कारण बाढ़ आ गई है। बिहार के मंत्रीगण यहां बैठे हुए हैं, सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री बिहार से हैं और इसी इलाके से आते हैं। वहां नेपाल की नदियों का पानी हर साल आता है। हर साल बाढ़ की चपेट में बिहार आता है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण प्रति वर्ष गरीब किसान और मजदूर बर्बाद हो रहे हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): पूर्वांचल में भी वहां का पानी आता है।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप ठीक कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कुशी नहर में बाढ़ आ गई है। हमारे पास खबर आई है कि वहां आठ गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट मे आ गए हैं। आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में 90 प्रतिशत फसल दस दिन पहले ही सूखे और बाढ़ की वजह से खत्म हो गई है। आपने आज का अखबार पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं प्रधान मंत्री जी से मिली थी, उन्होंने जो बताया उन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि नियमानुसार काम करें।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने यह नहीं कहा।

श्री मुलायम सिंह यादव: अभी मैंने अपना भाषण खत्म नहीं किया है। आपकी जब बारी आएगी तब आप सफाई दे देना। कोई अंधा होगा, वह यह कह सकता है। अखबार में आया है, आप पढ़ लेना। उ.प्र. मुख्यमंत्री ने पत्रकार सम्मेलन में कहा है कि प्रधान मंत्री जी ने हमें जो कहा, उतने जिले हमने सूखाग्रस्त घोषित कर दिए हैं और हमसे प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि नियमानुसार काम

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कीजिए, और हम नियमानुसार ही कार्य कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बन गए, उ.प्र. से श्री विनय कटियार जी वहां के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन ये भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नियमानुसार काम करने की बात करते हैं कि जिसे 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होगा तो सूखाग्रस्त घोषित होगा। यह उ.प्र. की हालत है। उ.प्र. का मुख्यमंत्री कितना संवेदनहीन है। ऐसी सरकारों से जनता को राहत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस राज्य से प्रधान मंत्री चुनकर आते हों, यह कहें कि इतने जिलों को घोषित किया है, तब हम उनसे बात करेंगे, इससे ज्यादा और दुखद बात हमारे देश के अंदर नहीं हो सकती। आपको स्वयं पता होगा, बिहार में भी यही स्थिति है और उत्तर प्रदेश में कई जिले, अलीगढ़, देवरिया, गाजीपुर, बुन्देलखंड में रात में स्त्रियां निर्वस्त्र होकर हल चला रही हैं, जिससे इन्द्र देवता प्रसन्न हो जाएं और बारिश हो जाए। इतना ही नहीं तपती हुई जमीन पर और गर्म मिट्टी पर लड़के लोट रहे हैं, अपना शरीर जला रहे हैं, कि किसी तरह से इन्द्र देवता खुश हो जाएं और वर्षा हो जाए। इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक तथा दुखद बात हो सकती है। इसको क्या कहें, क्या कृषि मंत्री जी यह आपके दिमाग में है। मैं दोहराना नहीं चाहता, हमारे दल के नेता श्री जनेश्वर मिश्र जी राज्य सभा में बोल चुके हैं कि इस तरह का अकाल जब आया था, बारिश नहीं हुई थी तो राजा जनक ने खुद हल चलाया था। तब इस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र होने और बच्चों को गर्म मिट्टी में लोटने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इससे पता चलता है कि आज की सरकार कितनी गम्भीर है। पिछले दिनों हमने दो बयान कृषि मंत्री जी के पढ़े हैं।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): इनसे भी कहें कि हल चलाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह हम नहीं कहेंगे। प्रधान मंत्री काफी उम्र के हैं, उनको नहीं कह सकते। माननीय सभापति जी, कृषि मंत्री जी के पिछले दिनों सूखा पर दो बयान समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिले। एक बयान है कि भगवान पर भरोसा करो और इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा करो जिससे इंद्र देव खुश हो जाएं और बरसात हो जाये। यह कृषि मंत्री का पहला बयान है और दूसरा बयान था कि किसानों चिंता मत करो। हमारे देश के सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। गल्ले की कोई कमी नहीं है। क्या कृषि मंत्री को ज्ञान है कि इसी देश के अंदर ऐसे भी अवसर आये हैं जब खत्तियों गल्ला भरा पड़ा था, भंडार अनाज से भरे पड़े रहे और लोग सड़कों पर तड़प-तड़प कर, भूख के कारण मरते रहे? क्या देश के अंदर ऐसे अवसर नहीं आये? क्या कृषि मंत्री को यह पता है कि जितना सरकारी गोदामों में अनाज है, उनके पास भंडारण है, उसमें चालीस फीसदी ऐसा आज है जिनको जानवर भी नहीं खाएंगे और एफसीआई के गेहूं को कोई भी राज्य खरीदने के लिए तैयार नहीं है? इतना संवेदनहीन और लचर सरकार की तरफ से बयान दिया जाये? शरद यादव जी, हमें और आपको अच्छी तरह से पता है कि चौधरी साहब ने कई बार कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान नहीं हूं। मैं वकील हूं। उसके बाद मंत्री हूं और मेरा बेटा वकील का बेटा है, मिनिस्टर का बेटा है, यह किसान का बेटा नहीं है। ऐसे लोगों के हाथों में कभी सत्ता चली गयी तो याद रकना कि जो आज कांग्रेस के राज में हो रहा है, वही मेरा बेटा करेगा। याद करो। हम लोगों के सामने कहा है। सब समाजवादी पार्टी के लोगों के सामने कहा, आम सभा में पूरी जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप में कहा। मुझे फक्र है कि मैं अब भी खेती कराता हूं। हमें गांव जाने का जब भी मौका मिलता है खेतों पर जाता हूं। किस खेत में क्या बोया जाए राय भी देता हूं। हम जानते हैं कि खेती क्या है और खेती कैसे की जाती है? आज खेतिहर मजदूर और किसान पूरी तरह से बर्बाद हैं और ये कहते हैं कि हमारे देश के पास गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। अनाज भरा पड़ा है, तो मैं कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं फिर किसान गरीब क्यों हैं? किसान भूखे क्यों मर रहे हैं? किसान पर कर्जे का बोझ क्यों है? आपके गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं तो उसकी माली हालत अच्छी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसको समय पर उसकी पसल की कीमतन हीं मिलती। गन्ने, आलू और गेहूं का किसान को भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? कहीं-कहीं एक भी किसान को भुगतान नहीं हुआ। यह कह देना कि सरकार के पास पैसा नहीं है, याद रखना कि सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि संसाधन न होने की जिम्मेदारी लेकर जनता की और जनता की सुविधाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकार का काम है कि संसाधन जुटाए और जनता का हर स्तर पर विकास करे और जो सरकार यह काम नहीं कर सकती है, संसाधन नहीं जुटा सकती है, वह सरकार निकम्मी है और नालायक है। हमने सरकार में रहकर काम किया है, इसीलिए मैं कहता हूं। आज ये कहते हैं कि अगला साल आएगा तो वसूली हो जाएगी। अगले साल आएगा तो वसूली हो जाएगी तो फिर क्या फायदा, इकट्ठी वसूली की जाएगी। ब्याज और बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमारा कहना है कि यह सूखाग्रस्त देश नहीं है, हमारी मांग है इसे अकालग्रस्त देश घोषित किया जाये। खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है। आप भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। हम जानते हैं कि फसल खत्म हो गई। कर्जा माफ किया जा सकता है और माफ किया है। शरद यादव जी केन्द्र सरकार में जब मंत्री थे, वादा किया था कि केन्द्र सरकार उसका आधा हिस्सा वहन करेगी। हमने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में 1400 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, प्रति किसान 10 हजार रुपए का कर्जा माफ किया था लेकिन केन्द्र सरकार ने आज तक एक रुपया नहीं दिया जबकि आधा देने का वायदा था। हमारे समय में उ.प्र. सरकार की आर्थिक हालत ठीक

नहीं थी। आपका योजना आयोग है। आप उनसे पूछ सकते हैं? उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छी परफॉरमेंस आर्थिक दृष्टि से 1989-90 में थी जो 1991 तक रही। 1993-94 में उ.प्र. में पुन: मुख्यमंत्री जब मैं बना तब योजना आयोग के सामने जब इस मामले को लेकर आए तो जितना हमने पैसा मांगा उतना उन्होंने स्वीकृत कर दिया। उस समय श्री प्रणव मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। यह रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। आपका यह कहना कि संसाधनों का अभाव है, यह बहाना कर जनता की उपेक्षा करना, मदद न करना और उनकी तरफ ध्यान न देना जिम्मेदारी से हटना है। आपकी जिम्मेदारी संसाधन जुटाने की है। हम इसमें सहयोग करेंगे। आप इसके लिए सब को उत्साहित करिए। इसमें स्वयंसेवी संगठन आपकी मदद करेंगे। हम इसके लिए एक-दो दिन की तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं और वह सबको देनी चाहिए। यह प्रस्ताव यहां पास हो जाएगा तो हम यह देने के लिए तैयार हैं। यह मुसीबत का दौर है। हम सरकार को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं और जनता को हर तरह की सुविधा देने के पक्षधर हैं।

आज देश की क्या हालत है? देश में भुखमरी फैल गई है। छोटा किसान घर में केवल दो-तीन महीने का खाने के लिए अन्न रखता है। छोटा किसान जानता है कि भादो के माह में मक्का, बाजरा आ जाएगा इसी आशा से शादी और कपड़ों आदि के लिए कर्जा लेता है लेकिन आज वह उसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। मजदूर महीने-दो महीने का ही अन्न रखता है। आज वह भी भूख के कगार पर है। सभी जगह भुखमरी फैली है। इसलिए मेरा कहना है कि देश को अकालग्रस्त घोषित किया जाए। 20 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से फसल की हानि कम की बात कह कर बहाना बनाया जाता है लेकिन आज गांव के गांव की फसल खत्म हो गई हैं। क्या लोग यह दुआ करें कि 50 फीसदी से ज्यादा बरबाद हो जाए तब सूखाग्रस्त घोषत करके सुविधा मिलेगी। क्या यह व्यावहारिक बात है? क्या वह यही दुआ और प्रार्थना करें कि सब तरफ अकाल पड़े और पूरा गांव बरबाद हो तब सुविधा मिलेगी, नहीं तो सुविधा नहीं मिलेगी। गांववार, क्षेत्रवार क्या-क्या हो रहा है, इन सब की सूचना रहती है। जिला परिषद के अध्यक्ष इस बारे में सही सब कुछ बता देंगे। गांव का प्रधान सही बता देगा। लेखपाल, तहसीलदार क्या कर रहे हैं और ब्लाक में कितने लोग भूखे हैं, इन सबकी सूचना आपको मिल जाएगी। दारोगा जानता है कि कितने डकैत, कितने कातिल और कितने शरारती तत्व हैं? उन्हें एक-एक बात पता रहती है। कृषि मंत्री जी आप अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। हम लोग आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, सब को बेईमान बताते हैं लेकिन नौकरशाह मौज करते हैं। क्या हम सब बेईमान हैं? कुछ संस्थाओं की नजरों में वे ईमानदार हैं। आपके देश की सीबीआई ईमानदार, नौकरशाही ईमानदार लेकिन राजनीतिज्ञ सब बेईमान। अब जो बिल आ रहा है उसमें शरारती तत्व और अपराधी यदि चाहें तो हम इलैक्शन लड़ नहीं पाएंगे। वे बलात्कार के आरोप लगा कर और दो रिपोर्ट्स लिखवा देंगे। आप ऐसा ही कानून बनाने जा रहे हैं। इससे अपराधी बढ़ेंगे और वे राजनीति में आ जाएंगे। इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि इस लोक सभा में कितने अपराधी हैं? शायद दो-चार कहीं निकल आएं। बता दिया कि सारे के सारे राजनीतिक अपराधी हैं जो ठीक बात नहीं है। हमने पिछले उ.प्र. विधान के चुनाव में एक भी अपराधी को टिकट नहीं दिया और हमें इस बात का फक्र है। शायद दो-चार सीटें हार गए लेकन हमने ऐसे किसी को भी टिकट नहीं दिया। गिल साहब यहां नहीं हैं। उन्होंने तारीफ की कि मुलायम सिंह जी ने इसका पालन किया और एक भी अपराधी को टिकट नहीं दिया। दिल्ली के बगल में ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया और मैं जानता था कि वह जीत जाएगा लेकिन टिकट नहीं। हमें कैसे लोगों से लगातार लड़ना पड़ता है मैं इस बात को नहीं दोहराऊंगा। न जाने-कैसे-कैसे लोगों को टिकट देकर हमारे खिलाफ लड़ाते हैं। कभी किसी भले आदमी को लड़ाकर देखें, तो मेरा सौभाग्य होगा। क्या हमारे खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई भला आदमी नहीं मिला? सोमनाथ बाबू, क्या आप भी उनमें शामिल हैं? हम तो आन्दोलन करने वाले हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आप हमें क्यों पकड़ते हो?

श्री मुलायम सिंह यादव: आपको सुधार रहे हैं, आप सुधर जाइये। सभापति महोदय, हम ऐरा-गैरा बातों में फंसे हुए हैं। कुछ संस्थाओं की दृष्टि में हम सब बेईमान और अपराधी हैं, सरकार द्वारा हम राजनैतिक दलों के खिलाफ इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। इस वजह से हम लोग जनता में बदनाम हो रहे हैं। आप इस बात की व्यावहारिकता सोचिये। कोई अपराधी लोक सभा में नहीं आ सकता। जनता किसी अपराधी को जिताकर नहीं भेज सकती। मुझे विश्वास है कि कभी कोई अपराधी मेरे खिलाफ जीत नहीं पायेगा।

सभापति महोदय, बाढ़ और सूखे का बहुत गंभीर संकट है। जल स्तर नीचे जा रहा है। मैं दो बातें उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री के गृह क्षेत्र लखनऊ और हमारे गृह जनपद इटावा में जल स्तर 20 से 21 प्रतिशत नीचे चला गया है। ये दोनों जिले सूखाग्रस्त घोषित होने से वंचित रह गये जबकि श्री अजित सिंह जी ने अपने लोक सभा क्षेत्र बागपत को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। क्या उनकी इस जिम्मेदारी से इतिश्री हो गई? मेरी मांग है कि न केवल इन जिलों को बल्कि पूरे देश को अकालग्रस्त घोषित किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी: सरकार खुद अकालग्रस्त है।

श्री मुलायम सिंह यादव: सरकार अंदर ही अंदर षडयंत्रग्रस्त है। सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने विभिन्न नेताओं की

[श्री मुलायम सिंह यादव]

दो साल पहले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में सूखे के गंभीर जल संकट पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सभी नेताओं ने एक स्वर में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में 'काम के बदले अनाज' योजना को लागू करने के लिए राय दी थी और दूसरा सुझाव यह था कि इस योजना के अंतर्गत तालाबों की खुदाई की जाये। जब हम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय हमने भी ऐसी योजना बनाई थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दो साल उस निर्णय को लिए हुए हो गये, उन सुझावों का क्या हुआ? सरकार जवाब नहीं दे सकती कि उन दो योजनाओं का क्या हुआ। उन योजनाओं में बाधा क्यों पड़ी, क्या मजबूरी थी? श्री अजित सिंह जी, आप प्रधान मंत्री जी से पूछ लीजियेगा कि उन दो सुझावों पर किस कारण से पालन नहीं किया गया। लखनऊ और इटावा जिलों में जल स्तर 20-21 प्रतिशत नीचे चला जाने के बावजूद सखाग्रस्त घोषित नहीं किया लेकिन अपने क्षेत्र बागपत को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। क्या आप प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि सूची में कौन-कौन से जिले आयेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, जिन जिलों को प्रधानमंत्री जी ने सूखाग्रस्त करने को कहा वही जिले हमने घोषित कर दिये। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में 90 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। स्वयं कृषि मंत्री जी ने 65 जिले स्वीकार किये हैं। यह कितना गलत है या कितना सही है, लेकिन मैंने अखबारों में उनका बयान पढ़ा है कि 65 जिले भयानक सूखे में हैं। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी से पूछिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अभी उप-प्रधान मंत्री जी से पूछना होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव: प्रधान मंत्री जी का एक बयान समाचार-पत्रों में छपा है कि इस देश में नकलची बहुत होते हैं। बुरा मत मानिये। पंडित नेहरू ने कहा था कि छतों के ऊपर मिट्टी ले जाकर उस पर खेती करो। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि छतों पर पानी इकट्ठा करो। छतों पर बरसात का पानी इकट्ठा होता है ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि पानी इकट्ठा कीजिए। गंभीर मामला है, आप पानी इकट्ठा करेंगे। आप कृपा करेंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैसे मैं बोलना तो बहुत चाहता था।

सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार ने देश में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि फसल बीमा योजना लागू कर रखी है। आपने ठीक कहा, लेकिन यह केवल दिखावा भर है, सब प्रदेशों में लागू है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के पास बीमे की प्रीमियम का भुगतान करने के लिए भी पैसा नहीं है। जितने प्रदेशों को मैंने बताया है, जो हमारी जानकारी में आये हैं, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है। ये बातें आपने रखी हैं। यही हालत बिहार की है। कृषि मंत्री जी आपको यदि पता है तो उत्तर देते समय इस संबंध में बतायें। जल संकट के बारे में हम ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री कोफी अनान ने कहा है कि अगला युद्ध पानी के लिए हो सकता है, इसकी आशंका अब बलवती हो चुकी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भयानक सूखा है, पीने के पानी के लिए औरंगाबाद, मराठवाड़ा में इस बात का विवाद खड़ा हो रहा है। रोजाना कभी कावेरी के पानी का विवाद खड़ा होता है, मध्य प्रदेश व गुजरात में नर्मदा के पानी का विवाद खड़ा होता है। हम खुद भी यमुना के पानी को लेकर भुक्तभोगी हैं। यमुना के पानी को लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश यमुना जल बंटवारे के लिए लड़ते हैं। वहां के मुख्य मंत्री लड़ा करते थे और तब श्री विद्या चरण शुक्ल जी इसी यमुना के पानी को लेकर पंचायत करते थे। आज ये विवाद फिर खड़े हो रहे हैं। आप सावधान हो जाइये, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा था, उसकी आशाएं बलवती हो चुकी हैं। आज यह हालत है। जल प्रबंधन का इतना अभाव है।

हिमालय से निकलने वाली पांच नदियां जिसमें सिन्धु नदी प्रमुख है इसके जल के बंटवारे के बारे में हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि सिंधु नदी के जल बंटवारे का एक समझौता 1953 में पाकिस्तान के साथ हुआ है। वह हमारे हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ हुआ है। मेरी मांग है कि भारत सरकार उस पर पुनर्विचार करे। कृषि मंत्री जी आप प्रधान मंत्री जी से बात करके उस पर पुनर्विचार कीजिए और पुनर्विचार करके हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ जो समझौता हुआ है, उस पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके अपने हिस्से का पूरा पानी लीजिए जिससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में पानी और बिजली का संकट दूर हो सकता है। वह पानी पाकिस्तान हमारे हितों के खिलाफ ले रहा है। आपसे गलत समझौता हो गया था, हमने तब भी इसका विरोध किया था और आज भी कह रहे हैं कि बातचीत करके उस पर पुनर्विचार किया जाए। इससे चार राज्यों में बिजली और पानी की समस्या हल हो सकती है।

सभापति महोदय, जल पुरुष राजेन्द्र सिंह, जिसने राजस्थान के एक हिस्से को सूखे से बचाने और उसे हरा-भरा बनाने का काम किया है, उसे एक सफल प्रयोग के तौर पर सरकार को एक सबक लेना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): मैंने इंटरवीन किया है कि मेरे जिले में बुलंदशहर और गौतम बुद्धनगर भी सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: लेकिन श्री राजेन्द्र सिंह के अलीगढ़ के एक सेमिनार में भाषण देते समय वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष ने उन्हें अपमानित किया, उन्हें रासुका के अंतर्गत जेल भेजा

गया। कृषि मंत्री जी का बयान आपके थप्पड़ मारने से कौन सा देश का अहित हो गया, कौन सा देश विरोधी काम हो गया। *...(व्यवधान)*

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में समझौता हो रहा है, कहां रासुका लग रहा है। आप सूखे पर बोलिए। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: सूखे पर ही बता रहा हूं। राजेन्द्र सिंह ने सूखे का मुकाबला किया और आपने जाकर बयान दे दिया कि मारना क्या गलत है और थप्पड़ का पक्ष किया।

श्री अजित सिंह: नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव: क्या किसी जातिवाद से जल संकट दूर हो जाएगा?

श्री अजित सिंह: आप बेबुनियाद आरोप मत लगाइये मुलायम सिंह जी।

श्री मुलायम सिंह यादव: आरोप बिल्कुल सही है। आप क्या धमकी देते हैं मंत्री जी? यह पद का घमंड है क्या?

श्री अजित सिंह: आप धमकी दे रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: हम धमकी नहीं दे रहे हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं। हमने कहा कि कृषि मंत्री जी आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहए। अगर आप चुप रहते तो हम इतने में ही निकल जाते। इतना कहकर निकल जाते, हम बयान का भी जिक्र नहीं करते कि आपने क्या बयान दिया। अखबार उठाकर देखो कि आपने क्या बयान दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: आप अपने अपराधियों की लिस्ट देखिए, हमें कोई बयान देखने की जरूरत नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: गुस्सा है, घमंड है सत्ता का। इनको गुस्सा आता है तो ये मेरा नुकसान कर देंगे। मेरा गुस्सा इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकता इतना अंतर है। आप सत्ता में हैं आप कुछ भी कर सकते हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि थप्पड़ मारने से कहां से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया? राजेन्द्र सिंह जैसे बिजली जल पुरुष *...(व्यवधान)* जल पुरुष कह देना ही काफी है। कम से कम इतना ध्यान आपको रखना चाहिए।

महोदय, अनावृष्टि और जल पर्यावरण असंतुलन भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। बेरोक-टोक पेड़ कट रहे हैं और सरकार ने भी वृक्षारोपण की कई योजनाएं बनाई हैं। वृक्षारोपण के बाद केन्द्र सरकार सामाजिक वानिकी के लिए राज्यों को बहुत बड़ी धनराशि उपलब्ध कराती रही है लेकिन कहीं वृक्षारोपण नहीं हुआ और सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया। अगर उस पैसा का सदुपयोग हो गया होता तो आज हरा-भरा हिन्दुस्तान होता और आज जो संकट है, उससे हम बच सकते थे। इसको कृषि मंत्री जी देखें और उत्तर में बताएं। गुस्से में तो आप उत्तर दे नहीं पाएंगे। मेरी मांग है किसानों से वसूली खत्म कर दी जाये। उनका ब्याज खत्म करो, चाहे किश्तों में खत्म करो। कर्जा माफ करो। मैंने अपने उ.प्र. मुख्यमंत्रित्व काल में किसानों का कर्जा माफ किया था। 1993 में उ.प्र. में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उस वक्त के कांग्रेस के प्रधान मंत्री ने बुनकरों के लिए घोषणा की थी कि 24 करोड़ रुपये हम केन्द्र सरकार से दे देंगे। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से 24 करोड़ रुपये बुनकरों को दे दिये लेकिन दिल्ली की सरकार ने उ.प्र. का आज तक वह रुपया वापस नहीं किया और न उसका ब्याज अदा किया लेकिन आर्थिक विकास में या जनता के विकास में कोई बाधा नहीं आई। विकास पूरा हुआ और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति हमारे मुख्यमंत्रित्व काल में सबसे मजबूत थी। यह मुश्किल काम नहीं है। कृषि मंत्री जी आप गरीब किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कहते हैं कि ये सारे सूबे जिनमें बार-बार संकट आता है तो आप उनको मार्क कीजिए और उनको अकालग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों की ऋण वसूली बंद की जाए, बल्कि ऋण माफ किया जाए। पूरा माफ नहीं कर सकते तो आधा माफ कर दीजिए। ब्याज ही माफ कर दीजिए। एक कानून हमने बनाया था। 1977-78 में जब मैं उ.प्र. में सहकारिता मंत्री था कि सहकारिता में मूलधन से दुगने से ज्यादा ब्याज नहीं वसूल किया जाएगा चाहे दस साल का कर्जा हो या 20 साल का कर्जा हो। यह 1977-78 में किया था और तब चौधरी साहब खुश हो गए और जब मैं किसान के पक्ष में बोल रहा हूं तो चौधरी साहब के बेटे को गुस्सा आता है? बड़ा मुश्किल है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि कृषि मंत्री हमारे नेता का बेटा है इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। *...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: अभी पहले भी जाकर कह आए थे *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने कुछ नहीं किया था। आप मुझे जितनी गाली देते जाओ, उतने ही भाजपा के पिछलग्गू बने रहोगे। आप पिछलग्गू नहीं होते, वहां बैठे होते, हो सकता है वहां बैठे होते, उधर देखो। यह हो सकता था लेकिन आप तो कांग्रेसी संस्कृति पर जल्दी से जल्दी राजीव गांधी बन गए तुरंत। मुश्किल तो यह हो गई। *...(व्यवधान)* मेरे खिलाफ चुनाव लड़ गये। इसलिए बैठ गए भाजपा के पिछलग्गू बनकर, कृषि मंत्री बनकर, *...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: अपने सूखे की बात मत करिए, देश के सूखे की बात करिए। आप सूखे में हैं उसकी बात मत करिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप बोलें तब बता दीजिए। आपको बोलना है। आपसे उम्मीद ही नहीं है कि कुछ कर सकते हैं। इनको हैंडपंप, नहर का पता नहीं रहता है।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तात्कालिक उपाय करते हुए देश को अकालग्रस्त घोषित किया जाए, किसानों के ऋण माफ किए जाएं, उनके बच्चों के स्कूलों की फीस माफ की जाए। नहरों में, नालों में, बांधों में, तालाबों में पानी नहीं है। ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कितना भयंकर सूखा है।

महोदय, किसानों को आलू और गन्ने का भुगतान तत्काल कराएं। बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए कर्जों की भी सरकार बाकायदा क्षतिपूर्ति करे और ब्याज भी माफ किया जाए। रिजर्व बैंक आफ इंडिया नहीं मानती, हम क्या करें, यह बहाना मत बनाईये। पशुओं के चारे व दवा और किसानों की दवा की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। पानी के टैंकरों को रेलवे के माध्यम से जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए रेल मंत्री से बैठक कर के कार्यक्रम तय कर के पानी पहुंचाइए। आप कह रहे हैं कि अनाज गोदामों में भरा पड़ा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपका अनाज जो गोदाम में भरा पड़ा बता रहे हैं, वह 40 प्रतिशत सड़ा हुआ है, उसे राज्य सरकारें खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं, उसे आदमी तो क्या जानवर भी सूंघकर चले जाते हैं, खाने की बात तो दूर रही।

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह आंशिक तौर पर सही हो सकता है। मैं मानता हूं कि एफ.सी.आई. की जो सप्लाई हो रही है उसमें इस प्रकार की थोड़ी बहुत शिकायत जरूर है, लेकिन यह जनरल नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनाज के मामले में एक हिस्सा खराब है और जहां से उसकी शिकायत आती है, उसे तुरन्त दूर किया जाता है, लेकिन अधिकांश जगह ठीक अनाज जा रहा है। इसलिए माननीय सदस्य इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जहां कहीं खराबी है, निश्चित रूप से उसको दूर किया जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव: मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे भंडारणों में जाएं और वहां देखें यदि 40 फीसदी गेहूं सड़ा हुआ है कम हो, तो मुझे बताएं। फतेहाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद आदि में जाकर आप देखिए।

राजीव गंधी, हालांकि अंग्रेजी में बोले, हो सकता है, वह लोगों की समझ में नहीं आया हो, लेकिन उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि एक रुपये में 16 पैसे ही जनता के पास पहुंचते हैं और 84 पैसे बीच में ही खा लिए जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो आप यहां सदन में कह रहे हैं, वह आपने कह दिया, लेकिन आप मौके पर जाइए और वहां जाकर देखिए कि वास्तविकता क्या है और जैसा मैंने कहा है वैसा नहीं होगा, तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में बहुत तरक्की हुई। इसके बावजूद हम मौसम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गए। मौसम विभाग की सारी भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हो रही हैं, लेकिन इसमें मौसम विभाग के वैज्ञानिक दोषी नहीं हैं। हकीकत यह है कि उन्हें भविष्यवाणी करने के लिए जिस प्रकार के उन्नत और परिष्कृत यंत्रों की जरूरत है, जिन सुविधाओं की उन्हें जरूरत है, वे सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं और दोष वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। सूखाग्रस्त राज्यों विशेषरूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा को अकालग्रस्त घोषित किया जाये।

सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और बिजली विभाग, इन तीनों का संबंध सूखे से है और जब तक इन तीनों विभागों को अधिकार नहीं दिए जाएंगे, संसाधन नहीं दिए जाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आज तीनों विभागों के पास कोई संसाधन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हर कार्य के लिए वित्त मंत्रालय के पास जाना पड़ता है। भाषण देने की बात है, तो मंत्री लोग भाषण दे देते हैं। भाषणों से देश के गरीब किसानों को राहत नहीं पहुंचाई जा सकती और देश के सूखे से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। जब तक इन तीनों के पास अधिकार नहीं होगा, जब तक इनके पास संसाधन नहीं होंगे, तब तक देश के गरीब किसानों का भला नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): सभापति महोदय, इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस मुद्दे पर इस सभा में वर्ष में केवल एक बार नहीं बल्कि दो-तीन अवसरों पर बहस होती रही है।

लगभग प्रत्येक वर्ष राष्ट्र की दुर्दशा और गरीब किसानों को परेशानियों पर बहस कमोबेश एक परम्परा बन गई है और इस परम्परा की वजह से राष्ट्र दुखी और गरीब किसान संकट का सामना कर रहे हैं।

पूरे देश के अनेक राज्यों में ये दुखद मौसमी स्थिति बनी रहती है। सूखा एवं बाढ़ से लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है, इससे अनेक व्यक्तियों एवं पशुओं की जानें जा रही हैं। संपत्ति का नुकसान हो रहा है, अनेक लोग बेघर हो रहे हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसके चारा, पेय जल सहित न केवल रोजगार सृजन के अवसरों में कमी अपितु कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है बल्कि अनेक मुद्दों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

मैं अपनी पार्टी टीडीपी की तरफ से अत्यंत चिंता एवं आक्रोश के साथ अपने विचारों को रखना चाहता हूं कि क्या वास्तव में हम इस विशेष सालाना मुद्दे पर चिंतित हैं। मेरा यह नहीं कहना है कि किसी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए हैं; एक के बाद एक उत्तरवर्ती सरकारों ने अपना भरसक प्रयास किया है। यह सबकी चिंता है। लेकिन असली क्या अभी तक सरकार द्वारा उठाए गए कदम उपयुक्त हैं या नहीं, क्या सरकारों द्वारा और बेहतर उपाय किए जाएंगे, और क्या ये उपाय दीर्घकालिक होंगे या अल्पकालिक, असली प्रश्न यह है। ऐसा कहा गया है कि लगातार 14 वर्षों तक यहां सामान्य वर्षा हुई थी, यद्यपि देश के अनेक भागों में अनेकों बार असामान्य स्थितियां आई हैं। देश के अनेक जिलों में बाढ़ एवं सूखे से नुकसान हुआ था लेकिन गत 14 वर्षों में देश में कमोवेश सामान्य वर्षा हुई। मौसम विज्ञानियों और जलवायु विज्ञानियों ने पूर्वानुमान लगाया था कि इस पन्द्रहवें वर्ष भी सामान्य वर्षा होगी और उन्होंने राष्ट्र को सूचना दी है और लोगों ने सोचा था कि इस वर्ष भी अर्थात 15वें वर्ष भी सामान्य वर्षा होगी। अब स्थिति क्या है? आशाओं एवं पूर्वानुमानों के विपरीत देश में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति है। मौसम विज्ञान केन्द्रों द्वारा लगाए गए अनुमानों का क्या हुआ? क्या इसके लिए हम उन वैज्ञानिकों को दोष दें जिन्होंने पूर्वानुमान लगाया है या दोष इस स्थिति का है कि देश के पास इस प्रकार का पूर्वानुमान लगाने हेतु उन्नत प्रणाली एवं उपकरणों का अभाव है? अब, यह सरकार के लिए आत्ममंथन का सवाल है।

यह लोगों की हृदयविदारक समस्या है। अत: हमें इसका गहन विश्लेषण करना होगा। मैं बता सकता हूं कि मेरे राज्य के लोग सूखे से किस तरह परेशान हैं। मैं यह भी बता सकता हूं कि विभिन्न राज्यों के लोग किस प्रकार सूखे की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन विगत की स्थितियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह गत एक शताब्दी या दो शताब्दियों से प्राप्त अनुभव से ही हमें भाषी योजनाओं एवं भविष्य के लिए नीतियां बनाने का अवसर प्राप्त होगा।

महोदय, यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि मौसम विज्ञान के 36 उपमंडलों में से 20 उपमंडलों में रिकार्ड की गई वर्षा कम रही थी। यहां तक कि मौसम विज्ञान विभाग ने शेष 16 उपमंडलों में से 10 उपमंडलों में यह रिकार्ड किया है कि वर्षा के दीर्घकालिक औसत की तुलना में यह अपर्याप्त है। सब मिलाकर देखा जाए तो मौसम विज्ञान के 36 उपमंडलों में से 30 में वर्षा अपर्याप्त रही थी।

कल, माननीय कृषि मंत्री ने पूरी स्थिति का अवलोकन किया और 14 राज्यों के कृषि मंत्रियों और राजस्व मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 524 जिलों में से 320 जिले सूखे की चपेट में हैं। यह एकदम अभूतपूर्व स्थिति है।

महोदय, यदि एक दिन वर्षा न हो तो 10 और जिले सूखे की सूची में जुड़ जाएंगे। ऐसा लगता है कि वर्षा नहीं होगी। यहां तक कि वर्षा का कोई आभास भी नहीं लग रहा है। यदि 10 से 15 दिनों तक इसी प्रकार सूखा रहा तो देश के 90 प्रतिशत जिले सूखा प्रभावित हो जाएंगे और स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाएगी। अत: देश के 14 राज्यों में सूखा है और अनेक राज्यों में वर्षा बहुत कम हुई है। मैंने कुछ आंकड़े एकत्रित किए हैं। यह थोड़ी बहुत कमी नहीं है। पश्चिमी एवं पूर्वी राजस्थान में स्थिति अत्यंत कठिन है। आज की तारीख में यह कमी 63 प्रतिशत है। यह कमी पश्चिमी उत्तर में प्रदेश में 68 प्रतिशत है। हरियाणा और दिल्ली में यह 63 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में 60 प्रतिशत है। उड़ीसा में 30 प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश में यह 39 प्रतिशत है। पांडिचेरी में 34 प्रतिशत है। कर्नाटक में यह कमी 24 और 42 प्रतिशत के बीच है। केरल में 32 प्रतिशत है। गत वर्ष इसी दिन हुई वर्षा की तुलना में इस समय वर्षा की कमी का यही स्तर है। यह समस्या की गंभीरता है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य के अनेकों जिले सूखे की चपेट में हैं।

अपराह्न 3.07 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से 21 जिले सूखे की चपेट में हैं। हरियाणा में आमतौर पर प्रत्येक वर्ष इस समय तक 6.67 लाख हेक्टयर भूमि का धान बाहर भेज दिया जाता था लेकिन अभी तक चार लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की रोपाई भी नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में सूखा पड़ा है। कर्नाटक के लगभग पांच जिले और हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 6 जिले सूखे की चपेट में हैं। तमिलनाडु के 8 डेल्टाई जिले सूखे की चपेट में हैं।

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू]

राजस्थान भयंकर सूखे की चपेट में है और इसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 14 जिलों में भयंकर सूखा है। विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति यही है। अत: इस समय सूखे की इस स्थिति के लिए किसी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। यह प्राकृतिक आपदा है। लेकिन यदि विभिन्न समस्याओं से इसकी तुलना करें तो भूतकाल के अनुभवों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के विश्लेषण के बगैर कोई भावी योजना नहीं बनायी जा सकती।

आपदाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं? क्या हमने पहले की स्थिति पर विचार किया है? अत: आप गत 200 वर्षों के सूखे और प्राकृतिक आपदाओं का विश्लेषण करें। 19वीं शताब्दी में कितनी प्राकृतिक आपदायें आईं? 20वीं शताब्दी में स्थिति क्या है? यदि आप आंकड़े देखें तो ये आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं। इसीलिए प्रत्येक शताब्दी में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

19वीं शताब्दी में अर्थात् 1801 से 1900 तक 20 अत्यंत भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आईं। इसका मतलब यह है कि पांच वर्ष में एक बार प्राकृतिक आपदा आई। इसका मतलब है कि 19वीं शताब्दी में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आईं। 20वीं शताब्दी में यह संख्या बढ़कर 26 हो गई। अत: एक शताब्दी के बाद दूसरी शताब्दी एवं एक दशक के बाद दूसरे दशक में भयंकर प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती रही है। अत: जहां 19वीं शताब्दी में इसकी आवृत्ति पांच वर्ष में एक बार थी वहीं 20वीं शताब्दी में यह चार वर्ष में एक बार हो गई है।

उदाहरण के लिए गत 25 वर्षों, 1975 से 2000 तक की तिमाही शताब्दी को लें। देश में 9 बार भयंकर आपदाएं आईं। ऐसा हिसाब लगाया गया है कि तीन वर्ष में एक बार आपदा आई। अत: यदि आप आंकड़ों का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। इस देश में उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके अवश्य कोई ठोस कारण रहे होंगे जिससे कि देश में सूखे की स्थिति में समय-समय पर वृद्धि होती जा रही है। अनेक वैज्ञानिकों ने ग्लोबल नेटवर्क को चेतावनी दी है। यही कारण है। इससे संबंधित अनेक टिप्पणियां की गई हैं।

मैं 18 मई, 2002 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' से उद्धृत करता हूं:

> "किसी भी निष्कर्ष में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि हाल ही में ग्रह पर हुई बेमौसमी वर्षा और धूप का वायुमण्डल में आमतौर पर होने वाले उतार-चढ़ाव से कोई लेना-देना है और तो और कुछ मौसम विज्ञानी भी ऐसा कहेंगे तो हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे इसके विपरीत इससे कार्बन डाई आक्साइड की गर्मी एवं वातावरण की ग्रीनहाउस गैसों से जलवायु में होने वाले परिवर्तन का पूर्व में पता चल जाता है। इस वर्ष के प्रारम्भ के तीन महीनों में विश्व गत 1000 वर्षों के किसी भी समय से अधिक गर्म रहा...."

यदि गत 2000 वर्षों की तुलना की जाए तो गत तीन महीनों में इस देश में पड़ने वाली यह गर्मी बहुत अधिक थी।

इसके अवश्य ही कोई ठोस कारण होंगे। इसीलिए किसी सरकार द्वारा अल्पकालिक उपाय किए जाने की बजाए क्यों न हम इस बात का गहन विश्लेषण करें। समय-समय पर सूखे की स्थिति क्यों बढ़ती जा रही है और तापमान में वृद्धि क्यों होती जा रही है? इस वर्ष मेरे अपने राज्य में सबसे अधिक 51 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया। पहले कभी भी तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गया। यह इस बात की चेतावनी है कि इस गति से तो 2080 तक विश्व का तापमान चार डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 2080 तक इस देश का तापमान चार डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अत: इस वर्ष मेरे राज्य में यह 51 डिग्री सेल्सियस है तो 70 से 80 वर्षों बाद यह बढ़कर 55 डिग्री सेल्सियस हो जायेगा। जिसमें कोई भी जीवित प्राणि जिन्दा नहीं रह सकेगा। स्थिति यही है। यह इस पर निर्भर करता है कि वायुमंडल में कितनी कार्बन डाईआक्साइड छोड़ी जा रही है।

भयानक तूफानों एवं सूखे के रूप में इसके परिमाण की अपेक्षा इसकी स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना आसान है। यह याद करना अत्यंत भयानक है कि कैसे 1994 में उत्तर भारत में देर तक वर्षा हुई और उसके बाद झुलसाने वाले तापमान से सभी चूहे शहरों की ओर दौड़ने लगे। इससे सूरत में न्यूमोनिया प्लेग फैला जिससे करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई और देश का बहुत नुकसान हुआ। 90 दिनों तक पड़े इस सूखे की इतनी अधिक कीमत चुकानी पड़ी। यहां इस विषय से संबंधित यही कुछ मुद्दे हैं। अत; क्यों न हम भूतकाल का गहन वैज्ञानिक विश्लेषण करें और भावी योजनाएं बनाएं?

ऐसी चेतावनी दी गई है कि स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच करने का समय आ गया है जिससे पर्यावरण में हुए परिवर्तनों का प्रभाव, जैव-विविधता की हानि, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बिना सोचे-समझे प्रयोग, जल निकायों से हो रहे प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी प्रणाली के असंतुलन की जांच हो सकेगी। पर्यावरणीय समस्याओं की वजह से ही ऐसी स्थिति बनी है। इसीलिए हमें इन मुद्दों का गहन विश्लेषण करना होगा। इस वर्ष 23 अक्तूबर से 1 नवम्बर के मध्य भारत में "दि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज टू द यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज" नामक एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमें

बताया गया है कि हम जलवायु परिवर्तन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें लगभग 5,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।

इस सम्मेलन को आयोजित करने से पूर्व हम क्या समग्र विश्लेषण करने जा रहे हैं? एक आयोजक देश के रूप में, जलवायु संबंधी मुद्दों पर इस प्रकार के उच्चस्तरीय सम्मेलन में हम किस प्रकार के वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रस्तुतीकरण करने जा रहे हैं। यदि कोई विश्लेषण किया गया है तो हमें खुशी होगी यदि इस सभा को विश्वास में लिया जाए। यदि वे हमारे साथ इस मुद्दे पर जानकारी बांटते हैं तो हमें खुशी होगी। हमें यह जानकारी मिलेगी कि यह ग्रह किस प्रकार व्यवहार कर रहा है और इस देश को किस प्रकार कष्ट होगा। हमें खुशी होगी यदि माननीय कृषि मंत्री माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से जानकारी लें जो कि इस कार्य में लगे होंगे और इस जानकारी को जो भी इससे संबद्ध हैं उन सभी को चाहे वह कृषक समुदाय हो या कोई अन्य समुदाय, जानकारी दें।

इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस मुद्दे पर प्रत्येक वर्ष सिर्फ चर्चा करने और कुछ अंशकालिक उपाय की मांग करके जो उस समय स्थिति को सुधारने के लिए अनिवार्य हैं, के स्थान पर इस मुद्दे पर एक दीर्घकालीन नीति अधिक उपयोगी और सार्थक होगी विशेषत: 21वीं शताब्दी के इस समय में जहां पूरे विश्व में हम प्रौद्योगिकी क्रांति की चर्चा करते हैं। यदि हम लोगों को पूर्वानुमान बताने और शिक्षित करने में असमर्थता जताएं तो यह वस्तुत: विनाशकारी होगा।

मुझे याद है कि मैंने हाल ही में मीडिया में एक खबर देखी थी कि सरकारें इन पीड़ितों को नहीं बचा सकती और केवल भगवान ही इन पीड़ितों को बचा सकते हैं। यदि सरकारों द्वारा इस प्रकार की असमर्थता व्यक्त की जाती हैं तो हम लोगों के विश्वास को तोड़ देंगे, जो सहायता आप उपलब्ध कराने जा रहे हैं उसकी तो बात ही छोड़िए। उस विश्वास को तोड़ा जा रहा है जब हम कहते हैं कि सरकारें लोगों को नहीं बचा सकती बल्कि केवल भगवान ही लोगों को बचा सकते हैं।

अत्यन्त चिन्ताजनक परिस्थितियां हैं। मैं ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करूंगा। मैं नौवें और दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक वित्त आयोग एक राहत कोष सृजन करता रहा है। जब नौवां वित्त आयोग गठित किया गया तो इसने आपदा राहत कोष बनाया, दसवें वित्त आयोग ने आपदा राहत हेतु राष्ट्रीय कोष उपलब्ध कराया और ग्यारहवें वित्त आयोग ने इसे समाप्त कर दिया और तत्पश्चात् कहा कि एक राष्ट्रीय आपदा-सह-आकस्मिकता निधि होनी चाहिए। चाहे जो निधि हो लोग इस बारे में नहीं सोचते। आप इसे चाहे जिस नाम से भी पुकारें। लेकिन सरकार जो राहत उपलब्ध कराती हैं वह मायने रखती है चाहे वह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 3 : 1 के अनुपात से हो या कुछ और हो। अंतत: लोगों द्वारा सही समय पर ही मात्रा में राहत की अपेक्षा की जाती है।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने के लिए स्थायी आधार पर एक आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की सिफारिश की गयी है। मुझे नहीं पता कि क्या इसकी स्थापना हुई है अथवा नहीं। मुझे इस संबंध में जानकारी लेनी है। मुझे नहीं पता है कि क्या इसने काम करना शुरू किया है या नहीं। यदि इसने कार्य करना शुरू कर दिया है तो स्थायी आधार पर गठित समिति के निष्कर्ष क्या हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति द्वारा कोई विश्लेषण किया जा रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसाकि मैंने कहा पिछली बातें देखें और देखें कि कैसे इसका विश्लेषण किया जाए। विशेषकर इस समिति द्वारा क्या विश्लेषण किया गया है?

राज्य सरकार के आग्रह पर जब भी सूखे की स्थिति होती है तो कई दल भेजे गए हैं। जब भी मांग होती है तो सूखा राहत आकलन दल और मंत्रालयीय दल भेजा जाता है। मंत्रियों का दल भी दौरा करेगा। माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयीय दल गठित किया गया है। लेकिन हम लोग राज्य सरकारों द्वारा आग्रह करने तक प्रतीक्षा क्यों करें? जब हमें यह ज्ञात है कि लगभग 14 राज्यों में सूखे की स्थिति है और वह भी अत्यन्त चिन्ताजनक दर पर, तो क्यों न हम अभी एक दल गठित करें और उन्हें विभिन्न राज्यों में भेजें? हमें समय-समय पर जानकारी क्यों नहीं मिलती? हम हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि जहां तक राहत उपायों की बात है वह राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है और पुनर्वास राज्य सरकारों का विषय है?

सभापति महोदय: श्री वेंकटेस्वरलू, कृपया संक्षेप में बात कहें।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू: महोदय, मैं सिर्फ पांच मिनट का समय लूंगा। मैं यह समझाना चाहता हूं कि हमें किस प्रकार इस मुद्दे का वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए। मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा और न ही मेरा इरादा सभा का समय बर्बाद करने का है।

यहां कई दलों का गठन किया जा रहा है। जब तक राहत वास्तव में उपलब्ध करायी जाती है, इसमें औसतन कितना समय लगता है? जब सूखा पड़ता है तो पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने में कम-से-कम तीन से चार महीने का समय लगता है तत्पश्चात उन्हें

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू]

राहत दी जाती है। जब बाढ़ आती है तो भी ऐसा ही होता है। जब तक बाढ़ आकलन दल विभिन्न राज्यों में जाता है, सूखा वहां आ गया होगा। यह सभी जानते हैं। परिस्थिति ऐसी है और कई अवसरों पर राष्ट्रभर के वैज्ञानिकों और अध्ययन दलों ने भी सुझाव दिया है कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इस सभा में ही पहले जब श्री नीतिश कुमार कृषि मंत्री थे तब उन्होंने इस विषय पर एक वायदा किया था कि केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़-प्रवण जोनिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश को लाया जाएगा। इस संबंध में क्या प्रगति हुई? क्या कोई प्रयास किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): क्या सभी राज्य सहमत हैं?

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू: क्यों नहीं? यदि विभिन्न राज्य सरकारों से कोई चर्चा हुई हैं तो वह कृपया इस सभा में उसे रखें। यदि राज्य सहमत नहीं होते तो हमें भी जानने दीजिए। किस राज्य ने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया है, यह हम भी जाने। कुछ प्रयास होना चाहिए। अब तक इस बाढ़ प्रवण जोनिंग कार्यक्रम को शुरू नहीं किया गया है। यही कारण है कि बाढ़ की स्थिति और खराब होती जा रही है।

दूसरे, राष्ट्रीय आपदा और आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) का गठन ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर 500 करोड़ रु. से किया गया था। वास्तव में इस देश के आकार को देखते हुए और हम जितनी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं उसको देखते हुए यह एक अल्प राशि है। यह कहा गया है कि इसे विभिन्न स्रोतों पर उपकर लगाकर और बढ़ाया जाएगा। इस निधि को बढ़ाने के लिए उपकर पर क्या अधिभार लगाया गया है? जब उड़ीसा और गुजरात में प्राकृतिक आपदा आयी थी और जब सरकार द्वारा अपील की गयी, तो माननीय प्रधानमंत्री और संसद सदस्यों ने भी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक अवसर पर 10 लाख रु. दिए। हमने सहर्ष ऐसा किया।

श्री अर्जुन चरण सेठी: सबने योगदान नहीं दिया।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू: कम से कम, अनेक सदस्यों ने योगदान दिया है। यदि वे आंकड़ा देना चाहते हैं तो कृपया आंकड़े उपलब्ध कराएं और एक बार पुन: अपील करें *...(व्यवधान)* यदि एक अपील की जाती है तो कृपया आगे आएं।

महोदय, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि कुछ खास अवसरों पर 10 लाख रु. का योगदान देने के बजाए चूंकि प्राकृतिक आपदाएं प्रत्येक वर्ष लगभग सभी राज्यों में आती हैं अत: क्यों नहीं सभी सदस्यों द्वारा 10 लाख रु. प्रति वर्ष का योगदान स्थायी तौर पर किया जाए। 2 करोड़ रु. में से उन लोगों को 10 लाख रु. देना, जो दु:खद स्थिति में रह रहे हैं, कोई बड़ी राशि नहीं है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के अध्यक्ष श्री बी.बी. रामैया यहां मेरे साथ हैं। प्रत्येक वर्ष स्थायी तौर पर 10 लाख रु. का योगदान क्यों नहीं किया जाए? *...(व्यवधान)* मेरे विचार से प्रधान मंत्री पहले ही इस राशि को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

सरकार ने पहले एक मॉडल आपदा प्रबंधन अधिनियम लाने की इच्छा व्यक्त की थी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह अधिनियम लेकर आए और पंत समिति की सिफारिशों का क्या हुआ। ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी जांच होनी चाहिए।

अपने राज्य आंध्र प्रदेश की बात करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह लगातार गत 50 वर्षों से सूखे से ग्रस्त है।

महोदय, जब श्री देवगौड़ा भाषण कर रहे थे, उन्होंने उल्लेख किया कि भारत सरकार द्वारा भेदभाव बरता जा रहा है; कुछ राज्यों को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के तहत अधिक खाद्यान्न दिया जा रहा है और कुछ राज्यों को उतनी मात्रा में अनाज नहीं दिया गया है। गत वर्ष आंध्र प्रदेश में 23 जिलों में से 22 जिले गंभीर रूप से सूखाग्रस्त थे। हमने 1,150 करोड़ रु. के राहत के लिए अनुरोध किया। राहत नहीं दी गयी लेकिन भारत सरकार आगे आयी और कहा कि नकद राहत के स्थान पर वे खाद्यान्न देंगे। हमने उसे लिया। नकद राहत के स्थान पर आंध्र प्रदेश सरकार ने 31.5 लाख टन चावल लिए। यह मात्रा एक रिकार्ड है, लेकिन इस खाद्यान्न का उपयोग परिसंपत्तियों के सृजन में किया गया, रोजगार का सृजन हुआ। जिन लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिला उन लोगों के लिए लगभग 35 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन किया गया था और लगभग 5.8 लाख रु. की कीमत की परिसंपत्ति तैयार की गयी। इसका मुख्यत: उपयोग तालाबों से गाद निकालने, जलधारक क्षमता को बढ़ाने में किया गया। गाद निकालने का काम राज्य भर में किया गया।

इस वर्ष, वर्तमान स्थिति यह है कि जून के तीसरे सप्ताह से आज तक कोई वर्षा नहीं हुई है और गंभीर सूखे की स्थिति चल रही है। इससे फसल क्षेत्र में कमी आयी है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है विशेषत: कृषि क्षेत्र में, साथ ही पशुओं के लिए चारे और पेयजल की कमी हो गयी है। मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में 1126 मंडलों में से 929 मंडल सूखाग्रस्त हैं। अधिकांश जलाशय में जलस्तर नीचे गिरा है और कमी आयी है। सिंगापुर में जलस्तर 1706 फुट से घटकर 1717.85 फुट रह गया है। निजाम सागर के जलाशय में पानी का सामान्य स्तर 1405 फुट से घटकर

1370 फुट रह गया है। श्रीराम सागर में जल स्तर 1091 फुट से घटकर 1069 फुट रह गया है। तुंगभद्रा में जल स्तर 1633 फुट से घटकर 1602 फुट रह गया है। जुराला में यह 1045 फुट से कम होकर 1034 फुट हो गया है। श्रीसायलम में 855 फुट से घटकर 783 फुट हो गया है। नागार्जुन सागर में 590 फुट से घटकर 503 फुट रह गया है। सोमाशीला में 330 फुट से घटकर 275 फुट रह गया है। कांडलेरू में जल स्तर 278 फुट से घटकर 205 फुट रह गया है। राज्य में कुल 9 जलाशय हैं और इन सभी नौ जलाशयों में जल संग्रहण क्षमता में कमी आयी है।

महोदय, कुल फसल का क्षेत्र 81.80 लाक हेक्टेयर है। इसमें से केवल 22.07 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में ही खेती हुई है। इसका आशय है कि केवल 26 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में ही फसलें बोई गई हैं। इसमें से भी 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र की फसल सूख गई है यह बहुत विचित्र स्थिति है। आंध्र प्रदेश जिसे पंजाब और हरियाणा की तरह देश का अन्न भंडार वाला राज्य कहा जाता है में जैसी दयनीय स्थिति व्याप्त हो गयी है। जहां तक मोटे अनाजों का सवाल है कुल 9.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इनकी खेती की जाती है लेकिन आज मोटे अनाजों के लिए केवल 5.21 लाख कृषि क्षेत्र का उपयोग किया जा सका है। दालों के लिए 8.66 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र का उपयोग किया जाता है लेकिन आज केवल 4.43 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में ही दालें बोई गयी हैं। तिलहनों के उत्पादन में भी काफी कमी आयी है, कुल 21.55 लाख हेक्टेयर में से केवल 4.25 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में ही तिलहन का उत्पादन किया जा रहा है। गैर तिलहन फसलों के लिए कुल क्षेत्र 52.54 लाख हेक्टेयर है लेकिन अभी केवल 30 प्रतिशत कृषि क्षेत्र यानी 17.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही इनकी खेती की गई है। बोई गयी कुल फसलों के क्षेत्र में कमी आई है और यह एक विचित्र स्थित है।

अंत में पेयजल आपूर्ति की हालत भी काफी खराब है।

आज स्थिति ऐसी है कि हम राज्य के अधिकांश गांव में वाहनों के द्वारा पेयजल का परिवहन कर रहे हैं। कोई भी राज्य सरकार या कोई व्यक्ति गांवों में ट्रकों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की स्थिति कब तक रख सकता है?

महोदय, चारा और बीज की बहुत कमी है और रोजगार सृजन की भी बात की जा रही है। इस साल हमारी सरकार ने वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए 960 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का अनुरोध किया है। इस धनराशि में से कृषि क्षेत्र को 550 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी; गांवों और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए 350 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी; चारे और बीज के लिए 60.9 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी और 1 करोड़ टन चावल की भी जरूरत पड़ेगी।

महोदय, निष्कर्ष में मैं इस सम्मानीय सभा से यह अनुरोध करूंगा कि राज्य की वर्तमान स्थिति काफी खराब है। अधिकांश राज्यों में फसल बीमा योजना चालू नहीं है। चूंकि इस योजना में केन्द्र और राज्यों दोनों का योगदान होना है, अत: इस योजना की स्थिति काफी खराब है। श्री देवेगौड़ा और श्री मुलायम सिंह ने यह प्रस्ताव किया है कि किसानों का ऋण माफ कर देना चाहिए। यदि अधिकांश राज्य चार-पांच साल तक लगातार सूखे की चपेट में रहते हैं तो किसान अपने ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में कैसे होंगे? कुल सभी क्षेत्रों के कुल गैर-निष्पादक आस्तियों की तुलना में कृषि क्षेत्र के एन.पी.ए. की प्रतिशतता नगण्य है। अत: राहत दिये जाने के लिए कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी केन्द्र सरकार द्वारा राहत के लिए जो राशि दी जा रही है वह कुल मांग की पांच प्रतिशत भी नहीं है।

महोदय, वर्ष 1996-97 में कुल 896 करोड़ रुपये की मांग की गयी थी और केन्द्र सरकार द्वारा केवल 142 करोड़ रुपये ही दिया गया। वर्ष 1997-98 में 1159 करोड़ रुपये की मांग थी लेकिन केवल 42 करोड़ रुपये ही दिया गया। वर्ष 1998-99 में 600 करोड़ रुपये की मांग की गयी थी लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा 265 करोड़ रुपये ही दिये गये। अत: इन तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा कुल मांग का 5 प्रतिशत भी राहत के लिए नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति से उत्पन्न जन विपदा से निपटने में रज्यों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें दीर्घावधि राहत राशि देने पर सरकार को विचार करना है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): माननीय सभापति महोदय, आज हम इस सदन में पूरे देश में आए गंभीर संकट पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, भारत देश की जो परंपरा है, इस देश का जो इतिहास है, इस देश के इतिहास में किसानों को ऐसा स्थान दिया गया है और किसानों को केन्द्रबिन्दु मानकर, जैसे किसान हमारे लिए सब कुछ है, ऐसा सोचकर हमने कई कहावतें इस देश में बनाई हैं। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि मेरा भारत महान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था—जय जवान, जय किसान। उसके बाद एक नारा आया कि किसान बचेगा तो देश बचेगा। मुझे लगता है कि यह नारा हम गलत दे गए। देश बच गया लेकिन किसान मर गया। जो भी किसानों का नेता होता है, वह बड़ा भाषण देता है और एक वाक्य जरूर बोलता है, वहां का मुख्य मंत्री भी बोलता है कि हमारा भारत देश किसानों का देश है। यह वाक्य जरूर भाषण में आएगा। मैं समझता था कि यह देश किसानों का देश है, यह जो हमारा वाक्य है, यह वाक्य गलत है। यह देश किसानों का देश था।

[श्री सुबोध मोहिते]

महोदय, यदि आज की सूचना का अनैलेसिस कर के देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह वाकई असत्य है। यह देश किसानों का देश इसलिए नहीं है क्योंकि डेढ़ सौ साल पहले जब अंग्रेज आए थे, तब यह देश किसानों का देश था। उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। विश्व में भारत की मिट्टी सबसे उपजाऊ थी। इस देश का पानी नियमित बारिश होने से दुनियां का सबसे अच्छा पानी था। इस देश में यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले सबसे अच्छे चारों मौसम होते थे और उनमें नियमितता थी। जैसे यूरेपियन कंट्रीज में यदि आज सूरज निकला है, तो कल निकलेगा, यह निश्चित नहीं था, लेकिन भारत में यदि आज सूरज निकला है, तो कल भी निकलेगा और परसों भी निकलेगा, यह लगभग निश्चित होता था क्योंकि जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से निरन्तर सूरज निकल रहा है। इसलिए इस देश का किसान उस समय सुखी और समृद्ध था।

महोदय, हमारे देश के किसान की दुर्दशा कब से हुई और कौन कर रहा है, यदि इसको देखें तो आपको पुराना इतिहास पढ़ना होगा। मैंने पिछले डेढ़ सौ साल के इतिहास को धीरे-धीरे पढ़ने की कोशिश की है, एक-एक कानून का अध्ययन करने की कोशिश की है। जब इस देश में अंग्रेज अए, तो उन्होंने देखा कि यहां का किसान बहुत मजबूत है। उसने सोचा कि यहां के किसान को कमजोर कैसे किया जाए। इसके लिए उसने लगान का कानून बनाया। लगान नाम से एक पिक्चर भी आ चुकी है। 1760 में अंग्रेजों ने लगान का कानून बनाया और उसके अनुसार यह लागू किया गया कि इस देश के किसान अपने खेतों में जो भी उगाएंगे उसका 50 प्रतिशत हिस्सा लगान के रूप में सरकार को देना पड़ेगा। अगर कोई किसान 50 प्रतिशत लगान नहीं देता है, तो उस गुलाम किसान का मकान जब्त कर लिया जाता था, पशु एवं अन्य संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। इतना ही नहीं यदि कोई आन्दोलन करता था तो उसे गोली भी मार दी जाती थी।

महोदय, इसके बाद लैंड एक्वीजीशन एक्ट 103 साल पहले अंग्रेजों ने किसानों को बर्बाद करने की दृष्टि से लागू किया। यह सत्य है कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट उस समय इसलिए लाया गया था क्योंकि इस देश के हजारों किसान अपनी जमीन को अपनी मां समझते थे और उसे बेचना अपनी मां को बेचना समझते थे। इसलिए जमीन को नहीं बेचते थे। देश की मिट्टी और किसानों के बीच प्यार का गहरा रिश्ता था। कोई भी किसान अपनी लैंड को बेचना नहीं चाहता था। इसलिए अंग्रेजों ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट लाया कि जब-जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी तब-तब इस एक्ट के तहत किसानों की जमीन सरकार ले लेगी। इस प्रकार से पहले लगान का और फिर लैंड एक्वीजीशन एक्ट लाए गए। इनके बाद इंडियन फारेस्ट एक्ट आया। आज सबेरे ही एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इंडियन फारेस्ट एक्ट के कारण उनके यहां की एक परियोजना 20 सालों से पूरी नहीं हो पाई। इस प्रकार से 1760 और 1870 के वे कायदे कानून आज भी हमारे संविधान के अनुसार हम इम्पलीमेंट कर रहे हैं। फिर भी हम बोलते हैं कि यह देश कृषि प्रधान देश है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह देश अब कृषि प्रधान देश नहीं रहा। यह देश कृषि प्रधान देश तब था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई। उस समय केवल एक ईस्ट इंडिया कम्पनी थी, लेकिन आज कम से कम 4000 मल्टी नैशनल कंपनियां इस देश में काम कर रही हैं। तब हम कैसे मानें कि यह देश कृषि प्रधान देश है। गुलामी के समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी और आजादी के बाद अब देश में 4000 कंपनियां हैं। किसान कहां जाएगा और हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है।

महोदय, हमारे देश में ऐसे-ऐसे स्कैम हुए जो दुनिया के किसी देश में नहीं हुए। यदि मैं उन स्कैमों के बारे में बोलना शुरू करूं, तो यह मूल विषय से हटने वाली बात हो जाएगी, लेकिन यह बात सही है कि रिश्वत लेकर देश बेचा जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा शेयर घोटाला यदि कहीं हुआ है, तो वह भारत है। विश्व में टैलीकाम का अगर सबसे बड़ा घोटाला कहीं हुआ है, तो वह हिन्दुस्तान है। किसानों का यूरिया घोटाला यदि विश्व में सबसे पड़ा कहीं हुआ है, तो वह हिन्दुस्तान है। इतना ही नहीं विश्व का चारा घोटाला भी यदि कहीं हुआ है तो वह हिन्दुस्तान में ही हुआ है। किसानों का क्या हमने तो जानवरों का भी हक छीन लिया है। किसानों की बात करना तो दूर रहा, जब हम जानवरों का चारा भी छीन सकते हैं तो फिर किसानों का हक रखने और किसानों की बात करने का हमारा मोरल राइट क्या है? इसलिए मैं समझता हूं कि इस चर्चा से कोई हल नहीं निकलने वाला है।

अब डब्ल्यू.टी.ओ. का एग्रीमैंट है। वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन का हमारा कमिटमैंट है और उससे हम दबे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस ब्रॉड कंडीशन में, मंत्री जी डब्ल्यू.टी.ओ. को रिव्यू करके यह कम्पलशन निकालें। अगर कंडीशन में एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन में कम्पलशन आ गया तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत कठिन हो जायेगा। किसान की हालत बहुत बुरी हो गई है। वह सरकार से पूछ रहे हैं कि मैं इस देश का किसान हूं। आप मुझे महत्व देते हैं लेकिन मैं जीऊं या मऊं, यह सवाल हमसे किसान कर रहा है। उसका जवाब देने का उत्तरदायित्व माननीय सदस्यों पर है जो यहां बैठे हैं। देश का किसान उनसे एक ही सवाल कर रहा है कि आप हमारे पब्लिक रिप्रैजेंटेटिव हैं, मैं जीऊं या मऊं, इसका फैसला तुम रिप्रैजेंटेटिव को ही करना है। मुझे लगता है कि इस बात का जवाब देने के लिए ही यह बैठक बुलाई गई है।

मैं आपका ध्यान 21 जुलाई की "इकानोमिक टाइम्स" की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें सीधा-सीधा बताया गया है कि हिन्दुस्तान के मौसम विभाग के हिसाब से 36 डिवीजन्स हैं जिनमें से 20 डिवीजन में डेफीशियेंट रेनफॉल हुआ है। इसका मतलब यह है कि जितना होना चाहिए था, उससे कम हुआ है। 10 जगह नार्मल हुआ है यानी वह भी सरप्लस से कम हुआ है। और छः जगह एक्सेस हुआ है। इसका मतलब यह है कि 36 में से 26 जगह रेनफॉल एवरेज नहीं हुआ। इसका मतलब इस देश में 60 परसेट सूखा है, 50 परसेंट से ज्यादा सूखा है। मैं समझ सकता हूं कि 60 परसेंट सूखा इस देश में हो, जो कि सरकारी फिगर बता रही है, उस देश के किसान की हालत क्या होगी? कितनी भयावह स्थिति इस देश के किसान पर आई होगी?

यह बड़े मजे की बात है कि अक्तूबर महीना जब आता है तब दूसरे बुधवार को हम "इंटरनैशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन" मनाते हैं। ...*(व्यवधान)* अभी तीन मिनट ही हुए हैं।

सभापति महोदयः आपको बोलते हुए आठ मिनट हो गये हैं।

सभापति महोदयः लिस्ट में जो टाइम एलाटिड है, माननीय सदस्य को उसी के हिसाब से बुलाया जा रहा है। इसमें किसी माननीय सदस्य को संशय नहीं होना चाहिए। सभी पार्टियों का टाइम एलाटिड है, उसी के अनुसार सबको टाइम मिल रहा है।

...(व्यवधान)

श्री सुबोध मोहितेः इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन पर हम प्रतीज्ञा करते हैं कि दो अक्तूबर को, सरकार चाहे कोई भी हो, आने वाली नेचुरल कैलामिटी को हम पूरी तरह से रोक पायेंगे। यह प्रतीज्ञा हर साल अक्तूबर महीने में हम करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रतीज्ञा पेपर पर रही है क्योंकि आज हम सिचुएशन देख रहे हैं कि ड्राउट डिकलाइंड सिचुएशन में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। सूखे की समस्या जानी-मानी समस्या है। ऐसा नहीं कि यह समस्या अभी आ गयी। यह तो हर साल आने वाली है। इनकी भयानकता क्या है, यह सबको मालूम है। इसमें कौन बर्बाद होता है। इससे सबसे ज्यादा परेशान किसान होता है, यह सबको मालूम है। यह मालूम होते हुए भी हमें हर साल पार्लियामैंट में ड्राउट पर डिसक्शन करने के लिए आना पड़ता है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमें मालूम है कि सूखे की समस्या आने वाली है, तो उस समस्या पर हम कैसे काबू पा सकेंगे, जो ड्राउट अफैक्टिड किसान हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके लिए श्रद्धांजलि दे सकेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल एक वैलिड प्वाइंट बताना चाहूंगा जिसके बारे में श्री वेंकटेश्वरलू जी ने कहा है ग्लोबल वार्मिंग का डाटा उन्होंने कोट किया है। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि वह प्वाइंट सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया है कि 2018 में ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से इस देश के तापमान 4 डिग्री सेन्टीग्रेट तक जायेगा। मतलब 54 डिग्री सैंटीग्रेड हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक डिग्री सैंटीग्रेड कितना होता है। मैं सूखे को नैचुरल कैलेमिटी नहीं मानता क्योंकि मैं बहुत ऐनालिटिकल आदमी हूं। यह नैचुरल आपदा नहीं है, यह हमारे द्वारा बनाई हुई आपदा है क्योकि मेरे ख्याल से सूखा एक रीजन से आता है और वह ग्लोबल वार्मिंग है। तीनों रीजन्स हमारे हाथ में हैं जिसमें से ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हमारे हाथ में नहीं है, लेकन मौसम विभाग का जो इनऐडीक्वेट प्रैडिक्शन है, जैसे एक माननीय सदस्य ने बताया, जब मौसम विभाग बताता है कि अभी बारिश आने वाली है तब दस दिन बाद बारिश आती है, जब वह बताता है कि सनशाइन होने वाला है तो बारिश आ जाती है। केन्द्र सरकार हजार-करोड़ों रुपये हर साल वाटर हारवैस्टिंग पर खर्च करती है लेकिन किसानों को किसी प्रकार का रिलीफ नहीं दे पा ही है। आज भी मुम्बई में देखिए, समुद्र में पूरा पानी है लेकिन किसानों को पीने और खेती के लिए पानी नहीं दे सकते।

मंत्री जी ने कल एक मीटिंग ली। मैं उनको ऐमबैरेस नहीं करना चाहता, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनको कुछ बोलूं। मैंने अखबरों में पढ़ा कि मंत्री जी ने 10-11 राज्यों की मीटिंग ली जिसमें उन्होंने तीन ऐश्योरैंसेज दिए—पहला ऐश्योरेंस है कि इंश्योरैंस की डेट बढ़ाई जाएगी, दूसरा, कर्जे की डेट बढ़ाई जाएगी और तीसरा, कुछ सब्सिडी दी है। मैं समझता हूं कि यह कोई रिलीफ नहीं है। किसानों के लिए कर्जे की जो डेट बढ़ाई गई, उसे रिलीफ नहीं कह सकते क्योंकि कर्जा तो उन्हें देना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आधा ट्राउट खत्म हो गया, पूरी जुलाई खत्म होने वाली है, 24 जुलाई को मीटिंग करना, मुझे लगता है कि हम बहुत लेट हो गए हैं। आधी बारिश होने के बाद हम मीटिंग ले रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रौब्लम बॉटम में है और हम इलाज टॉप में कर रहे हैं। सूखे की स्थिति गांव में है और हम मीटिंग दिल्ली में कर रहे हैं, चीफ सैक्रेटरी और मुख्य मंत्री यहां आ रहे हैं। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि टॉप से बॉटम जाने की बजाए बॉटम से टॉप में जाइए। मुझे लगता है कि मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले कहा, जब आपको पता है कि ड्राउट आने वाला है तब स्टैंडर्ड पैकेज क्यों नहीं बनाते। ठीक है, आज हम ड्राउट के बारे में यहां डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन अगले साल आने वाले ड्राउट की डिग्री क्या होगी, टाइप क्या होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री सुबोध मोहितेः मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

मीटिंग करने के बजाए ड्राउट के जीरो डेट से इम्प्लीमैंटेशन का स्टैंडर्ड पैकेज बनाया जाए ताकि आने वाले सालों में मीटिंग लेने की जरूरत नहीं पड़े। यह मेरे आज के भाषण की थीम है।

मैं रामटेक संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि मेरा सबसे बैकवर्ड क्षेत्र है। मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरे एक ही क्षेत्र में 900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। संतरे की क्रॉप जिसे कैश क्रॉप कहते हैं, 90 लाख पेड़ों का नुकसान हुआ है। श्री मुत्तेमवार मेरे पड़ोसी हैं, ये जानते हैं कि एक कौन्सटीटूएंसी में 900 करोड़ का नुकसान, पेपर बता रहा है। वहां कोई भी ई.जी.एस. का काम नहीं चल रहा है। पीने के लिए पानी नहीं है लेकिन पीने के लिए शराब जरूर मिल रही है। विदर्भ को बैकवर्ड एरिया बोलते हैं, वहां का पैसा तक डायवर्ट किया गया है। सरकार के पास समय नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके सामने सच्चाई रख रहा हूं। जब सूखा पड़ रहा था तब हमारी सरकार मिनिस्ट्री के एक्सपैंशन में लगी हुई थी। जहां ड्राउट की चर्चा होनी चाहिए थी वहां इंदौर और बंगलौर में एम.एल.एज. की मीटिंग चल ही थी। अगर यह सिचुएशन रही तो मुझे लगता है कि किसान किस की तरफ देखे। जो मंत्री कैबिनेट में हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, वही बोल रहे हैं कि पैसा मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

क्यों? आप निर्णय लेने वाले हैं और आपको निर्णय लेना है। पब्लिक को बोल रहे हैं कि पैसा मिलना चाहिए। आप निर्णय लेने वाले हैं और आप सर्वोच्च अधिकारी हैं।

[हिन्दी]

यह बोलने के बाद पब्लिक को जो गुमराह किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को सूचना देना चाहता हूं, मेरी और मुत्तेमवार जी की कौन्सटीटूएंसी में आज तक ड्राउट के लिए किसी प्रकार का सर्वे नहीं किया गया। मैंने आज ही कलैक्टर से बात की है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अभी 55 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। सब अपने-अपने दलों के आवंटित समय में बोलें।

...(व्यवधान)

श्री सुबोध मोहितेः पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने बताया है कि संतरे को झाड़ को मुआवजा नहीं देंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मोहिते जी, बोलने वालों की लम्बी सूची है, सभी माननीय सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सुबोध मोहितेः इसलिए माननीय मंत्री जी को वहां जाना चाहिए और मेरी लास्ट रिक्वैस्ट है कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट को इण्टरवीन करके डायरैक्ट रिलीफ किसानों को दी जाये, इस विनती के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राम सजीवन (बांदा): अधिष्ठाता महोदय, हमारे देश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। देश के अधिकांश भाग सूखे की चपेट में हैं और सूखे की समस्या पर आज हमारी यह चर्चा चल रही है। मुझे तो विगत 35 वर्षों तक इस तरह विधान सभा से लेकर लोक सभा तक में सूखे की समस्या पर कई-कई बार चर्चा सुनने का अवसर मिला है।

यह चर्चा होती है, बड़ी गम्भीरता से होती है, सारे लोग एकमत होकर सूखे का मुकाबला करने के लिए राय व्यक्त करते हैं। इस पर कुछ निर्णय होते हैं और वे निर्णय कुछ ही दिनों बाद पानी के बुलबुले की तरह गायब हो जाते हैं, यह एक बड़ी भारी विडम्बना है। इसका मुख्य कारण यह है कि खेती किसानी, गांव, गरीब की ओर से जब कभी भी एक हल्की आवाज उठती है तो वह कुछ दिन रहती है, फिर वह भी गायब हो जाती है। एक बार नारा उठा था—चलो गांव की ओर, आज उस नारे का क्या हुआ? गांव की ओर चलने का तात्पर्य ही यह था कि खेती, किसानी, गांव और गरीब की समस्याओं पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाये, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इसका नतीजा यह है कि समस्याएं लगातार यदा-कदा इसी तरह गम्भीर होती रहती हैं और गांव, गरीब, किसान, मजदूर तबाह होते रहते हैं।

बहुत सी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनी हैं, लेकिन यह स्थिति न होती, यदि पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे जिस पार्टी की रही हों, यदि उन्होंने गम्भीरता से इन समस्याओं की ओर ध्यान दिया होता तो जल सिंचाई की योजनाएं 10, 15 और 20 साल से लम्बित हैं, वे पूरी हो गई होतीं। लेकिन विडम्बना यह है कि उनका खर्च बढ़ता जाता है लेकिन योजनाएं पूरी नहीं होतीं तो सूखे का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। सूखे का मुकाबला करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ होकर हमें सभी दलों को, खासकर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, दाल और मक्का आदि की खरीफ की सारी फसल बर्बाद हो गई। धान की भी खेती काफी बर्बाद हुई है। अन्य जगहों में अन्य किस्म की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों की भरपाई कोई भी सरकार करेगी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन तत्काल रिलीफ मैजर्स उठाये जाने चाहिए, रिलीफ मैजर्स में राहत कार्य तत्काल शुरू करने चाहिए। अभी भी हम लोग आशा लगाये हैं कि 2-4 या 10 दिन में शायद वर्षा हो जाये तो रबी की फसल में हो सकता है कि हम लोगों को

राहत मिले। लेकिन जिस प्रकार से मौसम का रुख दिखाई पड़ता है, 2-4 रोज तो नजर नहीं आता कि वर्षा होगी, इसलिए यह आशंका बनती है कि भयंकर अकाल की स्थिति पैदा होने वाली है और इसीलिए जब माननीय सदस्यगण मांग करते हैं कि जितने जिले सूखे से अत्यधिक प्रभावित हैं, उनको अकालग्रस्त घोषित किया जाये।

अपराह्न 4.00 बजे

अकालग्रस्त घोषित होने के बाद ही आप राजस्व माफ कर सकते हैं। कानून भी ऐसे बने हुए हैं कि अगर 50 प्रतिशत नुकसान होता है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की खबर जब तक नहीं आती, तब तक आप लगान और राजस्व माफ नहीं करते। किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

श्री रामानन्द सिंह: सूखा नहीं भयंकर अकाल है देश में और इसके लिए केन्द्र सरकार को भी प्रयास करना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी करना पड़ेगा।

सभापति महोदय: बीच में न बोलें। राम सजीवन जी आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री राम सजीवन: आपका क्षेत्र और मेरा क्षेत्र जो बुंदेलखंड है, वह सर्वाधिक पीड़ित है इसलिए हमें और आपको सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है।

श्री रामानन्द सिंह: आपके जिले से ही मेरा जिला लगा हुआ है। आपकी सरकार ने तो सूखाग्रस्त घोषित कर दिया, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार को भी कहें कि वह भी करे।

श्री राम सजीवन: आपकी मदद आपकी सरकार कर रही है, वह यहां बैठी हुई है और आप हमसे मदद मांग रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रामानन्द जी, आपको जब समय मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

श्री राम सजीवन: उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वप्रथम राज्य के 26 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया। अन्य सरकारें तो बाद में ऐसा कर रही हैं। उसके बाद हमारी प्रदेश सरकार ने अन्य जिलों से जो रिपोर्ट मिल रही है, उस पर भी विचार कर रही हैं। सूखाग्रस्त जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जो कानून बना है, उसकी खामियों की ओर देखें। चाहे कोई भी सरकार हो, यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस जिले से 50 प्रतिशत सूखा होने की रिपोर्ट आए वहां का राजस्व और लगान माफ हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगले साल ब्याज की वसूली होती है। इसलिए 75 प्रतिशत नुकसान होने के बजाय 50 प्रतिशत का प्रावधान होना चाहिए और किसानों का ब्याज, कर्जा और लगान माफ होना चाहिए। इस तरह का कानून बनना चाहिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।

श्री राम सजीवन: मैंने 35 सालों में विभिन्न सरकारों को देखा है, किसी भी सरकार ने इसमें परिवर्तन नहीं किया। मुझे विश्वास है कि आज भी कोई सरकार इस कानून में परिवर्तन नहीं करेगी। यदि आप में और हममें हिम्मत है तो हमें यह व्यवस्था सरकार से करानी चाहिए कि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर किसानों का ब्याज और कर्जा माफ कर दिया जाए। अगर हिम्मत है तो सब लोग यह बात सरकार को कहें। यहां से एक प्रस्ताव पास हो, फिर देखिए सरकार कैसे नहीं झुकती है। लेकिन हम सब डरते हैं कि अगर ऐसा किया तो पता नहीं पार्टी टिकट देगी या नहीं और देगी तो कहीं चुनाव न हार जाएं।

श्री रामानन्द सिंह: हम नहीं डरते हैं, हमें टिकट कटने का कोई भय नहीं है। हम तो खरी-खरी बात कहने वालों में से हैं और किसानों के हित की बात करते हैं।

श्री राम सजीवन: मैंने यह प्रस्ताव यहां रखा है, पूरा सदन अगर सहमत है तो पास करे और अभी कहे।

सभापति महोदय: सरकार आपके बिंदुओं को नोट कर रही है।

श्री राम सजीवन: 'फूड फार वर्क' दिया जाता है। इससे मजदूरों को और गरीबों को काम मिलता है। लेकिन इस बारे में हमारा अनुभव है कि यह 'फूड फार वर्क' सूखे पीड़ित इलाकों में तालाबों को गहरा करने के लिए दिया जाता है। 'फूड फार वर्क' में यह शर्त है कि वह अन्य काम होगा, यह सही है, लेकिन तालाब गहरा करने में यह शर्त कि केवल मजदूरों से काम होगा, यदि 15-20 बीघे का तालाब है तो कितने भी मजदूर लगा दिए जाएं, उसमें भरने लायक गहराई पैदा नहीं हो सकती इसलिए इसमें छूट होनी चाहिए। सूखा राहत कार्यों में जो भी खंड की व्यवस्था की जाये और तालाबों की खुदाई की जाये, उसमें ट्रकों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जानी चाहिए जिससे जल्दी-जल्दी उनको गहरा किया जा सके। आप सड़कें बनाइए, मजदूरी दीजिए। श्रम दिवस कराइए, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है लेकिन तालाब गहरा करना है, सूखे से निपटना है, उसके लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। अजीत सिंह जी से निवेदन करना पड़ेगा। आप कृषि मंत्री जी हैं लेकिन सूखे का संबंध अजीत सिंह जी से नहीं है, इसमें बिजली की समस्या आती है, किसानों को डीजल चाहिए, इसमें ग्रामीण विकास की समस्या आती है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठिए। मेरे पास बहुत लम्बी सूची है।

...(व्यवधान)

श्री राम सजीवन: मेरा निवेदन है कि विभिन्न संबंधित विभाग के मंत्रियों को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह इलाका हर वर्ष सूखा से पीड़ित रहता है और इस लोक सभा में जब भी इस विषय पर बहस होती है, मैं इस मुद्दे को उठाता हूं। बुंदेलखंड का दक्षिणी हिस्सा और छतरपुर भी इसमें शामिल है। बुंदेलखंड के बहुत से इलाके इसमें शामिल हैं। इस क्षेत्र की सारी फसलें सूख गईं। उन फसलों को जिवाया तो नहीं जा सकता लेकिन विशेष अभियान चलाकर उनको राहत दी जा सकती है। एक योजना बुंदेलखंड के लिए बनी है। यू.पी. सरकार ने बनाई या एम.पी. सरकार ने बनाई, मुझे नहीं मालूम लेकिन किसानों को एक लाख रुपये की सब्सिडी देकर यू.पी. सरकार ने फ्री बोरिंग योजना बनाई है। किसान के खेत में एक लाख रुपया लगाकर फ्री बोरिंग योजना सरकार चलाती है लेकिन यू.पी. सरकार के पास साधनों की कमी है। मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया और 'नियम 377' में भी उठाया कि फ्री बोरिंग योजना में भारत सरकार मदद करे और सिंचाई मंत्री कहते हैं कि यह योजना हमारे पास नहीं है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकारें बनती हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हों, उन सरकारों में महानगरों से चुने हुए लोगों का वर्चस्व होता है। इसलिए व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि शहरों, महानगरों से चुनकर आये हुए लोगों को किसान का, गरीब का, खेत-खलिहान का इतना सच्चा ज्ञान नहीं होता जितना गांवों से चुनकर आये हुए लोगों को होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग जो गांवों में चुनकर आये हुए लोग हैं, मिल-जुलकर सभी सरकारों पर दबाब डालें कि गांवों की ओर चलो, यह नारा फिर से बुलंद किया जाये।

श्री चिन्तामन वनगा (दहानू): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सब से पहले माननीय कृषि मंत्री का आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने 11 राज्यों के कृषि मंत्रियों की मीटिंग लेने के बाद किसानों को मदद देने की घोषणा की है। इस सूखे की परिस्थिति में दो हैक्टेयर से नीचे की जमीन वाले किसानों को भी वह मदद दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में जो स्थिति पैदा हुई ही, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसे सूखाग्रस्त कहूं या बाढ़ग्रस्त। मेरा ठाणे जिला है जहां गत 25, 26, 27 जून को लगातार बारिश हुई। 26 तारीख को 29 इंच वर्षा हुई, लगातार 10-12 घंटे पानी गिरा, जिससे भारी हानि हुई। लेकिन 27 तारीख के बाद से आज तक उस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई। हमारे यहां चावल के पौधे तैयार करके प्रत्यारोपण किया जाता है। अब स्थिति यह पैदा हो गई है कि बारिश न होने के कारण वे पौधे लगाये नहीं जा सके हैं और सूख गये हैं। बारिश से बाढ़ के कारण पूरा आदिवासी इलाका बह गया है। करीब 66 लोग बाढ़ में बह गये, 18 लोग लापता हो गये और 25 हजार घर गिर गये हैं। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल और सड़कें बह गईं। पश्चिमी रेलवे का 50 किलोमीटर का रेल मार्ग बह गया। इसके कारण मुम्बई शहर से आने वाला रेल मार्ग 10 दिन तक ठप्प हो गया। हमारे यहां इस बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक सैंट्रल टीम भेजी गई जिसने स्थिति का जायजा लिया। तत्पश्चात् केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र सरकार ने सहायता मांगी है।

सभापति जी, सरकार की तरफ से घर बह जाने की स्थिति में प्रति व्यक्ति 600 रुपया मदद दी जाती है। यह मुआवजा बिलो पावर्टी लाइन के आधार पर दिया जाता है। इतना बड़ा नुकसान होने पर केवल 600 रुपया प्रति व्यक्ति सहायता दी जा रही है। उन लोगों को मकान भी बनाने हैं। यह कहा गया है कि जो बी.पी.एल. के नीचे हैं, उन्हें ही सहायता दी जाएगी। कई छोटे-छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में दहानू आदिवासी इलाका है और भिवंडी शहर में टैक्सटाइल इंडस्ट्री है। वहां दस लाख के लगभग जनसंख्या है। हमारा भिवंडी शहर आधा पानी में डूब गया था। दूसरे बड़े शहर दहानू की आबादी लगभग एक लाख है, वह भी आधा पानी में डूब गया था। वहां छोटे व्यापारी तथा इंडस्ट्रियललिस्ट्स हैं, जिनका बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन उन्हें मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। जिन्होंने बैंकों से लोन लेकर अपना धंधा शुरू किया था, उनका भी 25-25, 30-30 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इन लोगों को फिर से धंधा शुरू करके ऊपर उभरने में पांच-दस साल लग सकते हैं। मेरी सरकार से विनती है कि जिन्होंने बैंकों से लोन लेकर धंधा शुरू किया था, क्या सरकार उन्हें फिर से लोन दिला सकती है या उन्हें इंटरेस्ट में कोई रिलीफ दे सकती है या उन्हें इंकम टैक्स में कोई रिलीफ दे सकती है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सूखे की परिस्थिति का भी निर्माण हुआ है। वहां जिन किसानों ने पौधे तैयार किये थे, उनका ट्रान्सप्लान्टेशन नहीं हो रहा है। इतनी वर्षा होने के बाद भी मेरे क्षेत्र में सूखाग्रस्त परिस्थिति का निर्माण हुआ है। यहां वाटर लैवल और पानी के मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जहां सरकार स्वयं कुछ करेगी, लेकिन संसद सदस्यों को जो एम.पी.लैड का पैसा दिया जाता है, उसमें हम चैक डैम बना सकते हैं। लेकिन इस पैसे में से लगभग 10 से 30 प्रतिशत तक पैसा चैक डैम पर खर्च करना चाहिए, इस बारे में गाइडलाइंस में संशोधन होना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे यहां एक जाने-माने व्यक्ति अन्ना हजारे हैं। जिन्होंने महाराष्ट्र में चैक डैम का उदाहरण पेश किया है। वहां चैक डैम बनाकर पानी का संरक्षण किया है। मराठी में एक कहावत है—पानी अड़वा चिड़वा। पानी का संरक्षण होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। सूखे की परिस्थिति पर काबू पाने के लिए पानी का कन्जरवेशन होना बहुत जरूरी है। इसमें पूरे देश के लैवल पर अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। यह नैसर्गिक आपदा है, इससे पूरी तरह से निपटा नहीं जा सकता है, लेकिन आज पानी के संरक्षण की बहुत जरूरत है।

सभापति महोदय, बोरवैल का लैवल कितना रखना चाहिए, इसके बारे में यहां चर्चा हुई है। आज पूरी दुनिया और हमारे देश में पानी का लैवल कम हो रहा है। बोरवैल की कितनी गहराई होनी चाहिए, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें भी आज कम्पीटीशन हो रहा है। समझो मैंने स्वयं 100 मीटर का एक बोरवैल बनाया तो मेरा पड़ोसी 300 मीटर का बनाता है। उसके आगे वाला 600 मीटर का बनाता है। मेरा कहने मतलब यह है कि वाटर लैवल पर भी कोई मैनेजमेन्ट होना चाहिए। मेरा क्षेत्र में समुद्र का किनारा है। वह बागायती क्षेत्र है। वहां भी लोग बागायती क्षेत्र के लिए बोरवैल से पानी लेते हैं। इसमें भी कम्पीटीशन है। वहां 600, 700 और 800 मीटर तक बोरवैल की गहराई रहती है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि वाटर लैवल कम होने के कारण समुद्र का पानी जमीन से जमीन में घुस जाता है और वहां भी एक दिन अकाल की परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए।

चारे का मैनेजमेंट भी होना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र में सूखी घास की बहुत ज्यादा पैदावार होती है। गुजरात को हम सूखी घास देते हैं, महाराष्ट्र के बाकी एरिया में भी सूखी घास देते हैं। आज पूरे देश में सूखी घास की जरूरत है। मेरे क्षेत्र में सूखी घास अभी भी गोदामों में पड़ी है। सरकार को उसको अक्वायर करना चाहिए यह मेरा सुझाव है। मुम्बई में जो पानी जाता है मेरे क्षेत्र से जाता है। मुम्बई में पानी के लिए तीन तालाब बने हैं—लानसा वैतरणा और मानसा ये मेरे क्षेत्र में हैं और यहां भी सूखे की स्थिति है। अगर आगे वर्षा नहीं हुई तो मुम्बी में पानी की सप्लाई करने वाले डैम में भी पानी नहीं भरेगा और मुम्बई के लिए भी पानी की बहुत कमी हो जाएगी। मुम्बई के पानी के लिए दादरा नगर हवेली में दमनगगां नाम का एक डैम है। वहां पानी की क्षमता बहुत अधिक है और मुम्बई में हमारे क्षेत्र में सूर्यनगर में एक डैम बना है और वह आदिवासी उपयोजना से बना है। लेकिन मुम्बई में जब पानी कम पड़ जाता है, सूखे की परिस्थिति का निर्माण होता है तो सिर्फ उस डैम से पानी लेने के लिए सरकार सोचती है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि मुम्बई में पानी की सप्लाई ज्यादा हो और उसके लिए दमनगंगा से जो मुम्बई से करीब 150 किलोमीटर दूर है, वहां से पानी लिया जाए। अभी जो डैम बना है मेरे क्षेत्र में भी वह भी 70-80 किलोमीटर पर है। वहां से भी मुम्बई के लिए पानी दिया जा सकता है। इससे मुम्बई को काफी पानी मिलेगा।

अंत में, मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, जहां भारत के लिए कहा जाता है कि स्वर्ग भी यहां के भूभाग को देखकर शर्माता है, जहां छः ऋतुएं हैं लेकिन फिर भी यह आइरॉनिकल है, पैराडॅक्सिकल है कि इस देश की 28 से 30 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि हमेशा ड्राउट प्रोन रहती है। इसी के साथ 16 लाख हैक्टेयर भूमि प्रत्येक वर्ष बाढ़ से बर्बाद हो जाती है और करीब डेढ़ हजार से दो हजार लोगों को मौत के घाट यह बाढ़ और अकाल ले डूबता है।

महोदय, गरीब इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और विशेषकर देखें तो फ्लड प्रोन जो एरियाज हैं, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, वैस्ट बंगाल, मेघालय, बिहार और इसी प्रकार के हिस्से हैं और उसी प्रकार ड्राउन प्रोन इलाकों में देखें तो राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, कर्नाटक, गुजरात और इस साल पंजाब और हरियाणा भी सम्मिलित हैं। यह बढ़ता चला जाता है और इसलिए मेरे पूर्ववक्ता जो बोल रहे थे कि सौ सालों के इतिहास को देखा जाए तो यह बढ़ा है और हर साल हम अकाल की मार से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। आने वाले हर तीसरे साल में अकाल की घोषणा लोगों ने कर रखी है। ऐसी स्थिति में हमें इसके कारणों पर विचार करना है और किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए इस पर भी सदन को सोचना है।

जहां तक कारणों का प्रश्न है, चाहे पर्वतीय इकोलॉजी का प्रश्न हो या ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा दोहन हो गया हो या कृषि में करने वाले परिवर्तन हों या वनों का नाश हो या विकास के काम हों, जैसे सड़कों आदि का निर्माण, लेकिन उनसे प्रभावित होकर भी रेनफॉल कम हुआ है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। महोदय, यह बात भी सामने आई है कि कुछ इस प्रकार के एरियाज हैं जहां अकाल बार-बार पड़ता है और हर तीसरे वर्ष अकाल की विभीषिका से जूझना पड़ता है। इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आदि प्रदेशों में अकाल पड़ा हुआ है। यदि देश में 1987 में पड़े अकाल की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए, तो उस समय देश का 58 से 60 प्रतिशत भाग सूखे से प्रभावित हुआ, 287 जिले अकाल से ग्रस्त थे और 166 मिलियन लोग उससे प्रभावित हुए, लेकिन उस समय

[डा. गिरिजा व्यास]

जिस प्रकार से राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में मैनेजमेंट हुआ, उसकी प्रशंसा न केवल पक्ष, बल्कि विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों और अन्य अनेक पार्टियों ने भी की थी। उसका कारण यही था कि उस समय अकाल से लड़ने का पूरा मैनेजमेंट किया गया था। अकाल को दृष्टि में रखकर उससे राहत देने की व्यवस्था की गई थी।

महोदय, आज हमारी विपक्ष की नेता माननीय सोनिया जी के स्वर्गीय पति श्री राजीव गांधी जी उस समय हमारे राजस्थान में, गुजरात के माननीय सदस्य के संसदीय क्षेत्र के साथ लगते हुए हिस्से में स्वयं गए, वहां घर-घर जाकर देखा कि लोग सूखे से किस प्रकार से पीड़ित हैं। उन्होंने घरों में उनके बर्तनों, उनकी हांडी को उघाड़ कर भी देखा कि किस के घर में कितना अनाज है, लेकिन हांडियां खाली थीं। उस समय भूख से त्रस्त और सूखे के मारे किसानों को राहत देने के लिए उन्होंने देखा कि किस को कितना अनाज दिया जा सकता है और किस को नौकरी दी जा सकती है और उसके अनुसार उसका प्रबंध किया। उस समय की व्यवस्था को आज भी याद किया जाता है। उस समय के बाद पड़ने वाले अकाल और सूखे में उतनी सावधानी कभी नहीं बरती गई और न ही प्रशासनिक दक्षता नजर आई।

महोदय, आज संपूर्ण भारत के लगभग 14 राज्यों में तो सूखे और अकाल की स्थिति है ही और आने वाले सप्ताह में जो रिपोर्ट आने वाली है, उसके आधार पर मैं कह सकती हूं कि आधे से ज्यादा हिन्दुस्तान अकाल की चपेट में होगा। कर्नाटक की स्थिति बहुत खराब है। हर जिले में पेयजल का संकट जिस प्रकार से छाया हुआ है उसको देखते हुए राज्य सरकारों ने भारत सरकार से और ज्यादा पैसे की मांग की है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और बाजरे की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। तमिलनाडु में रेनवाटर को हारवैस्ट करने से स्थिति कुछ ठीक हुई है, लेकिन वहां भी कोकोनोट ग्रोअर्स को जिस प्रकार से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वह वर्णन करने लायक नहीं है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ का एरिया भयंकर रूप से सूखे की चपेट में है। उड़ीसा में कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट (के.बी.के.) आज अकाल की भीषण विभीषिका से जूझ रहा है। पंजाब और हरियाणा जो हम लोगों का रक्षक हुआ करता था, उनकी स्थिति भी आज दयनीय है।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): माननीय सदस्य ने अभी उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र का उल्लेख किया है और कांग्रेस शासन के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। यह सच है कि जब श्री नरसिंहराव प्रधान मंत्री थे, तो वे कालाहांडी आये थे और के.बी.के. क्षेत्र में लागू की जाने वाली 4500 करोड़ रुपये की दीर्घावधि कार्ययोजना की घोषणा की थी। लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसके लिए केवल एक लाख रुपये स्वीकृत किये गये और मृदा परीक्षण तथा एम्बुलेंस के लिए ...*(व्यवधान)* आज सरकार उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र हेतु दीर्घावधि योजना ले आयी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास: माननीय सभापति जी, यदि माननीय सदस्य इस प्रकार से राजनीतिक सवाल उठाएंगे, तो काम कैसे चलेगा। मेरा उड़ीसा को मेंशन करने का अर्थ केवल इतना ही था कि वहां भी स्थिति बहुत खराब है और उड़ीसा का के.बी.के. इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है और राजीव गांधी जी के समय में इसके लिए अलग से बजट दिया गया था। यदि इस प्रकार से वे मुझे बीच में रोक कर टोकेंगे, तो क्या मैं उनसे पूछ सकती हूं कि पिछले साल उड़ीसा में जब भयंकर चक्रवात आया और उस समय केन्द्र में आपकी सरकार थी, तब जो घोषणा की गई, उसमें से कितना धन उड़ीसा में गया और कितना उपयोग हुआ? यह एक लम्बी बहस का विषय है।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, योजना आयोग ने एक किताब प्रकाशित की है।

[हिन्दी]

उस किताब को पढ़िए तब आपको मालूम होगा कि कितनी मदद की गई है।

डा. गिरिजा व्यास: महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि वह पुस्तक मैंने पढ़ी है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्थान की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। आज हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के पेपर्स में राजस्थान का नाम भरा है।

राजस्थान के गांव में एक किवदन्ती है, जहां से कर्नल सोना राम जी आते हैं। एक बार अकाल की मां ने अकाल से पूछा कि बेटा मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कहां ढूंढूगी। तब अकाल ने अपनी मां से कहा कि राजस्थान में तो मेरा डेरा है ही, कभी-कभी मैं आंध्र प्रदेश में चला जात हूं, कभी उड़ीसा चला जाता हूं, कभी उत्तर प्रदेश चला जाता हूं, कभी मध्य प्रदेश चला जाता हूं, लेकिन मुझे ढूंढ़ना है तो मुझे राजस्थान में ही ढूंढना। यही वजह है कि राजस्थान को हमेशा इस अकाल का सामना करना

पड़ता है। वहां चौथा न होकर पांचवां वर्ष है जब राजस्थान अकाल की विभीषिका से गुजर रहा है।

अपराह्न 4.31 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

केवल पिछले वर्ष के कुछ आंकड़े लें, तो हमने कुछ राहत पाई थी लेकिन 18 डिस्ट्रिक्ट्स उससे प्रभावित हुए थे। आज स्थिति यह है कि 32 में से 31 डिस्ट्रिक्ट्स इससे प्रभावित हैं। अगर हम 32 के 32 डिस्ट्रिक्ट्स कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 330 लाख जनता और 400 लाख पशु इससे प्रभावित हैं। राजस्थान की क्राप 90 प्रतिशत प्रभावित हुई है। दक्षिण उत्तर मानसून के पूर्व आने से, वह चाहे पूर्व की वर्षा हो, 17-18 जून या 21-22 जून की बरसात हो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमैंट का जो एनाउंसमैंट था, उसके अनुसार लोगों ने बुआई कर दी थी। दो जुलाई तक कुछ बरसात हो चुकी थी इसलिए किसानों ने 40 प्रतिशत बुआई कर दी, जिसमें दलहन 41 प्रतिशत, तिलहन 42 प्रतिशत और दूसरे अनाज जिसमें बाजरा आदि है, उसकी 41 प्रतिशत बुआई हो चुकी थी लेकिन आज स्थिति यह है कि 100 की 100 प्रतिशत क्राप चौपट है।

मैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। राजस्थान का जो पश्चिमी प्रांत है, उसमें पशु धन सबसे अधिक है और यह इलाका गंगानगर से बाड़मेर होते हुए जोधपुर तक जाता है। वहां स्थिति और भी गंभीर है। एक तरफ अकाल की मार है, तो दूसरी तरफ हमारा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा पर लगा है। वहां अच्छी बरसात हो या न हो, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो या न हो, वहां पिछले वर्ष सारी की सारी क्राप युद्ध की आशंका के कारण नहीं हुई। आज स्थिति और भी गंभीर है। पशु धन के चारे की व्यवस्था का सवाल है। उसके साथ-साथ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जैसा मैंने कहा कि एक रीजन पशु पालन में विश्वास करता है, तो दूसरे रीजन में पहाड़ी इलाका है, जहां पर पेय जल का स्तर 500 मीटर से भी नीचे जा चुका है और तीसरा वह इलाका है जहां बरसात होती है लेकिन पांच वर्ष तक नहीं हुई। वहां सिंचित क्षेत्र है लेकिन पाकिस्तान और हमारी सेना का पड़ाव वहां है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्थान की स्थिति आज बहुत दयनीय और कठिन हो गयी है।

हम केन्द्र सरकार से बार-बार मांग करते हैं कि वह राजस्थान की मदद करें। मेरा कोई आरोप केन्द्र सरकार पर नहीं है, सदन को जानना चाहिए। जब आंध्र के सदस्य बोल रहे थे तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं कोई अपनी बात सरकारी आंकड़ों के अनुसार नहीं कह रही। लेकिन केन्द्र सरकार उन्हीं को मदद देती है जो एन.डी.ए. में घटक दल हैं और जिनके एम.पीज. उनको सहारा दे सकें, सहायता दे सकें। जैसा मैंने अभी-अभी आप लोगों को बताया कि पिछले वर्ष 18 डिस्ट्रिक्ट्स में अकाल की विभीषिका थी। ...*(व्यवधान)*

डा. जसवन्तसिंह यादव (अलवर): सभापति जी, कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक राजस्थान को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया। ...*(व्यवधान)* वहां आपकी सरकार होते हुए भी इतना डिले क्यों हो रहा है? आपके मंत्री किस नींद में हैं ...*(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास: आप जब बोलेंगे तब यह सब बोलियेगा। अभी मैं अपनी बात रख रही हूं।

मैं यह कह रही थी कि हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट्स में अकाल था, और आंध्र प्रदेश में केवल 6 प्रतिशत डेफीसिट था लेकिन उनको 148 करोड़ रुपये और तीन लाख टन अनाज मिला जबकि राजस्थान में 18 डिस्ट्रिक्ट्स में अकाल पड़ने के बावजूद भी एक पैसा नहीं मिला। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी जो कांग्रेस शासित हैं या जहां बी.जे.पी. या उनके घटक दलों की सरकार नहीं है, उनको पैसा नहीं मिला। जहां 40 प्रतिशत बुआई और खरीफ की पूरी फसल खराब हो गई हो और रबी को फसल खराब होने की आशंका हो, ऐसे इलाकों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

पशु संरक्षण हमारे राजस्थान का एक महत्वपूर्ण बिन्दु रहा है। 27.8 क्विंटल अनाज की हमें व्यवस्था करनी है। हमने केन्द्र सरकार से मांग की है, हमें विश्वास है कि जैसा अभी हमारे साथी बोल रहे थे, वह राजस्थान के भेजे हुए पशु संरक्षण की व्यवस्था में से 165 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार से दिलाने में मदद करें। कृषि मंत्री जी, आप हमेशा राजस्थान के प्रति संवेदनशील रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कृषि मंत्री ड्राउट को देख रहे हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट को होम मिनिस्टर देख रहे हैं। उन दोनों के बीच किस तरह तालमेल होगा और किस प्रकार राजस्थान जैसे अनेक राज्यों को सुविधा मिल सकेगी, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न पर निश्चित तौर पर ध्यान देना आवश्यक है।

मैं केन्द्र को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने लगभग तीन वर्षों से लगातार रेल द्वारा मुफ्त पानी भेजने की व्यवस्था की है और उसमें सबसे ज्यादा इलाका मेरे संसदीय क्षेत्र का आता है। लेकिन अभी-अभी मालूम पड़ा है और मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने कहा है यदि किसी भी राज्य सरकार, विशेषकर

[डा. गिरिजा व्यास]

राजस्थान में, यदि रेल से जल की आपूर्ति होगी तो उसका पैसा लिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि अभी तक बरसात नहीं हुई है, केवल 25 मिलीमीटर बरसात जो 17 जून से शुरू होकर अब तक हुई है, ऐसी स्थिति में उन स्थानों पर अभी भी टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, उसे बंद न करने दिया जाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार इस पर नियमित रूप से और अभी से हमें उसका पैसा दे ताकि वहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जा सके और रेल की व्यवस्था हो सके।

अभी पेयजल से संबंधित मंत्री महोदय बैठे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सैक्टोरल रिफॉर्म्स के संबंध में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पैसा मिला है जिसमें मेरा डिस्ट्रिक्ट भी सम्मिलित है, जिसे 74 करोड़ रुपया मिला है। उसमें पहले 20 प्रतिशत की भागीदारी थी, अब 10 प्रतिशत की भागीदारी की है। अकाल की ऐसी विभीषिका के समय अलवर में भी इसकी व्यवस्था की गयी है। मैं आपसे भी चाहूंगी कि इस बात को उठाएं कि अकाल की विभीषिका को देखते हुए सैक्टोरल रिफार्म्स का 10 प्रतिशत हिस्सा माफ किया जाए।

जैसा मैंने कहा, यह स्थिति जो बनी है, उसमें सबसे बड़ी कठिनाई विगत पांच वर्षों से ड्रौट मैनेजमेंट को सटीक ढंग से न करने के कारण पैदा हुई है। यह स्थिति इसलिए बनती है जब ड्रौट में केवल राज्य अपनी रिलीफ की बात करते हैं लेकिन चाहे राज्य के स्तर पर हो चाहे केन्द्र सरकार के स्तर पर हो, उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता। मैं आपके माध्यम से सदन में बिन्दु रखना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि डैजर्ट मैनेजमेंट के लिए प्लान जरूरी है। लेकिन जब बरसात नहीं होती तब प्लान का निर्माण होता है। कम से कम कृषि मंत्री जी ने जिन बातों की घोषणा कल की, उन बातों पर अटल रहें और जो ऋण वसूली आपने रोकने की बात कही है, राज्य सरकारों को भी आपके यहां से आदेश होना चाहिए कि ऋण की वसूली न केवल रोकी जाए, बल्कि ड्रौट को देखते हुए पूरी तरह माफ की जाए और ऋण को लगाते हुए ब्याज को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए।

मैं एक बात का और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने दो हैक्टेयर की जमीन के ऊपर भी जो सी.आर.एफ. का पैसा देने की बात की, उससे बहुत सारे किसान लाभान्वित होंगे लेकिन कहीं वह कागज में न रह जाए, उसे जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। यूनियन और स्टेट गवर्नमैंट के बीच सबसे पहले प्लान, मशीनरी, फंड्स और कोआर्डीनेशन की जरूरत है ताकि यहां हम वाद-विवाद में न पड़ जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लैवल पर जो कार्य किया जाए, उसकी इन्फार्मेशन किसी सिस्टम द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाए और जो कुछ निर्णय लिए जाएं, उसको कम्युनिकेशन द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाए। जब इतने बड़े भारत का इलाका अकाल से ग्रस्त है तो गरीब, विशेषकर महिलाओं की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। उनको दूरदराज से पानी लाना पड़ता है। उसके बच्चों को अनाज के लिए मोहताज होना पड़ता है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, हालांकि मंत्री महोदय इस विभाग के नहीं हैं लेकिन राजीव जी ने 1987 में वूमेन और चाइल्ड डिपार्टमैंट को अलग से पैसा देने की बात की थी। उस समय मेरे पास वह मिनिस्ट्री थी। उन्होंने कहा था कि पोषाहार आम महिलाओं को भी दिए जाएं। फूडग्रेन्स जो ऐवेलेबल हैं, खासकर 60 मिलियन टन अनाज की बात कल भी बड़े जोर-शोर से हमें टी.वी. द्वारा दिखाई गई, उसका सही तरह वितरण हो और न केवल बी.पी.एल. बल्कि ए.पी.एल. परिवारों को भी मिले, यह हमारी राज्य सरकारों से मांग है। राजस्थान में करीब-करीब 31 लाख परिवार बी.पी.एल. रहते हैं लेकिन लोगों की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। उनको भी सही फूडग्रेन मिले।

इम्पलॉयमैंट बहुत आवश्यक है और 'काम के बदले अनाज' की योजना को तुरंत प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। उसमें राज्य सरकारों को, जो राज्य विशेष तौर से अकाल से ग्रस्त हैं और जिन्हें पांच-पांच वर्ष हो गए, उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ प्रोडक्टिव वर्क होने चाहिए, जो 25 प्रतिशत तक कच्चे कामों की यहां से व्यवस्था है, उस नोर्म को बदलना चाहिए, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, जहां से आप आते हैं और चाहे वह राजस्थान हो। यदि पक्के काम नहीं होंगे तो विकास के साथ हम अकाल को नहीं जोड़ सकेंगे। एफोरेस्टेशन के काम को अकाल में लिया जाना चाहिए और कैनाल्स की डीसिल्टिंग के काम भी अनाज वितरण के काम में लिया जाना आवश्यक है।

इसी के साथ-साथ ड्रिंकिंग वाटर के लिए परमानेंट स्कीम, सेमी परमानेंट स्कीम्स और कंटिन्जेंसी प्लान को हमें साथ में लेना आवश्यक है। आज राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण था, मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहती, क्योंकि सारे सदस्यों को अपने इलाके की बातें रखनी हैं और सम्पूर्ण देश की बात भी रखनी है, लेकिन मैं इस बात की ओर आपका धयान जरूर आकर्षित करना चाहूंगी कि योजना प्रबंधन आवश्यक है, चाहे वह डी.पी.ए.पी. हो, चाहे डी.डी.पी. हो और चाहे नेशनल वाटर शेड डवलपमेंट प्रोग्राम हो, लेकिन यदि हमने सही ढंग से पानी का उपयोग किया तो हम अकाल पर काबू पा सकेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि वाटर मैनेजमेंट के संबंध में न केवल इसे त्वरित गति से अपने हाथ में लें, लेकिन एक कमेटी परमानेंट रूप से बने, जिसमें कुछ टैक्नीकल लोग हों और कुछ संसद सदस्य हों, क्योंकि लोगों को मालूम है कि प्रत्येक आदमी को 2464 क्यूबिक पानी

चाहिए, उसमें से 900 क्यूबिक पानी ही उसे मिल पाता है। यदि व्यवस्था ठीक हो और पानी वेस्ट न हो जाये, चाहे सरफेस वाटर हो या ग्राउण्ड वाटर हो तो उससे मदद मिल सकती है।

इसी के साथ-साथ जो इन्होंने कहा कि आज राष्ट्रपति जी ने भी आशा व्यक्त की और जिस प्रकार से आने वाली बच्चों की पीढ़ी के संबंध में अपने विचार रखे, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पीढ़ी आज 70 प्रतिशत तक अकाल से ग्रस्त हो, जिन गांवों के बच्चों ने स्कूल तो दूर पानी की बूंद भी पांच वर्ष के बच्चों ने नहीं देखी हो, उनके संबंध में क्या कहा जा सकता है. ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का दायित्व होता है कि वे समय पर गिरदावरी करें और वे समय पर अपनी ऋण वसूली को रोकें, ऋण को रोकें। साथ ही साथ केन्द्र और राज्यों में अच्छे संबंध हों, क्योंकि बॉल को एक दूसरे के पाले में डालने से काम नहीं चलेगा। चिंता इस बात की है कि 21वीं सदी और आने वाली 22वीं सदी के बच्चों को हम पूरी तरह से कुपोषण से बचा सकें और उनसे एक अच्छे संसार का निर्माण करें।

महिलाओं को पानी लाने के लिए 10-10 किलोमीटर तक नहीं जाना पड़े, हमें शुद्ध पानी मिले, हम लोगों को अनाज मिले और इस सब के लिए जरूरी है कि सुव्यवस्थित मैनेजमेंट हो। इसीलिए किसी शायर ने कहा है:

"जब पेट में रोटी होती है, जब जेब में पैसा होता है,
उस वक्त यह जर्रा हीरा है, उस वक्त यह शबनम मोती है।"

तभी प्रकृति की छहों ऋतुएं और हमारा देश भारत निश्चित तौर पर अपनी इस असीम संस्कृति के कारण माना जायेगा, समृद्ध होगा, लेकिन पहले पेट में रोटी तो पहुंचे, गले में, हलक में पानी तो पहुंचे और उन मूक पशुओं तक चारा तो पहुंचे, जिसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): माननीय सभापति महोदय, आज इस देश के अन्दर सुखाड़ और बाढ़ की स्थिति पर यह सदन चर्चा कर रहा है। जहां देश के बड़े भूभाग में सुखाड़ है, वहीं इस देश के एक बड़े हिस्से बिहार में और असम में बाढ़ का भयंकर प्रकोप है।

माननीय सदस्यों द्वारा सुबह 12 बजे से लेकर अभी तक इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 54-55 वर्षों की आजादी के बाद हम आज भी आकाश की ओर देख रहे हैं। हमने सिंचाई का प्रबंध नहीं किया, हम बाढ़ को मुकम्मल तौर पर रोकने में असफल रहे और हम एक दूसरे पर दोषारोपण करके प्राय: हर साल इस सदन में एक चर्चा करके अपनी बात को और अपनी जवाबदेही को समाप्त करते हैं। कल माननीय कृषि मंत्री जी ने देश के कुछ कृषि मंत्रियों को/राजस्व मंत्रियों को बुलाया था और सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा की थी। कुछ फैसले भी किये हैं, ऋण माफी का फैसला किया, कृषि बीमा योजना लागू करने की बात कही है, अकाल क्षेत्र घोषित हो, यह बात भी कही है। हम मांग करना चाहते हैं कि जो सुखाड़ की स्थिति है, लेकिन आज सुबह जैसे ही प्रश्न काल आरम्भ हुआ, उस समय ही हम लोगों ने बिहार में बाढ़ का जो भयंकर तांडव नृत्य हो रहा है, उससे वहां 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। यह कोई आज की बात नहीं है। नेपाल से प्रति वर्ष आने वाला नदियों का पानी उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप लाता है हमारे यहां 61 प्रतिशत जल ग्रहण क्षेत्र नेपाल का है। दस लाख एकड़ से ज्यादा जमीन बाढ़ से प्रभावित होती है। नौ लाख एकड़ जमीन हमारे इलाके की पानी से भरी रहती है। बक्सर से लेकर फरक्का तक दोनों तरफ गंगा नदी में भयंकर कटाव होने से गांव के गांव विलीन हो जाते हैं। इस सदन में और बाहर हम लोग बार-बार इसकी चर्चा करते हैं कि इस बाढ़ से कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे निजात दिलाई जाए। बिहार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि अपने बलबूते पर मुकाबला कर सके और इसको रोक सके। अगर वह करे, तो भी कैसे, क्योंकि नदियों का पानी तो नेपाल से आता है और नेपाल से बात करने का अधिकार बिहार को नहीं, केन्द्र सरकार को है। यहां पर जल संसाधन मंत्री जी नहीं हैं, सुबह गृह राज्य मंत्री जी ने कहा था कि गृह मंत्रालय बाढ़ को देख रहा है। यह खुशी की बात है। हमारे यहां 22 जिलों में घर-घर में पानी घुसा हुआ है। आधा बिहार देश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। दर्जनों स्थानों पर रेल लाइन टूटी हुई है। लाखों लोग तटबंधों और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। सड़कें और पुल ध्वस्त हो गए हैं। नेशनल हाईवे और उसमें आने वाले पुल बह गए हैं। दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, इस बात की रिपोर्ट है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार है और केन्द्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। हमें खुशी है कि गृह राज्य मंत्री जी ने कहा कि सेंट्रल टीम भेजेंगे। आपके पास स्टेंडबाई हैलीकाप्टर भी है। लोग पीने के पानी के बिना तरस रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे यहां गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया और सहरसा, इस बड़े भूभाग में पानी बढ़ता चला जा रहा है और नुकसान करता चला जा रहा है। पिपरासी का बांध टूट गया है, बागमती का बांध टूट गया है। शिवहर और सीतामढ़ी के बीच बागमती नदी का पुल उड़ गया। नदियों के बहाल के कारण और भी पुल ढह गए। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर का रास्ता बंद है। शिवहर प्रखंड पिपरासी वेलसेतु, परसौनी, तरीयानी प्रखंड में घर-घर में पानी घुसा हुआ है। जो भी

[श्री रघुनाथ झा]

फसल थी, वह सारी बर्बाद हो गई है। सरकार किसी तरह की कोई मदद अभी तक करने में असमर्थ है।

मैं एक बात अपने दिल की गहराई से कहना चाहता हूं। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी नेता हुए थे। वे विपक्ष के नेता भी रहे और बिहार के मुख्य मंत्री भी रहे। वे विधान सभा में बोलते थे और बराबर इस बात को कहते थे कि उत्तर बिहार में तब तक गरीबी, बेबसी और भुखमरी समाप्त नहीं होगी, जब तक नेपाल से आने वाली नदियों को बांधने की कारगर व्यवस्था केन्द्र सरकार नहीं करेगी। अगर ऐसा किया जाए तो इससे इतनी बिजली पैदा हो सकती है कि हिन्दुस्तान ही नहीं, हम बाहर भी सस्ती दर पर बिजली दे सकते हैं। हमारी खेती बर्बाद हो रही है। गोपालगंज में शहर में पानी घुसा हुआ है। कलेक्टर एवं एसपी के घर में पानी घुसा हुआ है। पूर्व में अंग्रेजों के जमाने में जो सिंचाई सिस्टम था, त्रिवेणी कैनाल सिस्टम था, एवं सोम कैनाल सिस्टम, वह नष्ट हो गया है। बिहार सरकार के पास साधन नहीं है। कई योजनाएं वहां से आकर भारत सरकार के यहां पड़ी हुई हैं। हम लोग बराबर मांग करते रहे हैं कि भारत सरकार संसाधन दे, सहायता करे, ताकि बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उन योजनाओं को पूरा कर सके, उन चीजों की मरम्मत कर सके। अंग्रेजों के जमाने में हमारे यहां सारण तटबंध में नौ रिंग बांध बनाए गए और जो गांव बने हुए थे, उनको नहीं उजाड़ा गया।

उसको उधर की भाषा में धड़की बांध कहते हैं। रिंग बांध बनाये जायें लेकिन उनकी मरम्मत के लिए पैसा नहीं है। जब तटबंध एवं धड़की टूटती है तो बांध भी टूटने के कारण लोगों पर बाढ़ का असर पड़ता है। गोपालगंज से लेकर छपरा तक भारी क्षति होने वाली है। अधिक बातें न कहकर मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तत्काल उस इलाके में, बिहार के इलाके में जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनको राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। जिनके घर बह गये हैं, उनको फिर से बसाने की आवश्कता है। उनको रेडीमेड फूड तथा पीने के पानी की सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है तथा उनके कर्जे माफ किए जाएं, यह मैं मांग करता हूं। मेरी यह भी मांग है कि बिहार को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये, बिहार की जितनी सिंचाई योजनाएं लम्बित हैं, उनको पूरा किया जाये और भविष्य में फिर से बाढ़ न आए, इसके लिए कारगर ढंग से नेपाल से बात करके इस बाढ़ से निजात दिलाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): सभापति महोदय, धन्यवाद। महोदय, सबसे पहले मैं पूरी सभा और सदस्यों की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि इस विषय को चर्चा के लिए लाया गया है। यह मुद्दा प्रमुख मुद्दा है और इस पर चर्चा करना समय की जरूरत भी है। इस पर विस्तृत चर्चा किया जाना जरूरी है।

महोदय, काफी लंबे समय से सूखे की समस्या आम बात रही है वर्षों से और अनंत काल से सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रही हैं, लेकिन सूखे पर इस विशेष चर्चा का विशेष महत्व है क्योंकि इस बार सूखे की व्यापकता आशंका से काफी अधिक है।

दूसरी बात यह कही गयी है कि सूखा कापी विस्तृत क्षेत्र में पड़ा है और तीसरी बात यह कि काफी अधिक क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ है। आंकड़ों को उद्धृत करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि 424 जिलों में से 320 से भी अधिक जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं। यानी, दो तिहाई से भी अधिक जिलों में सूखे का प्रभाव है। इसीलिए इस पर चर्चा करना उचित है जैसा कि हमें पता है कि इस तथ्य के कारण कि अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण, अपने आकार और फैलाव के कारण भारत को दुनिया में सबसे अधिक सूखा प्रवण देश माना जाता है। यही उनका आकलन है जहां तक हमारे देश का सवाल है यहां सूखा अक्सर पड़ता रहता है। देश की 68 प्रतिशत क्षेत्र में वर्षा से खेती होती है और जब भी मानसून विफल होता है सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

जैसा कि हमें पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर है। हमें बताया गया है कि सभी मानसूनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून महत्वपूर्ण है। इस मानसून की समूचे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि केवल दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण कुल 75 प्रतिशत बारिश होती है। यानी, दक्षिण-पश्चिम मानसून 25 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के लिए उत्तरदायी है। एक अरब लोगों की जनसंख्या में से 70 प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर है। इसी कारण हमें दक्षिण-पश्चिम मानसून की हमें अधिक चिंता है। जब यह मानसून ठीक होता है तो सभी चीजें ठीक होती हैं। जब यह ठीक से नहीं आता है तो हर चीज विफल हो जाती है।

जहां तक दक्षिण-पश्चिम मानसून का सवाल है मुझे बताया गया कि यह केरल में बहुत पहले ही आ गया था लेकिन दुर्भाग्यवश आगे बढ़ते समय यह बहुत अनिश्चित साबित हुआ। वर्षा बहुत कम हुई, न केवल कुछ राज्यों में बल्कि तमिलनाडु समेत 14 राज्यों पर इससे प्रभाव पड़ा।

आज के समाचार-पत्रों के अनुसार, हमारे माननीय कृषि मंत्री ने कहा है पूरा देश सूखे से प्रभावित हुआ है; अधिसंख्य राज्यों

में सूखे का प्रभाव पड़ा है। इस सूखे का क्या प्रभाव हुआ? इसके प्रभाव के बारे में काफी वक्ताओं ने विचार व्यक्त किये हैं उन्होंने पेयजल और चारे की कमी का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि खराब स्थिति के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। इन सभी के बारे में और विभिन्न चरणों में लोगों के कष्टों के बारे में वक्ताओं ने विचार व्यक्त किया है। कई वक्ताओं ने यह बात भी कही है और मैं यह बातें फिर नहीं कहूंगा।

जहां तक सूखे का संबंध है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु की स्थिति भी बेहतर नहीं है। हमारी स्थिति भी अन्य राज्यों की तरह खराब है। काफी कम बारिश हुई है। तमिलनाडु के 27 जिलों में, से मेरे संसदीय क्षेत्र रामनाथपुरम समेत दो तिहाई यानी 18 जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं और यह कम और छिटपुट बारिश के कारण है। इस वर्ष वर्षा जल की प्रतिशतता में काफी कमी आयी है।

मैं आपको यह बताने के लिए एक मिनट का समय लूंगा कि तमिलनाडु के जलाशयों में जल संग्रहण में किस तरह कमी आयी है। आंध्र प्रदेश के मेरे सहयोगी ने बताया कि वहां के जलाशयों में पानी के सामान्य स्तर में गिरावट आयी है। जहां तक तमिलनाडु के जलाशयों में जल भंडारण का सवाल है यह काफी खतरनाक है। मेत्तूर में 140 फुट से घटकर जलस्तर 41.40 फुट हो गया है। जहां तक भवानी सागर का सवाल है वहां जल भंडारण 105 फुट की बजाय 35.10 फुट रह गया है। अमरावती में 110 फुट के मुकाबले घटकर यह 17.56 फुट रह गया है। पेरियार में 152 फुट की जगह 111.40 फुट, वैगाई में 71 फुट की बजाय 25.40 फुट जल स्तर रह गया है। कृष्णागिरि में जल स्तर 52 फुट से घटकर 41.75 फुट रह गया है। सथनूर में 119 फुट की बजाय जल स्तर 72.7 फुट पर है। पपनसाम में जल स्तर 148 फुट से घटकर 50.55 फुट रह गया है। मनीमुथर में 118 फुट की बजाय 58.5 फुट जल स्तर है। पेत्वपरई में जल स्तर 48 फुट से घटकर 2.60 फुट रह गया है। पेरुनचानी में 77 फुट की बजाय 9 फुट पानी रह गया है। परमबिकुलम में जल स्तर 72 फुट से घटकर 9.13 फुट रह गया है। अलियार में जल स्तर 120 फुट की बजाय 60.80 फुट रह गया है। तिरूमूर्ति में जल स्तर 60 फुट की बजाय 33.88 फुट है।

मैं यहां यह बात उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जलाशयों में एक तिहाई या 20 प्रतिशत भी जल स्तर नहीं है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। वर्तमान में 78,666 मिलियन क्यूबिक फुट के सामान्य भंडारण क्षमता के मुकाबले कुल संग्रहण केवल 25,024 मिलियन क्यूबिक फुट है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाह रहा हूं कि केवल मानसून के विफल होने से जलाशयों की भंडारण स्थिति इतनी खराब हो गयी है। इसी कारण हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री ने स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। उन्होंने तंजावूर और अन्य स्थानों का दौरा किया और 164 करोड़ रुपये के विशेष राहत कार्यक्रम शुरू करने की पहल की। मदुरई और कोयम्बटूर को उन्होंने 36.08 करोड़ रुपये की राहत धनराशि दी। इसके अलावा उन्होंने कृषि के तरीकों में भी परिवर्तन लाने की पहल की है।

एक और महत्वपूर्ण कारक जिसने धान की बुआई पर प्रभाव डाला है वह है मेत्तूर बांध से पानी का न छोड़ा जाना। इस कारण करीब एक लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में धान की बुआई नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप 5.04 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन की गिरावट आयी; करीब 132 लाख कार्यदिवसों की क्षति हुई और करीब 260 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मैं तमिलनाडु में इस समस्या की भयावहता को उजागर करने के लिए उदाहरण दे रहा हूं।

अन्य राज्यों में भी स्थिति भयंकर हो सकती है लेकिन मेरा कहना केवल यह है कि हमारे राज्य में भी हालत उतनी ही खराब है। जहां तक उपचार का संबंध है हमारे कई मित्रों ने कई बातों का उल्लेख किया है। प्रबंधन के एक छात्र के रूप में मुझे पढ़ाया गया है कि किसी एक समस्या के एक से अधिक हल होंगे। अब समस्या यह है कि बरसात बहुत कम हुई है और इसीलिए जल भंडारण की स्थिति खराब है।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, कई राज्य सूखाग्रस्त हो चुके हैं। इसका समाधान क्या है? हम इसके समाधान को दो भागों में बांटने के बारे में सोच सकते हैं—दीर्घकालिक समाधान और अल्पकालिक समाधान। कई अच्छे वक्ताओं ने कहा कि यह बार-बार हो रहा है और इस पर प्रशासन चुप क्यों है? वे स्थायी उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? वह दीर्घकालिक उपाय क्या है जो हमें इस समस्या से निजात दिलाएगा? एक समस्या से दूसरी समस्या पैदा हो जाती है, कई वक्ताओं ने कई उपाय सुझाए हैं और मैं यह सुझाव देता हूं कि हमें एक प्रभावी जल नीति बनानी चाहिए। श्री मणिशंकर अय्यर ने यह कहा कि एक प्रभावी जल नीति बनाने के प्रयास में सरकार किस तरह से असफल रही है। मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहूंगा कि इस देश को एक उचित जल नीति की जरूरत है जो हम सब के लिए उपयोगी हो सकती है।

महोदय, दूसरी बात, नदियों का जोड़ा जाना अत्यावश्यक है और इसकी आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस पक्ष पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है। जहां तक

[श्री के. मलयसामी]

तालाबों और कुओं का संबंध है, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि अब मृदा जल स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है और जल की कमी होती जा रही है। क्या किया जाना चाहिए? मैं सुझाव दूंगा कि अधिक से अधिक जल रिसाव वाले तालाबों का निर्माण किया जाना चाहिए।

महोदय, अब मैं जल संरक्षण के बारे में बोलना चाहूंगा। अल्पकालिक उपाय के रूप में अव-मृदा जल स्तर का सृजन और वर्षा जल संचयन को जल संरक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक बनाया जाना चाहिए।

सूखा प्रबंधन के बारे में, इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या सांगठनिक स्तर पर कुछ गलत है अथवा श्रम शक्ति स्तर पर या परिचालनात्मक स्तर पर? कई बार आपदा प्रबंधन का आश्रय लिया जाता है। इसके लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अब अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री के. मलयसामी: महोदय, आपने कई अन्य सदस्यों को काफी समय दिया है लेकिन आप मुझे और दो-तीन मिनट का समय भी नहीं देना चाहते।

सभापति महोदय: मैंने आपको आवंटित समय से ज्यादा समय दिया है।

श्री के. मलयसामी: महोदय, मैं और दो-तीन मिनट का समय लूंगा और तब मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। तब तक कृपया मुझे बोलने दें।

महोदय, आपदा प्रबंधन के दौरान तीन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। वे हैं योजना, तैयारी और कार्य-निषपादन। यह अभी देखना है कि उन्होंने स्थिति का उचित मूल्यांकन किया या नहीं; क्या उचित योजना बनाई गई और तैयारी की गई; और अंततः वे अपना उचित कार्य-निष्पादन कर रहे हैं या नहीं। उच्च अधिकारी स्थान पर जाएं और निर्णय लेने में पदानुक्रम के अनुशासन को नजरअंदाज कर उसी समय सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करें ताकि आपदा को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाए। इस तरह की व्यवस्था वहां होनी चाहिए।

महोदय, खाद्य, पेयजल आदि जैसे राहत उपाय करने के आधार क्या हैं? राहत की जरूरत संबंधी निर्णय पर पहुंचने के लिए कुछ वैज्ञानिक और ठोस आधार होना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त करें। मैंने आपको आवंटित समय से अधिक समय दिया।

श्री के. मलयसामी: महोदय, इस तरह के वास्तविक कार्य-निष्पादन के समय दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते हैं और कई अवसरों पर प्रदत्त सहायता के अधिकांश भाग को बिचौलिए डकार जाते हैं। इसलिए, एक त्रुटिहीन प्रणाली ईजाद की जानी चाहिए ताकि प्रदत्त सहायता लाभार्थियों तक पहुंच सके।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, मैं मौसम विभाग को बधाई देने के साथ अपना भाषण शुरू करूंगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आचार्य जी, आपकी पार्टी से दो नाम हैं और आपका समय निर्धारित है जो बहुत थोड़ा है । यदि आप दोनों बोलना चाहते हैं तो आपको जल्दी समाप्त करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं उनके पक्ष में अपना नाम वापस ले रहा हूं। अतः वह हमारी ओर से बोलने वाले एकमात्र वक्ता होंगे।

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, अब तक मेरी पार्टी की तरफ से किसी ने नहीं बोला है और यह गंभीर मामला है, और इस आपदा से हमारा राज्य भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है।

महोदय, मैं इस वर्ष मानसून का सही पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम विभाग को बधाई देने के साथ शुरू करना चाहूंगा।

मैं यह समझने में असफल रहा कि उन्होंने इस वर्ष बहुत अच्छे और सामान्य मानसून का पूर्वानुमान कैसे लगाया। मुझे कहना चाहिए कि ऐसा करके उन्होंने पूरे कृषक समुदाय, पूरी सरकार और अन्य सभी को गुमराह किया। इसलिए, मैं विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूं। भविष्य में कम से कम उन्हें अब ऐसी 'सही पूर्वानुमान' नहीं लगाना चाहिए।

मुझे सूखा और बाढ़ के राष्ट्रीय परिदृश्य पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसाकि पूर्व में बोलने वाले माननीय सदस्यों ने विस्तार से वर्णन किया है। देश का एक बड़ा भाग सूखे से प्रभावित है और दो-तीन राज्य भयंकर बाढ़ से ग्रस्त हैं।

जैसा कि आप जानते हैं देश में कुल 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि में से करीब 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि वर्षा से सिंचित होती है। शेष 42 मिलीयन हेक्टेयर भूमि सिंचाई पर आश्रित है। 100 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में करीब 30-35 प्रतिशत योगदान करता है।

इसलिए, जहां तक खाद्यान्न उत्पादन का संबंध है सरकार को कोई समस्या नहीं है। हमने विभिन्न सदस्यों, माननीय मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा को सुना और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और उनमें से अधिकांश भंडारगृहों में सड़ रहा है। इसलिए, जहां तक खाद्यान्न भंडार का संबंध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कोई समस्या नहीं है। देश में इस अप्रत्याशित सूखे की स्थिति से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वे हैं लघु और सीमांत किसान।

सुबह मैं श्री देवगौड़ा और कुछ अन्य माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था। वे कुछ राज्यों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा कभी-कभी बरते जाने वाले भेद-भाव के बारे में बोल रहे थे। महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं जो अभी-अभी सभा से उठकर चले गए। माननीय कृषि मंत्री ने कुछ सूखा प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधियों की कल बैठक बुलाई थी। परसों के समाचार-पत्रों से यह जानकर हमें आश्चर्य हुआ था कि बहुत ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक उड़ीसा को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। मेरे पास श्री देवगौड़ा और कुछ अन्य सदस्यों की बातों से सहमत होने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है जिन्होंने भेदभाव के बारे में टिप्पणी की। हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्री से सम्पर्क करने के बाद कि उड़ीसा को भी बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिए, अंतिम समय में उड़ीसा को आमंत्रण भेजा गया।

मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि केन्द्र सरकार या कृषि मंत्री ने इन बातों का निर्णय कैसे किया। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि सचिव को 19 और 20 तारीख को राज्य में स्थिति का जायजा लेने के लिए उड़ीसा भेजा गया। आश्चर्य की बात है कि भुवनेश्वर में उन्होंने स्वयं यह वक्तव्य दिया कि उड़ीसा की स्थिति चिंताजनक नहीं है और वहां सब ठीक-ठाक है। शायद वह इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे कि उनके मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में पहुंचने के बाद ही थोड़ी रिमझिम बरसात हुई थी। शायद इसी कारण उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि उड़ीसा की स्थिति चिंताजनक नहीं है। मैं नहीं समझता कि केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने स्थिति का मूल्यांकन किस तरह से किया। यदि यही स्थिति रही तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाड़ और सूखे से प्रभावित लाखों किसानों का भविष्य क्या होगा।

जैसाकि मैंने पहले ही कहा, मैं राष्ट्रीय परिदृश्य के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ अपने राज्य के बारे में कुछ बातें रखूंगा। पूरा विश्व जानता है कि पिछले चार वर्षों से लगातार उड़ीसा विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय आपदाओं से ग्रस्त रहा है। सभी वर्ष 1999 के उस महाचक्रवात के बारे में जानते हैं जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी और काफी सम्पत्ति नष्ट हो गई थी। उड़ीसा आज भी इस महाचक्रवात के बाद पड़ने वाले प्रभावों से जूझ रहा है। इसी तरह, वर्ष 2000 में, उड़ीसा के 50 प्रतिशत से भी अधिक जिलों में सूखा था। पुन: उड़ीसा को गत वर्ष अप्रत्याशित बाढ़ का सामना करना पड़ा और इस वर्ष सूखे की स्थिति है।

इस वर्ष पुन: वहां सूखा पड़ा है, जैसाकि आप जानते हैं, हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार वर्ष-दर-वर्ष आने वाली इन प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह से टूट चुकी है। और इस स्थिति में, यदि केन्द्र सरकार के अधिकारी इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि उड़ीसा में सब ठीक-ठाक है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता।

यहां, मैं सिर्फ माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे यकीन है कि उनके पास सही रिपोर्ट अवश्य होगी। जून, 2002 में मेरे राज्य में वर्षा की स्थिति कुछ इस तरह है—सामान्य वर्षा 219.0 मि.मी. होनी चाहिए जबकि वास्तविक वर्षा 108.9 मि.मी. हुई। इसी तरह, जुलाई में मेरे पास 19 जुलाई, 2002 तक की रिपोर्ट है—सामान्य वर्षा 351.60 मि.मी. होनी चाहिए जबकि वास्तविक वर्षा 84.45 मि.मी. थी, जो कि सामान्य वर्षा से 62.08 प्रतिशत कम है।

हमारे राज्य में और देश के अन्य भागों में इस न्यून अनिश्चित वर्षा के कारण स्थिति चिंताजनक हो गई है। जहां तक मेरे राज्य की बात है, तीन-चार प्रमुख सिंचाई और नदी पर बांध बनाए जाने संबंधी परियोजनाएं हैं। सबसे बड़ा हिराकुड बांध है जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है। हिराकुड में कुल भंडारण स्तर 590 फीट है, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तविक जलस्तर मात्र 594 फीट है। इसलिए, यह मात्र चार फीट है, और यह चार फीट भी 19 और 20 जुलाई को हुई वर्षा के कारण है। इसलिए, यह दयनीय स्थिति है।

इस तरह रेंगाली नदी बांध परियोजना में 109.72 एमएम अधिकतम जल स्तर है जबकि अब वास्तविक स्तर 110.12 एम एम है। यह रिपोर्ट 15 जुलाई तक की है।

इसी प्रकार, ऊपरी कोलाब में अधिकतम जल स्तर 844 एम एम है और अब वास्तविक स्तर 845 ही है। यह तो मात्र एक फुट अधिक है।

महोदय, इसलिए खरीफ की फसल बचाने के लिए एक सिंचाई क्षमता का इस महत्वपूर्ण अवस्था में उपयोग नहीं किया जा सकता। यह क्षमता तो पहले ही नष्ट हो गई है।

[श्री प्रसन्न आचार्य]

महोदय, अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान धान की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लगभग 60 प्रतिशत खेती बीजों की बुआई के माध्यम से है और 40 प्रतिशत रुपाऊ के माध्यम से है। यद्यपि राज्य के अनेक जिलों में सीधी बुआई पूरी हो चुकी है। किन्तु सामान्य रूप से चावल की अल्प विकसित फसल ही बची है और बेशनिंग को रोक लिया गया है। ऊपरी जमीन में बोए गए बीजों का अंकुरण नमी के दबाव के कारण प्रभावित हुआ है। खेतों में चावल की पनीरी रुग्ण हो गई और उनकी वृद्धि रुक गई। खेत में पर्याप्त पानी की कमी के कारण और अधिक प्रतिरोपण शुरू नहीं किया जा सका।

महोदय, उच्च तापमान के कारण खेतों से पानी के वाष्पीकरण के कारण नुकसान में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दस जून से भुवनेश्वर में नित्य वाष्पीकरण में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे मिट्टी से पानी के ह्रास में वृद्धि हुई है। एक ओर पौधों को मिट्टी में कम नमी की आपूर्ति और दूसरी ओर फसलों से अधिक वाष्पोत्सर्जन होने से फसल पर विशेषकर धान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो राज्य की प्रमुख फसल है जिसमें सामान्यतया पानी की आवश्यकता अधिक होती है।

जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों द्वारा पहले ही कहा गया है, कि इस स्थिति के अनेक अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं। यद्यपि ताप विद्युत का उत्पादन हो रहा है फिर भी हम जल विद्युत पर ही सर्वाधिक निर्भर हैं। जैसाकि मैंने कहा है कि जल स्तर बहुत निराशाजनक है इसलिए इससे जल विद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। अन्ततः इससे रबी फसल पर भी प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, एक अन्य बात यह है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमने सन् 2000 में महाचक्रवात के बाद भयंकर सूखे की स्थिति का अनुभव किया है। उस समय हर एक ने मनुष्यों के बारे में सोचा और किसी ने पशुओं के बारे में नहीं सोचा। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों पशु मर गए क्योंकि उनके लिए चारा नहीं था। इसलिए मैं समझता हूं कि यह भारत सरकार का प्रमुख कर्त्तव्य है कि वह पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था पर उनकी समस्याओं की जांच करे।

महोदया, इस स्थिति के कारण भूजल स्तर प्रतिदिन कम हो रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि सभी कुएं सूख गए हैं किन्तु अधिकतर कुएं भूजल स्तर में कमी के कारण सूखते जा रहे हैं। माननीय जल संसाधन मंत्री, जो मेरे राज्य के हैं, भी यहां उपस्थित हैं। इसलिए केन्द्रीय भूजल सर्वेक्षण बोर्ड की तत्काल सेवाएं ली जानी चाहिए। राज्य सरकारों को पूरी सहायता दी जानी चाहिए। और अधिक पेयजल की सुविधा के उद्देश्य से सभी राज्यों में और अधिक कुएं खोदे जाने चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि यह कार्य उड़ीसा में ही किया जाना चाहिए बल्कि यह कार्य सूखा प्रभावित सभी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

महोदय, कृपया मुझे दो-तीन मिनट का समय दीजिए और मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं एक अन्य पहलू की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप कह सकते हैं कि इसका सीधा संबंध बाढ़ और सूखे की स्थितियों से नहीं है किन्तु मैं कहूंगा कि यह समसया किसानों से जुड़ी हुई है। जब भी कोई सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तो सूखा पड़ता है; किन्तु जहां भी सिंचाई सुविधाएं हैं और जहां भी पर्याप्त उत्पादन हो रहा है तो कुछ क्षेत्रों में किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए बाजार नहीं मिलता। विशेषकर उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और कुछ राज्यों में धान की औने-पौने दामों में बिक्री ने किसानों की जान ही ले ली है। जब वर्षा नहीं हो रही है तो किसान भूखे मर रहे हैं और आम आदमी भूखे मर रहे हैं और जब सिंचाई की व्यवस्था होती है और जब पर्याप्त उत्पादन होता है तो किसानों को अपने उत्पादों को बेचने हेतु बाजार नहीं मिलता।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है और जैसाकि मैंने कहा कि यह मेरी भावना भी है। कभी-कभी मैं यह महसूस करता हूं कि केन्द्र सरकार इस समस्या को हल करने के लिए सभी राज्यों के साथ-साथ समान व्यवहार नहीं कर रही है। जब उड़ीसा में औने-पाने दामों में बिक्री हो रही थी तो हमने भारतीय खाद्य निगम, कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय आदि के समक्ष गुहार लगाई किन्तु किसी ने भी इस समस्या की जांच नहीं की।

यह मेरा सुझाव है। सूखे की स्थिति इस समय चल रही है और मुझे कृषि मंत्री द्वारा कल की गई बैठक की जानकारी है जहां कुछ निर्णय लिए गए थे और कुछ सहायता की घोषणा की गई थी। मेरी सरकार ने भी तीन मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न विशेषकर चावल की मांग की थी। भारत सरकार और विशेषकर खाद्य मंत्रालय को यह सुझाव है। आप कृपया भंडारण के प्रयोजन से ही अन्य राज्यों को धान न भेजें जिससे कुछ अन्य राज्यों को सुविधा मिल जाएगी जिनका यह कुछ राजनीतिक प्रभाव है अथवा जिनके नेताओं का सरकार में कुछ प्रभाव है जो सरकार का भयादोहन कर सकते हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी को आठ मिनट ही आवंटित किए गए हैं किन्तु आप पहले ही तेरह मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री प्रसन्न आचार्य: हमारे राज्य जैसे गरीब राज्य अथवा हमारी जैसी पार्टियां इससे पीड़ित हैं। नि:सन्देह हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं और हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बने रहेंगे। हम सच्चे समर्थक हैं और हम भयादोहन की राजनीति में विश्वास नहीं करते और हम प्रत्येक मामले पर सरकार पर दबाव डालने में विश्वास नहीं करते। इसके कारण हमारी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। अत: मेरा विनम्र अनुरोध है कि उड़ीसा, अथवा छत्तीसगढ़ अथवा किन्हीं छोटे राज्यों के गोदामों में जो भी खाद्यान्न उपलब्ध है, उसका उपयोग सूखे की स्थिति के दौरान पहले उसका उपयोग किया जाना चाहिए और तभी अन्य राज्यों से खाद्यान्न मंगाना चाहिए। अन्य राज्यों में किसी तरह का भंडारण और स्टाक को सुकर बनाने के लिए वे उन राज्यों को खाद्यान्न विशेषकर चावल भेज रहे हैं। यह एक अच्छी प्रणाली नहीं है और वे ऐसा करके ऐसे राज्यों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मेरा यही अनुरोध है।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यगण सुझाव दे रहे हैं, तो मैं यह मानता हूं कि यह एक स्वागत योग्य कदम है कि हिमालय से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक अर्थात उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक सड़क बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद से अनेक सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अन्य माननीय सदस्यों को भी चर्चा में भाग लेना है।

श्री प्रसन्न आचार्य: मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो भी परियोजनाएं लंबित हैं, पहले उन्हें निपटाया जाए। मैं आपको उड़ीसा का एक उदाहरण दूंगा। मेरे राज्य में कुछ परियोजनाएं हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऑग बांध परियोजना नामक एक परियोजना है जो पिछले चालीस वर्षों से लंबित है। डा. अयोध्यानाथ खोसला देश के एक महान इंजीनियर थे जो एक बार उड़ीसा के राज्यपाल थे और यह परियोजना उनके दिमाग की उपज थी। इस परियोजना को तकनीकी सलाहकार समिति की ही स्वीकृति मिलने में लगभग चालीस वर्ष लगे। मैं मंत्री को धन्यवाद देता हूं हमें मंजूरी मिल गई।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। कृपया सभापति के साथ सहयोग कीजिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रसन्न आचार्य: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिए सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है। यह बहुत गम्भीर और अनिश्चित स्थिति है जिसका पूरा देश सामना कर रहा है। भारत सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय बनाए रखना चाहिए और इस स्थिति का सामना करने के लिए बहुत ठोस योजना के साथ आगे आना चाहिए।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव न करे।

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर): महोदया, कल के लिए शून्य काल और भोजनावकाश न रखने और चर्चा जारी रखने का निर्णय किया गया है। ऐसा लगता है कि इसका उत्तर कल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, पिछले वर्षों की तरह एक बार फिर हम इस सदन में सूखा और बाढ़ पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। पिछले वर्षों की चर्चा के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और इस बार भी सरकार से बहुत ज्यादा आशा नहीं है। पिछली बार जब हमने बाढ़ और सूखे पर चर्चा की थी तब उसका उत्तर ग्रामीण विकास मंत्री ने दिया था। इस सरकार को यह जानने में एक साल लगा कि नहीं, इस बार चर्चा का उत्तर कृषि मंत्री और सिंचाई मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए, इसमें ग्रामीण विकास मंत्री का कम रोल है। हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें। इन गलत नीतियों का कारण, इन गलत निर्णयों का कारण यह रहा कि बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए हम जन-प्रतिनिधियों पर कम निर्भर रहे और ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा निर्भर रहे। यही कारण रहा कि जितनी राशि राज्यों ने मांगी, उनको नहीं मिली जिसके कारण बाढ़ और सूखा पीड़ितों को जो राहत देनी चाहिए थी, वे नहीं दे पाए।

इसके साथ अभी हमारे बंधु ने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट उप प्रधान मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी देखेंगे और बाढ़ और सूखा कृषि मंत्री और सिंचाई मंत्री देखेंगे। जो व्यक्ति मानव आपदा से उत्पन्न स्थिति और आतंकवाद से नहीं निपट सका, वह प्राकृतिक आपदा से क्या निपटेगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। *...(व्यवधान)*

इंडियन मीटीरियोलौजीकल डिपार्टमैंट की रिपोर्ट क्या कहती है। साउथ-वैस्ट मानसून जून के दूसरे हफ्ते में सक्रिय हो जाता है और सारा देश नजर लगाए बैठा था कि कब वर्षा आए और कब हम अपने खेत बोएं। लेकिन इंडियन मीटीरियोलौजीकल

[श्री लक्ष्मण सिंह]

डिपार्टमैंट, जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, उनके सारे कथन गलत निकले। उनकी रिपोर्ट कहती है-

[अनुवाद]

"भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सामान्य 2002 दक्षिण-पश्चिम मानसून की भविष्यवाणी की है। मात्रात्मक रूप से पूरे देश के लिए जून से सितम्बर 2002 तक की अवधि के दौरान वर्षा के दीर्घ अवधि औसत वर्षा का 101 प्रतिशत होने की संभावना है।"

[हिन्दी]

यह आई.एम.डी. कहता है। सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या है। वे यहीं पर चुप नहीं रहते। देश के 16 करोड़ किसानों को गुमराह करने के बाद जो बाढ़ और सूखे से प्रभावित हैं, वे आगे भविष्यवाणी करते हैं-

[अनुवाद]

"यह पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है कि 2003 का मानसून लम्बी अवधि का रहेगा।"

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): इसका मतलब अगले वर्ष भी सूखा रहेगा।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : इस साल तो आप बता सही नहीं पाए और अगले साल की भविष्यवाणी कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* यह किस प्रकार का डिपार्टमैंट और सरकार है जो इस वैज्ञानिक युग में, 21वीं सदी में, इस प्रकार की गलत जानकारी किसानों को दे रही है। एक महीना बर्बाद करने के बाद, 16 जून से 16 जुलाई तक कृषि विभाग द्वारा कुछ नहीं किया गया और एक कीमती महीना बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद 16 जुलाई को कृषि मंत्री जी की नींद खुलती है। 17.7.2002 के 'हिन्दू' अखबार की खबर है।

[अनुवाद]

मानसून की देरी से सरकार चिन्तित है। एक महीने की नींद के बाद सरकार जागती है और कृषि मंत्री जी कहते हैं: "केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री अजित सिंह ने अपने मंत्रालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और आई.एम.डी. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की थी।"

और मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकला: "उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी जगह एक आकस्मिक योजना बनायी जाएगी और एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी किसानों को राहत के लिए समन्वय करेगा।"

[हिन्दी]

यानी फिर वह गलती कि एक जोइंट सैक्रेटरी के पद का अधिकारी, एक ब्यूरोक्रेट इस देश के समस्त सूखा प्रभावित किसानों को, इस देश के समस्त बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाएगा, यह कृषि मंत्रालय के लिए शर्म की बात है। यही कारण रहा कि इन गलत निर्णयों के कारण आज हम देखते हैं कि जो गरीब प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़, आज इन प्रदेशों में दलहन और तिलहन का क्षेत्र बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने सही निर्णय सही समय पर नहीं लिए। अगर हम यह देखें कि देश में बाढ़ और सूखा पिछले 200 वर्षों में कितने पड़े हैं *...(व्यवधान)* मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मोटे तौर पर यह है कि पिछले दो सौ वर्षों में 45 बार हमारे देश में सूखे पड़े हैं और सबसे ज्यादा सूखे हमारे देश में 1970 और 2000 के बीच में पड़े हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा जो मदद दी गई है, उसके कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। बिहार ने 1998-99 ने 1003 करोड़ रुपये मांगे और 11 करोड़ रुपये दिये। 1999-2000 में बिहार ने 701 करोड़ रुपये मांगे और आपने 38 करोड़ रुपये दिये। 2001-2002 में बिहार ने 735 करोड़ रुपये मांगे और आपने एक पैसा नहीं दिया। मध्य प्रदेश ने आपने 1998 में 251 करोड़ रुपये मांगे. और आपने एक पैसा नहीं दिया। उसका कारण यह रहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप और हम सबने मिलकर यहां प्रदर्शन किया, यहां सैकड़ों-हजारों किसान आये। हमने 556 करोड़ रुपये मांगे और हमें 38 करोड़ रुपये मिले। पिछले वर्ष हमने 253 करोड़ रुपये मांगे और जवाब यह मिला कि आपका मामला विचाराधीन है, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं मिला। इस साल 600 करोड़ रुपये की मांग है, भारी सूखा पड़ा है, लेकिन कितना पैसा मिलेगा, पता नहीं। महाराष्ट्र, पंजाब का भी यही हाल है और राजस्थान ने पिछले वर्ष 113 करोड़ रुपये मांगे, लेकिन एक पैसा नहीं मिला। कर्नाटक ने 903 करोड़ रुपये की मांग की थी परन्तु एक कौड़ी भी नहीं दी गयी। गलत नीतियों का परिणाम यह है कि आज हमें गलत आंकड़े दिये जाते हैं, गलत जानकारी सदन को और देश को दी जाती है। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 1973-74 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 55 प्रतिशत थी और 1999-2000 में इस सरकार के चलते 26 प्रतिशत हो गई है, यह सरकार का दावा है। उसके ठीक विपरीत डॉ. एस. स्वामीनाथन, जो माने

हुए कृषि वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस देश में हरित क्रान्ति लाकर बताई, ये जो कहते हैं, वह इस सरकार के आंकड़ों से सही होगा। वे कहते हैं कि 260 मिलियन लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। यह 26 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। इसलिए सरकार का यह दावा भी कि 26 प्रतिशत ही गरीब इस देश में हैं, पूरी तरह से असत्य है। मैं कुछ आंकड़े देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, कोई सामान्य भाषण नहीं दूंगा। देश में 130 मिलियन हेक्टेयर जमीन में मिट्टी का कटाव प्रति वर्ष होता है। 1974 में देश में सूखे का क्षेत्र 55.3 मिलियन हेक्टेयर था, वह 1996 में बढ़कर 74.6 मिलियन हेक्टेयर हो गया। जब सूखे का क्षेत्र बढ़ा है तो कौन कह सकता है कि गरीबी हटी है। जब अकाल या सूखा बढ़ा है तो गरीबी भी उसकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं।

एक अंग्रेजी पत्रिका ''डाउन टू अर्थ'' के 15 मई के एडीशन में बहुत अच्छा सर्वे प्रकाशित हुआ है। उन्होंने देश के सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित जिलों का आंकलन किया है। आप ताज्जुब करेंगे, एक जिला आंध्र प्रदेश में है अनंतपुर, यहां हमारे टी.डी.पी. के सांसद नहीं हैं, उसकी कहानी क्या है,

[अनुवाद]

इतना कम पानी पहले कभी नहीं था जितना 520 मि.मी. वर्षा के बाद इस बार है। इसका इतिहास भारत की अच्छी जलीय उपज के परम्परा से भरा हुआ है साठ के दशक तक पांच हजार तलाबों में पानी एकत्रित हुआ था।

[हिन्दी]

पांच हजार तालाब इस एक जिले में थे और वाटर हार्वेस्टिंग होती थी।

[अनुवाद]

इसने परम्परागत कृषि को बचा लिया। 70 के दशक तक इन टैंकों ने समृद्धि को सुरक्षित रखा। यह कथा है कि 15वीं से 18वीं सदी तक यहां के स्थानीय बाजारों में मूंगफली के साथ हीरे और मोती बिका करते थे।

[हिन्दी]

यह जिला लैंड आफ ज्वैल्स कहलाता था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते आज यह जिला लैंड आफ रॉक्स हो गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने पन्द्रह मिनट का समय ले लिया है जबकि आपकी पार्टी ने आपके लिए 10 मिनट का समय आवंटित किया था।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि लम्बे भाषण से इसका समाधान नहीं होगा। देवेगौड़ा जी ने जैसा बताया, वह सही बताया कि गंगा-कावेरी लिंक प्रोजेक्ट एक आवश्यकता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब 60,000 करोड़ रुपया सड़क बनाने पर हम खर्च कर सकते हैं तो इतना पैसा उन योजनाओं पर खर्च करें, जहां बाढ़ का पानी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आ सके। मैं इससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि आइए हम सब खड़े हों और इस योजना को मूर्त रूप दें।

सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं और इस बात को मानता हूं कि जनप्रतिनिधि जब तक सूखे से प्रभावित या बाढ़ से प्रभावित इलाके के लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा और सरकार भी सचेत नहीं होगी।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलंदशहर): सभापति महोदय, आज हम देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के लगभग 14 राज्य सूखे से प्रभावित हैं। एक तरह से यह देश का कुल दो तिहाई भाग है। दुखद स्थिति यह है कि जो राज्य ज्यादा अन्न उत्पादित करते हैं, वे सूखे की चपेट में आ गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य अनाज पैदा करके बाहर भेजते थे, लेकिन आने वाले दिनों में उनके यहां भी खाने की स्थिति खराब हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गंगा और यमुना का बेसिन, जो दुनिया में सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, आज सूखे की चपेट में है। वहां 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो चुकी है। आने वाले दिनों में अगर बारिश हो जाए और हम फसल लगा भी लें और बारिश लगातार न हो, तो भी फसल नहीं होगी। अगर यहां की क्लाईमेट कंडीशन नहीं बदलेगी, तो आने वाले दिनों में फसल नहीं होगी, बीज नहीं लगेगा। मोटे अनाज की बिजाई विशेष तौर से सूखे से प्रभावित हुई है। जहां पहले यह 90 लाख हेक्टेयर में होती थी, इस बार केवल 40 लाख हेक्टेयर में हुई है। बाजरे की फसल जहां पहले 30 लाख हेक्टेयर में होती थी, इस बार केवल 16 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है।

यही हालत सोयाबीन की है जिसको हम एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं। 51 लाख हेक्टेयर पिछले साल बिजाई हुई थी। इस बार केवल 18 लाख बिजाई हो पाई है। मौसम विभाग के बारे में काफी लोगों ने चर्चा की है। मौसम विभाग जिसमें लम्बा-चौड़ा इंजीनियर्स का सैट-अप बिठा रखा है और उनकी एक भी बात सच नहीं निकलती। उनसे तो अच्छा है कि

[श्री छत्रपाल सिंह]

चार पंडितों को बिठा दिया जाये तो उनकी बात फिर भी सच निकल सकती है। 26 उपमंडल हैं और उनमें बहुत कम बारिश हुई है या बिल्कुल बारिश नहीं हुई है और मौसम विभाग वाले कहीं भी नहीं बता पाए कि समय से बारिश होगी और इस तरह देश को गुमराह करते रहे कि मानसून आने वाला है। किसानों ने अपने खेतों में बीज डाल दिये और खेत सूख गये। पूरे देश में 70 जल भंडार हैं। उनकी क्षमता इस वक्त 17 प्रतिशत रह गई है। अगर बारिश नहीं हुई तो 17 प्रतिशत पानी भी समाप्त हो जाएगा और पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अखबार के आंकड़े बताते हैं। जल संचय के पुराने साधन भी समाप्त हो गये हैं। गांवों के लोगों ने आबादी बढ़ा ली, उथले तालाबों को भी खेत बना लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुराने तालाबों को खाली करके उनकी खुदाई की जानी चाहिए परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी प्रदेश सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और अब आने वाले दिनों में पीने के पानी की समस्या भी उत्पन्न होगी। मवेशी भी पीने के पानी की कमी से मर रहे हैं।

देश में बारिश का औसत धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। प्रतिवर्ष डेढ़ लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में कमी हो रही है और जहां इस देश में कभी साठ के दशक से पहले 60 प्रतिशत वन क्षेत्र था, आज वह 32 प्रतिशत वन क्षेत्र रह गया है और हम सूखे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। किसी वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की थी कि वन्य क्षेत्रों का यदि कटाव जारी रहा और मानसून की यही स्थिति रही तो गंगा और जमुना के बेसिन की हालत वही हो जाएगी जो आज भरतपुर में है। वहां पीने के पानी की और सिंचाई के साधनों की कोई स्थिति नहीं है। अगर गंगा और यमुना के बेसिन की स्थिति भी ऐसी हो जाएगी तो देश अनाज के लिए तरस जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूं। अभी कुछ जिले सूखा घोषित किये गये हैं। मैं प्रदेश सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सही मायनों में पूरा उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में है। जिला प्रशासन ने समय के हिसाब से सिफारिश नहीं भेजी, जिले के आंकड़े नहीं भेजे कि कितनी प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार समय से सूखा घोषित नहीं कर पाई। ब्यूरोक्रेट्स को चिंता ही नहीं है चाहे इंसान मर जाये, मवेशी मर जाएं पर उन्हें देहात जाकर देखने की फुर्सत नहीं है।

बुलंदशहर एक अच्छा जिला है लेकिन वहां 60-70 प्रतिशत फसल समाप्त हो गई है। अगर बारिश हो भी गई तो भी इसे रिवाइव नहीं किया जा सकता। 14 जिलों को अभी सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया और लोगों में बेचैनी हुई कि यह क्या हो रहा है। बुलंदशहर, आगरा और कानपुर मंडल के कई जिलों को पहले सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि लोगों में इससे बेचैनी होती है कि यदि सरकार स्थिति में दुराव की नीति अपनाएगी तो सूखे से कैसे निपटा जाएगा?

महोदय, आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार पूरी सहायता नहीं कर रही है। हालांकि यह प्रकृति का प्रकोप है, लेकिन वास्तविक यह है कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही देश सूखे की स्थिति से नहीं लड़ पा रहा है। देश को आजाद हुए आज 55 साल हो गए हैं और इन 55 सालों में कांग्रेस ने देश में 48 साल राज किया है। इन 48 सालों में इन्होंने हनुमंतैया रिपोर्ट को भी कार्यान्वित नहीं किया। माननीय देवगौड़ा जी ने जो बात कही है, वह सही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सड़क निर्माण के लिए बृहद् योजना बनाई है कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा। पूरे देश के महानगरों को सड़क से जोड़ा जाएगा। इसी तरह की योजना जल संसाधन के क्षेत्र में बनायी जानी चाहिए। इसके साथ ही 10-20 सालों से जो जल योजनायें लम्बित पड़ी है, उनके बारे में प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इन योजनाओं को पहले पूरा करेंगे और दूसरी योजनाओं को बाद में देखेंगे। पहले इस देश के किसानों के बचाया जाएगा। किसान बचेगा, तो देश बचेगा। अगर किसान नहीं बचेगा, तो देश भी नहीं बचेगा।

महोदय, गंगा का पानी बहता जा रहा है और गंगा नदी पर केवल दो ही नहरें निकाली गई है। हरिद्वार में एक अपर-कैनाल और दूसरी नरौरा में कैनाल निकाली गई है। इसके बाद एक हजार किलोमीटर तक गंगा नदी पर एक भी कैनाल नहीं निकाली गई है। पूरे बिहार में तो एक भी कैनाल नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी नहर नहीं है। ...*(व्यवधान)* लिफ्ट कैनाल से कितनी सिंचाई होती है। जब तक बड़ी योजनाएं नहीं होंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जल बेकार जा रहा है। बिहार में बाढ़ आ रही है और असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ रही है। नार्थ-ईस्ट में भी बाढ़ आ रही है। यह देश का दुर्भाग्य है कि एक ही समय में देश में बाढ़ से भी लोग मर रहे हैं, सूखाड़ से भी लोग मर रहे हैं। यहां आदमी गरमी से भी मरता है, लू से भी मरता है और ठंड से भी मरता है तथा बरसात से भी मरता है। दुनिया में शायद यह एक देश है, जहां हर मौसम में लोग मारे जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: दंगों से भी मारे जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री छत्रपाल सिंह: यह तो आपकी मेहरबानी है।

महोदय, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सन् 2000-2001 में बाढ़ और सूखाड़ से लगभग 2,694 लोग मारे गए हैं। यदि हम गुजरात के भूकम्प में मारे गए

लोगों को जोड़ लें, उनकी संख्या 22,633 है। यह बड़ी दुखद स्थिति है कि देश में लोग न लू से बच पाते हैं और न पानी से बच पाते हैं। इसके साथ ही जल स्तर भी नीचे जा रहा है। सरकार द्वारा जितने ट्युबवैल लगाए गए थे, वे सब सूखे पड़े हुए हैं। जहां थोड़ा बहुत पानी है, वहां पचास प्रतिशत फसलें खत्म हो गई हैं। जिस तरह से टैम्प्रेचर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए लगी हुई फसलें भी बरबाद हो जायेंगी। मान लीजिए, अगर मक्का की फसल में बाली निकल आई है और तापमान अधिक है, बाली जल कर खत्म हो जाएगी और कोई दाना पैदा नहीं होगा। यही हाल दूसरी फसलों का भी होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन पर फसलें पैदा होती है। सदन में जल संसाधन मंत्री जी उपस्थित है और मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो 20-25 योजनायें लम्बित पड़ी हुई हैं, उनको पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। नहरें बनाकर उनमें पानी छोड़ा जाना चाहिए। ट्युबवैल को बिजली उपलब्ध कराकर सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए, नहीं तो सूखाड़ की स्थिति से नहीं लड़ा जा सकेगा। फूड फॉर वर्क योजना के बारे में जो सुझाव दिए गए हैं, वही सुझाव मैं भी दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यह गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। किसानों के गन्ना उत्पादन का बकाया मिलों के पास है। अगर यह बकाया राशि किसानों को मिल जाए, तो वह खेती को सुधारने के लिए पैसा लगा देगा। एक तरफ किसानों से वसूली हो रही है दूसरी तरफ उसे पैसा नहीं दिया जा रहा है। उसके ऊपर ब्याज बढ़ रहा है। उसकी वसूली न होने पर उसे बंद किया जा रहा है। इस तरह किसानों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है जो अत्याचारजनक है। यह देख कर हमें बहुत बुरा लगता है। सरकारी धन पर उसका भी हक है लेकिन इसके बावजूद उसे बंद किया जा रहा है। इस बारे में प्रदेश सरकार से बात करके इसे रोकना चाहिए। आने वाले दिनों में जो स्थिति सूखे की है, उसमें केवल आपका विभाग सम्मिलित नहीं होगा स्वास्थ्य मंत्रालय को भी अभी से तैयारी करनी होगी। कहीं सूखे से बीमारी न फैल जाए यह देखना होगा। अगर बीमारी फैलेगी तो भयंकर रूप सामने आयेगा। आपको पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी। इंडिया मार्क के पंप लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साधन जुटाने होंगे। आप आने वाले दिनों में कृषि का बजट बढ़ाइए। इसके बाद ही आपातकालीन स्थिति में आप किसानों के लिए बेहतर काम कर पाएंगे।

आज दूसरे देश डब्ल्यूटीओ के चक्कर में चिल्ला रहे हैं कि कृषि पर सब्सिडी कम कीजिए लेकिन अमेरिका किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ा रहा है। वह हमें सबक दे रहा है कि इसे कम करिए। आप दूसरे देशों के दबाव में न आकर किसानों को चिन्ता करें। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी बढ़नी चाहिए, यही मेरा सुझाव है।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): सभापति महोदय, पंजाब से भी किसी को बोलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कृषि राज्य है। हमारी पूर्णतया उपेक्षा की गई है। क्या आप हमें कुछ समय देंगे?

सभापति महोदय: आपको मौका मिलेगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, यह अजीब विडम्बना है कि मानसून सत्र में हम सूखे पर बहस कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान की खेती जुए के समान है और हिन्दुस्तान का असली कृषि मंत्री मानसून होता है लेकिन अजीत सिंह नही हैं। इस साल मानसून ने धोखा दिया है और सरकार का भंडा फूट गया। यह कैसा मैनेजमेंट है? प्रधान मंत्री डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं। उस कमीशन का क्या हुआ? सभी जगह डिजास्टर हो रहा है। आपका मैनेजमेंट कहां चला गया? बांध टूट गए। बाढ़ और सूखे से लोग मर रहे हैं। उड़ीसा के माननीय प्रसन्न आचार्य जी चले गए। वह कह रहे थे कि उड़ीसा को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। आपने बिहार वालों को तो छोड़ दिया लेकिन बिहार के साथ-साथ उड़ीसा को भी छोड़ दिया। धनराशि देने की बात अलग, बुलाने में भी कोताही बरती गई, भेदभाव किया गया। यह कैसा इन्साफ है? उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? देश के पहले से 16 राज्य, 183 जिले और 971 ब्लॉक ड्राउट प्रोन एरियाज घोषित किए गए हैं। यहां मानसून में वर्षा होती थी लेकिन इस साल वर्षा नहीं हुई। इसलिए आज हम सूखे पर बहस कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने 524 जिलों की फीगर्स इस किताब में दी हैं लेकिन इनमें से 320 जिले सूखे से प्रभावित है। इसमें 183 जिले हैं या नहीं, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। इनका क्या हिसाब है? भारत सरकार अखबार भी नहीं पढ़ती।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्।

जब-जब धर्म की हानि होगी, तब-तब भगवान अवतार लेते हैं। हमें आशंका होने लगी है कि शायद भगवान अखबार नहीं पढ़ते होंगे कि यहां जोर-जुल्म हो रहा है और यहां अवतार नहीं लेते हैं। इसलिए लग रहा है कि सरकार अखबार नहीं पढ़ती है। बिहार में हिन्दी का दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, तारीख 22 जुलाई, 2002 के मुख्य पृष्ठ पर लिखा है 'कुदरत के रंग, कहीं झमाझम बारिश, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा।' बिहार में कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। जो रिपोर्ट लिखी है-"सीवान जिले में गरीब किसान अपने धान के लहलहाते खड़े खेत अपने पशुओं को खिलाने लगा है। लगातार डीजल पम्प सैट चलाते उसकी पाकिट

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

खाली हो गई है। तमाम स्थिति किस तरफ इंगित कर रही है कि सीवान जिले में सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं, सभी चिल्लाकर 'अकाल है, अकाल है' कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि बादल नहीं आते हों, हवा भी तेज चलती है लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। मैंने एक उदाहरण दिया है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार के पास क्या रिपोर्ट है, कितने जिले और कितने राज्य इस रिपोर्ट में छूट गये हैं। बिहार और उड़ीसा तक छूट गये हैं। वहां बरसात कहीं कहीं देर से हुई। रामचरित मानस में भी कहा गया है कि जब कृषि सूख जाये तो फिर वर्षा होने का कोई मतलब नहीं।

सभापति महोदय, सरकार से आग्रह है कि वह रिपोर्ट मंगाकर देखे कि कितने जिलों में रोपणी हुई है। वहां 6 जिले पहले से ही सूखे की लपेट में थे। पाकिट से डीजल खर्च करके किसान तबाह हो गया है, मर रहा है। श्री लक्ष्मण सिंह जी रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि अन्य राज्यों को जो अनाज मिला और बिहार को 'काम के बदले अनाज योजना' में एक लाख टन सड़ा हुआ अनाज मिला जिसे लोगों ने नहीं उठाया। नेशनल कैलेमिटी कंटनजैंसी फंड में बिहार को पैसा नहीं मिला, अन्य राज्यों को मिला। मैं सरकार पर भेदभाव अनपाये जाने का आरोप लगाता हूं। बिहार सरकार से मैमोरंडम आया। वहां स्पेशल टीम गई, जांच-पड़ताल की गई जिसमें पाया गया कि 976 करोड़ रुपये की फसल बरबाद हुई। हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी को ज्ञापन दिया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। देश के कुछ राज्य बाढ़ से और कुछ राज्य सुखाड़ से प्रभावित हैं लेकिन बिहार बाढ़ और सुखाड़ के अतिरिक्त सरकार से भी तबाह है। इस प्रकार बिहार बाड़, सुखाड़ और सरकार से तबाह है। एक विपत्ति से मुकाबला किया जा सकता है लेकिन वहां तीन ओर से तबाही है। भारत सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया है। बिहार गरीब राज्य है जिसके साथ भेदभाव किया गया। इसके बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगा। बिहार को नेशनल कैलेमिटीज फंड से एक पैसा नहीं दिया गया। 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की लेकिन भारत सरकार ने बिहार का बंटवारा करने के बाद भी भेदभाव किया। बिहार को जमीन के आधार पर बांट दिया और नेशनल कैलेमिटीज फंड का पैस भी 11वें वित्त आयोग ने जमीन के आधार पर बांट दिया। आयोग का कहना है कि दस वर्षों तक जहां जितनी बरबादी हुई है उसका एवरेज लेकर होना चाहिए। झारखंड में प्राकृतिक आपदा कम हैं, वहां बाढ़ नहीं है। एकाध जिले में कभी-कभी बाढ़ होती है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नदियों के कारण अभी बाढ़ जिला तबाह हुआ है। गोपालगंज से लेकर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, सीवान, मधुबनी और दरभंगा आदि जिले तबाह हुए हैं। वहां बांध टूट गये, घरों में पानी चला गया। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के रास्ते बंद हो गये। 12 से 15 लोगों के मरने की कल तक की रिपोर्ट है। इसके अलावा भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. जसवंतसिंह यादव: आप केवल बिहार पर बोल रहे हैं, राजस्थान के बारे में भी बोलिये।

सभापति महोदय: यादव जी, जब आपका नम्बर आये, तब आप बोलिये। बोलने वालों में आपका नाम भी है, आप तभी बोलिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम राजस्थान पर भी बोलेंगे। लेकिन बिहार के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। बिहार के साथ प्रकृति का अन्याय, सरकार का अन्याय हुआ है। बाढ़, सुखाड़ और सरकार तीनों से बिहार की तबाही हुई है। गंडक, बागमती आदि नदियों से वहां तबाही होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नदियों से तबाही होती है। अभी रघुनाथ झा जी ने सवाल उठाया, उन्होंने एक बार नहीं कई बार सवाल उठाया। लेकिन यहां विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री के रहते सारी जिम्मेदारी सिंचाई मंत्री पर चली गई। भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच कब समझौता होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कंवरसेन कमेटी गई थी। उसने कहा कि बिहार में बाढ़, जल जमाव और सुखाड़ से इतनी तबाही होती है, उसका इंतजाम करना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। इसलिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदारी लेकर उसका इंतजाम करना चाहिए। कंवरसेन कमेटी की रिपोर्ट है, उस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मैं मांग करता हूं कि उस पर कार्रवाई हो और कैलेमिटी रिलीफ फंड के बंटवारे पर बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है, जमीन के आधार पर 56 प्रतिशत बिहार को और 44 प्रतिशत झारखंड को दिया गया है। झारखंड जहां प्राकृतिक आपदा नहीं है या बहुत कम है। लेकिन जहां आपदा हैं, वहां दस वर्षों को हिसाब जोड़ा जाना चाहिए। इसमें सरकार सुधार करे। भारत सरकार ने बिहार के साथ नाइंसाफी की है।

सभापति महोदय, कृषि फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए। मैं उसकी मांग कर रहा हूं। जल जमाव, बाढ़ और सुखाड़ के लिए भारत सरकार जिम्मा ले। भारत और नेपाल समझौता हो और गंडक फेस-2, कोसी फेस-2, बागमती परियोजना को माननीय मंत्री जी देखें। दस लाख हैक्टेअर में जल जमाव है, अभी माननीय रघुनाथ झा जी ने कहा है, उसके लिए पैकेज देना है। लेकिन कुछ नहीं होता है। किसानों पर मुफ्त में मालगुजारी लगती है। इसलिए उसे विशेष प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, एक मिलियन स्वैलो ट्यूबवैल की योजना भारत सरकार के जिम्मे है और सरकार ने उस पर अपनी सहमति भी दी है। इसमें हजारों किसानों की पिटीशन पड़ी हुई है। लेकिन इसमें बैंक वाले असहयोग कर रहे हैं। बैंक वालों पर कौन जवाब देगा। इसके लिए कौन मंत्री जी हैं। हम किनको बतायें, किससे पूछें। 64 हजार किसान इनडिविजुअल के लिए भारत सरकार से

मदद की बात है, इसमें राज्य सरकार भी है और किसान अपनी तरफ से भी कुछ लगा देंगे। बैंक से उन्हें ऋण मिलना चाहिए। इस योजना का नाम 64000 मिलियन स्वैलो ट्यूबवैल है। यह बहुत मशहूर और किसानों के लिए लाभदायक योजना है। लेकिन बैंक वाले ऋण नहीं दे रहे हैं। इसलिए किसान परेशान हैं, तबाह हैं। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।

इसके अलावा ऊसर भूमि विकास परियोजना कृषि विभाग में पड़ी हुई है। उसकी मंजूरी हो जाए और ट्रांसमीशन लाइन प्रोजेक्ट बिजली के बिना किसान की कोई मदद नहीं कर सकती है। बिजली होने से वह पम्पसैट लगायेगा, चूंकि बिजली सस्ती होती है। डीजल से पम्पसैट चलाते-चलाते किसान मारे गये, तबाह हो गये। जो 335 करोड़ की योजना आई है, वह प्लानिंग कमीशन में हैं, उसे तुरंत मंजूर किया जाए। जिससे वहां की ट्रांसमीशन लाइन दुरुस्त हो जाएं। इसे पावर ग्रिड कारपोरेशन के द्वारा कर दें।

सायं 6.00 बजे

सीतामढ़ी जिले में एफ.सी.आई. का अनाज नहीं पहुंच रहा है। हमने टेलीफोन से बात की तो कहा गया कि एफ.सी.आई. वाले मंत्री चले गए हैं, यही देख लेंगे। सीतामढ़ी में एफ.सी.आई. वाला अनाज नहीं पहुंचा। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर का संबंध विच्छेद हो गया। वहां अनाज नहीं है। बागमती और अदवाड़ा समूह की नदियों से तबाही हो रही है। ...*(व्यवधान)* पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है और ये 320 जिले कह रहे हैं। देश भर में 570 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं और ये 524 जिले ही कह रहे हैं। इसीलिए देश भर में सुखाड़ और बाढ़ को अकालग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए। किसान पर कर्जा बढ़ता जाता है, सूद बढ़ता जाता है इसलिए उसे माफ किया जाए। इसके लिए ऐसी कार्य योजना चलाई जाए जिससे सुखाड़ का मुकाबला किसान कर सके। सिंचाई को प्राथमिकता दी जाए और किसानों की मदद की जाए नहीं तो किसान तो तबाह ही होगा। ...*(व्यवधान)* इस सरकार में सब कुछ तबाह हो रहा है, लेकिन किसान सब आपदाओं के बाद भी तरक्की कर रहा है। इसलिए किसान को तरजीह देनी चाहिए। खेती पर ही आधारित हमारी इकोनॉमी है, इसलिए बाढ़, सुखाड़, जल-जमाव सबका मुकाबला करने के लिए सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): माननीय सभापति महोदय, इस महान सभा में देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा हो रही है। मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसी घोर समस्या पर बोलने का मौका दिया।

भारतीय उपमहाद्वीप इतना विशाल है कि प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न रूपों में एक ही समय में देश को प्रभावित करती है। अकाल और बाढ़ बार-बार आने वाली विशेषतायें बन गयी है। यदि देश का एक भाग बाढ़ से ग्रस्त है तो देश का अन्य भाग अकाल से ग्रस्त है। हमें स्वतंत्रता प्राप्त किये 55 साल हो गये हैं। सभी उत्तरोत्तर सरकारें कई वर्षों से असफल रही हैं। राष्ट्रीय आपदाओं ने राष्ट्रीय संसाधनों के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। लेकिन हम अभी तक कारगर तंत्र विकसित नहीं कर पाये हैं।

यह सच है कि मौसम की परिवर्तनशीलता और प्रकृति के प्रकोप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, परन्तु प्रकृति माता निश्चित तौर पर उनकी मदद करती है जिनके पास कारगर आपदा प्रबंधन प्रणाली है। अकाल ने हमारे लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अकाल से कहीं ज्यादा यह हमारी व्यवस्था की नाकामी है जिसने हमें परेशानियों में डाला है।

महोदय, भारत अनाज उत्पादन में उच्च स्थान रखता है। यह हमारी मुख्य विशेषता है। हमारे जैसे सघन आबादी वाले देश में अनाज उत्पादन को सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए। इसके बावजूद कि हम अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। एक समय भोजन खाकर जीवन बसर करने वाले लोग कुल जनसंख्या का 37% हैं।

हमारे प्रयास इस स्थिति को नियंत्रण में लेने के होने चाहिए। उसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। इसके साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अकाल और बाढ़ हमारे खाद्य उत्पादन के लक्ष्य को प्रभावित न कर सकें। यह सब एक सोच समर्पण और राजनीतिक इच्छा से ही प्राप्त किया जा सकता है। देश का संपूर्ण विकास केन्द्र को सुनिश्चित करना होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या भविष्य की कोई भी सरकार सत्ता में आने के लिए क्षेत्रीय दलों पर निर्भर करेगी। अत: यह केन्द्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित करे।

अल्प अवधि के राहत उपाय जैसे 2 या 5 किलो चावल देना या "कार्य के बदले अनाज" आदि योजनाएं अंतिम समाधान नहीं हो सकती। इस कारण से हमारे यहां खराब मानसून और बुरी तरह खाद्य उत्पादन को प्रभावित करने वाली घटनाएं बार-बार होती हैं।

भारत सरकार के तत्कालीन सिंचाई मंत्री, श्री के.एल. राव ने गंगा नदी को कावेरी नदी के साथ जोड़ने की योजना की रूपरेखा तैयार की थी। उसे कार्यान्वित करके हम मध्य और दक्षिण भारत के कई भागों में अकाल से मुक्ति पा सकते थे।

[श्री ए.के.एस. विजयन]

चोलामंडलम, जिसमें तंजावुर, तिरुवरूर और नगापट्टिनम शामिल हैं, तमिलनाडु का चावल प्रदेश रहा है। अब सूखे गले से लोग कावेरी के पानी की धारा की ओर देखते हैं। यदि सिंचाई के पानी की बात छोड़ दी जाये, वहां तो पीने के पानी की भी कमी है। कृषक मजदूर वहां दयनीय स्थिति में हैं। उनमें से कुछ तो चूहे खाकर मरने को भी बाध्य है।

तंजावुर कावेरी डेल्टा क्षेत्र की उर्वरक भूमि को के बैलों की जगह हाथियों के लिए छोड़ दिया गया था। परन्तु अब उस क्षेत्र में इतना पानी भी नहीं है कि बैलों को पिलाया जा सके।

नदियों और नहरों को सिंचाई व्यवस्था हेतु वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जोड़ना समय की जरूरत है। इससे हमें अकाल और बाढ़ जैसे महाप्रलयों से बचने में मदद मिलेगी। हमारे यहां राजा नीरो की तरह के शासक नहीं होने चाहिए जो कि वायलिन से खेल रहा था जबकि रोम जल रहा था। हमारे शासकों को जमीनी वास्तविकताओं को समझना चाहिए विशेषतौर पर तब जबकि पानी का स्तर नीचे जा रहा है और हमें असफल बना रहा है।

मानसून की विफलता और सूखे की स्थिति के कारण से हमारे कृषि उत्पादन और पशुधन की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरंत अल्प अवधि स्कीमें और लम्बी अवधि की योजनाएं तैयार करें।

कृषि ऋणों को माफ किया जाए। ब्याज का बोझ भी घटा दिया जाए। जब प्रकृति विफल हो जाती है तो राज सहायता दी जाए। उत्तर और दक्षिण की नदियों को जोड़ने के लिए प्रभावशाली जल प्रबंधन नीतियां तैयार की जानी चाहिए। पश्चिम को बहने वाली नदियों को मोड़ने की कोशिश की जाए।

गारलैण्ड नहर योजना अब भी विचाराधीन है। केवल सोच और वचनबद्धता से ही हम अकाल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय और आपको भी बता दिया है कि विभिन्न दलों के बहुत से सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। मेरा कहना यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने देना चाहिए और यदि समय बचे तो बाकी सदस्यों को कल बोलने की अनुमति दे और उन्हें अपने भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दें ताकि प्रत्येक संतुष्ट हो सके। इस तरह हम सभी को मौका दे सकते हैं जिन्होंने नाम दिये हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: माननीय सभापति जी, जैसा प्रियरंजन दासमुंशी जी ने कहा है जैसे रेलवे बिल पर बहस के समय जो भी माननीय सदस्य अपना भाषण लिखित में सदन के पटल पर रखना चाहते हैं वे वैसा कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब भी वे ऐसा कर सकें, उसकी अनुमति देनी चाहिए। कल शुक्रवार है इसलिए समय कम होने की वजह से माननीय मंत्री का उत्तर ही हो पाएगा। जो माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं, उन सभी को बोलने की अनुमति देनी चाहिए। भले ही पांच-पांच मिनट का समय दें, लेकिन सभी को जो भी बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, हम सहमत नहीं है क्योंकि हम गंभीर स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यहां है। आप कृपया बैठ जाइए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. जसवंतसिंह यादव: सर, जब ये बोल रहे थे कि ऐसा कोई सजैश्चन किसी माननीय सदस्य की तरफ से नहीं आया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं जो कह रहा हूं उसे वे नहीं समझ सकते *...(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि जो सदस्य बोलना चाहते हैं उन्हें मौका दिया जाए। और इस पर यदि कोई आज रात बच जायें तो उसे कल बोलने की अनुमति दी जाये यदि समय हो अथवा उनका भाषण सभा पटल पर रखा जाए। महोदय हम सत्ता पक्ष से सहयोग करना चाहते हैं और हम किसी भी सदस्य को भाषण देने से वंचित नहीं रखना चाहते। *...(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, अब मुझे स्पष्टीकरण देने दिया जाए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि जो कोई भी अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहता है। वह भाषण सभा पटल पर रख सकता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे वह असाधारण परिमाण वाला है। यह सूखे का सवाल है। हम प्रत्येक साल रेल बजट पर चर्चा करते हैं जो कि सुबह तक चलता है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमंशी: इसे रात भर चलने दिया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): सभापति महोदय, पहली चीज जो मैंने कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक से समझी वह यह है कि यह किसी के लिए भी आदेशपरक या अनिवार्य नहीं है कि वह अपना भाषण लिखकर दे। कोई भी बाध्यता नहीं है। यदि कुछ सदस्य बिना किसी बाध्यता के सोचे तो ऐसा कर सकते हैं ''मैं यह रिकार्ड के लिए लिखूंगा।'' यही एकमात्र अनुरोध है।

दूसरे, मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह गंभीर स्थिति है।

सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। वे बोल सकते हैं। कल शुक्रवार है। हमारे पास शून्यकाल का समय कम रहेगा। इसलिए हमारे पास 1.5 घंटे का समय होगा। स्वभावतया, कुछ भाषणों के बाद आप चाहेंगे कि कृषि मंत्री जी विस्तार से जवाब दें।

अत: मेरा यह अनुरोध है कि हम आज चर्चा समाप्त करने का प्रयास करें और इसका उत्तर कल दिया जायेगा। यही मेरा अनुरोध है। जितना भी समय लगे हम आज बैठ सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, हम सहमत है। प्रश्नकाल के बाद माननीय कृषि मंत्री जी जवाब दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: हम आज चर्चा समाप्त कर सकते हैं और जवाब कल होगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने सुझाव दिया हम आज इस विषय के समाप्त होने तक बैठेंगे और उत्तर कल होगा।

[हिन्दी]

अगर सदन सहमत हो तो इस पर चर्चा जारी रहे और माननीय मंत्री जी का उत्तर कल हो जाये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हम लोगों के पास सूचना आई थी कि इस इश्यू पर आज और कल दोनों दिन बहस होगी। इसलिए हमने अपने स्पीकर्स को दो लिस्ट्स में बांट दिया था ताकि कुछ सदस्य आज बोलें और कुछ सदस्य कल बोलें। जब फैसला हो रहा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर कुछ सदस्य बोलने के लिए रह जायें और वे अपनी बात लिखित में दे दें तो उनको स्वीकार किया जाये।

सभापति महोदय: यदि कोई माननीय सदस्य अपना भाषण लिखित में देना चाहे तो वह उसे सभा पटल पर रख सकता है। जिनको बोलने का अवसर मिलेगा, वे तो बोलेंगे ही। वैसे किसी को बोलने से रोका नहीं जा रहा है। अब सदन सहमत है कि इस पर चर्चा जारी रखी जाये।

श्री प्रमोद महाजन: मेरा कहना है कि जो माननीय सदस्य 10 मिनट तक बोलेगा, वह 10 स्पीकर्स का भाषण भी सुनेगा।

सभापति महोदय: मेरा सबसे अनुरोध होगा कि संक्षेप में अपनी बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर्स बोल सकें।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रेनीत कौर (पटियाला): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आपने मुझे आज हर भारतीय के जीवन को अभिभूत करने वाले इस गम्भीर और महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का मौका दिया है।

इस मानसून के मौसम में और संसद के मानसून सत्र में सूखे पर बोलना विडम्बना ही है विशेषकर उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कृषि प्रधान राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों में स्थिति बहुत ही नाजुक है और वहां वर्षा के अभाव में खरीफ की फसल आंशिक रूप से या पूरी तरह से बर्बाद हो गई है।

जैसाकि आज कई माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि जून माह और जुलाई के प्रथम सप्ताह के संबंध में भारत के मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है, वे या तो हमें सही सूचना देने में सक्षम नहीं है या फिर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। यदि ऐसा है तो करदाताओं के पैसों को इस पर खर्च करने का कोई तुक नहीं है।

महोदय, मुझे जानकारी है कि विज्ञापन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक ऐसी व्यवस्था है जिसे मीडिया रेंज वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मंत्रालय में एक सुपर कम्प्यूटर लगा हुआ है जो लगभग दो वर्ष पहले लगा था और जिस पर अरबों रुपये की लागत आई थी।

महोदय, कहा जाता है कि गत दो या तीन वर्षों के दौरान अरबों रुपये की अतिरिक्त लागत से एक अन्य सुपर कम्प्यूटर

[श्रीमती प्रेनीत कौर]

खरीदा गया है। इससे मंत्रालय का यह काम आसान हो गया है और उसने वह क्षमता हासिल कर ली है जिससे पांच या सात दिन पहले मौसम पूर्वानुमान का पता सही और उचित तरीके से लगाया जा सके। इसलिए इन सभी पूर्वानुमानों का पता सही ढंग से क्यों नहीं किया गया है? क्या यही है सोच-विचार कर लिया गया निर्णय कि इस सूचना को प्रकाशित न किया जाए? क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की यह आंतरिक समस्या है जिससे इन सूचनाओं का प्रसारण नहीं हो पा रहा है? यदि ये सूचनाएं समय से दी जाती तो मुझे यह पक्का विश्वास है कि किसान बुआई न करके अपना कीमती समय और पैसे बचा लेते जिसका उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आज अखबार में आया है कि एक किसान ने 15,000 रुपए के बीजों की बुआई की थी जो बर्बाद हो गए हैं और यही हाल पूरे देश में है। पंजाब के भटिंडा इलाके में तो किसानों ने अपने धान की पुन: फसल बोई है।

विज्ञान के विकास के साथ-साथ आज हमें जिस चीज की जरूरत है वह है बेहतर योजना। इस पर समय से पहले अमल किया जाना चाहिए और जब तक संकट के बादल हमारे ऊपर न हों हमें तब तक इसका इन्तजार नहीं करना चाहिए। योजना आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं समझता हूं कि उसने 75,000 करोड़ रुपए राशि दी है जिसे 25 वर्षों में खर्च किया जाना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसे अगले दस पंद्रह वर्षों में खर्च किया जाए ताकि सूखा से निपटने का हम कोई समाधान निकाल सके।

गत तीन वर्षों के बजट पर दृष्टिपात करने के पश्चात मैं देखती हूं कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए संचार और योजना परिव्यय पर खर्च किए गए हैं, 42,000 करोड़ रुपए उर्वरक पर राजसहायता देने पर खर्च हुए हैं और मैं नहीं समझती हूं कि इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक किसानों तक पहुंचा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि दसवीं योजना में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं और दसवीं योजना को भारत की जल योजना घोषित किया जाए।

इस मौसम में 25 से 50 प्रतिशत कम वर्षा हुई बताते हैं और जलाशयों में जल का स्तर गत वर्ष के जल स्तर की तुलना में 48 प्रतिशत नीचे चला गया है। चिन्ता का विषय है कि मिट्टी की कम आद्रता और जलाशयों में जल की अपर्याप्त मात्रा से रबी की अगली फसल में, यानी कि अक्तूबर माह में जब गेहूं की बुआई की जाती है, सूखे का यह वर्तमान संकट और भयावह हो जाएगा।

सूखे जैसी स्थिति पंजाब के तकरीबन हर भाग में है। इसका एक कारण कुछ हद तक बार-बार धान की फसलों को लगाया जाना भी है।

भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र पटियाला में यह स्तर 30 से 40 प्रतिशत तक गिर गया है। 1966 में राज्य पुनर्गठन के समय से ही पंजाब में यह महसूस किया गया था कि वहां सिंचाई हेतु भूजल की कमी है।

सायं 6.16 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

हमने स्पष्ट किया था कि एक समय ऐसा आयेगा जब भूजल का अतिशय प्रयोग होने के कारण पम्पों में भी पानी नहीं आयेगा और वह समय आ गया है। यदि हमारी नदियों के पानी को छोड़ने की योजना नहीं बनाई गई होती तो पंजाब इस संकट में नहीं फंसा होता।

वर्षा जल संग्रहण, फसल बीमा, वनों और पेड़ों का संरक्षण सूखे से निपटने के हमारे मुख्य उपाय हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को जिनके पास प्रचुर वन सम्पदा है, मुआवजा दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपनी वन संपदा को बनाए रख सकें और इन संपदाओं को शनै: शनै: लकड़ी उद्योग तथा कृषि की भेंट चढ़ने से रोका जा सके। वनों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए तथा हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि पर्यावरण के इस विषय को स्कूल-पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि बच्चों को यह बताया जा सके कि पर्यावरण और जल का संरक्षण कैसे किया जाए क्योंकि जल संरक्षण की दिशा में यह एक दीर्घकालिक उपाय सिद्ध हो सकेगा।

प्रत्येक घर में जल प्रबंधन और जल संरक्षण होना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा कोष में वृद्धि की जानी चाहिए और योजना बनाए जाने के अलावा जल संग्रहण केन्द्र चारा बैंक भी बनाये जाने चाहिए ताकि हम उनका आपात स्थिति में उपयोग कर सकें। आपदा संबंधी समस्या को राज्य अकेले नहीं सुलझा सकता है। खाद्यान्नों के नुकसान के अलावा और भी कई समस्याएं हैं, यथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, गरीबी, पेयजल समस्या, भूख, बीमारी और मौतें।

महोदय, 70 से 75 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है और जल के बिना कोई उत्पादन नहीं होगा और न ही इसके बगैर कोई जीवन होगा। पेयजल की समस्या केवल ग्रामीण इलाकों में ही नहीं है बल्कि यह हमारे शहरी समाज और शहरी जीवन से भी जुड़ी हुई है। शहरों में लोगों को पानी के लिए नलकूपों

पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि पानी नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बिजली संकट है। इसलिए बिजली और पानी का गहरा संबंध है। जब तक हम इस समस्या को हल नहीं कर लेते, तब तक बिजली, पानी के अभाव में हमारा दयनीय जीवन बरकरार रहेगा और हमारे विद्युत ग्रिड को विद्युत के अतिशय भार को संभाल पाना कठिन हो जाएगा और यह समस्या निरंतर बढ़ती ही जाएगी।

घरेलू क्षेत्र के लिए बिजली में दो से चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। औद्योगिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। लघु उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डीजल इंजिनों आदि से बड़े पैमाने पर विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकता है और वह भी तब जब हम अपनी बिजली का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में भेज रहे हैं। तथापि, न तो ग्रामीण क्षेत्र को पर्याप्त बिजली मिल रही है, न ही शहरी क्षेत्र को, और इसके परिणामस्वरूप आज हम सूखे जैसी स्थिति की भयावह चपेट में आ गए हैं।

इन्हीं निराशाजनक और मनहूस शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपने मुझे यह मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): धन्यवाद सभापति महोदय। लम्बे इंतजार के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो देश के अति सूखा-प्रवण क्षेत्रों में से एक है। यह कालाहांडी के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा के केबीके क्षेत्र का एक हिस्सा है। महोदय, अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि सूखे की स्थिति बहुत पहले से ही चलती आ रही है और ऐसा देखा गया है कि आजादी बाद की सरकारों ने देश में व्याप्त सूखे की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया है। प्रतिवर्ष हिमपात के साथ-साथ लगभग 4000 बिलियन घन मीटर पानी का प्रवाह होता है। इसमें लगभग 3000 बिलियन घन मीटर पानी मानसून की बारिश का होता है। पिछले 55 वर्षों से हम केवल 609 बिलियन घन मीटर पानी को काम में लाने में सक्षम रहे हैं, जो इस देश में पानी के कुल प्रवाह का मुश्किल से 22 से 23 फीसदी है। आज के सूखे की स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त पानी है।

आज मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सूखे की स्थिति प्राकृतिक आपदा से कहीं ज्यादा लोगों की देन है। इसका कारण है कि कई बिलियन घन मीटर पानी तो समुद्र में बह जाता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक देश में जल का कुल प्रवाह 1819 बिलियन घन मीटर है। इस स्थिति से कृषि विभाग हरकत में आया और उसने कृषि पैटर्न की योजना बनाई कि किसी भूमि में धान की खेती की जाए। कितनी भूमि में मूंगफली की खेती की जाए और कितनी में बाजरे की कम खेती की जाए। किन्तु, आज यह विपरीत साबित हुआ है। इस वर्ष मानसून में जितनी सामान्य बारिश का अनुमान लगाया गया वही बिल्कुल गलत साबित हुआ है।

यह अच्छी बात है कि माननीय कृषि मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। पर यह जानकर मुझे दुःख हुआ कि उस सम्मेलन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री को छोड़कर वहां के किसी भी अधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया था। किन्तु, बाद में जब इस बात को महसूस किया गया तो संबद्ध अधिकारी को बुलाया गया। इसलिए, इससे यह साफ संकेत मिलता है कि सूखा-प्रवण उड़ीसा राज्य में स्थिति से निपटने के लिए विभाग कितना गंभीर है। पिछले दो-तीन वर्षों से पश्चिमी उड़ीसा के भागों में और केबीके क्षेत्रों में यह चक्रवात से लेकर बाढ़ और फिर बार-बार सूखे की स्थिति को झेल चुका है।

महोदय, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उनका बहुत महत्व है। सूखे का अर्थ क्या है? सूखे का अर्थ भुखमरी है; सूखे का अर्थ गांवों में कुपोषण है; सूखे का अर्थ शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक भीड़ का जमा होना है; सूखे का अर्थ प्रवास है; सूखे का अर्थ गांवों का खाली होना है; और सूखे का अर्थ पेयजल की कमी है। सभा की भावना को समझ लेने के पश्चात् मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, यह स्पष्ट है कि देश का अधिकांश भाग सूखे की चपेट में है। देश में, अलग-अलग स्थानों पर 35 मौसम विज्ञान केन्द्र हैं और उनमें से अधिकांश क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है।

महोदय, राज्यों के राहत कोड में विसंगतियां हैं क्योंकि राज्यों के कृषि विभाग ही प्रायः सूखे से निपटते हैं। राज्यों की राहत कोटे में व्याप्त इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। जब तक फसल नहीं कट जाती तब तक राजस्व विभाग अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता, जब तक कृषि विभाग और राजस्व विभाग के रिकार्ड मेल नहीं खाते, जब तक फसल नहीं कटती, हम कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सूखा है? और तब तक बहुत देरी हो जाती है। गांवों में पहली कटाई होने तक अक्तूबर आ जाता है और उस समय तक अधिकांश पशु, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश गरीब लोग, कृषि मजदूर जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए राहत कोडों की इन विसंगतियों पर विचार करके केन्द्र सरकार को इस प्रकार का कोई कानून अथवा आपदा प्रबंधन कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिससे क्षेत्रों में सूखे को कम करने के लिए तत्काल और आपातिक उपाय किए जा सकें। इसीलिए, तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

इसके पश्चात्, मेरा कहना यह है कि देशभर में जलाशयों का स्तर घटा है। इससे विद्युत उत्पादन और उद्योगों का विकास प्रभावित होगा। महोदय, हमें यह देखना चाहिए कि 2000 वर्ष पहले विश्व में जल संसाधन कितना था, जब जनसंख्या बहुत कम थी और कितनी तेजी से ये संसाधन क्षीण हो रहे हैं। इस संबंध में, मैं दिनांक 25 जुलाई, 2002 के 'द स्टेट्समैन' से उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया:

''विकासशील देशों में स्थिति बदतर है। 80 मिलियन लोगों के लगभग 95 प्रतिशत लोग प्रतिवर्ष विश्व में जुड़ जाते हैं'' यह बात जॉन हॉपकिन्स संस्थान का—जलाभाव वाले विश्व के लिए समाधान—डॉन हिनरीचसेन द्वारा कराया गया एक अध्ययन कहता है जो संयुक्त राष्ट्र का एक परामर्शदाता है। इस अध्ययन का यह विश्वास है कि ''जल के औद्योगिक, शहरी और कृषि उपयोग के बीच प्रतिस्पर्धा निरन्तर बढ़ रही है।'' इसलिए आज ग्रामीण जनता कहां जाए? जल के लिए प्रतिस्पर्धा है। प्रति व्यक्ति जल की खपत भयावह रूप से कम हो गयी है। हम इस मुश्किल को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाये हैं, ताजा पेयजल की गंभीर समस्या और किसानों के लिए पानी की समस्या का समाधान भी हम नहीं कर पाए हैं। हम अपने करोड़ों लोगों को कैसे पानी उपलब्ध करा पायेंगे?

आपने घंटी बजा दी है, इसलिए, मैं अपने जिले कालाहांडी के बारे में बताना चाहूंगा। मैं कलक्टर से प्राप्त उन तथ्यों को उद्धृत करना चाहूंगा जो उन्होंने राहत आयुक्त को भेजे हैं। महोदय, गत वर्ष 18 जुलाई तक, 8,84.3 मि.मी. वर्षा हुई थी और इस माह की 18 तारीख तक केवल 74.7 मि.मी. वर्षा हुई है। अत: आप बहुत सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं कि फसल की स्थिति क्या है। के.बी.के. और पश्चिमी उड़ीसा में बुआई की गयी 70 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है और हमारे क्षेत्रों में सूखे के दुबारा आने से किसान बहुत गरीब हो चुके हैं। मैं केवल छोटे किसानों का ही नहीं वरन् 15 अथवा 20 एकड़ भूमि वाले किसानों का भी उल्लेख करूंगा। वे पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। वे अन्य स्थानों पर चले गए हैं।

मैं एक घटना की याद दिलाना चाहूंगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे तब उन्होंने खड़ियाड़, कोरापुट और कालाहांडी क्षेत्रों का दौरा किया था। वहां लोग उनसे मिलने आए। एक गरीब स्त्री के पास कितनी सम्पत्ति थी? उस स्त्री के पास केवल एक साड़ी थी लेकिन उस घर में तीन और महिलाएं थीं। उनमें से सबसे बड़ी स्त्री को एक साड़ी दी गयी ताकि वह उसे पहनकर प्रधानमंत्री जी से मिलने आ सके। उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। आज ग्रामीण क्षेत्रों की यह हालत है; भारत के पिछड़े क्षेत्रों की पिछले 50 वर्षों से उपेक्षा होती रही है।

मैं दूसरी ओर से दिये गये भाषणों, श्री मणि शंकर अय्यर के भाषण और अन्य कई कांग्रेस पार्टी के प्रसिद्ध संसदविदों के भाषणों को सुन रहा था। वे यह कह रहे थे कि उन्होंने राजीव गांधी के समय के दौरान काफी काम किये थे। जब उन्होंने कालाहांडी का दौरा किया था तब मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। श्रीमती सोनिया गांधी ने भी उस समय कालाहांडी का दौरा किया था। हम उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गये थे। तब मैं खरियाड से विधायक था। उन्होने इन क्षेत्रों का दौरा किया था और कुछ योजनाओं की घोषणा की गयी थी। लेकिन इन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। जल संरक्षण संरचना के निर्माण के कार्यक्रम अथवा योजनाएं क्रियान्वित ही नहीं की गयी क्योंकि कांग्रेस पार्टी, श्री पटनायक के नेतृत्व में, उस समय उड़ीसा में सत्ता में थी।

अब, के.बी.के. कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। के.बी.के. कार्यक्रम संबंधी पैम्फलेट अब वितरित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने के.बी.के. के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना की घोषणा की है, जो 9000 करोड़ रुपये मूल्य की है। अब इसे धीरे-धीरे क्रियान्वित किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि इससे इन क्षेत्रों के गरीब लोगों और गरीब किसानों की कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा।

हमारे देश में काफी भू-जल है और मानसून के न आने के फलस्वरूप यह समाप्त हो जायेगा। इसीलिए, भू-जल का स्तर बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिए। पंजाब की माननीय महिला सदस्य ने भूजल स्तर को बढ़ाने के संबंध में बात की है। हमें वनों को, पारिस्थितिकी, को बचाना है जो धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। उन्हें वापस उनकी सामान्य स्थिति में लाना होगा।

इस वर्ष, सतत विकास हेतु पृथ्वी सम्मेलन अथवा विश्व शिखर वार्ता शीघ्र ही जोहान्सबर्ग में आयोजित की जायेगी। लगभग 20 वर्ष पहले, वर्ष 1980 में, जब रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तब एजेन्डा-21 तैयार किया गया था। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि एजेन्डा-21 की एक भी खंड अथवा एक भी अनुच्छेद को देश में उस समय की सत्ताधारी तात्कालिक सरकारों ने कार्यान्वित नहीं किया था। वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 2000 तक, 20 वर्षों के लिए, एजेन्डा-21 कार्यान्वित नहीं किया गया था।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मौसम विभाग और कृषि विभाग से यह निवेदन और शिकायत करूंगा कि वे भविष्य में सही-सही पूर्वानुमान प्रस्तुत करें क्योंकि हमारे देश का 80% भाग कृषि और ग्रामीण गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। यह गरीब आदमी का सवाल है क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति ही पीड़ित होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नियंत्रित

करना होगा। आज, कतिपय पिछड़े पॉकिटों में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू नहीं की गयी है। ये इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाना है।

आज हम जिस आपदा का सामना कर रहे हैं उसे देखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि सूखे की समस्या का एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस सम्माननीय सभा के सदस्य के रूप में मैं यह मांग करता हूं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। अन्यथा, भविष्य में हमें किस भयावह समस्या का सामना करना पड़ेगा, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते।

***श्रीमती मिनाती सेन** (जलपाईगुड़ी): माननीय सभापति महोदय, सभा में सूखा और बाढ़ पर कई बार चर्चा की जा चुकी है। आप सभी को यह मालूम है कि देश के कई भागों में गंभीर सूखा फैला हुआ है। लेकिन यदि अनेक क्षेत्रों में सूखा है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में उत्तरी बंगाल जैसे राज्य बहुत गम्भीर बाढ़ का सामना कर रहे है। हमारा देश स्वतंत्र है। लेकिन यह खेद का विषय है कि स्वतंत्रता के 55 वर्षों के बाद भी, सरकार इस प्राकृतिक आपदा से निपनटे के लिए कोई व्यापक योजना नहीं बना पाई है। किसानों को सूखे के कारण गंभीर संकटों का सामना करना पड़ता है। सारी कृषि भूमि सूख जाती है, किसान भूमि की सिंचाई नहीं कर पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप फसलें खराब हो जाती हैं और गरीब किसानों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और गरीब किसानों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेयजल नहीं है, विद्युत उपलब्ध नहीं है और हर-एक चीज खराब हालत में है। लेकिन सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाने के स्थान पर दुर्भाग्यवश नकारात्मक भूमिका निभाती है। नदी तट कटाव का बाढ़ से घनिष्ट संबंध है। नि:सन्देह नदियों के तट की मिट्टी का कटाव केवल बाढ़ के दौरान ही नहीं होता है बल्कि यह वर्ष भर होता रहता है। पश्चिम बंगाल में गंगा और पदमा नदियों का कटाव सबसे अधिक होता है। गंगा की मिट्टी के कटाव की समस्या को कई बार सभा में उठाया गया है। कई अवसरों पर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार ने नदी-तटों के मिट्टी के इस कटाव की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक निधियों की मांग की है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि केन्द्र ने उनके इस अनुरोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

महोदय, मैं उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करती हूं। उत्तरी बंगाल में नदियों और बाढ़ की प्रकृति और स्वभाव पूरी तरह से अलग है।

महोदय, उत्तरी बंगाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति इस समय बहुत गंभीर है। पिछले 72 घंटों में जलपाईगुड़ी की संकोष, रायडक, कालजनी तथा कूचविहार तथा मनसाय और रेडडैक संख्या 1 और उनकी सहायक नदियां अत्यधिक वर्षा के कारण खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं।

महोदय, बड़ी गंभीरतापूर्वक मैं यह कहना चाहती हूं कि जलपाईगुड़ी के ओडलाबाडी में घीस नदी की बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 की 200 मीटर सड़क को काफी क्षति पहुंची है और लगातार होती बारिश से 300 मीटर रेल-पटरी को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। कुमारग्राम ब्लॉक तथा अलीपुरद्वार के ब्लॉक सं. 1 में कुल कितना नुकसान हुआ है, यह अभी ज्ञात नहीं है। लेकिन कालचिन में तथा कुमारगंज ब्लॉक में कृषि भूमि तथा दस बागानों को भारी क्षति हुई है। प्रशासन से जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, उसके अनुसार बाढ़ के कारण 3 लोगों की मौतें हुई हैं और 12 लोग लापता हैं। पारो और गैरोम दोनों नदियों में बाढ़ के कारण 100 एकड़ कृषिभूमि जलमग्न हो गई है। 400 परिवारों के घर बह गये हैं। शिल्तोर्षा नदी का निर्माणाधीन तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है। जयगाँव में झुग्गी बस्तियाँ बह गई हैं। अलीपुरद्वार में नगरपालिका परिषद के 12 वार्डों में पानी भर गया है। 1200 परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। कूचबिहार में तूफानगंज का ब्लॉक सं. 1,2 तथा जलपाईगुड़ी का फल काटा ब्लॉक प्रभावित हुआ है। जलपाईगुड़ी में 2543 मिमी. और कूचबिहार में 1825 मि.मी. वृष्टि दर्ज की गई है।

मैं सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ दिलाना चाहती हूं। उत्तरी बंगाल में कुछेक नदियों को छोड़कर अधिकांश का उद्गम भूटान में है। हाल में ही भूटान में अवैध और अवैज्ञानिक रूप से डोलोमाइट का खनन और वृक्षों की कटाई की घटनाएं हुई हैं। फलस्वरूप, नदियों में काफी गाद जमा हो गयी है और यह गाद नदी तल पर रहती है जिससे प्रवाह में बहुत बाधा आती है। नदियाँ रास्ता बदल लेती हैं और इसके कारण पिछले 2 दशकों से घर-बार, सड़कों, चाय बागानों, वनों, अभयारण्यों आदि को काफी नुकसान हो रहा है। इससे गम्भीर पारिस्थितिकीय समस्या उत्पन्न हो रही हैं। यदि तत्काल उपाय नहीं किए जायेंगे तो इस क्षेत्र का चाय उद्योग और बागान बिलकुल नष्ट हो जायंगे। यहां की वानिकी और अभयारण्य भी खत्म हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त, वर्ष में आने वाली बाढ़ के कारण उत्तर बंगाल और शेष भारत के बीच संपर्क भी प्रभावित होगा जिससे सुरक्षा संबंधी खतरा भी गहरा जाएगा।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं। उत्तरी बंगाल में उग्रवादी हरकतें एक गंभीर रुख अख्तियार कर चुकी हैं। इन आतंकवादियों को आई.एस.आई. भूटान में प्रशिक्षण देती हैं। इसके

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्रीमती मिनाती सेन]

पश्चात् वे उत्तरी बंगाल में घुसपैठ करते हैं और आतंक फैलाते हैं। निर्दोष लोग उनका निशाना बन रहे हैं और मारे जा रहे हैं। राज्य सरकार अकेले इन समस्याओं का निदान नहीं कर सकती है। भारत सरकार को भूटान सरकार से बात करके एक संयुक्त नदी फोरम बनाना चाहिए। हमने सभा में यह विषय अनेक बार उठाया है और उत्तरी बंगाल के संसद्-सदस्यों ने जल संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सेठी से मिलकर इस विषय पर चर्चा भी की थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और कहा था कि चूँकि यह मामला एक विदेशी राष्ट्र से संबंध रखता है, अत: उन्हें इस पर विदेश मंत्रालय से चर्चा करनी होगी। उसके पश्चात् ही मंत्रिमंडल कोई फैसला करेगा। माननीय मंत्री श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने विगत नवम्बर मास में मुझे एक पत्र लिखकर सूचित किया था कि भूटान सरकार से बातचीत करने के पश्चात् एक संयुक्त विशेषज्ञ दल का गठन किया जाएगा।

मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से जानना चाहूंगी कि क्या भूटान सरकार से बातचीत करके इस संयुक्त विशेषज्ञ दल का गठन कर लिया गया है? यदि इसका गठन कर लिया गया है तो उसकी राय, सुझाव और सिफारिशों के बारे में जानकारी हेतु मैं उनकी आभारी हूंगी।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का मैं उल्लेख करना चाहती हूं। भारत सरकार के सड़क विकास कार्यक्रम के अनुसार, गुजरात से असम तक एक पूर्व-पश्चिम सड़क गलियारे के निर्माण की योजना बनाई गई है। यह दलखोला, छालसा, बालारहाट, तेलीपाड़ा, वीरपाड़ा, हर्षीवाड़ा, जलपाईगुड़ी स्थित सांकोश होकर असम तक जायेगा। यह पूरा कार्यक्रम बिल्कुल अवैज्ञानिक और अनियोजित तरीके से तैयार किया गया है क्योंकि यह क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। इसमें संरक्षित वन, चाय बागान पड़ते हैं और पर्वतीय नदियाँ पड़ती हैं-जिनसे क्षरण और गाद की गम्भीर समस्या जुड़ी हुई हैं। यहां कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है और अधिसंख्यक लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा यहाँ सफल नहीं होगी। हमने राज्य सरकार से परामर्श करके एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की है और हमें उम्मीद है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी तथा हमारी योजना के पक्ष में परीक्षण करेगी। सूखा और बाढ़ हमारे देश की दो सदा बने रहने वाली समस्याएं हैं। संबंधित राज्य सरकारें धनराशि की कमी के कारण इन गम्भीर समस्याओं पर काबू नहीं पा सकतीं। भारत सरकार को एक व्यापक योजना बनाकर राज्य सरकारों को सहायता देनी पड़ेगी ताकि सूखा और बाढ़ की समस्याओं से निपटा जा सके।

सरकार से मैं कुछ उपयुक्त उपाय करने की गुजारिश करती हूं ताकि हमें हर साल इन समस्याओं से न जूझना पड़े। इसी के बाद मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं और इस महत्वपूर्ण चर्चा में सहभागिता का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

***श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी** (कुडप्पा): महोदय, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मानसून के मौसम में सूखे पर चर्चा हो रही है। महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र और मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति काफी गंभीर है। इस भीषण स्थिति में हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए।

अनंतिम उपायों के रूप में मेरा सुझाव इन बातों का है-आकस्मिक कार्य योजना, ऋण माफी, काम के बदले भोजन की योजना, वृद्धों और विधवाओं के लिए पेंशन, छात्रों को अध्ययन शुल्क माफी, मवेशियों के लिए चारा और पोषाहार, पेयजल के लिए पर्याप्त अनुदान राशि तथा भूजल का स्तर बनाये रखने के लिए जलसंचय कार्यक्रम, किसानों को फसल खराब होने के एवज में राहत राशि।

स्थायी उपाय हेतु मेरा सुझाव यह है कि देश की सारी नदियों के बेसिनों को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय चक्रीय नहर परियोजना बनायी जाये और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की भांति ही व्यावहृत किया जाये। राष्ट्रीय जल ग्रिड प्रणाली बनायी जाये। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। मोटर वाहन बीमा और जीवन बीमा की तर्ज पर, किसी भी कारणवश फसलों के खराब होने की दशा में, कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान किया जाए। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले को एक विशेष विकास पैकेज दिया जाए, साथ ही, गंधीकोटा जलाशय की प्रस्तावित राष्ट्रीय परियोजना को विचारित किया जाए। किसानों को विद्युत सब्सिडी या नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध करायी जाए चूंकि यह सब्सिडी उत्पादन से संबंधित सब्सिडी है।

वनाच्छादन को शीर्ष प्राथमिकता दी जाये। महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, आज इस सर्वोच्च सदन में बाढ़ और सुखाड़ से पैदा हुई तात्कालिक समस्या पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। इस विषय का सामयिक रूप से बहुत महत्व है। हम इस विषय पर हर साल चर्चा करते हैं लेकिन उसका नतीजा नहीं निकलता।

---

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

सायं 6.44 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, आपने देखा होगा और बिहार के बारे में आपको जानकारी भी है कि वहां बाढ़ के कारण स्थिति साफ हो गई है। वहां प्रतिवर्ष बाढ़ से करोड़ों रुपए की फसल नष्ट होती है, लाखों लोग बेघर होते हैं और सैकड़ों लोग बरसात के दिनों में बाढ़ से मरणासन्न की स्थिति में आते हैं। अभी खास तौर पर मधुबनी जिले से छः लोगों की जिन्दगी का अंत होने की सूचना मिली है जिसमें एक छात्र भी है। बलिराजगढ़ में हरिजन छात्रावास है। यह भारत सरकर का पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल है। यह छात्रावास दो मंजिल का बना है। परसों से उस छात्र की तबीयत लगातार खराब थी। वह ऊपर ही रहा, कोई रोटी देने नहीं गया है। और छात्र निकलकर ऊंचे टीले पर चले गये, वह वहीं रहा। कल उसकी लाश मिली है। मैंने जिलाधिकारी से सम्पर्क करके पूछा, उन्होंने इस समाचार की सम्पुष्टि की कि वह छात्र दूसरे जिले का था। इतनी दर्दनाक स्थिति है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बाढ़ रोकने के लिए क्या कोई दीर्घकालीन योजना बना रही है या नहीं?

सभापति महोदय, अभी उत्तर बिहार में मेरे लोक सभा क्षेत्र झंझारपुर में नेपाल से निकलने वाली नदी कमला बालान चार जगह तटबंध तोड़कर चली गई। भूतही बालान लोकटा से फुलपरास तक जाती है, वहां तटबंध पर कटाव लगा हुआ है। एक और जगह राजपुर में तटबंध टूट जाने का खतरा बना हुआ है। हजारों लोग वृक्षों पर चढ़ रहे हैं या ऊंचे टीलों पर जा रहे हैं। सब जगह जल-प्लावित हो गई है। इस स्थिति में सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा आदि जिलों की हालत बयान नहीं कर सकता। यहां 1987 में अभूतपूर्व बाढ़ आयी थी। इस बार उस समय के रिकार्ड को पार गई हैं। तटबंध टूटने के कारण हजारों एकड़ में फसल लगी हुई थी, वह नष्ट हो गई है। अचानक बाढ़ आने के कारण न जाने कितने लोगों की सम्पत्ति और घर नष्ट हो गये हैं। लोग बेघर हो गये हैं। 25 लाख लोग मधुबनी जिले में बाढ़ से प्रभावित हुये हैं जबकि 1987 में 10 लाख लोग प्रभावित हुये थे।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक हैलीकाप्टर दिया गया है लेकिन यहां आने से पहले मैंने फोन से जानकारी ली है कि उस हैलीकाप्टर से मात्र 2 टन चूड़ा या गुड़ जायेगा। क्या 1000 लोगों के लिए यह काम पूरा कर पायेगा? जो भी राहत सामग्री गई है, वह राज्य सरकार की तरफ से गई है। विशेष राहत नहीं गयी है। यहां जल संसाधन मंत्री बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, बाढ़ पीड़ित लोगों में त्राहि-त्राहि हो रही है। चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैंने अपनी चिन्ता जाहिर की है।

सभापति महोदय, नेपाल की सीमा से निकलने वाली कमला बालान, कोसी, भूती बालान, गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के पानी से क्षेत्र में डिवास्टेशन हो गया है। नेपाल के वाल्मीकि नगर से बीरपुर तक काफी पानी छोड़ा गया है और नदियों में बहुत ही तूफान आ गया है। मुझे याद है 1993, 1994, 1995 में ऐसा हुआ था। बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क नेपाल में जिस जगह लगा हुआ था, उससे उत्तर बिहार के लोगों को मालूम हो जाता था और वे ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी जान बचा लेते थे लेकिन इस बार इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क काम कर रहा है या नहीं, क्या इसकी जांच सरकार करायेगी? दो 16 जगह भारत और नेपाल समझौते से नेटवर्क लग जाए। चूंकि हम लोगों की जान भी बचायें, आप उन्हें राहत तो देंगे। दीर्घकालीन प्लान आप नहीं कर पायेंगे। हर बार बहस होगी, बहस के बाद चर्चा समाप्त हो जायेगी और हम सांसद की हैसियत से अपने कर्तव्य की इतश्री कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत-नेपाल सीमावर्ती इलाके में बाढ़ के पूर्वानुमान का जो नैटवर्क है, चाहे मधुबनी, सीतामढ़ी या शिवहर का इलाका अभी माननीय रघुनाथ झा जी बोल रहे थे कि इन सीमावर्ती इलाकों को सूचना नहीं मिलती है और वहां के लोग बाढ़ में डूब जाते हैं।

सभापति महोदय, बहुत ही गंभीर और व्यथा की बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि न केवल वहां लोग बाढ़ से प्लावित हैं, बल्कि वहां सारे सड़क सम्पर्क भी टूट गये हैं। चाहे लदनिया हो, जयनगर हो, खाजेडीह हो या धर्मवन हो। समूचे नॉर्थ बिहार में नेपाल सीमा पर जितनी भी पी.डब्ल्यू.डी. की मुख्य सड़कें हैं, सब टूट गई है। आज लोग जिला हैडक्वार्टर से बाबूबरही नहीं जा सकते हैं। पूरा का पूरा झंझारपुर मुख्य सड़क से टूट गया है और तटबंध के पानी से मुख्य सड़कें कटी हैं। वहां जो लोग पड़े हुए हैं, वे प्याज, नमक या कोई अन्य सामान बाहर से नहीं ला सकते हैं। जो उनके पास सामान है, उसी में उन्हें जिंदा रहना है। उनका जीवन कितना अस्त-व्यस्त हो गया है, इसकी कल्पना की जा सकती है। वे मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर कहां ले जायेंगे, जब आदमी के रहने की जगह नहीं हैं। तटबंधों पर मवेशियों के लिए चारे का अभाव है। लोग मवेशियों को ले जाकर तटबंध पर खड़े हैं। जो बचे हुए तटबंध हैं, उन पर भी पानी का हमला हो रहा है, उन पर भी पानी का दबाव बना हुआ है। नेपाल में थोड़ी सी भी वर्षा होती है तो पानी यहां चला आता है। मैंने चिंता जाहिर की थी, मैंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय टीम वहां भेजी जाए और जो तबाही हुई है

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

उसके सर्वे करके बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। हमने भारत सरकार से तत्काल कहा था कि एक हैलीकॉप्टर पर्याप्त नहीं है। वहां जो आर्मी के बोट्स हैं, वहां जो लोग पेड़ों, छतों या किन्हीं जगहों पर अटके हुए हैं, जिनका जीवन नारकीय हो गया है, उन्हें बचाया जा सके। इसलिए सेना के बोटों की वहां काफी संख्या में जरूरत है, ताकि फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। यह दुर्भाग्य है कि छः महीने बाढ़ और छः महीने सुखाड़ से वहां लोग पीड़ित होते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वहां राहत का क्या हाल है। अब मैं आपदा राहत कोष के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। कैलामिटी रिलीफ फंड की जो राशि दी जाती है, उसे केवल बाढ़ के समय में खर्च करने का प्रावधान है। महोदय, जो सड़कें टूट गई हैं, जो मुख्य मार्ग सम्पर्क भंग हो चुके हैं, उनके सुधार के लिए एफ.डी.आर. में जो फ्लड डैमेज रिपेयर वर्क है, उसके लिए सी.आर.एफ. फंड में खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए और उसमें यह प्रावधान होना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कैलामिटी रिलीफ फंड में जमींदारी बांध की मरम्मत नहीं हो सकती है। मधुबनी के पश्चिमी इलाके में जमींदारी बांध टूट गया है, वह बांध टूटा रहेगा, आप कैलामिटी रिलीफ फंड से उसकी रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लोगों को वहां पानी में डूबने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसें आप खर्च नहीं कर सकते हैं।

तीसरी बात यह है कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनके घर वाश-आउट हो गये हैं, उनके घर बनाने के लिए कोई विशेष राशि खर्च नहीं हो सकती है। चौथी बात यह है कि बिहार के विभाजन के बाद संसाधनों का अभाव हो गया है। संसाधनों के अभाव में आप नई योजनाएं शरू नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लिए बाढ़ एक अभिशाप है और बिहार स्थायी रूप से बाढ़ग्रस्त राज्य बना हुआ है। इसलिए जलग्रहण क्षेत्र में जहां होने वाली वर्षा के कारण यह आपदा आती है ...*(व्यवधान)* मैं बहुत महत्वपूर्ण अंतिम सुझाव देना चाहता हूं और मैं बाढ़ का स्थाई समाधान सुझाना चाहता हूं। सरकार संवेदनशील होनी चाहिए। इसके स्थाई समाधान का यही रास्ता है कि जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं, पहले 1991 और 1993 में सर्वे हुआ था, जापान से भी एक टीम आई थी। वहां आकलन किया गया था कि 1200 करोड़ रुपये खर्च होने पर कोसी पर बराह क्षेत्र में डैम बन जायेगा।

उन सभी जगहों को चिन्हित किया गया था। कोसी को रोकने के लिए बाढ़ के पानी का नियंत्रण और उसके प्रबंधन के लिए यह योजना बनी थी कि वहां हाइ लैवल डैम बनाया जाए। उससे 3300 मैगावाट बिजली का उत्पादन होगा जिससे असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग हो, बिहार, उड़ीसा सबको सस्ते दामों पर पनबिजली दी जा सकती है। वह मल्टी परपज हाइ लैवल डैम बनाया जाए तो बाढ़ का स्थायी समाधान हो सकता है। नेपाल में नुंथर में, सीसापानी में और वराह क्षेत्र की प्रस्तावित जगहों में हाइ लैवल डैम बनाया जाए तो स्थायी समाधान हो सकता है। यही एकमात्र रास्ता है बाढ़ प्रभावित इलाको को बचाने का।

अंत में मैं सूखे के विषय में कहना चाहता हूं। जहां तक सूखे का सवाल है, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश 12 राज्यों को माना गया है कि इनमें सुखाड़ है। उसका सर्वेक्षण कराया गया है और माननीय कृषि मंत्री जी अच्छी तरह से किसानों की हालत जानते हैं। उन्होंने मीटिंग भी ली है राज्यों के कृषि मंत्रियों से। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में शेखपुरा, मुंगेर, लक्खीसराय, रोहतास, आरा और जहानाबाद सभी में सुखाड़ की स्थिति है। दक्षिण बिहार सूखा है और उत्तर बिहार में बाढ़ है। ये दोनों प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। पानी का स्तर नीचे चला गया है। पाताल का पानी गायब है। आसमान से पानी बरस नहीं रहा है और खेतों का पानी सूख गया है। गांवों में जो तालाब हैं, उनमें पानी नहीं है। बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है। रोटी का संकट आने वाला है। गरीबी और भुखमरी की स्थिति आने वाली है। इसलिए अकाल से इन इलाकों को मुक्त करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं। जो सोना चांदी है, ये सजावट की चीजें हैं मगर रोटी जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए रोटी की दीर्घकालीन व्यवस्था की जाए और पानी का मैनेजमेंट हो, बाढ़ का स्थायी समाधान निकाला जाए और सुखाड़ के इलाकों के लिए भी दीर्घकालीन योजना बने।

[अनुवाद]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): आदरणीय सभापति जी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए अपने मुझे अवसर दिया है इसके लिए आपका धन्यवाद। कई सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और उनमें से अधिकांश ने सूखे की बात की है। यद्यपि सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के प्रति मेरी गहरी चिंता है चूंकि 14 से अधिक राज्य इससे प्रभावित हैं, तथापि, चूंकि अनेक सदस्य पूर्व में सूखे के विषय में बोल चुके हैं-मैं विशेषकर अपने क्षेत्र की बाढ़ के बारे में ही बोलूंगा।

मैं पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का निवासी हूं। यह क्षेत्र प्राय: प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है। यहाँ बाढ़ आती रहती है। संकोश, तीस्ता, तोरषा, कालयनी, पारो, रैडक जैसी नदियाँ भूटान से निकलती हैं और इस क्षेत्र से बहती हैं। चूंकि ये नदियां चाय बागान क्षेत्र से होकर बहती हैं, अत: इनमें बाढ़ आने से चाय उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस बार कूचबिहार जिले तक बाढ़ का प्रकोप है, खासकर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित बलभट काफी प्रभावित हुआ है। वहां की जमीन ऐसी दिखाई पड़ती है, जैसे कोई द्वीप हो। सैकड़ों लोग बेघरबार हो गए हैं। हमने कई बार इस मुद्दे को जल संसाधन मंत्री के साथ उठाया और उनसे अनुरोध किया कि वे इस मामले में विदेश मंत्री से बात करें, जिससे कि भूटान सरकार को भी इसके बाबत जलाया जा सके। हमने सरकार से एक संयुक्त भारत-भूटान नदी आयोग बनाने के लिए पहल करने का भी अनुरोध किया था।

सायं 7.00 बजे

केवल यही उपाय है। जब तक यह आयोग नहीं बनता तब तक कूचबिहार और जलपाईगुड़ी जिलों में बाढ़ की समस्या नहीं सुलझ सकती। अत:, मैं एक बार पुन: मांग करता हूं कि इस मुद्दे पर यथाशीघ्र भूटान की सरकार के साथ बातचीत की जाए ताकि उत्तरी बिहार और अन्य क्षेत्र में स्थित चाय-बागानों में काम करने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जा सके।

महोदय, मैं वन्य संपदा के बारे में भी चिंतित हूं। जलदपाड़ा जिले में एक गैंडा पार्क है। यहां हाथी भी हैं और यह एक पर्यटक स्थल है। यहां वन्य प्रदेश प्रचुर हैं। मेरी मांग है कि इन सभी आरक्षी वनों, जंगलों, वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु, एक उपयुक्त और व्यापक योजना बनाई जाये ताकि हाथी, गैंडे जैसे प्राणियों के लिए रक्षित रखे गये वन संरक्षित रह सकें। यदि ऐसा होता है, तो मुझे विश्वास है कि इससे पर्यटन भी बढ़ेगा।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि बाढ़ के जल की वजह से माल बाजार सब-डिवीजन में राष्ट्रीय राजमार्ग को बहुत नुकसान पहुंचा है। रेल-संपर्क भी प्रभावित हो गया है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ऐसा अब हर बार होने लगा है। अत:, मेरा आपसे अनुरोध है कि न्यू मैनगुड़ी से जोगीघोपा तक एक नयी रेललाइन का प्रस्ताव मंजूर करें। यह एक वैकल्पिक रेलमार्ग हो जाएगा। एक बार फिर, संबंधित मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस रेलमार्ग को यथाशीघ्र शुरू किया जाए। इससे न केवल पश्चिम बंगाल और उत्तरी बंगाल के लोगों को फायदा होगा, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। ऐसा इसीलिए, क्योंकि, जब भी बाढ़ के कारण कोई रेलमार्ग या रेल सेतु क्षतिग्रस्त होता है तो रेल-संपर्क टूटने की वजह से पूर्वोत्तर के लोग काफी प्रभावित होते हैं।

महोदय, पहले ही मैंने यह कहा है कि इन नदियों का उद्गम है-भूटान। अत: यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरी मांग है कि उपयुक्त कार्रवाई की जाए। महोदय, मुझे मालूम है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तटों पर रक्षण-कार्य हेतु केन्द्र सरकर द्वारा कुछ धनराशि दी जा रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उक्त सभी नदियाँ, जैसे-संकोश, तीस्ता, तोरषा, कालयनी, रमसाई, गारम, पारो, रैडक और जल ढाका आखिरकार मिलती तो ब्रह्मपुत्र में जाकर ही हैं। अत:, मेरी मांग है कि पश्चिम बंगाल को इन नदियों की देखरेख के वास्ते कुछ धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। अन्यथा, इन पर नियंत्रण पाना काफी कठिन होगा। हम जानते हैं कि इन क्षेत्रों, विशेषकर चाय बागान क्षेत्र, के लोग प्रतिवर्ष बहुत दिक्कत झेलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाय की झाड़ियां बाढ़ के पानी से वह जाती है।

महोदय, कुछ दिलों पहले मैं लंकापाड़ा गया था जो भूटान के निकट है। मैं जयगांव की गया था। वहां हंसीरा झोरा नामक एक नदी है। मैंने पाया है कि सभी नदियों का तट ऊपर उठ रहा है। यदि वहां मूसलाधार बारिश होती है तो हम वहां रह रहे लोगों की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। चाय बागान क्षेत्र सहित पूरा क्षेत्र तबाह हो जाएगा। अत: मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए ताकि कुछ बचाव कार्य किया जा सके और इन लोगों की रक्षा हो। कुछ एहतियाती उपाय पहले से करने होंगे। हम जानते हैं कि जब भी कोई प्राकृतिक विपदा आती है तब इस प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री भेजने के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने के बजाए पहले से एहतियाती उपाय करें। मैं जानता हूं कि प्राकृतिक विपदाओं को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता लेकिन इस एहतियाती उपाय कर लोगों की जान की रक्षा कर सकते हैं।

कूच बिहार में दो लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही कदम उठा लिए हैं। वे अपनी क्षमता के अनुसार राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन्हें संसाधन सीमित है। फिर भी वो पीड़ित लोगों को अपने स्तर पर सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार इस मामले पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करे ताकि इस भविष्य में लोगों की मुश्किलों को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

डा. (श्रीमती) सुधा यादव (महेन्द्रगढ़): सभापति महोदय, आज सुबह से देश में सूखे और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा चल ही है। मैं कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने सूखे की स्थिति को देखते हुए विभिन्न राज्यों के कृषि

[श्रीमती सुधा यादव]

मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में इस तरह के निर्णय लिये जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। वास्तविकता यह है कि आज पूरे देश में सूखे की स्थिति बहुत ही भयानक है। इसी तरह कुछ भागों में बाढ़ की स्थिति उतनी ही भयावह हो गई है।

मैं हरियाणा प्रदेश से आती हूं और जब हरियाणा का नाम आता है तो मन में कल्पना उभर कर आती है कि यह हरा-भरा प्रदेश है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दक्षिणी हरियाणा में एक ऐसा क्षेत्र है जो लम्बे समय से सूखे की चपेट से ग्रस्त है। मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि सन् 2000 में हरियाणा प्रदेश में विधान सभा के चुनाव हुए। जिला महेन्द्रगढ़ जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां जो विधान सभा सीट लगती है, उसके 25 गांवों ने चुनाव का बहिष्कार किया। उसका कारण यह था कि वहां पीने के पानी की समस्या थी। जिस क्षेत्र में पीने का पानी नहीं मिल रहा, वहां पर सिंचाई और पशुओं के लिए पानी की कल्पना कर पाना बहुत दूर की बात है। जब हरियाणा प्रदेश में सामान्य वर्षा होती थी तब भी एक जिला ऐसा रहा, जहां पर सामान्य से भी कम वर्षा होती चली गयी।

आज स्थिति इतनी भयावह है कि यदि गांवों में हम जाकर देखें तो एक-एक बूंद पानी के लिए महिलाएं कोसों दूर जा रही हैं। हमारे यहां होली के पावन पर्व पर गेहूं की बाल जलाते हैं, क्योंकि उसे शुभ माना जाता है। हमारे क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं जहां गेहूं को बोया ही नहीं गया, गेहूं की बाल की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात हो गई। किसान ने सोचा कि शायद इस वर्ष मानसून अच्छा आयेगा जैसी चर्चा चल रही थी कि मानसून इस बार अच्छा होने वाला है लेकिन मानसून अच्छा नहीं हुआ। हमारे यहां एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। इसी मानसून की इंतजार में किसान बहुत चिंतित है। वह आकाश की तरफ टकटकी लगाये देख रहा है।

सभापति जी, मेरा क्षेत्र एक ऐसा है जहां पर नदियां नहीं हैं, नहरें नहीं हैं और वर्षा हो नहीं रही है। इसके अलावा भूमिगत जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। मैं आपके आंकड़े बताना चाहूंगी कि रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव जिले, जिसे दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र कहते हैं, पिछले दो दशक के आंकड़े देखें तो वहां 1993 से लेकर 1997 तक 680 एम.एम. वर्षा हुई थी, वर्ष 2000 में 300 एम.एम. वर्षा हुई है और इस वर्ष तो बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई।

यदि हम ग्राउंट लैवल वाटर को देखें, ग्राउंड वाटर सैल का जो संरक्षण किया गया था, यदि उसे देखें तो 1974 से लेकर 1994 तक 16.77 मीटर से लेकर 23.2 मीटर तक पानी आ गया है। आज स्थिति यह है कि जिला महेन्द्रगढ़ में 33 मीटर के ऊपर पानी है और जिला रिवाड़ी में 28 मीटर पर भूमिगत जलस्तर चला गया है। मेरे जिले में एक ऐसा ब्लॉक भी है जहां आज भूमिगत जलस्तर 1600 फीट की गहराई पर है। वहां बोर करके पीने के पानी की कल्पना करना बहुत अधिक मुश्किल हो रहा है। 32 वर्षों से नहरें बनी हुई हैं। मुझे सदन को बताने में तनिक भी संकोच नहीं होता कि आज तक उन नहरों में एक बूंद पानी नहीं आया, वे नहरें मिट्टी से भर चुकी हैं और ऐसी स्थिति हो गई है कि वे आज टूट भी चुकी हैं। हमारे यहां खेती सिर्फ ट्यूबवेल के आधार पर की जा रही है। बारिश नहीं हो, नहरें नहीं हों, नदियां नहीं हों, वहां बरसाती नदियां थीं, पीछे बांध बना दिए गए, उसका प्रभाव जो स्वाभाविक था वह पीछे रुक गया है। यदि हम ट्यूबवैल के माध्यम से खेती करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि भूमिगत जलस्तर इतना नीचे चला जाएगा कि खेती की कल्पना करना दूर हो जाएगा और यही कारण रहा कि उस क्षेत्र में रबी की फसल नहीं बोई गई, आज खरीफ की फसल के बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में बोई गई, वहां 90 प्रतिशत फसल खराब हो गई है। बहुत प्रयासों के बावजूद भी नहरों का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज-यमुना लिंक नहर का मामला वर्षों से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं कि सम्पर्क नहर को पूरा किया जाए ताकि हरियाणा की प्यासी धरती को कुछ पानी मिल सके। अभी तक उसमें किसी प्रकार का कोई कार्य आरंभ नहीं हो पाया है, यह भी एक दुर्भाग्य की बात है। देश में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि कहीं पर पानी बहुत अधिक है और कहीं पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस पानी को हम पूरे देश में सही तरीके से पहुंचा सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कहीं राजनैतिक परेशानियां आ रही हैं, कहीं प्रशासनिक परेशानियां आ रही हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस तरह की परेशानियों को दूर करने का भी प्रयास करें, इस तरह के नियम और कानून बनाने का प्रयास करें ताकि जहां जल की अधिकता है, वहां से उसे उस जगह पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके जहां कम जल है आज किसान सिंचाई के लिए, खेती के लिए पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। वह आकाश की तरफ टकटकी लगा कर देख रहा है। जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो आज किसान के चेहरे बिल्कुल मुरझा गए हैं। मेरे क्षेत्र में मुख्य रूप से बाजरे, ज्वार और गवार की फसल होती है। हम ऐसी फसल की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यह वह फसल है जो कम पानी से भी हो सकती थी और आज यह फसल भी 90 प्रतिशत बर्बाद हो गई है। आप इस स्थिति का आकलन स्वयं कर सकते हैं। इन आंकड़ों को देने के बाद मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि आपने एक

अच्छा निर्णय लिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि नाबार्ड के माध्यम से कर वसूली को स्थगित किया है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब आसाम के ऑयल पाइप्स बिछा कर रिवाड़ी में डिपो बनाया जा सकता है और तेल पहुंचाया जा सकता है तो पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां अधिक पानी है, वहां से पाइपलाइन के माध्यम से जैसे ऑयल की पाइपलाइन बिछी हुई हैं, आसाम के क्षेत्रों से रेगिस्तान के क्षेत्रों में पाइप लाइन आई हुई है और वहां ऑयल आने लगा रहा है तो पानी, जो हमारे किसान और हर व्यक्ति के जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है, उसे लाने में क्या तकलीफ है। आज लोगों ने अपने पशु छोड़ दिए हैं। चारे की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पानी की वजह से बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। उचित जल संरक्षण नीति बनाने की आवश्यकता है। मेरा यह भी कहना है कि वाटरशैड स्कीम और रेन वाटर हारवैस्टिंग के कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाने की जरूरत है। हम रेन वाटर हारवैस्टिंग की बात कर रहे हैं, रेन हो नहीं रही है तो कौन से वाटर की हारवैस्टिंग करेंगे। इस विषय पर गंभीरता से सोच कर जो नीतियां बनाई गई हैं, जो स्कीम्स बनाई गई हैं, उनको अच्छी तरह से लागू किया जा सके, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं।

आज बीज की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, खाद्यान्न की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैने तो यहां 5-5 मिनट दिये हैं, नहीं तो सुबह हो जायेगी।

डा. (श्रीमती) सुधा यादव: मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि आप दक्षिणी हरियाणा की स्थिति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये दोनों मंत्री ऐसे बैठे हैं, जो दक्षिणी हरियाणा की स्थिति से व्यक्तिगत तौर पर वाकिफ हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगी कि विशेष पैकेज आप वहां पर दें, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है, जो वास्तविक रूप से सूखे से पीड़ित है। आज वहां यह स्थिति हो गई है कि यदि गांव में जोहड़ भी भरवाना है तो हमें नदी के माध्यम से भरवाने पड़ेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, सूखे पर बहस हो रही है और वे बोल नहीं रहे हैं। सत्ता पक्ष के सदस्य सूखे के ऊपर इतने सीरियस हैं कि मात्र 13 लोगों की संख्या है। ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): ये दिन भर से गायब हैं, अभी आये हैं और हमें कह रहे हैं।

सभापति महोदय: आप बैठिए। श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: ये सब लोग गायब हैं, देश की सत्ता में बैठे हुए सदस्यों को सूखे और बाढ़ की जरा सी भी चिन्ता नहीं है। इनकी संख्या अब 13 है, ऐसा लगता है कि इस प्रकार की तेरहवीं होने वाली है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पुट्टास्वामी गौड़ा के भाषण के छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठिए, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिए।

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, इस सम्माननीय सभा के सभी दलों के माननीय सदस्यों ने देश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में अपनी व्यथा को इमानदारी से व्यक्त किया है। मैं इस गंभीर स्थिति से संबधित अपनी चिंताओं को उनके साथ सम्बद्ध करता हूं और मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

देश के अनेक राज्य सूखे की गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। कर्नाटक भी एक ऐसा ही राज्य है जो सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वास्तव में दुर्भाग्यवश कर्नाटक के लिए सूखे का यह लगातार तीसरा वर्ष है। मैं यह उद्धृत करना चाहूंगा कि केन्द्र विशेषकर उन किसानों को जो सूखे से प्रभावित हैं, की रक्षा करने के अपने कर्त्तव्य में पूरी तरह विफल रहा है।

कर्नाटक राज्य के 25 जिलों के 154 तालुक सूखे की चपेट में है और इन स्थानों पर पेय जल भी उपलब्ध नहीं है। मवेशियों के लिए चारा नहीं है और अनेक लोग जिनके पास जीवन-यापन

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा]

के लिए कुछ भी नहीं है, पहले ही पड़ोसी राज्यों में पलायन कर चुके हैं। हमारे मुख्य मंत्री सर्वदलीय शिष्टमंडल के नेतृत्व में माननीय कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने अपने ज्ञापन में केन्द्र से राज्य में बाढ़ राहत के लिए 958 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है। दुर्भाग्यवश कर्नाटक को इस समस्या से निपटने के लिए अभी तक एक रुपया भी जारी नहीं किया गया है। राज्य को अभी तक इस संबंध में कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्र इस मामले में राजनीति कर रहा है और इस राजग सरकार से मेरी यही शिकायत है।

11वें वित्त आयोग ने आपदा राहत कोष से कर्नाटक के लिए 78 करोड़ रुपये की धनराशि की सिफारिश की है। केन्द्र ने मात्र 58 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है और इस धनराशि को दो समान किश्तों में प्रदान किया जा रहा है। वास्तव में यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार बन गया है और भाजपा नेता इस आपदा राहत कोष को जारी करने के बारे में अनावश्यक दुष्प्रचार करने में लगे हुये हैं।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध करने हेतु महत्वपूर्ण धनराशि जारी करने में सराहनीय कार्य किया है।

जब कर्नाटक को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ राज्यों को राहत धनराशि कैसे प्राप्त हो गई। वे किसी भी राज्य को कितनी भी धनराशि जारी करें लेकिन मैं चाहता हूं कि कर्नाटक राज्य को भी राहत धनराशि मिलनी चाहिए।

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लगभग 238 करोड़ रुपये और 10 लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न जारी किया गया है। मेरे राज्य को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। इस मामले में राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी राज्यों को सूखे के कारण उनको हुए नुकसान के आधार पर समान रूप से बर्ताव किया जाना चाहिए। भविष्य में इस तरह की असमानता जारी रखने की अनुमति प्रदान करना राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। आप देश को इस तरह नहीं चला सकते। केन्द्र द्वारा सौतेला व्यवहार और कुछ राज्यों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का रवैया रहा तो किसान आंदोलन कर देंगे।

महोदय, मैं माननीय मंत्री के विचार हेतु अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बरसात के मौसम के दौरान भारी मात्रा में जल समुद्र में चला जाता है। जल की इस क्षति को इस प्रकार जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जल का संरक्षण और संचालन किया जाना चाहिए और यह हमारे किसानों का भविष्य निर्धारित करता है। जब तक इस बाढ़ के पानी का संचयन करने की क्षमता विकसित नहीं कर लेते तब तक हम किसानों की बहुपक्षीय समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकते।

गंगा और कावेरी को जोड़ने का एक प्रस्ताव था। केन्द्र ने इस प्रस्ताव पर अपना विचार नहीं व्यक्त किया है। केन्द्र ऐसे आविष्कार और वैज्ञानिक योजनाओं तथा कार्यक्रमों को शुरू करे तथा हमारे देश की समृद्धि के लिए उन्हें लागू करे। इसी तरह उन्हें टैंकों विशेषकर नदी मुहानों से गाद निकालने का कार्य शुरू करना होगा। कावेरी नदी मुहाने पर अनेक टैंक स्थित है। हम हजारों गरीब लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इससे हम सूखा प्रभावित राज्यों में रोजगार गारंटी योजना और काम के बदले अनाज योजना को पुन: चालू करने तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना परियोजना के अंतर्गत रोजगार सृजन में संबद्ध होंगे। दूसरी ओर कर्नाटक जैसे राज्य के लिए आप मुश्किलें खड़ी करते हैं जो इन कार्यक्रमों को शुरू करने को बहुत इच्छुक है। कर्नाटक ने ऐसे एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक से संपर्क किया था। दुर्भाग्यवश आपने इस कार्यक्रम हेतु अभी तक कोई मंजूरी प्रदान नहीं की है।

पूरे देश में नदी मुहानों पर स्थित टैंकों से तुरंत गाद निकाले जाने का यह बिल्कुल सही समय है।

केन्द्र को धनराशि स्वीकृत करते समय योजनाओं की निगरानी के बारे में बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धनराशि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। कई बार इस धनराशि का बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों तक नहीं पहुंचता है जिनके लिए ये धनराशि स्वीकृत की गई है।

महोदय, हाल ही में केन्द्रीय दल जिसने कर्नाटक का दौरा किया था, प्रभावित क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण नहीं कर सकी। मैं भारत सरकार से स्थिति का सही जायजा लेने हेतु कर्नाटक के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजने की मांग करता हूं। इसी बीच मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कृषि मंत्री श्री अजीत सिंह जी से कर्नाटक में व्याप्त भयंकर सूखे की स्थिति से कर्नाटक के लोगों की रक्षा हेतु तदर्थ सूखा राहत कोष हेतु कम से कम 100 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध करता हूं।

एक बार पुन: मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ और सूखे की स्थिति पर बोलने का मौका दिया। मैं कृषि मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री

प्रमोद महाजन जी का भी हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने इस समय देश में आई बाढ़ और सूखे की विकट स्थिति पर चर्चा कराने की चिंता की है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है। इसलिए हमें किसानों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश के करीब 11 प्रदेशों में सूखा पड़ा हुआ है। उसके लिए कृषि मंत्री जी ने पहले से 11 प्रदेशों की घोषणा भी की है परंतु उसके लिए क्या-क्या राहत दी जानी चाहिए, यह स्पष्ट होना चाहिए। पिछली बार मेरे जनपद बिजनौर में 9 जून को अचानक बाढ़ आई थी और मैंने मांग की थी और बाढ़ और राहत पर बोला भी था और उसके लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की थी। पांच पूल टूट गये थे और दो सड़कें टूट गई थी लेकिन सिर्फ दो करोड़ रुपये दिये गये थे। कहीं ऐसा न हो जाये कि फिर से बाढ़ की तरह से सूखे पर पैसा न दिया जाये, किसान का लगान, ब्याज और कर्ज भी माफ न किया जाये और किसान के बारे में चिंता न की जाये। उसके लिए हमें विचार करना होगा। खासकर कृषि मंत्री जी इस पर विचार करे। यह देश कृषि प्रधान देश था और यहां चर्चा थी कि "उत्तम खेती, मध्यम बान, निकस चाकरी विधि विधान।" आज ठीक उल्टा होता जा रहा है और यह बात दिखाई देने लगी है कि उत्तम नौकरी को मान लिया गया है। मध्यम व्यापार को और तृतीय भिखारी हो गया है और चौथे नम्बर पर किसान जाकर खड़ा हो गया है। किसान के प्रति कोई चिंता नहीं है और इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने किसान की कोई चिंता नहीं की है। आज शुगर मिलें बंद होती जा रही हैं। किसान के गन्ने की पिराई नहीं हो रही है और गन्ने का मूल्य किसान को नहीं दिया जा रहा है और किसान सूखे की चपेट में है। चालीस वर्षों से यह योजना ठप्प पड़ी थी। उसके लिए प्रधान मंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गैसोल और इथानोल की यह योजना किसान के फायदे के लिए दी हैं। मैं यह चाहूंगा कि सूखे के साथ-साथ इकानोल और गैसोल को ठीक उसी प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। जितनी शुगर मिलों ने इस बार इथानोल बनाया है, उस पर अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई है और कागजों में इसे न रखा जाये। सरकार ने घोषणा की है कि पैट्रोल के साथ-साथ डीजल पर भी हम इथानोल और गैसोल बनाने की बात करेंगे और इस पर चिंता करनी चाहिए। आज इस बात की आवश्यकता है कि वास्तव में हमें किसान के प्रति चिंता करनी पड़ेगी। इस देश में किसान सर्वोपरि है। मैं बिजनौर जिले से आया हूं और वहां 60-65 प्रतिशत किसान की फसल सूख चुकी है और पशु चारे के बगैर भूखे मरने लगे हैं।

सायं 7.29 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जहां पर उत्तर प्रदेश में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का अरबों रुपया शुगर मिलों पर बकाया है, उसके लिए सरकार योजना बनाये और जो किसानों का गन्ना और फसल सूख गई है, धान नहीं बोया गया है, उसके हिसाब से प्रति 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से किसान को राहत दी जानी चाहिए जिससे वे अपना जीवन-यापन कर सकें। यह सूखे की स्थिति देश के सामने बहुत भयंकर है। कम से कम किसान के मन में यह आना चाहिए कि केन्द्र की सरकार इस बारे में विचार कर रही है और वह सूखे की चिंता कर रही है। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। मेरा निवेदन है कि पूरे यू.पी. में लगान माफ किया जाना चाहिए, किसान का कर्जा माफ किया जाना चाहिए और किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लागत का जो नुकसान हुआ है, वह दिया जाना चाहिए। देश में जो कृषि बीमा योजना है, उसको भलीभांति लागू किया जाना चाहिए। प्रदेश की सरकारों को इसे लागू करने के लिए निर्देश दिए जाये चाहिए। सदन में सूखे पर बहस हो रही है। जो सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए जा रहे हैं, उन पर अमल किया जाना चाहिए। प्रभावित जनता को राहत देने के बारे में योजना बनानी चाहिए। बिजली का संकट भी उत्तर प्रदेश में भयंकर है। उत्तर प्रदेश में एक बीघा जमीन भी ऐसी नहीं है, जहां खेती नहीं हो सकती है, इसलिए सरकार को विशेष रूप से बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। नहरों में पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए इस दिशा में चिन्ता नहीं की गई, तो न केवल जानवर भुखमरी के शिकार होने वाले हैं बल्कि मनुष्य भी भुखमरी के शिकार होने वाले हैं और देश में हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाएगी।

महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। अंत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में 11 प्रदेश इस समय सूखे की चपेट में है। सूखे की स्थिति को देखते हुए, किसानों का लगान माफ किया जाना चाहिए, कर्ज माफ किया जाना चाहिए। इसके साथ ही 20 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के अनुदान के रूप में राशि दी जानी चाहिए।

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र): अध्यक्ष महोदय, देश के सर्वोच्च सदन में आज सूखे और बाढ़ जैसे तात्कालिक और गम्भीर विषय पर चर्चा की जा रही है। सूखे जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिवर्ष अनेक प्रदेश प्रभावित होते हैं। लगभग 15 वर्षों के बाद अब की बार हरियाणा प्रदेश भी भयंकर सूखे की चपेट में आ गया है, जिसके कारण तालाब, नदियां और नाले आदि सूख गए हैं। सिंचाई के लिए पानी तो बहुत दूर की बात, पशुओं तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हजारों एकड़ फसल बरबाद हो गई है। किसान हजारों एकड़ फसल में

[श्रीमती कैलाशो देवी]

हल चला चुका है और बरबादी के कगार पर खड़ा किसान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ आशा भरी दृष्टि से आर्थिक मदद के लिए देख रहा है।

महोदय, हरियाणा प्रदेश में मोटे अनाज की पैदावार पहले 126 लाख हैक्टेयर से घटकर 75 लाख हैक्टेयर भूमि तक रह गई है। जल-भण्डारण को भी बख्शा नहीं गया है। हरियाणा और राजस्थान में बाजरे और धान की फसल को भयंकर नुकसान हुआ है। देश में खरीफ की फसल 232 लाख हैक्टेयर जमीन पर लगाई जाती थी, जो अब घटकर 74 लाख हैक्टेयर रह गई है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रभावित लोगों के लिए आपातकालीन योजनायें लागू करने के लिए निर्देश दे दिए हैं, जिनके अंतर्गत किसानों को बीज और अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही पेयजल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। काम के बदले अनाज योजना को भी लागू करने की योजना है। माननीय कृषि मंत्री, श्री अजित सिंह जी ने कहा था कि राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आपातकालीन योजनाओं को लागू करें। लेकिन मैं एक बात पुरजोर शब्दों में कहना चाहती हूं कि इन योजनाओं का लाभ सरकारी मशीनरी की विफलता और भ्रष्ट अफसरशाही के कारण जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। आम गरीब जनता इन लाभों से वंचित रह जाती है और नौकरशाह लोग इन योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। यह कैसी विडम्बना है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम केवल 40 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई करने के काबिल हो पाए है। सिंचाई के लिए हमें ट्युबवैल पर निर्भर रहना पड़ता है और इसके लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। नहरों का भी हम अपेक्षित विकास नहीं कर पाए है। ऐसी दशा में न केवल किसान बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी आकाश की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हम सरकारी पदों पर बैठे लोग, केवल फाइलों पर घुन लगाकर निश्चिन्त होकर बैठ जायेंगे। आज का दिन तो आराम से कट गया, कल आप अपनी सुधि लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजादी के 55 वर्ष बाद भी हम ऐसे हालात में देश में पैदा नहीं कर पाए कि जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है वहां सूखे से निपटने के लिए जल को स्त्रोतों द्वारा इकट्ठा करें ताकि सूखे के समय उस भूमि की प्यास बुझायी जा सके। जहां बाढ़ से फसलें तबाह और बरबाद होती हैं वहां भी कोई प्रबंध नहीं कर पाए जिससे बाढ़ से इन फसलों की रक्षा हो सके। एक तरफ जहां हम 21वीं सदी में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में देखना चाहते हैं वहां दूसरी तरफ राष्ट्र की रीढ़ कहे जाने वाले किसान की मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी कर रहे हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में चलाया गया था लेकिन यह उसके अनुकूल प्रभाव दिखा नहीं पाया। इसके जो उद्देश्य थे जैसे फसलों का उत्पादन, भूमि की उत्पादकता बढ़ाना, पशुधन, जल संसाधनों का पता लगाना, सूखे से निपटना और कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले संसाधनहीन लोगों को रोजगार देकर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऊपर उठाना, इन पर एक प्रश्न चिह्न लगा है। इन उद्देश्यों की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए हमें इस योजना का पुनर्विवेचन, पुनरावलोकन, पुनर्मूल्यांकन करना होगा ताकि इस योजना के उद्देश्यों के अंतर्गत कार्यों को सिद्ध किया जा सके। बाढ़ के पानी को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए बांध बनाने होंगे ताकि सूखे की स्थिति में बखूबी निपटा जा सके। अकेले हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में जो बरसाती पानी बह कर चला जाता है यदि वहां बांध बना कर रोका जाएगा तो अकेले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात सहित कई राज्यों की प्यासी भूमि की प्यास बुझायी जा कती है। अकेले हिमाचल प्रेदश में प्रति वर्ष बरसाती पानी से 25 हजार मेगावाट पन बिजली पैदा की जा सकती है। ऐसी योजनाओं को जैसे शाहपुर कंडी योजना, टिहरी गढ़वाल बांध, एसवाईएल लिंक नहर जिस का पिछले दिनों कोर्ट ने भी फैसला दिया जो हजारों बरसों से लम्बित पड़ी है और फाइलों की धूल चाट रही है, उन परियोजनाओं को ब्यूरोक्रेसी के मकड़ जाल से निकाल कर त्वरित प्रभाव से पूरा किया जाना चाहिए। पूंजी लेकर भी योजनाएं पूरी करने से लाभ सहित पूरा का पूरा रिस्क कवर किया जा सकता है।

मैं जोर देकर कहना चाहूंगी कि हमारे सामने जो विकल्प वाटर रिचार्जिंग का है, उस पर विचार करना चाहिए। बरसात के दिनों में डीप बोरिंग करके वाटर लैवल ऊपर उठाया जा सकता है ताकि सूखे के दिनों में उस पानी का प्रयोग हो सके। तालाबों में बरसाती पानी की नदियों और नालों में बेकार जाने से रोकना आवश्यक है। इसके लिए पुख्ता प्रबंध करने पड़ेंगे। सरदार सरोवर डैम और भाखडा डैम के बाद कृषि सैक्टर को कोई ऐसी कारगर परियोजना आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है। किसी समय कहा गया था कि भाखड़ा बांध भारत के विकास का मंदिर साबित होगा। उसे अपने नाम के अनुरूप साबित भी किया। आज भारतवर्ष को ऐसे विकास के मंदिरों की आवश्यकता है। ऐसे विकास के मंदिरों को बना कर उन मंदिरों को लुटेरे पुजारियों से बचाने की आवश्यकता है।

प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू करके सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। वे अत्यधिक प्रभावशाली तरीके से लागू की जानी चाहिए। कृषि को उद्योग का दर्जा मिले और किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण तबाह होने पर उसका लाभकारी मूल्य मिले, लागत और बिक्री मूल्य लाभकारी मिलें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। काम के बदले अनाज योजना फाइलों में धूल चाट रही हैं। उसे पूरी तरह लागू किया जाए ताकि देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान को मजबूती प्रदान की जा सके।

वाटर कमीशन बुलाकर एक एमर्जेंसी मीटिंग माननीय मंत्री जी को कॉल करनी चाहिए क्योंकि आज सबसे ज्वलंत समस्या बाढ़ और सूखे की है ताकि इस समस्या से त्वरित प्रभाव से निपटा जा सके और पीड़ित लोगों को राहत दिलायी जा सके।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): अध्यक्ष जी, आज हम बाढ़ और सुखाड़ का कितना प्रकोप है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल और असम में कितनी बाढ़ आई है। असम में 15 लोग, बंगाल में 5 लोग मारे गये हैं। हमें दुख होता है कि देश को आजाद हुये 55 साल हो गये हैं लेकिन बाढ़ पर रोक नहीं लग पायी। यह हमारी विफलता है। इसका कारण हमारी योजनाओं में त्रुटियां होना है।

अध्यक्ष जी, मैं पटियाला जिले का एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब वहां हर तीसरे या चौथे साल बाढ़ आती थी तो लोग उठ खड़े होते थे और वे लोग राजा के पास जाते और कहते कि आप हाथी पर चढ़कर सोने का चूड़ा पेश करो, तभी हम लोगो को बाढ़ से निजात मिल पायेगी. उसके बाद राजा ने नदी पर बांध बनाया और आज किसी को हाथी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आज पटियाला में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि ऐसा बांध बनाया जाये ताकि बाढ़ को रोका जा सके। बाढ़ के कारणों का पता लगाया जाये तभी हिन्दुस्तान में लोगों का भला हो सकता है। इस सैशन को मानसून सत्र दिया गया है, ऐसी हालत देखकर इसका नाम बदल देना चाहिए।

अध्यक्ष जी, यहां के लोग अंधविश्वासी हैं और कई तरह के लंगर लगा रखे हैं। हमारे इलाके में नथाणा नाम की एक जगह है जहां लोग शराब का लंगर लगा रहे हैं। अपने देवता को खुश रखने के लिए हो रहा है और उसका फोटो अखबार में भी छपा है। इन बातों को देखकर सरकार से विनती है कि इस बारे प्रोपेगंडा करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भटिंडा जिले में पानी की बहुत कमी है। वहां राजीव वाटर योजना चलाई है। यह दो जिलों में है। मोगा, मुक्तसर और आधा जिला मानसा का काट दिया गया है। मैंने मंत्री जी को लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है कि क्यों काटा गया है। लोग बहुत दूर-दूर से पानी लेने जाते हैं। वहां का पानी भी ठीक नहीं है। पंजाब भी उन 12 राज्यों में से एक है जहां बरसात नहीं हुई है। जहां जून में 221 मिलीमीटर बरसात होती थी, इस बार केवल 36 मिलीमीटर बरसात हुई है। पंजाब की हालत चिन्ताजनक है। इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष जी, यहां पर पंजाब-हरियाणा के पानी की बात की गई। जब पंजाब बांटा गया, उसमें से 80 लाख हैक्टेयर जमीन हरियाणा को मिली और पंजाब को 1 करोड़ 5 लाख हैक्टेयर मिली। जब पानी का बंटवारा किया गया तो हरियाणा को 16 मिलियन एकड़ फीट और पंजाब को 12 मिलियन एकड़ फीट दिया गया। हरियाणा को जमीन कम लेकिन पानी ज्यादा दिया गया। हरियाणा का पानी इस्तेमाल करने में नुकसान है, इसलिए कोई बात नहीं।

एस.वाई.एल. नहर का जो मामला है। पंजाब में पिछली बार भी आपकी सरकार थी, जब आपकी सरकार थी तो आपने उन्हें बैठाकर उनका फैसला क्यों नहीं करवाया, आप क्यों देखते रहे कि दोनों राज्य लड़ते रहें और आप फायदा उठाते रहें। अगर दोनों राज्यों को बैठाकर फैसला कराया जाए तो फैसला हो जायेगा। परंतु आप जो केन्द्र में आये हैं, आप लड़ाई चाहते है। ताकि तीनों राज्य लड़ते रहें और आप फायदा उठाते रहें। ...*(व्यवधान)* अब मैं सूखे की बात पर आता हूं। सूखे की बात पर कर्जा माफ करने के लिए कहा है। किसानों का कर्ज आपको माफ करना चाहिए। इसें जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वे खेत मजदूर होते हैं। जब फसल नहीं होती है तो खेत मजदूर बेरोजगार हो जाते है। इसलिए उनके लिए भी कोई मुआवजा होना चाहिए, तभी लोगों को फायदा होगा। काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत जो अनाज देते हैं। पंजाब में इतना गेहूं खराब हो गया। अगर गेहूं खराब होता हो तो उसे गरीबों में बांट दों तो क्या वे लोग इसे नहीं खायेंगे। इतना गेहूं खराब हो जायेगा, लेकिन हम गरीबों को नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस पर सोचिये कि जो गेहूं खराब हो रहा है, उसे आप गरीब लोगों को एक रुपये किलो के हिसाब से सस्ते दामों पर दे दीजिए, ताकि उन लोगों को पेट भर सके और बेरोजगारी का प्रकोप भी कम हो सके। मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और जो बातें मैंने कही हैं उसमें कर्जा माफ होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जो फसल बीमा योजना है, उसकी इतनी इंस्टॉलमैन्ट है कि उसे लोग चुका नहीं सकते हैं। इसलिए पंजाब के लोग फसल बीमा कराने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आप लोग कोई और स्कीम बनायें, ताकि लोगों और आम किसानों को इसका फायदा हो सके। मैं समझता हूं सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री रामानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा कब तक चलेगी और जिन्होंने नियम 193 के तहत नोटिस दिये हैं, चाहे वे किसी भी दल के हों, आप उन्हें बोलने का मौका देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा नाम भी आपके पास है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चौधरी तालिब हुसैन अपना भाषण रखना चाहते हैं।

चौ. तालिब हुसैन (जम्मू): मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप बोलना चाहते हैं तब आपको कुछ देर इंतजार करना होगा।

चौ. तालिब हुसैन: महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप लिखित भाषण देना चाहते हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बोलना चाहते हैं तब आपको कुछ देर तक इंतजार करना होगा।

[हिन्दी]

चौ. तालिब हुसैन: सर अगर आप इजाजत देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

چودھری طالب حسین (جموں): سر اگر آپ اجازت دیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔

अध्यक्ष महोदय: अभी आप बैठिये मैं आपका नाम बाद में लूंगा।

श्री पी.के. खूंटे।

श्री पी.आर. खूंटे (सारंगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। *...(व्यवधान)*

डा. जसवंतसिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आपके पास लाइन में नाम पहुंच गये हैं, यह कहते हैं कि उसमें चेंज नहीं होता है। मेरा नाम सातवें नम्बर पर था, मैंने पूछा था *...(व्यवधान)* मैं इंतजार कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं चैक कर रहा हूं, क्या हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा।

श्री रामानन्द सिंह: अध्यक्ष जी, अगर पार्टी समय न दे तो आप भी दे सकते हैं। पार्टियों में पक्षपात होता है। मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने नोटिस दिया है, उन्हें कृषि मंत्री जी के भाषण के पहले बोलने का मौका दें। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति देने वाला हूं, मैंने आपको यह पहले भी कहा था।

डा. जसवंतसिंह यादव: उनका नम्बर नहीं था, आपने कर दिया, उन्हें कैसे बाद में बुलायेंगे। मेरा नम्बर आपकी लिस्ट में सातवें नम्बर पर था, वह किस आधार पर चेंज हो गया। मैंने खुद लिस्ट देखी थी।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): आज श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी यहां नहीं हैं, उनकी जगह श्री किरीट सोमैया जी काम देख रहे हैं। भाजपा के हमारे मित्र चिल्ला रहे हैं। उन्हें श्री किरीट सोमैया से शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि सूची में गड़बड़ श्री सोमैया ने की है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसका खुलासा करता हूं। कभी-कभी माननीय सदस्यों को भी बराबर बात समझ नहीं आती है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की शिकायत अपनी जगह पर जायज है। श्री विजय कुमार मल्होत्रा आज नहीं है तो काम चलाने के लिए जिम्मेदारी किरीट सोमैया को दी है। आज सूची में जो गड़बड़ की है, सब किरीट सोमैया ने की है। लिहाजा किरीट सोमैया से माननीय सदस्य को शिकायत करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यादव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका नाम लिस्ट में पहला है लेकिन आपकी यह दूसरी लिस्ट है। अभी तक मेरी पहली लिस्ट पूरी नहीं हुई है। पहली लिस्ट में अंतिम नाम खूंटे जी का है। इसलिए चेयर की तरफ से कोई अन्याय आज नहीं हुआ है और न कभी होगा। आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। जब दूसरी लिस्ट शुरू करेंगे तो आपका नाम पहला होगा। आपको मैंने चैम्बर में बताया है कि आपको इजाजत दूंगा। रामदास आठवले का नाम आज मैं आखिरी में नहीं देख रहा हूं।

खूंटे जी आप बोलना शुरू करें।

श्री पी.आर. खूंटे: माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में 12 बजे से देश में सूखे और बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न समस्या पर चर्चा हो रही है। *...(व्यवधान)* अखिलेश जी, मैं कभी आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। मैं बोल रहा हूं तो कृपया मुझे अवसर दें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप जानदार ढंग से बोलें।

श्री पी.आर. खूंटे: माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। 80 फीसदी जनता कृषि पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था भी कृषि पर निर्भर करती है लेकिन क्या कारण है कि आये दिन इस देश के किसानों को कभी सूखे का, कभी बाढ़ का तो कभी कीट प्रकोप का, कभी ओला का या प्राकृतिक विपदा का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश आज देश के लगभग

12 प्रदेशों में भयंकर सूखा है। इन 12 प्रदेशों के किसान इस सूखे के संकट से जूझ रहे हैं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इनमें खासकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। कुछ राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश इस सदी के सबसे भयानक सूखे की चपेट में है। मैं कुल मिलाकर यह कहूंगा कि वहां जड़ी-मूली खाने की स्थिति निर्मित हो गई है। महा अकाल की स्थिति है। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि सन् 1963-64 में इस अकाल जैसा अकाल पड़ा था और उस अकाल की ऐसी भयानक स्थिति थी कि उससे पीड़ित किसान, गरीब मजदूर, गाय और भैंस के गोबर में अन्न का दाना ढूंढकर खाने के लिए मजबूर थे। आज वही स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य की निर्मित हो रही है। किसान ने तो मौसम को देखते हुए समय पर धान बोया लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया जिसके कारण आज वहां रोपाई और व्यासी का काम ठप्प हो गया। जो फसल उग गई वह सूखकर मर रही है और राज्य सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए या इस सूखे का सामना करने के लिए कुल मिलाकर असमर्थ है।

आज से एक साल पहले भी छत्तीसगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल का सामना करने के लिए छत्तीसगढ़ में हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री नंद कुमार साय और हमारे भाजपा के विधायकों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से एक प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ में इतना भयंकर अकाल पड़ा है, लाखों लोग पलायन कर रहे हैं, पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है, चारे की समस्या खड़ी हो गई है, राज्य सरकार के पास इससे निपटने के लिए कितने धन का प्रावधान है।

महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा में, छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री ने जवाब दिया कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के पास केवल 3,00,000 रुपए हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 7 लाख है। यदि राज्य सरकार के 3 लाख रुपए से प्रसाद बनाकर भी उस समय बांटती, तो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 7 लाख जनता को प्रसाद भी नसीब नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उस समय चार प्रदेश जो सूखे से पीड़ित थे और सूखे के कारण भुखमरी की मार झेल रहे थे, उन चारों प्रदेशों में काम के बदले अनाज एवं गांव-गंगाजल योजनाओं के माध्यम से राहत कार्य चलाए। वही स्थिति आज फिर छत्तीसगढ़ में बन गई है और किसानों, गरीबों एवं मजदूरों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री को इस बात की जरा भी चिन्ता नहीं है। वहां के किसान, वहां की गरीब जनता जहां भगवान से प्रार्थना कर रही है कि इन्द्र देव भगवान पानी बरसाओ और हमारी फसल की रक्षा करो, वहीं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री महोदय पानी न बरसे ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं ताकि केन्द्र सरकार से सूखा राहत राशि मिल सके और जेब गरम हो सके।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन है कि उन्हें इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए कि किसी प्रदेश का मुख्य मंत्री भगवान से यह प्रार्थना करे कि पानी न बरसे। ऐसा कहना ठीक नहीं है। विरोध करना चाहिए, लेकिन इस स्तर तक विरोध न करें।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात से सहमत हूं। श्री खूंटे जी, आप ऐसा आरोप मत लगाइए। आप अपनी बात कहिए।

श्री पी.आर. खूंटे: अध्यक्ष महोदय, वहां के किसानों ने मेंढक और मेंढकी की शादी की। 20 जुलाई के अखबार में यह समाचार छपा है। तेल भी चढ़ा, हल्दी भी लगी, पूजा हुई, मंत्रोच्चार भी किया गया, बारात निकाली गई, टीका भी हुआ एवं खाना भी हुआ तथा अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हुई और मेढ़क-मेढ़की को तालाब में विसर्जित कर दिया गया। आप कहें तो मैं पूरा समाचार पढ़ सकता हूं, लेकिन इसमें और ज्यादा समय लगेगा। इस प्रकार से वहां के लोगों ने पानी न गिरने से परेशान होकर मंत्रोच्चार का सहारा लिया। वहां सूखे की भयंकर समस्या है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो स्थिति निर्मित हुई है वह बहुत भयंकर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं कर रहा हूं। आज किसानों की जो हालत खराब है, आज किसान कंगाली की हालत में पहुंच गए हैं, वह केवल एक प्रदेश का हल नहीं है बल्कि सारे देश में किसानों की यही हालत है। किसानों की इस दुर्दशा का दोषी कौन है। आज देश को आजाद हुए 55 साल हो गए हैं और कुछ सालों को यदि छोड़ दिया जाए, तो देश में कांग्रेस पार्टी ने एकछत्र राज्य किया। दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश में साढ़े आठ साल से कांग्रेस का राज्य है, जहां भयंकर सूखा पड़ा है। जहां-जहां और जिन-जिन प्रदेशों में कांग्रेस का राज्य है वहां-वहां भयंकर सूखा पड़ रहा है और लोगों को अकाल का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की किसान-विरोधी नीतियों के कारण आज हिन्दुस्तान के किसान की यह दुर्गति हुई है। आज हालत यह है कि किसान कर्जे में डूबा हुआ है। किसान का बेटा पैदा होता है, तो वह भी अपने ऊपर कर्जा लेकर पैदा होता है। किसान भूखा है, कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लोग मलाई खा रहे हैं। अगर कांग्रेस ने अपने शासन काल में किसान को सिंचाई के लिए पानी पहुंचा दिया होता, तो आज हमारा किसान खुशहाल होता, लेकिन कांग्रेस ने किसान के फायदे की

[श्री पी.आर. खूंटे]

नीति नहीं बनाई और किसान को खेती की सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की नीति पर अमल नहीं किया। कांग्रेस की किसान-विरोधी नीतियों के कारण किसान की यह हालत हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रथम बार देश में कृषि नीति इनके समय में आई, किसानों की फसलों के बीमा की योजना इनके समय में लागू हुई। इस योजना के तहत भी कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है और उनके बीमे की राशि नहीं मिल रही है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में भी अभी तक सूखा-पीड़ितों को लाभ नहीं दिया गया है।

रात्रि 8.00 बजे

आज भी मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम यहां लम्बे चौड़े भाषण बोलते हैं, किसानों के हितों की बात करते हैं लेकिन जहां किसानों के हित और भलाई की बात आती है वहां हम पीठ दिखाते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। यह कतई शोभा नहीं देता।

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जहां सदन सूखे की समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है वहां आप सदन की उपस्थिति देखिए। देश के 12 प्रदेशों के किसानों *...(व्यवधान)* मैं एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। देश के 12 प्रदेशों के किसान इतने भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। आज उनके सामने कोई विकल्प नहीं है कि वह करें तो क्या करें। एक तो मौसम उनका साथ नहीं दे रहा और दूसरी तरफ राज्य सरकार उनका साथ नहीं दे रही। किसान की ऐसी स्थिति हो गयी है कि वह क्या करे और क्या न करे। उनके सामने बिजली, बीज, सिंचाई और पानी की समस्या है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए। जिन किसानों के पास ट्यूबवैल्स हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बिजली बहुत सरप्लस है। आप छत्तीसगढ़ में जाकर देखिये। आज भी हजार गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंची नहीं है। वहां लोग अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं। वहां ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बिजली की आंख मिचौनी के कारण ट्यूबवैल खराब हो गये हैं या बंद पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो फसल खेत में लगी हुई है, वह मर रही है। इसके लिए दोषी कौन है? मेरा यह भी कहना है कि हजारों पम्पों के लिए अभी तक स्थायी कनैक्शन तो दूर आर्डिनेरी कनेक्शन भी नहीं दिया गया है। वहां के किसान परेशान हैं। वे अपने आप में दुखी हैं।

मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के नाम पर बहुत राजनीति हो चुकी है। ऐसे 12 राज्यों में सूखे की स्थिति है। जिस प्रकार की स्थिति मौसम की तरफ से निर्मित हुई है, उससे कोई भरोसा नहीं है। अगर इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया तो पूरे देश में हाहाकार मच जायगा। किसान कहीं का नहीं रहेगा। आज छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी नियमानुसार पूरे प्रदेशों में 15 जून से, बारिश के बाद राहत कार्य बंद कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि जिन प्रदेशों में सूखा राहत कार्य 15 जून से बंद कर दिया गया है, वहां फिर से सूखा राहत कार्य चलाने का आदेश दिया जाये जिससे खेतिहर मजदूर और गरीब मजदूरों को रोजी-रोटी मिल सके। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार आपकी उपस्थिति में बोल रहा हूं। मैं बहुत गंभीर विषय पर बोल रहा हूं। मुझे आप एक मिनट और बोलने का समय दीजिए। मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में *...(व्यवधान)* विभिन्न विकास निर्माण के कार्यों मे मजदूरों से काम लिया गया है जिनकी मजदूरी का भुगतान अभी तक छत्तीसगढ़ शासन ने नहीं किया है। एक तो खेत में काम बंद हो गया और दूसरा खेत में मजदूरों का भी जाना बंद हो गया। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है। जिन लोगों ने काम किया है, उनको कूपन दिया गया है लेकिन उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वे उनके ऊपर दबाव बनायें और तत्काल उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाये।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई योजना खासकर सारंगढ़ मेरा संसदीय क्षेत्र है, जहां से मैं चुनकर आता हूं, छत्तीसगढ़ की सभी प्रमुख नदियां बहती हैं। महानदी, हसदो नदी, केलो नदी, मांड नदी, सोन नदी, अरपा नदी, पेरी नदी इत्यादि नदियां मेरे संसदीय क्षेत्र सारंगढ़ से होकर गुजरती हं लेकिन वहां सर्वाधिक सूखा पड़ता है। अनेक ऐसी सिंचाई योजनाएं हैं जो 22 साल, 28 साल और 32 साल से लंबित पड़ी हैं। उन सारी योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाये और किसानों के खेत में पानी पहुंचाया जाये। हसदो सिंचाई योजना में केन्द्र सरकार ने 272 करोड़ रुपये दिये हैं जिसे 2003 तक पूरा करने का आदेश हुआ है लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया ने उसमें बहुत भ्रष्टाचार किया है। मेरी जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जो *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप समाप्त कीजिए।

श्री पी.आर. खूंटे: उसमें 100 करोड़ रुपये के घोटाले की बात आई है जिससे किसान का बहुत बड़ा हक मारा जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसकी उच्चस्तरीय जांच हो।

आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं एक आध मिनट में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस बाढ़ और सूखे के सवाल पर सांसदों को बोलने का अवसर दिया। जो लोग भाषण से वंचित रह जाएंगे, हमारी आपसे प्रार्थना है कि क्या कल दोपहर तक वे अपना लिखित भाषण जमा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आज यह चर्चा पूरी करना चाहता हूं और कल केवल मंत्री का भाषण होगा।

श्री रामजीलाल सुमन: संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था। मैं समझता हूं कि आज जो लोग वंचित रह जाएंगे, कल उनका लिखित भाषण स्वीकार करेंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय: यदि एक-दो सदस्य कल भाषण करें तो मैं समझ सकता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ज्यादा लोगों को समय दे सकूंगा।

श्री किरीट सोमैया: लिखित भाषण कल सबमिट करने की अनुमति दें, ऐसी उनकी सूचना है।

अध्यक्ष महोदय: जो सदन लिखित भाषण देना चाहते हैं, वे कल दे सकते हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कल भाषण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कल नहीं, इनके बाद मैं आपका नाम बुलाऊंगा। इनका भाषण होने के बाद आपका ही नाम है।

श्री रामदास आठवले: हम कल बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय: कल तो लिखित भाषण देना पड़ेगा।

श्री रामदास आठवले: सिर्फ पांच मिनट दे दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आज बोलिए। सब लोग चाहते हैं कि आपका भाषण सुनें। अब श्री विजय हान्दिक बोले।

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि निर्धारित अवधि के अंदर एवं सुसंगत भाषण देना संभव नहीं है। फिर भी मैं सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं ताकि वे सही कार्यवाही करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शान्ति बनाए रखें।

श्री विजय हान्दिक: महोदय, असम में पहली बार बाढ़ अंतिम जून में आई थी और जुलाई में पूरी तरह आ गई थी। वास्तव में राज्य अभी भी बाढ़ की चपेट में है पहली बाढ़ का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इससे 13 जिले प्रभावित हैं। वे जिले धेमाली, लखीमपुर, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर, भोरीगांव, दरांग, सोनीतपुर, बलबाड़ी, मोरपेटा, ढुबरी ग्वालपाटा और कामरूप हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या 457 है और 57,162 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हैं जिसके 50 प्रतिशत पर फसल लगी हुई है और प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 4,59,079 है धेमाजी जिले में एक महत्वपूर्ण रेल पुल बाढ़ में बह जाना सबसे बड़ा झटका है जिससे देश के शेष भागों से यह जिला कब गया है। जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 सहित सड़क संपर्क भी बाधित है। गत तीन दिनों के दौरान यह जिला दुबारा प्रभावित हुआ है जिसके फलस्वरूप अत्यधिक विध्वंस रहा है और तटबंध का एक बड़ी हिस्सा बह गया है।

महोदय, हाल ही में तीन से चार दिनों के अंदर कुछ अन्य जिले भी प्राप्ति हुए हैं। देश के शेष भागों से असम को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 57 बलबाड़ी, धुबरी और ग्वालपाड़ा जिलों में कुछ स्थान जल में डूबे हुए हैं। ये संकेत बिल्कुल स्पष्ट है कि दूसरी बार बाढ़ पहले ही आ चुकी है।

यह पहली बार आई बाढ़ का नुकसान संबंधी लेखा-जोखा है। हमारे लिए चिन्ता का विषय बाढ़ की विविधता और तीव्रता है और हमारे विगत अनुभव से यह रुकने जा रही है तथा और बाढ़ आने से और अधिक क्षति होगी। असम जैसे राज्य जो वर्षों से संसाधन के संकट से जूझ रहे हैं। इस पूरे स्थिति से निपटने की स्थिति में नहीं है। सभी प्रकार की बाढ़ की स्थितियों में राहत एवं पुनर्वास के अलावा राज्य में आने वाली बाढ़ से पहले विनाश के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ आपातकालीन बचाव कार्य किए जाने अत्यधिक अनिवार्य है।

दो चरणों की बाढ़ के बीच क्षतिग्रस्त अवसंरचना की मरम्मत भी जरूरी है। चालू बचाव परियोजनाओं के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया धन बहुत ही थोड़ा है। जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं और जब बाढ़ का मौसम आता है और तो राज्य को पुन: बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जब तक इन क्षतियों की मरम्मत और किनारों के सुदृढ़ नहीं किया जाता तब तक वे बाढ़ का सामना कर पाने में असमर्थ होंगे।

महोदय, इस स्थिति में धन का एकमात्र उपलब्ध स्रोत कृषि मंत्रालय द्वारा आपदा राहत कोष से संस्वीकृत धन है। वर्ष 2000-2001 तक यही परंपरा थी। मरम्मत कार्यों के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण, लोक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियंत्रण जैसे विभाग, जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाली अवसंरचना की मरम्मत हेतु आपदा राहत कोष के राजस्व विभाग से धन प्राप्त करते हैं, मरम्मतों को करने में समर्थ नहीं है।

इसी बीच, केन्द्र सरकार ने, कृषि मंत्रालय में सितम्बर, 2001 में जारी किए गए परिपत्र के द्वारा, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से संकेत प्राप्त करते हुए, आपदा राहत कोष से मरम्मत और पुनर्निर्माण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्षतिग्रस्त अवसंरचना और सार्वजनिक संपत्ति को आपदा पूर्व स्तर पर पुनर्बहाल करने हेतु आपदा राहत कोष का उपयोग करने की पूर्व प्रणाली से हटना ही है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष अवश्य रखूंगा, हालांकि कृषि मंत्री जी यहां नहीं हैं, जिसके आधार पर निर्णय में संशोधन किया जा सकेगा। केन्द्र सरकार ने इस पर जोर दिया है कि आपदा राहत कोष के उपयोग का विस्तार क्षेत्र तत्काल प्रकृति की मरम्मत एवं पुनर्बहाली तक ही सीमित है। यदि ऐसा है तो इस 'तत्काल प्रकृति' की अभिव्यक्ति में उन आपातकालीन बचाव उपायों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनकी आवश्यकता राहत एवं पुनर्वास कार्य हेतु संस्वीकृत कोष से बाढ़ के दो चरणों के बीच उठाया जा सकता है। हाल ही में दो माह पहले नई दिल्ली में हुए राहत आयुक्तों के सम्मेलन में यह बात दोहराई गयी थी कि राहत और पुनर्वास हेतु आवंटित धनराशि का राहत कार्यों से उत्तर उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह ग्यारहवें पित्त आयोग की सिफारिशों का लापरवाही से किया गया निर्वचन एक अव्यावहारिक रवैया है। राहत और पुनर्वास हेतु संस्वीकृत केन्द्रीय कोष से अति तत्काल बचाव कार्य हेतु कुछ धनराशि को नियत किया जाना ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करता। इसे मनोमस्तिष्क में रखना चाहिए कि अत्यधिक विनाश का मतलब राहत और पुनर्वास पर अधिक से अधिक व्यय किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, यदि इसके बजाय कुछ आबंटनों को कुछ अनिवार्य बचाव उपायों पर खर्च किया जाता है, तो विनाश कम होगा और कुछ सीमा तक व्यय में कमी आएगी। मैं ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से पीछा छुड़ाने की अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के और अर्थपूर्ण एवं व्यावहारिक विवेचन पर जोर देता हूं।

मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हवाला देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदय, राज्य का पारंपरिक सूखा क्षेत्र एक हमेशा समान नहीं रहता है। यह समय के साथ बढ़ता रहा है। तथापि असम सूखा-प्रवण क्षेत्र नहीं है, हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि इन वर्षों में, कुछ क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। महोदय, इस दर से, वह समय दूर नहीं है जब असम में भी सूखा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। मैं कृषि मंत्रालय से विभिन्न राज्यों में स्थित इन क्षेत्रों की पहचान करने और राज्य सरकारों से तत्काल सूखे की बढ़ती स्थिति को रोकने हेतु उपाय करने की सलाह देने का आग्रह करता हूं। महोदय, यह एक प्रकार से धीरे-धीरे मरुस्थल ही है। इसका एक कारण बालू का बिखरना है विशेषकर तब जब नदी के किनारे टूट जाते हैं और पास के धान के खेतों में बहने लगती है।

महोदय, यह सब कहा गया और किया गया है कि, ज्यादातर मौसमी कारकों और वनस्पति क्षेत्रों की कमी से बाढ़ आती है। कुछ अर्थों में, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा कि किसानों के लिए दोहरी चुनौती बाढ़ एवं सूखा पर वाद-विवाद को साथ-साथ उठाया गया। यह सब कहा गया और किया गया है, सत्य है कि जब तक भारत सरकार सभी चालू परियोजनाओं को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराती है, तब तक असम जैसे राज्यों में बाढ़ को नियंत्रित करना और रोक पाना संभव नहीं है। केवल यही प्रस्तावित परियोजनाएं दीर्घकालिक समाधान दे सकती है।

कुछ परियोजनाएं, जिनके बारे में हम अभी सुनते रहे हैं, जल्द ही दंतकथाएं बन जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग उनके बारे में कहानियों की तरह बताएंगे। उन्होंने इनके बारे में कहानियों के रूप में बात करनी शुरू कर दी है। मुझे आशा है, सरकार चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करने के लिए तत्काल उपाय करेगी। जहां तक ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का संबंध है, मैं इन सिफारिशों से हटने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरा जोर इस बात पर है कि इन सिफारिशों का और भी अर्थपूर्ण एवं व्यावहारिक निर्वचन किया जाना चाहिए।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

भारत एक विशाल देश है, और यहां के 14 राज्य सूखे से प्रभावित है। इसके साथ-साथ तीन राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और असम भी बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से हुई तबाही से कई लोग मारे गए हैं। मैं अपने को उत्तरी बंगाल क्षेत्र की बाढ़ की स्थिति तक ही सीमित रखूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरी बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और अन्य जिले शामिल हैं। पिछले 15 दिनों में, वहां लगातार बारिश हुई जिससे भयंकर बाढ़ आई। नदी में बाढ़ आई हुई थी और आप यह जानकर चकित होंगे कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कूचबिहार में तीन लोगों की जानें चली गईं। 12 लोगों से भरी हुई एक बचाव मोटर नौका ने कल्याणी नदी की तेज धारा में अपना नियंत्रण खो दिया और

शायद यह बंग्लादेश तक बहकर चली गई होगी। हमें उनका कुछ पता नहीं चला है कि वे लोग जीवित हैं या नहीं। हम यह उम्मीद करते हैं कि नौका के बंग्लादेश पहुंचने पर वे लोग जीवित मिलें। यह स्थिति है। आप यह जानकर आश्चर्य में होंगे कि उक्त क्षेत्र में लगभग दो लाख लोग बेघर हो गए हैं और लोगों के सैकड़ों लापता है। जैसा कि कामरेड मिनाती सेन एवं जोवाकिम बखला द्वारा उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और नदी पर बने पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आज भी सुबह से बारिश हो रही है। मैंने दूरभाष पर बात की और मुझे यह बताया गया था कि आज भी सुबह वहां भारी वर्षा हुई। मैं नहीं जानता कि कल वहां क्या होगा।

महोदय, इस तरह अनुमानित हानि तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की हो सकती है। कृषि मंत्री, श्री अजीत सिंह कहां हैं? उन्होंने 12 नहीं, बल्कि 11 राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है क्योंकि अभी-अभी उड़ीसा के सदस्यों ने कहा है कि उन्हें नहीं बुलाया गया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि 11 राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। तथापि, ऐसे भी राज्य हैं जहां बाढ़ विनाशकारी है और जिससे तबाही हो रही है। लोगों की ओर पशुओं की जाने चली गई। हैं। दो मंजिली और बहु-मंजिली इमारतों सहित अनेक घर बह गए। ऐसी स्थिति में मैं माननीय कृषि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इन तीन राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। क्या उन्होंने देश के उक्त भाग में कोई केन्द्रीय दल भेजा है?

ऐसा नहीं किया गया है। क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रदेश को कोई धन उपलब्ध कराया है? पश्चिम बंगाल की सरकार अपने सीमित संसाधनों से राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों को जारी रखने का भरसक प्रयास कर रही है। हमने केन्द्र सरकार से काफी ज्यादा अपेक्षा की थी परन्तु यह अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है।

महोदय, लंबे समय से हम यह मांग करते रहे हैं, माननीय जल संसाधन मंत्री यहां मौजूद है, कि यदि सरकार उत्तरी बंगाल में बाढ़ को नियंत्रित करने के प्रति गंभीर है, तो उत्तर बंगाल में बाढ़ के नियंत्रण हेतु भारत-भूटान नदी आयोग और उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत-नेपाल आयोग जरूरी है। हमने न केवल वर्तमान जल संसाधन मंत्री से मुलाकात की थी बल्कि हम उनके पूर्ववर्ती से भी मिले थे। मैं इस अवसर पर मैं यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1969 में भी जब पश्चिम बंगाल गंभीर बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा था और वहां लगभग पांच हजार लोग मारे गए थे, तो मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी से एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि भूटान के साथ एक नदी आयोग बनाना ही क्षेत्र में बाढ़ के नियंत्रण का एकमात्र रास्ता है। यदि ऐसा था, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे की भूटान के साथ उठाया था? भूटान एक अलग देश है और उसकी एक अपनी भौगोलिक स्थिति है। वे अपने सीमेंट कारखानों के लिए डोलोमाईट का निष्कर्षण कर रहे हैं और स्टोन चिप्स को एकत्र कर उनका बांग्लादेश को निर्यात कर रहे हैं। कटाई भी अक्षुण्ण है।

महोदय, मैं आपको इस प्रदेश में दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आप यहां आते हैं तो आप पाएंगे कि नदियों के आस-पास के अधिकतर घर नदी तल में समा चुके हैं। पूर्वोत्तर एक संपर्क सूत्र है और कोई भी इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकता है। असम राज्य के मेरे सहयोगी यहां मौजूद हैं। क्या वे इस सभा की उपेक्षा कर सकते हैं? इस प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति यह संकेत देती है कि इस भाग का प्रयोग गलियारे के रूप में किया जा सकता है। यदि ऐसी स्थिति है तो, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि भूटान के साथ हमारे-अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए उत्तर बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के लिए भूटान सरकार के साथ एक नदी आयोग के गठन का मुद्दा उठाए। इसी प्रकार, उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए उसे इस मुद्दे को नेपाल सरकार के साथ उठाना चाहिए।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बाढ़ और सूखा, दोनों के नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली चीज यह कि कृषि ऋणों को माफ किया जाए। दूसरे, निर्धन कामगारों को बचाने के लिए तत्काल कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम आरंभ किया जाए। तीसरे, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए बीजांकुर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि बाढ़ के बाद जलस्तर घटने पर बीजांकुरों की आवश्यकता होगी। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती रानी नरह (लखीमपुर): महोदय, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहती हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: डा. जसवंत सिंह यादव, आपके भाषण शुरु करने से पहले श्रीमती रानी नरह अपनी स्पीच ले करेंगी।

[अनुवाद]

***श्रीमती रानी नरह:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र, लखीमपुर, असम में आयी बाढ़ की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो जिले लखीमपुर और मजौली तथा उप-मंडल (जोरहाट जिला) बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मणिशंकर अय्यर]

इन दो जिलों के लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। धेमाजी जिले के लगभग चार सौ छत्तीस गांव पूरी तरह बाढ़ में डूब गए है और इस जिले में तीन लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जिले में 24,046.00 हेक्टेयर में फसल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। धेमाजी से एकमात्र सम्पर्क सूत्र राष्ट्रीय राजमार्ग-52 भी बाढ़ में बह गया है और समारनज लकड़ी पुल सं. 400क(1) और समारजन रेलवे पुल भी पूरी तरह बह गए हैं। धेमाजी जिले का शेष देश से सम्पर्क हेतु कोई सड़क या रेलगाड़ी सम्पर्क नहीं है, जिले के लोग भयावह हालत में है। धेमाजी के कारेंग छापरी डायक बाढ़ में पूरी तरह बह गया है।

लखीमपुर में लगभग एक लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लखीमपुर के 140 गांव बाढ़ में पूरी तरह डूब गए हैं और 29,034,00 हेक्टेयर भूमि की फसल को क्षति पहुंची है। पड़ोस के दो विधान सभा क्षेत्र नौबछिया ठकुआखाना भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ढकुआ खाना और नौबछिया में लगभग 80 गांव बाढ़ में डूब गए हैं और इन दो विधान सभा क्षेत्रों में नाव ही सम्पर्क का एक मात्र सम्पर्क साधन है। ढकुआखाना उप-मंडल में वाकुलगुडी टेकेलिपुरा के निकट मटमारा डामक भी बाढ़ में पूरी तरह बह गया है।

यदि लखीमपुर के लीलाबाड़ी विमानपत्तन पर सभी तकनीकी सुविधाएं शीघ्र स्थापित की जाएं तो इससे लखीमपुर, धेमाजी और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को और इन जिलों में राहत सामग्री भेजने में बड़ी सहायता मिल सकती है।

जोरहाट जिलों का जग प्रसिद्ध मंजूली द्वीप उप-मंडल बाढ़ में पूरी तरह डूब गया है वहां किसी भी तरह का सम्पर्क सूत्र नहीं है। भारी बाढ़ के कारण नाव/फेरी जैसा एक मात्र साधन भी ठप्प हो गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कोई विकल्प नहीं है।

मैं संबंधित मंत्री से धन सहायता देकर और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इन दो जिलों धीमाजी और लखीमपुर और मजूली उप-मंडल का ध्यान रखते हुए उचित और तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

डा. जसवंतसिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सदन में खाली बोलने का शौक नहीं है कि मैं बोलना चाहता हूं और मेरी बात रिकार्ड में दर्ज हो जाए। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उस प्रदेश में लोगों की हालत को देखकर, जिस हाल में वे जीवन व्यतीत कर रहा हैं, उसको देखकर अच्छे-अच्छे लोगों की आंख में आंसू आ जायें। हर व्यक्ति को देश में जीने का हक है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में जिए और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रदेश की जनता का ध्यान रखे और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे। इसी तरह की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की भी है।

महोदय, राजस्थान में पिछले चार साल से अकाल पड़ रहा है। चार साल में लगातार अकाल पड़ने के कराण वहां यह स्थिति है कि वहां लोगों ने अपनी गायों के तिलक लगाकर छोड़ दिया है, वे जिस हाल में भी रहें, मरें या जीयें। हो सकता है, घर से निकलने के बाद उनको कहीं पर चारा मिल जाए। इसी तरह से बुजुर्ग माता-पिता हैं, उनका जो वहां पर हाल है, उनको जो तड़फन है, उनकी आंखों के अन्दर आंसू है, इस स्थिति को देखकर हमको खुद रोना आ जाता है। आज बुजुर्ग माता-पिता खाने के लिए तरस रहे हैं। उनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है। सदन में स्थिति से निपटने के लिए चर्चा हो चुकी हैं, माननीय सदस्यों ने आंकड़ें प्रस्तुत किए हैं। सदन में सूखाड़ के साथ-साथ बाढ़ की भी चर्चा हो रही है। हर व्यक्ति ने अपने प्रदेश की बात कही है, हिन्दुस्तान की बात कही है और केवल चर्चा मात्र से समस्या हल नहीं हो सकती है। वास्तव में देखा जाए, हम केवल राजनीति करने के लिए खड़े हुए है कि राज्य सरकार ने यह किया या केन्द्रीय सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश में गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना चालू की है। हर आदमी चाहता है कि गांवों का विकास हो और उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके गांव को सड़क से जोड दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को क्रैडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की गई। वह सम्मान के साथ चीजें खरीद सकता है। फसल बीमा योजना कीं भी चर्चा होती है। इस बारे में माननीय मंत्रीजी भी बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, वे लोग इन सुविधाओं से वंचित है। राजस्थान सरकार 50 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट भी नहीं देती है और किसान मर रहा है। पूरे देश में फसल बीमा योजना लागू है, गुजरात में यह योजना लागू है, लेकिन राजस्थान में फसल बीमा योजना लागू नहीं है। राजस्थान के सदस्य विपक्ष में भी उपस्थित हैं, वे भी इस विषय पर बोलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार ने अपना पचास प्रतिशत पैसा बचाने के लिए किसानों को मरने के छोड़ दिया है। मैं पिछले चार सालों के आंकड़ें निकलवाए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 1900 करोड़ रुपया भारत सरकार से राजस्थान सरकार को मिला, लेकिन राजस्थान के लोग एक-एक पैसा के लिए मोहताज है। माता-पिता के समाने यह दिक्कत आ रही है कि वे अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कैसे करें, कैसे अपना गुजारा करें। राजस्थान सरकार अभी तक 1900 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाई है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): ये आंकड़ें

गलत हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. जसवन्तसिंह यादव: सही आंकड़ें आप बता दें। मैं आपकी बात मान लूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: अभी तो मेरे पास आंकड़े नहीं है, मैं कल दे दूंगा। ...*(व्यवधान)*

डा. जसवंतसिंह यादव: क्या आप राजस्थान में फसल बीमा योजना लागू है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार मना कर रही है? ...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: कई राज्यों में लागू हैं कई राज्यों में लागू नहीं है। ...*(व्यवधान)*

डा. जसवंतसिंह यादव: राजस्थान पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला, क्या आपको तकलीफ नहीं है? किसान क्या कर सकता है। किसान ने यह गलती की कि 60 प्रतिशत लोगों को लोक सभा में चुनकर भेज दिया। किसानों के नाम पर वोट लेकर सब लोग आए और राजनीति कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। इस बारे में मेरी कृषि मंत्री जी से चर्चा हुई है। कृषि मंत्री यहां बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि आपने यूपी और उड़ीसा में घोषणाएं की, राजस्थान में क्यों नहीं की। उन्होंने अपनी लाचारी बतायी। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं? जब तक राजस्थान सरकार हमारे पास सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करके कागज नहीं भेजेगी तब तक हम कैसे इसे करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के किसान और दूसरे लोग मर रहे हैं और हम राजनीति कर रहे हैं। वहां अभी तक इसकी शुरूआत नहीं हुई है। वह कैसे रिपोर्ट भेज देंगे? कब किसानों और गरीब मजदूरों को इसका लाभ होगा? जब मानसून खत्म हो जाएगा, राजस्थान खत्म हो जाएगा क्या तब उसे भेजेंगे। वहां के लोग पलायन करने लगे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वहां भयंकर सूखा पड़ा है, फसल चौपट हो चकी है और राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। वहां के बूढ़े माता-पिता को देखें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगें। लोगों की जेब में एक भी पैसा नहीं है। जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो वे गहने बेच कर बच्चों का इलाज करते हैं लेकिन माता-पिता जिस हालात में जी रहे हैं उस हालात में वे सोचते हैं कि ये बुजुर्ग हो गए हैं, इनकों छोड़ दिया जाए, इनके लिए पैसे कहां से लाएं, रोजी करने जाऊं या इनका इलाज करूं, वे अपने माता-पिता को तड़पते छोड़ देते हैं। राजनीति से दूर हट कर इसका निदान सोचना होगा। आप राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं। मैं गलत आंकड़े पेश नहीं कर रहा हूं। वहां अकाल जैसे हालात हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा है उन्हें बिजली नहीं मिलती। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो घोषणाएं कीं उनके लिए धन्यवाद। आपने इसमें पहल की और 12 राज्यों की बैठक बुला कर शुरुआत की लेकिन जैसी घोषणाएं कीं, वे काफी नहीं हैं। आप किसानों के कर्जे माफ करने की बात कह रहे हैं। धन्ना सेठ जो एनपीए के 55 हजार करोड़ रुपए लेकिन बैठे हैं उनके ऊपर कोई आपदा नहीं आती, आप उनके ऋण माफ करते हैं। गरीब लोगों पर आपदा आने पर आप उनकी उचित सहायता नहीं कर रहे हैं। प्लेन क्रैश में मौत होने पर आप पांच लाख रुपए देते हैं। जिन के ऊपर प्राकृतिक आपदा आई है उन्हें बचाने के लिए एक हैक्टेयर भूमि पर ढाई हजार रुपए अनुदान देने की बात कर रहे हैं। आज मेरी आत्मा रो रही है। ढाई हजार रुपए में क्या उनका गुजारा होगा? गरीब आदमी को आप अनाज दे देंगे लेकिन मध्यम वर्ग के किसान जिन के ऊपर देश के विकास के लिए ऋण का बोझ है, ट्रैक्टर, टयूबवैल पहुंचाने की आवश्यकता है उन्हें इतनी कम राशि देना ठीक नहीं है। उसे मौत के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। उसे सबसिडी मिलनी चाहिए, मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए और एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे उसे लाभ हो। सारी दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में पानी की बहुत अधिक किल्लत होगी। अत्याचार की एक हद होती है। मेरा अलवर जिला डार्क जोन घोषित हो चुका है। किसानों को वहां टयूबवैल के लिए ऋण नहीं मिलता, बिजली का कनैक्सन मिलता उद्योगपति उद्योग लगाता है और उसके लिए टयूबवैल लगाता है चाहे वह शराबी या बिसलरी का कारखाना लगाए उसे लगाने की सब सुविधाएं मिल जाती है, कनैक्शन मिल जाता है, अनुदान भी मिलता है। ऐसा अत्याचार किसान के साथ क्यों होता है? आपने हमारे जिले को डार्क जोन घोषित किया है तो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे यहां छोटे किसानों के पास एक-दो बीघा जमीन रहती है। उनके पास कोई साधन नहीं है। उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनके पास कमाने के साधन नहीं हैं। उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनके पास कमाने के साधन नहीं है। आप उन्हें बिजली नहीं दे सकते क्योंकि वह एरिया डार्क जोन घोषित हुआ है। वे सिंचाई नहीं कर सकते, टयूबवैल लगा नहीं सकते। ऐसे इलाके में उद्योगपति बोरिंग करते हैं और उन्हें बिजली का कनैक्शन भी मिलता है। ऐसे में गरीब आदमी की आत्मा रोती है और वह कहता है कि मैने जिन लोगों को केन्द्र और राज्य में चुन कर भेजा उन्होंने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया। वोट देने वाले ये वहीं लोग हैं जिनके 70 परसैंट वोट पड़ते हैं। लोक सभा और विधान सभा में जिन लोगों को यह भेजते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। जब हम उनको सुविधाएं देने की बात करते हैं तो आपस की राजनीति में उलझ कर रह जाते हैं।

[डा. जसवंतसिंह यादव]

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार को जो भी निर्णय लेना हो, वह सामूहिक रूप से ले। राज्य सरकारें अपना एक ही राग अलापती हैं कि भारत सरकार उन्हें मदद नहीं दे रही है जबकि तथ्य यह है कि राज्य सरकारें उस पैसे का उपयोग ही नहीं करती है। यह राजनीति का खेल चल रहा है। किसान मर रहा है। एक बार स्टेट ने गलती कर दी, अब आगे नहीं करने वाले हैं, कम से राजनीति से दूर हटकर काम करें माननीय कृषि मंत्री जी ने किसानों को 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर देने की बात कैसे की? क्या उसका इस राशि से गुजारा हो रहा है? जब सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों रुपये के ब्याज माफ कर दिये हैं, तब छोटे-छोटे किसानों के ऋण माफ करने में क्या परेशानी है। आज राजस्थान में चार साल हो गये हैं जब से सूखा पड़ रहा है। आगे आने वाले समय में इतने कम पैसे में वे कैसे बच्चों का पेट पालेंगे? इसलिए मेरी विनती है कि उन किसानों के ब्याज माफी की बात न करें बल्कि उनके ऋण माफ करने की बात करें। आज जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है। एक समय ऐसा आयेगा जब इन किसानों के बच्चे उग्रवाद की ओर बढ़ेंगे और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपको पता है कि आने वाले समय में पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जायेगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह लम्बी योजना बनाये, हर इलाके में नहर की योजना भी बनाये ताकि आने वाले भारत का विकास हो सके।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, सूखे और बाढ़ पर जो बहस आपने रखी है, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

आज सम्पूर्ण भारत और विशेषकर उत्तर भारत अकाल की चपेट में है। इससे किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर आप पिछले 3-4 सालों के आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने में जितना योगदान किसानों ने दिया है, उतना किसी सैक्टर ने नहीं दिया है। पिछले 3-4 सालों से आयात-निर्यात नीति से किसानों को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। आज लगातार अकाल पड़ रहा है, किसानों की हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। इसमें हम लोगों को सोचने-विचारने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में सूखे के कारण खरीफ की फसल बरबाद हो गई है। राजस्थान में बाजरा ज्यादा होता है। अब अगर बारिश हो भी जाये तब भी बाजरा नहीं हो सकता। इसके अलावा ग्वार, मूंग वगैरा हो सकते हैं। मेरा कहना है कि किसान बहुत ही दयनीय हालत में से गुजर रहा है। जिन राज्यों में सूखे का नाम लिया गया है, उसमें राजस्थान भी है। राजस्थान के अंदर पिछले पांच साल से लगातार सूखा पड़ रहा है। 2001 में राज्य के 32 जिलों में से 31 जिलों में अकाल था। राजस्थान में 35 हजार गांवों में 30 हजार गांवों के अंदर अकाल था। मेरे संसदीय क्षेत्र के 3 हजार गांवों से से 2900 गांवों में अकाल था। पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि 32 जिलों में से 18 जिलों की 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल नष्ट हो गई है। पिछली बार बाजरे की फसल ठीक हुई थी लेकिन सरकार द्वारा उसके समर्थन मूल्य की घोषणा देर से की गई। इस कारण बिचौलियों ने थ्रोअवे प्राइसेज पर खरीद ली इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ

डा. जसवंतसिंह यादव: उसकी खरीद राज्य सरकार कर सकती थी। केन्द्र से आग्रह कर सकती थी। यह आपकी सरकार को करना चाहिए था *...(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: समर्थन मूल्य फिक्स करने के बाद ले सकती है, उन्होंने देर की। मई, जून में बाजरा आता है। आपने सितम्बर, 2001 में किया था। आपको इस बारे में सब पता है। उसकी वजह से राजस्थान में किसानों का करीब चार सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैं अभी 20, 21 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र में गया था। वहां की हालत बहुत दयनीय है। अगर हम पानी का बात करते हैं तो वहां पानी और चारे की स्थिति बहुत खराब है। वहां कुछ परियोजनाएं बनानी चाहिए। वहां के सब स्रोत सूख गये हैं और भूमिगत जल स्तर 10 से 30 फीट तक नीचे चला गया है। स्थिति यह है कि वहां पानी की सारी स्कीमें फेल हो गई हैं। वहां लोग 30 से 35 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई गांव खाली हो गये हैं। वहां मजदूर नहीं है, वहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं। माफ करना मेरा बाड़मेर जिला गुजरात से लगता हुआ है *...(व्यवधान)*

डा. जसवंतसिंह यादव: राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार से गेहूं मिल रहा था, वह गेहूं तक नहीं उठा पाई। उसे फ्री का गेहूं मिल सकता था। गेहूं मिल रहा था, वह भी सरकार नहीं उठा पाई आठ लाख टन गेहूं मिल सकता था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब देंगे।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: सर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं आपसे अलग से टाइम मांगूगा। *...(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है, ये बिना बात बीच में बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका भाषण हो गया है, आप दूसरों को भाषण करने दीजिए।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: हिंदुस्तान में ऐसी कोई स्टेट नहीं है, जिसने पहले गेहूं उठा लिया हो। ये दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जसवंत सिंह जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी बहुत देर हो गई है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: महोदय, क्या आपने उन्हें ऑब्जैक्ट करने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने ऑब्जैक्ट करने की अनुमति नहीं दी है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: कृषि मंत्री जी अभी नये हैं *...(व्यवधान)* मैं आपसे कह रहा था कि वहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं और *...(व्यवधान)*

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): कई प्रदेश गेहूं नहीं लेना चाह रहे हैं, सभी प्रदेशों को रूपया चाहिए। *...(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: गेहूं लेना चाहते हैं, लेकिन खराब गेहूं क्यों देते हैं, जिसे जानवर भी नहीं खा सकता है। अगर ऐसा गेहूं देंगे तो आप क्यों लेंगे। मैं कह रहा था कि हमारे यहां के बहुत लोग गुजरात जाते थे, परंतु गुजरात में नरेन्द्र मोदी की मेहरबानी से सारे उद्योग खत्म हो गये हैं। पंजाब और हरियाणा से आते थे, लेकिन वहां भी स्थिति बहुत खराब है। चूंकि वहां पशुधन बहुत प्रभावित हुआ है। हमारे यहां तीस लाख आदमियों में से 28 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मेरे यहां 50 लाख पशुधन है। मेरा जिला पशुधन का जिला है। वहां पशुधन का बहुत नुकसान हुआ है। राजस्थान में कहीं 5.4 करोड़ की आबादी में से 3.4 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में मेरा यह कहना है कि पानी के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इंदिरा गांधी नहर 1952 में शुरू की थी। वह जैसलमेर और बाड़मेर में पहुंची है। पिछले दो साल से नेशनल प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार पैसा देती थी, लेकिन वह पैसा भी बंद कर दिया गया। मैंने इस बारे में सवाल उठाया था तो सेठी साहब ने बताया कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने उसे बंद कर दिया है। इसी तरह से सरदार सरोवर परियोजना का बहुत काम बहुत धीरे चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि लांग टर्म प्लान के लिए जो प्रोजेक्ट हैं और पानी की जो समस्या है, उसके लिए आपको ज्यादा फंड देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरी केंद्र सरकार से कुछ मांगें हैं। मेरी पहली मांग यह है कि आप जल्दी से जल्दी अकाल घोषित कर दें। जहां तक हमारे मुख्य मंत्री जी से हमारे कहने की बात है, मैं उनसे कहूंगा, मैं उन पर दबाव डालूंगा। वह आज आये हुए हैं। इसके साथ ही आप बड़े-बड़े घरानों का ऋण माफ करते हैं, आप किसानों का ऋण भी माफ करिये या ब्याज में कमी करिये। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आप संसदीय दल या अधिकारियों की कुछ टीमें बनायें, ताकि वे मौके पर जाकर असैसमैन्ट कर सकें। केवल मेरे कहने से कुछ नहीं होता कि राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश को इतना पैसा मिलना चाहिए। अगर कल वे आपको कहते हैं कि 7000 करोड़ रुपये दे रहे हैं तो आपके पास फीडबैक आएगा कि किसको कितना मिलना चाहिए।

इसके साथ-साथ जिस तरह से आपके मदद दी है-1998-99 में हमने 460 करोड़ रुपये मांगे थे, आपने 33 करोड़ रुपये दिये। 1999-2000 में हमने 960 करोड़ रुपये मांगे थे, आपने 130 करोड़ रुपये दिये। पिछले साल हमने 1140 करोड़ रुपये मांगे, आपने सिर्फ 152 करोड़ रुपये दिये। मेरा कहना है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो स्थिति है उस हिसाब से आप देंगे तो अच्छा रहेगा।

काम के बदले अनाज योजना के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। उसमें सड़ा हुआ अनाज मिलता है फिर भी लोग काम कर रहे हैं क्योंकि वहां रोटी नहीं मिल रही है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रेल से पानी मिलना चाहिए। दो साल लगातार मिला है, इसलिए इस साल में मिलना चाहिए। मेरे क्षेत्र में जैसलमेर और बाड़मेर में लाखों फौजें तैनात है। हमारा 850 किलोमीटर का बॉडर लगता है। वहां लोग अपने पशुओं को पानी कम पिलाते हैं और ज्यादा पानी फौजों को देते हैं। पिछले साल हमें रेल से पानी दिया था और प्रार्थना है कि इस साल भी दें।

महोदय, आज जल स्तर गिर रहा है, कुएं सूख गए हैं। इसलिए नलकूप खोदने के लिए सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की मशीनरी और रिग्ज भेजें ताकि जो पौधे सूख गए हैं, उनको भी पानी मिल सके।

रेगिस्तान की कई स्कीम्स हैं-डैजर्ट डैवलपमेंट प्रोगाम है और डैजर्ट प्रोन एरियाज प्रोग्राम है। उनके लिए आप फंड करते हैं। उसमे आप कुछ वहां की स्थिति को देखते हुए ठीक से फंडिंग करें यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। कुछ स्कीम्स में आप यहां से सहायता देते हैं और कुछ राजस्थान सरकार देती है। उनकी हालत बहुत खराब है। आप राजस्थान सरकार को ज्यादा सहयोग दें।

महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा एक स्पेशल पैकेज राजस्थान के लिए मिलना चाहिए। पहाड़ी एरियाज में आपने दिया है वैसे ही यहां के लिए भी दें क्योंकि यहां कि स्थिति बहुत खराब है। मुझे याद है 30 जून 1998 को मैंने एक प्रश्न

[कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी]

लोक सभा में पूछा था जिसका जवाब प्रधान मंत्री जी ने दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था और उसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं:—

> ''अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान के उस क्षेत्र से संबंधित सवाल उठाया है जो सबसे अधिक उपेक्षित है और जहां रेगिस्तान का साम्राज्य है। मैं उनसे सहमत हूं कि ऐसे कुछ क्षेत्रों के लिए हमें विशेष योजनाएं बनानी हैं। ऐसी योजनाएं मरुस्थल प्रदेशों के लिए नहीं हैं। उनका सुझाव बहुत अच्छा है। उस पर अवश्य विचार किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।''

मेरा कहा है कि वित्त मंत्री भी हमारे क्षेत्र के हैं। मैंने उनको भी पत्र लिखा है। मैंने कहा कि आप हमें पैकेज दे दो हम आपके खाते में डाल देंगे। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, आप उनके सहयोगी हैं। आप उनको कह दें कि प्रधान मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था। आप उनको कृपा कर बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मानसून की विफलता के परिणामस्वरूप देश के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यह संकट देशव्यापी है। स्वयं कृषि मंत्री जी की जानकारी के अनुसार देश के 12 प्रदेश इस सूखे से प्रभावित हैं।

मध्य प्रदेश में तो सूखा नहीं अकाल की स्थिति है क्योंकि मध्य प्रदेश पिछले तीन सालों से सूखे की मार झेल रहा है। इस वर्ष 45 जिलों में केवल पांच जिलों में वर्षा हुई, शेष 40 जिलों में वर्षा नहीं हुई। जून के महीने में जो थोड़ी बहुत वर्षा हो गई तो किसानों ने धान और सोयाबीन की फसले बो दीं। उनसे जो अंकुरण हुआ वह भी गर्मी के कारण नष्ट हो गया।

अब अगर आज वर्षा भी हो जाए, तो धान और सोयाबीन बाहुल्य वाले उस प्रदेश में इस खेती को बोने का सीजन निकल गया क्योंकि 15 जून से 15 जुलाई के बीच धान बोने का समय होता है और 5 जुलाई से पहले सोयाबीन की बुवाई होती है। मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है। उसमें मध्य भारत, महाकौशल और विंध्य का इलाका अलग-अलग प्रकृति का है। पूरे देश में सिंचाई 36 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में 18 प्रतिशत है यानी पूरे राष्ट्रीय औसत का आधा और उसमें भी विंध्य क्षेत्र जिसमें सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, पन्ना छतरपुर आते हैं, वहां मात्र ढाई प्रतिशत सिंचाई होती है। वहां के बाण सागर बांध जिसका श्री मोरारजीभाई देसाई ने 1978 में शिलान्यास किया, 24 वर्ष के बाद भी आज वह अधूरा पड़ा है नहरें नहीं बन रही हैं, पैसा नहीं है। वह तीन राज्यों की संयुक्त सिंचाई योजना है। नर्मदा पर बरगी बांध बना था उसकी दाई नहर जो विंध्य प्रदेश में आनी थी, वह 22 साल बाद भी नहीं है, पैसे के अभाव में योजना बन्द पड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने केन्द्रीय वन अधिनियम, 1980 में बनाया और लागू किया। उसके कारण मेरे सतना जिले की 14 सिंचाई परियोजनएं बन्द पड़ी हैं जिन पर करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश सरकार के लग चुके हैं। केवल हैड वर्क्स बनने हैं। वह काम रुका हुआ है। आज यहां केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्री ही नहीं, बल्कि यहां सिंचाई मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, बिजली मंत्री, फूड एवं सिविल सप्लाईज मंत्री आदि सभी को उपस्थित रहना चाहिए।

महोदय, आज मध्य प्रदेश में 300 से अधिक सिंचाई योजनाएं वन पर्यावरण विभाग के पास पेंडिंग पड़ी हैं। जो ये बालू साहब हैं, ये बालू ही है। ये हमारी बात सुन ही नहीं रहें हैं, चाहे हम कितना ही कहें। आज मध्य प्रदेश में बहुत भयावह स्थिति है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें यह कहा है कि ''वर्षा से पूर्व बनाई गई सभी आकस्मिक कार्य योजनाएं अपर्याप्त साबित हुई हैं।'' यह रिपोर्ट श्री दिग्विजय सिंह, मुख्य मंत्री ने भेजी है। इससे स्पष्ट होता है कि पुरानी बनाई गई सभी योजनाएं विफल हो चुकी हैं।

महोदय, यह सही है कि ग्रामीण विकास की कई योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, वे लागू भी हो जाती हैं, लेकिन उनका जिस प्रकार से क्रियान्वनयन होना चाहिए उस प्रकार से उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता है। यदि सही प्रकार से उन्हें क्रियान्वित कर दिया जाए, तो गरीब लोगों को बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र की इन सभी योजनाओं का पैसा राज्य सरकारें खैरात समझती हैं और दुर्भाग्य यह है कि बेसहारा, वृद्ध और अपंगों को मिलने वाली पेंशन भी मध्य प्रदेश में छः-छः महीने तक नहीं मिलती है जिसके कारण भुखमरी फैलती है और कई मौतें हो जाती हैं, ऐसे समाचार भी मिलते हैं। बहुत भयावह स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, हजारों लोग जंगल से जलावन लकड़ी बीन कर सतना में आकर बेचते हैं और फिर आटा खरीदते हैं और रोटी बनाते हैं। सीमान्त किसान और खेतिहर मजदूरों पर सबसे ज्यादा सूखे का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन खेद का विषय है कि सदन में किसी भी सदस्य ने खेतिहर मजदूरों की चर्चा नहीं की। जिनके पास जमीन नहीं है, जो खेत पर मजदूरी करते हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। आज भारत में 60 प्रतिशत लोग खेती से आजीविका कमाते हैं। किसानों के खेतों में निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, मढ़ाई करते हैं। आज उनको काम नहीं मिल रहा है। वर्षा न होने से खेत मजदूरों के सामने अंधेरा है, भयावह संकट है। इस कारण हम दुखी हैं।

महोदय, राज्य सरकारों में कहीं राजा बैठे हैं, कहीं सामन्त बैठे हैं। उन्हें गरीबों से क्या लेना-देना। मध्य प्रदेश में एक सामन्त मुख्य मंत्री के रूप में बैठे हैं। वे हमेशा यही देखते और प्रयास करते रहते हैं कि केन्द्र सरकार से ज्यादा पैसा आए और उस पैसे को कैसे हड़प लिया जो। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में करीब 800 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को दिए गए हैं जिनमें से 600 करोड़ रुपए मुख्य मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी की जेब में जा रहे हैं और केवल 200 करोड़ से लीपा-पोती हो रही है। मुझे इस बात पर बहुत दुख है। मैं इसकी चर्चा आज नहीं करना चाहता था। *...(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री जी पर आरोप लगाया है। यह ठीक नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने कभी किसी चीज की जांच की मांग मुख्य मंत्री महोदय से की? उन्होंने जांच की मांग क्यों नहीं की?

श्री रामानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुन्दर लाल तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि वे बैठें। वे रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय को मैने कई पत्र लिखे, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि वे सांसदों के पत्रों के उत्तर भी नहीं देते हैं। आज यह मेरा विषय नहीं है। इसलिए मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनाया है जिसमें 11007.59 करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि स्कीम में आपके पास निधि है। सौभाग्य है कि माननीय श्री अजित सिंह जी इस देश के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने सूखा पड़ने पर तुरंत पहल की और कृषि वैज्ञानिकों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लोगों और मौसम विभाग की बैठक बुलाई। अब हम मौसम विभाग, कृषि मंत्री को दोष नहीं देते। भोपाल में वर्षा हो सकती है, चंडीगढ़ में बादल छाये हैं, वहां वर्षा हो सकती है, केरल में हो सकती है। इस साल टी बी में वर्षा होती रही है। हमारे यहां घाघ और भड्डरी थे उनकी वर्षा की भविष्यवाणी वैज्ञानिक थी। वे कहते थे कि-

"कलसा पानी गर्म है, चिडिया नहावे धूल,
चींटी ले अंडा चली, हो वर्षा भरपूर।"

यह साइंटिफिक था कि जब चींटी अंडा लेकर चलेगी, तब वर्षा होगी। वह मानते थे कि घड़े का पानी गर्म होगा तब वर्षा होगी और जब चिडिया धूल में नहायेगी तब वर्षा होगी। आज मौसम विभाग के पास सुपर कम्प्यूटर है जो यह बताता है कि वर्षा हो सकती है लेकिन वर्षा हो नहीं रही है। माननीय अजित सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं। आप किसान के बेटे हैं। आपने किसान नेता के रूप में पहल की। मैं आपकी सराहना करता हूं। मैंने आपको एक बधाई पत्र भी भेजा था कि कृषि मंत्री के रूप में आपने सूखे पर चिंता प्रकट की है। आपने कृषि मंत्रियों, मौसम विभाग और कृषि वैज्ञानिकों की बैठक बुलाई। मुझे आशा है कि इससे कुछ जरूर होगा। मुझे याद नहीं आता कि श्री अजित सिंह जी से पहले भी भारत में कोई कृषि मंत्री ऐसा था जिसने डंके की चोट पर ऐलान किया हो कि पहले राज्य सूखे की घोषणा करें और फिर केन्द्र के पास आए। दुर्भाग्य है कि पूरा मध्य प्रदेश अकाल से पीड़ित है। श्री सुन्दर लाल तिवारी जी, आप मुख्यमंत्री का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने केवल पांच जिलों की ही सूखे की सूची में घोषणा की है। क्या रीवा में सूखा नहीं पड़ा, सतना में नहीं? आज प्रदेश की क्या हालत है, आप बतायें। आप मेरे भतीजे लगते हैं इसलिए बैठ जाइये।

पेय जल का अभूतपूर्व संकट मध्य प्रदेश में है। *...(व्यवधान)* आपका भी नम्बर आयेगा। पेयजल का संकट जितना वहां है, देश में कहीं नहीं है। वहां पानी नीचे सरक कर दूसरे राज्यों में आ जाता है। वाटर लैवल नीचे जा रहा है। जब हम जनता शासन के समय में मिनिस्टर थे, तब हमने प्रदेश के गांवों में जल प्रदाय योजनाएं चलाई थी। 350 गांवों में हमने नल दिये थे। आज उन योजनाओं की मैनटेनैंस नहीं हुई। सारी योजनाएं मिट्टी में मिल गई। सारे हैंडपम्प फेल हो रहे हैं। जितनी भी उल्टी सीधी योजनाएं चल रही हैं, उनको समेकित करें और इस आपदा का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय आपदा के रूप में भारत सरकार इसे चुनौती के रूप में लें। अगर हम चाहें तो इस अवसर को एक स्वर्णिम अवसर में बदल सकते हैं। हम चाहें तो बहुत सारी योजनाओं का पैसा अपने पुरुषार्थ से, पौरुष से और मेहनत करके जलाशय बनाने, नहरें और नदियों को एक दूसरे से जोड़कर ग्रिड बनाकर कर सकते हैं। अगर हम गंगा और कावेरी नदी का ग्रिड आज से 50 साल पहले बना लेते, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, तो यह विपत्ति हमारे सामने नहीं आती। हमें दो तरह की योजनाएं बनानी पड़ेगी। एक तात्कालिक योजना यानी तुरंत लोगों को राहत देना जैसे "काम के बदले" अनाज देना, सस्ता गल्ला, अन्नपूर्णा योजना और जे, आर वाई आदि जितनी ग्रामीण योजनाएं हैं, उनका कार्यान्वयन समेकित करके तुरंत लोगों को काम देना चाहिए। इस स्केर्सिटी मैनुअल से काम चलने वाली नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप केवल राज्यों की सलाह लेकर बैठे न रहें। आप अकाल की घोषणा करिये। जब मानसून फेल हो गया, अब आप किससे पूछने जायेंगे? भारत सरकार अनाउंस करें और जिस-जिस प्रदेश में अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, वहां पहल करके राहत कार्य शुरू करे। राज्यों के मंत्रियों को बुलाकर उनको जवाबदारी लीजिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शूरू में कहा था कि यह

[श्री रामानन्द सिंह]

सारी व्यवस्था पानी में न चली जाये और लोग इसे खैरात न समझे, इसके लिए हम निर्माण में सहयोग करे और नदियों को जोड़ने की योजना बनाये। कोशिश करें कि हर ग्राम में एक जलाशय हो, हर ग्राम में पीने का पानी का स्रोत हो।

रात्रि 9.00 बजे

हर बेरोजगार को काम, हर मजदूर को काम के बदले अनाज और हम कहेंगे कि बीमार को खाने के लिए अनाज मिले। मैं कहना चाहता हूं कि स्केयरसिटी मैनुअल का प्रावधान 1936 में अंग्रेजों ने बनाया था और फैमिन कोड भी अंग्रेजों ने बनाया था। यह देश का दुर्भाग्य है कि पचास सालों में सूखा संहिता और अकाल संहिता में कोई संशोधन नहीं हुआ। कृपा करके इसमें संशोधन करें। अजित सिंह जी, क्या आप कृषि मंत्री रहते स्वतंत्र भारत, लोकतांत्रिक भारत में लोग की भावनाओं का आदर करते हुए अकाल संहिता और सूखा संहिता के मैनुअल को सुधारेंगे। बीमार, लाचार लोगों को काम देंगे, खाना देंगे। आज भारत के पास अनाज के काफी भंडार हैं। अगर श्री अटल बिहारी वाजपेयी मुफ्त में अनाज देना शुरू करें तो कोई भूखा नहीं मरेगा।

बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो श्री केदारनाथ अग्रवाल ने एक कविता लिखी थी-

बाप बेटा बेचता है
भूख से बेहाल होकर
धर्म, धीरज, प्राण खोकर
हो रही अनरीत बर्बर
राष्ट्र सारा देखता है।
बाप बेटा बेचता है।

बंगाल के अकाल में जब लाखों लोग भूख से मरे थे तब जवाहरलाल जी वहां गए और उन्होंने कहा कि बंगाल के भाइयों और बहनों, तुम भूख से क्यों मरे तुमने सरकारी गोदामों को लूट क्यों नहीं लिया। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि मैं भाजपा में आया हूं लेकिन पुराना समाजवादी हूं। मैं कई बार गोदाम लुटवा चुका हूं और जेल जा चुका हूं। केन्द्र में भाजपा की सरकार है। यदि गोदामों का मुहाना गरीबों के लिए न खुला तो रामानंद सिंह भाजपा का सांसद होते हुए भी सरकारी गोदामों को लूटने के लिए जनता का आह्वान करेगा। इसलिए कृपा करके आप गांवों में गरीबों को सस्ता अनाज देने का ऐलान कीजिए ताकि एक भी आदमी भूख से न मरे।

अजित सिंह जी प्रधान मंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में आप कृषि मंत्री हैं, किसान के बेटे हैं। आप कृषि मंत्री हैं, किसान के बेटे हैं। आपके कृषि मंत्री रहते अकाल संहिता, आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि जैसी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों किसानों, गरीबों को मिलेगा और यह चुनौती भारत सरकार मंजूर करे कि इस प्राकृतिक आपदा का हम नए भारत के निर्माण में उपयोग करेंगे, हम भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद करेंगे, प्रॉपर मानीटरिंग करवाएंगे और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। वैसे प्रकृति से लड़ना बहुत कठिन है लेकिन उसके बाद सरकार भी कोई चीज होती है। सौ करोड़ लोगों का यह देश जिसके पास प्रकृति संसाधन, नदियां, जंगल हैं, वहां कोई भूख से मरे, यह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामानंद जी, मैंने आपको बहुत ज्यादा समय दे दिया है। आप कृपा करके बैठ जाएं।

श्री रामानन्द सिंह: मैं कहना चाहता हूं कि हम इन सबका उपयोग करके भविष्य की भावी योजना बनाएं ताकि हमारे देश की जनता की राहत मिले और अकाल हमारे लिए अभिशाप नहीं एक वरदान बन जाए।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

चौ. तालिब हुसैन (जम्मू): आनरेबल स्पीकर साहब,

हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।

पहले जब आपने मेरा नाम पुकारा तो मैं समझा कि मुझे बोलने की इजाजत मिल गई है, हालांकि ऐसा नहीं था जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता। यहां बहुत तफसील से बहस हो चुकी है। खुशकसाली के बारे में बादे हजरात ने कहतसाली का नाम भी इसे दे दिया, जो मैं समझता हूं कि शायद कुछ ज्यादा वजनी और ज्यादा हट कर एक बहुत थी। खुशकसाली और कहतसाली में बहुत बड़ा फर्क है। खुशकसाली ड्राउट को तो माना जा सकता है कि इस वक्त हमारा देश ड्राउट का शिकार है। लेकिन खुदा बचाए कि हम अभी फेमिन का शिकार नहीं हुए, कहत का शिकार नहीं हुए, खुशकसाली के बहुत सारे काजिज हो सकते हैं, उनसे निपटा भी जा सकता है लेकिन खुदा न करे, अगर कहतसाली का समां बरपा हो जाए तो उसके लिए सिवाए इमर्जेंसी डिक्लेयर करने के और सिवाए हमारी मुशतरफा कोशिशों के, ऐसे मसले को हल नहीं किया जा सकता। ड्राउन एक ऐसा मस्ला है, इसकी काजिज भी बहुत सारी हैं और बहुत सारी तफसील में मुकरिन हजरात गए, जिनके बारे में मैं इस वक्त कुछ जिक्र नहीं करना चाहता या दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इख्तसार से मैं जनाबे चौधरी अजित

सिंह साहब की नोटिस में यह चीज लाना हूं कि ड्राउट के काजेज एक तो ग्लोबल लेवल पर हैं, ग्लोबल वार्निंग है, लेकिन देश के अन्दर भी बहुत सारे कॉमन काजेज हैं, जिनकी वजह से खुशकसाली या ड्राउट बताया जाता है या फल्ड आ जाता है। इन दोनों का एक कॉमन कॉज डीफोरेस्टेशन है। अगर हमारे मुल्क के अन्दर डीफोरेस्टेशन तेजी से हो गया है या हो रहा है तो उसकी वजह से या तो फ्लड आती है या उसकी शक्ल खुश्कसाली की शक्ल में निकलती है।

जहां एग्रीकल्चर का यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है और काम कर रहा है, वहां यह वजारत जब तक इन टैण्डम काम नहीं करेगी, एनवायर्नमेंट एण्ड फोरैस्ट के साथ, पावर डवलपमेंट के साथ, इर्रीगेशन के साथ और पब्लिक हैल्थ एण्ड इंजीनियरिंग की मिनिस्ट्री से कोआपरेशन से, कोआर्डीनेशन से काम नहीं करेगी तो खुश्कसाली के मसले को हल नहीं किया जा सकता। अंडर वन अम्ब्रैला एग्रीकल्चर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें एक टास्क फोर्स हो, जिसमें इर्रीगेशन, फ्लड कंट्रोल, एनवार्यनमेंट एण्ड फौरैस्ट, पावर डवलपमेंट और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स मातहत आनी चाहिए और एक अम्ब्रेला के तहत ऐसी सूरते हाल में काम करना चाहिए, जो कि मुदैया सूरते हाल पैदा हो गई है। अगर अलग-अलग सारे डिपार्टमेंट इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे तो हमारी कोशिश फिजूल और रायगां चली जायगी। मैं चौधरी अजित सिंह साहब, जो एक अजीम रहनुमा हैं, किसान लीडर भी हैं और अजीम लीडर के सपूत भी हैं, उनसे मैं तवक्कों रखता हूं कि इसमें शक नहीं है कि अभी हम खुदा-न-खास्ता कहकसाली के उस दौर में दाखिल नहीं हुई हैं, लेकिन खुश्कसाली का एक चेलैंज हमारे मुल्क के सामने, हमारे देश के सामने आ पहुंचा है। अगर हम इसको एक सिस्टम के जरिये हल नहीं करेंगे तो यह हल नहीं होगा।

आज विदेशी मुसालिक में जो डवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां एक सिस्टम होता है, जब भी कोई इमरजेंसी एराइज होती है, जब भी कोई कंटिजेंसी पैदा होती है तो उसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, लेकिन हमारे देश के अन्दर बदकिस्मती से ऐसा है कि जब कोई इमरजेंसी रूनुमा होती है तो उस वक्त हम उपाय ढूंढते हैं, जिसे दूसरे लफ्जों में हम आग लगने पर कुआं खोदना कहते हैं। हमारे सामने एक लांग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सामने और उनको काजेज वराहत करने चाहिए कि हमारे देश के अन्दर लगातार जो खुश्कसाली फैल रही है, इसकी क्या वजह है, जिसकी कुछ बाते मेरे जैसे लेमैन की समझ में आती हैं, उनमें डीफौरैस्टेशन की वजह से फ्लो ऑफ वाटर चैक हो रहा है या इस तरीके से पोल्यूशन फैल रहा है या इस तरीके के दूसरे काजेज हो सकते हैं, जिनके बारे में आप अपनी तकरीर में फरमाएंगे। लेकिन जब तक काजेज और उपाय तलाश करने के बारे में आप अपनी तकरीर में फरमाएंगे लेकिन जब काजेज और उपाय आईडेंटीफाई नहीं होते, तब तक कोई रेमेडी नहीं ढूंढ पायेंगे। मेरी जनाबे आली से दरख्वास्त है कि जब आप ऐसे उपाय तलाश करने के बारे में कहेंगे और हमें कॉन्फीडेंस में लेंगे तो आपके सारे ब्यूरोक्रेट्स और आपके महकमे के सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो लोग काम कर रहे हैं, सारी रियासतों के वजीरे आला हों या वहीं के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हों या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, उनके साथ आपने सलाह-मशविरा किया होगा, लेकिन एक बात मैं जनाब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि यह सिचुएशन खुदा करे कि टैम्परेरी साबित हो, इसे मुस्तकिल सूरत अख्तियार नहीं करनी चाहिए और आपको इसे चैक करने के लिए हर मुमकिन एकदामात करने चाहिए जो कि इस वक्त जरूरी हैं। अगर खुदा-न-खास्ता खुश्कसाली का जो मसला है, यह बढ़ गया तो हो सकता है कि कहकसाली भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं-कहीं मुल्क के अन्दर किसी कोने में या किसी हिस्से में या किसी छोटे इलाके में कहकसाली भी हो, वह भी आपको देखना है। लेकिन वहां आपको यह मसला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक बनाकर हल करना होगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपका मंत्रालय जहां महत्वपूर्ण है, वहां आप अगर इनटैंडम हैं, बहुत सारे जितने विभाग हैं, आपके साथ तालमेल नहीं करेंगे, अंडर वन अम्ब्रेला काम नहीं करेंगे, एक ऐसी टास्क फोर्स तैयार नहीं कर सकेंगे, तो मसले का हल नहीं होगा। हमारी रियासत जम्मू-कश्मीर एक ऐसे माहौल से गुजर रही है, जो सब जानते हैं। मैं जनाबे आला को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वहां के लोग देशभक्त हैं। वे देश की यूनिटी और इंटिग्रिटी के लिए काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं और ऐसे लोगों की कमी नहीं है लेकिन यह वजह भी नहीं हो सकती, मुमकिन है और कारण हों। आप रियासते जम्मू-कश्मीर के बहुत सारे सेक्टरों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमने बहुत सारे पैकेज मांगे, जिसमें हम यह भी मांग करना चाहते हैं कि वहां के हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायरटी दें। जो वहां खुश्कहाली मुतासिरा हालत के इलाके हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर डोडा जिला है, उधमपुर के कंडी इलाके हैं या वैली के अंदर अपर रिजेज है, वह ऐसे इलाके हैं, जो मुतासिरा हैं, खुश्कहाल हैं। अगर ज्यादा फंड मुहैया नहीं कराएंगे तो वे तबाहेहाली का शिकार हो जाएंगे।

जहां तक खुश्कहाली को रोकने का ताल्लुक है, उससे निपटने का सवाल है, इरीगेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब मानसून फेल हो तो जो वहां की नदियां हैं, इकबाल के इस देश के अंदर जो नदियां हैं, अगर वे खुश्क हो जाती हैं तो मुल्क का क्या होगा। अगर मानसून फेल हो जाए, रेन फेल हो जाती तो हमारे इरीगेशन सिस्टम को यह मामला सम्भाल लेना चाहिए। लेकिन मैं

[चौ. तालिब हुसैन]

समझता हूं इरीगेशन सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। इरीगेशन सेक्टर में जितना फंड देना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है। खासकर हमारी रियासत जम्मू-कश्मीर में फ्लड कंट्रोल और इरीगेशन के सेक्टर में बहुत कम रकम मुहैया कराई गई है। ऐसे हालत में जब बारिस न हो, मानसून फेल हो जाए, कानूनो कुदरत हमारा साथ न दे, जब हम कानूनो कुदरत के खिलाफ जाते हैं तो वह हमें सजा देती है। हम अगर उसके साथ नहीं चलना चाहते हैं तो हमें इस किस्म की खुश्कहाली मिल रही है। हम जंगल काट रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, फ्लो आफ रिवर्स चेंज कर रहे हैं, बिना वजह कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब हो रहा है, गोदाम सड़ रहे हैं, यह सूरतेहाल देखते हैं तो हम एक ही बात के नतीजे पर पहुंचते हैं कि आप मेहरबानी करके ऐसी टास्क फोर्स बनाएं, जो इससे मुतल्लिक मंत्रालय हैं, खासकर इरीगेशन का, पावर का, डिस्ट्रीब्यूशन का, उन सबके साथ बैठें, तो हम इस खुश्केहाली के मसले का सब्देबाग कर सकते हैं।

چودھری طالب حسین (جموں): آزیبل اسپیکر صاحب،

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے

پہلے جب آپ نے میرا نام پکارا تو میں سمجھا کہ مجھے بولنے کی اجازت مل گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ جس کیلئے میں دُکھ ظاہر کرتا ہوں۔ یہاں بہت تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔ خشک سالی کے بارے میں بہت سے حضرات نے قحط سالی کا نام بھی اسے دے دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ زیادہ وزنی اور زیادہ ہٹ کر ایک بات تھی۔ خشک سالی اور قحط سالی میں بہت بڑا فرق ہے۔ خشک سالی سوکھے کو تو مانا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک سوکھے کا شکار ہے۔ لیکن خدا بچائے کہ ہم ابھی فیمین کا شکار نہیں ہوئے، قحط کا شکار نہیں ہوئے۔ خشک سالی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان سے نپٹا بھی جا سکتا ہے لیکن خدا نہ کرے، اگر قحط سالی کا سماں پیدا ہو جائے تو اس کے لئے سوائے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے اور سوائے ہماری مشترکہ کوششوں کے، ایسے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ سوکھا ایک ایسا مسئلہ ہے، اسکی وجوہات بھی بہت ساری ہیں اور بہت ساری تفصیل میں معزز ین حضرات گئے، جنکے بارے میں میں اس وقت کچھ ذکر نہیں کرنا چاہتا یا دوہرانا نہیں چاہتا۔ لیکن اختصار سے میں جناب چودھری اجیت سنگھ صاحب کے نوٹس میں یہ چیز لانا چاہتا کہ سوکھے کی وجوہات ایک تو گلوبل لیول پر ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، لیکن ملک کے اندر بھی بہت ساری کامن وجوہات ہیں، جن کی وجہ سے خشک سالی یا سوکھے پیدا ہو جاتا ہے یہ سیلاب آ جاتا ہے۔ ان دونوں کی ایک کامن وجہ ڈیفوریسٹیشن ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر ڈیفوریسٹیشن تیزی سے ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے تو اسکی وجہ سے یا تو سیلاب آتا ہے یا اسکی شکل خشک سالی کی شکل میں نکلتی ہے۔

جہاں زراعت کی یہ وزارت بہت اہم ہے اور کام کر رہی ہے، وہاں یہ وزارت جب تک اِٹیگریٹڈ کام نہیں کریگی، ماحولیات اور جنگلات کے ساتھ، پاور ڈویلپمنٹ کے ساتھ، اریگیشن کے ساتھ اور پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ کی وزارت سے کوآپریشن سے، کوآرڈینیشن سے کام نہیں کریگی تو خشک سالی کے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ انڈر دن امبریلا ایگریکلچر، جو سب سے ایمپورٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک ٹاسک فورس بنی چاہیے اور اس ٹاسک فورس کے تحت مرکز میں، مرکزی سرکار کے تحت ایک ایسی ٹاسک فورس ہو، جس میں اریگیشن فلڈ کنٹرول، ماحولیات اور جنگلات، پاور ڈویلپمنٹ اور ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیمس اس کے ماتحت آنی چاہیے اور ایک امبریلا کے تحت ایسی صورت حال میں کام کرنا چاہیے، جو کی موجودہ صورت حال میں پیدا ہو گئی ہے۔ اگر الگ الگ سارے ڈپارٹمنٹ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری کوشش فضول اور رائیگاں چلی جائیگی۔ میں چودھری اجیت سنگھ صاحب، جو ایک عظیم رہنما ہیں، کسان لیڈر بھی ہیں اور عظیم لیڈر کے سپوت بھی ہیں، ان سے میں توقع رکھتا ہوں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ابھی ہم خدانخواستہ قحط سالی کے اس دور میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن خشک سالی کا ایک چیلنج ہمارے ملک کے سامنے، ہمارے ملک کے سامنے آ پہنچا ہے۔ اگر ہم اس کو ایک سسٹم کے ذریعے حل نہیں کریں گے تو یہ حل نہیں ہوگا۔

آج ودیشی ممالک میں جو ڈویلپمنٹ کنٹریز ہیں، وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایمرجنسی ایرائز ہوتی ہے، جب بھی کوئی کنٹی جنسی پیدا ہوتی ہے تو اس کیلئے آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی رونما ہوتی ہے تو اس وقت ہم حل ڈھونڈتے ہیں، جسے دوسرے لفظوں میں ہم آگ لگنے پر کنواں کھودنا کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، ہمارے ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کے سامنے اور ان کو وجوہات وضاحت کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر لگاتار جو خشک سالی پھیل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، جسکی کچھ باتیں میرے جیسے لے مین کی سمجھ میں آتی ہیں، ان میں ڈیفاریسٹیشن کی وجہ سے فلو آف واٹر چیک ہو رہا ہے یا اس طریقے سے پولوشن پھیل رہا ہے یا اس طریقے کے دوسرے وجوہات ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں آپ اپنی تقریر میں فرمائیں گے۔ لیکن جب تک وجوہات اور اُپائے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے ہیں، تب تک کوئی ریمیڈی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ میری جناب والا سے درخواست ہے کہ آپ ایسے اُپائے تلاش کرنے کے بارے میں کہیں گے اور ہمیں اعتماد میں لیں گے تو آپ کے سارے بیوروکریٹس اور آپ کے محکمے کے سارے ہندوستان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ساری ریاستوں کے وزیر اعلیٰ ہوں یا وہاں کے ایگریکلچر منسٹر ہوں یا وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ آپ نے صلاح مشورہ کیا ہوگا، لیکن ایک بات میں جناب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ سچویشن خدا کرے کہ ٹیمپریری ثابت ہو، اسے مستقل صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو اسے چیک کرنے کیلئے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے جو کہ اس وقت ضروری ہیں۔ اگر خدانخواستہ خشک سالی کا جو مسئلہ ہے، یہ بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے کہ قحط سالی بھی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں ملک کے اندر کسی کونے میں یا کسی حصے میں یا کسی چھوٹے علاقے میں قحط سالی بھی ہو، وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ لیکن وہاں آپ کو یہ مسئلہ ڈسٹری بیوشن سسٹم کو ٹھیک بنا کر حل کرنا ہوگا۔ اسلئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وزارت جہاں بہت اہم ہے، وہاں آپ اگر اِنٹیگریٹڈ نہیں، بہت سارے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کے ساتھ تال میل نہیں کریں گے، انڈر دن امبریلا کام نہیں کریں گے، ایک ایسی ٹاسک فورس تیار نہیں کر لیں گے، تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ہماری ریاست جموں کشمیر ایک ایسے ماحول سے گذر رہی ہے جو سب جانتے ہیں۔ میں جناب والا کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ دیش بھگت ہیں۔ وہ ملک کی یونیٹی اور انٹیگریٹی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں، کام کر بھی رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی، ممکن ہے اور وجہ ہو۔ آپ ریاست جموں کشمیر کے بہت سارے سیکٹروں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت سارے پیکیج مانگے، جن میں ہم یہ بھی مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں کے ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر سیکٹر کو پرائریٹی دیں۔ جو وہاں خشک سالی متاثرہ حالت کے علاقے ہیں، خاص کر جموں ڈویژن کے اندر ڈوڈہ ضلع ہے، اودھم پور کے کنڈی علاقے ہیں یا دیلی کے اندر اپر ریزیز ہے، وہ ایسے علاقے ہیں جو متاثرہ ہیں، خشک سال ہیں۔ اگر زیادہ فنڈ مہیا نہیں کرائیں گے تو وہ تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے۔

جہاں تک خشک سالی کو روکنے کا تعلق ہے اس سے نپٹنے کا سوال ہے، اریگیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جب مانسون فیل ہو تو جو وہاں کی ندیاں ہیں، اقبال کے اس ملک کے اندر جو ندیاں ہیں اگر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو ملک کا کیا ہوگا۔ اگر مانسون فیل ہو جائے، بارش فیل ہو جاتی ہے تو ہمارے اریگیشن سسٹم کو یہ معاملہ سنبھال لینا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اریگیشن سسٹم سہی ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اریگیشن سیکٹر میں جتنا فنڈ دینا چاہیے، وہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ خاص کر ہماری ریاست جموں کشمیر میں سیلاب کنٹرول اور اریگیشن کے سیکٹر میں بہت کم رقم مہیا کرائی گئی ہے۔ ایسے حالات میں جب بارش نہ ہو، مانسون فیل ہو جائے، قانونِ قدرت ہمارا ساتھ نہ دے، جب ہم قانونِ قدرت کے خلاف جاتے ہیں تو وہ ہمیں سزا دیتی ہے۔ ہم اگر اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قسم کی خشک سالی مل رہی ہے۔ ہم جنگل کاٹ رہے ہیں، پولوشن پھیلا رہے ہیں، فلو آف ریورس چینج کر رہے ہیں بلا وجہ کر رہے ہیں، ڈسٹری بیوشن سسٹم خراب ہو رہا ہے، گودام سڑ رہے ہیں، یہ صورت حال دیکھتے ہیں تو ہم ایک ہی بات کے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ایسی ٹاسک فورس بنائیں، جو اس سے متعلق وزارت ہیں، خاص کر اریگیشن کا، پاور کا، ڈسٹری بیوشن کا، ان سب کے ساتھ بیٹھیں، تو ہم اس خشک سالی کے مسئلے کا سدِ باب کر سکتے ہیں۔

अध्यक्ष महोदय: श्री रामसिंह कस्वां अपना भाषण सदन के पहल पर रखते हैं।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चूरू): माननीय अध्यक्ष जी पिछले 15 वर्षों में पहली बार देश को भीषण सूखे का सामना करना पड़ रहा है। आज हम भीषण सूखे की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। देश के अधिकांश स्थानों पर सूखे की वजह से फसलें चौपट हो गयी हैं। मानसून की वर्षा नहीं होने के कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है, पशुओं के लिए चारे की कमी एवं पीने के पानी की समस्या हो गयी है। अधिकांश जल स्रोत या तो सूख गया हैं या उनमें पानी नहीं है। राजस्थान में तो और भी विकट समस्या है, अधिकांश जिलों में मानसूनी वर्षा नाममात्र की भी नहीं है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में बुवाई तो दूर की बात है, किसान हल लेकर खेत में भी नहीं गया और कुछ क्षेत्रों में एक माह पहले मानसून से पूर्व वर्षा हुई थी। किसान ने महंगा बीज खरीद कर बोया था लेकिन बाद में वर्षा नहीं होने के कारण वह फसल भी पूरी तरह से सूख कर नष्ट हो गयी। राजस्थान पिछले तीन वर्षों से भयंकर सूखे का सामना करता आया है। पानी की विकट समस्या रही है। किसान का अधिकांश पशुधन पिछले तीन सालों से लगातार पड़ने वाले अकाल में खत्म हो गया। अगर यही स्थिति रही तो रहा-सहा पशुधन इस साल खत्म हो जायेगा।

राजस्थान सरकार इन तीन सालों में अकाल का सामना करने में पूरी तरह विफल रही है। न मजदूर को मजदूरी मिली, न पशुधन को चारा और न ही जनता को पीने का पानी मिला है। तीनों ही मोर्चों पर सरकार ने अपनी अक्षमता का ही परिचय दिया है। केन्द्र सरकार ने धन व अनाज से काफी सहायता की है लेकिन राजस्थान सरकार इस लाभ को किसान व मजदूर को देने में असमर्थ रही। पिछले साल मात्र बाजरे की फसल हुयी थी, जिसे किसान को 300 रुपये क्विंटल के भाव से बेचना पड़ा। केन्द्र सरकार द्वारा धन मुहैया कराने के बाद भी किसान से बाजरा नहीं खरीदा जा सका और आज वही बाजरा किसान 600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव खरीदने के लिए मजबूर है व दोहरी मार झेल रहा है। केन्द्र सरकार ने रेलगाड़ी द्वारा पानी का प्रबंध किया था लेकिन राजस्थान सरकार उस व्यवस्था का भी लाभ नहीं उठा सकी, जिससे पानी का समुचित उपयोग नहीं हो सका। बिजली के मामले में तो किसान की और भी दयनीय स्थिति है। बिजली के बिल की दर इतनी बढ़ा दी गयी कि किसान द्वारा बढ़ी रेट से जारी किए गये बिलों को भुगतान असंभव हो रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र चूरू की तो और भी भंयकर स्थिति है। अधिकांश पशुधन खत्म हो गया है। मजदूर को मजदूरी नहीं है, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मेरे जिले की राजगढ़ तहसील के गांवों को सिंचाई के लिए सिधमुख नहर परियोजना द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाना था लेकिन इस योजना से जुड़े अधिकांश गांवों को इससे काट दिया गया है। जिस गांव के नाम से इस योजना का नाम सिधमुख नहर परियोजना रखा गया था, उस क्षेत्र को इस योजना से कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त राजगढ़ व तारानगर क्षेत्र से काफी गांवों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई हेतु जोड़ा जाना था। तारानगर क्षेत्र में कुछ गांवों में नहर निर्माण कार्य भी हुआ, जो अब बंद है। अकाल की मार झेलती चुरू जिले की राजगढ़ व तारानगर तहसील के गांवों को तुरंत इन दोनों परियोजनाओं से जोड़कर सिंचाई की व्यवस्था की जावे ताकि बार-बार पड़ने वाले अकाल से कुछ तो राहत मिल सके। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आपणी योजना के द्वितीय चरण का कार्य तुरंत चालू किया जावे ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो सके। किसानों को प्रतिदिन 12 घंटे बिजली उपलब्ध कारयी जावे ताकि किसानों को राहत मिले, सिंचाई के लिए अधिक समय मिल सके। गिरदावरी करवा कर तुरंत पूरे क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जावे ताकि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मदद कर सके। सहकारी व सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए समस्त कर्जों की वसूलियों पर तुरंत रोक लगायी जावे व इन पर देय सूद माफ किया जावे। राजस्थान सरकार को इस संबंध में तुरंत आपात योजना बनाने के लिए निर्देशित किया जावे। केन्द्र से एक सर्वेक्षण दल भेजकर हालात का आकलन कर हर संभव सहायता प्रदान की जावे। यदि तुरंत उपरोक्त उपाय नहीं किए गए तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। राजस्थान की स्थिति अत्यंत विकट है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। करीब आठ घंटे से चल रही इस बहस में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने देश के विभिन्न राज्यों में अकाल और बाढ़ की सम्भावनाओं के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं केवल कुछ बिंदुओं पर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि किसान एक बाढ़ और सूखा तो हर फसल में झेलता है। खरीफ की फसल आती है, धान अगर ज्यादा पैदा हुआ है तो उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। तीन खरीफ की फसलें उत्तर प्रदेश में बीत गई हैं। सरकारी मूल्य निर्धारित होते हैं, खरीफ के मूल्य निर्धारित होते हैं, लेकिन 90 प्रतिशत धान की फसल को किसानों को बिचौलियों और आढ़तियों को बेचना पड़ा, सरकारी एजेंसीज को धान नहीं दे पाए। उसका कारण यह है कि अगर सरकार धान का पांच रुपए प्रति किलो मूल्य निर्धारित करती है, तो किसान को मजबूरी में साढ़े तीन रुपये, चार रुपए में उसे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

बिचौलियों और आढ़तियों को बेचना पड़ता है और वही बिचौलिए तथा आड़तिए सरकारी एजेंसीज को धान की पूर्ति कर रहे हैं। रबी की फसल आती है तो गैहूं की उपज की साथ भी वहीं होता है। सरकारी दर पर, सरकारी भाव पर कोई भी सरकारी एजेंसी सीधे किसानों से गल्ला नहीं खरीदती। किसानों को मजबूर होकर आड़तियों और बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है और लगभग पच्चीस फीसदी उनकी उपज का मूल्य उनकी जेबों में चला जाता है। कृषि मंत्री जी, यह हंसने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में खरीफ और रबी की फसल में यह देखा है कि 80-90 फीसदी गेहूं और धान सरकारी एजेंसियों को थ्रू बिचौलियों और आड़तियों के बेचना पड़ता है। यह हमारा दुर्भाग्य है। देश के कई प्रांतों का दुर्भाग्य है कि इस बार सूखा पड़ रहा है। पानी की जो आशंका पिछले एक महीने से टी.वी. और रेडियों पर व्यक्त की जा रही थी कि दो-चार दिन में मानसून आ जाएगा और हमे लगता है कि हवाओं का जो रुख है, वह संकेत देती है कि मानसून आएगा तो भी उसका कोई उपयोग खेती के लिए नहीं रहेगा। देर से मानसून आने के बाद जो जमीन है, जल का स्तर नीचे चला गया है, वह थोड़ा-बहुत ऊपर आ जायेगा और पेयजल की आपूर्ति में कुछ सुविधा हो जाएगी लेकिन जहां तक खरीफ की फसल की बात है, वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है। दलहनों के दो-एक जींस जो इस महीने में बोये जाते हैं, अरहर दलहन के बीज जो बोये जाते हैं, उसकी भी आशा नहीं रह गई है कि बोये जाएंगे और जब बोया ही नहीं जाएगा तो कहां से उत्पादन होगा?

सूखा और बाढ़ हमारे देश की बहुत लम्बे समय से नियति बन गई है। बाढ़ तो हर साल आती है। कभी देश का 25 फीसदी हिस्सा तो कभी 35 फीसदी हिस्सा इसकी चपेट में आ जाता है और सूखा तो पिछले कई सालों से कई प्रांतों में पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस बार देश के 13 प्रांतों में सूखा पड़ा। लेकिन मैं अपनी बात यू.पी. तक ही केन्द्रित रखता हूं। सूखा और बाढ़ प्राकृतिक कारणों से आता है। उसमें किसी राजनैतिक दल का कोई योगदान नहीं हो सकता, किसी राजनेता का भी योगदान नहीं होता। अगर किसी के ऊपर दोष कोई देता है कि आपके कारण सूखा और बाढ़ आयी है तो यह राजनैतिक बात होगी, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं यू.पी. की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले दस सालों में सरकारी नलकूप कितने तादाद में लगाये गये? कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। यू.पी. की सरकार से यह भी पूछें कि पिछले दस वर्षों में नहरों का कितना जाल बिछाया गया है? साथ ही यह भी पूछना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में क्या एक भी यूनिट बिजली के उत्पादन का लगाया गया है? क्या बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया? आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि आजादी के बाद जितने भी नलकूप यू.पी. में लगाये गये, उनमें से आधे से ज्यादा नलकूप बंद पड़ें हैं। कई सालों से विधायकों और जन-प्रतिनिधियों की आवाजें इस मामले में उठती रही हैं कि आधे से ज्यादा नलकूप बंद पडें हैं। उनकी रि-बोरिंग कराई जाए और अगर वे इस काबिल न हो तो उनकी जगह पर नए नलकूप खोदे जायें। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में पिछले दस वर्षों में न कोई नया नलकूप लगाया गया है और न बिजली के उत्पादन की व्यवस्था की गई है तथा न बिजली के वितरण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही न नहरों का जाल बिछाने की ओर हमारी सरकारों ने कोई ध्यान दिया है।

आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात कहते हैं, कम्प्यूटर की बात कहते हैं। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का काफी उपयोग कर रहे हैं। संचार के क्षेत्र में तो क्रान्ति ही आ गई है। लेकिन क्या हमने अपने देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाने की व्यवस्था की है। अगर की होती, तो शायद आज यह दुर्व्यवस्था हमारे देश की नहीं होती। हमारे प्रदेश में 40 फीसदी ही भूमि ऐसी है, जो सिंचित भूमि है। सिंचित का मतलब है, जिसमें नलकूप या नहरों के द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। शेष 60 प्रतिशत भूमि पर वर्षा के सहारे लोग जीवन-यापन कर रहे हैं। अगर बारिश औसत हुई, तब तो खेती का उत्पादन प्राप्त हो गया और अगर बारिश समय पर नहीं हुई या ज्यादा हुई तो उनका उत्पादन घटता रहता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इतने बड़े देश में जहां इतनी तरह की जलवायु हैं, इतने बड़े देश में जहां हर महीने ऋतुयें अलग-अलग होती हैं, ऐसी स्थिति में जब तक सूखे और बाढ़ पर नियंत्रण के लिए कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई जाएगी, तब तक हर वर्ष हम इसी तरह सूखे और बाढ़ की चपेट में आते रहेंगे तथा इसकी वजह से आम किसानों और मजदूरों को नुकसान उठाना पड़ता रहेगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मेरी जानकारी में आया है कि भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 60 लाख टन सड़ा हुआ गेहूं गोदामों में उपलब्ध है। इसका कारण यह है कि भारतीय खाद्य निगम के पास अनाज खुले में पड़ा हुआ है। इसका परिणाम यह होता है कि एक-दो साल के अन्दर जो अनाज खुले में रखा हुआ है, वह दागी हो जाता है यानि सड़ जाता है। इस सारे सड़े हुए गेहूं को सूखा राहत कार्यक्रमों में निकालने की योजना भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की है। खुदा न करे सूखा पड़ा और युद्ध स्तर पर राज्यों में गेहूं का वितरण किया गया, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गेहूं किसानों को बांटा गया, तो भारतीय खाद्य निगम को सड़े हुए गेहूं वितरित करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। खाद्य और आपूर्ति मंत्री सदन में उपस्थित है, मैं

आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय खाद्य निगम द्वारा युद्ध स्तर पर अनाज बंटवाने की आवश्यकता पड़ी तो सड़ा हुआ गेहूं किसानों को न बंटे, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश में आज बिजली का उत्पादन नहीं है और जो उपलब्ध उत्पादन है, उसके वितरण की व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहरों की सफाई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जब तक इन समस्याओं से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनायें बनाकर कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा, किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। गरीबों को लाभ नहीं मिल पाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बाढ़ और सूखे पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 55 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारी विडम्बना है कि देश के बहुसंख्यक किसान और बहुसंख्यक आबादी प्रकृति के भरोसे अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। आजादी के बाद प्रगति की लम्बी-चौड़ी बातें की गई लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि 55 साल की आजादी के बाद भी यह सदन प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सूखे पर चर्चा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री करता चला आ रहा है। जब हम इस पर चर्चा करते हैं और इसका सकारात्मक परिणाम जनता के सामने नहीं जाते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति कहीं न कहीं आम जनता के मन में आक्रोश उभरता है जो हम सब के लिए चिन्ता का विषय है।

यहां कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री बैठे हैं। बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए मात्र दो मंत्रालय ही सक्षम नहीं है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। एक छतरी के नीचे बैठ कर हमे इन समस्याओं से निपटने के लिए सार्थक पहल करनी चाहिए। आज प्रकृति के असंतुलन के कारण हमे बाढ़ और सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कृषि मंत्री जी उस महान किसान नेता के सुपुत्र हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद पहली बार किसानों के मन में एक नई आशा और विश्वास पैदा करने का काम किया था और जब कांग्रेस का एक छत्र साम्राज्य होता था तब भी उन्होंने आशा और विश्वास के बल पर देश की राजनीति में एक बड़ी ताकत पैदा करने का कार्य किया था। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि उसी आशा और विश्वास को पैदा करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें ईमानदारीपूर्वक विचार करना चाहिए। 55 साल की आजादी के बाद क्या हमने इन बुनियादी समस्याओं के प्रावधान के लिए ईमानदारी से पहल की? एक छोटा सा मुल्क इस्राइल ने विशेष परिस्थितियों में खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए पहल की। यह बात हमारे और आपके लिए अनुकरणीय बन सकती है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें एक अच्छा प्रकृति वातावरण प्राप्त हुआ है। दुनिया के अन्य मुल्कों को इतनी अच्छी जलवायु नहीं है। आज बदलते हुए मौसम के मिजाज पर बड़ी लम्बी-चौड़ी बहस होगी। यदि हम उस पर जाएंगे तो मेरा खुद का मानना है कि जब हम पर्यावरण के प्रदूषित होने की बात कहेंगे और विकास की तरफ उत्तरोत्तर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर विकास पर्यावरण को प्रभावित करने का काम करेगी। बढ़ती हुई जनसंख्या भी पर्यावरण को आज प्रभावित करने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रही है।

रात्रि 9.28 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

बहुत से व्यावहारिक बिन्दुओं की तरफ हमारे भाई शिवराज जी ने सत्ता में रहते बड़ी ईमानदारी और साफगोही से अपनी बात रखी। अगर हम ईमानदारी से किसानों की इन समस्याओं से निजात दिलाना चाहते हैं तो अपने कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ईमानदारीपूर्वक करना होगा। हम जो नीति बना रहे हैं, उनका प्रभाव आम जन मानस पर क्या पड़ रहा है इसके ऊपर दृष्टि डालनी होगी। फसल बीमा योजना की बात भाई शिवराज जी ने की। फसल बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा दो लेकिन उसकी यूनिट प्रति किसान कर दीजिए जिससे किसानों को लाभ मिले। हम आज के परिवेश में गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात नहीं करते, धान और गेहूं का दाम बढ़ाने की बात नहीं करते। जो मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, वह दिला दें तो किसान के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी।

सभापति महोदय, मैं अब सूखे के बारे में कहना चाहता हूं। आज की बदलती हुई प्रकृति के मिजाज से सूखे और बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। सूखे पर लम्बी-चौड़ी चर्चा हो चुकी है जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हिमनद पिघल रहे हैं और हिमालय जिस तरह से अपना चरित्र बदलता चला जा रहा है, हमारे देश में एक बहुत बड़े भू-भाग का बाढ़ से प्रभावित होना एक कारण है। इसी सदन में हमने पिछले साल इस बात की चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और बिहार दूसरे नम्बर पर है। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों के कारण हर साल यह क्षेत्र बरबाद और तबाह हो रहा है। यदि राज्य सरकारों को उनके भरोसे छोड़ दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के साथ आप न्याय नहीं करेंगे।

[कुंवर अखिलेश सिंह]

सभापति महोदय, पिछले दिनों इसी सदन के अंदर कहा था कि सरकार ने नेपाल और भारत के लिये एक संयुक्त दल गठित किया गया है। जो नेपाल और भारत का दौरा करके रिपोर्ट देगा। मैं बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब मैं उत्तर प्रदेश में सभा का सदस्य था, हमारे आदरणीय नेता श्री जनेश्वर मिश्रा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री थे। उन्होंने व्यक्तिगत वार्ता के दौरान जो जवाब दिया था, वही जवाब मंत्री जी मुझे देने का काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में मेरा जो अनुभव है, उसे मैं बताना चाहूंगा। मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल-भारत सीमा पर स्थित है। पिछले शनिवार और रविवार को मैं वहां गया। वहां अच्छी वर्षा हुई। वर्षा देखने के बाद दिल्ली आने के लिये मेरा मन नहीं कर रहा था। खेतों पर पानी बह रहा था। तभी मेरे मन में शंका आयी कि कहीं मेरे क्षेत्र में बाढ़ तो नहीं आ जायेगी क्योंकि नीचे के इलाके हैं, उसके अनुसार बगल के जिले कुशीनगर और पडरौना का इलाका बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। नेपाल के अंदर कई छोटे-छोटे नाले हैं। यदि उनका सर्वेक्षण करायेंगे तो आपको उनका अस्तित्व नजर नहीं आयेगा लेकिन नेपाल की सरकार उन छोटे-छोटे नालों के मिलाकर नदियों की प्रकृति बदलने का काम कर रही है यदि सरकार अन्यथा न लें तो एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल वहां जाये या एक संयुक्त ससंदीय समिति का गठन किया जाये। नेपाल के अंदर वहां के एम.पीज. इस रोग से पीड़ित हैं। उनसे व्यक्तिगत रूप से हम लोगो ने बात करने का प्रयास किया है। इसलिये एक संयुक्त कार्य दल का गठन कर दिया जाये जो व्यावहारिक रूप से अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे। तत्पश्चात् बाढ़ की विभीषिका को रोकने का सार्थक प्रयास किया जा सकता है।

सभापति महोदय, हमारे कई साथियों ने इस बात का उल्लेख किया कि ईस्ट, वैस्ट और नार्थ-ईस्ट कोरिडोर के लिये 56 हजार करोड़ रुपये का सड़क निर्माण के लिये खर्च हो रहा है। हम सड़क निर्माण के विरोधी नहीं लेकिन अगर आपके पास संसाधन हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या रोटी चाहिये। हमे यह तय करना होगा कि कृषि क्षेत्र की हमारी क्या प्राथमिकतायें हैं। यदि 56 हजार करोड़ रुपये देश में पीने के पानी और सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था के लिये खर्च कर सकें तो देश के लिये बहुत बड़ा उपकार होगा। न केवल देश के किसानों के साथ बल्कि सम्पूर्ण मानवता के साथ उपकार का कार्य होगा। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि आज हमारे लिये ही नहीं बल्कि दुनियाभर के लिये पानी एक चुनौती बनने जा रहा है। उस पानी की समस्या का निराकरण करने के लिये सबसे पहले धन देने का कार्य करें। मुझे यह पता नहीं कि जल समवर्ती सूची में है या नहीं। यदि शामिल नहीं किया गया है तो मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन से आग्रह करूंगा कि जल को समवर्ती सूची में शामिल किया जाये।

इन्ही शब्दों के साथ मै चाहता हूं कि बाढ़ और सूखे का निराकरण करने के लिये सरकार सार्थक पहल का प्रारंभ करे।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): माननीय सभापति महोदय, देश के कई प्रदेशों में भयंकर सुखाड़ है और देश के कई प्रदेशों में बाढ़ की विभीषिका इस कदर आई है कि सही मायनों में लोगों का कहना है इस कदर भयानक बाढ़ पिछले कई वर्षो में बिहार, बंगाल और आसाम में नहीं आई थी। मुझे जानकारी मिली है, कई क्षेत्रों से टेलीफोन आया कि जो भारत-नेपाल सीमा पर जो मुख्य नहर भीमनगर से निकली है, बह गई, नेशनल हाईवे बह गये और सिविल अस्पतालों और स्कूलों के बारे में क्या कहें। वहां इतनी बुरी हालत है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं। लोगों के पास खाने और केरोसीन तेल का अभाव है तथा लोगों में इतना आतंक का वातावरण पैदा हो गया है कि रात में क्या होगा और दिन में क्या होगा। ऊपर से वर्षा हो रही है और नीचे से नेपाल की नदियों से जो बाढ़ आई है, उस सबसे बचाव के लिए सरकार को कोई न कोई उपाय ढूंढना चाहिए। बिहार के 22 जिलों में भंयकर बाढ़ से लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि धान की फसल का हमारे इलाके में 90 प्रतिशत रोपने का काम हो गया था, 90 प्रतिशत फसल लगी हुई थी। कुछ इलाके में जूट और मूंग की फसल लगी हुई थी। जो फसल लगी हुई थी, वह बुरी तरह से डूब गयी है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह अविलम्ब एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायें जो बिहार, बंगाल और आसाम का दौरा करे और बाढ़ पीड़ित इलाकों में केन्द्र सरकार अधिक से अधिक सहयोग करे। मुझे टेलीफोन आया कि हमारी लोक सभा के एक माननीय सदस्य श्री अनवारुल हक बाढ़ के कारण शिवहर और सीतामढ़ी में फंसे हुए हैं। वह यहां आना चाह रहे थे, लेकिन आठ दस किलोमीटर पानी में पैदल चलने के बाद उन्होंने देखा कि बांध टूटा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं। इस तरह से सीतामढ़ी में फंसे हुए हैं। वह लोक सभा में नहीं आ पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन जब फसल को रोपने का समय आया तो देश के 12-13 प्रदेशों में सुखाड़ और चार-पांच प्रदेशों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।

सभापति महोदय, आप किसान परिवार से आते हैं, हमारे कृषि मंत्री जी किसान परिवार से आते हैं। वह देश के पूर्व प्रधान मंत्री के सुपुत्र हैं। इसलिए वह किसानों के प्रति सोचते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि किसान जो फसल लगाता है, उस समय खाद की कीमत क्या होती है और फसल काटने के बाद फसल की कीमत क्या होती है। किसान खेत में जो खाद डालता है, पानी

लगाता है, मेहनत करता है, लेकिन सही मायनों में उसकी उचित कीमत नहीं मिल पाती है। आजादी के 55 वर्षों के बाद भी आज देश में किसानों की दुर्दशा है। लोक सभा के अधिकांश माननीय सदस्य किसान परिवार से आते हैं और आजादी के 55 वर्षों के बाद किसानों के हित में जो होना चाहिए, वह हम नहीं कर पाते हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन किसान की क्या हालत है। किसान पूरे देश को अन्न देने का काम करता है। हम लोगों को किसानों के बारे में जिस रूप में सोचना चाहिए, उस रूप में हम नहीं सोच पाते हैं। एक तरफ बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति है, दूसरी तरफ किसानों से ऋण वसूली का काम शुरू हो जायेगा। किसी किसान के घर पुलिस जाती है और कहती है कि ऋण वापस करो। हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों में फसल बीमा योजना लागू है। लेकिन बिहार में फसल बीमा योजना लागू नहीं है। आज बिहार को बाढ़ और सूखे की भयानक स्थिति अस्त-व्यस्त किये हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि फसल बीमा के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार और किसान तीनों की जो सम्मिलित राशि होती है, बिहार सरकार उस राशि को देने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार निश्चित रूप से फसल बीमा योजना के लिए राज्य सरकार की जो राशि होती है, वह केन्द्र सरकार को देकर किसानों के हित की बात करे और किसानों के लिए फसल बीमा योजना बिहार में लागू करे। कई प्रदेशों में अभी फसल बीमा योजना लागू है।

महोदय, नेपाल से जो नदियां आती हैं वे अपने साथ बाढ़ लाती हैं। जब बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड अलग हुआ और शेष बिहार बच गया तो एक कोर कमेटी बनी थी। उसमें आप भी थे और नीतीश जी भी थे। उस सर्वदलीय समिति में माननीय नीतिश जी माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले थे और उसमें उनकी पहली मांग थी कि नेपाल से जो नदियां आती हैं और बिहार की तबाही करती हैं, उसको रोकने के लिए चतरा में एक डैम बने जिससे उस पानी का जमाव हो सके और पनबिजली का उत्पादन करके देश के उस हिस्से को बिजली दी जा सके। बाढ़ के कारण लाखों हैक्टेयर फसल और जमीन बरबाद हो जाती है तथा हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति प्रति वर्ष बरबाद हो जाती है। इसके लिए केन्द्र सरकार ऐसी योजना बनाए कि बाढ़ का नियंत्रण करके वहां पनबिजली पैदा करें और डैम बनाने के बाद हम लोगों को निश्चित रूप से बाढ़ से राहत मिलेगी।

महोदय, कषि मंत्री जी ने 12 प्रदेशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की थी। उसमें किसानों के हित की बात उन्होंने की और एक स्थायी समाधान बाढ़ और सुखाड़ के लिए निकालना चाहिए इस पर बल दिया गया। इसके लिए हमें एक लंबी योजना बनानी चाहिए।

जो छोटी योजनाएं जो हम प्रदेशों के विकास के लिए बनाते हैं उसके स्थान पर एक लंबी योजना बने और बाढ़ और सुखाड़ का परमानेन्ट सॉल्यूशन निकले जिससे भारत खुशहाली की ओर जा सके।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर खींचना चाहता हूं। वैसे स्थिति तो समूचे देश में वर्षा न होने के कारण खराब है और ज्यादा भाग देश का ऐसा है जहां वर्षा नहीं हुई है और जहां कहीं वर्षा हुई है, वहां अत्यधिक वर्षा हो गई है। इसलिए यह विभीषिका के बादल मंडरा रहे हैं और यह चिन्ता का विषय है।

महोदय, कराह इधर से भी निकल रही है और उधर से भी निकल रही है। दोनों तरफ से स्थिति यही है। इसलिए सरकार को इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि कई राज्यों में जल की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है और सूखे की स्थिति है। यहां पर सवाल इतना ही है कि जो किसानों के घाव हैं उन पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। वहां पर बहुत सारे वक्ताओं ने भारत सरकार की अत्यधिक प्रशंसा की है। अभी भारत सरकार ने एक पैसा किसी प्रदेश को सूखे की मार से मुक्ति पाने के लिए नहीं दिया है लेकिन उधर के वक्ता प्रशंसा इतनी कर रहे हैं जैसे लगता है कि किसानों के घावों पर नमक छिड़क रहे हों।

महोदय, मेरे पड़ोसी संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद आदरणीय रामानन्द सिंह जी ने यहां सूखे की बात कही।

सभापति, महोदय, मैं उनकी आधी बात की ताईद करता हूं। सही भी है सूखे की भयावह स्थिति रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, पन्ना और छतरपुर में है। श्री चौहान ने भी वही बात कही है। मैं उनकी बात का भी समर्थन करता हूं। अब सवाल इस बात का है कि जो टीका-टिप्पणी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के ऊपर की गई है, उसे सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामानन्द सिंह जी की स्मरण शक्ति शायद धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं उनके कार्यों की सराहना की है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह: यदि कोई प्रधान मंत्री जी के पैर छुए, तो वे आशीर्वाद तो देंगे ही। वे तो सबको आशीर्वाद दे दते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी: आशीर्वाद नहीं, कामों की प्रशंसा की थी। यही नहीं आपकी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री वेंकैया

[श्री सुन्दर लाल तिवारी]

नायडू, जब ग्रामीण विकास मंत्री थे और भोपाल गए, तो मुख्य मंत्री के कार्यों को देखकर वे चुप नहीं रह सके और उन्होंने भी उनके कार्यों की प्रशंसा की। इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि आदरणीय रामानन्द सिंह जी की स्मरण शक्ति गड़बड़ा रही है, वे इसकी जांच कराएं।

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, इस स्मरण शक्ति को वापस लाने के लिए कृषि मंत्री जी कौन से डाक्टर की नियुक्ति करेंगे?

सभापति महोदय: स्मरण शक्ति को वापस लाने और बढ़ाने के लिए तो ब्राह्मी बूटी का प्रयोग होता है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: सभापति महोदय, सवाल यह है कि जो सूखा है उसकी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सूखा है और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां बोनी हो चुकी है जैसे सीधी, सतना, शहडोल, पन्ना और छतरपुर, लेकिन रीवा और सागर दो संभाग ऐसे हैं जहां अभी तक बोनी शुरू नहीं हुई है और अगर कहीं हुई भी है, तो एक या दो प्रतिशत हुई है जो नगम्य है, लेकिन अवर्षा के कारण जो भी हुई है वह समाप्त हो गई है और उससे फायदा नहीं हुआ है और कृषकों का नुकसान ही हुआ है। मेरा कहना यह है कि किसान की फसल का नुकसान तो उसको हुआ ही है। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे प्रदेश में जल संकट भी उत्पन्न हो रहा है और पिछले तीन वर्षों से वहां निरन्तर सूखे की स्थिति है। मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कई बार मांग की और पिछले वर्ष सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 256 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने पूरी ताकत के साथ उन विषम परिस्थितियों में किसान के साथ खड़े रहे और अधिक से अधिक राहत पहुंचाई। इसलिए मैं आदरणीय रामानन्द सिंह और चौहान साहब से यह कहना चाहता हूं कि यह हमारा हक है। इसलिए केन्द्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं, लेकिन अगर केन्द्र सरकार पैसा नहीं देगी, तो हमारे मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, तमाम विषम परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम हैं।

श्री रामानन्द सिंह: सुन्दर लाल जी, मध्य प्रदेश के बजट का 94.96 प्रतिशत हिस्सा केवल वेतन पर खर्च होता है। यदि केन्द्र सरकार सहायता नहीं करे, तो मध्य प्रदेश सरकार चल नहीं सकती है। यह बड़े शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश में बेसहारा, अपंग एवं वृद्धों को छः महीने तक पेंशन नहीं मिलती है। सारा बजट कर्मचारी और अधिकारियों के वेतन में जा रहा है। इसलिए आपको उस सरकार की बड़ाई करने पर शर्म आनी चाहिए।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: सभापति महोदय, यह चर्चा तो जब दोनों पक्ष आमने-सामने बैठेंगे, तब होगी। जो वर्तमान में वास्तविक स्थिति है उसके लिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। आज यहां केन्द्रीय कृषि मंत्री उपस्थित हैं, सिंचाई मंत्री उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस विषय पर सदन में चर्चा विलम्ब से हो रही है। जब इस सत्र की शुरूआत हुई थी, उसी दिन यानी पहले ही दिन चर्चा होनी चाहिए थी। अब कब निर्णय लेंगे और कब आप प्रदेशों को राहत पहुंचाएंगे?

श्री रामानन्द सिंह: आपकी प्रदेश सरकार की ओर से सूखा प्रभावित जिलों की सूची ही अभी तक नहीं आई है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: सभापति महोदय, अब और आगे स्थिति खराब न हो और जो स्थिति है उससे तत्काल राहत दिलाने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कम से कम 50 करोड़ रुपए तत्काल भेजे। तब तो दुबारा बोनी हो जायेगी वर्ना प्रदेश में बोनी भी हो पाने की स्थिति नहीं है। वहां जो अनाज की स्थिति है, उसकी जानकारी सबको है। हमारे प्रदेश बहुत सारा इलाका ऐसा है जो असिंचित है। वहां बीज भी नहीं है। अगली जो फसल रबी की आगे वाली है, उसकी स्थिति भी खराब हो जायेगी। अगर केन्द्र सरकार हमें मदद नहीं करती तो किसानों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब हो जायेगी। कम से कम एक वर्ष तक तो फसल पूरी तरह से खराब रहेगी। सवाल इस बात का है कि हर वर्ष यह समस्या सामने आ रही है। तीन वर्ष से मध्य प्रदेश में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ा है। आज केन्द्र सरकार अगर उन्हें राहत देने की कोशिश भी करती है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिये।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या वह राशि किसानों तक पहुंच पायेगी, यह सोचने का विषय है। मेरा कहना है कि इसके लिए एक योजना बनानी चाहिए। पंचायती राज की व्यवस्था मध्य प्रदेश में बहुत सुदृढ़ है। पंचायती राज के माध्यम से हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी प्रदेश में सूखा है और आपने निर्देश दिये हैं तो वहां पंचायतें सूखे से निपटने का काम शुरू कर देंगी। आप पैसा प्रदेश सरकार के पास भेजेंगे तो प्रदेश वह पैसा जिले में भेजेगा और जिले में योजना बनाकर विभिन्न जगह पैसा भेजा जायेगा। वह पैसा किसानों तक पहुंचने वाला नहीं है।

स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यह कल्पना की थी कि सबसे गरीब आदमी और दूरस्थ रहने वाले आदमी को राहत पहुंच सके, इसीलिए पंचायती राज की व्यवस्था हुई। मेरा कहना है कि पंचायती राज की व्यवस्था का भरपूर उपयोग करना चाहिए और भविष्य में सूखा मुक्त भारत बनाने के लिए उन पंचायतों को उपयोग में लाना चाहिए।

जहां तक पीने के पानी की समस्या है। ...*(व्यवधान)* मैं अंतिम बात कह रहा हूं। पानी उपलब्ध कराने की हमारी जो नीति है, माननीय सिंचाई मंत्री जी, इसके बहुत सारे विपरीत असर भी पड़े हैं। हमने गांव में पांच-छः हैंडपम्प लगाये हैं लेकिन कुंए के पानी सूख गये हैं। इससे गरीब किसान हैं, वह मारे जा रहे हैं क्योंकि वे चालीस हजार रुपये हैंडपम्प नहीं ले सकते।

मैं उस इलाके की बात नहीं कर रहा, जहां पानी ऊपर है। जो हमारे पुराने स्रोत हैं, जो हमारे पानी इकट्ठा करने के पुराने तौर-तरीके हैं, उनको इस तरीके से कुछ न कुछ चोट लगी है। वे कुएं आज सूखे पड़े हैं। किसान रो रहे हैं क्योंकि उनके पास हैंडपम्प लगाने की व्यवस्था नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। हैंडपम्प संबंधी कोई नीति नहीं है, जो चाहे जहां मर्जी हैंडपम्प लगा ले। एक तरफ हम गये स्रोत तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुराने स्रोत खराब होते जा रहे हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा कि यह नीति इस पार्टी की है या उस पार्टी की है। सवाल इस बात का है कि अभी समय है और हम इस पर विचार करें और ऐसी नीति बनाई जाये जिससे हमारे पुराने पानी के स्रोत रहें।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस विषम परिस्थितियों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो भी हक मांगा जाये, वह पूरा का पूरा हक दें। यहां से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो भी हक मांगा जाये, वह पूरा का पूरा हक दें। यहां से मध्य प्रदेश सरकार को पैसा दें। इसके साथ-साथ जो गत वर्ष का पैसा नहीं दिया गया है, वह पैसा भी देने का आप कष्ट करें।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी चाहें या हमारे सिंचाई मंत्री जी चाहें, दोनों नजदीक भी बैठ जायें और वे चाहे जैसी भी योजना बनायें, वे न तो पानी दे सकते हैं और न ही अनाज दे सकते हैं, केवल पैसा दे सकते हैं। लेकिन उस पैसे से सारी की सारी व्यवस्था हो जायेगी, यह संभव नहीं है। इसलिए एक दीर्घकालीन योजना बनाई जाए कि जब दोनों नजदीक बैठ सकें तो आप अनाज भी दे सकें और पानी भी दे सकें।

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): सभापति महोदय, आपने बाढ़ और सूखे की महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज पूरे देश में बाढ़ और सूखे से सब माननीय सदस्य चिंतित हैं। अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने 12 राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुलाया था। लेकिन अफसोस है कि हमारे गुजरात के कृषि मंत्री को नहीं बुलाया। मुझे पूरी चर्चा में ऐसा सुनने को मिला जैसे गुजरात में सूखा ही नहीं है। गुजरात में सिर्फ सौराष्ट्र में बारिश हुई। ...*(व्यवधान)* श्री नरेन्द्र मोदी को इतना याद किया तो इस समय भी याद करना चाहिए था। सौराष्ट्र में पहली बारिश हुई लेकिन उत्तर गुजरात और कच्छ, दोनों ऐसे इलाके हैं जिनमें पिछले तीस सालों में, जितने भी डैम हैं, दो बार बाढ़ आई, पूरा सूखा पड़ा है। मेरी कौन्सटीटूऐंसी बनासकांठा, जो राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई है, जैसे सुंदरलाल जी बोलते हैं, उनके बाजू में मेरी कौन्सटीटूऐंसी है, बाजू में पाकिस्तान का बार्डर है और कच्छ जमीन के हिसाब से भी खारिश वाली है, वहां पहले से साल में एक ही फसल होती है और वह भी बारिश के हिसाब से होती है। उत्तर गुजरात की पोजीशन यह है कि आज वहां एक हजार फीट नीचे पानी का तल चला गया है। बारिश एक बार हुई, उससे सबने फसल बोई लेकिन वह नष्ट होने को आई है। पूरे गुजरात में, जब से गुजरात की स्थापना हुई, तब से आज तक, चालीस सालों में 22 बार अकाल और सूखा पड़ा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके क्या सुझाव हैं, वह बताइए।

श्री हरिभाई चौधरी: मैं पहली बार खड़ा हुआ हूं। आप मुझे बोलने देंगे तो पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात तो सुनें। आप इधर से भी बोलते हैं और उधर से भी बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह बताइए कि क्या करना चाहते हैं।

श्री हरिभाई चौधरी: जो करना चाहते हैं, वह बताते हैं। हमारे पास सुझाव हैं, हम अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। नार्थ गुजरात और कच्छ की समस्या के बारे में यदि सब सदस्य सहायता दें तो वह हल हो सकती है। हमारे पास 30 डैम हैं जो खाली पड़े हुए हैं। सरदार सरोवर योजना पिछले 40 सालों से लंबित है। हमको फायदा नहीं है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को फायदा है। सभी संसद सदस्य एक साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को समझाएं कि हमको इसमें सहयोग दें और जो बकाया राशि है, उसका भुगतान हमको कर दें। अगर सरदार सरोवर योजना पूरी हो जाए तो उसमें से लिंक कनाल करके जो पानी आएगा, वह 30 डैम्स में जाएगा तो नार्थ गुजरात और कच्छ की धरती में पूरा पानी होगा और सूखा और अकाल कम पड़ेगा।

फसल बीमा योजना की बात बहुत अच्छी है लेकिन उसकी नीति में त्रुटियां हैं, वे ऐवरेज निकालते हैं। पिछली बार मुझको दो प्रतिशत बीमा दिया गया। किसानों ने दस हजार के ऊपर 300 रुपये भरे थे, हमको 200 रुपये मिले। इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

[श्री हरिभाई चौधरी]

नाबार्ड कोआपरेटिव बैंक को 7 प्रतिशत ब्याज पर पैसा देता है। स्टेट कोआपरेटिव बैंक सैंटर कोआपरेटिव बैंक को 8 प्रतिशत पर देता है और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव किसानों को 16 प्रतिशत ब्याज पर देता है। किसानों को 7 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक मिलता है। यदि कृषि मंत्री नाबार्ड को आदेश दें तो 7 प्रतिशत वाला कम से कम 4.5 प्रतिशत लेकर 12 प्रतिशत तक भी किसानों को मिले तो उसका अच्छा फायदा होगा।

रात्रि 10.00 बजे

मेरी दूसरी बात यह है कि जो चैक डैम बनाने का गुजरात सरकार ने निर्णय लिया है और अभी-अभी 24 हजार चैक डैम बनाये हैं, हमारे भावनगर सौराष्ट्र में उससे फायदा हुआ है। अभी जो राहत कार्य चलते हैं, उन कामों में सिंचाई के कामों को लेना चाहिए, रोड्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। कैनाल बनाने का बहुत राहत कार्य करना चाहिए। चैक डैम बनाने का राहत कार्य करना चाहिए, विकास का काम करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं।

हमारी दूसरी डिमांड यह है कि सिन्धु का भारत सरकार का एग्रीमेंट खत्म हो गया है, अभी हमारी सरकार ने लिखकर भेजा है कि जब इण्डस करार हुआ था तो उस समय ऐसा कहा गया था कि उत्तरी गुजरात को, कच्छ को पानी देंगे, लेकिन यह आज तक नहीं मिला है। अभी गुजरात सरकार ने एक आवेदन पत्र भेजा है, उसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। नाबार्ड को पैसे का रेट कम करना चाहिए। हम जो चैक डैम बनाते हैं, हमारे यहां जो पहाड़ी इलाका है, चैक-डैम बनाने में एक फीट भी फोरैस्ट की जमीन बढ़ाने का कोई आश्वासन नहीं देते हैं तो फोरैस्ट डिपार्टमैंट को भी बोलना चाहिए कि चैक डैम बनाने से पानी बढ़ेगा तो उससे फोरैस्ट अच्छा रहेगा। फिर भी फोरैस्ट वाले लोग नहीं समझते हैं इसके लिए फोरैस्ट वालों को भी बताना चाहिए।

इसके साथ रिलीफ वर्क का जैसा मैंने बताया कि सिंचाई की जो योजनाएं हैं, उसमें रिलीफ वर्क करवाये जायें। कैनाल का काम अभी चलता है, उसमें परमीशन देने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: पांच मिनट के अन्दर सुझाव देकर खत्म करिये।

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): माननीय सभापति जी, आज सदन में हम देश में सूखे और बाढ़ की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। सूखा और बाढ़ इस देश की स्थाई समस्या हो गई है। पिछले दस वर्षों से हर साल सूखे और बाढ़ पर चर्चा की गई, लेकिन निदान कुछ नहीं निकलता। हम जहां के हैं, वहीं हैं। यह स्थाई समस्या बन गई है। इसका निदान पूछिये तो यह सदन नहीं कर पाएगा। परिस्थितियां क्या बात कर रही हैं, वह हमसे ज्यादा मंत्री लोग जानते होंगे कि उनकी क्या मजबूरियां हैं।

आपने खासकर देश के 12 राज्यों के मंत्रियों को बुलाया, मैं इसके लिए कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं। जो सिंचाई मंत्री बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। लेकिन बिहार ऐसे दुर्भाग्य का प्रान्त बना हुआ है, जो बाढ़ और सूखा दोनों तरह से ग्रसित है। एक तरफ 22 जिले बाढ़ से ग्रसित हैं, जहां जल प्लावन हो गया है, लोग डूब रहे हैं, सड़कें कटकर छिन्न-भिन्न हो रही हैं।

सभापति महोदय: आपका क्या सुझाव है, वह बताइये। बाढ़ और सूखा तो साबित हो गया।

श्री राम प्रसाद सिंह: हम सुझाव दे रहे हैं। आप जब बोलते हैं तो सुझाव से पहले भूमिका बांधते हैं, हम लोगों को बोलने तो दीजिए।

मैं निवेदन करूं तो वह स्थिति हो गई है कि 22 जिले बाढ़ से और 16 जिले सूखाग्रस्त क्षेत्र के हैं। मैं नाम कहूं तो छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, पटना का पार्ट, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, ये सब वैस्ट के 16 जिले हैं, ये सूखे से ग्रसित हैं। पूरा बिहार बाढ़ और सूखे से ग्रसित है, इसकी चपेट में है। आपने कहा कि एक तरफ प्राकृतिक आपदा, एक तरफ बाढ़ और सूखा और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार, न जाने इस सरकार को क्या हो गया है। बिहार से ज्यादा एम.पी. आपके जीतकर आये हैं, यह सर्वविदित है। बिहार की जनता ने आपको काफी वोट दिये है और आप उनको उसके बदले में क्या दे रहे हैं, आप उनका खुला शोषण कर रहे हैं, उनका उचित हक नहीं दे रहे हैं। जो पैकेज की बात हो रही है, वही नहीं दे हैं। बिहार को सब मिलकर तबाह करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात जान जाइये की बाहर के लोग इस इश्यू पर, इस विषय पर सभी एक हैं, चाहे वह रेल जोन का मामला हो, हम लोग लड़ेंगे और मजबूत मन से लड़ेंगे, लेकिन हम लोग लड़ेंगे और मजबूत मन से लड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरा बिहार के प्रति दयावान होइये, क्षमावान होइये। आप विकास के लिए जो कुछ दे रहे है, उसमें हमारा हिस्सा दीजिए, मैं नहीं चाहता कि आप हमको ज्यादा दें। जो हम राजस्व देते हैं, उसका जो हिस्सा बनता है, वह हमें दें। बाढ़ का कोई स्थाई समाधान निकालना चाहिए। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था कि जो नेपाल से नदियां यहां आती है, इन नदियों को इरीगेशन फैसिलिटी देकर, खुदाई करके, उनके सिल्ट को निकाला जाए तो समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भारत और नेपाल इस बारे में समझौता करें और हल निकालें। हमारे यहां सोन कैनाल सिस्टम 1875 में बना था। उस समय उसकी अवधि 100 साल आंकी गई थी, लेकिन अब उसको करीब 130 साल हो गए हैं। उसकी जो नहरें हैं, वह छिन्न-छिन्न हो गई हैं। बिहार सरकार ने कई बार कहा कि अगर सूखे का निदान चाहते हैं तो इस नहर से जो 12 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है, यह देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, इसका सुधार किया जाए। इसका सुधार करने से जो मैंने पूर्व में जिले बताए भोजपुर

गया, पटना, जहानाबाद आदि में सिंचाई हो सकती है। हमारे यहां खाद्यान्न का भंडार हो सकता है, अगर बाढ़ पर कंट्रोल करके वहां का पानी सुखाग्रस्त इलाकों में पहुंचा दिया जाए, तो हम पूरे प्रदेश को और पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी खाद्यान्न दे सकते हैं। झारखंड में अगर हम खाद्यान्न न दें, तो वहां के लोग भूखे मरने की कगार पर आ सकते हैं। हमारे यहां उचित व्यवस्था न होने के कारण लाखों की संख्या में खेतीहर मजदूर और किसान प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप इसका स्थाई निदान चाहते हैं तो कैनाल सिस्टम को, जिसका प्लान बनाकर प्रदेश सरकार ने 1992 में केन्द्र को भेजा था, उस समय यह योजना 1600 करोड़ रुपये की थी, जो अब 2200 करोड़ रुपए की हो गई है, उसको तुरंत मंजूरी दी जाए। अच्छी-अच्छी योजनाएं बिहार से झारखंड में चली गई हैं। हमारे यहां अब कोई उद्योग नहीं रहा, बाढ़ सुखाड़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार न किया जाए।

कृषि मंत्री जी, इस महान देश के महान सपूत चौधरी चरण सिंह के सपूत हैं। आप पुराने सोशलिस्ट हैं और लोहिया जी से भी प्रभावित रहे हैं। इसलिए आप किसानों के बारे में सोचें, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। जब गांव का किसान खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल बनेगा। भारत की भूमि बहुत उपजाऊ है। इस जैसी जमीन दुनिया में कहीं नहीं है। इस मुल्क में कोई ऐसा दिन नहीं है जब कोई नई फसल न बोई जाती तो। बिहार में बिजली की कमी है, वहां उद्योग नहीं हैं। मुश्किल से बिहार में 400-500 मेगावाट बिजली पैदा होती है। झारखंड के अलग राज्य बनने से बिजली का इलाका भी झारखंड में चला गया। हमारा जो सोन कैनाल सिस्टम हैं, उसका आधुनिकीकरण किया जाए, उसके लिए पर्याप्त रुपया दें। किसानों के लिए समुचित बिजली का प्रबंध करें। हमारे यहां खेतीहर मजदूरों को रोजगार देने के लिए काम के बदले अनाज योजना को लागू करें। तकावी लोन किसानों को दें। जिन नहरों में कभी भरपूर पानी हुआ करता था, अब केवल 20 से 30 प्रतिशत ही रह गया है। 15 अगस्त तक खेती का उपयुक्त मौसम बिहार में माना जाता है। लेकिन वहां पानी नहीं है। किसान सोचता था कि इस मौसम में रबी की फसल की बुवाई होगी, लेकिन उसकी जमीन सूख गई है, जो बीज उसने लगाया था, वह खत्म हो गया है। इसलिए इस पर ध्यान दें। ऋण को माफ करें, बिजली की व्यवस्था करें, तकावी लोन दें। बाढ़ के बचाव के लिए जितना हमारा हक बनता राजस्व में, उस अनुपात में वह हमें दिया जाए। हमारा पंचायतों का 600 करोड़ रुपया बकाया है, उसको तुरंत अदा करें, जिसेस हम पंचायतों के माध्यम से हार्ड मैनुअल स्कीम, लाइट मैनुअल स्कीम चलाकर भूखे लोगों को रोजी-रोटी दे सकें। इसलिए मैं कृषि मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और बिहार को भी सूखाग्रस्त और बाढ़ग्रस्त स्टेट मानकर वहां के मंत्रियों को बुलाकर सलाह करें और पर्याप्त साधन मुहैया कराएं।

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): सभापति महोदय, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करने का अवसर देने हेतु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोयम्बटूर और इरोड़ जिले पड़ते है। मानसून आया नहीं और पिछले दो वर्षों से वहां वर्षा हुई ही नहीं इसके कराण मेरा क्षेत्र सूखाग्रस्त है और वहां लोग बहुत चिंतित हैं।

पिछले दो वर्षों में, विशेषकर तमिलनाडु में, मानसून न आने के कारण किसानों को कोयम्बटूर और इरोड़ जिलों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा न होने के कारण भू-जल का स्तर 1000 फीट नीचे चला गया है। कई बोर-वैल सूख गए हैं और जब नए बोर-वैल खोदने का प्रयास किया जाता है तो 1000 फुट की गहराई पर भी जल उपलब्ध नहीं है। इन जिलों में लगभग 10 लाख नारियल के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ लम्बे समय बाद फल देते हैं। नारियल के पेड़ में कम से कम सात वर्ष बाद फल आते हैं। मेरे पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ही अकेले चार लाख फलदार पेड़ सूख कर हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं। यहां तक कि लघु और सीमान्त किसान घनाभाव के कारण सूखे पेड़ों को उखाड़ने और उनके स्थान पर नये पौधे लगाने में भी असमर्थ हैं। वहां नारियल उत्पादक किसान लगभग पिछले तीन वर्षों से स्टोफाइट कीट लगने के कारण खराब उपज से कष्ट उठा रहे थे, यहां तक कि खराब उपज के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल सका। सरकार द्वारा सूखे नारियल या कोपरा की खरीद का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा है। इन सब कठिनाइयों और मानसून की न आने से उत्पन्न वर्तमान भयंकर सूखे से किसानों को भारी वित्तीय हानि हुई है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से प्रत्येक सूखे और मृतप्राय: पेड़ के लिए मुआवजे के रूप में प्रभावित किसानों को 1000 रुपये दिए जाने का अनुरोध करता हूं ताकि वे नए पौधे लगा सकें।

कोयम्बटूर और इरोड जिलों में कई स्थानों में मानसून न आने के कारण पेय जल का अभाव हो गया है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि कोयम्बटूर और इरोड जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और इस सूखे को बाढ़, तूफान, भूकम्प आदि जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समान मानते हुए इन जिलों में युद्ध स्तर पर सभी उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

इसका एक मात्र स्थायी समाधान यह है कि केन्द्र सरकार कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, वैगाई और पेरियार जैसी दक्षिणी

[डा. सी. कृष्णन]

नदियों को जोड़ने के लिए कदम उठाए ताकि सम्पूर्ण दक्षिण भारत में आगामी पीढ़ी के लिए पीने और सिंचाई हेतु हर समय पर्याप्त जल उपलब्ध रहे।

लगभग एक माह पूर्व, 28 जून, 2002 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र, पोल्लाची में हमने किसानों की एक विशाल रैली की थी। माननीय, श्री वैको, संसद सदस्य और एम.डी.एम.के. पार्टी नेता ने सफलता पूर्वक रैली का नेतृत्व किया। यह दुर्भाग्य है कि अब तमिलनाडु सरकार द्वारा आतंकवाद निवारक अधिनियम के दुरुपयोग करने के कारण वे जेल में हैं।

मैंने अपने निवार्चन क्षेत्र में सूखे की स्थिति का वास्तविक चित्र पेश किया है, मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मेरे निवार्चन क्षेत्र में किसानों ने लगभग चार लाख नारियल के पेड़ खो दिए है। मैं केन्द्र सरकार के द्वारा इसके लिए मुआवजा दिए जाने का अनुरोध करता हूं और राज्य सरकार को कोयम्बटूर और इरोड को सूखाग्रस्त जिले घोषित करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. आई.जी. सनदी (धारवाड़ दक्षिण): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ और सूखाड़ की स्थिति पर सदन में हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया। मैं एक बात करना चाहता हूं-

"अशोक वृक्ष की छाया में,
सशोक सीता को पाया था।
आज अशोकचक्र के ध्वज के नीचे,
सशोक किसानों को देख रहा हूं।"

आकाश की ओर नजरें लगाए, सूखे खेत, बरबादी के कगार पर आज किसान खड़ा हुआ है। आकाश की ओर उसकी आशा भरी नजरे लगी हुई हैं। किसान के द्वारा बोए हुए बीज, मेहनत और खून-पसीना आज बरबाद हो गया है। किसान देश का अन्नदाता है और उस अन्नदाता के ऋण को हम सात जन्म तक भी अदा नहीं कर पायेंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, श्री नेहरु जी के शब्दों में-

"किसान अन्नदाता है।
मैं उसका ऋण चुका नहीं पाता हूं।
जब मैं दुनिया से चल बसुंगा,
जब मुझे चिता पर जलाया जाएगा,
तब मेरे शरीर से जो राख बनेंगी,
उस राख को देश के किसानों के खेत में जोत देना,

इतने महान उनके विचार थे। लेकिन किसान की हालत आज नाजुक है। इस समस्या पर पूरा सदन गम्भीरता से चर्चा कर रहा है। मैं पूरे देश की स्थिति के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कृषि मंत्री जी का ध्यान कर्नाटक राज्य की ओर ले जाना चाहता हूं। सन् 2000-2001 में भी 27 जिलों में से 20-25 जिले सूखे से ग्रस्त थे और 140-150 ताल्लुका इसकी चपेट में आ गए थे। इस स्थिति को देखते हुए एक सर्वदलीय दल प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था और उनको 900 करोड़ रुपये की एक योजना भी बना कर दी थी। मिलने के बाद एक टीम वहां गई थी। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए वह राशि नहीं मिली। मैं समझता हूं कि इस बार हालत पिछले साल से ज्यादा खराब है। कृष्णा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वे हिम्मत करके कहीं न कहीं से राशि इकट्ठी करेंगे, लेकिन इसके साथ अगर आपकी मदद मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारी ताकत में और बल आ जाएगा। उन्होंने बहुत कुछ नहीं मांगा है। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में 132 करोड़ रुपए की मांग की है। हार्टिकल्चर में 50 करोड़ रुपए की मांग की है। पीने के पानी के लिए 21 करोड़ रुपए, शहरों में पीने के लिए 17 करोड़ रुपए, स्पेशल न्युट्रीशन के लिए 25 करोड़ रुपए और स्वास्थ रक्षा के लिए 22 करोड़ रुपए और खेती से मिलने वाले रोजगार के लिए 283 करोड़ रुपए-इस प्रकार उन्होंने 553 करोड़ रुपए की मांग की है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस पर रोशनी डाली है। वह जो कुछ आस लगाए बैठे थे, उसका समर्थन किया है। यह बात सचमुच सराहनीय है। हमें जितना धन नैचुरल कैलमिटी फंड से मिलता है, क्या इससे अधिक धन कभी खर्च किया है? हमें एनसीएफ का फंड नहीं मिला है। उसे दिलाने की कृपा करें। वहां तालाब सूखे हैं और किसानों के पास काम नहीं है। हमने फूड फॉर वर्क के लिए बहुत कुछ नहीं मांगा है। आन्ध्र प्रदेश वाले तो 30 लाख टन अनाज लेकर चले जाते हैं। हम आपसे उतना नहीं मांगते हैं। हमारी मांग 8 लाख मीट्रिक टन है। 553 करोड़ रुपए की धनराशि कर्नाटक को देंगे तो वह आपका आभारी रहेगा।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): सदन के माननीय सदस्य चौटाला जी ने देश के अधिकांश भागों में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन और मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित किया। मैं इसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपको विदित है कि मैं 1990 से लगातार इस सदन या उस सदन का सदस्य रहा हूं। इससे पूर्व 1977 से लेकर दो बार विधान सभा का सदस्य रहा। 27 वर्ष के इस राजनीतिक जीवन में शायद ही कोई वर्ष ऐसा गया होगा जब बाढ़ और सूखे या इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की चर्चा न हुई हो।

यह बात सत्य है कि हम चर्चा करते हैं लेकिन आज तक कोई भी दीर्घकालीन योजना नहीं बना पाए। किस प्रकार स्थिति से निपटा जाए इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यह भी सत्य है कि जहां इस देश में हम पहले दो फसलों पर निर्भर थे- रबी और खरीफ लेकिन अब किसान इतने निराश हो चुके हैं कि वे रबी और खरीफ की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते बल्कि तीसरी फसल रिलीफ, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि भारत सरकार जो करोड़ों रुपए रिलीफ के रूप में देती है क्या वह सचमुच पात्र व्यक्ति तक पहुंचता है या नहीं? जब प्राकृतिक आपदा आती है तो कई निजी और समाज सेवा संस्थाएं सेवा करने के लिए आगे आती हैं। उनके द्वारा दिया धन और दूसरी सामग्री इस प्रकार के पीड़ित लोगों तक सही मायने में पहुंचती है या नहीं इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सारी चर्चा से एक बात स्पष्ट हुई है कि सारे देश में एक एनवायरनमैंटल चेंजिस आ गई हैं। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। आपको विदित है कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जिस का क्षेत्रफल 32 हजार स्कवेयर किलोमीटर में फैला है। हिमाचल में आधे से ज्यादा भाग जिस में रोहतांग पास आता है, मुझे बचपन के दिन याद आते हैं जब सारे पर्वत बर्फ से ढक जाते थे और रोहतांग पास 8-9 महीने हिमपात के कारण बाकी देश से कट जाता था। वह 3-4 महीने खुला रहता था। अब स्थिति उल्टी हो गई हैं। अब वह 3-4 महीने बंद रहता है और बाकी समय खुला रहता है। जब रास्ता खुला रहता है तो कभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यह श्रेय लेना चाहती है कि हमने जल्दी सड़क निकाल दी। इसमें दो राय नहीं कि बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर किसी को रास्ता जल्दी खुलने का श्रेय जाता है तो मौसम को जाता है क्योंकि उसमें तबदीली आ गई हैं और बर्फ नहीं पड़ती। हिमाचल जहां अनेक नदियों के स्रोत हैं वह भी सूखे की लपेट में आता है। वहां कभी बादल फटते हैं, कभी बाढ़ आती है। जब मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो कई बार वरदान समझा जाता है क्योंकि वह सिल्ट साथ लाती है और उपज बढ़ती है लेकिन हमारे क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है तो तांडव नृत्य होता है। दो वर्ष पहले किन्नौर में सतलुज नदी में बाढ़ आई तो मेरे इस क्षेत्र में न केवल किन्नौर जिला बल्कि मंडी, कुल्लू, शिमला के अनकों भाग प्रभावित हुए। केन्द्र सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश सरकार राहत कार्यों में सफल हुई।

सभापति महोदय, जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है, कई माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सूखे की चपेट में है। खरीफ फसल की बुवाई मई के दूसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के दूसरे सप्ताह तक होती है। इस वर्ष जो वर्षा हुई है, वह केवल पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत हुई है। आंकड़ों के अनुसार 22 जुलाई तक पिछले साल की तुलना में 324 मि.मी. के स्थान पर केवल 198 मि.मी. हुई है। फसल की बुवाई का काम शुरु नहीं हुआ। यदि कहीं हुआ भी है तो फसल नष्ट हो गई है। हमारा प्रदेश फलों का प्रदेश है जहां सेब का उत्पादन तो होता ही है, अन्य फल भी पैदा होते हैं। फल तो लगे हैं लेकिन सूखे के कारण उनका साइज छोटा हो गया है। आज चारे की इतनी समस्या हो गई है कि फलदार वृक्षों की डालियां काटकर, जिनमें फल नहीं लगे हैं, वे पशुओं को चारे के रूप में दे रहे हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सर्दियों में चारा नहीं होता है। सावन में या भादों में जो घास तैयार होती है, उसे काटकर सर्दियो के लिये इकट्ठा करते हैं क्योंकि सर्दियों में चारा नहीं होता है। अब की फसल तो गई लेकिन सर्दियों में पशुओं के लिए चारा कहां से लायेंगे, अगली सर्दियों में पशुओं को क्या खिलायेगे? यह बहुत बड़ी समस्या है। यही कारण है कि जब कल मंत्री महोदय ने कृषि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था तो हमारे राज्य के कृषि मंत्री जी ने मजबूर होकर कहा था कि एफ.सी.आई. के गोदामों में जो अनाज भरा पड़ा है, जो शायद इन्सानों के खाने के लिये उपयोगी नहीं है, उसमें से 10 लाख टन हिमाचल प्रदेश को देंगे तो कम से कम हम पशुओं के लिए चारे के रूप में दे सकेंगे। मेरे ख्याल से शायद किसी और प्रान्त ने यह मांग नहीं की होगी। उन्होंने यह मांग की थी कि बीज और दूसरे अन्य उपकरणों पर हमें सबसिडी किसानों को देनी है। यहां बात की गई कि 113 हैंड पम्प्स लगेंगे ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

सभापति महोदय: क्या सरंक्षण चाहते हैं।

श्री महेश्वर सिंह: सभापति महोदय, 27 वर्ष की राजनीति के बाद अपना नाम आप तक पहुंचाने के लिए कइयों का कृपापात्र बनना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है। कृपया मुझे 2 मिनट का समय और दीजिये। हिमाचल प्रदेश में 5 लाख टन फल का उत्पादन होता है लेकिन इस वर्ष 3 लाख 37 हजार टन रह जायेगा। फल उत्पादन करने में कितना पैसा खर्च होता है, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन आप भली-भांति जानते हैं कि सावन के महीने में यह हालत है कि ट्रक पानी ढोकर लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। पानी के स्रोत सूख गये हैं। पानी की विभाषिका पहले कभी देखने को नहीं मिली है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। आज तो विज्ञान का युग है। एनवायर्नमेंटल चेंजेज क्यों आ रहे हैं, इसका उल्लेख कुछ माननीय सदस्यों ने यहां किया। इसका कारण वनों की कमी है। इसलिये जब पहाड़ों में बाढ़ आती है तो वहां तबाही मचती है। जब बादल फटते हैं तब भी तबाही होती है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह बात भी सही है कि वन महोत्सव मनाया जाता है लेकिन कागजों पर बताया जाता है कि

[श्री महेश्वर सिंह]

इस वर्ष इतने पौधे लगाये गये लेकिन उन में से कितने पौधे सरवाइव कर गये, ये आंकड़ें नहीं आते। रोपे गये पौधों में से कितने टिक पाये और उन से कितने वन तैयार हुये, इसका पता नहीं चलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां वन महोत्सव पर करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं, वहां इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिये की रोपे गये पौधो में से कितने पौधे सरवाइव करते हैं। जो व्यक्ति वन विभाग में अच्छा काम करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिये और जो खराब काम करते हैं, उनके लिये दंड की व्यवस्था की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, यह सत्य है कि सॉयल कंजर्वेशन एक्ट, 1980 में आया जिसका मूल उद्देश्य यह था कि यदि विकास कार्यों के लिये कहीं वन काटना आवश्यक हो जाये तो वन विभाग संबंधित विभाग को इतना पैसा दे दे कि उनके बदले में वह वन तैयार कर सके। यही नहीं, जितनी विद्युत परियोजनायें तैयार हो रही है, निजी क्षेत्र की कम्पनियां करोड़ों रुपया देती हैं ताकि जितने वन नष्ट होते हैं, उतने वन और लगाये जायें। लेकिन यह भी सत्यता है कि 1980 का एक्ट आज विकासात्मक कार्यों में हमारे लिए जानलेवा सिद्ध हो रहा है। चाहे वह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे कोई अन्य योजना हो, लेकिन जितना पैसा वन विभाग को दूसरे विभाग देते हैं, वह पैसा उसी डिवीजन में वन रोपण पर खर्च होना चाहिए। लेकिन वह पैसा उसमें खर्च न होकर कंसोलीडेटिड फंड में चला जाता है। फलस्वरूप वनों का जो कटान होता है, उसके बदले वन नहीं लग रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जहां भी किसी वन मंडल में कोई जंगल विकासात्मक कार्यों के लिए कटता है, उसके बदले में जो धन विभाग को मिलता है, वन धन उसी मंडल में वन रोपण पर लगाया जाए।

सभापति महोदय, यहां एक बात बार-बार राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा रिलीफ फंड के बारे में कही गई, उस पर मेरा कहना है कि उसमें भी समानता लाने की जरूरत है। जब कहीं पर राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा घोषित की जाती है, अगर वहां किसी व्यक्ति की जान चली गई तो उसे एक लाख रुपये मिलते हैं। लेकिन प्रदेश सरकारों के पास धनाभाव के कारण कहीं 25 हजार और कहीं 50 हजार रुपये मिलते हैं। यही नहीं आज अगर किसी की जान बच जाए और उसका सर्वस्व चला जाए तो उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर जान चली जाए तो 50 हजार रुपये मिलते हैं। इसलिए उस व्यक्ति को यह रिलीफ भी मिलना चाहिए।

अंत में, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यहां पर इस सदन के माननीय सदस्य श्री उमारेड्डी जी ने एक बात कही कि सरकार ने कहा है ऐसी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए नेशनल कैलामिटी डिसास्टर मैनेजमैन्ट समिति बनाई जायेगी, जितनी जल्दी इसका गठन हो, उतना अच्छा रहेगा। इस पर मेरा सुझाव है कि समिति को इस प्रकार के अधिकार होने चाहिए जिस प्रकार से इलैक्शन कमीशन को होते हैं। सारे कर्मचारी राज्य सरकार के होते हैं, लेकिन इलैक्शन के दौरान एक पटवारी भी, एक छोटे से छोटे कर्मचारी की जवाबदारी सीधे कमीशन की तरफ होती है और प्रान्तीय सरकारों के माध्यम से अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के इस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, ताकि कोई भेदभाव न कर सके और यह कमेटी उन अधिकारों का उपयोग करते हुए इस बात को सुनिश्चित करे कि जो पात्र व्यक्ति है, उस तक ही रिलीफ पहुंचे।

अंत में, एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जहां तक यह कहा जा रहा है कर्जा माफ किया जाए। आपको इस बात का अनुभव है कि पहले भी एक बार दस हजार रुपये तक के किसानों के कर्जे माफ किये गये थे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या शरारत की कि सरकार ने घोषणा कर दी, सरकार ने यह कहा कि जो व्यक्ति किस्त दे गये, वे देने में सक्षम है, उसे पूरा पैसा वसूल लिया गया। लेकिन जो चालाक लोग थे, जिन्होंने एक भी किस्त नहीं दी, उनके कर्ज माफ कर दिये। इसलिए यदि आप माफ करने की स्थिति में हैं तो या तो आप उन लोगों के भी कर्जे माफ करिये, जिन्होंने किस्त दी हैं। अन्यथा यही होगा कि जो चालाक और चुस्त लोग हैं, वे सारा का सारा कर्ज माफ कराकर बैठ जायेंगे और जो ईमानदारी से सरकार को ऋण वापिस देना चाहते हैं, वे भुगतेंगे। यदि आप ऐसा कर दें तो उचित रहेगा। या तो सबके माफ करने हैं तो ठीक है, अगर ये माफ नहीं हो सकते हैं तो कम से कम उसके ऊपर ब्याज को समाप्त किया जाए, ताकि वे लोग मूलधन लौटा सकें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय: श्री रमेश चंद तोमर, माननीय सदस्य के भाषण को प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए।

***डा. रमेश चंद तोमर** (हापुड): माननीय सभापति जी, मुझे सूखे के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का आपने मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। यह संसद का मानसून सत्र है, पर देश से मानसून गायब है। वर्षा न होने के कारण पूरे देश में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

सभापति जी, हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। देश की 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। आज हमारे देश का किसान परम्परागत श्रोतों पर निर्भर है, जिसमें वर्षा का जल सबसे प्रमुख है। नियमित वर्षा न होने के कारण पूरे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देश में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मानसून की देरी से समूचा उत्तर भारत सूखे की चपेट में आ गया है। उत्तर प्रदेश, म.प्र., छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में वर्षा न होने के कारण न केवल वहां का किसान बल्कि बढ़ते तापमान से आम आदमी भी परेशान है। आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। धान की बुवाई रुक गई है।

सभापति जी, आषाढ़ का महीना खत्म हो गया है लेकिन वर्षा के नाम पर अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। खेत सूखे हैं, किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। वर्षा न होने के कारण धान की फसल पिछड़ रही है। कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय फसल भविष्यवाणी केन्द्र के मुताबिक देश में 406 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में धान की बुवाई की जाती है, किंतु इस साल तक सिर्फ 20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में धान की बुवाई हो पायी है।

माननीय सभापति जी, मानसून की देरी से सबसे बड़ा झटका मोटे अनाज के उत्पादन को लगता नजर आ रहा है। देश में इस साल जून के अंत तक 4.18 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज की बुवाई हुयी है जबकि पिछले साल इसी समय में 10.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुयी थी। यह इस बात को प्रकट करता है कि पानी की कमी के कारण, वर्षा न होने के कारण यह जबरदस्त अंतर आया है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम दिखायी देंगे। इस बात की कल्पना करके डर लगता है कि क्या होने वाला है।

माननीय सभापति जी, जब हम मौसम विज्ञान के संदर्भ में विचार करते हैं और मौसम के बारे में सामान्य रूप से जानकारी प्रदान करते रहते हैं। उनकी यह जानकारी देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। मौसम विभाग ने अब तक जो भविष्यवाणी की है, उनमें से ज्यादातर गलत साबित हुयी है। ऐसे में हमे ध्यान आता है घाघ का। घाघ बहुत बड़े मौसमी विज्ञानी थे। पर्यावरण के संबंध में उनकी कवितायें बड़ी प्रचलित हैं और उनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा सही साबित होती हैं। उनकी एक कहावत है, जिसको हमने देखा है और आप भी अगर आंकलन करें तो सही साबित होगी। उनका कहना है कि:-

दिन को बद्दर, रात निबद्दर, बहे पुरवइया झब्बर-झब्बर,
घाग कहे हम होय वियोगी, कुआं खोदकर धोयें धोबी।

अर्थात दिल में बदली हो, रात में मौसम साफ हो तथा पुरवाइया चलती है तो आम किसान बड़ा चिंतित हो जाता है कि आगे आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला है तथा सूखा होने वाला है। इसी के आधार पर किसान अपनी फसल बोता था तथा अपनी फसल के बारे में सुनिश्चित दिशा निर्धारित करता था। इसी में घाघ ने यह भी कहा है कि बरसात कब होती है। घाघ की सोच पर्यावरण संबंधी ज्यादा थी इसलिए उन्होंने यह कहते हुए संकेत दिया है कि

घेले ऊपर चील जो बोले, गली-गली में पानी डोले

अर्थात् जो चील पक्षी है वो किसान के खेत की मिट्टी के धुहे पर बैठकर जब बोलती है तो यह समझना चाहिए कि जबरदस्त वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार जब वृक्ष पर गिरगिट चलता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि-

उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़ें, वर्षा होय भूमिजल बुढ़ै।

अर्थात् अगर वृक्ष पर गिरगिट पीछे से ऊपर चढ़ता है तो समझना चाहिए की जबरदस्त वर्षा होगी और यह हमेशा सच होता है। आज भी गांव के लोग इस बात का आकलन करते हुए कहते हैं कि यह होने वाला है। पर्यावरण विज्ञानी घाग लोक भाषा के माध्यम से गांवासियों को मौसम के बारे में योग्य जानकारी देते रहे। अगर उसका सुमुचित तौर पर सदुपयोग किया गया होता तो आज ऐसी हालत न होती। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मौसम विज्ञान के लोग यह घोषणा करते रहे कि मानसून आने वाला है- मानसून आने वाला है लेकिन मानसून नहीं आया और कम वर्षा होने के कारण पूरी उत्तरी भारत सूखे का शिकार हुआ।

म.प्र. में सूखे की स्थिति और भी बद्तर है। बारिश न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। भोपाल में जल संकट की गंभीरता का अंदाजा बड़ी झील के पास पहुंचने से हर किसी को हो जाता है। जिस मजार पर पहुंचने के लिए नाव पर जाना पड़ता था वह सूख कर पर्यटन स्थल का रूप ले चुकी है। भोपाल में इस बार जून में 114 मि.मी. बारिश हुयी है जबकि पिछले साल इसी जून में 276 मि.मी. बारिश हुयी थी। भोपाल के जल स्रोत, बड़े तालाब और गोलाब बांध का जलस्तर नीचे पहुंचने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है।

माननीय सभापति जी, मैं उ.प्र. से सांसद हूं। उ.प्र. के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड समेत 48 जिले सूखे की चपेट में हैं, जिसमें 40 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुयी है और 8 जिलों में सामान्य वर्षा हुयी है। कम वर्षा होने के कारण जानवरों के चारे और पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। उ.प्र. में न केवल धान बल्कि 75 फीसदी खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है और 70 फीसदी खेती का कार्य ठप्प हो गया है।

*कार्यवाही वृन्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रमेश चन्द तोमर]

सभापति महोदय, उ.प्र. की स्थिति बड़ी भयावह है। जालौन में 100 फीसदी फसल नष्ट हो गयी है। आगार में 96 फीसदी फसल की बुवाई नहीं हुयी है। बुंदेलखंड सर्वाधिक संकट में है। हमीरपुर में 90 तथा महोबा में 84 फीसदी फसल नष्ट हो गयी है। पूर्वांचल की स्थिति भयावह है। पूरे उ.प्र. में हाहाकार मचा हुआ है। स्वयं कृषि मंत्री जी ने 20 जुलाई को लखनऊ में यह स्वीकार किया है कि पूरा उ.प्र. सूखे की चपेट में है और सूखाग्रस्त घोषित होना चाहिए। लेकिन उ.प्र. सरकार ने केवल 15 जिलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया है। पूरे पश्चिमी उ.प्र. में बारिश नहीं हुई है लेकिन पश्चिमी उ.प्र. के सिर्फ तीन जिले सूखाग्रस्त घोषित किये हैं, जिससे लगता है कि सूखाग्रस्त करने में भी रणनीति हो रही है।

माननीय सभापति जी, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा उ.प्र. सूखे की चपेट में है तथा हाहाकार मचा हुआ है और वहां के अधिकारी सूखे से निपटने में लापरवाही बरत रहे हैं। अभी तक जिलों से प्रदेश सरकार को सूखे की रिपोर्ट नहीं भेजी गयी है, जिससे प्रदेश सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है। मेरा मानना है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि अपने प्रभाव का उपयोग करके पूरे उ.प्र. को सूखाग्रस्त घोषित करायें और किसानों से सभी वसूलियां स्थगित करायें।

सभापति जी, उ.प्र. में सूखे से हाहाकार मचा हुआ है। बुंदेलखंड में 65 फीसदी कम वर्षा हुयी है। पश्चिमी उ.प्र. में 55 फीसदी और मध्य उत्तर प्रदेश में 51 प्रतिशत कम वर्षा हुयी है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड और उ.प्र. के भूमिगत जल विभाग के एक सर्वेक्षण के अनुसार उ.प्र. के 70 जिलों में से 29 जिलों के भूमिगत जलस्तर में काफी कमी आयी है तथा यह काफी नीचे चला गया है। इन 29 जिलों में से 13 जिलों की हालत अत्यंत गंभीर है, उन्हें गाजियाबाद व मेरठ शामिल है। हैंडपंप खराब पड़े हैं तथा नलकूप सूख गये हैं। इन जिलों में पेयजल संकट पैदा हो गया है तथा जानवर पानी व चारे के लिए तड़प रहे हैं। सरकार को स्थिति से निपटने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

सभापति महोदय, उत्तरी भारत के 5 राज्यों में मवेशी सूखे से तड़प रहे हैं। जंगलों में पशु व जानवरों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सूखे के कारण अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ेगा। उ.प्र., राजस्थान और पंजाब, जिसमें कृषि उत्पादन ज्यादा होता है, उस पर भी असर पड़ेगा। पिछले वित्त वर्ष में काफी नाजुक स्थिति होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी। इसका मुख्य कारण बेहतर कृषि उत्पादन था। मानसून की देरी के कारण न केवल कृषि पर बल्कि कृषि आधारित उद्योगों पर भी असर पड़ेगा।

माननीय सभापति जी, पिछले साल इसी मानसून सत्र में सदन में बाढ़ की विभीषिका पर चर्चा हुयी थी। इस बार सूखा की स्थिति पर चर्चा हो रही है। सूखे पर चर्चा हो, या बाढ़ पर चर्चा हो, माननीय सदस्य कुछ सुझाव देकर सरकार की आलोचना करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं और तसल्ली कर लेते हैं। मेरा मानना है कि इससे काम चलने वाला नहीं है। सूखे और बाढ़ की स्थिति जैसी समस्याओं से निबटने के लिए स्थायी रणनीति बनायी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि सूखे से निबटने के लिए दो तरह की रणनीति बनायी जाये। एक दीर्घकालिक और दूसरी अल्पकालिक। दीर्घकालिक रणनीति के तहत सरकार को देश की सभी बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए प्रसिद्ध दस्तूर योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसे बहुत खर्चीली कहकर खारिज कर दिया था। मेरा विचार है कि आज हजारों करोड़ रुपये खर्च करके सूखे और बाढ़ के प्रकोप से मुक्ति पायी जा सके तो यह महंगा सौदा नहीं है क्योंकि हर साल सरकार सूखे और बाढ़ के निदान के लिए हजारों करोड़ों रुपये खर्च कर देती है। शुरुआत में हम कुछ गिनीचुनी नदियों को जोड़कर प्रयोग करें।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव है कि सूखे से निपटने के लिए केन्द्र मे एक स्थायी मशीनरी स्थापित की जाये। केन्द्रीय सूखा आयोग या प्राधिकरण जैसा स्थायी संगठन बनाया जाये, जो सूखे और बाढ़ की स्थिति पर बराबर नजर रखे और उससे निपटने के लिए कारगर कदम उठाये।

माननीय सभापति जी, जब सूखे की स्थिति पैदा होती है। तो किसान की फसल भी नष्ट हो जाती है और खेती का कार्य भी ठप्प हो जाता है। खेतों में कार्य करने वाले करोड़ों मजदूर बेकार हो जाते हैं तथा उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ता है। अत: उनकी परेशानी तुरंत दूर करने के लिए अल्पकालिक उपाय किये जायें। उनमें सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम जैसे सूखा राहत योजना, काम के बदले अनाज योजना के जरिये उनको लाभ दिया जाये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा): सभापति महोदय, ड्राउट और फ्लड के बारे में जब भी सदन में चर्चा प्रारंभ होती है, निश्चित रूप से किसानों की समस्याओं पर चर्चा होती है और सरकार भी जवाब दे देती है। लेकिन इतनी बार जवाब देने के बाद अभी तक इस समस्या का निदान नहीं हो पाया है। मैं अधिक न बोलते हुए इतना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): सभापति महोदय, श्री जितेन्द्र रेड्डी अपना लिखित भाषण सबमिट करना चाहते है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: सर, मैं अपनी स्पीच ले नहीं करूगां, मैं इसे पढ़ूंगा।

सभापति महोदय: आप सदन का समय नष्ट मत कीजिए।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, जो पहले निर्णय लिये गये थे, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां सदन में किसानों के लिए बड़ी-बड़ी करोड़ों रुपये की योजनाएं लाई गई, लेकिन वे योजनाएं पूरी नहीं हो पाई। सारे देश में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या पैदा हो गई है। मैं झारखंड के बारे में कहना चाहता हूं कि उसके बारे में सरकारी सूचना नहीं दी गई है जबकि झारखंड राज्य के 22—भदई फसल जिलों में वर्षा के अभाव के कारण धान की रोपनी नहीं हो पाई है। वहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहां दलहन और तिलहन की भी बुआई नहीं हो पाई। निश्चित रूप से सरकार को उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार से देखना चाहिए।

मैं किसानों के बारे में कह रहा था कि सरकार की कई योजनाएं पहले से चल रही है, जैसे किसान को ऋण देने की व्यवस्था बैंकों से की गई है लेकिन आप देखें तो कोई भी बैंक किसानों को ऋण नहीं देता है और किसान उस ऋण से वंचित रह जाते हैं। पिछले सरकारों ने 10000 रुपये किसानों के ऋण माफी की घोषणा की। किसान समझा कि ऋण माफ हो गया पर ऋण क्या माफ हुआ? अभी सूद सहित 50000 रुपये का वारंट उस पर आ गया है। मत्री जी इसकी समीक्षा करें और जो घोषणा सरकार ने की उसको पूरा करे क्योंकि किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। जो उन पर सूद की रकम है कम से कम उसको ही माफ करने की कोशिश करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की अनेक योजनाएं हैं। गांवों में पेयजल की समस्या के लिए जितनी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है, अभी तक कहीं कारगर ढंग से काम नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि कम से कम उस पैसे का थोड़ा अंश हैन्डपंप पर लगाने के लिए दे दें ताकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। एक बात मैं और सिंचाई से संबंधित कहना चाहता हूं। जो बड़ी-बड़ी योजनों पेन्डिंग हैं, मेरे झारखंड क्षेत्र में भी कोइलकारों, केसों, पेंचखेरों योजनाएं हैं। इसके अलावा कोनार डैम की स्कीम पेन्डिग है। उससे भी किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे चैक डैम की और कुएं बनाए। अगर ऐसा करेंगे तो तत्काल लाभ होगा। बांध बनेगा 10-20 सालों में। अभी पुराने नहीं बन पाए, नए कहां बनेंगे? बीच में जंगल डिपार्टमेंट से और कई तरह की समस्याएं आती हैं। छोटी स्कीमों में समस्याएं कम उत्पन्न होती हैं।

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं जिससे किसानों की समस्या का निदान हो सकता है। आपने किसानों के लिए क्रैडिट कार्ड बनाए हैं और ऋण देने की व्यवस्था कर दी। आप उसको देखने की कोशिश करें कि जो घोषणा की गई क्या वह इंप्लीमेंट हो रही है? कागजों पर ही सब रिपोर्ट सही होती हैं पर हम लोग जब जिले में जाकर समीक्षा करते हैं तो कहीं कोई बात नहीं होती। इस देश को मंत्री जी से बहुत उम्मीद है। आप सांसदों और अधिकारियों को उनके क्षेत्र में भेजें कि इसको चैक करें। अगर लाभ नहीं हो रहा है तो ऐसी स्कीम्स का क्या फायदा है? क्रैडिट कार्ड और फसल बीमा योजनाएं कारगर नहीं हो पा रही हैं। आप इसकी जांच कराएं कि कहां व्यवस्था में कमी है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो मौसम विभाग है, उसके चलते देश भ्रमित हो गया है कि आज वर्षा होगी कल वर्षा होगी। किसानों ने बीज लगा दिये। वर्षा नहीं हुई और सब बीज सूख गए, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई। इसकी भी आप जांच कराएं कि इस तरह से मौसम विभाग के लोग गलत रिपोर्टिंग करते हैं।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूब नगर): सभापति महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैने सोचा था कि आप मुझे बोलने का अवसर नही देंगे क्योंकि मुझसे प्रत्येक सदस्य अपने पत्र सभा पटल पर रखने के लिए कह रहा था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सूखे की स्थिति पर बात करने के लिए 12 बजे से बैठा हूं। मेरी धर्मपत्नी एक पार्टी में जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही है।

महोदय, आज हम सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। हम आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से आते है, वहां कभी भी बाढ़ नहीं आती है।

जैसा कि आप जानते हैं कि सिंचाई आयोग ने 1972 में देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाया था। बीस वर्षों में हुई सामान्य वर्षा से कम वार्षिक वर्षा, परीक्षित कुल वर्षों में से और कृषि क्षेत्र के 20 प्रतिशत से कम सिंचित क्षेत्र। इसलिए, दुर्भाग्यवश तेलंगाना क्षेत्र में 1901 से लेकर अब तक हम इस मानदंड की पूर्ति नहीं कर सके हैं, प्रत्येक बार यह सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड से कम ही रहता है। वर्षा घटकर 650 मिलीमीटर से 530 मिलीमीटर तक आ गई है और तेलंगाना क्षेत्र में हमेशा ही सूखे की स्थिति बनी रहती है।

[श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी]

भू-जल का स्तर तीन मीटर से घटकर 30 मीटर तक आ गया है। जैसाकि आप जानते है आन्ध्र प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है। वे बहुत गरीब किसान है, उनके पास अन्य कोई साधन नहीं है। प्रत्येक वर्ष वे आशा करते हैं कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, वे बैंक जाकर ऋण लेते हैं अपने खेत जोतते है, बीज बोते है और वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हर वर्ष असफल रहते है और इन वर्ष-दर-वर्ष इनका ब्याज भुगतान एकत्र होता जाता है। वहां सभी किसानों का बुरा समय चल रहा है। लेकिन यही एकमात्र ऐसा पेशा है जिसमें वे कार्य कर सकते हैं क्योंकि पुरखों के समय से ही वहां कृषि पेशा चलता रहा है इसलिए वे इसे नहीं छोड़ सकते है।

हमारे मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू द्वारा राज्य को 'हाईटेक' की ओर ले जाने के पश्चात् कुछ लोगों ने अपने व्यवसाय को भी 'हाईटेक' की ओर ले जाने का प्रयास किया। हमने आंध्र प्रदेश से काफी साफ्टवेयर का निर्यात करना भी प्रारम्भ कर दिया है। दुर्भाग्य से 11 सितम्बर के पश्चात् बुरा समय शुरू हो गया था क्योंकि साफ्टवेयर का निर्यात रुक गया था जो किसान अपने बच्चों को कृषि व्यवसाय से बाहर रखने हेतु उन्हें शिक्षित बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उन्हें उससे कुछ नहीं मिल रहा था और जिन्होंने अपने बच्चों को साफ्टवेयर इंजीनियर बनाया था उन्हें भी यहां विफलता ही मिली क्योंकि उनके बच्चे पुन: उन पर बोझ बन गए है।

इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सूखे की स्थिति हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, कुछ उपाय करने पड़ेगें। बहुत से राहत कार्य किए गए हैं हर बार सरकार कुछ राहत संबंधी कार्यक्रम चलाता है। हाल ही में एक कार्यक्रम चल रहा है वह है: काम के बदले अनाज। केन्द्र सरकार योजना लाती है तो हम संसद सदस्य संसद में इतनी देर तक बैठकर राज्यों को कुछ देने हेतु कुछ नीतियां बनाने का प्रयास करते हैं। आंध्र प्रदेश केंद्र से कोई योजना लेने में प्रथम नम्बर पर है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह इसे लागू भी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 30 लाख टन खाद्यान्न उठाया और दावा किया कि वह खाद्यान्न की इतनी मात्रा उठाने में पहले नम्बर पर हैं। परन्तु यह गरीब कृषकों तक कभी नहीं पहुंचा। मैं मांग करता हूं कि एक केंद्रीय समिति होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि केंद्रीय समिति को राज्यों में आकर स्थिति का आकलन करना चाहिए। पहले के ग्रामीण विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू एक जवाबदेही जांच कराने जा रहे थे। वह कह रहे थे कि प्रत्येक गांव में एक सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड रखा जाना चाहिए जिस पर चलाई जा रही योजना का उल्लेख होना चहिए। बोर्ड पर गांव को मिलने वाली राशि का उल्लेख होना चाहिए, और योजना के अंतर्गत कितना धन वितरित किया गया, यह भी बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। परन्तु इस प्रकार की जवाबदेही संबंधी जांच आज तक नहीं की गयी।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र मेहबूबनगर के सामने आ रही समस्याओं की बात करता हूं। यह तेलंगाना क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला है जिसकी कुल क्षेत्र 18.4 लाख हैक्टेयर है।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर दो नदियां गुजरती हैं, एक हैं तुंगभद्रा और दूसरी कृष्णा, ये दो नदियां मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 275 किलोमीटर तक गुजरती हैं। परन्तु दुर्भाग्य से हम 17 टी एम सी जल का भी उपयोग नहीं कर सकते। महोदय, 811 टी एम सी जल मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर जाता है। यह श्रीसेलम तथा प्रकाशम तक जाता है। परन्तु हम 17 टी एम सी जल भी उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भंडारण टैंक नहीं है। राष्ट्रीय जल नीति में कहा गया है कि पहले कृष्णा बेसिन का उपयोग किया जाना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से मेरे जिले में कोई जलाशय नहीं है। सभी सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं। हमने बहुत सारे अभ्यावेदन दिए हैं। सभी किसान यहां आए और प्रधानमंत्री से भी मिले परन्तु कुछ नहीं हुआ। मैं जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेहबूब नगर सिंचाई परियोजना का अवलोकन करें क्योंकि यह प्रवेश द्वार है जहां से कृष्णा नदी कर्नाटक से मेहबूब नगर जिले में प्रवेश करती है। फिर यह विजयवाड़ा तक जाती है। वहां हमने कोई परियोजना नहीं चलाई।

कोई पीने का पानी नहीं है। जब हम अपनी कारें चलाते हुए निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो हम कम्पनियों द्वारा बनाये गये रंगीन बर्तन देख सकते हैं। वे नल के पास पंक्ति में रखे रहते हैं। वे आशा करते हैं कि उन्हें नल से कुछ पानी मिलेगा। जब भी हम गांवों में जाते हैं तो हम एक गिलास पानी मांगते हुए शर्म महसूस करते हैं क्योंकि हम स्वयं देखते हैं कि नल के पास एक कि.मी. लम्बी लाइन लगी हुई है।

मैं जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि सिंचाई परियोजनाओं की मदद करें। इसे राहत सम्बन्धी कार्यक्रम चलाने चाहिए। राज्यों को जो भी आवंटन किया जाता है उसकी उचित रूप से निगरानी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की जरूरत मंदों को इसका लाभ मिले। यह काफी नहीं है कि समाचार पत्र कहते हैं कि इन-इन राज्यों ने इतना उठा लिया है। हमें देखना चाहिए कि यह कहां गया; किसकी जेब में गया।

हमारे पास आधुनिक प्रौद्योगिकी है। हम इतनी चीजों पर कार्य कर रहे हैं। जैसा कि श्रीमती सुधा यादव ने कहा, हम कच्चे तेल के लिए ओमान से भारत तक पाइपलाईन बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इराक और भारत के बीच पाइपलाईन बिछाने का

प्रयास कर रहे हैं। हम इस मामले में भी नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? मैं कठिनाइयां समझ सकता हूं। जब मैं 25 वर्ष तक विदेश में था, जब वहां बिल्कुल वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने कृत्रिम वर्षा प्राप्त करने के लिए बादलों में सिल्वर आक्साईड का प्रयोग किया। वे कृत्रिम वर्षा कराते थे ताकि इसका कम से कम पीने के पानी हेतु उपयोग किया जा सके। भूमि-जल स्तर भी ऊपर आ सकता है। मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया यह देखें कि इस सूखा पीड़ित देश को बचाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग किया जा सकता है। मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं अपना भाषण पटल पर भी रखना चाहता हूं, जैसा कि श्री किरीट सोमैया चाहते थे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जब इन्होंने अपना भाषण दे दिया है तो फिर अपने भाषण को दुबारा ले करने की क्या जरूरत है।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): माननीय सभापति महोदय, मुझे देश की सूखे और बाढ़ की स्थिति पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मानसून अक्सर देश में नहीं आया है। इससे पंजाब राज्य की बहुत बर्बादी हुई है जो भारत का खाद्य भण्डार और खेती खलिहान राज्य है। पंजाब में स्थिति इतनी खराब है कि बागवानी विफल हो गई है और दुधारू पशु मर रहे हैं। किसान यह देखकर कि वे पशुओं को भोजन नहीं दे सकते, अपने पशुओं को सहारनपुर के कसाईखानों और कसाईयों को बेच रहे हैं। वन भूमि भी सूख रही है। वनों में पानी के बिना वन्यजीव मर रहे हैं। बासमती चावल, जो कि प्रमुख नगदी अर्जित करने वाली और विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली है, फसल है, बोयी नहीं गयी है। डेयरी कृषि भी समाप्त हो गई है। आधार के फल पेड़ों से गिर रहे हैं। पंजाब का किसान अपने को इतना बर्बाद हुआ महसूस कर रहा है कि वह आत्महत्या कर रहा है। हम उसका क्या हल निकाल सकते हैं? पंजाब किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकता। केंद्र सरकार को इन मामलों में हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। 1947 से देश ने इस्लामी देशों के साथ अव्यवहारिक तथा अनुत्पादक विदेश नीति अपनायी है जिसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब में बागा और हुसैनीवाला में इस्लामी देशों के साथ हमारी सीमाएं लगातार बंद हैं। हम पाकिस्तान की प्राकृतिक गैस और बिजली के बदले अपने कृषि उत्पादों का व्यापार नहीं कर जिनका कि हम आयात कर सकते हैं। यदि सीमाएं खुली हों तो हम अपने कृषि उत्पादों को इस्लामी देशों तक मध्य एशियाई गणराज्यों में बेच सकते हैं।

विदेश नीति में सामंजस्य की कमी के कारण रक्षा नीति में भी कुछ कमियां हैं। जब से पंजाब की सीमाओं पर भारतीय सेना तैनात की गई है तब से पिछले आठ माह से हमारे किसान सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारे तीन सीमावर्ती जिलों अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर में कृषि भूमि है और उनमें भारतीय सेना रह रही है। यह उन्हें फसल नहीं उगाने देती है। धान की खेती बंद हो गई है। सीमा पर बिछाई गई बारूदी सुरंगे पंजाब में कृषि कार्यों में रूकावट पैदा करती हैं। सीमा सुरक्षा बल किसानों को जीरो लाईन पर भूमि जोतने नहीं देती। हमें इसके लिए मुआवजा चाहिए। सिंधु जल संधि जिस पर वर्षों पहले हस्ताक्षर किए गए थे, ने पाकिस्तान को तीन नदियों-सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी लेने की स्वच्छंद शक्तियां दे दी। परन्तु रावी, व्यास और सतलुज नदियों का जल भारत के पंजाब का हिस्सा है, पाकिस्तान में रिस कर पहुंच जाता है। हमें इन नदियों पर बांध और जलाशय बनाने के लिए केंद्रीय सहायता की जरूरत है ताकि हम बाढ़ के पानी का संरक्षण कर सकें और उसे पाकिस्तान में न जाने दें। उनका पंजाब में उपयोग किया जा सकता है और अतिरिक्त पानी दिया जा सकता है। इस समय पंजाब से राजस्थान और हरियाणा में जाने वाला पानी भारत के संविधान के अनुसार नहीं है।

सूखे की स्थिति के बहाने इस सभा में सुझाव दिए गए हैं कि जल राज्य का विषय है, यह संवैधानिक व्यवस्था समवर्ती सूची में की जानी चाहिए। हम संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। हम तट संबंधी सिद्धांतों को अन्य राज्यों के हक में परिवर्तित करने के विरूद्ध हैं। हमारे पास अपने राज्य के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। इसलिए, हम इसे किसी पड़ौसी राज्यों को नहीं दे सकते हैं। अत: हम संविधान में परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं। पानी राज्य का विषय है। हम चाहते हैं कि पानी राज्य का विषय रहे।

किसानों को अपने कुएं खोदने के लिए ऋण की जरूरत है क्योंकि जल-स्तर गिर गया है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के सभी ऋणों को माफ कर दे, ठीक वैसे ही जैसे कि इसने उद्योगपतियों का ऋण माफ किया है। जब तक ऋणों को माफ नहीं किया जाता तब तक ऋणों की वापसी नहीं की जानी चाहिए।

पंजाब के सामने और विद्युत प्राप्त करने का प्रश्न है। हमारे पास जल-विद्युत नहीं है। हमारे पास कोयला के भंडार नहीं है। इसलिए, हमें पावर ग्रिड को शक्ति देने के लिए परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा केंद्रों की आवश्यकता है। यूरोप की भांति हमें पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था को बचाये रखने के लिए और परमाणु ऊर्जा की जरूरत है।

[सरदार सिमरनजीत सिंह]

महोदय, हमारे यहां घग्गर नामक नदी है, जो हरियाणा और पंजाब के बीच सीमा बनाती है। हर वर्ष यह हरियाणा और पंजाब की हजारों एकड़ भूमि में बाढ़ ले आती है। यह नदीं, जिसे पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा का भी शोक कहा जाता है, को निष्क्रिय करने और काम में लेने के लिए हम केंद्रीय सहायता चाहते हैं।

महोदय, अपने छोटे भाषण में यह कहना चाहता हूं कि मैं समस्त अकाली दल का प्रतिनिधित्व करता हूं। हम देखते हैं कि कृषि मंत्री कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन्हें कोशिश करनी चाहिए और पंजाब सीमा से सेना को हटाना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ खुली सीमा चाहते हैं और इस्लामी तथा मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, सदन में नियम 193 के अन्तर्गत सूखे और बाढ़ के बारे में बहस हो रही है। इस पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

जुलाई महीने में महाराष्ट्र में ठाणे जिले में दहानू में एक दर्द भरी घटना हो गई। वहां एक दिन में 75 किलोमीटर वर्षा हो गई, जिससे जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि हो गई और मनुष्य हानि भी हो गई। वर्षा और समुद्र ने विकराल रूप धारण किया, जिससे खेती को और मकानों को नुकसान हो गया। आदिम जाति के लोगों का ज्यादा नुकसान हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने नुकसान की जो भरपाई दी है, जो मदद मिली है, मेरी आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी और अर्थ मंत्री जी को विनती है कि यहां से कंद्रीय कमेटी भेजकर वहां ज्यादा मदद दी जाये।

बाढ़ और सूखा निसर्ग आपदा तो हैं, लेकिन सरकार निर्मित और मानव निर्मित भी हैं। जो वर्षा भूमि पर गिरती है, उसका पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। इस पानी को बांधकर खेती के लिए और बिजली के लिए उपयोगी बनाने के लिए सोचना जरूरी है। सदन में सम्माननीय बालासाहेब विखे पाटिल जी बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में सिंचाई की एक कमेटी बनी थी तो उन्होंने मुझे उसका एक सभासद बनाया था। उन्होंने उसमें बहुत अच्छे सुझाव दिये थे कि नासिक जिले में जो पश्चिमवाहिनी नदी है, उसे पूर्ववाहिनी करना जरूरी है, जिसका सारा पानी समुद्र में चला जाता है। उससे कुछ नहीं होता, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरह से सुझाव दिये थे। इन सुझावों के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ योजना बनाई है, लेकिन पैसे की कमी के चलते यह सुझाव वैसे ही पड़ा है। मेरी मंत्री महोदय से और भारत सरकार से विनती है कि इस सम्माननीय हुक्मदेव नारायण यादव जी यहां बैठें है, मोरारजी भाई ने एक-एक खासदार को बुलाया था और पूछा था कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या मांग है। मैने मांग की थी कि सिंचाई के पानी के बारे में एक मांग की थी, आदिम जाति के आई.ए.एस. अधिकारी और महाराष्ट्र के अधिकारी कम होते हैं, इसके लिए नासिक में एक कोर्स खोलना चाहिए। सब बोलते हैं कि जंगल कटते जा रहे हैं, इसलिए वन विकास महामंडल सरकार ने तय किया था। सारे जंगल काटने के लिए बारे में हमने कहा था। हमारी ये तीन ही मांगे थीं। उन्होने जल्दी से जल्दी यह पता करने के लिए सुरजीत सिंह बरनाला जी को नासिक जिले में भेज दिया कि वहां क्या नहीं है और सिंचाई के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 55 छोटे-मोटे बांध-बांध दिये।

रात्रि 11.00 बजे

आज भी महाराष्ट्र से जो सब्जी बाहर जाती है, उसमें मेरे क्षेत्र का पहला नम्बर है। मोरारजी भाई हमेशा कहते थे कि काम नहीं रुकना चाहिए। पैसा जल्द देना चाहिए और योजना पर तुरंत काम होना चाहिए। इसी सोच के चलते हमारे यहां पीने का पानी मिला, खेती के लिए पानी मिला। यहीं मोरारजी भाई बैठा करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की गंगा और दक्षिण की नदियों का पानी में सूखाग्रस्त इलाकों में पहुंचाने की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे वहां पानी की समस्या न रहे। तब एक सदस्य ने कहा था कि पैसा कहां से आएगा। इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि मोरारजी भाई हैं तो पैसे की कमी नहीं है। वह सरकार चली गई और योजनाएं भी चली गई। मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है।

महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। 2000 में 33 जिले सूखे की चपेट में थे, लेकिन चालू वर्ष में सब जिले सूखे की चपेट में है मेरा क्षेत्र नासिक जिला है, वहां 15 तहसीलें हैं। वहां एक दिन भी बारिश नहीं हुई है। पहले जो हो गई, सो हो गई। वहां के किसानों ने फसल बो दी, लेकिन वह उगी नहीं और सारी फसल सूखे की चपेट में आ गई। वहां पीने का पानी नहीं है, जानवरों को चारा नहीं है। किसान बहुत परेशान है। मेरी विनती है कि यहां से जल्द ही एक टीम वहां भेजी जाए। वह टीम महाराष्ट्र में और नासिक में जाकर हालात का जायजा ले।

समुद्र में हमारा बहुत सा पानी चला जाता है। वह न पीने के काम आता है और न सिंचाई के काम आता है। हमे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यह पानी पीने के लिए लोगों को मिले और खेती के भी काम आ सके।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष केवल चार या पांच बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे माननीय मंत्री कृषक समुदाय से हैं। उन्हें इस देश में किसानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। इस खास मुद्दे पर हम सब उनके साथ है। दलगत संबद्धता के बावजूद समस्त संसद और देश उनके साथ है। उन्हें इस देश के किसानों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए कुछ सुधार करने होंगे।

यह कैसे किया जाएगा? मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। फैक्ट्रियों, पेट्रोल और डीजल से होने वाले प्रदूषण के कारण विश्व के मौसम में दो से तीन डिग्री सेल्सियस गर्मी बढ़ रही है। इस समस्या का निराकरण क्या है? इसका उपाय अधिक वृक्ष लगाना है। कन्नड़ में एक कहावत है: यदि वृक्ष है तो वर्षा होगी। यदि वर्षा होती है तो फसल होगी। यदि फसल होती है तो हमारे पास भोजन होगा।

हम अधिक वृक्ष कैसे उगा सकते हैं? मैं माननीय मंत्री को जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे राज्य कर्नाटक में विभिन्न धर्मों के 50 से भी अधिक पूजारी-विभिन्न चर्चों के फादर और मस्जिदों से मौलवी-ये सभी आदि चुनचाना गिरि मठ के श्री श्री बालगंगाधर स्वामी जी की अध्यक्षता में एकत्रित होंगे। उन्होंने एक समिति का गठन किया हैं और कर्नाटक की कुल जनसंख्या 5.5 करोड़ के बराबर वृक्ष लगाने का निर्णय किया है। उन्होंने इस संबंध में एक कार्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना से धनराशि की मांग की है। अब उन्होंने निर्णय ले लिया है और इस संबंध में पहले ही कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने इस कार्यक्रम को कर्नाटक में पूरा करना है और उसके बाद वे अन्य राज्यों के साथ भी समन्वय करेंगी।

अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पूरे देश में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाने के लिए एक रास्ता क्यों नहीं ढूंढा जाए। हमारी जनसंख्या 100 करोड़ है। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु और विभिन्न विभागों की सहायता ले सकते हैं। माननीय मंत्री एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बना सकते हैं और उस अवधि के भीतर हम देश में लगभग 100 करोड़ वृक्ष लगा सकते हैं। यदि वह ऐसा विचार बना लें तो यह आसान होगा और यह देश को सूखे से बचाएगा। लेकिन हमें इससे निकलने का मार्ग ढूंढना होगा।

अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बाढ़ को कैसे रोका जाए। सभी महत्वपूर्ण नदियों को जोड़कर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है यथा गंगा को कावेरी के साथ या महानदी को कावेरी के साथ। इस प्रकार आप पूरे देश को जल उपलब्ध करा सकते हैं और हम देश के प्रत्येक व्यक्तियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के गांधीजी के सपने को पूरा होते देख सकते हैं।

वर्तमान में हम इस देश के सभी 100 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। राजग सरकार ने प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रोजगार सूचित करने की घोषणा की है किन्तु मुझे नहीं लगता कि यह सरकार लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हम सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत करेंगे, किन्तु हमें अन्य गंभीर समस्याओं को सुलझाना है, यथा भोजन, बेरोजगारी, जिनका देश सामना कर रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय मिले, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिले। इसमें भारी खर्च होगा, किन्तु हमें देश के प्रत्येक नागरिक के लिए यह सब सुनिश्चित करना है। मेरे विचार से माननीय मंत्री के नेतृत्व में हम कुछ लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते है।

माननीय कृषि मंत्री उस परिवार से संबंद्ध है जो कृषक समुदाय के है। उनके पिता जी ने इस देश के किसानों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हम इस देश के लिए किए गए उनके योगदान और उनकी उपलब्धियों को नहीं भूल सकते। हम अपनी पीढ़ी की क्या बात करें, कोई भी यह भूल नहीं सकता कि चौ. चरण सिंह ने इस देश के लिए क्या किया। माननीय मंत्री को कृषक समुदाय के लिए वही काम करना होगा। इसमें बड़ी धनराशि लग सकती है किन्तु हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है और इतना अधिक धन खर्च करने से पहले हमारे पास व्यापक योजना होनी चाहिए। इस योजना में विभिन्न नदियों को जोड़ने के काम पर भी विचार किया जाना चाहिए। इससे देश की अधिकांश समस्याओं का हल हो जाएगा। मेरे विचार से माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

फसल बीमा एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें विचार-करना चाहिए। हमें कृषक समुदाय को शामिल करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अनिवार्य फसल बीमा अवश्य हो। सभी राज्यों में बिजली की कीमत एक समान होनी चाहिए। इसके लिए आपको जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना होगा और सभी राज्यों को समान विद्युत वितरण होना चाहिए। और सभी किसान के लिए कीमत सीमा होनी चाहिए अन्यथा उसके लिए जीवन संकट उपस्थित हो जाएगा।

मैं सरकार को किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए बधाई देता हूं। गत वर्ष कर्नाटक में कई फसलों के लिए घोषित समर्थन मूल्य की सहायता से कृषक समुदाय के लाखों लोग जीवित रह सके। हम यह नहीं भूल सकते हैं। अन्यथा, वे

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

अपनी फसल बाजार में नहीं बेच सकते थे। साथ ही बाजार में मूल्य भी स्थिर हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृषक समुदाय के हित में समर्थन मूल्य के लिए बजट में दोगुनी राशि का आबंटन करें।

ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें मैंने माननीय मंत्री और इस सम्माननीय सभा के समक्ष रखा है और मेरे विचार से माननीय मंत्री ने उन्हें नोट किया है। मैंने कृषक समुदाय द्वारा सामना की जा रही कुछ समस्याओं और सूखा और बाढ़ से संबंधित कुछ मुद्दों पर भी नोट तैयार किया है माननीय सभापति की अनुमति से मैं इस सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

*महोदय, देश गम्भीर सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। सत्तर प्रतिशत क्षेत्र में अब तक कोई वर्षा नहीं हुई है।

मानसून समाप्त हो रहा है, अब तक किसान बुआई पूरी नहीं कर पाए हैं। मानसून के विफल रहने से देश को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमें परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।

मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे भारत सरकार द्वारा गंभीर सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी इस सभा को दें। लोग मीलों दूर से पेयजल लाते हैं। देश के अधिकांश भागों में जलाशय सूख रहे हैं।

केन्द्र सरकार का अक्रमशील व्यवहार राज्य सरकारों के लिए गम्भीर समस्याएं पैदा कर रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक की उपेक्षा की गयी है गत वर्ष कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एस.एम. कृष्णा की अध्यक्षता में कर्नाटक सरकार का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों से मिला है और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लगभग 900 करोड़ रु. जारी करने का अनुरोध किया, किन्तु केन्द्र सरकार ने उस अनुरोध का उत्तर देने की भी तकलीफ नहीं उठायी।

गत वर्ष कर्नाटक के किसानों को ओलावृष्टि के कारण लगभग 200 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है। कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया था किन्तु इस प्रस्ताव का भी वही नतीजा हुआ।

वर्ष 2000-2001 के लिए आपदा राहत निधि के रूप में 78 करोड़ रु. की राशि जो कर्नाटक सरकार के लिए आबंटित थी, को जारी किया गया; यह जानकर आश्चर्य होता है कि भाजपा के नेताओं ने इसकी जानकारी देने के लिए प्रेस को संबोधित किया, जो कि पूरी तरह से कर्नाटक सरकार का हक था।

इस वर्ष मानसून कर्नाटक पर मेहरबान नहीं है। 23.07.2002 की कर्नाटक सरकार द्वारा 81 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।

24.07.2002 को कर्नाटक सरकार के माननीय राजस्व और कृषि मंत्री ने कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कर्नाटक में सूखे की स्थिति की गंभीरता का वर्णन किया था।

पिछले तीन वर्षों से हम राज्य में कई जिलों में सूखे का सामना कर रहे हैं और साथ ही प्रत्येक वर्ष हम केन्द्र सरकार को प्रस्ताव दे रहे हैं।

यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात हैं कि ऐसा करना एक औपचारिकता बन गयी है। कर्नाटक के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की केन्द्र सरकार द्वारा उपेक्षा की गयी है। मुझे यकीन है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इस प्रकार के सौतेले व्यवहार से भविष्य में केन्द्र राज्य संबंध दुष्प्रभावित होगा।

बड़े आश्चर्य की बात हैं कि आप आंध्र प्रदेश के लिए पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। हैदराबाद से किया गया एक फोन कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधिमंडल से अधिक प्रभावी है।

आपने आंध्र प्रदेश के लिए लगभग 30 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया है किन्तु कर्नाटक के काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए मात्र तीन लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया है, खाद्यान्न के आबंटन में क्या मानदंड अपनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश ने कई योजनाओं को हथिया लिया है। यह मेरा आरोप नहीं है बल्कि संसद सदस्यों को उपलब्ध कराए गए सरकारी रिकार्ड ऐसे आंकड़े दिखाते हैं।

इस वर्ष, अब तक, कर्नाटक सरकार ने लगभग 45 करोड़ रु. पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अन्य बीज पर राजसहायता देने के लिए लगभग 6 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

किसानों द्वारा आत्महत्या का प्रयास और अन्य अतिवादी कदम उठाए जाने जैसी परिस्थितियों से निबटने के लिए जिला कलेक्टरों को तत्काल निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

आपको पता है कि कावेरी डेल्टा में अत्यल्प वर्षा के कारण कृष्णा राजा सागर बांध में जलस्तर खतरनाक रूप से कम है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु के किसानों के लिए अत्यन्त चिन्ता का

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विषय बन गया है। हमें तमिलनाडु के किसानों के प्रति भी बहुत सहानुभूति हैं क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूं अत: भारत के किसी भी राज्य के किसान की समस्या समझ सकता हूं।

रेशम, एर्कानट, नारियल, सब्जियों की कीमतों में बहुत गिरावट आ जाने से कर्नाटक के किसानों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। गत सप्ताह माननीय वस्त्र मंत्री ने किसानों को सभी प्रकार की सहायता देने की घोषणा की है लेकिन अभी तक ऐसा कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया है। गत सप्ताह माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य संबंधित मंत्रियों से मुलाकात की थी और इससे संबंधित वित्तीय पैकेज जारी करने का अनुरोध किया। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कर्नाटक के किसानों को वास्तव में कितनी सहायता देगी।

प्रत्येक वर्ष राज्यों के अधिकांश भागों में सूखा या बाढ़ आती है। यह अत्यंत उपयुक्त समय है जबकि सरकार को दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के लिए सोचना चाहिए। मुझे आशा है कि इस संबंध में निम्न बातें सरकार के लिए सहायक होंगी।

इस परियोजना के माध्यम से गंगा-कावेरी नदियों को जोड़ने हेतु बहुत निवेश करना होगा, यह देश की स्वप्निल परियोजना होगी और इस परियोजना से उत्तर भारत में बाढ़ में कमी आएगी और दक्षिण में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा।

2. तालाबों का नवीकरण: खराब रख-रखाव और उपयुक्त सहायक नहरें न होने से लाखों तालाब सूख गए हैं। कर्नाटक के इन तालाबों की विशेषता यह है कि वे एक दूसरे से ऐसी नहरों से जुड़ें हैं जिनमें अतिरिक्त जल है और कुछ दूर बहने के बाद उनसे कोई नदीं भी बन सकती है।

कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता के सहयोग से इन तालाबों के नवीकरण की शुरूआत कर दी है। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने इस मामले में भी हस्तक्षेप किया है और इस कार्य पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि ये तालाब कावेरी क्षेत्र में आते हैं। वास्तव में यह अर्थहीन निर्णय है और इससे राज्य की प्रगति में बाधा पड़ेगी।

मैं कर्नाटक के कोलार जिले का रहने वाला हूं जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां लगभग 400 तालाब हैं। उन सभी का निर्माण इतने नियोजित तरीके से किया गया है कि यदि आज भी इनका उचित रख-रखाव एवं मरम्मत की जाए तो इससे 365 दिनों तक खेतों की सिंचाई हो सकेगी।

मेरा जिला सूखा प्रभावित रहा है। मैने बार-बार जिले के सर्वांगीण विकास हेतु अनुरोध किया है।

मैं ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि तालाबों की मरम्मत के लिए योजना बनाने हेतु व्यापक परियोजना बनाई जाएं। यदि कोलार को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएं तो बड़े तालाबों की मरम्मत हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि यह जिला एक आदर्श जिला बन जाएगा।

सूखा निगरानी कक्ष: किसी एक मंत्रालय के अधीन सूखा निगरानी कक्ष का गठन किया जाना चाहिए। यह मंत्रालय सूखा एवं बाढ़ एवं उनके प्रबंधन का कार्य देखेगा। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने एवं सूखा पड़ने पर इन मुद्दों पर बहस की जाती है लेकिन अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी है। वर्तमान आपदा राहत कोष किसी स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बाढ़ एवं सूखे के शिकार लोगों की सहायता करने के लिय श्रमशक्ति एवं संगठन की भी आवश्यकता होती है। हम पैरा सेक्युरिटी बलों जैसे होमगार्डस, सिविल डिफेन्स परसोनेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं अध्यापकों की सेवाएं ले सकते हैं और हम तात्कालिक गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए कैडर का गठन भी कर सकते हैं।

उपर्युक्त कुछ बातों के परिप्रेक्ष्य में मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब अधिक से अधिक संभव कदम उठाए और स्थायी आपदा प्रबंधन ग्रुप का गठन करे ताकि देश किसी भी गंभीर स्थिति से निपट सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और विशिष्ट रूप से कर्नाटक को अन्तरिम राहत के तौर पर 100 करोड़ रुपये जारी किए जाने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह गत वर्ष केन्द्र सरकार के पास प्रस्तुत किए गए 900 करोड़ रुपये के लम्बित प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने हेतु हस्तक्षेप करें।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में पड़े सूखे एवं बाढ़ पर चल रही बहस में मुझे भाग लेने की अनुमति देने हेतु आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

एक सामान्य धारणा यह बनी है कि गुजरात में सूखा नहीं पड़ा है, मेरा निवार्चन क्षेत्र कच्छ जिला जहां का मैं रहने वाला हूं इतना दुर्भाग्यशाली है कि इसे लगभग सभी किस्म की प्राकृतिक आपदाओं-सूखा, चक्रवात एवं भूकंप का शिकार होना पड़ा है। गत तीन वर्षों से हम सूखे का सामना कर रहे हैं। गत 52 वर्षों की अवधि में स्वतंत्रता के बाद मेरे निवार्चन क्षेत्र में 33 बार सूखा पड़ा है। 1998 में कांडला में भयंकर चक्रवात आया जिसमें 3,000

[श्री पी.एस. गढ़वी]

लोगों की जाने गईं और अंजार, मुंद्रे और मांडवी तालुकों के गरीब किसानों के तीन लाख से ज्यादा फलदार वृक्षों का नुकसान हुआ, उसमें 50,000 उपयोगी पशुधन नष्ट हो गए। इन दोनों चक्रवातों में करोड़ों रुपयों की अचल एवं चल संपत्ति का नुकसान हुआ। 26 जनवरी 2001 को आए भुकंप का प्रभाव कच्छ में पड़ा था। पांच बड़े कस्बे और 181 से अधिक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए। महोदय, 581 गांव भूकंप से प्रभावित हुए है और हमारे किसानों का सब कुछ बर्बाद हो गया है।

इस भूकंप में 18,000 व्यक्तियों की जान गई और करोड़ों रुपये की संपत्ति बर्बाद हो गई। अभी तक हम इस भूकंप से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सके हैं।

महोदय, इस वर्ष भयंकर सूखे का अंदेशा है। कच्छ में सूखे का यह तीसरा वर्ष है। मैने जिलाधिकारी से वर्षा संबंधी आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। मुझे 20 जुलाई तक का आंकड़ा दिया गया है। कच्छ में 10 तालुका हैं इन 10 तालुकों में वर्षा के आंकड़े निम्नलिखित है।

भुज-53 मिमी.; मांडवी-18 मिमी.; मुंद्रा-12 मिमी.; अंजार-51 मिमी.; भचाऊ-82 मिमी; रेपर-137 मिमी.; गांधीधाम-55 मिमी., मरवलाना-31 मि.मी., अबादादास-40 मिमी.; और लखपत-40 मिनी.। अत: कच्छ जिला की औसत वर्षा 38 मिमी. अर्थात् लगभग 1.5 इंच है। यदि हम भचाऊ और रेपर की सामान्य वर्षा पर विचार करें तो यह लगभग 2 इंच है।

महोदय, सामान्य धारणा यह बनी हुई है कि गुजरात में वर्षा हुई है। दुर्भाग्य से कच्छ जिला जहां का मैं रहने वाला हूं और उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्रों में वर्षा बिलकुल नहीं हुई है। गुजरात के 10 जिलों में औसत वर्षा 30 प्रतिशत से कम है। वे जिले हैं: आनंद, बनासकंठा, गांधीनगर, कच्छ, मेहसाना, नर्मदा, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर और साबरकंठा। वर्षा नहीं हुई है और औसत वर्षा 30 प्रतिशत से कम है।

महोदय, मेरा माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि गुजरात विशेषकर कच्छ में किसानों की समस्याओं का उसी स्थान पर जाकर मूल्यांकन करने हेतु उच्च स्तरीय दल भेजा जाए, मुझे नहीं पता कि हमारे राज्य के कृषि मंत्री को बुलाया गया था या नहीं लेकिन वे बैठक में उपस्थित नहीं थे। अत: हमारे कृषि मंत्री को बुलाया जाना चाहिए या यहां एक दल भेजा जाना चाहिए। जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है, नाबार्ड और अन्य अनुसूचित बैंकों एवं सहकारिता बैंकों द्वारा परेशान किसानों से देय एवं ब्याज को माफ किया जाए या वसूली को स्थगित किया जाए।

माननीय मंत्री से दूसरा अनुरोध है कि केन्द्रीय राहत कोष में आवश्यक संशोधन किया जाए क्योंकि केन्द्रीय राहत कोष से सामन्यत; दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु एवं सीमांत कृषकों को राहत दी जाती है।

मेरे निवार्चन क्षेत्र की भूमि परती है। जिन किसानों के पास 10 एकड़ से 20 एकड़ तक भूमि है वे भी अपने परिवार का निर्वाह करने की स्थिति में नहीं है। अत: कुछ छूट दी जानी चाहिए। अन्यथा जिन किसानों के पास दो एकड़ भूमि है उन्हें भी उपज नहीं मिलेगी। जिन किसानों के पास 40 एकड़ से 50 एकड़ तक भूमि है वे भी अपना निर्वाह करने की स्थिति में नहीं हैं।

मेरा निवार्चन क्षेत्र देश का तीसरा सबसे बड़ा निवार्चन क्षेत्र है। मेरे निवार्चन क्षेत्र का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किमी. है। हमारे पास पर्याप्त चारागाह हैं। हमारे पास पशुओं की अनेक नस्ले गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ऊंट आदि हैं। पहले भी रेलवे ने चारा के परिवहन पर राजसहायता दे रखी थी। चारे का परिवहन नि:शुल्क था। हमें चारा केवल उत्तरी गुजरात से मिल सकता है जो कि 700 किमी. दूर है। मेरा माननीय मंत्री से यही अनुरोध है कि रेलवे द्वारा चारे की नि:शुल्क ढुलाई की सुविधा दी जाए।

दो करोड़ लोगों के लिए पेय जल नहीं है। इसका स्थायी समाधान नर्मदा है। जितनी जल्दी संभव हो सके। नर्मदा बांध का निर्माण किया जाए उसे पूरा किया जाए तभी उत्तरी गुजरात एवं सौराष्ट्र के लोग जीवित रह पाएंगे। हमारे वहां भू-जल का स्तर 300 फीट से 500 फीट नीचे चला गया है। हमारे पास भू-जल नहीं है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब भी राहत कार्य शुरू किया जाए तो भू-जल का स्तर बढ़ाए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसमें लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। अनेकों बार करोड़ों रुपये बर्बाद किए जाते हैं। फिर भी स्थिति वही बननी रहती है अत: भूजल का स्तर बढ़ाने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए।

गुजरात में हमने सरदार सरोवर सहभागी योजना शुरू की है। अत: लोग सहभागिता करेंगे अत: भू-जल बढ़ाए जाने की सुविधा की शुरूआत की जानी चाहिए। मैं एक लिखित टिप्पणी प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि इसे कार्यवाही वृत्तांत में रखा जा सके।

यह अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

*सूखा में अनेक किसानों का श्रम एवं खेत में डाला गया बीज भी बेकार चला गया क्योंकि वर्षा बहुत ही कम हुई। उनकी हुई क्षति को पूरा करने के लिए उन्हें राजसहायता प्राप्त विद्युत, प्रमाणित बीज, उर्वरकों एवं ऋण सुविधाएं दी जाएं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सूखे की स्थिति से परेशान गरीब किसानों की सहायता करने के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा की जाए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (विलासपुर): सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे 12 प्रदेश बाढ़ एवं सूखे की चपेट में हैं। ऐसी परिस्थिति में आज जो चर्चा हो रही है मैं उसमें सुझाव ही देना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार जब अकाल पड़ा था तो उसे एक हजार करोड़ रुपए तथा चावल दिए थे। वहां गंगा जल योजना के नाम पर धन दिया गया। वहीं इन्दिरा गांधी योजना और गंगा योजना लागू की गई। राजीव गांधी रोड निर्माण कार्य शुरू किया गया और जवाहर लाल रोड के नाम से इसे जाना गया। जवाहर लाल और राजीव गांधी बांध बन गया। सरकार इस बात पर ध्यान दे कि जो केन्द्र सरकार की मद से धनराशि दी जाती है, वह पूरी खर्च हो। पिछली बार सौ प्रतिशत राशि दी गई थी। वैसे 25 परसैंट राशि राज्य सरकार देती है लेकिन सौ प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार ही दे क्योंकि 12 राज्यों में भीषण बाढ़ और अकाल पड़ा है। मेरा यही कहना है कि केन्द्र सरकार शत प्रतिशत राशि दे। राज्य सरकार अगर पैसा खर्च करना चाहती है तो राज्य सरकार अलग कार्य करके दिखा दे। आप केन्द्र सरकार का कार्य अलग से देखें।

हमारे यहां पीने के पानी की भीषण समस्या है। वहीं का जल स्तर गिर रहा है उनको ऊपर उठाने के लिए कदम उठाने चाहिए। नलकूपों पर आप 30 हजार रुपये खर्च करते हैं। गांवों में हैंड पंप लगावा देते हैं लेकिन गांवों में अधिकतर तालाब हैं और वहां खेत रहते हैं। आप नदी-नालों को पक्का करा दें जिससे जल स्तर ऊंचा उठे। इससे पीने के पानी की समस्या हल होगी और लोगों को नहाने के लिए भी पानी मिल जाएगा। तालाब में टयूबवैल खनन किया जाए। राहत कार्यों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। तालाबों के किनारे खेत रहते हैं। टयूबवैल के पानी से सिंचाई की जा सकती है। हमारे यहां सारी फसल नष्ट हो चुकी हैं।

किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। जिन 12 राज्यों में अकाल पड़ा है वहां सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटे जाएं ताकि किसान अपने जीवकोपार्जन के कार्य कर सकें और खेती करने के लिए उपकरण ले सकें। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम की राशि न बांटने से किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इन परिस्थितियों में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जहां लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, वहीं प्रीमियम की राशि जमा की जाए। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उचित राशि मुआवजे के तौर पर किसानों को मिले। ऐसे में किसान सरकार को आशीर्वाद देगा। कई बार किसान को अनदेखा किया जाता है। यदि कहीं कांग्रेस की सरकार है तो वहां बीजेपी के जन प्रतिनिधियों को अनदेखा किया जाता है। इससे जन प्रतिनिधियों को कोई भूमिका नहीं रहती है। हम यहां रात भर बैठ कर चिल्ला रहे हैं और पैसे की बात कर रहे हैं लेकिन अपने क्षेत्र में कुत्ते, बिल्ली जैसे सांसद रहते हैं। इस परिस्थिति की ओर ध्यान दिया जाये। वहां कोई कार्य हो तो अनुशंसा से हो। ऐसा नहीं कि केन्द्र सरकार से पैसा जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहीं किसी प्रकार कोई बैठक की मानिटरिंग नहीं करते। प्रत्येक महीने संसद् सदस्यों और विधायकों की बैठक बुलाई जाये जहां कार्य नहीं हो रहा है, वहां सांसदों की अनुशंसा से कार्य किया जाये। सौतेला व्यवहार न हो। यह पैसा आम आदमी के विकास के लिये दिया जाता है न कि किसी राजनैतिक दल को बढ़ाने के लिये दिया जाता है। यह सही है कि गेहूं दो रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो मिल रहा है। यह सही कि बीपीएल वाले लोगों को मिल रहा है लेकिन आज की विषम परिस्थिति में गांव के जितने गरीब लोग हैं, उन सब को मिलना चाहिये। जो अपाहिज और पीड़ित हैं, कार्य नहीं कर सकते, अकाल की विभीषिका से वशीभूत हैं, वे कहां से पैसा लायेंगे, इसलिये उन लोगों को सहायता मिलनी चाहिये। भारत के गोदामों में इतना अनाज सड़ रहा है। हमारी पार्टी के लोगों ने इस बात का उल्लेख किया। अगर नहीं दिया जाता है तो गोदाम लूट लिये जायेंगे। मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि गोदाम लुटने के बजाय सरकार खुद बांटे। माननीय कृषि मंत्री जी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कई राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। जो राज्य पहले प्रस्ताव देते हैं, उसे 400 से 600 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में तत्काल दिये जायें जिससे लोगों को जीवन जीने का साधन मिल सके।

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

सूखा इस देश की ज्वलंत समस्या बन चुका है। पूरे उत्तर भारत के अधिकाश प्रदेश सूखे की चपेट में हैं। भारत सरकार इसके लिए संवेदनशील है। माननीय कृषि मंत्री जी ने सूखा प्रभावित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। मैं जहां से चुनकर आता हूं, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर में गन्ना किसानों की समस्या है। उनका गन्ना सूख रहा है। अन्य फसलें भी सूख रही हैं। हालांकि तराई क्षेत्र में धान की रोपाई हो गई है लेकिन पानी के अभाव में सूख रहा है। नलकूप चालू कराये जायें और नहरों के माध्यम से पानी टेल तक पहुंचाये जाने की व्यवस्था की जाये। गन्ना किसानों का भारी बकाया भुगतान के लिए पड़ा हुआ है। कुछ किसान नकदी फसलें उगाते हैं और उन्हें जल्दी दाम मिल जाता

[श्री श्रीराम चौहान]

है लेकिन गन्ना किसान अपनी उधार 15 दिन के लिए देते हैं। वर्षानुवर्ष वह भुगतान से वंचित रह जाते हैं। उनका भारी पैसा मिलों पर बकाया है यहां तक कि सरकारी मिलों पर भी बकाया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने के लिये राज्य सरकार को निर्देशित करे। राज्य सरकारें 'काम के बदले अनाज योजना' चालू करें ताकि केन्द्र सरकार की योजना पर राज्य सरकारें ठोस कदम उठा सकें। साथ ही सरकार किसानों के ऋण माफ करे। ऋण वसूली स्थगित की जाये। सिंचाई पर जितने टैक्स लगे हुये हैं, उन्हें माफ किया जाये। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

सभापति महोदय: वाद-विवाद समाप्त हुआ। कल श्री राम दास आठवले बोलेंगे तथा माननीय कृषि मंत्री का उत्तर होगा। अब सदन की कार्रवाई कल 11 बजे 26 जुलाई तक के लिये स्थगित की जाती है।

रात्रि 11.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 जुलाई, 2002/4 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।